लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....6.6.....
Dated....6.Oct.2008

(खण्ड 31 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण मित्तल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 13, सोमवार, 3 दिसम्बर, 2007/12 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
विश्व विकलांग दिवस	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241, 243 से 246, 248, 249 और 252	1-68
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 242, 247, 250, 251 और 253 से 260	69-99
अतारांकित प्रश्न संख्या 2210 से 2439	99-466
सभा पटल पर रखे गए पत्र	467-481
राज्य सभा से संदेश	481-482
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
तेईसवां प्रतिवेदन	482
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	483
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	483
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
दसवां, ग्यारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन	484
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	484
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	484-487
(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	484-485

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	डा. शकील अहमद	485
(तीन)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	डा. शकील अहमद	485-486
(चार)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के इक्तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	डा. शकील अहमद	486
(पांच)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	डा. शकील अहमद	486
(छह)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	डा. शकील अहमद	487
(सात)	रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री आर. वेलु	487
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
	24 नवम्बर, 2007 को ऑल आदिवासी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ असम (एएएसएए) द्वारा प्रदर्शन के दौरान और तत्पश्चात् हुई हिंसा से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	488-520
	श्री अजय चक्रवर्ती	489
	श्री शिवराज वि. पाटील	489-490
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	492-494
	श्री कीरेन रिजीजू	494-496
	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	496-498

विषय		कॉलम
	डा. अरुण कुमार शर्मा	498-501
	श्री हेमलाल मुर्मू	501-502
	श्री किरिप चालिहा	502-503
	श्री रामजीलाल सुमन	503-504
	श्री बाजू बन रियान	504
	डा. रामेश्वर उरांव	504-505
	श्री रूपचन्द मुर्मू	505
	श्री शिबु सोरेन	505-506
	श्री नारायण चन्द्र वरकटकी	506-507
	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	508
	श्री अनवर हुसैन	509-511
राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007		520-550
विचार करने के लिए प्रस्ताव		520
	श्री मुरली देवरा	520-522
	श्री कीरेन रिजीजू	522-525
	श्री के.एस. राव	525-528
	श्री शैलेन्द्र कुमार	530-532
	श्री तथागत सत्पथी	532-534
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	534-536
	प्रो. रासा सिंह रावत	536-538
	श्री अधीर चौधरी	538-541
	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	542-543
	श्री रमेश दूबे	543
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	543
	डा. एम. जगन्नाथ	543-545
खंड 2 से 40 और 1		549
पारित करने के लिए प्रस्ताव		550
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता		
	श्री वी.के. दुग्मर	550-551

विषय		कॉलम
(दो)	महिलाओं में एड्स की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	551-552
(तीन)	न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.के. खारवेनथन	552
(चार)	उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हरित प्रदेश नामक नया राज्य बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	553
(पांच)	राजस्थान के नागौर में कोल बेड मिथेन के उपयोग से बिजली बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भंवर सिंह डांगावास	553-554
(छह)	उत्तराखंड में गुरिल्ला युद्ध में सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बची सिंह रावत "बचदा"	554
(सात)	मध्य प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	554
(आठ)	संविधान की आठवीं अनुसूची में "अंगिका" भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सयैद शाहनवाज हुसैन	555
(नौ)	राजस्थान के अजमेर में पेयजल की आपूर्ति के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. रासा सिंह रावत	555-556
(दस)	विद्रोह रोकने संबंधी जवाबी कार्यवाही में अपनी जान न्यौछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों के आश्रितों को कारगिल के शहीदों के बराबर मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	556-557
(ग्यारह)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों पर समुचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सांताश्री चटर्जी	557
(बारह)	उत्तर प्रदेश के झांसी में रेल कोच फैक्ट्री (मरम्मत एवं अनुरक्षण इकाई) की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रपाल सिंह यादव	558
(तेरह)	उत्तर प्रदेश के इटावा में बसरई स्थित रेलवे फाटक को अन्यत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	558-559
(चौदह)	जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत पटना और बोधगया में विकास से जुड़े निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव	559

विषय		कॉलम
(पंद्रह)	जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रमेश दूबे	559-560
(सोलह)	महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	560
(सत्रह)	असम के चाय बागानों में स्थित अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	560-561
(अठारह)	केरल के कोच्चि में काजू बोर्ड मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. सिबैस्टियन पाल	561
नियम 193 के अधीन चर्चा		
राज्य के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता		561-643
	श्री गुरुदास दासगुप्त	561-568
	श्री खारबेल स्वाई	568-577
	श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	577-586
	श्री वरकला राधाकृष्णन	586-591
	श्री मोहन सिंह	591-597
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	598-604
	श्री ए. कृष्णास्वामी	604-607
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	608-613
	श्री प्रसन्न आचार्य	613-620
	डा. पी.पी. कोया	620-624
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	624-627
	श्री लक्ष्मण सिंह	627-632
	श्री एस.के. खारवेनथन	632-636
	श्री रामदास आठवले	636-638
	श्री अब्दुल रशीद शहीन	638-641
	डा. सिबैस्टियन पाल	641-643
अनुबंध I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		655
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		656-662
अनुबंध II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		663-664
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		663-664

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2007/12 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

विश्व विकलांग दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज विश्व नि:शक्तता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमें नि:शक्त लोगों के अदम्य साहस को स्वीकार करते हुए आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलम्बन हासिल करने के उनके प्रयासों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए।

आइए इस दिन हम अपना संकल्प दोहराएं कि हम इन अन्य प्रकारेण सशक्त लोगों को समान अवसर और अधिकार दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे।

हम तीन-चार मिनट विलम्ब से बैठक कर रहे हैं, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। उम्मीद है कि भविष्य में इस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी कि हमें सुबह में ही गणपूर्ति के लिये प्रतीक्षा करनी पड़े।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 241, श्री एन.एस.वी. चित्तन

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

***241. श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में राज्य-वार कितनी महिलाएं शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अकुशल, स्व-नियोजित और बेरोजगार हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित, जारी और उपयोग की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर महिलाओं का रोजगार वर्ष 1999-2000 में 123.04 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 148.98 मिलियन हो गया है, जिसका अर्थ यह है कि वर्ष 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 5.18 मिलियन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 2004-05 के दौरान 148.98 मिलियन महिला कार्यबल में से लगभग 91 मिलियन स्व-रोजगार युक्त थीं तथा बेरोजगार महिलाओं की अनुमानित संख्या 4.05 मिलियन थी। 2004-05 के दौरान, लगभग 61.8 प्रतिशत महिला कामगर निरक्षर थीं। सम्पूर्ण देश तथा प्रमुख राज्यों के संबंध में आंकडों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा महिलाओं एवं पुरुषों-दोनों का भी रोजगार बढ़ा। इस अवधि के दौरान महिलाओं में स्व-रोजगार एवं शैक्षिक स्तर भी बढ़ा है। भारत सरकार पुरुषों एवं महिलाओं-दोनों के लिए विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। इनमें से कुछ हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई); स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस जी एस वाई) एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई), ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन आर ई जी ए) तथा महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं

रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एस टी ई पी)। ये योजनाएं सामान्यत: मांग प्रेरित हैं तथा महिलाओं के लिए कोई पृथक निधि आबंटित नहीं की जाती है। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए जाते हैं कि इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को भी मिले। महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एस टी ई पी) एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (एन वी टी आई)/आर वी टी आई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित एवं जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

I. महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एसटीईपी)

(रु. लाख में)

वर्ष	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां
2004-05	2500	1781.87
2005-06	1500	1717.92
2006-07	1600	1597.64

II. एन वी टी आई/आर वी टी आई

(रु. लाख में)

वर्ष	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां
2004-05	501.91	579.48
2005-06	637.80	629.28
2006-07	702.56	697.32

अनुबंध

सामान्य स्थिति आधार (यू पी एस एस) पर महिला कामगारों की अनुमानित संख्या वर्ष 2004-05 के दौरान अखिल भारत तथा प्रमुख राज्य

योग अखिल भारत

(मिलियन में)

कामगारों की संख्या	स्व-नियोजित	बेरोजगारों की संख्या
148.98	90.95	4.05

प्रमुख राज्यों से संबंधित आंकड़े

क्र.सं.	प्रमुख राज्य	कामगारों की संख्या	स्व-नियोजित	बेरोजगारों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.29	7.73	0.14
2.	असम	2.68	1.79	0.10
3.	बिहार	5.58	2.88	0.01
4.	छत्तीसगढ़	4.39	2.31	0.02
5.	गुजरात	8.34	4.72	0.05
6.	हरियाणा	2.75	2.22	0.06
7.	हिमाचल प्रदेश	1.51	1.36	0.04
8.	जम्मू-कश्मीर	1.17	1.07	0.03
9.	झारखंड	3.82	2.87	0.01
10.	कर्नाटक	9.89	4.74	0.16
11.	केरल	4.09	2.08	1.26
12.	मध्य प्रदेश	9.63	5.55	0.02
13.	महाराष्ट्र	17.39	8.37	0.20
14.	उड़ीसा	5.61	3.37	0.62
15.	पंजाब	3.05	2.46	0.22
16.	राजस्थान	10.36	8.83	0.04
17.	तमिलनाडु	11.41	5.19	0.28
18.	उत्तर प्रदेश	18.17	15.21	0.12
19.	उत्तरांचल	1.56	1.38	0.02
20.	पश्चिम बंगाल	6.99	4.11	0.33
21.	दिल्ली	0.60	0.13	0.04

श्री एन.एस.वी. चित्तन: अध्यक्ष महोदय, हमारी यूपीए सरकार ने महिलाओं से संबंधित मामलों पर ध्यान देने के लिए एक स्वतंत्र महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन किया है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किए जा रहे महिलाओं से संबंधित 42 से अधिक कानून या तो हमारी सरकार द्वारा पारित किये गए हैं या वह उनकी जांच कर रही है। उनमें से कुछेक इस प्रकार हैं: घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005; हिन्दू उत्तराधिकार

अधिनियम, 1955; सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी का प्रतिषेध। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; विदेशी विवाह अधिनियम, 1961, बागान श्रम अधिनियम, 1951; में संशोधन करने पर भी विचार किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या प्रश्न है?

श्री एन.एस.वी. चित्तन: मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उसी पर आइए।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: हमारी यूपीए सरकार का प्रतिष्ठित अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत महिलाओं के कल्याण पर सरकार द्वारा किया जा रहा व्यय इस बात का द्योतक है कि इस ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है। विद्यानमंडलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापटल पर रखे गये विवरण से, यह परिलक्षित होता है कि प्रतिवर्ष 5.18 मिलियन महिलाओं को रोजगार दिया गया था। वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग 61.8 प्रतिशत महिला मजदूर निरक्षर थीं।

अध्यक्ष महोदय: जवाब मैं ये सारे आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं। आपको इन्हें यहां उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? वर्ष 2004-05 में इसके लिए 2,500 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी थी, परन्तु वर्ष 2006-07 में इसे घटाकर 1,600 लाख रुपये कर दिया गया है तथा इसमें से केवल 1,597 लाख रुपये की राशि ही जारी की गयी है। निधि के आबंटन तथा इसके जारी करने में भारी कमी आने के क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय: आपने दो प्रश्न एक साथ पूछे हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने न केवल निधियों का नियतन किया है, बल्कि देश में कुछ संस्थान भी महिलाओं को आईटीआई, जो मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं, के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दे रही हैं। हमारा प्रयास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 30 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करने का है और इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया गया है। निधियों की कोई कमी नहीं है; केवल विभिन्न राज्यों द्वारा खर्च किए जाने की बात है जिन्हें आवश्यक संसाधन दिये गये हैं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: जीवन-यापन दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, पुरुषों और महिलाओं-दोनों को ही सुनियोजित तरीके से परिवार चलाने के लिए नौकरी करके कमाना पड़ता है। एक ओर हमारी महिलाएं जहां सेना में सेवा करने को भी तत्पर हैं, लेकिन शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कम्प्यूटर इत्यादि ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं को बड़ी संख्या में समायोजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में महिलाओं के लिए निधियां निर्धारित की गई हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी यह उल्लेख किया है, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी यूपीए सरकार महिलाओं को विशिष्ट नौकरियों में एक तिहाई आरक्षण देने के लिए कदम उठाएगी क्योंकि हमारी जनसंख्या में महिलाएं पचास प्रतिशत से अधिक है, और स्व-सहायता समूहों को पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा चलाए जाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: यह सारा प्रयास देश में स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए है; यद्यपि हमारा प्रयास रहा है कि 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए हो, लेकिन इसमें 50 प्रतिशत की सीमा पार हो गई है; और लगभग 80 प्रतिशत स्व-सहायता समूह महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं और काफी कुशलता से चलाए जा रहे हैं और वह भी कम ब्याज पर। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इस पर बल दिया है। हमारा सारा प्रयास महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करके सशक्त करना है। शिक्षा के संबंध में आंकड़ों से भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रश्न क्रमांक 'क' में कितनी महिलाएं शिक्षित हैं और कितनी अशिक्षित हैं, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। जो आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं, वे कामगार महिलाओं, सुनियोजित महिलाओं और बेरोजगार महिलाओं की संख्या कितनी हैं, इस बारे में हैं। मैं मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहूंगी?

दूसरा, आज के दिनों में बढ़ती हुई महंगाई से यदि सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो हम बहनें हैं। जहां बहनें अशिक्षित हैं, वहां भी उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो, क्योंकि आप सैल्फ हैल्प ग्रुप्स में बैंकों से जो ऋण देते हैं, महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं हैं कि बैंकों के ऋण की प्रक्रिया को पार कर सकें। उन्हें उसमें परेशानी आती है और वे छोटे-छोटे रोजगारों से

बैंक को ऋण का ब्याज भी उपलब्ध नहीं करवा सकतीं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या उन बहनों के लिए आप कोई ऐसा बजट बनाएंगे जो स्पैशली उनके लिए रहे? ...*(व्यवधान)* रोजगार गारंटी योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने यह कह दिया है। यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उन्हें उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: माननीय अध्यक्ष जी, यह महिलाओं का सवाल है। इससे महिलाओं का भला नहीं हो रहा है। महिलाएं 50 प्रतिशत हैं, इसलिए उन्हें अलग से रखा जाए। मेरे दो प्रश्न हैं-एक, शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं के बारे में है और दूसरा, क्या उनके लिए अलग से निधि की व्यवस्था करवाएंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न पूछ लिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हमारी सरकार ने लिंग आधारित बजट आरंभ किया है तथा केन्द्र सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि हम कितना भी धन खर्च करें, महिलाओं पर खर्च के लिए एक निश्चित आवंटन होना ही चाहिए।

जहां तक साक्षरता दर की बात है, 2001 में समग्र साक्षरता दर 65 प्रतिशत थी, जिसमें महिला साक्षरता दर 54 प्रतिशत और पुरुष साक्षरता दर 75 प्रतिशत थी।

श्रीमती अर्चना नायक: मैं माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु मंत्रालय की भावी आयोजना क्या है क्योंकि यदि सर्वोच्च व्यावसायिक शिक्षा पाने के बाद भी वे बेरोजगार रहीं तो वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगी।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा रास्ता उन्हें शिक्षित करना है। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की कैन्टीन में गया तो मैंने देखा कि वहां केवल महिलाएं ही हैं। जब मैंने पूछा कि कैन्टीन में महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों है तो लड़कियों ने बताया कि वे सब प्रतिभा के आधार पर आई हैं। यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां काफी अधिक संख्या में महिलाएं हैं जो प्रतिभा के आधार पर आई हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही आज हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, महिलाएं शिखर तक पहुंच रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमन महतो: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया है कि सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष 2004-05 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर महिला बेरोजगारों की संख्या 4.05 मिलियन है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाकर इन बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: संगठित क्षेत्र में भी महिलाओं को अपनी प्रतिभा के कारण ही उनका हक मिल पा रहा है। असंगठित क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया है, हम विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं जिनके अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। यदि आप चाहें तो मैं इन सभी योजनाओं के बारे में बताउंगा।

अध्यक्ष महोदय: ब्यौरे यहां उपलब्ध हैं। यदि आप चाहें तो इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि हमारे पास कितनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड विमैन्स हैं। क्या आपके पास अपग्रेडेशन आफ स्किल्ड की कोई स्कीम है जिससे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड विमैन्स हैं, उनको हम स्किल्ड में अपग्रेड कर सकें?

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हमने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनके माध्यम से अकुशल महिलाओं और सामान्य श्रेणी के लोगों को भी कुशलता प्रदान की जाती है। हम आईआईटी जैसे तकनीकी विद्यालयों को भी घरेलू, विश्व बैंक और संस्थागत वित्तपोषण के माध्यम से सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी विद्यालयों के रूप में उन्नत किया जा सके। महिलाओं को जब इस प्रकार की शिक्षा दी

जाएगी तो हम उनके लिए और अधिक रोजगारों का सृजन कर सकते हैं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: अर्थव्यवस्था में समग्र बदलावों के परिणामस्वरूप, औद्योगिक और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में महिला रोजगार की अंशधारिता बढ़ी है। उपरोक्त को देखते हुए, क्या भारत सरकार फैक्टरी अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। जिसके अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों के परिसर में सायं 7.00 बजे के बाद कार्य करने वाली महिलाओं की उपस्थिति प्रतिबंधित है। यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए क्या प्रणाली विकसित की जाने वाली है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हमने कारखानों में महिलाओं के कार्यकरण की शर्तों को कुछ शिथिल कर दिया है ताकि वे पूर्ण सुरक्षित रहते हुए समान अवसर पा सकें। इसके साथ-साथ कारखानों में उनके लिए महिला कक्ष जैसी विशेष सुविधा भी प्रदान की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 242 श्री जी.एम. सिद्दीश्वर–उपस्थित नहीं

प्रश्न सं. 243 श्री जीवाभाई ए. पटेल।

[हिन्दी]

मृदा परीक्षण

*243. +**श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गैर-कृषि और कृषि भूमि पर किए जा रहे मृदा परीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मृदा परीक्षणों को नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिसके कारण भूमि की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मानक कार्यपद्धति के अनुसार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा कृषि भूमि से संबंधित मृदा उर्वरता हेतु मृदा परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) कृषि, वन और खुले झाड़-झंखाड़ जैसे विभिन्न भूमि उपयोग के अधीन आने वाली मृदाओं पर ध्यान दिए बिना मानक कार्यपद्धति के अनुसार नदी घाटी परियोजनाओं के विभिन्न आवाह क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली पनधारा में विस्तृत मृदा सर्वेक्षण करता है।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (नामत: उर्वरक का संतुलित और समेकित उपयोग) के अधीन नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और पहले से स्थित प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, देश में 651 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिनकी वार्षिक विश्लेषण क्षमता लगभग 7 मिलियन नमूने की है। इनकी क्षमता उपयोगिता लगभग 82 प्रतिशत है। भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) के अधीन केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता वाली पनधारा में विस्तृत मृदा सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस संगठन ने अब तक विस्तृत मृदा सर्वेक्षण के अंतर्गत 13.5 मिलियन हैक्टेयर कवर किए हैं।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में ओएनजीसी द्वारा भारी मात्रा में तेल और गैस निकाला जा रहा है। लेकिन गैस और तेल निकालने के बाद वे भूमि को वैसे ही छोड़ देते हैं जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पाते। गैस निकालने के बाद इस पर मृदा परीक्षण किया जाता है, जो संतोषजनक नहीं है।

महोदय, इस तरह से मेरे संसदीय क्षेत्र में उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है एवं कई खेतों में लीकेज हो रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि गमनपुरा गांव में किसानों के खेत में ट्यूबवैल से गैस और तेल निकल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? मृदा परीक्षण से संबंधित प्रश्न रखिए।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना जिले में भूमि का परीक्षण कार्य किया गया है, उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार उसके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदय, यह प्रश्न विशेष रूप से मृदा परीक्षण के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां। मैं भी तो यही कह रहा था।

श्री शरद पवार: महोदय, यदि माननीय सदस्य मेहसाना जिले के संदर्भ में विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं वह जानकारी एकत्रित करके माननीय सदस्य को प्रेषित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा कह सकते हैं। आप मुख्य प्रश्न से संबंधित अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल: मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो भूमि बेकार हो जाती है, उसका परीक्षण करने के लिए और उसे उपजाऊ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, उनका क्या ब्यौरा है?

श्री शरद पवार: महोदय, सायल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के माध्यम से मिट्टी के सैम्पल लेकर, उनका एनालिसिस करके उसमें क्या डेफिशिएंसी है, उसकी एक रिपोर्ट किसानों को देने का प्रबंध किया गया है। जब यह रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उस डेफिशिएंसी के मद्देनजर रखते हुए किसानों को इसके बारे में उपयुक्त कदम उठाने की सलाह भी दी जाती है। मेरे ख्याल से यह उस क्षेत्र विशेष की कोई खास समस्या दिखाई देती है जहां आयल एण्ड गैस के इस्टेबलिशमेंट्स हैं। इसके लिए अलग से देखना होगा और वह इनफार्मेशन अलग से देखकर सरकार किसानों को सहायता देने को तैयार है। यह वहां के किसानों की कोई अलग समस्या है, इसमें वहां के किसानों को सहायता देने की तैयारी सरकार की रहेगी।

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, देश में वर्तमान समय में 1407 लाख हेक्टेअर मिट्टी संरक्षण, बाढ़, पानी के जमाव, खार व सिल्ट जमा होने की समस्या से प्रभावित है। पूरे देश में सरकार के 651 मृदा परीक्षण केंद्र हैं एवं 122 मोबाइल केंद्र हैं। ये केंद्र अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं। अधिकांश रासायनिक खाद से प्रभावित भूमि का परीक्षण ही ये केंद्र करते हैं जबकि देश में बाढ़, सूखे, जल बहाव एवं जल कटाव आदि से भूमि की उर्वरता कम हो रही है। क्या इस पर सरकार ध्यान दे रही है? भूमि की उर्वरता धीरे-धीरे कम होने से लोग खेती से दूर होते चले जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसान अपने अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं और मृदा परीक्षण का ज्ञान उन किसानों को मृदा परीक्षण केंद्रों के वैज्ञानिकों से ज्यादा है। मृदा परीक्षण केंद्र से विशेष सहायता नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में जल बहाव और जल कटाव से प्रभावित होने वाली मृदा का परीक्षण किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम सामने आए हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कुल 651 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और उनमें से 134 चल प्रयोगशालाएं हैं। हमने कुछ नमूने एकत्रित किए थे। वर्ष 2006-07 में 70 लाख नमूने एकत्रित किए गए और उनकी विस्तृत रिपोर्ट किसानों को दी गई थी। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी चाहते हैं अथवा यदि उन्हें कोई विशेष प्रश्न पूछना है तो वह मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर समुचित कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने प्रश्न को मुख्य प्रश्न से संबद्ध रखिये।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: अध्यक्ष महोदय, जो किसान अपनी मृदा परीक्षण कराने के लिए लेबोरेटरीज में जाते हैं, वहां उनसे जो एमाउण्ट लिया जाता है, उसके बारे में क्या सरकार आने वाले समय में किसी प्रकार से सब्सिडी देने का प्रावधान कर रही है क्योंकि किसान इस समय बहुत तकलीफ में हैं और उनको इस सुविधा की बहुत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह राज्य का विषय है और इस बात का निर्णय राज्य सरकार लेती है कि इसके लिए कितनी धनराशि ली जाए। लेबोरेटरीज सायल टेस्टिंग के लिए सिम्पल लिमिटेड एमाउण्ट लेती है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि भविष्य में हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे कम भूमि का उपयोग करके ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उस संबंध में मृदा परीक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे देश के विभिन्न भागों में मृदा के पोषक तत्व पहले ही कम हो रहे हैं। महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि मृदा परीक्षण को रिपोर्टों के अनुसार क्या उन राज्यों में मृदा पोषण का स्तर घटा है जहां हरित क्रांति शुरू की गई थी।

श्री शरद पवार: पंजाब और हरियाणा ऐसे दो प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने देश में खाद्यान्नों की व्यावहारिक तौर पर प्रतिपूर्ति की है। हाल ही में इन दोनों राज्यों में हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि इन दोनों राज्यों में गेहूं और चावल, इन दोनों फसलों का उत्पादन अधिकाधिक रूप से किया जाने लगा है और चूंकि केवल इन्हीं दोनों फसलों का लगातार उत्पादन किया जा रहा है और इसके लिए वे जल की लगातार खपत कर रहे हैं जिससे उत्पादकता कम होती जा रही है। हम एक विशेष कार्यक्रम तैयार करना चाहेंगे। इस मुद्दे पर हम राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह खास समस्या केवल इन्हीं दो राज्यों में है।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, आज कृषि स्नातक इस देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का देश में नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना द्वारा इन बेरोजगार कृषि स्नातकों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय: कम से कम इन्होंने वैज्ञानिकों का मुद्दा उठाया है।

श्री शरद पवार: महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारें मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं पहले ही स्थापित कर चुकी हैं। हाल ही में, भारत सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2004-05 और 2006-07 के दौरान 304 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

[हिन्दी]

कुछ जिलों में सूखे की स्थिति

*244. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मानसून के दौरान कुछ मौसम विज्ञान संबंधी जिलों (मीटिरोलाजिकल डिस्ट्रिक्ट्स) ने सूखे की स्थिति का सामना किया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए इन जिलों को कितनी सहायता दी गई है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून 2007 (1.6.2007 से 30.9.2007 तक) के दौरान देश में 533 मौसम विज्ञानी जिलों में से 124 जिलों में अपर्याप्त वर्षा (- 20% से - 59%) और 20 जिलों में बहुत कम वर्षा (- 60% से - 99%) हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जिन जिलों में अपर्याप्त और बहुत कम वर्षा हुई थी, उन जिलों का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है–

राज्य	अपर्याप्त वर्षा वाले जिले (सं.)	बहुत कम वर्षा वाले जिले (सं.)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	0
अरुणाचल प्रदेश	3	1
बिहार	1	2
चंडीगढ़	1	0
छत्तीसगढ़	5	0
हरियाणा	16	1
हिमाचल प्रदेश	5	2
जम्मू-कश्मीर	1	1
झारखंड	1	0
कर्नाटक	1	0

1	2	3
मध्य प्रदेश	22	2
महाराष्ट्र	1	0
मणिपुर	2	0
नागालैण्ड	1	1
पंजाब	8	3
राजस्थान	14	0
तमिलनाडु	3	0
उत्तर प्रदेश	34	7
उत्तराखंड	3	0
पश्चिम बंगाल	1	0

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 37 जिलों के 145 तहसीलों में सूखे की स्थिति देखी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र को सूखा प्रवण क्षेत्र के रूप में घोषित किया है तथा सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए प्रति जिला 2.00 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि कृषि आदान राजसहायता के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिलों के लिए 108 करोड़ रु. की राशि अर्थात बांदा जिले के लिए 20.00 करोड़ रु., चित्रकूट जिले के लिए 5.00 करोड़ रु., हमीरपुर जिले के लिए 16.00 करोड़ रु., जालौन जिले के लिए 10.00 करोड़ रु., झांसी के लिए 20.00 करोड़ रु., ललितपुर जिले के लिए 22.00 करोड़ रु. तथा महोबा जिले के लिए 15.00 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सूखे की स्थिति का समाधान करने के लिए राज्य योजना एवं कृषि विभाग द्वारा एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है।

किसी अन्य राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने इस वर्ष सूखे के संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करना प्रमुखतया संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार वित्तीय एवं संभार सहायता के जरिए राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के तहत आवश्यक उपाय करने के लिए राज्यों के पास निधियां सहज उपलब्ध हैं। भारत सरकार और संबंधित सरकारें सीआरएफ में 3.1 के अनुपात में अंशदान करती है। आपदा राहत कोष के अलावा, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से अतिरिक्त सहायता पर गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा एनसीसीएफ से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि आवश्यक हो, विचार किया जाता है। वर्तमान सूखे के लिए किसी भी राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष जी, विपरीत मौसम के कारण पूरे देश में कम वर्षा हो रही है। कम वर्षा होने से फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 34 जिलों में कम पानी बरसा है। जब कम पानी बरसा है तो सभी फसलें खराब हो गई हैं और रबी की बुवाई भी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल बुंदेलखंड के सात जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री जी अपनी ओर से घोषणा करेंगे कि जिन 34 जिलों में कम पानी बरसा है और फसलें चौपट हो गई हैं, उन्हें सूखाग्रस्त इलाका मानकर सहायता दी जाएगी?

श्री शरद पवार: महोदय, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उन जिलों के बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जब पानी कम बरसता है तो सूखे की परिस्थिति पैदा होती है। इस संबंध में राज्य सरकार भारत सरकार के पास रिपोर्ट भेजती है और फिर हम यहां से टीम गठित करके उस राज्य में सूखा प्रभावित जिलों में भेजते हैं। वह टीम वहां जाकर परिस्थिति को देखती है, राज्य सरकार के साथ बातचीत करके केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देती है। उसके बाद केन्द्र सरकार उस राज्य के उन प्रभावित जिलों में अगर वित्तीय मदद की जरूरत हो तो, वह वित्त मदद देने का निर्णय लेकर उन्हें वह मदद देती है। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, कुछ जिलों में उसने कदम उठाए हैं, लेकिन भारत सरकार के पास अभी तक कोई मांग नहीं आई है।

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सात जिलों के अलावा कोई अन्य रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि आपके लिखित जवाब में जो एनेक्स्चर लगे हुए हैं, उसमें 34 जिलों में कम बारिश होने की बात कही गई है। इलाहाबाद की चार तहसीलों कोरांव, मेजा, बारा और करछना का एरिया पथरीला और पठारी है। वहां के बांधों में पानी नहीं है और नहरें भी नहीं चल रही हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा

कि क्या वह हमारी सूचना को संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश देने का कष्ट करेंगे और जो हमने बताया है उस पर सर्वे कराकर मदद करने की कृपा करेंगे?

श्री शरद पवार: महोदय, मैंने खुद ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली 4 डिस्ट्रिक्ट में डैफिशिएंट रेनफाल है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में स्केन्टी रेनफाल है। इसको हमने स्वीकार किया है कि इस तरह की इंफोर्मेशन हमारे पास है। मगर कौनसी स्टेट में, कौनसी डिस्ट्रिक्ट में और जब भारत सरकार की तरफ से मदद देने की जरूरत पड़ती है तो उसका प्रपोजल भारत सरकार के पास आता है। अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल भारत सरकार के पास आया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास सीआरएफ का एमाउंट है, जिसका आधार लेकर उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। माननीय महोदय का कहना है कि किसी खास डिस्ट्रिक्ट की समस्या है, वे मुझे लिखेंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और उनसे आवश्यक कदम उठाने के लिए विनती करूंगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, सूखे के कारण आज किसान पूरे देश में बेहाल हो रहा है। पिछले हफ्ते एक प्रश्न के उत्तर में साइंस एंड टेक्नोलाजी के मिनिस्टर माननीय कपिल सिबल जी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने एक नया साफ्टवेयर घोषित किया है, जिसके आधार पर हरियाणा में कई टेस्टिंग की गई हैं, जहां सूखे की फसल की भविष्यवाणी की जाती है कि कितनी उपजाऊ फसल उस क्षेत्र में है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय साइंस एंड टेक्नोलाजी मंत्रालय के साथ बैठकर, उस साफ्टवेयर सेटलाइट प्रोग्रामिंग माडल का विस्तृत तरीके से पूरे देश में ज्ञापन करेगा ताकि किसानों को भी उसकी उपलब्धता हो सके और वे सूखे का सामना कर सकें।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक विशेष प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है,

[हिन्दी]

उस टेक्नोलाजी के एक्सपेरिमेंट्स हरियाणा में करने का काम शुरु है। जब यह काम शुरु है तो उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी सहयोगी है, स्टेट-गवर्नमेंट भी सहयोगी है। रिपोर्ट्स और इनका अनुभव देखने के बाद पूरे देश में इसे एप्लीकेबल करने की बात साइंस एंड टेक्नोलाजी मिनिस्ट्री के सामने है।

श्री मोहन रावले: सर, महाराष्ट्र के किसान बहुत दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। हमारे मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र से हैं, उन्हें पता है कि इरिगेशन की व्यवस्था वहां ठीक नहीं है। बारिश पर ही सब खेती निर्भर है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सूखे की वजह से खेती संकट में है और किसान ऋण लेने के लिए पैसा भरते हैं। उन्होंने लिखा है कि

[अनुवाद]

यह मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुये अनिवार्य उपाय करें।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उनकी ऋण-मुक्ति की प्रार्थना करता हूं। अगर उनको ऋण-मुक्ति नहीं होगी तो उनका भला नहीं होगा। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पैकेज देने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। करीब 30 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या आप उन्हें आत्महत्या करने से रोकने के लिए ऋण-मुक्ति देंगे? वे इसी वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महाराष्ट्र के कारण ही उनका विशेष नाम हुआ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चूंकि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए सभा में शांति बनाए रखी जाए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: वर्षा से संबंधित यह विशेष विषय देश में मौसम विभाग की रिपोर्ट से संबंधित है। यह प्रश्न ऋण माफ करने अथवा किसी अन्य मुद्दे से संबंधित नहीं है। यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं, तो मुझे इसके लिए एक अलग सूचना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी मदद करते हैं, आप बैठ जाइये। मुझे विश्वास हे कि किसानों द्वारा आत्महत्या करने से संबंधित मामलों पर पूरा देश चिंतित है जोकि मेरे विचार से, राष्ट्र के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसलिए, हम सभी को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए अपितु इसका ऐसे तरीके से समाधान करना चाहिए जो हमारे महान देश की शोभा के अनुरूप हो।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब भी किसान की

बात आती है तो सब जानते हैं कि बिजली उसे पूरी नहीं मिलती है। बाढ़ के कारण किसान की फसल खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाए, तो किसान की फसल खराब हो जाती है। हर सेशन में ये समस्याएं यहां पर उठती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार आपस में बैठकर क्या कोई ऐसी नीति बनाएंगी कि बाढ़ या सूखा आये तो किसान का नुकसान उसे अपने आप दिया जाए क्योंकि यह बात हम हर डिमांड के ऊपर रखते हैं। कई लोग आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं यहां तक कि गिरदावरी नहीं हो पाती। क्या राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार बैठकर निश्चित रूप से बाढ़ और सूखे से राहत देगी या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने बोला है कि स्टेट-गवर्नमेंट से कोई प्रस्ताव आयेगा तो देखेंगे।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष जी, आज देश में इसके लिए क्राप-इंश्योरेंस की स्कीम चालू है। जो किसान अपनी क्राप इंश्योर्ड करते हैं, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ से नुकसान हो, उनको इसका कंपनसेशन मांगने का अधिकार है और इसका प्रबंध किया गया है।

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष जी, राहत कार्य गृह-मंत्रालय की जिम्मेदारी है और कृषि मंत्री जी कृषि मंत्रालय से संबंधित हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि राहत की जो पूरी सूचना होनी चाहिए, वह कृषि विभाग के जरिये आ नहीं पाई है। इस वर्ष मानसून की विडम्बना थी कि पूर्वी जोन में तो बारिश बहुत हुई, दक्षिणी जोन में भी बारिश हुई, लेकिन पश्चिमोत्तर जोन में न्यूनतम बारिश हुई। इसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े हुए उत्तरांचल के इलाके बुरी तरह से सूखे से प्रभावित हुए और बुंदेलखंड की हालत तो इतनी खराब है कि वहां धरती फट रही है, ज्वालामुखी निकल रहा है। राज्य सरकारों की शिथिलता है लेकिन उसका नुकसान वहां के किसानों और गरीब लोगों को नहीं होना चाहिए। करीब 150 रुपये, 100 रुपये के चेक किसानों को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह मामला सभा में उठाने की अनुमति पहले ही दे दी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इसलिए सवाल करना चाहता हूं कि भारत सरकार की नजर में, राज्य सरकारों ने सही समय पर इनको सूचना नहीं दी तो यह परिपाटी है कि भारत सरकार स्वयं अपनी तरफ से अधिकारियों का एक मंडल सर्वेक्षण के लिए अपनी तरफ से भेजता है और उसके हिसाब से राज्यों की सहायता की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों की तस्वीर इन्होंने हमारे सामने रखी है कि सबसे अधिक सूखा-ग्रस्त थे, उन राज्यों का सर्वेक्षण करने के लिए, क्या भारत सरकार अधिकारियों की एक टीम अपनी तरफ से स्वत: भेजने का कष्ट करेगी?

श्री शरद पवार: महोदय, हरियाणा के बारे में जो बात कही गई है, यह बात सच है कि 16 डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश कम हुई। मगर वहां पंजाब में भूमि के बड़े भाग में सिंचाई होती रहती है इसलिए बाकी एरियाज में जितना असर होता है, उतना असर यहां नहीं होता है। आज पूरे देश की स्थिति देखने के बाद एक बात मेरे सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मध्य प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां की स्थिति गंभीर मुझे दिख रही है। लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से आज तक हमें कोई प्रतिवेदन आया नहीं है। बुंदेलखंड की पिछले तीन साल की स्थिति देखने के बाद मैं इस नतीजे पर आया हूं कि भारत सरकार ने ही कोई एक टीम बनाकर वहां की राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ लेकर, इसके लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले दो-तीन साल से वहां की जो स्थिति है वह एबनोर्मल स्थिति बन गई है और इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए एक टीम बनाकर मैं वहां भेजने वाला हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्र.सं. 245 श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील उपस्थित नहीं

श्री एल. राजगोपाल।

[हिन्दी]

बीटी काटन के नकली बीज

***245. +श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री एल. राजगोपाल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भी अनेक राज्यों में बीटी काटन के नकली बीजों की बिक्री हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान काटन की फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने बीटी काटन के बीजों के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए काटन बीजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में नकली बीटी कपास बीजों की बिक्री के कुछ मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) इन राज्यों द्वारा नकली कपास बीजों के कारण कपास के उत्पादन पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) विभिन्न राज्यों में नकली बीटी कपास बीजों के 15,979 पैकेट जब्त किए गए और 80 मामले कानून के उल्लंघन के संबंध में दर्ज किए गए हैं।

(घ) और (ङ) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कपास बीजों को आवश्यक वस्तु के रूप में पुन: अधि सूचित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री एल. राजगोपाल: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। भारत अमेरिका को पीछे करते हुए अब चीन के बाद विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।

कपास की खेती नब्बे लाख हेक्टेयर से अधिक भू-क्षेत्र में होती है जिसमें से पांच रूई गांठे प्रति एकड़ से अधिक की औसत पैदावार है। आप बीज लागत को देखें तो इसका मूल्य बहुत अधिक है। इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने एम.आई.टी.पी.सी. से निवेदन किया और यह प्रकरण अपने पक्ष में किया जिसके कारण यह मूल्य 1,750 रु. से घटकर 750 रु. हो सका।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान देशी बी.टी. किस्म की कपास की ऐसी 25 किस्में जारी करने की दिशा में कार्य कर रहा है जो शुष्क और वर्षा सिंचित क्षेत्रों की जलवायुवीय स्थितियों के माफिक है और जो 50 रु. से लेकर 100 रु. प्रति 450 ग्राम की मूल्य-कपास में बिक सकेंगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इतना लंबा प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल: मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ये किस्में बाजार में कब से उपलब्ध हो जाएंगी।

श्री शरद पवार: यह बात सही है कि बीटी कपास के काफी फायदे हैं और यह भी सही है कि इसके बारे में काफी शिकायतें भी है। ज्यादातर राज्यों की ओर से, विशेषकर किसानों द्वारा राज्य सरकार से इस संबंध में शिकायत करने से, जो मुद्दा प्रमुख तौर पर उठा है वह लागत को लेकर है। लागत के मामले में आंध्र प्रदेश ने कतिपय निर्णय लिए हैं, यह सत्य है। इसलिए वहां मूल्य कम हो गया है। अन्य राज्यों में भी कम्पनियां इसके मूल्य में कमी कर रही हैं। हमारे यहां नागपुर में कपास अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान पिछले कुछ वर्षों से एक देशी ट्रांसजैनिक किस्म विकसित करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी इस चरण तक कार्य नहीं हुआ है कि हम इस किस्म को जारी कर सकें। जब तक वह किस्म बाजार में बिक्री के लिए नहीं आती, जब तक हम इस संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते हम इस बीज को विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं करा सकते। मंजूरी मिलने के बाद ही यह संभव हो सकेगा। हम बाजार में एक तरह का बीज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसके लिए आवश्यक स्थिति अभी नहीं बनी है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। कृपया दूसरा पूरक प्रश्न पूछें।

श्री एल. राजगोपाल: मैं माननीय मंत्री जी से आंध्र प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान नकली बीटी. कपास बीज बेचने के मामलों का ब्यौरा और इसके लिए जिम्मेदार कम्पनियों के बारे में जानना चाहता हूं; और यह भी कि ऐसे कितने मामले दर्ज हुए हैं। वैसे मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि 80 मामले दर्ज हुए हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपको पूरी डिटेल कैसे बता सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। राज्य सरकार ने मुझे सूचित किया है कि ऐसे कतिपय मामले उन्होंने दर्ज किए हैं और वे अदालत में चल रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: केवल बी.टी. कपास ही भारत में वाणिज्यिक रूप से उत्पादित एक ऐसी जीनीयत: संवर्धित फसल है जिसे पैदावार हेतु वर्ष 2002 में मंजूर किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जहां वर्ष 2002 में 'म्हाइको' कंपनी की केवल 3 संकर किस्मों को मंजूरी दी गई थी वहीं अब जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी ने 16 कंपनियों की 135 जीनीयत: संवर्धित कपास किस्मों को मंजूर कर दिया है। क्या इसके लिए कोई क्षेत्र परीक्षण हुआ है? यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र परीक्षणों के लिए कोई नियम या मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए गए हैं? क्या इसके उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं? क्या यह सही है कि विनियामक तंत्र के अभाव में उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों ने उनके यहां जीनीयत: संवर्धित पादपों को अनुमति न देने की घोषणा की है?

श्री शरद पवार: हमारे देश में यह प्रक्रिया 'माइको' के साथ शुरू हुई जो तीन प्रकार की ट्रांसजेनिक फसल का लाभ ले रही थी। पर अब स्थिति कुछ अलग है। उत्तरी क्षेत्र में बीटी कपास की लगभग 34 संकर किस्में हैं। मध्य उत्तरी क्षेत्र में 5 किस्में हैं। मध्य क्षेत्र में 47 किस्में हैं। मध्य दक्षिणी क्षेत्र में 32 किस्में हैं। इस प्रकार, आज देश भर में लगभग 167 संकर किस्में उपलब्ध हैं। जब भी इस किस्मों को मंजूर करने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा, खासकर बीटी कपास के बारे में, किस्म विकासकर्ता को संबंधित राज्य के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 3 से 6 वर्ष तक इसका परीक्षण करना होगा। ये परीक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की निगरानी में होंगे। तत्पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भी इन परीक्षणों की समीक्षा की जाएगी। इन दोनों संगठनों से मंजूरी मिल जाने के बाद एक उच्चस्तरीय समिति इस पूरे मुद्दे की पड़ताल करके यह निर्णय करेगी कि हम इस किस्म विशेष को खुले बाजार में जाने दें कि नहीं। अत:, इसमें व्यावहारिक रूप से 3 से 7 वर्ष का समय लगेगा और फिर यह भी देखना होगा कि यह पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं, और इससे कहीं कोई दूसरी फसल तो प्रभावित नहीं हो रही। इस तरह इन सब बातों पर गौर करके ही फिर किसी किस्म को बिक्री के लिए जारी किया जाएगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1966 का जो अधिनियम अभी वर्तमान है उसे कब तक प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है। वर्ष 2004 में एक विधेयक राज्य सभा में लाया गया था और स्थायी समिति ने भी अपनी सिफारिशें दे दी हैं। फिर कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 भी है। 2005 में इस सिलसिले में एक प्राधिकरण बनाया गया था। नकली बीजों की वजह से फसल सूखी निकली और किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। ये सब अधिनियम कब तक पारित होंगे? इस क्षति को कैसे पूरा किया जाएगा? इसका हरजाना बीज कंपनी से लिया जाएगा या किसी और संस्था से?

श्री शरद पवार: महोदय, विधेयक पहले ही संसद में पुर: स्थापित हो चुका है। स्थायी समिति ने भी अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यह विधेयक अभी संसद के समक्ष लंबित है। जब भी इस पर अंतिम तौर पर निगाह डालने का मौका आएगा सरकार निश्चित रूप से तत्काल कार्यवाही करने की मंशा रखती है।

[हिन्दी]

दूरसंचार प्रशुल्क दर

***246. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क अन्य देशों के प्रशुल्कों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका, आस्ट्रेलिया, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की वर्तमान पल्स दरों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की प्रशुल्क दरों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत में दूरसंचार प्रशुल्क अंतरराष्ट्रीय प्रशुल्कों की तुलना में कम माने जाते हैं। तथापि, दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करना कठिन है। क्योंकि इनके लिए बहुत से वैकल्पिक प्रशुल्क पैकेज मौजूद हैं।

(ख) "अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की विश्व दूरसंचार विकास रिपोर्ट, 2006" के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ग) विभिन्न देशों की मौजूदा पल्स-दर संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अधिक प्रचालकों को अनुमति दी है, जिससे प्रशुल्क में कटौती हुई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में दूरसंचार प्रशुल्क के विनियमन के लिए एक स्वतंत्र विनियामक, अर्थात "ट्राई" की स्थापना की है। ट्राई ने देश में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की प्रशुल्क दरों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए प्रशुल्क को फरवरी, 2007 में 22% से 56% तक कम कर दिया गया है।
- लीज्ड सर्किटों के लिए प्रशुल्क को सुगम बना दिया गया है।
- इंटरकनेक्शन प्रयोक्ता प्रभार (आईयूसी) विनियम, जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी तटस्थता रखते हुए समस्त नेटवर्क में एकरूपता तथा अधिकतम सीमा के रूप में प्रभार निर्धारित किए गए हैं।

अनुबंध

विश्व दूरसंचार/आईसीटी विकास रिपोर्ट 2006

क्र.सं.	देश का नाम	आवासीय		वाणिज्य		स्थानीय काल (यूएस डालर) 2005	सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति के % के रूप में अंशदान 2005
		कनेक्शन (यूएस डालर) 2005	मासिक अंशदान (यूएस डालर) 2005	कनेक्शन (यूएस डालर) 2005	मासिक अंशदान (यूएस डालर) 2005		
1	2	3	4	5	6	7	8
टेलीफोन प्रशुल्क							
1.	अफगानिस्तान	–	–	–	–	–	–
2.	बांग्लादेश	158	–	158	–	–	8.1
3.	बेनिन	109	–	109	–	0.12	12.0
4.	भूटान	14	3.5	14	3.5	0.03	–
5.	बुरकिना फासो	46	4.6	46	4.6	0.18	21.3
6.	बुरुंडी	9	0.4	55	0.4	0.07	5.6
7.	कंबोडिया	29	2.9	52	5.9	0.03	11.5
8.	कैमरून	55	3.2	55	3.2	0.11	–
9.	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	65	5.1	65	5.1	0.55	19.0
10.	चाड	98	6.5	98	6.5	0.14	18.1
11.	कोमारोस	100	5.5	100	5.5	0.18	–
12.	कांगो	–	–	–	–	–	–
13.	कोटे डी आईवोरे	37	11.1	37	11.1	0.28	14.4

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	डीपीआर कोरिया	–	–	–	–	–	–
15.	डीआर कोंगो	–	–	–	–	–	–
16.	इरीट्रीया	73	2.4	73	2.4	0.04	–
17.	इथोयोपिया	41	0.9	41	2.0	0.02	–
18.	गांबिया	41	1.5	41	1.8	0.03	–
19.	घाना	50	1.3	50	1.3	0.03	–
20.	गिनी	110	3.0	110	3.0	0.08	–
21.	गिनी-बिसाऊ	–	–	–	–	–	–
22.	हैती	–	–	–	–	–	24.6
23.	भारत	23	2.8	23	4.7	0.02	5.0
24.	केन्या	30	6.6	30	6.6	0.11	15.3
25.	किर्गिस्तान	21	1.3	58	2.3	0.07	3.6
26.	लाओ पीडीआर	33	1.5	33	1.5	0.06	4.3
27.	लेसोथो	51	8.1	51	8.1	0.20	16.2
28.	लाइबेरिया	–	–	–	–	–	–
29.	मैडागास्कर	40	8.1	40	8.1	0.10	26.7
30.	मालावी	10	0.8	10	0.8	0.09	7.2
31.	माली	37	8.3	37	8.3	0.30	23.5
32.	मारीटानिया	19	3.9	19	3.9	0.11	–
33.	मोलडोवा	39	1.9	39	3.4	0.05	3.8
34.	मंगोलिया	52	0.7	70	5.7	0.02	1.6
35.	मोजांबिक	17	7.9	17	7.9	0.14	–
36.	म्यांमार	–	–	–	–	0.04	0.4
37.	नेपाल	26	2.8	26	2.8	0.03	12.0
38.	निकारगुआ	168	6.4	256	17.0	0.08	9.6
39.	नाइजर	52	4.8	61	5.8	0.13	30.0
40.	नाइजीरिया	68	3.8	68	3.8	0.15	8.9

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	पाकिस्तान	9	3.0	9	3.0	0.03	5.8
42.	पापुआ न्यु गिनी	3	2.4	17	6.9	–	3.5
43.	स्वांडा	31	2.1	31	2.1	0.09	–
44.	एस.टोम और प्रिंसिपी	44	4.4	44	11.0	0.17	–
45.	सेनेगल	43	4.5	43	4.5	0.22	7.4
46.	सियरा लियोन	47	0.5	47	1.0	0.03	–
47.	सोलोमन आईलैंड	40	8.0	45	9.6	0.09	–
48.	सोमालिया	–	–	–	–	–	–
49.	सूडान	20	2.4	20	2.4	0.06	6.5
50.	ताजिकिस्तान	4	0.2	24	1.4	0.01	–
51.	तंजानिया	35	3.7	35	3.7	0.16	–
52.	टोगो	92	6.9	92	6.9	0.18	–
53.	यूगांडा	69	5.8	69	5.8	0.22	24.3
54.	उज्बेकिस्तान	10	0.5	28	2.5	0.01	–
55.	वियतनाम	38	1.7	38	1.7	0.02	3.7
56.	यमन	93	0.6	93	0.6	0.02	1.2
57.	जांबिया	10	2.1	31	4.2	0.08	–
58.	जिम्बाब्वे	36	2.0	36	2.0	0.08	–
	निम्न आय	47	3.6	53	4.5	0.10	11.5
59.	अलबानिया	99	0.8	199	7.1	0.02	–
60.	अलजिरिया	48	2.1	48	2.1	0.08	1.5
61.	अंगोला	46	5.7	112	11.2	0.09	–
62.	अर्मेनिया	27	2.0	32	7.3	0.03	2.2
63.	अजरबैजान	85	0.7	128	7.4	0.11	0.8
64.	बेलारूस	23	0.6	60	1.0	0.02	0.3
65.	बोलिविया	37	4.4	37	6.2	0.06	5.5
66.	बोस्निया	124	–	124	–	–	1.2

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	ब्राजील	22	14.7	22	22.9	0.07	2.9
68.	बुल्गारिया	43	6.5	43	10.2	0.04	2.5
69.	केप वेर्डे	34	2.8	34	2.8	0.05	1.7
70.	चीन	–	–	–	–	–	2.9
71.	कोलंबिया	110	4.2	132	5.3	0.03	2.4
72.	क्यूबा	93	5.8	93	–	0.08	–
73.	जिबौटी	55	11.0	55	11.0	0.08	–
74.	डोमिनियन रिपब्लिक	51	16.7	51	13.3	0.11	9.2
75.	इक्वाडोर	32	0.9	–	–	–	3.2
76.	मिस्र	105	1.4	174	2.3	0.02	1.4
77.	एल सैलवाडोर	7	1.0	7	1.6	0.01	0.5
78.	फिजी	46	1.5	151	2.2	0.06	–
79.	ज्योर्जिया	93	1.9	93	2.8	0.03	–
80.	ग्वाटेमाला	314	5.5	314	5.5	0.08	3.1
81.	गुयाना	3	2.8	17	8.4	–	3.7
82.	होंडुरास	25	2.0	59	5.1	0.05	2.7
83.	इंडोनेशिया	31	3.4	47	6.0	0.04	3.8
84.	ईरान (आईआर)	122	–	122	–	0.01	–
85.	इराक	–	–	–	–	–	–
86.	जमैका	11	8.1	15	20.2	0.03	2.7
87.	जोर्डन	50	6.2	101	14.0	0.06	3.9
88.	कजाकिस्तान	78	2.4	281	3.8	–	–
89.	किरीबाटी	53	6.1	53	10.6	–	–
90.	मालदीव	134	2.3	134	2.3	0.06	–
91.	मार्शल आइलैंड	35	12.0	35	30.0	–	–
92.	माइक्रोनेशिया	24	8.0	24	16.0	–	3.7
93.	मोरक्को	68	10.8	135	14.9	0.18	7.8
94.	नमिबिया	35	7.1	40	9.1	0.14	–

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	फिलिस्तीन	55	4.4	166	4.4	0.14	–
96.	पराग्वे	126	3.4	126	4.7	0.05	3.7
97.	पेरु	116	14.3	116	14.3	0.07	7.0
98.	फिलिपींस	36	10.8	63	22.6	–	12.4
99.	रोमानिया	10	5.1	10	8.3	0.09	2.0
100.	समोआ	20	3.4	29	5.1	0.04	–
101.	सर्बिया और मोंटेमेगरो	86	0.7	173	0.07	0.01	–
102.	श्रीलंका	196	4.9	196	12.4	0.09	5.7
103.	सूरीनाम	154	–	154	–	0.05	0.8
104.	स्वाजीलैंड	32	3.6	54	6.4	0.09	1.1
105.	सीरिया	76	0.8	76	0.8	0.01	–
106.	टीएफवाईआर मैसिडोनिया	25	8.0	25	14.0	0.06	–
107.	थाईलैंड	90	2.4	90	2.4	–	1.1
108.	टोंगा	56	2.9	56	5.8	0.08	–
109.	ट्यूनिशिया	46	2.0	46	2.0	0.02	0.9
110.	तुर्कमेनिस्तान	77	0.2	500	9.6	–	–
111.	यूक्रेन	32	2.0	128	3.2	–	1.8
112.	वनुआतु	79	13.8	79	13.8	0.35	–
	निम्न मध्य आय	67	4.9	99	8.2	0.06	3.1
113.	एंटीगुआ और बरबुडा	–	–	–	–	–	–
114.	अर्जेंटीना	52	4.6	52	13.1	1.43	1.4
115.	बारबाडोस	48	17.0	48	55.5	–	–
116.	बेलिस	51	–	51	–	–	3.0
117.	बोत्स्वाना	42	4.6	62	7.3	0.09	1.8
118.	चिली	36	8.3	36	8.3	0.02	1.5
119.	कोस्टा रिका	42	4.2	42	4.9	0.02	1.2
120.	क्रोशिया	84	10.1	–	11.8	0.04	1.5
121.	चेक गणराज्य	154	13.2	154	17.6	0.18	1.5

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	डोमिनीका	55	8.8	55	17.6	0.08	–
123.	इक्वेटोरियल गाइना	–	–	–	–	–	–
124.	एस्टोनियां	64	7.6	64	7.6	0.12	1.2
125.	गबोन	100	17.5	100	–	–	3.7
126.	ग्रेनाडा	85	9.7	85	14.7	0.08	2.5
127.	गुआडीलोप	51	15.3	–	–	0.03	–
128.	हंगरी	166	16.7	–	21.6	0.18	2.0
129.	लात्विया	61	6.2	61	12.3	0.14	1.3
130.	लेबनान	71	7.6	71	7.6	0.09	–
131.	लिबिया	–	–	–	–	–	–
132.	लिथुआनिया	88	8.1	88	9.8	0.18	1.5
133.	मलेशिया	13	6.7	13	12.1	0.03	1.7
134.	मारिसश	35	3.1	70	7.9	0.07	0.8
135.	मेयोटी	–	–	–	–	–	–
136.	मैक्सिको	106	14.7	106	18.6	0.14	–
137.	नार्दर्न मैरियाना	–	–	–	–	–	–
138.	ओमान	26	7.8	26	7.8	0.06	1.0
139.	पनामा	40	6.2	40	14.9	0.09	–
140.	पोलैंड	77	9.0	77	9.0	0.09	2.0
141.	रूस	192	3.5	345	–	–	–
142.	सिसली	96	13.1	96	14.3	0.16	–
143.	स्लोवाक गणराज्य	33	8.1	33	11.4	0.19	1.6
144.	दक्षिण अफ्रीका	38	13.2	38	17.5	0.18	–
145.	सेंट किट्स एंड नेविस	–	–	–	–	–	–
146.	सेंट लुसिया	46	8.1	46	14.8	0.09	–
147.	सेंट विसेंट	37	7.5	37	17.6	0.10	2.4
148.	त्रिनिडाड और टोबैगो	11	4.6	22	27.8	0.04	0.6
149.	तुर्की	5	8.1	5	28.1	0.15	2.3

1	2	3	4	5	6	7	8
150.	उरुग्वे	45	9.0	45	17.1	0.14	1.8
151.	वेनेजुएला	36	6.5	49	8.1	0.02	1.2
	उच्च मध्य आय	63	9.0	67	15.1	0.15	1.7
152.	अंडोरा	44	4.7	44	4.7	0.15	–
153.	अरुबा	127	8.5	127	8.5	0.09	–
154.	आस्ट्रेलिया	158	14.0	158	26.5	0.23	0.5
155.	आस्ट्रिया	123	19.3	202	22.9	0.18	0.7
156.	बहमास	40	–	–	–	–	–
157.	बहरीन	53	3.1	53	5.7	0.06	0.2
158.	बेल्जियम	80	20.7	80	20.7	0.18	0.7
159.	बरमुडा	60	26.0	60	32.0	0.20	0.9
160.	ब्रुनेई दारुसलम	–	–	–	–	–	–
161.	कनाडा	45	16.3	–	29.6	–	0.7
162.	साइप्रस	78	14.7	78	14.7	0.08	0.8
163.	डेनमार्क	154	19.3	154	19.3	0.12	0.5
164.	फैरो द्वीप समूह	121	18.6	121	18.6	0.16	–
165.	फिनलैंड	120	15.1	120	15.1	0.18	0.5
166.	फ्रांस	67	16.9	67	16.9	0.20	0.6
167.	फ्रेंच गुआना	–	–	–	–	–	–
168.	फ्रेंच पोलिनेशिया	54	21.7	54	21.7	0.35	–
169.	जर्मनी	72	19.3	72	19.3	0.12	0.7
170.	यूनान	35	14.4	35	14.4	0.09	0.9
171.	ग्रीनलैंड	81	24.3	81	24.3	0.21	–
172.	गुआम	35	14.0	60	36.0	–	–
173.	गुएमसे	123	10.0	123	10.0	0.11	–
174.	हांगकांग, चीन	61	11.6	61	14.4	–	0.6
175.	आइसलैंड	86	13.2	86	13.2	0.09	–
176.	आयरलैंड	147	29.2	147	29.2	0.18	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8
177.	इजराइल	61	–	61	–	–	0.6
178.	इटली	169	16.4	169	24.7	0.13	0.8
179.	जापान	345	15.9	345	23.4	0.08	–
180.	जर्सी	140	18.6	140	18.6	0.01	–
181.	कोरिया (गणराज्य)	59	5.1	59	5.1	0.04	0.4
182.	कुवेत	121	8.6	259	20.1	–	0.5
183.	लक्समबर्ग	70	22.2	70	22.2	0.11	0.4
184.	मकाओ, चीन	48	8.1	48	24.1	–	0.5
185.	माल्टा	67	7.3	134	19.0	0.15	0.6
186.	मार्टिनिक	151	15.3	–	–	0.33	–
187.	नीदरलैंड ऐंटीलेस	99	10.1	99	10.1	0.16	–
188.	नीदरलैंड	–	–	–	–	–	0.7
189.	न्यू कैलेडोनिया	–	–	–	–	–	–
190.	न्यूजीलैंड	31	27.1	37	39.7	–	1.4
191.	नॉर्वे	152	24.3	152	24.3	0.19	0.5
192.	पुर्तगाल	105	18.5	87	15.7	0.22	1.2
193.	पोर्टो रिको	50	–	120	–	0.39	–
194.	कतर	55	9.1	55	32.0	–	0.4
195.	रीयूनियन	51	15.3	–	–	0.33	–
196.	सऊदी अरब	80	8.0	80	8.0	0.04	1.0
197.	सिंगापुर	19	5.2	19	7.9	0.02	0.3
198.	स्लोवेनिया	86	10.3	86	10.3	0.08	0.9
199.	स्पेन	72	15.3	72	15.3	0.17	–
200.	स्वीडन	125	16.1	–	–	0.15	0.5
201.	स्विटजरलैंड	33	19.6	33	19.6	0.19	–
202.	ताइवान, चीन	94	1.6	94	8.3	0.05	0.2
203.	संयुक्त अरब अमीरात	49	4.1	49	4.1	0.24	–
204.	यूनाइटेड किंगडम	131	20.1	173	24.0	0.21	–

1	2	3	4	5	6	7	8
205.	संयुक्त राज्य अमरीका	43	24.3	74	43.8	–	–
206.	विर्जिन आइलैंड (यूएस)	–	–	–	–	–	–
	उच्च आय	87	14.9	100	19.0	0.13	0.6
	विश्व	66	8.0	81	11.1	0.11	4.4
	अफ्रीका	51	5.1	59	5.7	0.12	11.3
	अमरीका	65	8.3	75	16.0	0.11	3.9
	एशिया	65	4.1	92	7.6	0.04	3.0
	यूरोप	87	12.3	101	14.9	0.13	1.2
	ओशिएनिया	52	10.7	66	16.1	0.13	1.8

प्रीपेड सेल्यूलर प्रशुल्क, अमरीकी डालर अगस्त, 2005

क्र.सं.	देश का नाम	कनेक्शन प्रभार 2005	प्रति मिनट स्थानीय काल		स्थानीय एसएमएस की लागत 2005	प्रयोग का 100 मिनट जीएनआई का प्रतिशत	
			पीक 2005	आफ पीक 2005		अमरीकी डालर	प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अफगानिस्तान	45.00	0.10	0.10	0.05	10.00	–
2.	बांग्लादेश	23.67	0.09	0.05	0.03	7.10	21.3
3.	बेनिन	35.02	0.28	0.18	0.05	23.04	62.8
4.	भुटान	13.95	0.12	0.11	0.05	11.34	21.6
5.	बुरकिना फासो	2.65	0.25	0.25	0.06	25.00	100.0
6.	बुरुंडी	7.06	0.17	0.17	–	16.95	226.0
7.	कंबोडिया	–	0.06	0.05	0.03	5.65	22.06
8.	कैमरून	–	0.42	0.28	0.13	35.02	66.7
9.	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	36.87	0.18	0.18	–	18.43	85.1
10.	चाड	–	0.28	0.22	0.05	24.89	124.4
11.	कोमारोस	–	0.25	0.25	0.12	24.58	65.5
12.	कांगो	4.61	0.36	0.28	0.09	31.80	58.7

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कोरे डी आईवोरे	–	0.41	0.15	0.09	27.65	50.3
14.	डीपीआर कोरिया	–	–	–	–	–	–
15.	डीआर कोंगो	–	–	–	–	–	–
16.	इरीट्रीया	–	0.13	0.09	–	10.74	67.8
17.	इथोयोपिया	50.59	0.08	0.03	–	5.63	75.1
18.	गांबिया	–	–	–	–	–	–
19.	घाना	–	0.20	0.13	0.07	16.69	62.6
20.	गिनी	–	–	–	–	–	–
21.	गिनी-बिसाऊ	–	–	–	–	–	–
22.	हैती	57.38	0.12	0.12	–	12.05	36.1
23.	भारत	2.30	0.02	0.02	0.03	2.33	5.2
24.	केन्या	32.79	0.21	0.21	0.07	20.98	63.0
25.	किर्गिस्तान	–	0.09	0.07	–	8.38	29.6
26.	लाओ पीडीआर	–	–	–	–	–	–
27.	लेसोथो	–	0.44	0.24	0.11	34.04	67.0
28.	लाइबेरिया	–	–	–	–	–	–
29.	मैडागास्कर	7.72	0.16	0.16	0.06	16.37	67.7
30.	मालावी	4.13	0.25	0.16	0.05	20.58	154.3
31.	माली	–	0.38	0.26	–	31.80	131.6
32.	मारीटानिया	–	–	–	–	–	–
33.	मोलडोवा	5.62	0.20	0.20	0.08	20.6	40.8
34.	मंगोलिया	14.91	0.21	0.19	0.03	19.86	49.6
35.	मोंजाबिक	–	–	–	–	–	–
36.	म्यांमार	–	–	–	–	–	–
37.	नेपाल	14.23	0.07	0.07	0.01	6.66	33.3
38.	निकारगुआ	–	0.46	0.28	0.06	37.13	60.2
39.	नाइजर	–	0.36	0.22	0.07	29.03	174.2
40.	नाइजीरिया	–	0.28	0.26	0.11	27.37	93.8

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	पाकिस्तान	2.55	0.09	0.09	0.03	8.69	20.0
42.	पापुआ न्यू गिनी	–	–	–	–	–	–
43.	स्वांडा	–	0.27	0.23	0.10	25.10	136.9
44.	एस. टोम और प्रिंसिपी	–	–	–	–	–	–
45.	सेनेगल	4.61	0.21	0.18	0.04	19.82	44.0
46.	सियरा लियोन	–	–	–	–	–	–
47.	सोलोमन आईलैंड	–	–	–	–	–	–
48.	सोमालिया	–	–	–	–	–	–
49.	सूडान	30.55	0.10	0.10	0.02	9.78	25.5
50.	ताजिकिस्तान	11.70	0.05	0.05	...	4.87	27.9
51.	तंजानिया	–	0.23	0.13	0.04	18.06	72.2
52.	टोगो	–	–	–	–	–	–
53.	उगांडा	11.56	0.19	0.10	0.05	14.60	70.1
54.	उज्बेकिस्तान	–	–	–	–	–	–
55.	वियतनाम	–	0.15	0.15	–	14.97	37.4
56.	यमन	–	–	–	–	–	–
57.	जांबिया	3.29	0.21	0.13	0.05	17.32	54.7
58.	जिम्बावे	30.13	0.46	0.41	0.10	43.63	109.1
	निम्न आय	17.70	0.22	8.17	0.06	19.31	74.6
59.	अलबानिया	27.67	0.46	0.46	0.17	46.12	31.8
60.	अलजिरिया	19.15	0.16	0.16	0.08	16.41	10.2
61.	अंगोला	48.00	0.24	0.16	0.08	20.00	32.4
62.	अर्मेनिया	24.54	0.37	0.26	0.07	31.29	39.5
63.	अजरबैजान	17.02	0.26	0.13	0.05	19.15	28.0
64.	बेलारूस	–	0.04	0.04	0.04	3.73	2.8
65.	बोलिविया	3.73	0.22	0.11	0.05	16.77	22.4
66.	बोस्निया	28.04	0.21	0.21	0.06	21.33	16.7
67.	ब्राजील	10.29	0.45	0.24	0.13	34.57	15.3

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	बुल्गारिया	18.55	0.37	0.37	0.11	36.62	20.6
69.	केप वेर्डे	45.21	0.39	0.28	0.17	33.53	27.9
70.	चीन	–	–	–	–	–	–
71.	कोलंबिया	–	0.12	0.09	0.06	10.41	6.9
72.	क्यूबा	111.11	0.46	0.30	0.15	37.96	21.2
73.	जिबौटी	55.10	0.17	0.11	–	13.77	18.2
74.	डोमिनियन रिपब्लिक	–	0.20	0.20	0.02	19.60	11.0
75.	इक्वाडोर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
76.	मिस्र	19.97	0.09	0.09	0.09	8.68	7.5
77.	एल सैलवाडोर	–	0.39	0.22	–	30.32	15.6
78.	फिजी	52.98	1.18	0.24	0.12	70.83	37.9
79.	ज्योर्जिया	–	0.16	0.16	0.03	15.92	24.8
80.	ग्वाटेमाला	–	0.18	0.08	0.07	12.86	8.1
81.	गुयाना	25.07	0.21	0.16	...	18.38	24.5
82.	होंडुरास	5.01	0.25	0.15	0.05	20.05	24.8
83.	इंडोनेशिया	2.61	0.10	0.10	0.02	10.44	15.5
84.	ईरान (आईआर)	–	–	–	–	–	–
85.	इराक	–	–	–	–	–	–
86.	जमैका	16.18	0.16	0.11	0.04	13.75	5.5
87.	जोर्डन	17.52	0.17	0.04	0.07	10.51	6.8
88.	कजाकिस्तान	–	–	–	–	–	–
89.	किरीबाटी	–	–	–	–	–	–
90.	मालदीव	38.91	0.13	0.08	0.02	10.47	5.3
91.	मार्शल आइलैंड	–	–	–	–	–	–
92.	माइक्रोनेशिया	–	–	–	–	–	–
93.	मोरक्को	11.12	0.40	0.24	0.11	32.24	29.5
94.	नमिबिया	13.81	0.38	0.15	0.09	26.7	16.3
95.	फिलिस्तीन	32.96	0.17	0.17	–	17.26	18.7

1	2	3	4	5	6	7	8
96.	पराग्वे	10.18	0.12	0.03	0.02	7.64	8.3
97.	पेरु	–	0.38	0.38	0.10	38.37	21.5
98.	फिलिपींस	1.61	0.14	0.07	0.02	10.75	11.9
99.	रोमानिया	–	0.19	0.19	0.06	19.24	10.2
100.	समोआ	7.33	0.31	0.10	0.08	20.27	16.9
101.	सर्बिया और मोंटेमेगरो	14.51	0.18	0.07	0.04	12.46	7.8
102.	श्रीलंका	28.78	0.11	0.07	0.00	8.93	11.5
103.	सूरीनाम	–	0.25	0.25	0.05	25.00	13.2
104.	स्वाजीलैंड	9.83	0.39	0.30	0.12	34.80	30.9
105.	सीरिया	73.37	0.14	0.14	0.09	13.76	14.2
106.	टीएफवाईआर मैसिडोनिया	14.96	0.46	0.18	0.10	31.92	19.3
107.	थाईलैंड	21.50	0.12	0.12	0.07	12.10	6.6
108.	टोंगा	–	–	–	–	–	–
109.	ट्यूनिशिया	7.63	0.14	0.11	0.05	12.21	6.5
110.	तुर्कमेनिस्तान	–	–	–	–	–	–
111.	यूक्रेन	11.48	0.19	0.19	–	19.13	23.7
112.	वनुआतु	43.82	0.35	0.35	0.18	35.06	35.7
	निम्न मध्य आय	20.22	0.26	0.17	0.07	21.35	17.4
113.	एंटीगुआ और बरबुडा	–	0.33	0.33	–	33.09	4.3
114.	अर्जेंटीना	–	0.19	0.11	0.05	15.16	4.8
115.	बारबाडोस	–	0.15	0.05	0.10	9.85	1.3
116.	बेलिस	20.25	0.43	0.30	0.13	36.71	13.1
117.	बोत्स्वाना	13.81	0.33	0.08	0.04	20.72	7.0
118.	चिली	12.50	0.59	0.59	0.09	58.93	16.2
119.	कोस्टा रिका	–	0.06	0.05	0.00	5.54	1.5
120.	क्रोशिया	50.42	0.20	0.20	0.07	20.17	4.5
121.	चेक गणराज्य	9.83	0.30	0.30	0.15	30.09	5.0
122.	डोमिनीका	9.19	0.26	0.22	0.07	23.90	8.6

1	2	3	4	5	6	7	8
123.	इक्वेटोरियल गाइना	–	–	–	–	–	–
124.	एस्टोनियां	5.80	0.30	0.15	0.12	22.41	5.0
125.	गबोन	–	0.34	0.16	–	24.89	8.9
126.	ग्रेनाडा	–	0.26	0.22	0.07	23.90	7.7
127.	गुआडीलोप	24.18	0.45	0.45	0.15	44.74	–
128.	हंगरी	3.94	0.22	0.10	0.12	15.76	3.0
129.	लात्विया	5.22	0.38	0.06	0.10	21.91	6.0
130.	लेबनान	47.17	0.47	0.47	0.09	47.04	14.0
131.	लिबिया	–	–	–	–	–	–
132.	लिथुआनिया	–	0.10	0.10	0.04	10.16	2.7
133.	मलेशिया	5.36	0.14	0.10	0.01	12.06	3.7
134.	मारिसश	–	–	–	–	–	–
135.	मेयोटी	–	–	–	–	–	–
136.	मैक्सिको	–	0.14	0.14	0.08	14.11	2.7
137.	नार्दर्न मैरियाना	–	–	–	–	–	–
138.	ओमान	36.27	0.14	0.12	0.03	12.95	2.1
139.	पनामा	–	–	–	–	–	–
140.	पोलैंड	–	0.23	0.23	0.07	23.19	5.3
141.	रूस	–	0.15	0.08	0.06	11.27	5.2
142.	सिसली	–	0.77	0.39	0.19	57.88	9.3
143.	स्लोवक गणराज्य	18.92	0.30	0.12	0.11	21.16	5.1
144.	दक्षिण अफ्रीका	22.54	0.41	0.41	0.12	40.85	17.8
145.	सेंट किट्स एंड नेविस	–	–	–	–	–	-
146.	सेंट लुसिया	9.19	0.26	0.20	0.07	22.98	6.8
147.	सेंट विंसेंट	9.19	0.26	0.20	0.07	22.98	8.3
148.	त्रिनिडाड और टोबैगो	24.06	0.26	0.09	0.06	17.48	2.7
149.	तुर्की	–	–	–	–	–	–
150.	उरुग्वे	–	0.37	0.37	0.04	37.06	11.6

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	वेनेजुएला	23.27	0.39	0.09	0.06	24.04	8.3
	उच्च मध्य आय	14.04	0.30	0.21	0.08	25.26	6.8
152.	अंडोरा	–	0.54	0.33	–	44.12	–
153.	अरूबा	28.25	0.40	0.18	0.08	29.21	2.0
154.	आस्ट्रेलिया	18.94	0.29	0.01	0.19	15.25	0.8
155.	आस्ट्रिया	24.06	0.36	0.36	0.27	36.64	1.6
156.	बहमास	49.75	0.33	0.15	0.05	24.21	1.9
157.	बहरीन	21.18	0.12	0.10	0.13	10.84	0.9
158.	बेल्जियम	30.23	0.30	0.24	0.18	27.51	1.3
159.	बरमुडा	9.99	0.30	0.30	–	30.25	1.0
160.	ब्रुनेई दारुसलम	23.95	0.24	0.12	0.06	18.20	1.8
161.	कनाडा	–	0.20	0.20	0.12	20.62	1.0
162.	साइप्रस	31.72	0.08	0.08	0.02	8.33	0.5
163.	डेनमार्क	16.05	0.12	0.12	0.03	12.28	0.4
164.	फैरो द्वीप समूह	16.05	0.49	0.32	–	41.00	–
165.	फिनलैंड	21.64	0.19	0.19	0.13	19.54	0.9
166.	फ्रांस	36.28	0.79	0.42	0.16	61.25	3.0
167.	फ्रेंच गुआना	24.18	0.41	0.41	0.13	41.52	5.8
168.	फ्रेंच पोलिनेशिया	24.50	0.84	0.84	0.34	85.20	6.3
169.	जर्मनी	24.12	0.59	0.35	0.23	47.75	2.3
170.	यूनान	24.06	0.40	0.40	0.13	40.30	3.7
171.	ग्रीनलैंड	64.83	0.28	0.20	0.06	24.43	–
172.	गुआम	–	0.25	0.25	0.05	25.25	–
173.	गुएमसे	61.30	0.26	0.26	0.18	26.53	1.0
174.	हांगकांग, चीन	12.87	0.02	0.00	–	1.31	0.1
175.	आइसलैंड	46.13	0.17	0.17	0.15	17.20	0.7
176.	आयरलैंड	12.08	0.39	0.23	0.16	31.22	1.4
177.	इजराइल	22.12	0.14	0.19	0.08	16.84	1.2

1	2	3	4	5	6	7	8
178.	इटली	48.37	0.30	0.30	0.18	30.28	1.7
179.	जापान	26.79	0.27	0.18	0.04	22.59	0.8
180.	जर्सी	61.30	0.26	0.26	0.12	26.53	–
181.	कोरिया (गणराज्य)	–	–	–	–	–	–
182.	कुवेत	–	0.14	0.14	0.07	13.76	0.9
183.	लक्समबर्ग	36.28	0.15	0.09	0.15	12.15	0.3
184.	मकाओ, चीन	–	0.13	0.07	0.03	10.36	0.7
185.	माल्टा	14.19	0.57	0.33	0.09	45.26	5.0
186.	मार्टिनिक	24.18	0.45	0.45	0.15	45.19	3.5
187.	नीदरलैंड ऐंटीलेस	–	0.48	0.48	0.14	48.36	5.3
188.	नीदरलैंड	30.23	0.42	0.42	0.28	42.74	2.0
189.	न्यू कैलेडोनिया	–	–	–	–	–	–
190.	न्यूजीलैंड	23.81	0.61	0.61	0.14	61.15	4.7
191.	नोर्वे	30.63	0.43	0.43	0.12	43.15	1.2
192.	पुर्तगाल	–	0.42	0.42	0.18	42.74	4.3
193.	पोर्टो रिको	25.00	0.15	0.15	0.10	15.15	1.6
194.	कतर	82.39	0.20	0.20	0.11	19.97	0.8
195.	रीयूनियन	6.05	0.41	0.23	0.19	32.45	–
196.	सऊदी अरब	53.32	0.23	0.23	0.07	22.89	3.0
197.	सिंगापुर	–	0.13	0.13	0.03	13.31	0.8
198.	स्लोवेनिया	21.25	0.22	0.03	–	12.62	1.3
199.	स्पेन	30.23	0.25	0.25	0.18	25.65	1.8
200.	स्वीडन	12.87	0.51	0.04	0.16	28.06	1.2
201.	स्विट्जरलैंड	37.98	0.77	0.62	0.16	70.15	2.1
202.	ताइवान, चीन	31.30	0.19	0.11	0.08	15.21	1.4
203.	संयुक्त अरब अमीरात	44.91	0.07	0.05	–	5.78	0.4
204.	यूनाइटेड किंगडम	–	0.09	0.09	0.09	8.84	0.4

1	2	3	4	5	6	7	8
205.	संयुक्त राज्य अमरीका	–	0.10	0.10	0.10	10.10	0.3
206.	विर्जिन आइलैंड (यूएस)	–	–	–	–	–	–
	उच्च आय	27.35	0.32	0.25	0.13	28.49	1.8
	विश्व	21.01	0.27	0.20	0.09	23.77	25.2
	अफ्रीका	13.63	0.29	0.20	0.09	24.31	70.05
	अमरीका	13.30	0.28	0.21	0.08	24.68	10.63
	एशिया	21.48	0.15	0.12	0.05	13.56	13.44
	यूरोप	21.52	0.31	0.23	0.12	27.36	6.33
	आशिएनिया	24.48	0.55	0.34	0.15	44.43	17.03

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभापटल पर जो उत्तर दिया है, उसमें बताया गया है, कि एयरटेल, रिलायंस और वीएसएनएल की इंटरनेशनल लेवल पर जो पल्स रेट है, वह बीएसएनएल के कम्पैरिटिवली की पल्स रेट से काफी कम है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सार्क देशों में ट्रेड को प्रमोट करने की दृष्टि से सरकार यह नहीं सोचती है कि बीएसएनएल की पल्स रेट इंटरनेशनल लेवल पर दूरसंचार की अन्य सेवाओं से और कम होनी चाहिए?

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, हर टेलिकाम आपरेटर की पल्स रेट फिक्स नहीं होती है। काल का समय भी अलग होता है कहीं तीन मिनट का पल्स रेट होता है, कहीं 30 सैकेण्ड का पल्स रेट होता है, हर आपरेटर की काल्स की अलग-अलग पल्स रेट होती है इसलिए एक यूनिमिटी संभव नहीं है। सार्क देश हमारे मित्र राष्ट्र हैं और उनमें हमारी बीएसएनएल की जो पीएसयूज हैं, उनके अलावा टैरिफ फिक्स करने का अधिकार ट्राई को है। ट्राई सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे आम आदमी हैं, उन्हें सुविधा देती है। उसके अलावा फोर बियरेंस के लिए यह है कि जिस कंपनी से लोगों को फायदा पहुंचेगा, उसका सिम वे इस्तेमाल करेंगे। जिस कम्पनी से फायदा नहीं होगा, उसका सिम वे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस मत के अवश्य हैं कि सार्क देश हमारे मित्र देश हैं, पड़ोसी देश हैं, इनमें टेलिकाम की सुविधाएं ज्यादा अच्छी और ज्यादा सरल होनी चाहिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: महोदय, इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है कि हम कब तक करेंगे। हमारी जो इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस की सेवाएं हैं, वे केवल एयरटेल, रिलायंस और वीएसएनएल दे रहे हैं जबकि बीएसएनएल में अभी तक इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस, जिसे आईएलडी कहते हैं, ये सेवाएं अभी तक बीएसएनएल ने शुरू नहीं की हैं। ब्राड बैंड की सेवा ढाई सौ रुपए प्रति महीना रेजिडेंशियल परपज के लिए दी जाती है और अगर अनलिमिटेड सेवाएं लें तो नौ सौ रुपया प्रति महीना है।

यदि हम ब्राड बैंड सेवा यूज करते हैं तो सात सौ रुपए प्रति महीना देना होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या बिजनेस परपज के लिए ब्राड बैंड सेवा अनलिमिटेड करने के बारे में सरकार का कोई विचार है? अगर है तो कब तक शुरू करेंगे?

डा. शकील अहमद: जैसा मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रेट को फिक्स करने का अधिकार ट्राइ का है। उसके बाद अलग-अलग पैकेजिज हैं, जो अलग-अलग टेलिकाम कम्पनीज करती हैं। कहीं रेंटल कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं पल्स रेट कम है, कहीं ज्यादा है। हमने इनीशियल फेज में बीएसएनएल का ब्राड बैंड दो सौ सिटीज में शुरू किया था। अब हमने लगभग 4000 जगह पर ब्राड बैंड के कनेक्शन दिए हैं। बिजनेस और प्राइवेट आपरेटर्स में अभी कोई विभिन्नता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ब्राड बैंड की दर और ज्यादा से ज्यादा सस्ती हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे बिजनेस के लिए यूज करें या डोमेस्टिक यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। हमने इस

साल नौ मिलियन नए ब्राड बैंड देने का लक्ष्य तय किया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि बिजनेस परपस के लिए क्या अनलिमिटेड करेंगे, इसका उत्तर नहीं मिला है।

डा. शकील अहमद: महोदय, समय-समय पर टेलिकाम कंपनियां अपना प्रपोजल प्रस्तुत करती रहती हैं और उपभोक्ताओं को जो पैकेज पसंद आता है, उसका लाभ उठाते हैं। सरकार निश्चित रूप से ब्राड बैंड का एक्सपेंशन चाहती है, हमारी बीएसएनएल कम्पनी चाहती है और हमारा ब्राड बैंड बहुत सफल हुआ है, बल्कि हमें अफसोस है कि जितनी डिमांड है, उतना हम नहीं दे पा रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट पैकेजित में उपभोक्ताओं को जो सुविधा होती है, उस पैकेज को उपभोक्ता लेता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अत: आपका कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पहले भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच टैरिफ दरों में विसंगतियां दूर करने पर विचार करेगी और देश भर में एक समान टैरिफ सुनिश्चित करेगी।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मुझे उसमें कुछ जोड़ने की अनुमति दी जाए। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है कि समस्या यह है कि टैरिफ ट्राई द्वारा नियत नहीं किया जाता है जो कि विनियामक है और जिससे टैरिफ नियत करने की अपेक्षा की जाती है। ट्राई द्वारा दी जा रही अवधारणा इससे अलग रहने की अवधारणा है। हमारे यहां विद्यमान संचालकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पैकेज तैयार करने की स्वतंत्रता होती है। कभी-कभी रेंटल चार्ज निशुल्क हो सकते हैं, पल्स रेट अधिक हो सकती है अथवा संचालक पल्स रेट कम कर सकते हैं और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ रेंटल चार्ज अधिक हो सकते हैं। इसी तरह वे अलग-अलग पैकेज दे रहे हैं।

यहां तक कि राज्य सभा में भी जब मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो एक माननीय सदस्य द्वारा एक विशेष प्रश्न पूछा गया था...

अध्यक्ष महोदय: आपको उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ए. राजा: महोदय, यहां भी सामान्यत: माननीय सदस्यगण मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या टैरिफ निर्धारित किया जाएगा या नहीं। इस प्रश्न पर दोनों सभाओं में गत 15 दिनों से व्यापक विचार-विमर्श हो चुका है। हमने निर्णय लिया है कि हम मामले को विनियामक के पास वापस भेजेंगे और यदि कोई समाधान निकलता है तो मैं पुन: सभा में आउंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, श्रीमती किरण माहेश्वरी ने बहुत अच्छा सवाल शुल्क दरों के संबंध में किया है जिस का माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर भी दिया है। बेहतर नेटवर्क और बेहतर सर्विस पर सब कुछ डिपेंड करता है। विभिन्न कम्पनियों की जो दरें और नेटवर्क हैं उसके मुकाबले बीएसएनएल का बहुत कम रिस्पांस आ रहा है। उत्तर में ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात कही गई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। आज जहां भी पीसीओ धारक है जो अपने पीसीओ लगा कर व्यवसाय कर रहे हैं, बीएसएनएल को छोड़कर अन्य कम्पनियों के दूरसंचार पर, पीसीओ पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या सरकार प्रतियोगिता में आने के लिए बीएसएनएल की नैटवर्किंग सुविधा को बढ़ाने के लिए उनकी दरों में कमी करने का प्रावधान करेगी?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, गुणवत्ता ट्राई द्वारा नियंत्रित और मानीटर की जा रही है। मेरे सामने सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं आया है कि सेवा की गुणवत्ता अन्य निजी संचालकों की तुलना में कम है। जहां तक ग्रामीण दूरसंचार घनत्व का संबंध है तो हमने बहुत उपलब्धि हासिल की है। सरकार की प्रतिबद्धता यह है कि वर्ष 2007 तक हमें सात प्रतिशत तक पहुंचना है किंतु हम उससे बहुत आगे पहुंच गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 247

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली–उपस्थित नहीं।

श्री बापू हरी चौरे–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 248

श्री प्रकाश बी. जाधव–उपस्थित नहीं

श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी

कपास हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

***248. +श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्री प्रकाश बी. जाधव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र में कपास का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा विभिन्न क्षेत्रों में कपास के उत्पादन की लागत क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत किसानों के हितों की कितनी रक्षा की गयी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं न कि राज्य सरकारों द्वारा।

भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कपास की दो मूल किस्मों अर्थात मध्यम स्टेपल कपास (यथा एफ-414-777/जे-34) तथा लम्बे स्टेपल वाली कपास (यथा एच-4) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग संबंधित तथ्यों जिनमें कपास के उत्पादन की लागत शामिल होती है, को ध्यान में रखता है उन मूल किस्मों के लिए 2007-08 मौसम हेतु, राष्ट्रीय स्तर पर कपास के उत्पादन की प्रक्षेपित लागतें (ए2 + एफ एल लागत अर्थात नकद तथा अन्य प्रकार के सभी खर्चे जिनमें पट्टे की भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया तथा पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल हैं) तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न प्रकार हैं:

मदें	कपास मौसम 2007-08
भारित औसत ए2 + एफ एल लागत (रुपए प्रति क्विंटल)	1528.11
मध्यम स्टेपल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एफ-414/एच-777/जे-34) (रुपए प्रति क्विंटल)	1800
छोटे स्टेपल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एच-4) (रुपए प्रति क्विंटल)	2030

कपास की उपरोक्त दो मूल किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित करने के पश्चात कपड़ा आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय, गुणवत्ता भिन्नता, सामान्य मूल्य भिन्नता तथा अन्य संबंधित कारकों के संबंध में उचित औसत गुणवत्ता की अन्य 26 किस्मों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

सरकार नामित एजेन्सी यथा भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास के प्रापण का प्रबन्ध भी करती है। वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय कपास निगम ने कपास की 11,78,455 गांठें (170 किलोग्राम प्रत्येक की) खरीदी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास उत्पादन के राज्य वार विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

(प्रत्येक 170 किलोग्राम लाख गांठों का उत्पादन)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
आंध्र प्रदेश	2108.0	2127.0	2097.0
गुजरात	6772.0	8787.0	9000.0
हरियाणा	1499.0	1814.0	1912.0
कर्नाटक	554.0	440.0	258.0
केरल	3.5	2.0	0.0
मध्य प्रदेश	745.1	829.0	425.0
महाराष्ट्र	3160.0	4950.0	5805.0
मेघालय	7.8	0.0	0.0
उड़ीसा	144.8	108.0	146.0
पंजाब	2395.0	2678.0	2440.0
राजस्थान	880.5	747.0	763.0
तमिलनाडु	213.3	174.0	82.0
उत्तर प्रदेश	5.2	1.0	0.0
पश्चिम बंगाल	6.0	23.0	0.0
अन्य*	4.8	16.0	14.0
अखिल भारत	18499.0	22696.0	22943.0

*अन्यों में असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा पांडिचेरी शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि मंत्री जी से कपास हेतु न्यूनतम समर्थन के संबंध में प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कपास की दो मूल किस्मों अर्थात मध्यम स्टेपल कपास तथा लंबे स्टेपल वाली कपास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। ये तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एक क्विंटल कपास, जिसका इन्होंने जिक्र किया है, उसे पैदा करने के लिए लागत खर्च क्या है? क्योंकि कारखाने में वही कपास जाती है और जब कपड़ा बनता है तो उसका मूल्य आसमान छूने लगता है। लेकिन जब किसान को देने का समय आता है तो गोलमोल जवाब दिया जाता है और उन्हें वाजिब समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक क्विंटल कपास के उत्पादन में वास्तविक कितना खर्च आता है और उसके आधार पर कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: उत्तर में यह भी कहा गया कि ए-2 और एफ एल की प्रति क्विंटल लागत 1528.11 रुपये है। यह 2007-08 की कपास फसल के लिए है। हां, यह सम्पूर्ण भारत के लिए भारित औसत है। आंध्र प्रदेश की स्थिति भिन्न है; आंध्र प्रदेश की लागत 1163 रुपये प्रति क्विंटल है; गुजरात की लागत 1420 रुपये प्रति क्विंटल है; हरियाणा की लागत 1349 रुपये प्रति क्विंटल है। उसी तरह, यह राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न है। परन्तु भारित औसत 1528 रुपये प्रति क्विंटल है। जब सम्पूर्ण देश का भारित औसत 1528 है तो मध्यम रेशे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लघु रेशे के लिए 2030 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया है। किंतु आज की तारीख तक मुझे जो भी सूचना मिल रही है उसके अनुसार आज का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत किए गए मूल्य से अधिक है। वस्तुत: भारतीय कपास निगम से किया गया क्रय भी अच्छा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: महोदय इन्होंने जिस चीज का जिक्र किया है मैंने उसे देखा है लेकिन मैं पर्टिकुलर जानना चाहता हूं कि कितनी लागत या खर्च आता है और उसकी तुलना में कितना समर्थन मूल्य आता है? लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र से आते हैं, क्या वे किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कोई कारगर उपाय करेंगे कि समर्थन मूल्य, जो आज निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा समर्थन मूल्य दे दिया जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह भारत के मंत्री हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: यह पालिसी पूरे देश के लिए है। इसमें महाराष्ट्र इन्क्लूड है।

[अनुवाद]

जैसा मैंने कहा प्रति क्विंटल पारित औसत लागत 1528 रुपये है और यह 2000 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि सीएसीपी उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रही है, यह कहा गया है कि यह ए-2 + एफ एल की लागत के संबंध में लाई जाती है, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए दिए गए किराये के भुगतान और पारिवारिक श्रमिकों की मजदूरी की अभ्यारोपित कीमत सहित सभी खर्चे नगद होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा ही है।

श्री के.एस. राव: जी हां, महोदय। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे कपास उत्पादक, कपास उगाने वाले किसान इस आधार पर आत्महत्या कर रहे हैं कि उन्हें अपनी भूमि पर जहां वे लीज का भुगतान नहीं कर रहे हैं, लगाई गई लागत नहीं मिल रही है। जबकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह पट्टे पर दी गई भूमि की कीमत भी शामिल कर रहे हैं। वास्तव में इस वर्ष भी आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति क्विंटल करने की भारी मांग है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की पुष्टि करेंगे कि पट्टे वाली भूमि का किराया भी ठीक ढंग से कीमत में शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह कहा है।

श्री के.एस. राव: उन्होंने यह कहा है। यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कपास उत्पादकों की कीमत को 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग पर विचार करेंगे।

श्री शरद पवार: सामान्यत: जब हमें सीएसीपी से रिपोर्ट मिलती है तो सीएसीपी कीमत के बारे में अंतिम दृष्टिफल नहीं करता। अंततोगत्वा, केबिनेट सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर सीएसीपी के बारे में अंतिम निर्णय लेती है। जो भी निर्णय लिया गया है वह निर्णय पूरे वर्ष के कपास सत्र और सम्पूर्ण देश के लिए लिया गया है।

आप प्रत्येक महीने अथवा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्णय नहीं बदल सकते क्योंकि उससे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मुझे एक स्थिति बहुत स्पष्ट करनी है। जब कोई कमी होती है उस वर्ष में सरकार बोनस की घोषणा करती है परन्तु विगत दो वर्षों से देश का कपास उत्पादन सबसे अधिक रहा है जोकि देश ने देखा है। दूसरे, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार भी बहुत अच्छे हैं और इसी कारण से कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, कपास का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और वहां गन्ने का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह गन्ने से शुगर बनाने के लिए काआपरेटिव शुगर फैक्टरीज का निर्माण किया गया है, उसी तरह से कपास उत्पादकों के लिए जो कपड़ा बनाने की मिले हैं, उन्हें भी कोआपरेटिव लैवल पर करने के बारे में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कपास के लिए कोआपरेटिव में इसी तरह का प्रयोग करने की सरकार की तमन्ना है?

श्री शरद पवार: महोदय, हालांकि कुछ राज्यों ने इस बारे में डिसीजन लिया है। जहां तक महाराष्ट्र की बात उन्होंने कही है, महाराष्ट्र में जीनिंग पीचिंग मिल कोआपरेटिव लैवल पर खड़ी की गई है। साथ ही साथ कुछ जिलों में कोआपरेटिव स्पिनिंग मिलों का भी इंतजाम किया गया है। मगर पिछले कई सालों से कोआपरेटिव सैक्टर का खास तौर पर स्पिनिंग मिल के बारे में अनुभव अच्छा नहीं है। वहां की सभी स्पिनिंग मिलों को बड़ा नुकसान हुआ है और यह समस्या राज्य सरकार के सामने भी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 249

श्री रायापति सांबासिवा राव–उपस्थित नहीं।

श्री एस. के. खारवेनथन।

निर्माण कार्य में लगे कामगारों का उत्थान

***249. *श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवास क्षेत्र/निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों के समग्र उत्थान हेतु व्यापक नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आवास क्षेत्र/निर्माण उद्योग में लगे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा यथा नौकरी सुरक्षा, बेहतर कार्य स्थितियां, चिकित्सा परिचर्या इत्यादि मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने निर्माण उद्योग में लगे कामगारों की कामकाजी और रहन-सहन दशाओं को बेहतर बनाने के लिए भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अधिनियमित किए हैं। भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में भवन और अन्य निर्माण कामगारों को विभिन्न कल्याण/सामाजिक सुरक्षा उपाय यथा दुर्घटना के मामले में तत्काल सहायता, बड़ी बीमारियों के मामले में चिकित्सा सहायता, समूह बीमा, महिला कामगारों को प्रसूति लाभ, बच्चों को शिक्षा तथा वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर राज्य भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के गठन की संकल्पना है। इस विधान में कार्यस्थल पर निर्माण कामगारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के साथ-साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विस्तृत उपबंध हैं। विनियामक उपबंधों के संबंध में, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के बारे में इस अधिनियम का क्रियान्वयन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के ऊपर है और राज्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के मामले में, यह दायित्व राज्य सरकार का है।

सरकार ने भवन और अन्य निर्माण कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007" प्रस्तुत किया है।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक देश के उस असंगठित क्षेत्र के अंग हैं जो 457 मिलियन लोगों के कुल कार्यबल का 93 प्रतिशत है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उनके पास नियमित रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और उन्हें चिकित्सा और अन्य लाभों के बगैर कम मजदूरी के लिए काम करना पड़ता है।

डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने प्राकृतिक और दुर्घटनावश मौत, वृद्धावस्था पेंशन आदि को कवर करने के लिए चिकित्सा बीमा, मातृत्व लाभ, बीमा जैसे विभिन्न लाभ देने की सिफारिश की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न कहें। बहुत समय शेष नहीं है।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या डा. अर्जुन सेनगुप्ता समिति के प्रतिवेदन में की गयी सभी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं? यदि नहीं तो उनके कारण क्या हैं और कब तक इसे लागू किया जाएगा।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, जहां तक निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की बात है तो इस संबंधी अधिनियम यानी सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य विनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 पहले से ही हैं।

महोदय, इन अधिनियमों के माध्यम से हम श्रमिकों को दुर्घटना, अंग-भंग और मृत्यु की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में समर्थ रहे हैं और इस उपकर का उपयोग निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य द्वारा डा. अर्जुन सेनगुप्ता समिति के प्रतिवेदन के बारे में किया गया प्रश्न है। महोदय, असंगठित क्षेत्र कर्मकर विधेयक संसद के दोनों सदनों में पुर:स्थापित किया गया है और हम निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की समस्याओं से निबटने में समर्थ होंगे।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, तमिलनाडु सरकार ने भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए स्वयं का विधान लागू किया है और उनके लिए 'तमिलनाडु निर्माण कार्यरत मजदूर' कल्याण बोर्ड का गठन किया है। कुछ राज्यों ने केन्द्रीय कानून लागू किया है और शेष राज्यों ने उनके कल्याण के लिए अब तक कोई भी कानून लागू नहीं किया है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्य सरकारों को कोई आदेश/निर्देश जारी किया है जिन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून अब तक लागू नहीं किया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय: केन्द्रीय कानून हर जगह लागू किया जाना चाहिए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, हमने यह मसला हर राज्य के साथ उठाया है। देश के अठारह प्रमुख राज्यों ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है और लागू भी कर दिया है। हम शेष राज्यों को भी इसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और हम नियमित अंतराल पर इस मसले की निगरानी कर रहे हैं ताकि प्रत्येक राज्य इस कानून को लागू करे।

अध्यक्ष महोदय: प्र.सं. 250: श्री रघुनाथ झा–उपस्थित नहीं।

प्र.सं. 251: श्री हरिसिंह चावड़ा–उपस्थित नहीं।

श्री मनसुखभाई डी–वसावा उपस्थित नहीं।

प्र.सं. 252: श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार।

वस्त्र निर्यात में गिरावट

*252. +**श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वस्त्र उद्योग में निर्यात के कम क्रयादेश, जो कि चालू वित्त वर्ष के प्रथम तीन माह के दौरान गिरकर बहुत कम हो गए हैं, के कारण मंदी आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस उद्योग के कामगारों की नौकरियों को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वाणिज्यिक अधिसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के अनंतिम निर्यात आंकड़े भारत के वस्त्र निर्यात में चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमरीकी डालर के रूप में 14% और रुपये के रूप में 22% की कमी दर्शाते हैं।

(ख) सरकार को वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य उद्योग संघों के अनुरोधों की जानकारी है जिनमें मुख्य रूप से बताया गया है कि अमरीकी डालर की तुलना में हाल ही में भारतीय रुपए में आई मजबूती के कारण भारत से वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार एक करोड़ रुपए के निर्यात के परिणामस्वरूप 35 वृद्धिशील रोजगार सृजित होते हैं। वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें शुल्क हकदारी पासबुक और शुल्क वापसी दरों में वृद्धि, चुनिंदा सेवाओं पर सेवा कर से छूट, लदान पूर्व और लदान बाद क्रेडिट की ब्याज दरों में कमी तथा टर्मिनल उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर के बकायों की शीघ्र क्लीयरैंस शामिल है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको उत्तर उपलब्ध करा दिया है। अब, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अनाज बैंक योजना का कार्य-निष्पादन

***242. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की जा रही अनाज बैंक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में इस योजना के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या इस योजना को पूरे देश में लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) ग्रामीण अनाज बैंक योजना सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, गर्म और ठण्डे मरुस्थलों तथा दूरदराज के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों जैसे खाद्यान्न की चिरकालिक रूप से कमी वाले क्षेत्रों में 2005-06 से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के 30-40 परिवार आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए ग्राम में अनाज बैंक स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण अनाज बैंकों का प्रबंधन ग्राम पंचायतों, महिलाओं के स्वयं सेवी समूहों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाना होता है।

इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि तथा कमी के मौसम के दौरान, जिस समय खाद्यान्न के मामले में असुरक्षित परिवारों के पास खाद्यान्न खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं; भुखमरी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे परिवार अनाज बैंकों से खाद्यान्न उधार ले सकते हैं।

इस स्कीम में खाद्यान्न घटक और नकद घटक हैं। सरकार अनाज बैंकों के लिए एक मुश्त अनुदान के रूप में एक क्विंटल प्रति सदस्य परिवार की दर से खाद्यान्न रिलीज करती है। माप और तोल, भंडारण बिनों, सदस्य परिवारों के प्रशिक्षण तथा ढुलाई हेतु सरकार एक मुश्त अनुदान के रूप में निधियां रिलीज करती है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों और उन्हें रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विभाग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विश्व खाद्य कार्यक्रम से इस स्कीम का मूल्यांकन करवा रहा है। यह मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) यह स्कीम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू है। 11वीं योजना अवधि के दौरान इसके क्रियान्वयन की मंजूरी दे दी गई है।

विवरण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों का विवरण

राज्य का नाम	2005-06 के दौरान स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या	2006-07 के दौरान स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या	स्तम्भ (2 व 3) का जोड़	जारी की गई कुल निधियां (आंकड़े लाख रु. में)
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	-	1377	1377	935.29
आंध्र प्रदेश	1214	3743	4957	3132.84

1	2	3	4	5
प. बंगाल	-	170	170	108.20
गुजरात	-	226	226	133.82
मध्य प्रदेश	926	-	926	476.38
उड़ीसा	240	-	240	152.76
त्रिपुरा	13	-	13	8.27
छत्तीसगढ़	262	1642	1904	1211.86
झारखंड	583	-	583	371.06
मेघालय	44	-	44	28.00
उत्तर प्रदेश	-	500	500	257.60
असम	-	100	100	63.65
सिक्किम	-	80	80	50.92
हिमाचल प्रदेश	-	55	55	35.01
नागालैंड	-	150	150	95.47
उत्तराखंड	-	55	55	35.01
मणिपुर	-	93	93	59.19
जोड़	3282	8191	11473	7155.33

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में निजी कम्पनियां

*247. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर महाराष्ट्र में दूरसंचार के क्षेत्र में निजी कम्पनियों को और अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन घनत्व का सर्किलवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) टेलीघनत्व में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करना – नई दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी-99) के मूल लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, आमतौर पर जनहित में और विशेषकर उपभोक्ताओं के हित में तथा तार और दूरसंचार सेवाओं के उचित संचालन के लिए, महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियों को दूरसंचार अभिगम सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा के कारण दूरसंचार प्रशुल्क में कमी आई है और दूरसंचार सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

(ग) 30.09.2007 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण और शहरी टेलीघनत्व
(30.09.2007 की स्थिति)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	टेलीघनत्व	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	13.45	23.72
2.	आंध्र प्रदेश	8.50	63.21
3.	असम	2.61	64.45
4.	बिहार	2.45	70.45
5.	छत्तीसगढ़	1.08	12.96
6.	गुजरात	13.17	52.45
7.	हरियाणा	13.64	54.79
8.	हिमाचल प्रदेश	26.90	98.46
9.	जम्मू और कश्मीर	6.29	51.86
10.	झारखंड	1.07	10.96
11.	कर्नाटक	9.30	65.41
12.	केरल	22.71	87.36
13.	मध्य प्रदेश	3.69	47.68
14.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	9.58	48.32
15.	पूर्वोत्तर-I	5.38	74.22
16.	पूर्वोत्तर-II	2.80	25.18
17.	उड़ीसा	5.48	44.98
18.	पंजाब	17.98	79.00
19.	राजस्थान	9.37	51.98
20.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	12.82	47.65
21.	उत्तराखंड	4.58	23.00
22.	उत्तर प्रदेश	4.29	46.55
23.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	5.63	44.93
24.	कोलकाता	0.00	49.82
25.	चेन्नै	0.00	86.91
26.	दिल्ली	0.00	98.70
27.	मुंबई	0.00	72.77
	अखिल भारतीय	7.30	56.93

[अनुवाद]

सैनिक स्कूलों का स्तर

***250. श्री रघुनाथ झा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय से देश में सैनिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सैनिक स्कूलों में शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में और अधिक सैनिक स्कूल खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सैनिक स्कूलों का उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं के अफसर पूल में योगदान करने के लिए प्रत्येक राज्य को अवसर प्रदान किए जाने और पब्लिक स्कूल की शिक्षा आम आदमी की पहुंच के भीतर लाए जाने का है। सैनिक स्कूलों के शैक्षिक स्तर में लगातार सुधार हुआ है। इस रुझान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, इन स्कूलों के अवसंरचना स्तर में और इनकी सामान्य सुविधाओं में ह्रास हुआ है।

सैनिक स्कूलों में शैक्षिक स्तर को बनाए रखने की दृष्टि से अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और कैडेटों के लिए प्रतिस्पर्धा उन्मुखी प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम, सेनाओं और व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों/निकायों से विशेषज्ञों की सहायता लेकर कार्यान्वित किया जा रहा हैं प्रशिक्षण अवसंरचना और कौशल को बढ़ाए जाने के प्रयोजनार्थ रक्षा मंत्रालय भी इन स्कूलों को प्रशिक्षण अनुदान देता है।

सैनिक स्कूलों की स्थापना राज्य सरकार से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर की जाती है जिसमें भूमि उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियों के अलावा आधारभूत अवसंरचना, उपस्करों और सुविधाओं के सृजन और अनुरक्षण के लिए सहमति दी गई हो। देश में 22 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने चिंगचिप (मिजोरम), रावंगला (सिक्किम) और अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) में नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के लिए "सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी चयन

वर्ष	कुल भर्ती (दोनों) अवधियां)	सैनिक स्कूल के चुने गए विद्यार्थियों की संख्या	सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों का प्रतिशत हिस्सा
2003	602	102	16.9%
2004	623	125	20.0%
2005	596	114	19.1%
2006	667	171	25.6%
2007	643	162	25.1%

(ख) सीबीएसई कक्षा-X बोर्ड परीक्षाएं

वर्ष	भाग लेने वालों की संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत	प्रथम श्रेणियों का प्रतिशत
2003	1548	1513	97.7	80.29
2004	1550	1511	97.61	86.12
2005	1588	1567	98.78	88.79
2006	1606	1570	97.75	85.24
2007	1621	1621	100	91.47

(ग) सीबीएसई कक्षा-XII बोर्ड परीक्षाएं

वर्ष	भाग लेने वालों की संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत	प्रथम श्रेणियों का प्रतिशत
2003	963	897	93.14	77.36
2004	893	770	86.22	66.34
2005	908	794	87.44	71.55
2006	995	924	92.86	66.12
2007	995	971	97.29	87.10

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की पद्धति

*251. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारित करने के संबंध में स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) को एक सांविधिक निकाय बनाने का है और इसके द्वारा मूल्य निर्धारण की वर्तमान पद्धति में भी बदलाव करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषक आयोग (स्वामीनाथन आयोग) ने सिफारिश की है कि:

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ते निवेश लागतों के साथ बनाए रखने की आवश्यकता है।

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दालें तथा मोटे अनाज उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने चाहिए।

(iii) न्यूनतम समर्थन मूल्य तन्त्र पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

(iv) प्रापण मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो सकता है।

(v) न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, जो साथ ही साथ संबंधित फसलों की उत्पादन की लागत को ध्यान में रखती है। तथापि, यह इस प्रकार पहचाने जाने की

आवश्यकता है कि उत्पादन की लागत तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच कोई मैकेनिकल संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रति क्विंटल लागत उपज स्तर पर निर्भर होने के कारण वर्ष दर वर्ष भिन्न होती है। पुन: चुनी हुई फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी राज्यों के लिए एक समान होता है तथा नामित एजेंसियां बाजार में हस्तक्षेप करती हैं जब बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे होने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी, जब नामित एजेन्सियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित नहीं होती, बोनस के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर अधिक मूल्य प्रस्तावित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग पहले ही एक स्वतंत्र संस्था है जोकि कृषि मूल्य नीति तथा संबंधित मामलों पर सरकार को सिफारिशें तथा व्यावसायिक परामर्श देती है। इस प्रकार कृषि लागत और मूल्य आयोग अपने कार्यों में मौलिक है।

[अनुवाद]

स्पेक्ट्रम का उपयोग

***253. श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों को बिना किसी मूल्य के अथवा बहुत कम मूल्य पर आबंटित स्पेक्ट्रम के संबंध में अधिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई ने यह पाया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों को आबंटित स्पैक्ट्रम का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है और यह अप्रयुक्त रहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ "लाइसेंस के निबन्धन और शर्तों की समीक्षा करने तथा अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करने" संबंधी दिनांक 28 अगस्त, 2007 की अपनी सिफारिशों में यह उल्लेख किया है कि इस समय, स्पेक्ट्रम का अधिकांश भाग सार्वजनिक क्षेत्र (उदाहरणार्थ सरकारी विभागों, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों, सेना) द्वारा इस्तेमाल किए जाने हेतु बचा कर रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के भीतर और बाहर व्यापक दक्षता प्राप्त की जा सकती है बशर्ते कि सार्वजनिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल बाजार के परिवेश के अनुसार किया जाए।

(ङ) सरकार ने मोबाइल सेवाओं और ब्राडबैंड वायरलैस अभिगम (बीडब्ल्यूए) के लिए अपेक्षित स्पेक्ट्रम को रक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभाग/संगठनों से स्पेक्ट्रम प्रभारों की उगाही की जाती है ताकि उनको आबंटित स्पेक्ट्रम का कुशल एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

चावल की खरीद

***254. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियां चालू खरीफ की फसल के मौसम के दौरान बोनस की घोषणा होने के बावजूद भी धान और चावल की पर्याप्त मात्रा खरीदने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू फसल मौसम के दौरान धान और चावल की खरीद के लिए राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने खरीद लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और अधिक खरीद केन्द्र खोलने और बोनस दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) खरीफ विपणन मौसम की शुरूआत से पहले राज्य खाद्य सचिवों द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में 276 लाख टन चावल की खरीदारी होगी। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में 28.11.2007 तक 90.29

लाख टन चावल की खरीदारी हुई है जबकि पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि में 93.86 लाख टन की खरीदारी हुई थी। चूंकि खरीफ विपणन मौसम 2007-08 दिनांक 1.10.2007 को शुरू हुआ है और 30.9.2008 तक जारी रहेगा इसलिए यह सही नहीं है कि सरकारी एजेंसियां वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में धान और चावल की पर्याप्त मात्रा खरीदने में विफल रही हैं।

(ख) और (ग) चूंकि खाद्यान्नों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के अधीन की जाती है, इसलिए सरकारी एजेंसियों को किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पेशकश की गई सम्पूर्ण मात्रा की खरीदारी करनी होती है। अत: कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कारणों से खरीदारी के अनुमान राज्य खाद्य सचिवों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए तैयार किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान और वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान चावल की राज्य-वार अनुमानित और वास्तविक खरीदारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 20.11.2007 की स्थिति के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में सरकारी एजेंसियों द्वारा 8448 खरीद केंद्र खोले गए हैं। भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को निदेश दिए गए हैं कि वे जहां कहीं जरूरत हो, वहां और खरीद केंद्र खोलें। सरकार ने 15.11.2007 को निर्णय लिया है कि खरीफ विपणन मौसम 2007-08 के दौरान धान की खरीदारी करने के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस (पहले से ही घोषित 50 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस के अलावा) दिया जाए। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में धान/चावल की वसूली को अधिकतम बनाने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

चावल की अनुमानित और वास्तविक खरीदारी

(लाख टन में)

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2004-05		खरीफ विपणन मौसम 2005-06		खरीफ विपणन मौसम 2006-07	
	अनुमानित खरीदारी	वास्तविक खरीदारी	अनुमानित खरीदारी	वास्तविक खरीदारी	अनुमानित खरीदारी	वास्तविक खरीदारी
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	0.01	0.10	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	45.00	39.06	37.13	49.71	50.9	53.27
असम	–	–	0.84	0.01	–	–
बिहार	6.00	3.43	2.34	5.24	6.0	4.76
चण्डीगढ़	–	0.19	–	0.13	–	0.10
छत्तीसगढ़	22.00	28.37	26.10	32.65	31.1	28.58
हरियाणा	12.00	16.62	15.72	20.54	17.4	17.73
हिमाचल प्रदेश	–	0.02	0.05	–	–	–
जम्मू-कश्मीर	–	0.01	0.16	0.03	–	–
झारखंड	–	0.01	0.13	0.02	0.2	0.05
कर्नाटक	–	0.21	1.84	0.48	0.5	0.22

1	2	3	4	5	6	7
केरल	–	0.33	1.61	0.94	0.7	1.51
मध्य प्रदेश	2.00	0.42	1.34	1.36	1.2	0.74
महाराष्ट्र	3.00	2.05	2.17	1.94	1.8	0.96
नागालैंड	–	0.11	0.18	–	–	–
उड़ीसा	13.00	15.90	12.35	17.85	17.0	19.93
पंजाब	82.00	91.06	82.00	88.55	84.7	78.28
राजस्थान	–	0.22	0.33	0.23	0.3	0.10
तमिलनाडु	5.00	6.52	6.70	9.26	8.7	10.78
उत्तर प्रदेश	20.00	29.71	26.70	31.51	30.7	25.49
उत्तराखंड	3.00	3.16	3.34	3.36	3.1	1.76
पश्चिम बंगाल	10.00	9.44	8.94	12.75	15.7	6.44
अन्य	2.00				-	0.06
जोड़	225.00	246.85	230.07	276.56	270.00	250.75

खरीफ विपणन मौसम 2007-08 में चावल की अनुमानित और वास्तविक खरीदारी

(लाख टन में)

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2007-08	
	अनुमानित खरीदारी	वास्तविक खरीदारी (28.11.2007 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–
अरुणाचल प्रदेश	62.00	0.85
असम	–	–
बिहार	8.40	नगण्य
चण्डीगढ़	–	0.09
छत्तीसगढ़	28.00	2.57
हरियाणा	19.50	14.00
हिमाचल प्रदेश	–	–
जम्मू-कश्मीर	–	–
झारखंड	–	–
कर्नाटक	0.50	–
केरल	2.00	0.48
मध्य प्रदेश	1.10	0.03
महाराष्ट्र	1.50	0.13
नागालैंड	–	–
उड़ीसा	24.80	0.98
पंजाब	80.00	69.35
राजस्थान	0.20	0.03

1	2	3
तमिलनाडु	11.10	नगण्य
उत्तर प्रदेश	26.70	1.67
उत्तराखंड	2.10	0.11
पश्चिम बंगाल	8.00	0.00
जोड़	276.00	90.29

नगण्य - 500 टन से कम

* इसमें मिल मालिकों देय लेवी शामिल नहीं है। मिल मालिकों द्वारा खरीदे गए लेवी योग्य धान के आधार पर लेवी का अनुमान लगाया जाता है। चूंकि मिल मालिकों द्वारा खरीद की जा रही है अतः अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण II

2007-08 (खरीफ विपणन मौसम) में चावल की खरीदारी को अधिकतम बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पग

(i) खरीफ विपणन मौसम 2007-08 के लिए साधारण और ग्रेड-ए किस्म हेतु चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 645 रुपये और 675 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जो 65 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है ताकि किसानों को अधिक चावल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ii) जो समितियां अथवा स्वयंसेवी समूह भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों आदि की ओर से धान की खरीदारी कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 1.5 प्रतिशत के कमीशन की अनुमति दी गई है।

(iii) सरकार ने साधारण किस्म के धान के 645 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य और धान की ग्रेड-ए किस्म के 675 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है।

(iv) 425 डालर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम मूल्य पर गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ऋण संबद्ध पूंजी एवं ब्याज प्रतिपूर्ति योजना

***255. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के वस्त्र क्षेत्र के लिए ऋण संबद्ध पूंजी एवं ब्याज प्रतिपूर्ति योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कार्य दल की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन कोष योजना का विस्तार वस्त्र उद्योग मशीनरी क्षेत्र पर भी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) और (ख) देश में वस्त्र क्षेत्र के लिए अप्रैल, 1999 से एक ऋण संबद्ध पूंजीगत एवं ब्याज प्रतिपूर्ति योजना नामतः प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) पहले ही प्रचालन में है। इस योजना के तहत उपलब्ध प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

(i) इस योजना में स्पिनिंग मशीनरी पर 4% की दर से ब्याज प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। तथापि, इस योजना के तहत आने वाले शेष सभी उप क्षेत्र 5% की दर से ब्याज प्राप्त करते हैं।

(ii) इस योजना में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% तक के उतार-चढ़ाव को कवर करने का भी प्रावधान है। तथापि, स्पिनिंग मशीनरी के लिए कवरेज 4% है।

(iii) यह योजना विद्युतकरघा इकाइयों को 200 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 20 लाख रु. की अधिकतम सब्सिडी सीमा के अध्यधीन टीयूएफ की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 20% मार्जिन मनी सब्सिडी लेने का विकल्प प्रदान करती है।

(iv) इस योजना में वस्त्र लघु उद्योग और पटसन क्षेत्र के लिए 200 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 15 लाख रु.

की अधिकतम सब्सिडी सीमा के अध्यधीन टीयूएफ की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है।

(v) इस योजना में विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी, परिधान मशीन और तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मशीनरी के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति जमा 10% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है।

(vi) इस योजना में हथकरघा उत्पादन एककों के लिए करघा पूर्व और करघा पश्चात प्रचालनों, हथकरघों/हथकरघों के उन्नयन एवं परीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण उपस्करों के वास्ते नई मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद पर 25% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी दल ने ग्यारहवीं योजना अवधि में टीयूएफएस के विस्तार की सिफारिश की है। सरकार ने इस योजना को ग्यारहवीं योजना की पूरी अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य तेल

***256. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् खाद्य तेलों के उत्पादन, मांग और आयात का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार और तेल-वार किन-किन देशों से इन्हें आयात किया गया;

(ख) खाद्य तेल के आयात पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनकी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद देश में खाद्य तेलों के उत्पादन, आयात और मांग के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का राज्यवार और तेलवार उत्पादन क्रमश: विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है। जिन देशों से खाद्य तेलों का आयात (मात्रा और मूल्य) किया गया है उनके नाम विवरण-IV में दिए गए हैं। खाद्य तेलों का राज्यवार आयात उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) देश में खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ गए हैं। घरेलू बाजार में मासिक औसत थोक मूल्य का ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

(ङ) देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कोपरा/नारियल तेल को छोड़कर तिलहनों/खाद्य तेलों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दी गई है।
2. कुछ राज्यों में तिहलनों, दालों, खजूर तेल और मक्का के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत स्कीम का क्रियान्वयन, खजूर तेल विकास के लिए वित्तीय सहायता, प्रजनन बीज की खरीदारी के लिए प्रदान की गई सहायता, फाउंडेशन बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज का उत्पादन और वितरण, एकीकृत जन्तुबाधा प्रबंधन आदि।
3. प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक निर्धारित करके किसानों को अधिक प्रोत्साहन देना।
4. अगस्त 2006 से शुरू हुई अवधि के दौरान आयात शुल्क में कमी की कई है। क्रूड और परिष्कृत खजूर तेल/पामोलिन पर आयात शुल्क को क्रमश: 80% से घटाकर 45% और 90% से घटाकर 52.5% कर दिया गया है। सूरजमुखी के क्रूड और परिष्कृत तेल पर शुल्क क्रमश: 75% से घटाकर 40% और 85% से घटाकर 50% से कर दिया गया है। क्रूड और परिष्कृत सोयाबीन तेल पर शुल्क को 45% से घटाकर 40% कर दिया गया है।
5. क्रूड और परिष्कृत खाद्य ग्रेड के वनस्पति तेलों को 1.3.2007 से 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है।
6. किसानों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के हितों में तालमेल बिठाने के लिए खाद्य तेलों के आयात शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण I

देश में खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन, आयात और मांग को दर्शाने वाला विवरण

(लाख टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की उपलब्धता	खाद्य तेलों का आयात	मांग*
2004-05	72.47	45.42	113.00
2005-06	83.16	42.88	118.50
2006-07 (अनुमान)	72.43	47.15	124.10
2007-08 (अनंतिम)	83.81	45.00	128.81**

*कृषि मंत्रालय द्वारा गठित समूह द्वारा दिए गए प्रक्षेपण।
**खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिए गए प्रक्षेपण।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का राज्यवार उत्पादन

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
	तिलहन	तेल	तिलहन*	तेल	तिलहन**	तेल	तिलहन***	तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) प्राथमिक स्रोत								
आंध्र प्रदेश	22.09	5.51	20.41	5.12	13.06	3.40	10.44	2.55
असम	1.47	0.45	1.13	0.34	1.35	0.42	0.14	0.04
बिहार	1.17	0.37	1.37	0.42	1.37	0.43	0.06	0.02
छत्तीसगढ़	1.24	0.30	1.27	0.31	1.62	0.37	0.72	0.15
गुजरात	29.87	8.23	46.82	12.36	25.88	7.31	33.87	9.04
हरियाणा	8.41	2.61	8.25	2.57	8.55	2.66	0.08	0.03
हिमाचल प्रदेश	0.12	0.04	0.05	0.02	0.05	0.01	0.02	0.00
जम्मू-कश्मीर	1.24	0.38	0.03	0.01	0.40	0.12	0.02	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	0.07	0.02	0.09	0.03	0.71	0.20	0.16	0.04
कर्नाटक	15.70	4.27	17.15	4.85	11.23	3.12	7.61	1.94
केरल	0.02	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00
मध्य प्रदेश	47.98	9.05	57.22	10.79	58.14	10.69	43.13	7.07
महाराष्ट्र	27.44	5.29	33.73	6.37	35.74	6.49	41.19	6.95
उड़ीसा	1.79	0.48	1.88	0.51	1.38	0.37	0.75	0.21
पंजाब	1.00	0.31	0.90	0.28	0.86	0.27	0.09	0.02
राजस्थान	55.41	15.57	59.64	16.93	50.49	14.29	13.90	2.89
तमिलनाडु	10.61	2.49	11.53	2.70	12.55	3.00	5.89	1.40
उत्तर प्रदेश	9.52	2.89	10.66	3.23	7.44	2.24	1.20	0.29
उत्तरांचल	0.38	0.08	0.30	0.07	0.21	0.05	0.15	0.03
प. बंगाल	6.53	1.97	6.10	1.83	6.52	1.96	1.20	0.37
अन्य	1.48	0.35	1.23	0.30	1.26	0.32	0.63	0.12
उप जोड़	243.54	60.67	279.79	69.06	238.84	57.73	161.25	33.17
(ख) द्वितीयक स्रोत								
नारियल		5.50		4.20		4.50		4.50
बिनौला		4.30		5.70		6.30		8.00
चावल की भूसी		6.20		6.80		7.00		7.20
विलायक निष्कर्षित तेल		3.50		4.30		3.50		4.00
वृक्ष और वनमूल उद्भव		0.80		1.30		1.20		1.20
उप योग		20.30		22.30		22.50		24.90
योग (क + ख)		80.97		91.36		80.23		58.07

स्रोत – तिलहन – कृषि मंत्रालय

तेल – संबंधित राज्यों में तिलहन उत्पादों के आधार पर

*अंतिम अनुमान

**चौथा अग्रिम अनुमान (19.7.2007 को कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित)

***खरीफ फसल (रबी फसल शामिल नहीं) के लिए 19.9.07 को कृषि मंत्रालय के प्रथम अग्रिम अनुमान के आधार पर

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का तेल-वार उत्पादन

(मात्रा लाख टन में)

तिलहन का नाम	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
	तिलहन	तेल	तिलहन	तेल	तिलहन*	तेल	तिलहन**	तेल
(क) प्राथमिक स्रोत								
मूंगफली	67.74	15.58	79.93	18.38	49.09	11.29	77.19	17.75
रेपसीड/सरसों	75.93	23.54	81.31	25.21	70.97	22.00	75.20	23.31
सोयाबीन	68.77	11.00	82.74	13.24	88.57	14.17	90.44	14.47
सूरजमुखी	11.87	03.92	14.39	04.75	11.78	3.89	12.48	4.12
सीसेम	06.74	02.09	06.41	01.99	5.86	1.82	5.69	1.76
नाइजर सीड	01.12	00.34	01.08	00.32	0.71	0.21	0.83	0.25
सूरजमुखी बीज	01.74	00.52	02.29	00.69	2.24	0.67	2.60	0.78
कैस्टर	07.93	03.17	09.91	03.96	7.95	3.18	9.28	3.71
तारपीन	01.70	00.51	01.73	00.52	1.67	0.50	2.54	0.76
उप जोड़	243.54	60.67	279.79	69.06	238.84	57.73	276.25	66.91
(ख) द्वितीयक स्रोत								
नारियल		5.50		4.20		4.50		4.50
बिनौला		4.30		5.70		6.30		8.00
चावल की भूसी		6.20		6.80		7.00		7.20
विलायक निष्कर्षित तेल		3.50		4.30		3.50		4.00
वृक्ष और वनमूल उद्भव		0.80		1.30		1.20		1.20
उप योग		20.30		22.30		22.50		24.90
योग (क + ख)		80.97		91.36		80.23		91.81

*चौथा अग्रिम अनुमान (19.7.2007 को कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित)

**खरीफ फसल (रबी फसल शामिल नहीं) के लिए 19.9.07 को कृषि मंत्रालय के प्रथम अग्रिम अनुमान के आधार पर

विवरण IV

मात्रा और कीमत के साथ जिन देशों से खाद्य तेलों का आयात किया गया उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खाद्य तेल का नाम	मात्रा लाख टन में			कीमत करोड़ रु में			2006.07 के दौरान देशों से आयात किया गया
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	
1.	सोयाबीन तेल	10.93	16.51	12.16	2955.01	3899.91	3103.68	अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, यू.ए ई, बांग्लादेश, नेपाल, यू.एस.ए., चीन, जर्मनी, नीदरलैंड
2.	पाम तेल	35.03	24.49	27.66	7691.27	4563.41	5629.14	कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, श्रीलंका, भूटान, सिंगापुर, बांग्लादेश, यू.ए.ई.
3.	सूरजमुखी	0.38	0.71	1.41	109.86	184.67	422.98	अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, यू.के., यू.एस.ए.
4.	नारियल का तेल	0.13	0.04	0.15	40.87	11.46	51.86	मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स
5.	अन्य तेल	1.06	1.18	1.36	305.10	343.31	372.87	यू.एस.ए., इंडोनेशिया, मलेशिया, श्री लंका, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, बांग्लादेश, नेपाल, बेल्जियम, ब्राजील, जार्जिया, जर्मनी, यू.के., चीन, चेक गणराज्य, फ्रांस, जापान, स्विटजरलैंड, सिंगापुर, यू.ए.ई., थाईलैंड, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, एस्टोनिया, ओमान, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया
6.	योग	47.53	42.93	42.74	11102.11	9002.76	9580.53	

*स्रोत–विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

विवरण V

पिछले चार वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में मासिक थोक मूल्य

तेल का नाम	नवम्बर, 07*	नवम्बर, 06	नवम्बर, 05	नवम्बर, 04
सरसों का तेल	5252	4559	3915	4568
मूंगफली का तेल	6483	5598	4711	5248
सोयाबीन तेल	4817	4248	3508	3914
वनस्पति (15 किग्रा. पैक)	832	776	646	732

*नवम्बर 2007 के मासिक थोक औसत मूल्य 23.11.2007 तक के औसत मूल्य हैं।

राष्ट्रीय पशुधन नीति

*257. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति का कोई मसौदा तैयार किया गया है और विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय पशुधन नीति का उद्देश्य पशुधन, पशुधन उत्पादों और आहार एवं चारा संसाधनो में गुणवत्ता तथा गुणात्मक सुधार लाना है। इसमें प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य सेवा के संबंध में आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रबंध प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय लाने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) उक्त नीति का एक मसौदा विभिन्न राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। राज्य सरकारों से कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, जो विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

गन्ने की कीमतें

*258. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में गन्ना किसान वर्ष 2007-08 के लिए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अपने उत्पादों की बेहतर कीमत सुनिश्चित करने के लिए गन्ना किसानों ने गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में भी संशोधन किए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं। चीनी मौसम 2007-08 के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 9% की मूल रिकवरी दर के लिए इस शर्त के अध्यधीन 81.18 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था कि इस स्तर से ऊपर रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि के लिए 0.90 रुपये का प्रीमियम देय होगा। इसकी सूचना जनवरी, 2007 में चीनी उत्पादक राज्यों को दे दी गई थी। चीनी मौसम 2007-08 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने के लिए गन्ना किसानों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का प्रतिव्यक्ति उपभोग

*259. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनाजों विशेषकर मोटे अनाजों के प्रति व्यक्ति उपभोग में कमी से देश में पोषण स्थिति चिन्ताजनक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए देश में मोटे अनाजों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में विशेषकर गरीब लोगों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1993-94 और 2004-05 के बीच किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर के अनुसार मोटे अनाजों सहित अनाजों की प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत ग्रामीण भारत में 13.4 किलोग्राम से गिरकर 12.1 किलोग्राम और शहरी भारत में

10.6 किलोग्राम से गिरकर 9.9 किलोग्राम रह गई है। अनाजों की खपत में गिरावट यदि आहार में इसकी प्रतिपूर्ति सब्जियों, फलों और दालों से न की जाए तो लोगों को पोषाहार स्तर को प्रभावित कर सकती है। तथापि, लोगों के पोषाहार स्तर पर कम अनाज खपत के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग का खाद्य और पोषाहार बोर्ड जनता के बीच पोषाहार जागरूकता (मोटे अनाजों के पौषणिक महत्व सहित) पैदा करने के लिए 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित अपनी 43 फील्ड यूनिटों के जरिए कार्य करता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय स्तर पर देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ध्यान निर्धनतम (अंत्योदय अन्न योजना) परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर केन्द्रित है। गरीबी रेखा से नीचे के 6.52 करोड़ परिवारों के लिए सरकार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन करती है। सरकार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा पिछले वर्षों के दौरान किए गए उठान को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न आबंटित करती है।

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम, आदि जैसी कई कल्याण स्कीमें क्रियान्वित की जाती हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उनके लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। चिरकालिक रूप से खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सरकार ग्रामीण अनाज बैंक योजना भी क्रियान्वित करती है जिसके अधीन एक मुश्त अनुदान के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का मुफ्त आबंटन किया जाता है और ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने तथा चलाने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, सरकार खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर लगातार निगाह रखती है। इनके मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए सरकार खुले बाजार में बिक्री के लिए खाद्यान्न रिलीज करती है ताकि इनकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

खाद्य कमी की आकस्मिक और अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए सरकार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का न्यूनतम बफर स्टाक रखती है। सरकार प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत उपायों के भाग के रूप मे खाद्यान्नों का आबंटन भी करती है। यदि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की आवश्यकता घरेलू खरीदारी से पूरी नहीं होती है तो सरकार खाद्यान्नों का आयात भी करती है।

कृषि वृद्धि दर

*260. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि दर की तुलना में कृषि वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में धीमी वृद्धि के क्या कारक रहे; और

(ग) चालू वर्ष तथा अगले वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों, खनन, विनिर्माण, विद्युत, निर्माण तथा सेवाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान सकल पूंजी विनिर्माण की शर्तों के स्थिर (1999-2000) मूल्यों पर क्षेत्रीय वृद्धि दर की प्रतिशतता नीचे दी गई है:

वर्ष	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र (%)	खनन, विनिर्माण, विद्युत, निर्माण (%)	सेवाएं (%)
2004-05	0.0	9.8	9.6
2005-06	6.0	9.6	9.8
2006-07	2.7	10.9	11.0

(ख) कृषि क्षेत्र में धीमी वृद्धि हेतु मुख्य रूप से कृषि में पर्याप्त सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में कमी तथा 10वीं योजना की मध्य अवधि में मानूसन का आवधिक अभाव है। तथापि गत दो वर्षों की अवधि के दौरान दर्ज की गई औसत वृद्धि दर 4% से अधिक रही है।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 29 मई, 2007 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अपनी वचनबद्धता को

दोहराया तथा संकल्प लिया कि कृषि विकास की नीतियां किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हों तथा इसने कृषि को सशक्त बनाने हेतु नीति का विकास करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया। कृषि क्षेत्र में वृद्धि में सुधार हेतु सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए हैं:

* 11वीं योजना अवधि हेतु 4882 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति तक चावल का अतिरिक्त 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना था।

* क्षेत्र में अधिक निवेश करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से 25000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की गई जिसका उद्देश्य 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था।

* वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए नियोजन में सहायता तथा मदद हेतु राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई।

* सिंचाई हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए।

* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के प्रयास पर नीतिगत ध्यान।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

2210. **श्री कीरेन रिजीजू:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति के कारण सैन्य टुकड़ियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचने में ज्यादा समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की सड़कों के साथ जोड़ने की किसी योजना पर कार्य कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन सीमावर्ती क्षेत्रों के क्या नाम हैं जिन्हें फिलहाल सड़कों के साथ जोड़ा जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सीमा पर बनी सड़कें (सीमा सड़क संगठन के पास) खराब स्थिति में नहीं हैं और सेना द्वारा इनका निर्बाध उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की सड़कों के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों में लगभग 29000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण, सुधार और अनुरक्षण कार्य में लगा हुआ है।

(घ) उत्तर, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों को अन्य सड़कों के साथ जोड़ा जा रहा है।

[अनुवाद]

भवन कार्य हेतु आंचलिक निविदाएं

2211. **श्री टेकलाल महतो:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए "आंचलिक निविदा प्रणाली" के नाम की कोई नई ठेका प्रणाली की शुरूआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली की शुरूआत करने से पूर्व इसके लिए आवश्यक रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल का अनुमोदन नहीं लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो नई प्रणाली से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या नई प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रत्येक ठेकेदार विशेषकर वर्ग-V के ठेकेदारों को समान अवसर प्रदान करने संबंधी नीति के विरुद्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उपर्युक्त अनियमितताओं की जांच कराई है अथवा जांच कराए जाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। एमटीएनएल, दिल्ली में पिछले वर्ष से निर्माण अनुरक्षण/छोटे-मोटे कार्यों के लिए अलग-अलग निविदाएं आमंत्रित करने के बजाए किसी भवन अथवा भवनों के समूह के लिए वार्षिक अवधि ठेके की प्रणाली आरंभ की गई है। वार्षिक अवधि ठेके को खुली निविदा प्रणाली के आधार पर

अंतिम रूप दिया जाता है। तथापि, एमटीएनएल, मुंबई में मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रापण प्रक्रियाएं कार्यपालक निदेशक दिल्ली की शक्तियों के अंतर्गत हैं।

(ग) जी, नहीं। नई प्रणाली खुली निविदा प्रक्रिया पर आधारित है और इसलिए इसमें प्रतिस्पर्द्धा शामिल है।

(घ) जी, नहीं। नई प्रणाली पक्षपातपूर्ण नहीं है और प्रत्येक ठेकेदार, विशेष रूप से श्रेणी-V के ठेकेदारों को समान अवसर प्रदान करने की नीति के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये ठेकेदार अपनी निविदा सीमा के अंदर खुली निविदाओं में भाग ले सकते हैं।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त भाग "घ" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खुले बाजार में राशन की बिक्री

2212. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियाचिन में तैनात सैनिकों के राशन की खुले बाजार में बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सेना को उस विशेष राशन की चोरी किए जाने की जानकारी मिली है जो सिपाहियों के लिए था। इस सूचना के आधार पर, स्थानीय पुलिस ने छापा मारा और विशेष राशन और सामान की कतिपय मदों को चुमथांग, टेंगसे, हुंडर/खलसार/सोमा और नुबरा (पानामिक) से बरामद किया।

पुलिस में ग्यारह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं और 31 सिविलियनों को हिरासत में लिया गया है।

मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए दो जांच-अदालतों के आदेश दिए गए थे। चुमथांग के लिए प्रथम जांच अदालत के आधार पर सेना कमांडर ने तीन अधिकारियों और दो जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने का निदेश दिया है। द्वितीय जांच अदालत की कार्रवाई उन्नत चरण में है।

[अनुवाद]

बांस के वन क्षेत्रों का कम होना

2213. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में बांस के वन क्षेत्र में 25 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य वन विभाग ने केन्द्र सरकार से बांस के पुनर्जनन के लिए 'बांस मिशन' के अंतर्गत 130 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को उक्त सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कर्नाटक में बांस वनों की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, प्रचुर बिजाई के बाद बांसों के सामूहिक पुष्पण, जोकि राज्य के कुछ भागों में 30-40 वर्ष में एक बार होता है, के कारण सभी बांस कलमें नष्ट हो जाती हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। कर्नाटक के वन विभाग ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 132.33 करोड़ रुपये का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें से 19.81 करोड़ रुपये 2007-08 के लिए प्रस्तावित किए गए थे। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अक्टूबर 2007 में आयोजित बैठक में वर्तमान प्रस्ताव पर विचार किया और 9.00 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन किया जिसमें से 2.12 करोड़ रुपये मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा

2214. श्री बालेश्वर यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं, बच्चों को कोई पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त पैकेज कब तक दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) चार राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के 31 आत्महत्या प्रवण जिलों के किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से 50.00 लाख रुपये प्रति जिला की दर पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

स्वास्थ्य एवं विशेषकर बच्चों से संबंधित व्यय के लिए जरूरतमंद ऋणी किसानों एवं उनके परिवारों को सहायता देने के लिए निधियों का प्रयोग किया जाएगा। पी.एम.एन.आर.एफ. से सहायता संबंधित राज्यों को पहले ही जारी की जा चुकी है।

लघु सिंचाई योजना

2215. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर गुजरात में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं/प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) दसवीं योजना के दौरान (जनवरी, 2006 में) शुरू की गई सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है।

इस स्कीम के तहत सभी प्रकार की ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसे आन लाईन ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इन-लाईन प्रणाली, अवसतही ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो जेट, फेन-जेट्स, सूक्ष्म स्पिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, मिस्टर्स और ऐसी ही अन्य कम बहाव वाली सिंचाई प्रणालियों के लिए सहायता उपलब्ध है।

ग्यारहवीं योजना (2007-08) के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप राज्यवार शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जहां तक गुजरात का संबंध है, चालू वर्ष 2007-08 के लिए 16510.69 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। दसवीं योजना से ग्यारहवीं योजना में लाए गए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राज्यवार शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा 2007-08 के लिये वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुमोदित

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की संख्या	अनुमोदित कार्ययोजना (2007-08) (राशि लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	22	14865.67
2.	गोवा	1	15.44
3.	गुजरात	25	16510.69
4.	हरियाणा	20	959.41
5.	कर्नाटक	27	8309.60
6.	मध्य प्रदेश	48	1296.65
7.	महाराष्ट्र	33	14781.64
8.	उड़ीसा	30	835.85
9.	पंजाब	20	509.47
10.	राजस्थान	32	3087.32
11.	तमिलनाडु	29	13372.09

बाकी राज्यों से 2007-08 के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण II

सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-दसवीं योजना से ग्यारहवीं योजना (2007-08) में लाये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की संख्या	दसवीं योजना से ग्यारहवीं योजना में लाई गई निधियां (केन्द्रीय अंश)
1.	आंध्र प्रदेश	22	15161.01
2.	बिहार	38	2482.10
3.	छत्तीसगढ़	16	2776.67
4.	दिल्ली	1	15.71
5.	गोवा	1	11.33
6.	गुजरात	25	905.79
7.	हरियाणा	20	212.10
8.	झारखंड	22	229.92
9.	कर्नाटक	27	2363.16
10.	केरल	14	3755.63
11.	मध्य प्रदेश	48	580.48
12.	महाराष्ट्र	33	1707.02
13.	उड़ीसा	30	316.99
14.	पंजाब	20	382.42
15.	राजस्थान	32	1193.91
16.	तमिलनाडु	29	5491.61
17.	उत्तर प्रदेश	26	1096.09
18.	पश्चिम बंगाल	18	195.67
	कुल	422	38877.61

वायुसेना में हल्के लड़ाकू विमानों की कमी

2216. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू विमानों की कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू विमानों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार हल्के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता के मद्देनजर विमान खरीदने की कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सरकार निरंतर रूप से सुरक्षा परिवेश की पुनरीक्षा करती है तथा तदनुसार उपयुक्त विमान को शामिल करने का निर्णय लेती है तथा पर्याप्त रक्षा तैयारियों के संबंध में अन्य व्यवस्थाएं करती है। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड से प्रारंभिक प्रचालनात्मक क्लियरेंस संरूपण वाले 20 हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मार्च 2006 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

वायदा कारोबार से अनाज को हटाना

2217. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों विशेषकर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने केंद्र सरकार से बंगाल चना और दलहनों सहित कतिपय खाद्यान्नों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें वायदा कारोबार से हटाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) सरकार को कुछ खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) हाल के समय में कृषिजन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में भावी सौदा व्यापार के प्रभाव, यदि कोई हो, तथा उसकी मात्रा के संबंध में हुई चर्चाओं के संदर्भ में सरकार ने कृषिजन्य वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर भावी सौदा व्यापार के प्रभाव, यदि कोई हो, की मात्रा का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में 02.03.2007 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। कृषिजन्य वस्तुओं में भावी सौदा

व्यापार के संबंध में अन्तिम निर्णय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

बफर स्टाक हेतु मानदंड

2218. **श्री मोहन रावले:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों के लिए बफर स्टाक संबंधी मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार खाद्य राज-सहायता में कटौती करने के लिए बफर स्टाक संबंधी मानदंडों में कोई कमी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो खाद्य राजसहायता को किस प्रकार कम किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) देश में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के लिए वर्तमान न्यूनतम बफर स्टाक के मानदण्ड निम्नानुसार हैं:

दिनांक	चावल	गेहूं	जोड़
पहली अप्रैल	122	40	162
पहली जुलाई	98	171	269
पहली अक्तूबर	52	110	162
पहली जनवरी	118	82	200

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खाद्य राजसहायता में कमी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पग उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं-

(i) भाड़े पर खर्च में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित 1 : 1.35 के खरीदारी और संचलन अनुपात मानदंड को अपनाना।

(ii) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में हो रही हानि को कम करने के लिए सतत प्रयास करना।

(iii) रेलवे डेमरेज प्रभारों को कम करने के लिए प्रयास करना।

(iv) प्रचालनों की अधिक मात्रा के बावजूद प्रवेश स्तर पर पदों में न्यूनतम भर्ती और स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्कीम लागू करके प्रशासनिक लागत को नियंत्रित करना।

(v) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद और वितरण को प्रोत्साहित करना।

(vi) खाद्यान्नों के संचलन को इष्टतम बनाना और डेमरेज प्रभारों में कमी करना।

(vii) खाद्यान्नों के पुराने स्टाक का निपटान करके रखरखाव लागत में कमी लाना।

[हिन्दी]

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

2219. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केला, नारियल, प्याज, टमाटर और आलू जैसे कुछ अन्य कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी अत्यधिक उत्पादन की स्थिति में किसानों को भारी नुकसान से बचाने के लिए टमाटर, आलू, नारियल और प्याज इत्यादि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सरकार 25 प्रमुख फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। अन्य कृषि उत्पादों जैसे केला, प्याज, टमाटर तथा आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव नहीं है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल नहीं किये गये कृषि तथा बागवानी जिन्सों के प्रापण हेतु राज्य/संघ शासित

प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित करती है। बाजार हस्तक्षेप योजना बम्पर फसल की स्थिति में जब मूल्य उत्पादन के आर्थिक स्तर/लागत से नीचे गिरने लगते हैं तब इन जिन्सों के उत्पादकों को संकट बिक्री से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की जाती है। प्रापण एजेन्सियों द्वारा यदि कोई हानि उठाई गई है तब उसे 50 : 50 आधार (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 75 : 25) पर केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वहन की जाने वाली हानि की सीमा प्रापण मूल्य के 25% तक रखी गई है। प्रापण एजेन्सियों द्वारा यदि कोई लाभ अर्जित किया गया है तब उसे उनके द्वारा रखा जाता है।

बिहार में खाद्यान्न उत्पादन

2220. श्री गिरिधारी यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में खाद्यान्नों के उत्पादन का फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में खाद्यान्न की कुल कितनी मांग है;

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन का चालू रुझान क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बिहार में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) निम्नलिखित सारणी 2003-04 से 2004-05 के दौरान तथा 2006-07 के दौरान बिहार में खाद्यान्नों का फसलवार उत्पादन प्रस्तुत करती है-

(लाख टन)

फसल	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
चावल	54.48	24.72	34.96	49.96
गेहूं	36.89	32.63	32.39	35.84
मोटे अनाज	15.13	15.02	14.06	14.59
दालें	5.63	4.67	4.47	4.61
खाद्यान्न	112.13	77.04	85.87	105.00

*19.07.2007 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान।

"भारत में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की पारिवारिक खपत 2004-05" पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 61वें दौर की रिपोर्ट में सूचित की गई प्रति व्यक्ति मासिक खपत की मात्रा तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय द्वारा दिए गए जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर 2007-08 के दौरान बिहार में चावल की कुल खपत जिसमें बीज, चारा तथा अवशिष्ट शामिल हैं, 17.61 मिलियन टन अनुमानित है।

(घ) चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणालियों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) देश, जिसमें बिहार शामिल है, में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 से कार्यान्वयन में है। दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अप्रैल, 2004 से तिलहनों, दालों, पाम आयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम) कार्यान्वयन में है। तथापि चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन और बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" भी 2007-08 से देश में, जिसमें बिहार शामिल है, प्रारम्भ की गई है। इसका उद्देश्य देश के लक्षित जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से 11वीं योजना की समाप्ति अर्थात 2011-12 तक चावल के उत्पादन को 10 मिलियन टन, गेहूं 8 मिलियन टन तथा दालें 2 मिलियन टन, तक बढ़ाना है।

[अनुवाद]

जल संवितरण

2221. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर जल का असमान वितरण और कुप्रबंधन होता है; और

(ख) यदि हां, तो चालू योजनावधि के दौरान राज्यवार जल की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है और आगामी योजनावधि के दौरान तत्संबंधी क्या अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) देश में औसत वार्षिक वर्षा 1170 मिलीमीटर (एम एम) होती है। तथापि, वर्षा में स्थान और समय के हिसाब से काफी भिन्नता है। वर्षा में यह भिन्नता पश्चिमी राजस्थान में लगभग 100 मिलीमीटर से चेरापूंजी (मेघालय) में 10,000 मिलीमीटर के बीच है। मानसून अवधि (जून से अक्टूबर) में यह वर्षा लगभग 75% होती है और वह भी एकाध तीव्र वर्षा के रूप में होती है। इसके परिणामस्वरूप, जल की उपलब्धता

में पर्याप्त अंतर होता है। विशेष क्षेत्रों में जल संसाधनों अधिकांशत: भूजल के अतिदोहन के दृष्टांत मिलते हैं जिनकी वजह से भूजलस्तर नीचे चला जाता है और यह कि अधिक सिंचाई से कुछ क्षेत्रों में जल निकास संकुलता एवं जल जमाव हो जाता है।

(ख) जल की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति योजना-वार तैयार नहीं की जाती है।

राज्य और स्थानीय शुल्क की प्रतिपूर्ति

2222. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र निर्यातकों ने केन्द्र सरकार से राज्य और स्थानीय शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी तक सरकार का निर्णय यह है कि केंद्र सरकार राज्य करों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती है।

[हिन्दी]

पंचायतों में डाकघर

2223. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक पंचायत में डाक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में डाकघर की शाखा, उप डाकघर अथवा डाकघर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब क्रियान्वित होगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसी कितनी ग्राम पंचायते हैं जहां पर डाक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर जनसंख्या, दूरी एवं आय संबंधी निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। ग्राम पंचायत वाले गांवों सहित अधिकांश गांव उपर्युक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं सभी मौजूदा ग्रामीण इलाकों विशेषकर पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी एवं दुर्गम इलाकों के लिए इन मानदंडों में छूट एवं सब्सिडी प्रदान की गई है। विभाग गांवों में डाक के वितरण, पत्र पेटिकाओं से पत्रों के संग्रहण एवं ग्राहकों के घर पर डाक-टिकट/डाक लेखन सामग्री की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे सभी गांव जिनमें डाकघर मौजूद नहीं हैं उनमें निकटवर्ती मौजूदा डाकघर/पंचायत संचार सेवा केंद्रों द्वारा काउंटर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(घ) और (ङ) 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार देश में डाकघर रहित ग्राम पंचायतों की संख्या 1,18,380 है इनमें हिमाचल प्रदेश की 607 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। सभी गांवों में निकटवर्ती मौजूदा डाकघर/पंचायत संचार सेवा केंद्रों के माध्यम से डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी गांवों/ग्राम पंचायतों में डाक के दैनिक वितरण, पत्र पेटिकाओं से पत्रों के संग्रहण एवं घर पर डाक-टिकटों की बिक्री की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

सैन्य डेयरी फार्म का बंद होना

2224. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर के सैन्य डेयरी फार्म के लिए कंझावारा और बिलाहरी गांव की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण की निबंधन और शर्तें क्या हैं और भूमि के मालिकों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं। जबलपुर के सैन्य डेरी फार्म के लिए कंझावारा और बिलाहारी गांवों में कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों की कमी

2225. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाएं, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एसीएमएस) में शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विद्यमान शार्ट सर्विस कमीशन चिकित्सा अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने और निकट भविष्य में और अधिक अधिकारियों की भर्ती का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में प्राधिकृत नफरी के संदर्भ में इस समय चिकित्सा अधिकारियों, दंत चिकित्सा अधिकारियों और सैन्य परिचर्या अधिकारियों की कमी इस प्रकार है:

सेवा	कमी
चिकित्सा अधिकारी	138
दंत चिकित्सा अधिकारी	58
सैन्य परिचर्या अधिकारी	230

(ग) और (घ) सरकार ने सशस्त्र चिकित्सा सेवा में अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारियों का कार्यकाल पहले ही 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में अधिकारियों की भर्ती सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

आयातित गेहूं का नुकसान

2226. श्री प्रहलाद जोशी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संवितरण के लिए आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं भारी मात्रा में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में भरा पड़ा है और उसका संवितरण नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समय पर संवितरण न किए जाने के कारण यह गेहूं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। आस्ट्रेलिया से आयातित 14.28 लाख टन गेहूं में से वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में केवल 40,913 टन गेहूं पड़ा हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र की धारा में परिवर्तन के कारण अपरदन

2227. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धोला-हाटीगुल्ली से रोमारिया क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र की धारा में परिवर्तन के कारण अपरदन के संयुक्त प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेषज्ञ दल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उक्त दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) उक्त स्थानों पर क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं और इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(घ) उक्त कार्यों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या असम से धारा में परिवर्तन के कुछ अन्य मामलों का भी पता चला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) धोला-हाटीगुल्ली ब्रह्मपुत्र बांध के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इस मामले को असम सरकार को सौंपने में विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ दल, जिसमें अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मुख्य अभियंता (एफएम) केन्द्रीय जल आयोग, मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला और अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, असम सरकार शामिल थे, ने 31.8.2006 को स्थल का दौरा किया। विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

संलग्न विवरण में दी गई हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ग्यारहवीं योजना में असम सरकार से कार्यों संबंधी कोई कार्यक्रम प्राप्त नहीं किया है।

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने धोला हातीघुली की सुरक्षा संबंधी उपाय 20.72 करोड़ रुपए की लागत से तीन चरणों में प्रारंभ किए हैं। तीनों चरणों में की गई प्रगति नीचे दिए गए अनुसार है:

चरण-I: (i) 2.26 किमी. लंबाई के टाई बांध का निर्माण।

(ii) 1500 मी. लंबाई के पारगम्य आरसीसी पोरक्यूपाइन स्क्रीनों का निर्माण।

(iii) हातीघुली में 4.65 किमी लंबाई के रिटायरमेंट का निर्माण।

चरण-II: (i) बालूनाला और अनंतनाला पर आरसीसी पोरक्यूपाइन स्क्रीनों का निर्माण।

(ii) प्रवाह को निर्देशित करने के लिए 100 मी. की दूरी में 30 मी. की चौड़ाई के प्रारंभ में 100 मी. की चौड़ाई से घंटामुख संक्रमण सहित 30 मी. चौड़ी तलहटी वाला प्रायोगिक चैनल।

चरण-III: (i) 5500 मी. की लंबाई के लिए लोहित नदी पर धोलाघाट से प्रायोगिक चैनल के बहिर्वाह तक आरसीसी पोरक्यूपाइन की 7 पंक्तियों का निर्माण।

(ii) 4000 मी. की लंबाई के लिए प्रायोगिक चैनल के बाएं किनारे के साथ आरसीसी पोरक्यूपाइन स्क्रीनों की 3 पंक्तियों का निर्माण।

(iii) 2000 मी. की लंबाई के लिए लोहित और धोलाघाट के बाएं किनारे के साथ आरसीसी पोरक्यूपाइन की 3 पंक्तियों का निर्माण।

(iv) 600 मी. की लंबाई के सिसिनी स्पिल चैनल के लोहित नदी निकास बिन्दु के बाएं किनारे के साथ आरसीसी पोरक्यूपाइन स्क्रीन।

(v) प्रतिप्रवाह पर 150 मी. की लंबाई के लिए आरसीसी पोरक्यूपाइन स्क्रीन की 3 पंक्तियों का निर्माण तथा बाहबारी में देबांग नदी के बाएं किनारे के साथ टाई बांध के अनुप्रवाह पर 1200 मी. की लंबाई के आरसीसी पोरक्यूपाइन स्क्रीन की 4 पंक्तियों का निर्माण।

(घ) निष्पादित किए गए कार्यों के कारण दिबांग नदी के मुख्य प्रवाह को मूल मार्ग की ओर व्यपवर्तित कर दिया गया। बालूनाला का प्रवाह कम हो गया और रोहमारिया सहित बालूनाला के दक्षिणी किनारे के साथ कटाव की समस्या कम हो गई। सिसिनी से निकलने वाला बाढ़ चैनल गाद से लगभग भर गया। लोहित नदी के मुख्य चैनल को उत्तर पश्चिम दिशा में और बढ़ाया गया है जिसके लिए किनारे पर कटाव को कुछ सीमा तक कम किया गया है। किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप अनेक चाय बागानों को लाभ हुआ है और असम के रोहमारिया क्षेत्र में कटाव समस्या काफी हद तक नियंत्रित हुई है।

(ङ) असम से व्यपवर्तन की कोई सूचना नहीं मिली है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वर्ष 2003 में हातीघुली में 4.6 किमी. लंबाई के रिटायरमेंट को पूरा करने के पश्चात ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने जल संसाधन विभाग, असम सरकार से इसका कार्यभार संभाल लेने का अनुरोध किया। राज्य जल संसाधन विभाग का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

विवरण

31.8.07 को स्थल का दौरा करने वाले विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

(1) रोहमारिया में लगभग 8.5 किमी. पहुंच प्रभावित हुई। यह सुझाव दिया गया है कि आरसीसी पोरक्यूपाइन डैम्पनर्स के निर्माण सहित इस स्कीम का कार्यान्वयन ऐसी पहुंचों में किया जाएगा जहां तटकटाव अधिक सुस्पष्ट है।

(2) पहुंचों की गंभीरता के आधार पर निर्भर करते हुए 100 मीटर से 150 मीटर के अंतर पर 25 मीटर लंबाई (20 मीटर नदी के भीतर और 5 मीटर किनारे पर) के आरसीसी पोरक्यूपाइन डैम्पनर्स का निर्माण।

(3) सिविल प्राधिकरणों द्वारा निर्मित स्टील पाइप पारगम्य स्पर कटाव की दर को कम करने में आंशिक रूप से प्रभावशाली पाए गए हैं। स्पर के प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों पर पाइप की दो लाइनें जोड़कर के किनारे को पाइन स्परों से जोड़ा जाना आवश्यक है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि अतिरिक्त पाइपों को पाइप स्परों के दोनों ओर दो पंक्तियों में किनारे/तलहटी में डाला जा सकता है। प्रत्येक पंक्ति में किनारे के

शीर्ष छोर से शुरू करते हुए चार पाइप हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, क्रेटों में पत्थर जोड़कर इस संयोजन को कटाव के प्रति सुदृढ़ किया जाना है।

(4) स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए और अधिक स्टील पाइप पारगम्य स्परों को उस सीमा तक निर्मित किया जा सकता है जिस सीमा तक आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुविधापूर्ण ढंग से स्टील पाइप उपलब्ध कराए जा सकें। प्रवाह के प्रति पारगम्य स्परों के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए स्टील पाइप पारगम्य स्परों को पाइप स्परों के बीच आरसीसी पोरक्यूपाइनों से सुदृढ़ किया जा सकता है। पाइपों को गोला पत्थरों की सुदृढ़ सतह की गहराई तक डाला जाना है। इस पहुंच में प्रवाह की उच्च तीव्रता और नदी के लगातार आक्रमण पर विचार करते हुए पाइपों को तलहटी से कम से कम 9-10 मीटर तक नीचे डालना आवश्यक महसूस किया गया ताकि पाइपों की पकड़ सुदृढ़ रहे। इसी प्रकार पाइपों के मुड़ने/क्षतिग्रस्त होने का प्रतिरोध करने के लिए स्परों को स्टील की रस्सियों से बांधकर प्रतिप्रवाह की दिशा में किनारे पर गाड़ा जा सकता है।

(5) समग्र कार्य की बेहतर निगरानी और दीर्घकालीन उपायों के एक हिस्से के रूप में प्रतिप्रवाह में धोला हातीघुली स्कीम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए समग्र पहुंच में तटरेखा परिवर्तन संबंधी अध्ययनों को किया जाना चाहिए। सुरक्षा संबंधी दीर्घकालीन उपायों का निर्णय प्रतिप्रवाह संगम से डिब्रूगढ़ के अनुप्रवाह तक तटरेखा परिवर्तनों की गहन तुलना के पश्चात किया जाना है।

(6) दिबांग और लोहित नदियों की अपना पुराना मार्ग पुनः प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए धोला हातीघुली में प्राप्त उपलब्धियों को भी स्थिर किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि उपलब्धियों के रखरखाव और स्थायी स्थिरीकरण संबंधी एक स्कीम भी तैयार की जानी चाहिए।

(7) इसी प्रकार, रोहमारिया पहुंच के लिए दीर्घकालीन सुरक्षा संबंधी स्कीम भी तैयार की जानी चाहिए।

डाकघर भवनों के निर्माण हेतु प्लाट

2228. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात परिमंडलों में डाकघरों के भवनों के निर्माण हेतु कुल कितने प्लाट आरक्षित हैं;

(ख) डाक विभाग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितने प्लाटों को अधिग्रहीत किया गया है और महाराष्ट्र एवं गुजरात परिमंडल में विकास हेतु वास्तव में कितने प्लाटों पर डाक विभाग का कब्जा है;

(ग) महाराष्ट्र और गुजरात परिमंडल में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान धनराशि का प्रावधान न किए जाने के कारण कितने प्लाटों को अभ्यर्पित किया गया अथवा किए जाने की संभावना है;

(घ) महाराष्ट्र और गुजरात परिमंडल में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भूमि के अधिग्रहण और भवन निर्माण हेतु स्थानवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) वर्ष 2000 से 2006 के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात परिमंडल में स्थानवार भू-स्वामियों को अभ्यर्पित भूमि पर कितने डाकघर किराए के परिसरों में चल रहे हैं और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ग्यारहवीं योजना के दौरान डाकघर भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर ईएफसी (वित्त व्यय समिति) का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है तथा यह जांच के अधीन है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) ग्यारहवीं योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है जो ईएफसी (वित्त व्यय समिति) के अनुमोदनार्थ विचाराधीन हो।

(घ) ग्यारहवीं योजना के दौरान भूमि अधिग्रहण और भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को अभी ईएफसी (वित्त व्यय समिति) का अनुमोदन नहीं मिला है और यह जांच के अधीन है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

घुसपैठ का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रानिक अलार्म प्रणाली

2229. डा. रामेश्वर उरांव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ का पता लगाने वाली इलैक्ट्रानिक अलार्म प्रणाली गत कई वर्षों से रक्षा प्रयोगशालाओं में अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा सेनाओं द्वारा उक्त इलैक्ट्रानिक अलार्म प्रणालियों की खरीद न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) घुसपैठ रोकने हेतु उक्त प्रणाली लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ का पता लगाने के लिए किसी इलैक्ट्रानिक अलार्म प्रणाली का विकास नहीं किया है, अत: यह रक्षा प्रयोगशालाओं में अप्रयुक्त नहीं पड़ी है। हाल ही में, घुसपैठरोधी प्रयास के एक अंग के रूप में नियंत्रण रेखा के बाड़े के साथ अनेक इलेक्ट्रानिक निगरानी उपकरणों को सहयोजित किया गया है ताकि कवरेज क्षेत्र में इजाफा हो तथा घुसपैठियों का पता लगाने की क्षमताओं में अभिवृद्धि हो। सैनिक टुकड़ियों की सैकेण्ड टियर तैनाती निरंतर निगरानी करने को तथा आतंकवादियों के घुसपैठ करने के प्रयास को तत्काल निष्प्रभावी करने को सुकर बनाती है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों का एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थानांतरण

2230. श्री बची सिंह रावत 'बचवा': क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अराजपत्रित/तकनीकी कर्मचारियों के एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए कोई स्थानांतरण नीति प्रवर्तित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) छावनी बोर्ड कर्मचारियों को एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थानांतरित किए जाने के लिए कोई नीति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्वदेशी शस्त्रों को अस्वीकार करना

2231. श्री अनंत कुमार: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे अवसरों का ब्यौरा क्या है जब सशस्त्र सेनाओं ने मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों द्वारा निर्मित स्वदेशी रक्षा उपस्करों को अस्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) सेना में 5.56 मि.मी. इन्सास राइफल, 5.56 मि.मी. लाइट मशीनगन, छोटे हथियार गोलाबारूद, टैंक गोलाबारूद तथा डिले इग्नाइटर के कुछ बैचों में कतिपय कमियों की सूचना है। सशस्त्र सेनाओं ने हथियार तथा गोलाबारूदों की दोषपूर्ण प्रमात्रा को जांच/मरम्मत/संशोधन हेतु अलग किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	मदें	कारण
1	2	3
1.	5.56 मि.मी. इन्सास राइफल	तेल बिखराव की समस्या देखी गई। आवधिक अनुरक्षण अनुदेश संशोधित किए गए हैं तथा डिजाइन में संशोधन किया गया है।
2.	5.56 मि.मी. इन्सास लाइट मशीनगन	गुणता में सुधार लाने के लिए कवायद के रूप में त्वरित प्रयोक्ता सह-विश्वसनीयता परीक्षण किया गया था। परिणाम के रूप में डिजाइन में कतिपय संशोधनों पर विचार किया गया है। इन्हें शामिल किए जाने के लिए वैध किया जा रहा है।
3.	125 मि.मी. उच्च विस्फोट गोलाबारूद	त्रि-आधार प्रणोदक के इस्तेमाल के कारण फायरिंग के दौरान जलते हुए अंश पाए गए। अलग किए गए गोलाबारूद की मरम्मत शुरू कर दी गई है तथा अगले वर्ष में इसके पूरा होने की संभावना है।
4.	125 मि.मी. उच्च विस्फोट टैंक रोधी गोलाबारूद	

1	2	3
5.	125. मि.मी. फिन स्टेबिलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्काडिंग सबोट	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमादित संकर डिजाइन के अनुसार विनिर्मित प्रमात्रा प्रतिस्थापित की जा रही है तथा समस्या अथवा फायरिंग के दौरान पाए गए जलते अंशों के समाधान हेतु मूल डिजाइन में परिवर्तन किया जा रहा है। मरम्मत कार्य 2007-08 में पूरा हो जाने की संभावना है।
6.	इग्नाइटर 4 सेक. डिले	इस इग्नाइटर, जिसे हस्त तथा राइफल गोलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, में डिपुओं में भण्डारण के दौरान समस्याएं पाई गई थीं। डिजाइन में संशोधन किया गया है तथा सेना को परीक्षण मूल्यांकन हेतु एक नई किस्म पेश की गई है।
7.	छोटे हथियार कारट्रिज 7.62 मि.मी.	भण्डारण के समय कुछ गोलाबारूद में जंग लग गया था। अलग किए गए गोलाबारूद की मरम्मत कर दी गई है।
8.	छोटे हथियार कारट्रिज 5.56 मि.मी.	सामग्री डिजाइन कमी के कारण अलग की गई इस गोलाबारूद की थोड़ी-सी प्रमात्रा की मरम्मत कर दी गई है।
9.	कोट कम्बैक आईसीके	फिटमैंट समस्या के कारण दोषपूर्ण पाई गई थोड़ी प्रमात्रा को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जैविक उर्वरक

2232. श्री सुभाष महरिया:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों की राज्यवार मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पशु विष्ठा, कृषि अपशिष्ट तथा हरित अपशिष्ट आदि से प्राकृतिक उर्वरकों को प्राप्त करने की संभाव्यता के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राज्य वार उत्पादन किए गए ग्रामीण कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट और हरी खाद के तहत कवर किए गए क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पशुओं के विष्ठा, कृषि अपशिष्ट एवं ग्रीन वेस्ट आदि से प्राकृतिक/जैविक उर्वरक बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना के तहत प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें सम्पुष्ट कम्पोस्ट, फास्को कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पशुओं के विष्ठा, कृषि अपशिष्ट और फसल अपशिष्टों (ग्रीन-वेस्ट) जोकि लो ग्रेड राक फास्फेट, पाइराइट, वेस्ट माइका और फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया आदि से परिपूर्ण है, से गुणवत्ता प्राप्त सम्पुष्ट कम्पोस्ट तैयार करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसके अलावा, विभिन्न जैविक संसाधनों का प्रयोग करके वर्मी-कम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी का भी मानकीकरण किया गया है। विभिन्न फसलों और मृदा प्रकारों पर इन उत्पादों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

विवरण

राज्य वार उत्पादन किए गए ग्रामीण कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा और ग्रीन मैन्यूरिंग के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र

क्र.स.	राज्य	ग्रामीण कम्पोस्ट (लाख टन)	वर्मी कम्पोस्ट (टन)	ग्रीन मैन्युरिंग (लाख है.)
1.	हरियाणा	54.18	उपलब्ध नहीं	0.72
2.	तमिलनाडु	43.48	उपलब्ध नहीं	0.96
3.	उत्तर प्रदेश	0.04	उपलब्ध नहीं	0.01
4.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1.58
5.	हिमाचल प्रदेश	6.45	9526.00	0.03
6.	पंजाब*	322.00	उपलब्ध नहीं	1.43
7.	छत्तीसगढ़	6.36	उपलब्ध नहीं	0.31
8.	राजस्थान	63.17	उपलब्ध नहीं	0.78
9.	महाराष्ट्र*	17.83	800.00	0.41
10.	कर्नाटक*	587.17	3228.00	24.97
11.	केरल	0.32	2.85	0.01
12.	गोवा	2.45	उपलब्ध नहीं	0.3
13.	उड़ीसा*	127.05	उपलब्ध नहीं	2.23
14.	बिहार*	6.12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15.	मध्य प्रदेश*	32.00	उपलब्ध नहीं	1.50
16.	गुजरात*	0.12	45.23	0.02
17.	पांडेचेरी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18.	असम	0.066	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19.	दिल्ली*	0.15	उपलब्ध नहीं	0.05
20.	उत्तरांचल	0.12	उपलब्ध नहीं	0.022
21.	आन्ध्र प्रदेश	1.98	उपलब्ध नहीं	0.308
22.	मिजोरम	16.5	उपलब्ध नहीं	0.015
	योग	1287.576	13602.08	35.655

*सम्भावित

स्रोत–सूचना एनसीओएफ गाजियाबाद द्वारा प्रदान की गई।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेना अधिकरण विधेयक

2233. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेना अधिकरण विधेयक-2005 में संशोधनों का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इस अधिकरण के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ङ) सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में दर्ज किए गए कितने मामले लंबित हैं;

(च) क्या ये मामले भी इस अधिकरण को अंतरित किए जायें; और

(छ) मामलों के निपटान की प्रक्रिया में किस सीमा तक तेजी आएगी?

रक्षा मंत्री (श्री. ए.के. एंटनी): (क) से (छ) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेना अधिकरण विधेयक, 2005 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित कर दिए हैं। संशोधन लाए जाने का नोटिस भी राज्य सभा सचिवालय को भेज दिया गया है।

सशस्त्र सेना अधिकरण विधेयक, 2005 की मुख्य विशेषताओं में सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों की बाबत कमीशन, नियुक्तियों, भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों तथा उक्त अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए सेना-न्यायालयों के आदेशों, निष्कर्षों अथवा दंडादेशों के कारण अपील करने और उससे सम्बद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन अथवा विचारण का उपबंध शामिल है।

इस विधेयक में अन्यों के साथ-साथ अधिकरण और उसकी पीठों की स्थापना करने; अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों, अधिकरण का अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्राधिकार; और प्रक्रिया तथा अपील आदि से संबंधित उपबंधों, आदि की व्यवस्था अंतर्विष्ट है।

इस अधिकरण में अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की संख्या शामिल होगी।

सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा दायर लगभग 169 और 9755 मामलों की कुल संख्या क्रमश: उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है। विधेयक में उच्च न्यायालय सहित किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले अधिकरण को हस्तांतरित करने का उपबंध विद्यमान है।

यह आशा है कि अधिकरण की स्थापना से रक्षा सेना कार्मिकों को शीघ्र और कम खर्चीला न्याय मिलेगा।

किसानों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कीटनाशक

2234. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा आसपास के किसान ऐसे कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें एंडोसल्फान जैसे कार्सीनोजेनिक प्रदूषक काफी मात्रा में हैं, जिससे राजधानी की हवा प्रदूषित हो रही है, जिससे मानव स्वास्थ्य और खाद्य शृंखला प्रभावित हो सकती है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के प्रथम वैश्विक अध्ययन में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) एन्डोसल्फान प्रधान कीटनाशी, जो राजधानी की हवा को विषाक्त और मानव स्वास्थ्य एवं खाद्य शृंखला को प्रभावित कर रहे हैं, के उपयोग के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के प्रसूति अवकाश में वृद्धि

2235. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन करके महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिनियम को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को उक्त अधिनियम की सीमा में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 निजी क्षेत्र को भी कवर करता है। किसी राज्य में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संदर्भ में उस समय लागू कानून के अर्थ के दायरे में इस अधिनियम की धारा-2 प्रत्येक उस दुकान एवं प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें पूर्ववर्ती 12 महीनों में किसी दिन 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या नियोजित थे बशर्ते कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ, ऐसा करने के इरादे का कम से कम 2 महीने का नोटिस देकर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा करे कि इस अधिनियम के सभी उपबंध या कोई एक दूसरे प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि संबंधी या अन्य पर भी लागू होंगे।

रोम में कृषि स्कंध

2236. श्री मनोरंजन भक्त: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोम में भारतीय दूतावास में मंत्री (कृषि) के पदनाम वाले संयुक्त सचिव रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक कृषि स्कंध की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस मंत्री (कृषि) के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की सहायता से राज्यों में कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) मंत्री (कृषि) के अधीन स्टाफ की संख्या दो है अर्थात् एक व्यक्तिगत सहायक और एक संदेश वाहक।

(ग) मंत्री (कृषि) तीन यू.एन. संगठनों नामत: खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) जिनके मुख्यालय रोम में हैं, के लिए भारत के वैकल्पिक स्थायी प्रतिनिधि हैं। इटली के भारतीय राजदूत सहवर्ती रूप में इन तीन यू.एन. निकायों के भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। मानक पद्धति के अनुसार ये अधिकारी इन तीन यू. एन. एजेन्सियों में भारत के हितों की देखभाल करते हैं, उनके अधिशासी निकायों और विभिन्न समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं। वे भारत के हित संबंधी नीतिगत मुद्दों और परियोजना प्रस्तावों का अनुसरण भी करते हैं।

(घ) और (ङ) एफएओ के पास भिन्न-भिन्न स्तर के कई परियोजना क्रियाकलाप हैं तथा कई राज्यों की संलग्नता है। इनमें से कुछ हैं–आन्ध्र प्रदेश में कृषक प्रबन्धित भूजल प्रणाली परियोजना, जल प्रबंधन परियोजना और स्वच्छ मत्स्यन बंदरगाह परियोजना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में कृषि, मानव और पारिस्थितिकीय फाउन्डेशन (परियोजना), कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड (केएनएनएल) और कर्नाटक में सिंचाई प्रबंधन परियोजना। तमिलनाडु में सुनामी के बाद मत्स्य जीविका का दीर्घावधिक पुनर्वास और समुद्र सुरक्षा, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को कवर करते हुए बंगाल की खाड़ी की वृहद समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली परियोजना।

इनके अलावा बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एफएओ के पास छोटी टेलीफूड परियोजनाएं अध्ययन और पाइलट्स भी हैं।

विगत हाल ही में एफएओ ने महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और कर्नाटक में पुष्प कृषि पर हिमाचल प्रदेश में सेब पर और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में केले पर कई बागवानी संबंधी सहयोग परियोजनाएं (टीसीपी) कार्यान्वित की हैं।

एक बड़ा कार्यक्रम पौध संगरोध सुधार के संबंध में था। दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में एक खाद्य असुरक्षा एवं संवेदनशील सूचना एवं मानचित्र प्रणाली (एफआईवीआईएमएस) परियोजना भी थी। कृषि मंत्रालय के समर्थन में एक सफल तकनीकी सहयोग परियोजना (टीसीपी) और राष्ट्रीय जैव उत्पादन

कार्यक्रम 2006 में समाप्त हुआ जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई राज्यों को कवर किया गया।

रक्षा कार्मिकों की भर्ती

2237. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान पूरे देश में भर्ती किए गए रक्षा कार्मिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश के जनजाति बहुल राज्यों के लोगों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानवार कितने भर्ती केन्द्र हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश की सभी रक्षा स्थापनाओं में विभिन्न जनजातीय उत्पादों की स्थानीय खरीद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ)

1. सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारियों की भर्ती योग्यता पर आधारित है तथा यह भर्ती जाति, पंथ, जनजाति अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से खुली है। इसलिए अधिकारियों की भर्ती के संबंध में रिक्तियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं है।

2. सेना में अफसर रैंक से नीचे के रैंक में कार्मिकों की भर्ती वित्तीय वर्ष के आधार पर 2 वर्षों के ब्लाक में की जाती है। भर्ती वर्ष 2006-07 के दौरान सेना में भर्ती किए गए उम्मीदवारों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि भर्ती संबंधी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। नौसेना और वायुसेना में अफसर रैंक से नीचे के रैंक में कार्मिकों की भर्ती कैलेंडर वर्ष के आधार पर की जाती है। वर्ष 2006 और 2007 के लिए नौसेना तथा वायुसेना में अफसर रैंक से नीचे के रैंक में की गई कार्मिकों की भर्ती का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

3. सशस्त्र सेनाओं में भर्ती भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुली है बशर्ते वह निर्धारित शारीरिक, मेडिकल और शैक्षिक मानदंड पूरा करता हो। देश के जनजातीय राज्यों से भर्ती को बढ़ाने के लिए सेना द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

   (i) सेना पूर्वोत्तर राज्यों में भर्ती रैलियों का आयोजन करती है। भर्ती रैलियों का व्यापक प्रचार किया जाता है। सिविल प्रशासन की मदद से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भर्ती रैलियां आयोजित किए जाने पर बल दिया जाता है। कतिपय इलाकों के युवाओं जिनका अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ है, को शैक्षिक और शारीरिक मानदंडों में रियायत दी जाती है।

   (ii) नौसेना परीक्षा केंद्रों के माध्यम से भर्ती करती है। बिना भरी गई रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती के प्रति कम रुझान वाले इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष भर्ती अभियान भी चलाए जाते हैं।

   (iii) वायुसेना जनजातीय, दूर-दराज और उन इलाकों में जहां भर्ती के प्रति लोगों में रुझान कम है, से आने वाले युवाओं को अवसर प्रदान करने के प्रयोजन से एयरमैन का चयन करने के लिए भर्ती रैलियां आयोजित करती है।

4. सेना, नौसेना और वायुसेना के संबंध में देश मे भर्ती केंद्रों की सूचियां विवरण II से IV के रूप में संलग्न हैं।

5. कतिपय मदें जैसे ताजी सब्जियां, ताजे फल, आलू, प्याज, लहसुन, सूखी घास और दूध जिनकी आपूर्ति सेना को की जाती है, की अधिप्राप्ति जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में अवस्थित सहकारी समितियों से की गई संविदाओं के जरिए की जा रही है। नौसेना में प्राधिकृत खाद्य पदार्थों, जिनमें जनजातीय उत्पाद शामिल हो सकते हैं, की स्थानीय खरीद विरचनाओं द्वारा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी पी एम), 2006 के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर की जाती है।

विवरण I

सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम तक	सेना 2006-07	नौसेना 2006	नौसेना नवंबर 2007 तक	वायुसेना 2006	वायुसेना 20 नवंबर, 2007 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	464	37	66	82	57
2.	आंध्र प्रदेश	1196	271	78	483	310
3.	अरुणाचल प्रदेश	20	0	02	0	0
4.	बिहार	1628	323	385	1978	1205
5.	छत्तीसगढ़	266	07	16	07	05
6.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	476	15	08	86	60
7.	गुजरात	755	02	02	121	50
8.	गोवा	11	02	05	08	0
9.	हिमाचल प्रदेश	623	105	49	170	53
10.	हरियाणा	718	305	215	787	611
11.	झारखंड	474	27	33	289	184
12.	जम्मू-कश्मीर	850	112	49	206	50
13.	कर्नाटक	760	18	21	97	48
14.	केरल	698	41	107	153	248
15.	मध्य प्रदेश	1042	36	43	50	118
16.	महाराष्ट्र	2138	54	27	99	37
17.	मणिपुर	115	24	51	75	69
18.	मेघालय	34	0	03	05	01
19.	मिजोरम	108	07	08	12	01
20.	नागालैंड	189	10	15	10	0
21.	उड़ीसा	753	128	79	219	154
22.	पंजाब	1533	66	33	415	93
23.	राजस्थान	1522	205	148	876	636

1	2	3	4	5	6	7
24.	सिक्किम	10	11	11	0	02
25.	तमिलनाडु	980	34	17	42	11
26.	त्रिपुरा	30	02	0	05	32
27.	उत्तर प्रदेश	3391	573	423	1739	1264
28.	उत्तराखंड	1196	72	79	370	73
29.	पश्चिम बंगाल	969	109	22	139	107
30.	पांडिचेरी	01	0	01	24	04
31.	अंडमान एवं निकोबार	28	06	10	34	03
32.	दमन और दीव	0	-	-	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	-	-	0	0
34.	दादर और नगर हवेली	0	-	-	0	0
35.	चंडीगढ़	0	05	0	32	15
	योग	22978	2607	2006	8613	5501

वर्ष 2006 में नेपाल से अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती : सेना-797 और वायुसेना-01

विवरण II

सेना के भर्ती संगठन (भर्ती कार्यालय और सेना भर्ती कार्यालय) की सूची

क्र.सं.	स्थान (भर्ती कार्यालय/सेना भर्ती कार्यालय)
1	2
	हरियाणा तथा चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र
1.	अम्बाला (भर्ती कार्यालय)
2.	रोहतक (सेना भर्ती कार्यालय)
3.	हिसार (सेना भर्ती कार्यालय)
4.	चरखी दादरी (सेना भर्ती कार्यालय)
	हिमाचल प्रदेश
5.	पालमपुर (सेना भर्ती कार्याय)
6.	हिमीरपुर (सेना भर्ती कार्यालय)
7.	शिमला (सेना भर्ती कार्यालय)
8.	मंडी (सेना भर्ती कार्यालय)
	कर्नाटक, केरल, गोवा और माहे तथा लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्र
9.	बंगलौर (भर्ती कार्यालय)
10.	मंगलोर (सेना भर्ती कार्यालय)
11.	बेलगाम (सेना भर्ती कार्यालय)
12.	त्रिवेंद्रम (सेना भर्ती कार्यालय)
13.	कालीकट (सेना भर्ती कार्यालय)
	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र
14.	चैन्नई (भर्ती कार्यालय)
15.	त्रिचरापल्ली (सेना भर्ती कार्यालय)
16.	कोयंबतूर (सेना भर्ती कार्यालय)

1	2
17.	सिकंदराबाद (सेना भर्ती कार्यालय)
18.	गुंटूर (सेना भर्ती कार्यालय)
19.	विशाखापटणम (सेना भर्ती कार्यालय)
	बिहार और झारखंड
20.	दानापुर (भर्ती कार्यालय)
21.	मुजफ्फरनगर (सेना भर्ती कार्यालय)
22.	गया (सेना भर्ती कार्यालय)
23.	कटिहार (सेना भर्ती कार्यालय)
24.	रांची (सेना भर्ती कार्यालय)
	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
25.	जबलपुर (भर्ती कार्यालय)
26.	ग्वालियर (सेना भर्ती कार्यालय)
27.	महू (सेना भर्ती कार्यालय)
28.	भोपाल (सेना भर्ती कार्यालय)
29.	रायपुर (सेना भर्ती कार्यालय)
	राजस्थान
30.	जयपुर (भर्ती कार्यालय)
31.	अलवर (सेना भर्ती कार्यालय)
32.	झुनझुनू (सेना भर्ती कार्यालय)
33.	जोधपुर (सेना भर्ती कार्यालय)
34.	कोटा (सेना भर्ती कार्यालय)
	पंजाब और जम्मू-कश्मीर
35.	जालंधर (भर्ती कार्यालय)
36.	अमृतसर (सेना भर्ती कार्यालय)
37.	फिरोजपुर (सेना भर्ती कार्यालय)
38.	पटियाला (सेना भर्ती कार्यालय)
39.	लुधियाना (सेना भर्ती कार्यालय)
40.	जम्मू (सेना भर्ती कार्यालय)

1	2
41.	श्रीनगर (सेना भर्ती कार्यालय)
	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा
42.	कोलकाता (भर्ती कार्यालय)
43.	सिलीगुड़ी (सेना भर्ती कार्यालय)
44.	कंचनपारा (सेना भर्ती कार्यालय)
45.	बरहामपुर (सेना भर्ती कार्यालय)
46.	कटक (सेना भर्ती कार्यालय)
47.	संबलपुर (सेना भर्ती कार्यालय)
48.	गोपालपुर छावनी (सेना भर्ती कार्यालय)
	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
49.	लखनऊ (भर्ती कार्यालय)
50.	मेरठ (सेना भर्ती कार्यालय)
51.	बरेली (सेना भर्ती कार्यालय)
52.	आगरा (सेना भर्ती कार्यालय)
53.	वाराणसी (सेना भर्ती कार्यालय)
54.	अमेठी (सेना भर्ती कार्यालय)
55.	लैंसडाउन (सेना भर्ती कार्यालय)
56.	अल्मोड़ा (सेना भर्ती कार्यालय)
57.	पिथौरागढ़ (सेना भर्ती कार्यालय)
	महाराष्ट्र, गुजरात और दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र
58.	पुणे (भर्ती कार्यालय)
59.	मुंबई (सेना भर्ती कार्यालय)
60.	नागपुर (सेना भर्ती कार्यालय)
61.	कोल्हापुर (सेना भर्ती कार्यालय)
62.	औरंगाबाद (सेना भर्ती कार्यालय)
63.	अहमदाबाद (सेना भर्ती कार्यालय)

1	2
64.	जामनगर (सेना भर्ती कार्यालय)
	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा
65.	शिलांग (भर्ती कार्यालय)
66.	जोरहाट (सेना भर्ती कार्यालय)
67.	नारंगी (सेना भर्ती कार्यालय)
68.	रंगापहाड़ (सेना भर्ती कार्यालय)
69.	सिलचर (सेना भर्ती कार्यालय)
70.	आइजोल (सेना भर्ती कार्यालय)
	नेपाल और भूटान
71.	कुनराघाट (भर्ती कार्यालय)
72.	घूम (सेना भर्ती कार्यालय)
	दिल्ली और हरियाणा के गुड़गांव, मेवात तथा फरीदाबाद जिले
73.	दिल्ली कैंट (आई आर ओ)

विवरण III

भारतीय नौसेना में नाविकों के भर्ती केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	भर्ती केन्द्र
1	2
1.	आइजोल
2.	अंबाला
3.	अरक्कोणम
4.	अल्मोड़ा
5.	चेन्नई
6.	चिल्का (उड़ीसा)
7.	कोयंबटूर
8.	कोलकाता
9.	देहरादून
10.	दिल्ली
11.	श्रीनगर
12.	रांची
13.	गोवा
14.	गुवाहाटी
15.	जबलपुर/ग्वालियर
16.	गंगटोक
17.	जालंधर
18.	जम्मू
19.	जामनगर
20.	जोधपुर
21.	कानपुर
22.	कोच्चि
23.	कोहिमा
24.	कारवाड़
25.	लोनावाला
26.	लेह
27.	विशाखापट्टनम
28.	शिमला
29.	मुंबई
30.	शिलांग
31.	त्रिनालवेली
32.	पोर्टब्लयेर

विवरण IV

वायुसैनिक चयन केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	स्थान
1	2
1.	अम्बाला
2.	नई दिल्ली

1	2
3.	कानपुर
4.	बैरकपुर
5.	जोधपुर
6.	मुम्बई
7.	बेंगलूर
8.	ताम्बरम
9.	भुवनेश्वर
10.	बीहटा
11.	गुवाहाटी
12.	बेगमपेट
13.	कोचीन
14.	भोपाल

सेमीकण्डक्टर विनिर्माण इकाइयां

2238. श्री के.एस. राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेमीकण्डक्टर निर्माण क्षेत्र में अत्यधिक निवेश करने में इन विनिर्माण इकाइयों द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है;

(ख) निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को उपलब्ध कराए गए/दिए जा रहे वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन क्या हैं;

(ग) सेमीकण्डक्टर तथा अन्य उपस्कर, मशीनरी तथा उनके पुर्जों के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान सृजित की जाने वाली उत्पादन क्षमता सहित आकलित आवश्यकता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार संचार नेटवर्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का तेजी से विस्तार सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन से संपूर्ण परियोजित मांग को पूरा करने हेतु सेमीकण्डक्टरों के निर्माण तथा नैनो प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सेमीकण्डक्टर उद्योग तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं जो उनकी व्यवहार्यता को चुनौती देती हैं। इनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा इन्हें निरंतर रूप से परिवर्तित होने वाली प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। देश में सेमीकण्डक्टर उद्योग में कोई उल्लेखनीय पूंजी निवेश नहीं किया गया है, जिसके मुख्य कारण हैं: पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए अन्य देशों की तुलना में तैयार मूलसंरचना का अभाव, विगत में राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे का अभाव तथा पहले भारत का देशीय बाजार इतना बड़ा नहीं था कि वैश्विक संगठन इसमें आकर्षित हो सकें।

फ्रास्ट एण्ड सुलिवन द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में सेमीकण्डक्टरों के लिए उपलब्ध कुल बाजार वर्ष 2010 तक 5.8 बिलियन अमरीकी डालर तथा वर्ष 2015 तक 15.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की संभावना है। अगले तीन वर्षों में सेमीकंडक्टरों के लिए किस सीमा तक उत्पादन/विनिर्माण की क्षमता स्थापित की जाएगी, यह सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एसआईपीएस) में निवेशकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।

भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना तथा अन्य माइक्रो एवं नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2007 की गजट अधिसूचना संख्या 78, भाग I, खण्ड I के जरिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एसआईपीएस) घोषित की गई है। अधिसूचना की पैरा 7.1 के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, मूल्यांकन समिति के प्रभावी कार्यसंचालन के लिए दिशा-निर्देश भी 14.9.2007 को जारी किए गए हैं। विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना की अधिसूचना तथा मूल्यांकन समिति के लिए दिशा-निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट (http.//www.mit.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

अनाज निर्यात घोटाला

2239. श्री रघुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2004 में अनाज निर्यात घोटाले की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा व्यापार

2240. **श्री के. सुब्बारायण:**
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खुदरा क्षेत्र में किस सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा खोले गए मॉलों और आउटलेटों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खुदरा बाजार में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) संगठित क्षेत्र के प्रवेश से खुदरा बाजार में देश में किस सीमा तक रोजगार उत्पन्न हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति के प्रयोजन हेतु सिंगल ब्रांडेड खुदरा क्षेत्र को परिभाषित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संगठित खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किन वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) एकल ब्राण्ड उत्पाद की बिक्री को छोड़कर खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। एकल ब्राण्ड उत्पाद की बिक्री में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति है:

(i) उत्पाद को बेचा जाना चाहिए और वह केवल एक ब्राण्ड वाला होना चाहिए।

(ii) उत्पादों को विश्वभर में एक ही ब्राण्ड नाम से बेचा जाना चाहिए।

(iii) एकल ब्राण्ड उत्पाद बिक्री में केवल वही उत्पाद आएंगे जिन पर विनिर्माण करने के दौरान ब्राण्ड लगा दिया गया हो।

अगस्त, 2007 तक एकल ब्राण्ड बिक्री हेतु 18 प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

(ख) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में पूरे व्यापार क्षेत्र की विकास दर 7.5 प्रतिशत आंकी गई है। सकल घरेलू उत्पाद में खुदरा क्षेत्र के शेयर की वृद्धि दर के अलग से सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के ताजे पंचवर्षीय राउण्ड के अनुसार व्यापार, होटल और रेस्तरा क्षेत्र (खुदरा क्षेत्र सहित) में चालू दैनिक स्थिति के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के अवसरों को 1999-2000 (55वां राउण्ड) में 37.58 मिलियन और 2004-05 (61वां राउण्ड) में 47.99 मिलियन आंका गया है। कुल रोजगार में व्यापार, होटल और रेस्तरा क्षेत्र के शेयर को 1999-2000 में 5.87 प्रतिशत और 2004-05 में 7.39 प्रतिशत आंका गया था। खुदरा क्षेत्र में रोजगार पर अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

(च) संगठित खुदरा व्यापारी बेची गई वस्तुओं के संबंध में विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में संबंधित प्राधिकरणों में अपनी दुकानों को पंजीकृत करते हैं। घरेलू संगठित खुदरा व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या/किस्म पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है।

ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क

2241. **श्री पी.सी. गद्दीगउडर:**
श्री के. विरुपाक्षप्पा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई परियोजनाओं के प्रथम चरण में कोई समस्या पैदा हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन, सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राड बैण्ड, इंटरनेट समर्थित 100,000 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना को अनुमोदित किया है। ये केन्द्र किसी राज्य में प्रति 6 आवासीय गांवों के लिए 1 सामान्य सेवा केन्द्र के अनुपात में स्थापित किए जाएंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। जबकि प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं को वास्तविक प्रकृति के बारे में वास्तविक निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिये जाएंगे, प्रदान की जाने वाली निजी सेवाओं की प्रकृति का निर्धारण सीएससी स्थापित करने के लिए चुने गए संगठन द्वारा किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि कम्प्यूटर शिक्षण, कृषि परामर्श सेवा, बीमा, शैक्षिक मनोरंजन आदि जैसी गैर सरकारी सेवाएं इन केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के पूरे ब्यौरे सीएससी के दिशा-निर्देशों में दिए गए हैं, जो www.mit.gov.in पर देखे जा सकते हैं। योजना का कुल परिव्यय 5742 करोड़ रुपए है, जिसमें सीएससी की स्थापना की लागत तथा उसके पश्चात पांच वर्षों तक इनके प्रचालन की लागत शामिल है। व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के रूप में 1649 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता का अनुमान है और शेष धनराशि निजी क्षेत्र के पूंजीनिवेश से प्राप्त होगी। इस प्रकार, ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें कम्प्यूटर शिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करना आदि शामिल होंगे। इस योजना का इस समय कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस योजना के कार्यान्वयन में कोई उल्लेखनीय समस्या नहीं पैदा हुई है। लेकिन, इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि चूंकि सीएससी योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, अत: योजना के कार्यान्वयन की गति राज्यों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रयासों और प्रदर्शित रुचि पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

वैद्यनाथन समिति

2242. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने वैद्यनाथन समिति की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर पैकेज के कुछेक प्रावधानों पर आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण सहकारी क्रेडिट संस्थाओं के पुनरुद्धार पैकेज में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए वैद्यनाथन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर भारत सरकार ने राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं। कुछ राज्यों सरकारों ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं और समिति की कुछ सिफारिशों के संबंध में संशोधन/बदलाव के सुझाव दिए हैं। ये सुझाव मुख्यतया तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के परिमार्जन के उद्देश्य से अन्तिम तिथि को बदलने, पात्रता मानदंड, उनकी पसंद की उच्चतर संरचना के साथ संबद्धता की छूट, वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की छूट और भारत सरकार, राज्य सरकारों और एल.टी.सी.सी.एस. की इकाइयों के मध्य हानि को वहन करने के अनुपात से संबंधित हैं।

भारत सरकार ने इस मुद्दे पर 10 अक्तूबर 2007 को विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की थी। एल.टी.सी.सी.एस. की पुनरुद्धार परियोजना को अन्तिम रूप देते समय राज्य सरकारों की टिप्पणियों/सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

रिक्त पदों को भरना

2243. श्री सुनील खां: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय में वर्ग 'ग' के काफी पद अभी भी रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) वर्ग 'ग' में रिक्त पदों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

दूरसंचार विभाग

वर्ग 'ग' में इस समय 564 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की भर्ती का मामला सिविल पदों में सीधी भर्ती को अनुकूलतम बनाने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के अनुसार अपेक्षित स्क्रीनिंग समिति की अनुमति नहीं मिलने के कारण लम्बित है। चूंकि बीएसएनएल/एमटीएनएल में आईटीएस वर्ग 'क' अधिकारियों के आमेलन की प्रक्रिया को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अत: वर्ग 'क' तथा 'ग' सहित विभिन्न वर्गों के लिए स्वीकृत संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त स्थानों को भरने के लिए स्क्रीनिंग समिति का अनुमोदन नहीं हो सका है। पदोन्नति के आधार पर भर जाने वाले रिक्त पदों को भरा जा रहा है। जहां तक प्रबंधक ग्रेड-II, दूरसंचार विभाग कैंटीन के पद को भरने का संबंध है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभागीय कैंटीनों का पुनर्वर्गीकरण करने तथा कैंटीन के कर्मचारियों के लिए मानदण्ड पुन: निर्धारित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संचार भवन स्थित दूर संचार विभाग की विभागीय कैंटीन का पुनर्गठन करने की कार्रवाई चल रही है। जहां तक कम्प्यूटर (जीसीएस) के पद का संबंध है, चुने गए उम्मीदवार ने कार्य ग्रहण नहीं किया। इस पद को भरने की कार्रवाई आरम्भ की गई है।

डाक विभाग

इस समय वर्ग 'ग' के 26054 रिक्त पद हैं। सीधी भर्ती के अंतर्गत पदों को भरे जाने की प्रक्रिया काफी समय साध्य है क्योंकि किसी भी ग्रेड में सीधी भर्ती करने से पहले पूर्व अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है जैसे कि स्क्रीनिंग समिति का अनुमोदन, सरप्लस सेल की अनापत्ति, रिक्त स्थानों की सूचना कर्मचारी चयन आयोग को देना, विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा परीक्षाओं का आयोजन, नियुक्ति के लिए संस्तुत उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की पड़ताल आदि। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन करके तथा विभागीय परीक्षा के माध्यम से उन्हें भरा जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

इस समय वर्ग 'ग' में 127 रिक्त पद हैं। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर भर्तियों के अनुकूलीकरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक सीधी भर्ती योजना (एडीआरपी) तथा उसके लिए स्क्रीनिंग समिति के अनुमोदन के अंतर्गत आते हैं। विभाग में यह प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विभाग वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को एडीआरपी के क्षेत्राधिकार से छूट देने का प्रस्ताव कर रहा है जो गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के मामले में छूट देने के लिए आवश्यक होगा। जहां तक पदोन्नति कोटा के अंतर्गत अन्य पदों को भरे जाने का संबंध है, ऐसे पदों को, भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

[हिन्दी]

शुष्क कृषि भूमि

2244. श्री महावीर भगोरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शुष्क भूमि कृषि हेतु वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन हेतु वर्तमान प्रावधान क्या है और उक्त योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) शुष्क भूमि सहित अवक्रमित एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पनधारा कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं:

कृषि मंत्रालय

(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एलडब्ल्यूडीपीआरए)

(ii) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों (आरवीपी एवं एफपीआर) के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

(iii) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(iv) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

(v) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

(vi) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

(ख) गत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान की गई राज्य-वार निर्मुक्ति/व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा मूल्यांकन अध्ययनों के जरिए इन स्कीमों का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन अध्ययनों के प्रमुख परिणाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान विभिन्न पनधारा स्कीमों के तहत की गई निर्मुक्ति/व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एनडब्ल्यूडीपी आरए	आरवीपी एवं एफपीआर	डब्ल्यूडीपीएससीए	डीडीपी	डीपीएपी	आईडब्ल्यूडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2041.4	1679.34	-	6336.0	13521.0	10568.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1214.5	144.78	574.8			4449.2
3.	असम	1009.4	68.54	1200.0			9768.9
4.	बिहार	1338.0	27.40	-		994.0	2376.0
5.	छत्तीसगढ़	4478.4	905.60			4296.0	6046.4
6.	गोवा	810.3	-				24.1
7.	गुजरात	4171.3	5397.17		13631.0	9044.0	6204.0
8.	हरियाणा	582.1	632.26		4534.0		1654.8
9.	हिमाचल प्रदेश	926.1	2587.11		1556.0	1454.0	5762.3
10.	जम्मू-कश्मीर	327.8	6021.22		1963.0	743.0	2205.1
11.	झारखंड	3380.9	3374.00			3100.0	741.9
12.	कर्नाटक	6992.7	3299.19		7229.0	8415.0	8169.3
13.	केरल	2809.9	690.84				1197.6
14.	मध्य प्रदेश	4854.3	2808.15			15989.0	10916.6
15.	महाराष्ट्र	5946.1	5478.26			13688.0	5679.9
16.	मणिपुर	1917.0	163.92	1200.0			2734.3
17.	मेघालय	1487.2	11.49	1147.6			2200.8

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	2701.9	567.35	1600.0			2953.9
19.	नागालैंड	2093.5	444.00	2100.0			6695.7
20.	उड़ीसा	4410.4	410.30			4714.0	5826.8
21.	पंजाब	1329.2	165.17				847.6
22.	राजस्थान	12426.0	6584.84		39948.0	5868.0	8799.2
23.	सिक्किम	699.1	235.47				764.8
24.	तमिलनाडु	7817.9	2360.98			7540.0	7763.3
25.	त्रिपुरा	1030.1	79.85	876.7			1233.1
26.	उत्तराखंड	4125.3	1164.09			3362.0	4038.8
27.	उत्तर प्रदेश	4942.4	4940.70			7568.0	9761.8
28.	पश्चिम बंगाल	1359.5	293.82			901.0	1248.7
29.	अंडमान एवं निकोबार	92.9					
	कुल	87315.6	50535.84	8699.1	75197.0	101197.0	130543.6

विवरण-II

प्रमुख पनधारा विकास कार्यक्रमों के प्रभाव

(क) कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम

I. एनडब्लयूडीपीआरए: एनडब्ल्यूडीपीआरए हेतु आयोजित किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

- प्रमुख फसलों यथा-धान और गेहूं के संबंध में 15 से 220% की रेन्ज में और दलहनों के संबंध में 35% से ज्यादा फसल पैदावार में वृद्धि।
- फसल सघनता में 8 से 60% तक की रेन्ज में वृद्धि।
- तलछट हानि से 3 से 80% तक परिवर्ती कमी।
- 0.6 से 10 एमटी की रेन्ज में भूजल रिचार्ज में वृद्धि।
- उपचारित पनधाराओं में विविधीकृत खेती प्रणाली यथा-कृषि वानिकी, शुष्क भूमि, बागवानी, पशुधन विकास और पारिवारिक उत्पादन क्रियाकलापों के जरिए पारिवारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि।
- स्कीम के तहत उगाए गए कृषि वानिकी और बागवानी रोपणों ने 25% से 75% तक की रेन्ज में उत्तरतीविता प्रतिशतता दर्शाई गई है। 2.33% से 58% तक के परिवर्ती आधार पर बायो-मास उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में जल संचयन ढांचे का सृजन किया गया।

II. आरवीपी एवं एफपीआर: आरवीपी एवं एफपीआर हेतु आयोजित किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

- कृषि फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। वृद्धि का परिवर्तनीयता बहुत अधिक है जो 10% से 76% तक की रेन्ज में है।
- 80 से 115% की परिवर्तनीयता पर फसलन सघनता में वृद्धि पाई गई है।
- पनधारा स्तर पर तलछटी पैदावार में 17% से 94% तक की रेन्ज में कमी आई है।

- पनधाराओं के अन्त पर बाढ़ प्रवाह में 36% तक की कमी आई है।
- मृदा संरक्षण उपाय से भूजल रिचार्ज में वृद्धि हुई है। भूजल तालिका में वृद्धि 0.5 से 2 मीटर की रेन्ज में है।
- मृदा संरक्षण उपायों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में मदद की है।

III. डब्ल्यूडीपीएससीए: डब्ल्यूडीपीएससीए हेतु आयोजित किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं:

- स्थायी/स्थापित खेती को अपनाने के कारण झूम खेती वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी (30%) पाई गई है।
- लगभग 27% झूमिया परिवारों ने पद्धति छोड़ दी है।
- प्रति परिवार झूम क्षेत्र में 0.84 है. से 0.56 है. तक की कमी हुई है।
- कृषि फसलों, बागवानी फसलों, पशुधन अंतर्देशीय मात्स्यिकी आदि की उत्पादकता में सतत् वृद्धि पाई गई। धान की खेती के मामले में उत्पादकता के स्तर में 13% वृद्धि रिपोर्ट की गई।
- पूर्व-परियोजना की तुलना में 25% झूमिया परिवारों की समग्र आय में वृद्धि सूचित की गई।
- 40% तक की फसल सघनता में वृद्धि पाई गई।
- पनधारा के विकास के लिए सभी नियोजित कार्यों/क्रियाकलापों को पूरा करने में पनधारा समुदाय की सक्रिय सहभागिता और योगदान सृजित परिसम्पति की देखभाल में प्रभावकारी और अत्यन्त लाभकारी था।
- नई संस्थागत व्यवस्था यथा-पनधारा संघ/पंचायतों ने परियोजना अवधि के दौरान और परियोजना अवधि के बाद भी सहभागिता दृष्टिकोण के संवर्धन में मदद की है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम

प्रभावकारी मूल्यांकन अध्ययनों के प्रमुख परिणामों से निम्नलिखित स्पष्ट होता है:

- भूमि प्रयोग में समग्र सुधार हुआ है।
- निवल बुआई क्षेत्र, सकल फसलन क्षेत्र और एक बार से अधिक बोए जाने वाले क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।
- जहां पनधारा परियोजनाएं अपनाई गई हैं उन सभी क्षेत्रों में कई सिंचाई विकल्पों को बढ़ावा मिला है।
- विशेषकर उन क्षेत्रों, जहां स्रवण क्षेत्र उपचार पर जोर दिया गया है, में ईंधन वाली लकड़ी और चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
- पशुधन की वास्तविक संख्या में वृद्धि हुई है और उन्नत नस्ल के लिए ज्यादा वरीयता दी गई। कई राज्यों में मात्स्यिकी क्षमता में वृद्धि हुई है।
- वार्षिक रूप से एक से दो फसलों की फसलन पद्धति में परिवर्तन हुआ है। इसका श्रेय शुष्क मौसम में जल की उपलब्धता को जाता है। अध्ययनों में कुछ क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों का अपनाया जाना पाया गया।
- कृषि संबंधी रोजगार के अवसरों, लाभानुभोगियों और गैर-लाभानुभोगियों के लिए अन्य क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इनमें व्यापार, डेयरी, मुर्गीपालन, भवन, चिनाई आदि शामिल हैं। पारिवारिक आय स्तरों में 50% से ज्यादा परिवर्तन पाए गए हैं।
- संस्थागत व्यवस्था में मजबूती आई है।
- शुरूआत में लोगों की सहभागिता में धीमी गति जबकि काखान्तर में तीव्र गति आई।
- सभी परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण का कार्य हुआ।

आईटी पार्कों/केन्द्रों की स्थापना

2245. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों/केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को गुजरात सरकार से सूरत, राजकोट, जामनगर तथा भावनगर में भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) केन्द्र स्थापित करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। सूरत में एक एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

[अनुवाद]

पी.डी.एस. संचालनों में सीबीआई की जांच

2246. श्री तापिर गाव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान पहाड़ी ढुलाई राजसहायता स्कीम के अधीन अरुणाचल प्रदेश सरकार को भारतीय खाद्य निगम के विशेष लेखापरीक्षा दल द्वारा सूचित 193.52 करोड़ रुपये के किए गए अधिक भुगतान के संबंध में मामला केन्द्रीय सतर्कता मामले को भेजा गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा गया था कि वह राज्य को पहाड़ी ढुलाई राजसहायता की प्रतिपूर्ति में अनियमितताओं से संबंधित मामले की जांच करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस शर्त के अध्यधीन जांच करने की इच्छा जताई कि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की क्रमश: धारा 5 और 6 के अधीन अपेक्षित अधि सूचनाएं जारी की जाएं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी नहीं की है।

जनजातीय क्षेत्रों में पीडीएस

2247. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत देश के दूरवर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्रदान करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में पीडीएस का लाभ प्रदान करने के लिए कोई ठोस नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों के वितरण के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में तैयार हुई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे के 6.52 करोड़ परिवारों की खाद्यान्नों की आधी आवश्यकता उपलब्ध कराना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निर्धनतम परिवारों पर ध्यान केंद्रित करके कवरेज करने के लिए दिसम्बर, 2000 से अंत्योदय अन्न योजना क्रियान्वित की जा रही है। फिलहाल इसके अधीन 2.42 करोड़ परिवार कवर किए गए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनका वितरण आदिवासी और गैर-आदिवासी ब्लाकों में 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर 3.00 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के हिसाब से किया जा रहा है।

विवरण

31.11.07 की स्थिति के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (सामान्य व अतिरिक्त) के तहत परिवारों की पहचान की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.2000 को ग.रे.नी. परिवारों की संख्या	अं.अ.यो. परिवारों की अनुमानित संख्या	पहचान किए गए अं.अ.यो. परिवार व जारी किए गए राशन कार्ड
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.63	15.578	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.380	0.380
3.	असम	18.36	7.040	7.040
4.	बिहार	65.23	25.01	24.285
5.	छत्तीसगढ़	18.75	7.189	7.189
6.	दिल्ली	4.09	1.568	1.502
7.	गोवा	0.48	0.184	0.145
8.	गुजरात	21.20	8.128	8.098
9.	हरियाणा	7.89	3.025	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	1.971	1.971
11.	जम्मू-कश्मीर	7.36	2.822	2.557
12.	झारखंड	23.94	9.179	9.179
13.	कर्नाटक	31.29	11.997	11.997
14.	केरल	15.54	5.958	5.958
15.	मध्य प्रदेश	41.25	15.816	15.816
16.	महाराष्ट्र	65.34	25.053	24.100
17.	मणिपुर	1.66	0.636	0.504
18.	मेघालय	1.83	0.702	0.702
19.	मिजोरम	0.68	0.261	0.261
20.	नागालैंड	1.24	0.475	0.475
21.	उड़ीसा	32.98	12.645	12.645
22.	पंजाब	4.68	1.794	1.794

1	2	3	4	5
23.	राजस्थान	24.31	9.321	9.321
24.	सिक्किम	0.43	0.165	0.165
25.	तमिलनाडु	48.63	18.646	18.646
26.	त्रिपुरा	2.95	1.131	1.131
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	40.945	40.945
28.	उत्तराखंड	4.98	1.909	1.512
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	19.857	14.799
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.28	0.107	0.043
31.	चण्डीगढ़	0.23	0.088	0.021
32.	दादर व नगर हवेली	0.18	0.069	0.052
33.	दमन व दीव	0.04	0.015	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.012	0.012
35.	पांडिचेरी	0.84	0.322	0.322
	जोड़	652.03	249.998	242.084

[हिन्दी]

बीएसएनएल की खाली भूमि की बिक्री

2248. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी के दबाव के कारण विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) की खाली भूमि की बिक्री नहीं की जा रही है जबकि खाली भूमि विनिवेश के अंतर्गत शामिल नहीं है और सरकार खाली भूमि की बिक्री के बारे में वित्त संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश को नजरअंदाज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वीएसएनएल की खाली भूमि को किस आधार पर उसके खरीददार टाटा टेलीकाम/टाटा ग्रुप को दिया गया जबकि यह विनिवेश के अंतर्गत शामिल नहीं है;

(घ) वीएसएनएल की खाली भूमि का कितना भाग उसके खरीददार टाटा ग्रुप के पास है;

(ङ) क्या सरकार ने वीएसएनएल की खाली भूमि को बेचने की कोई योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो भूमि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) विदेश संचार निगम लिमिटेड की रिक्त (अतिरिक्त) भूमि को बेचने के लिए कंपनी द्वारा सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। इसके साथ ही विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा भी वीएसएनएल की रिक्त (अतिरिक्त) भूमि को बेचने संबंधी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) वीएसएनएल (एक निजी कंपनी) रिक्त (अतिरिक्त) भूमि की अभिरक्षक है और टाटा ग्रुप वीएसएनएल में प्रमुख अंशधारक है।

(घ) विनिवेश से पहले 773.13 एकड़ रिक्त (अतिरिक्त) भूमि की शिनाख्त की गई है। मैसर्स वीएसएनएल इस भूमि का अभिरक्षक है।

(ङ) से (छ) सरकार सभी संभव विकल्पों पर विचार कर रही है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

दक्षिण एशिया क्षेत्र में गरीबी में कमी

2249. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की हाल की रिपोर्ट में गत दशक के दौरान दक्षिण एशिया क्षेत्र में गरीबी में सामान्य कमी तथा उत्पादकता में वृद्धि का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत के संदर्भ में उक्त सूचकांक में परिवर्तन क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त के संबंध में सरकारी आकलन क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां। आई एल ओ की रिपोर्टों से खुलासा होता है कि पिछले दशक के दौरान दक्षिण एशिया क्षेत्र में गरीबी में कमी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) आई एल ओ की रिपोर्ट (श्रम बाजार के प्रमुख संकेतक) के अनुसार, दक्षिण एशिया के लिए कुल रोजगार में श्रमजीवी गरीबों की हिस्सेदारी (एक दिन में 1 अमरीकी डालर) वर्ष 1996 में 56.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2006 में घटकर 33.5 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में श्रम उत्पादकता में वार्षिक प्रतिशत बदलाव 1996 में 2.3 प्रतिशत था जो वर्ष 2006 में और बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया। भारत के मामले में, 1980 से 2005 के दौरान श्रम उत्पादकता (प्रति नियोजित व्यक्ति मूल्य संवर्द्धित के रूप में परिभाषित) की वार्षिक वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत थी। भारत में गरीबी अनुपात 1993-94 में 36 प्रतिशत था जो 2004-05 में घटकर (समान रीकाल अवधि आधार) 27.5 प्रतिशत हो गया।

[हिन्दी]

डाकघरों में एजेंट

2250. श्री अनंत गुढ़े: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघरों में आवर्ती जमा एजेंटों द्वारा ग्राहकों को घेरने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भ्रष्ट एजेंटों और इनसे सांठगांठ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्राहकों द्वारा इन एजेंटों को जमा कराई गई आवर्ती जमा (आर डी) राशि की प्रतिपूर्ति करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अभी तक राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) के एजेंटों द्वारा डाकघर बचत बैंक के आवर्ती जमा खातों के जमाकर्ताओं को धोखा देने के मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) देश के विभिन्न डाकघरों में, जैसा ऊपर (क) में वर्णित है, कुल 85 मामले प्रकाश में आए हैं। तीन प्रकार की धोखाधड़ी के मामले देखे गए हैं नामत: (i) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) के एजेंटों द्वारा जमाकर्ताओं से धनराशि एकत्र की गई लेकिन उसे डाकघर में जमा नहीं कराया गया, (ii) जाली रिकार्ड द्वारा उक्त धनराशि को जमा किया दर्शाया गया जैसे डाक कर्मचारियों की मिलीभगत से पासबुकों में प्रविष्टियां की गईं और डाकघर मोहरें अंकित की गईं, और (iii) खाता खोलते समय आहरण प्रपत्रों पर जमाकर्ताओं से धोखे से हस्ताक्षर करवा कर उनका गलत प्रयोग किया या परिपक्वता/पूर्व परिपक्वता समापन राशियां प्राप्त करने के लिए जमाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर किए।

(ग) एजेंसी स्वीकृति प्राधिकारी जैसे राज्य सरकारों के लघु बचत प्राधिकारियों को दोषी महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) के एजेंटों कर एजेंसियों को निरस्त करने को कहा जाता है। इन मामलों के बारे में पुलिस को भी सूचित किया जाता है। दोषी डाक कर्मचारियों की मिलीभगत के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

(घ) और (ङ) डाकघर जमाओं में विश्वास व्यक्त करते हुए जमाकर्ताओं द्वारा जिन मामलों में जमाराशियों की प्रामाणिक प्रविष्टियां प्रस्तुत की जाती हैं उनमें दोषी जमाकर्ताओं के तर्कसम्मत दावों का निर्धारण कर दिया जाता है। ऐसे किसी सबूत के न होने की स्थिति में डाक विभाग जमाकर्ताओं द्वारा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीपकेबीवाई) के एजेंटों को दी गई धनराशि को लौटाने के लिए बाध्य नहीं है।

(च) सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन राज्यों एवं मामलों की संख्या जिनमें आवर्ती जमा एजेंटों द्वारा डाकघर ग्राहकों को फंसाया गया

क्र.सं.	राज्यों के नाम	मामलों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़	4
2.	दिल्ली	5
3.	गुजरात	6
4.	कर्नाटक	2
5.	केरल	41
6.	महाराष्ट्र	9
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	त्रिपुरा	1
9.	उड़ीसा	2
10.	पंजाब	2
11.	राजस्थान	4
12.	तमिलनाडु	4
13.	उत्तर प्रदेश	3
	कुल	85

अन्य राज्यों से कोई मामले सूचित नहीं किए गए।

[अनुवाद]

कृषि स्नातकों को रोजगार

2251. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तारीख के अनुसार 43 प्रतिशत कृषि स्नातक और 23 प्रतिशत कृषि निष्णात बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे युवाओं को रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एप्लाइड मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययन के अनुसार रोजगार संबंधी स्थिति निम्नलिखित है:

	स्नातक (प्रतिशत)	स्नातकोत्तर (प्रतिशत)
रोजगार प्राप्त	38.3	57.3
उच्च अध्ययन जारी रखने वाले	11.3	10.1
बेरोजगार	42.7	22.5
स्व-रोजगार प्राप्त	4.7	4.6

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने अनुभवजन्य शिक्षण, हैंड्स-आन-प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संशोधन आदि जैसे कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं ताकि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र उद्यमशीलता से जुड़ी कुशलता हासिल कर सकें और इनके स्व-रोजगार सहित रोजगार प्राप्त करने संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि हो।

गेहूं का आयात

2252. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री अनन्त नायक:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अनवर हुसैन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गेहूं का कितना उत्पादन हुआ और आगामी सीजन के दौरान देश में गेहूं का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बफर स्टाक में वृद्धि करने हेतु गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में गेहूं की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद गेहूं का आयात करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त आयात हेतु निविदा आमंत्रित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर निर्यात करने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) देश में गेहूं सहित खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन फसल वर्षों के दौरान देश में गेहूं का उत्पादन निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

फसल वर्ष	उत्पादन
2003-04	721
2004-05	686
2005-06	694
2006-07	749 (चौथा अग्रिम अनुमान)
2007-08	बुआई चल रही है*

*कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा जनवरी, 2008 में उत्पादन का अनुमान रिलीज किया जाएगा।

(ख) से (घ) चूंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण योजनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के सहायतार्थ कार्यों के लिए गेहूं की अनुमानित 150 लाख टन की आवश्यकता की तुलना में रबी विपणन मौसम 2007-08 में केवल 111.27 लाख टन की खरीदारी हुई थी। सरकार ने केन्द्रीय पूल के लिए 23 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है जिसमें से 13.06 लाख टन के आयात के आर्डर दिए जा चुके हैं।

(ङ) और (च) 13.06 लाख टन गेहूं में से 5.11 लाख टन गेहूं कनाडा, रूस अथवा विक्रेता की पसंद के अनुसार किसी अन्य देश से आयात करने के लिए 325.59 यूएस डालर प्रति टन सी. एण्ड एफ. (एफ.ओ.) के भारित औसत मूल्य पर अनुबंध किया गया है। इसके अलावा 7.95 लाख टन का अनुबंध 389.45 यूएस डालर प्रति टन सी. एण्ड एफ. (एफ.ओ.) के भारित औसत मूल्य पर किया गया है।

(छ) देश में गेहूं सहित खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए पग संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 से चावल, गेहूं और मोटे अनाजों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम प्रचालन में है। इन स्कीमों के अधीन उन्नत/संकर उत्पादन प्रौद्योगकी, जन्तुबाधा प्रबंधन, कृषि औजारों, स्पिंक्लर सिंचाई प्रणाली, किस्मों के बदलने और प्रमाणित बीजों के उत्पादन का प्रचार करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 90 : 10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम 'तिलहनों, दालों, खजूर तेल और मक्के की एकीकृत योजना' 1.4.2004 से प्रचालन में है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 75 : 25 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और कृषि विकास में सुधार करने के लिए दो स्कीमें भी शुरू की हैं। ये स्कीमें (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और (ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-08 से देश में शुरू की गई हैं। इसका लक्ष्य 11वीं योजना के अंत (2011-12) तक चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन की वृद्धि करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ यह योजना गेहूं सहित खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थिति में सुधार करेगी।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2253. श्री असावूद्दीन ओवेसी:
श्री राकेश सिंह:
श्री सुनील खां:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केलकर समिति की सिफारिशों पर चर्चा पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय निजी क्षेत्र के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के पश्चात्

अब तक रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी किस सीमा तक बढ़ी है;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निर्माण की गई क्षमता का उपयोग करने में विफल रही;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा रक्षा उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिकतम क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) रक्षा खरीद में वर्तमान में घरेलू उत्पादन का कितना अंश है तथा गत तीन वर्षों के लिए घरेलू उपस्कर की तुलना में आयातित उपस्करों पर कितना व्यय हुआ है; और

(च) आयात पर निर्भरता कम करने के लिए निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केलकर समिति की रिपोर्ट के भाग I में निहित कुल 40 सिफारिशों में से 26 सिफारिशें क्रियान्वयन के लिए स्वीकार कर ली गई थीं जिनमें से 18 सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं। 8 सिफारिशें कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई थीं जिनमें से अब तक 6 सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। शेष 6 सिफारिशों जिन पर और विचार किया जाना था, में से 2 सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं और 1 सिफारिश विधिवत विचार-विमर्श के पश्चात छोड़ दी गई है। जबकि रिपोर्ट के भाग 2 के मामले में 19 सिफारिशों में से 4 सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं, 13 सिफारिशों के मामले में आगे कार्रवाई अपेक्षित/परिकल्पित नहीं है तथा एक सिफारिश विचार-विमर्श करने के पश्चात छोड़ दी गई है।

मई, 2001 से जब 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था, उसके बाद से विभिन्न प्रकार की रक्षा मदों का विनिर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को 73 मांग पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। उपर्युक्त में से कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया गया है।

(ग) और (घ) रक्षा मदों का बाजार प्रयोक्ता द्वारा संचालित होता है और यह सेनाओं द्वारा उनकी वार्षिक और दीर्घकालीन अर्जन योजना में दर्शाई गई आवश्यकता पर आधारित होता है जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण क्षमता उपयोग सदैव व्यवहार्य नहीं हो सकता।

(ङ) रक्षा अधिप्राप्ति में वर्ष 2006-07 के दौरान स्वदेशी तौर पर उत्पादित मदों का हिस्सा लगभग 77% था। विगत तीन वर्षों के व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	स्वदेशी उपस्कर	आयातित उपस्कर	कुल व्यय
2004-05	12365	12937	25302
2005-06	18019	7362	25280
2006-07	25647	7710	33356

(च) सरकार ने रक्षा उत्पादन में भारतीय उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पहल की हैं जिनमें विदेशों से अधिप्राप्त 'खरीदो' श्रेणी की भारतीय उद्योग की मदों के जरिए प्रतितुलन (आफसेट), अनुरक्षण संबंधों प्रावधान भी शामिल हैं। आपस में बांटी गई विकास लागत और न्यूनतम आर्डर मात्रा जैसे मुद्दों पर भी 'बनाओ' प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया है जिसे रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के एक हिस्से के रूप में अधिसूचित किया गया है।

स्पेक्ट्रम की नीलामी

2254. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री जे.एम. आरुन रशीद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रुकी टेलीकाम और एस. टेल सहित कुछ विदेशी फर्मों ने स्वैच्छिक रूप से स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु दूरसंचार विभाग को 6,000/- करोड़ रुपए देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दूरसंचार प्रचालकों को स्पेक्ट्रम की नीलामी न होने देने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) लाइसेंसिंग और स्पैक्ट्रम के आबंटन जैसे पहलुओं से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को

पत्र भेजे गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं, उपभोक्ताओं पर आधारित स्पैक्ट्रम आबंटन मानदंडों में बढ़ोतरी, स्पैक्ट्रम प्रभार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दोहरी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) मैसर्स एस. टेल लिमिटेड ने अपने पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा है कि "एस. टेल का यह मत है कि उद्योग जब अपनी शैशवावस्था में था, तब जो नीति बनाई गई थी, उससे अब सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह उद्योग अब अत्यंत उन्नत हो गया है। अपने ज्ञान और दूरसंचार व्यवसाय की समझ तथा स्पैक्ट्रम की बहुमूल्यता के अनुरूप एस. टेल स्वेच्छा से स्पैक्ट्रम आबंटन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में, मौजूदा नीति के अनुसार देय स्पैक्ट्रम प्रभारों की राजस्व हिस्सेदारी के अलावा दूरसंचार विभाग को 6000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने हेतु अपना प्रस्ताव रखता है। इससे प्राथमिकता निर्धारित करने का एक माडल कार्यान्वित होगा, जो कि पूर्णतः अधिकांश जनता के हित में होगा।"

(ङ) ट्राई की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अभी 2जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी न करने और मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार नए एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

ठेका श्रम संबंधी समिति

2255. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए उद्योगपतियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ङ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निदेश जारी करके नियमित रिक्तियों वाली जगह ठेका श्रम की भर्ती पर रोक लगा दी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) श्रम और रोजगार मंत्रालय को उच्चतम न्यायालय से जहां कहीं भी उपलब्ध नियमित रिक्तियों वाली जगह ठेका श्रम की भर्ती पर रोक संबंधी कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघरों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन

2256. श्री गणेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाकघरों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभार्थी को स्वयं आहरण फार्म भरना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश के सभी डाकघरों में निःशुल्क फार्म उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या देश के किसी भी डाकघर में आहरण फार्म उपलब्ध नहीं है और लाभार्थी को फार्म बाजार से खरीदने पड़ते हैं; और

(च) यदि हां, तो डाकघरों में पेंशन फार्म उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। यह स्वीकार किया जाता है कि डाकघरों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान बिहार, दिल्ली और झारखंड में डाकघर बचत बैंक के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में मनी आर्डर के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) लाभार्थी को डाकघर बचत बैंक खाते से आहरण करने के लिए आहरण फार्म भरना अपेक्षित है।

(घ) देश में सभी डाकघरों में डाकघर बचत बैंक से आहरण के लिए आहरण फार्म नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी की समस्या

2257. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी. रंगराजन, पद्मा अय्यर कौल और सीमा के एक दल ने संयुक्त रूप से एक दस्तावेज/पत्र तैयार करके सरकार को प्रस्तुत किया है जिसमें यह बताया गया है कि अगले दो-तीन वर्षों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस दस्तावेज/पत्र के तथ्यों और ब्यौरों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) एक समूह, जिसमें सी रंगराजन, पद्मा अय्यर कौल तथा सीमा शामिल हैं, ने संयुक्त रूप से "रीविजिटिंग एम्पलायमेंट एंड ग्रोथ" नामक एक पत्र तैयार किया है तथा इसे आईसीआरए बुलेटिन-मुद्रा एवं वित्त के सितम्बर, 2007 अंक में प्रकाशित किया है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

[अनुवाद]

गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करना

2258. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की शृंखला में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को विदर्भ क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ देने हेतु डिजाइन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन सा क्षेत्र आएगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विदर्भ सिंचाई विकास कार्पोरेशन जो परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, ने सूचित किया है कि परियोजना का कुल सिंचित कमान क्षेत्र (आई सी ए) 190000 हेक्टेयर है जिसमें से 8385 हेक्टेयर का आई सी ए जनजातीय क्षेत्र में है।

(घ) अभी तक, जल संसाधन मंत्रालय के पास राष्ट्रीय परियोजनाओं को फंड देने की कोई स्कीम प्रचालन में नहीं है।

डेयरी उद्योग पर निजी क्षेत्र का प्रभाव

2259. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डेयरी उद्योग में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उपभोक्ता के लिए दूध की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दूध उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के प्रावधानों के अनुसार, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों द्वारा नए डेयरी संयंत्रों की स्थापना अथवा मौजूदा डेरी संयंत्रों की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग राज्य दुग्ध परिसंघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि के परामर्श से देश भर में दूध की उपलब्धता की समीक्षा/निगरानी करता है।

व्यापार मेले और प्रदर्शनियां

2260. श्री अबु अबीश मंडल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत और अन्य देशों के बीच वस्त्र व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को ऐसी प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय कारीगरों को बढ़ावा देने हेतु उन्हें अर्जित आय का कितना प्रतिशत भाग प्रदान किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार वैश्विक बाजारों में व्यापक प्रदर्शन प्रदान करने के लिए निर्यात परिषदों के माध्यम से क्रेता/विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) और बाजार प्रवेश पहल (एम ए आई) योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तथापि, ऐसी प्रदर्शनियों/मेलों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के अर्जन को आंकना संभव नहीं है। परिषद द्वारा किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे परिषदों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों में रखा गया है।

(घ) प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदार, उनके खर्चों के भाग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विपणन विकास सहायता निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता कानून में बदलाव

2261. श्री काशीराम राणा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए उसमें बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार उपभोक्ताओं के शोषण के कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) उक्त मामलों में कुल कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों में संशोधन करके इसमें अन्य बातों के अलावा दाण्डिक उपबंधों और उपभोक्ता मंच की शक्तियों को मजबूत बनाकर इसे अधिक कठोर बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपभोक्ताओं के शोषण के मामलों और दोषी व्यक्तियों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखा जाता है, तथापि सभी मामलों में, जहां जरूरी होता है, उपभोक्ता मंचों द्वारा उचित राहत दी जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत 3 वर्षों के दौरान उपभोक्ता मंचों में दायर और निपटाए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में वर्ष वार दायर और निपटाए गए मामले

(31.10.2007 तक)

राज्य	2004		2005		2006		2007	
	दायर	निपटान	दायर	निपटान	दायर	निपटान	दायर	निपटान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीय आयोग	4046	4171	3878	4767	5222	4269	4902	5546
आन्ध्र प्रदेश	1728	1022	2176	995	1281	281	1527	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
अरुणाचल प्रदेश	1	0	4	0	4	7	6	7
असम	186	93	246	20	302	1	26	0
बिहार	936	800	936	585	556	483	623	535
चंडीगढ़	520	581	181	112	976	821	962	813
छत्तीसगढ़	807	1054	539	874	865	895	586	632
दादरा और नगर हवेली/दमन व दीव	2	2	2	3	1	1	उ.न.	उ.न.
दिल्ली	1272	1809	1294	2063	1589	2928	650	1133
गोवा	84	132	71	128	131	113	86	70
गुजरात	3208	2566	2177	2265	2294	1888	1314	912
हरियाणा	3370	407	2729	769	3025	1395	2683	1261
हिमाचल प्रदेश	1369	1273	1195	851	1664	2040	1722	1511
जम्मू-कश्मीर	195	264	202	43	162	34	169	81
झारखंड	562	306	525	657	442	447	703	149
कर्नाटक	1973	2446	2276	2823	3451	2516	2338	1774
केरल	1172	342	930	697	976	675	316	236
लक्षद्वीप	1	0	0	3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मध्य प्रदेश	2423	2507	2433	2534	2970	2780	1522	1165
महाराष्ट्र	2763	1678	2880	1383	3183	2063	3470	2516
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मेघालय	7	14	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मिजोरम	4	0	11	28	6	19	उ.न.	उ.न.
नागालैंड	2	4	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उड़ीसा	1157	538	1119	662	1194	1096	949	1026
पाण्डिचेरी	16	34	65	69	45	48	45	48
पंजाब	1623	898	1719	1375	1661	1187	1358	898
राजस्थान	2615	2906	2315	3709	2817	4804	2460	4154

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	0	3	0	1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
तमिलनाडु	3774	660	3563	934	2676	59	2777	91
त्रिपुरा	86	105	98	255	79	102	उ.न.	उ.न.
उत्तर प्रदेश	2780	1311	2572	1861	3363	1707	1444	1028
उत्तरांचल	648	323	292	61	241	17	349	8
पश्चिम बंगाल	784	1162	773	985	659	1196	409	639
कुल	36068	25240	33323	26745	36613	29603	28494	20968

नोट: 'उ.न.' का अभिप्राय आंकड़े उपलब्ध नहीं से है।

विवरण II

जिला मंचों में वर्ष वार दायर और निपटाए गए मामले

(31.10.2007 तक)

राज्य	2004		2005		2006		2007	
	दायर	निपटान	दायर	निपटान	दायर	निपटान	दायर	निपटान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	7344	2942	7469	3414	4117	1526	5025	2149
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
अरुणाचल प्रदेश	17	11	7	16	11	9	6	6
असम	512	323	647	255	620	151	उ.न.	उ.न.
बिहार	2962	3270	3636	3029	1624	2338	3154	2389
चंडीगढ़	2600	2410	1393	1042	1850	1509	1421	1348
छत्तीसगढ़	1139	1001	738	824	2187	2084	1607	1174
दादरा और नगर हवेली/दमन व दीव	5	1	13	12	9	4	उ.न.	उ.न.
दिल्ली	11950	14206	11312	11833	5082	4786	6342	5510
गोवा	204	152	216	120	206	358	100	124
गुजरात	8301	8775	7390	6257	16898	16116	5733	5733
हरियाणा	9787	2641	10149	10023	10619	11871	8913	10098

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	2435	2781	1868	1913	2096	1880	1585	1884
जम्मू-कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
झारखंड	2653	2911	2066	1905	2211	2257	938	782
कर्नाटक	6064	6044	6634	6271	8398	8535	7473	4008
केरल	5498	5459	5266	4856	4444	3113	2105	730
लक्षद्वीप	0	0	3	4	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मध्य प्रदेश	7640	8476	8006	8007	10850	9597	5712	4515
महाराष्ट्र	9628	12175	10519	12888	10942	14614	8123	9234
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मेघालय	28	16	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मिजोरम	147	78	40	58	28	28	उ.न.	उ.न.
नागालैंड	25	23	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उड़ीसा	4275	4304	3471	3526	2844	3083	4057	3582
पाण्डिचेरी	113	205	94	83	88	88	88	88
पंजाब	9309	8973	8001	8735	6302	4663	5413	5799
राजस्थान	12368	13382	12399	13369	14064	13853	10761	9214
सिक्किम	0	0	11	6	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
तमिलनाडु	4567	4470	3961	3994	3194	2742	7529	357
त्रिपुरा	116	113	16	15	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
उत्तर प्रदेश	16944	13335	19047	19108	17568	14512	11862	14446
उत्तरांचल	1118	1264	1064	1272	1413	898	965	1038
पश्चिम बंगाल	3470	3433	3331	3009	3518	3165	2735	2466
कुल	131219	123174	128767	125844	131183	123780	101647	86674

नोट: 'उ.न.' का अभिप्राय आंकड़े उपलब्ध नहीं से है।

हस्तशिल्प निर्यातकों द्वारा छूट का दुरुपयोग

2262. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों को दी जा रही छूट और सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों को दी जा रही छूट और सुविधाओं के दुरुपयोग के किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि में निवेश

2263. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट देखी है जिसमें लाखों गरीब भारतीय ग्रामीणों के कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र में भारी निवेश का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट के मद्देनजर कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) "विकास के लिए कृषि" नामक विश्व व्यापार रिपोर्ट 2008 में विकासशील देशों में अधिक निवेश पर बल दिया गया है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र को विकास एजेन्डा के केन्द्र में रखा जाए।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, कृषि तथा इसके संबंधित क्षेत्रों में कुल निवेश सकल पूंजी विनिर्माण (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) की शर्तों में 2003-04 में 53,840 करोड़ रुपए से 2004-05 में 57,253 करोड़ रुपए तक तथा आगे 2005-06 में 64,131 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। पुन: कृषि क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ाने हेतु, इसके साथ-साथ सरकार ने निम्न प्रयास किए हैं-

* 11वीं योजना अवधि हेतु 4,882 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति तक चावल का अतिरिक्त उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलिटन टन बढ़ाना है।
* 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो एक राज्य योजना स्कीम है, का उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है।
* सिंचाई हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना।
* राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के प्रयास पर नीतिगत ध्यान।

उड़ीसा में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

2264. श्री अनन्त नायक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उड़ीसा में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत सरकार ने, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से, उड़ीसा सहित भारत के ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, नीजि तथा सामाजिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए पूरे ग्रामीण भारत में 100,000 + सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 26 सितम्बर, 2006 को सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) योजना अनुमोदित की है।

(ख) भारत सरकार ने उड़ीसा के लिए सीएससी योजना को अनुमोदित किया है और तदनुसार 135.72 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी उड़ीसा को जारी की गई है जिसमें 16.96 करोड़ रुपए की पहली किस्त शामिल है। उड़ीसा सरकार ने भी संभावित सेवा केन्द्र एजेंसी (एससीए) के चयन के लिए आरएफपी जारी कर दिया है।

(ग) सरकार सीएससी योजना में चार वर्षों की अवधि के लिए राजस्व सहायता उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार ने सीएससी योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर सेवा एजेंसी (एनएलएसए) की नियुक्ति की है।

सुवर्ण रेखा परियोजना

2265. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में सुवर्ण रेखा परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस परियोजना की कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्से का वित्तपोषण करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) सुवर्णरेखा बैराज परियोजना (पश्चिम बंगाल) में योजना आयोग द्वारा वर्ष 1995 में किए गए अनुमोदन के अनुसार 96,860 हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र को शामिल करते हुए बायीं तट नहर और इसकी वितरिका प्रणाली के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में वार्षिक रूप से 1,14,198 हेक्टेयर सिंचाई करने के लिए भोसराघाट के निकट चांडिल बांध और गालुडीह बैराज के अनुप्रवाह पर सुवर्णरेखा नदी के ऊपर एक बैराज के निर्माण की योजना है। इस परियोजना को 215.61 करोड़ रुपये (1987 के मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत से 1995-96 के दौरान निर्माण के लिए प्रारंभ किया गया था।

(ख) और (ग) एआईबीपी से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण/जनजातीय/बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली सिंचाई परियोजनाएं एआईबीपी में शामिल की गई परियोजना लागत के अनुदान के 90% तक के लिए पात्र हैं जोकि एआईबीपी में ऐसे क्षेत्र के लिए प्रस्तावित परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये सिंचाई लाभों की सीमा पर निर्भर करता है। जिस सीमा तक सुवर्णरेखा परियोजना को एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषण प्राप्त हो सकता है उस पर निर्णय, लागू एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर लिया जा सकता है।

सिंचाई राज्य का विषय है और ऐसी परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण और निष्पादन की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

[हिन्दी]

पीडीएस कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण

2266. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में कार्यरत कार्मिकों के कौशल को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को कोई वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हां। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए "प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानिटरिंग" की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

इस स्कीम के अधीन एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और राज्य खाद्य आपूर्ति विभागों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों के अधिकारियों/कर्मचारियों और आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण में लगे जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 50,000 रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति निदेशालय का एन.आई.सी. नेटवर्क के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु कम्प्यूटरों की खरीदारी के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1.50 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहातया प्रदान की गई थी।

इस स्कीम के अधीन अनुसंधान संस्थानों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन कराए गए थे।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम के अधीन प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव	जारी की गई राशि
1	2	3	4
		2004-05	
1.	बिहार	प्रशिक्षण कार्यक्रम	4,50,000
2.	गुजरात	प्रशिक्षण कार्यक्रम	45,000
3.	मिजोरम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	10,000
4.	पश्चिम बंगाल	प्रशिक्षण/सेमिनार	55,849
	जोड़		5,60,849
		2005-06	
1.	राजस्थान	कम्प्यूटर की खरीद	36,000
2.	राजस्थान	प्रशिक्षण कार्यक्रम	38,250
3.	आंध्र प्रदेश	प्रशिक्षण कार्यक्रम	5,40,000
4.	महाराष्ट्र	क्षेत्रीय सम्मेलन	1,50,000
5.	हिमाचल प्रदेश	क्षेत्रीय सम्मेलन	1,50,000
6.	मिजोरम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,00,000
7.	हरियाणा	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,35,000
8.	नागालैंड	कम्प्यूटर की खरीद	1,35,000
9.	केरल	क्षेत्रीय सम्मेलन	1,20,000
10.	पंजाब	प्रशिक्षण कार्यक्रम	44,500
11.	पश्चिम बंगाल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,40,000
12.	नागालैंड	प्रशिक्षण कार्यक्रम	27,000
13.	सिक्किम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,80,000
14.	पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय सम्मेलन	1,68,000
15.	असम	क्षेत्रीय सम्मेलन	2,10,000
16.	तमिलनाडु	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,50,000
17.	बिहार	प्रशिक्षण कार्यक्रम	50,000
18.	गुजरात	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,25,000
	जोड़		45,98,750
		2006-07	
1.	गुजरात	कम्प्यूटर की खरीद	6,512
2.	केरल	सम्मेलन	30,000
3.	त्रिपुरा	प्रशिक्षण कार्यक्रम	4,50,000
4.	मिजोरम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	3,60,000
5.	छत्तीसगढ़	प्रशिक्षण कार्यक्रम	9,82,000
6.	दिल्ली (आई.टी.डी.सी.)	सम्मेलन	34,642
7.	पश्चिम बंगाल	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,820
8.	हरियाणा	प्रशिक्षण कार्यक्रम	9,55,000
9.	गुजरात	सेमिनार	2,70,000
	जोड़		30,99,974

[अनुवाद]

छावनी बोर्ड द्वारा चुंगी लिया जाना

2267. श्री विजय बहुगुणा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड में चक्राता छावनी बोर्ड इस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रवेश होने वाले सामान पर तीन प्रतिशत चुंगी ले रहा है;

(ख) देश में चुंगी देने वाले छावनी बोर्डों की संख्या कितनी है; और

(ग) उत्तराखंड में छावनी बोर्ड द्वारा गेट पास प्रणाली बन्द न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) छावनी बोर्ड, चकराता छावनी सीमाओं के भीतर उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए लाए गए सामान/वस्तुओं तथा पशुओं पर विभिन्न दरों पर चुंगी लगा रहा है तथा एकत्र कर रहा है।

(ख) सात।

(ग) छावनी बोर्ड चकराता में चुंगी के संबंध में कोई गेट पास प्रणाली नहीं है।

वस्त्र/परिधानों का निर्यात

2268. **श्री एम. अप्पावुरई:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात देश-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के वस्त्रों/परिधानों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या था तथा इसमें कितनी सफलता मिली; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए परिधानों की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है और परिधान निर्यातों का देश-वार कुल मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत से परिधान निर्यात	2004-05	2005-06	2006-07
मिलियन पीसों में (मात्रा-वार)	1663.72	2356.48	2195.39
मिलियन अमरीकी डालर में (मूल्य वार)	6573.97	8626.63	8901.82

स्रोत: अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद।

(ख) उक्त अवधि के दौरान परिधान निर्यातों के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि इस प्रकार है:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2004-05	6000	6025
2005-06	6450	8626
2006-07	9500	8901

(ग) भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)** शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)** शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित **"एकीकृत वस्त्र पार्क योजना"** (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(5) सरकार ने बैंकों के वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(6) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा **अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी)**

को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(7) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(8) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(9) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(10) बजट (2007-08) में, वस्त्र उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से कच्ची सामग्रियों यथा डीएमटी, पीटीए और एमईजी पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है और पीएसएफ, पीएफवाई और पोलिस्टर चिप्स पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वस्त्र सहित सभी गैर-कृषि उत्पादों के लिए सीमाशुल्क के यथामूल्य संघटकों की अधिकतम दर को 12.5% से घटाकर 10% कर दिया गया है, शिक्षा उपकर को 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। मानव-निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र के लिए वैकल्पिक छूट वर्तमान बजट में भी जारी है। सूची 3 के तहत विनिर्दिष्ट 16 रेशम वस्त्र मशीनरी के लिए उत्पाद शुल्क छूट जारी है। सूची 30, 31, 32, 45 और 46 की 387 मशीनरी पर 5% रियायती शुल्क को 5% ही रखा गया है और अन्य वस्त्र मशीनरी पर आयात शुल्क 7.5% है। केंद्रीय बिक्री कर 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ रुपए अथवा उससे कम की करयोग्य आय वाली सभी कंपनियों तथा फर्मों को देय आयकर पर सरचार्ज से छूट दी गई है और यह वस्त्र क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राहत होगी।

विवरण

देश-वार परिधानों का निर्यात

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	देश	2004-2005 मिलियन अम. डालर	2005-2006 मिलियन अम. डालर	2006-2007 मिलियन अम. डालर
1	2	3	4	5
1.	यू.एस.ए.	1996.82	2859.16	2889.81
2.	ब्रिटेन	658.85	946.50	945.41
3.	फ्रांस	475.19	641.02	670.99
4.	जर्मन संघ गणराज्य	451.51	679.96	646.45
5.	संयुक्त अरब अमीरात	524.31	448.19	523.88
6.	इटली	291.74	384.13	443.54
7.	नीदरलैंड	205.56	294.08	349.76
8.	स्पेन	209.57	361.22	308.40
9.	कनाडा	251.82	275.24	272.96

1	2	3	4	5
10.	डेनमार्क	107.71	185.10	194.91
11.	सऊदी अरब	169.21	196.74	191.12
12.	बेल्जियम	93.95	133.17	167.36
13.	जापान	85.09	118.61	122.67
14.	स्वीडन	43.56	73.75	74.28
15.	रूस	105.56	21.13	69.96
16.	मैक्सिको	44.22	55.11	62.78
17.	स्विटजरलैंड	79.95	55.06	55.17
18.	सिंगापुर	40.60	43.65	53.58
19.	सऊदी अरब	56.54	59.21	52.39
20.	कुवैत	50.57	43.49	47.78
21.	अन्य देश	645.04	768.43	751.17

स्रोत: भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, डीजीसीआईएस, कोलकाता।

भूजल का जरूरत से अधिक दोहन

2269. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साफ्ट ड्रिंक तथा बोतलबंद पेजयल कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भू-जल का भारी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों द्वारा भू-जल निकालने के फलस्वरूप जल स्तर कम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो यह कितना कम हुआ है;

(ङ) क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई मानदण्ड बनाए हैं;

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(छ) क्या इन कंपनियों द्वारा इन मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जा रहा है; और

(ज) यदि नहीं, तो इन मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) भूजल मुख्यत: कृषि संबंधी और घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है और यह औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भी उपयोग किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि घरेलू, कृषि संबंधी और औद्योगिक प्रयोग जिसमें साफ्ट ड्रिंक और बोतलबंद पेयजल के प्रयोजनों के लिए जल निकालना शामिल है, के संचयी प्रभाव से जल स्तर में गिरावट आ रही है।

(ङ) से (ज) भूजल प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। प्राधिकरण को दांडिक प्रावधानों, जो विधि के अंतर्गत आवश्यक हों, को लागू करने की शक्तियां सौंपी गई हैं।

स्पैक्ट्रम आबंटन हेतु समीक्षा

2270. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्पैक्ट्रम आबंटन की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्पैक्ट्रम आबंटन सब्सक्राइबर आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) मोबाइल सेवाओं के लिए उपभोक्ता आधारित स्पेक्ट्रम आबंटन मानदंडों में संशोधन हेतु सिफारिश देने के लिए दूरसंचार विभाग में एक समिति का गठन किया गया है। यह मामला दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष न्यायाधीन है।

कृषि जलवायु क्षेत्र

2271. **प्रो. एम. रामदास:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के दीर्घावधि यंत्रीकरण हेतु रणनीतियां बनाने के लिए एक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अध्ययन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 में "प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र/राज्य के लिए दीर्घावधि यंत्रीकरण रणनीति प्रवर्तन से सम्बन्धित अध्ययन" का कार्य भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपा गया था। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों से संबंधित इस अध्ययन रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों के अन्तर्गत ये मुद्दे शामिल हैं: फार्म शक्ति की अपर्याप्त उपलब्धता, फसल उत्पादन के लिए उन्नत कृषि उपकरण एवं मशीनरी, बागवानी फसलों का यंत्रीकरण, आहार तथा चारे का प्रबंधन, बायोमास प्रबंधन, फार्म पर सस्योत्तर प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार और संस्थागत फ्रेमवर्क, में यंत्रीकरण और उत्पादकता बढ़ाने हेतु सुधार की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर सिफारिशों का दूसरा सेट संस्थागत फ्रेमवर्क, परीक्षण एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, उपकरण का रेंज, फार्म मशीनरी की गुणवत्ता, छोटे स्तर के यंत्रीकरण वाले क्षेत्रों के लिए विशेष पहल, बैंकिंग मानक, बिजली और ईंधन की सुनिश्चित आपूर्ति, कृषि मशीनरी की मरम्मत और रख-रखाव, स्वास्थ्य व सुरक्षा और कृषि यंत्रीकरण के आंकड़ों से संबंधित है।

(ग) और (घ) सरकार (कृषि एवं सहकारिता विभाग) ने इस अध्ययन रिपोर्ट को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है और अध्ययन रिपोर्ट को समस्त राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास उनके अपने-अपने क्षेत्रों/कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कार्य नीतियों के क्रियान्वयन के लिए भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनिमय काउन्टर

2272. **श्री पंकज चौधरी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघरों की और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए महानगरों के चुने हुए डाकघरों में विदेशी मुद्रा विनिमय काउन्टर, माल स्थानांतरण तथा त्वरित मनी आर्डर जैसी सेवाएं और अन्य आय अर्जन वाली सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) डाक विभाग अपने नेटवर्क के

इष्टतम उपयोग और ग्राहकों को और अधिक संख्या में आकर्षित करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के सहयोग से चुनिंदा डाकघरों में डाक सेवाओं के अलावा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ये सेवाएं प्रमुख रूप से निम्नानुसार हैं:

(i) विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से बिजनेस कोरेसपोडेंट स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने की शुरूआत की है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्व-सहायता समूहों के लिए प्रायोगिक आधार पर माइक्रो क्रेडिट के संवितरण की भी शुरूआत की है। विभाग यूटीआई, भारतीय स्टेट बैंक, फ्रैंकलिन टेंपलटन, रिलायंस म्यूचुअल फंड्स आदि वित्तीय संस्थानों की तरफ से म्यूचुअल फंड आदि वित्तीय दस्तावेजों का वितरण कर रहा है।

(ii) विभाग ने रेल मंत्रालय के सहयोग से यात्री आरक्षण सेवा शुरू की है।

(iii) माल और बड़ी मात्रा में परेषण की ढुलाई हेतु लाजिस्टिक पोस्ट सेवा की शुरूआत की है। लाजिस्टिक परेषण के संवहन एवं वितरण जैसी आधारभूत सेवाओं के अलावा लाजिस्टिक पोस्ट का उद्देश्य लाजिस्टिक मूल्य शृंखला की पैकेजिंग, भंडारण, सामान-सूची प्रबंधन इत्यादि सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है।

(iv) 20 जनवरी, 2006 को शुरू की गई त्वरित मनी आर्डर (आईएमओ) सेवा एक आन लाइन घरेलू धन परेषण सेवा है जिसे बाजार के ऐसे ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है जो धन को तुरंत प्रेषित करना चाहते हैं। वर्तमान में, देश भर में 571 स्थानों पर त्वरित मनी आर्डर सेवा उपलब्ध है।

(v) डाकघरों के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव डाक विभाग में विचाराधीन है। चूंकि इस प्रस्ताव की जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है, अत: इस योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

घटिया खाद्यान्न

2273. प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण हेतु केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा घटिया खाद्यान्न की आपूर्ति किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के बारे में विभिन्न राज्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 2005-06 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और बिहार से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 2006-07 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया गुणवत्ता के गेहूं की आपूर्ति किए जाने के बारे में राजस्थान से शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार 2007-08 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति किए जा रहे घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों के बारे में महाराष्ट्र और तमिलनाडु से शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश जारी किए हैं कि केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों का ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं:

1. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक का

उठान करने से पूर्व उसका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तैनात किया गया अधिकारी निरीक्षक के पद से कम का न हो।

3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा स्टाक से संयुक्त रूप से खाद्यान्नों के नमूने लिए जाने और सील किए जाने होते हैं ताकि उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उचित दर दुकानों के काउंटरों पर इनका प्रदर्शन किया जा सके।

4. सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि राज्य सरकार की एजेंसियों और उचित दर दुकानों के पास उपलब्ध समस्त स्टाक का गुणवत्ता के संबंध में नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए और गेहूं के केवल उसी स्टाक का वितरण किया जाना चाहिए जो अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों को पूरा करता हो।

रक्षा उपकरणों का आवधिक मूल्यांकन

2274. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेना द्वारा सर्वोत्तम स्तर के हथियारों तथा निगरानी उपकरणों का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सशस्त्र सेना को यह जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरणों पर उनके गुणों तथा पहचान की गई आवश्यकताओं पर विचार किया जाए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेनाएं सर्वोत्तम श्रेणी के शस्त्रों और निगरानी उपकरणों का पता लगाने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर सम्पूर्ण विश्व में उपलब्ध शस्त्रों और उपस्करों का नियमित रूप से मूल्यांकन करती हैं।

(ग) शस्त्रों और उपस्करों की अधिग्रहण प्रक्रिया रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में की गई व्यवस्था के अनुसार पारदर्शी तरीके से की जाती है जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अधिप्राप्त किए जाने वाला उपस्कर आवश्यकता के अनुरूप हो और गुणता विनिर्देशनों को पूरा करता हो।

कपास के खेत में बाल मजबूरी

2275. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाइब्रिड कपास खेतों में लाखों बच्चे कार्यरत हैं जैसाकि दिनांक 27 सितम्बर, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टें दर्शाती हैं कि हाइब्रिड काटन क्षेत्रों में बच्चों के काम करने के कुछ मामले हैं जहां बच्चे अधिकांश रूप से अपने माता-पिता के साथ काम करते हुए पाए गए थे। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार काटन क्षेत्रों में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि बच्चे हाइब्रिड काटन क्षेत्रों में कीटनाशकों से संबंधित प्रक्रियाओं में कार्य न करें।

(ङ) सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के राज्यों द्वारा प्रवर्तन को नियमित रूप से मानीटर कर रही है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन में गति लाने के लिए सरकार द्वारा 14 नवम्बर, 2007 को एक पखवाड़े का राष्ट्रव्यापी "बाल श्रम के खिलाफ प्रवर्तन अभियान" आरम्भ किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों को निरीक्षण/छापों का आयोजन तथा बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान आयोजित करने के विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं।

बीईएल द्वारा वायुसेना को घटिया उपकरणों की आपूर्ति

2276. डा. टोकचोम मैन्या: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) भारतीय वायुसेना को घटिया किटों तथा उपकरणों की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उपकरणों तथा किटों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में विवाद है तथा इस संबंध में वायुसेना की क्या आपत्तियां हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, नहीं। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना (प्रयोक्ता) को की जाने वाली सभी आपूर्तियों की आंतरिक गुणता आश्वासन और जांच विभाग द्वारा प्रयोक्ता अनुमोदित स्वीकृति परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार हर प्रकार से निरीक्षण और जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक की निरीक्षण एजेंसी अर्थात् महानिदेशक, वैमानिकी गुणता आश्वासन द्वारा वास्तविक और तकनीकी निष्पादन के लिए भी उपस्करों की जांच की जाती है। प्रयोक्ता को मद की आपूर्ति करने से पहले महानिदेशक, वैमानिकी गुणता आश्वासन द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर एक स्वीकृति संबंधी नोट जारी किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा

2277. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (आई. टी.) में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा काम करने के घंटों को अन्य सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उनके साथियों के अनुरूप करने के लिए उपयुक्त विधान अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आई.टी. क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान लाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आई.टी. फर्मों को 6 बजे के बाद महिला कर्मचारियों को रोजगार पर न रखने के संबंध में आवश्यक सांविधिक आदेश पारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) विद्यमान श्रम कानून के अंतर्गत शामिल हैं। जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का संबंध है, श्रम कानूनों के अधिकांश प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार 'समुचित सरकारें' हैं और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित श्रम कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने की वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कम्पनियों में कार्य की परिस्थितियां आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित तथा लागू दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होती हैं और बीपीओ के कर्मचारियों के कार्यों के घण्टे उसके द्वारा शासित होते हैं। लेकिन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारी फैक्टरी अधिनियम 1948 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

बीपीओ/काल सेंटरों की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीपीओ कम्पनियों/काल सेंटरों के प्रतिनिधियों तथा दिल्ली/गुड़गांव/नोएडा के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ 17.1.2006 को एक बैठक की थी। विचार-विमर्श के आधार पर आयोग ने बीपीओ कम्पनियों/काल सेंटरों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए। ये दिशा-निर्देश दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे, मुम्बई तथा चेन्नै की सभी बीपीओ कम्पनियों को भेज दिए गए हैं।

मत्स्य विकास

2278. श्री अनवर हुसैन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने वहां मत्स्य विकास की भारी संभावनाओं को देखते हुए असम में मत्स्य उत्पादन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेष योजना के अंतर्गत राज्य में मछुआरों को क्या विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2007-08 में पशुपालन, डेयरी

और मत्स्य पालन विभाग में जलकृषि संपदा में जल जमाव क्षेत्रों और परित्यक्त जल निकायों के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 12.30 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड में तालाबों/पोखरों तथा हैचरियों में सघन जलकृषि के लिए 113.36 लाख रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मत्स्य किसान विकास एजेंसियों तथा मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजना "अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास" से संबंधित मौजूदा घटक के तहत, दसवीं पंचवर्षीय योजना यानि 2002-03 से 2006-07 के दौरान, 6048 मत्स्य किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सेनाओं का उड़ान सुरक्षा रिकार्ड

2279. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के विमानों तथा हेलीकाप्टरों से जुड़ी इस वर्ष हुई विमान दुर्घटनाओं से सेनाओं के उड़ान सुरक्षा रिकार्ड पर काफी दबाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो देश में हुई इन दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ान सुरक्षा रिकार्ड में सुधार लाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) उड़ान प्रयास की प्राप्त मात्रा और सैन्य उड़ान संक्रियाओं के जुड़े हुए संक्रियात्मक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सेनाओं के उड़ान सुरक्षा रिकार्ड पर कोई दबाव नहीं पड़ा है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थात् 1-4-2007 से 26-11-2007 तक सेनाओं के कुल 7 विमान और 1 हेलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(ग) उड़ान सुरक्षा को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए रक्षा सेनाओं में सदैव सतत् और बहुआयामी प्रयास किए जाते हैं। दक्षता स्तरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की गुणता बढ़ाने के उपायों, सही निर्णय लेने की क्षमता और पायलेटों की स्थितिजन्य जागरूकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। विमानों की तकनीकी त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों की मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ निरंतर बातचीत भी की जाती है। इसके अतिरिक्त पक्षियों से टकराव को रोकने के उपाय भी किए गए हैं।

बीजों का आयात

2280. **श्री छेवांग वुपस्तन:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से हर वर्ष करोड़ों रुपये के बीजों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से बीज उत्पादन के लिए हमारे देश के किसी क्षेत्र की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र अपनी विशेष भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए आदर्श है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने तथा निर्यात के लिए पूरे लद्दाख क्षेत्र को अच्छी गुणवत्ता वाले कार्बनिक बीज उत्पादक क्षेत्र के रूप में पहचान करके लद्दाख की विशेष परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए कदम उठाने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) जब कभी आवश्यकता होती है, बीजों विशेषकर फलों और सब्जियों की फसलों के बीजों का आयात किया जाता है। इसी प्रकार प्याज आदि जैसी कुछ फसलों के बीज भारत से निर्यात किए जाते हैं। गत तीन वर्ष के लिए आयात हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक्जिम समिति की सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बीज उत्पादन हेतु देश के किसी भी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है। तथापि, कृषि जलवायुवीय परिस्थितियां बीज उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख कारक हैं। सरकार गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे विभिन्न स्कीमों के तहत अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान बीजों और रोपण सामग्रियों के आयात हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग की एक्जिम समिति की सिफारिशों का ब्यौरा

क्र.सं.	बीज/रोपण सामग्री के नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	तरबूज बीज	64.730 एमटी	0.050	–
2.	बरसीम बीज	2,062.00 एमटी	2,930 एमटी	7,594.00
3.	स्टावेरी पौध	4.18 लाख	24.865 लाख	11.24 लाख
4.	आयलपाम स्प्राउटस	27.55 लाख	16.5 लाख	31.30 लाख
5.	संकर कपास	5.00 किलोग्राम	12.00 किलोग्राम	9.00 किलोग्राम
6.	मक्का बीज	12.00 कि.ग्रा.	2.00 किलोग्राम	450.00 किलोग्राम
7.	पत्ता गोभी बीज	0.5 एमटी	–	100 किलोग्राम
8.	खीरा बीज	0.1 एमटी	–	–
9.	पपीता बीज	0.850 एमटी	0.645 एमटी	0.651 एमटी
10.	केला टीशु कल्चर पौध	0.215 लाख	–	0.10 लाख
11.	स्वीट सोरधम	0.052 एमटी	0.095 एमटी	–
12.	सूरजमुखी बीज	0.0116 एमटी	0.500 एमटी	0.050 एमटी
13.	चिकोरी बीज	28.520 एमटी	2.10 एमटी	–
14.	फल पौधे (सेब, अंगूर, बेरी, सिट्रस एवं कीन्नू आदि)	0.936 लाख सं.	25.17 लाख सं.	29.12 लाख सं.
15.	बांस सूकर	–	15,000 सं.	–
16.	घास बीज	–	4,350 एलबीएस	–
17.	मटर बीज	–	200 किलोग्राम	–
18.	खजूर	–	4.9 लाख सं.	0.30 लाख सं.
19.	नीम बीज	–	1,500 किलोग्राम	–
20.	स्वीट कार्न बीज	–	2.033 एमटी	69.4 एमटी
21.	एस्टोमेरिया पौध	–	–	6,000 सं.
22.	बेबी कार्न बीज	–	–	10.20 एंमटी
23.	सोयाबीन बीज	–	–	75.00 किलोग्राम
24.	तारक बीज	–	–	8.00 किलोग्राम

एएफएमसी, पुणे को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा

2281. डा. के.एस. मनोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर विचार कर रही है; और

(ख) रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा इस संबंध में अपनी बारहवीं तथा तेइसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी में या लोक न्यास अधिनियम के अधीन एक अलग न्यास में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है। अत: समुचित रूप से विचार करने के बाद, यह प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

डी एम एस का निगमितीकरण

2282. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को निगमीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को और कार्यकुशल और व्यवहार्य बनाने के लिए इसे निगमित करने का निर्णय लिया है ताकि इसके प्रचालन तथा प्रबंधन में उसे अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके, उपभोक्ताओं तथा संगठन के हित से जुड़े वित्तीय मामलों में लोच प्रदान की जा सके। इस संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा समझौता ज्ञापन तथा अन्य संबंधित कार्य के लिए प्रतिष्ठित व्यावसायिक एजेंसियों से उनकी रुचि-अभिव्यक्ति (एओआई) आमंत्रित की गई है।

बहु-विषयात्मक पैनल का गठन

2283. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने सिफारिश की है कि किसी सर्कल में सेवा प्रदाताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तथा यह सुझाव दिया है कि बहु-विषयात्मक पैनल का गठन किया जाए जैसाकि दिनांक 30 अगस्त, 2007 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पैनल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा यह किस क्षेत्र से संबंधित है तथा इसे क्या कार्य सौंपा गया है; और

(घ) इससे आम आदमी को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने "लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की समीक्षा और अभिगम प्रदाताओं की संख्या की सीमा निर्धारित करने" के संबंध में दिनांक 28.08.2007 की अपनी सिफारिश में अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तथा नया स्पेक्ट्रम आवंटन मानदंड तैयार करने के लिए एक बहु-विषयात्मक समिति का गठन किया जाए।

सरकार ने स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप में संशोधित उपभोक्ता आधारित स्पेक्ट्रम आवंटन मानदंड की सिफारिश करने के लिए 07.11.2007 को एक समिति गठित की है।

किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाताओं की संख्या की कोई सीमा निर्धारित न किए जाने पर सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा स्तर में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप प्रशुल्क में कमी आएगी, बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा नेटवर्क कवरेज और सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा।

[हिन्दी]

संचार नेटवर्क

2284. श्री रशीद मसूद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में अभी भी टेलीफोन, इंटरनेट तथा डाक सेवा जैसी कोई उचित संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित व्यवस्थाएं करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गांवों में उप डाक-घर खोलने की वर्तमान नीति क्या है;

(ङ) उत्तर प्रदेश के गांवों में कुल कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(च) डाकघर खोले जाने के लिए सहारनपुर जिले के कुल कितने गांवों को चुना गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) देश के गांवों में टेलीफोन, इंटरनेट और डाक सेवाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

टेलीफोन

टेलीफोन सुविधारहित गांवों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। 30.09.2007 की स्थिति के अनुसार 16,302 गांवों को संचार नेटवर्क के साथ जोड़ा जाना शेष है। इनमें 100 से कम आबादी वाले क्षेत्र, घने वन क्षेत्र/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

इंटरनेट

अधिकांश गांवों, जहां टेलीफोन सुविधा विद्यमान है, में "डायल-अप पर इंटरनेट" प्राप्त किया जा सकता है।

डाक सेवाएं

सभी गांवों में डाक वितरण, लैटर बाक्सों से पत्र एकत्र करना, और ग्राहकों के दरवाजे पर डाक टिकटों/स्टेशनरी की बिक्री जैसी डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) गांवों में टेलीफोन, इंटरनेट तथा डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

टेलीफोन

देश के शेष 66,822 असंयोजित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ नवम्बर, 2004 में एक करार किया है। इसमें 100 से कम आबादी वाले क्षेत्र, घने वन क्षेत्र/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र इत्यादि शामिल नहीं हैं। 30 सितमबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, इन 66,822 गांवों में से 50,520 पात्र गांवों को पहले ही वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी गई है और शेष 16,302 गांवों को जून, 2008 तक वीपीटी प्रदान कर दिए जाएंगे।

इंटरनेट

बीएसएनएल ने चरण-1 ग्रामीण विकास योजना में 23,000 ग्रामीण एक्सचेंजों में उपस्कर संस्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे 25,000 गांवों को ब्राडबैंड सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, बीएसएनएल, वाई-मैक्स प्रौद्योगिकी के माध्यम से 1000 विकास खंडों में बेतार ब्राडबैंड प्रदान करने की योजना बना रहा है, जिससे जून, 2008 तक 25,000 गांवों को सुविधायुक्त किए जाने की संभावना है।

डाक सेवाएं

डाक घर दूरी, जनसंख्या, आय तथा संसाधनों की उपलब्धता के निर्धारित मानदंडों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। वे सभी गांव जहां अलग डाकघर खोला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है, उन्हें निकटतम डाक घर/पंचायत संचार सेवा केन्द्र के माध्यम से बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय उप डाक घर खोले जाते हैं/ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाक घर (जीडीएसबीओ) को विभागीय उप डाक घरों में अपग्रेड किया जाता है, बशर्ते कि न्यूनतम 5 घंटे का कार्यभार (वर्कलोड) और 2,400 रु. प्रतिवर्ष (सामान्य क्षेत्रों के लिए) तथा 4,800 रु. प्रतिवर्ष (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए) को हानि की अनुमत्य सीमा पूरी हो।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान उत्तर प्रदेश के गांवों में 12 ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाक घर खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाक घर को अपग्रेड करके अथवा नए विभागीय उप डाक घर खोलकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 30 विभागीय उप डाक घर प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

(च) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांवों में नया डाक घर खोलने की कोई औचित्यपूर्ण मांग लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के संबंध में उपभोक्ता की प्राथमिकता पर सर्वेक्षण

2285. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं और गेहूं के आटे के संबंध में उपभोक्ता की प्राथमिकता की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सर्वेक्षण के लिए क्या कार्यविधि अपनाई गई;

(ग) उक्त सर्वेक्षण के राज्य-वार विशेष रूप से मध्य प्रदेश के आदिवासी तथा अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ब्याज सहायता योजना

2286. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम ब्याज दरों पर कृषि ऋण प्रदान करने के लिए कोई ब्याज सहायता योजना शुरू की है अथवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त योजना परिचालन में है; और

(घ) उक्त योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए/लाभान्वित होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने ऋण लेने वालों के लिए 7% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 3 लाख रु. तक फसल ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम लागू की है। यह नीति खरीफ 2006-07 से प्रभावी थी। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने भी फसल ऋण वितरण में लगे अपने स्वयं के कोषों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम वर्ष 2007-08 के लिए 1677 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान के साथ भी जारी रखी गई है। यह स्कीम समस्त देश में कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) इस योजना के तहत 3 लाख रु. की मूल धनराशि तक फसल ऋणों का लाभ देने वाले सभी किसान पात्र लाभार्थी हैं।

बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक

2287. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सरकार से बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का निर्माण करने के लिए इन्दू मिल संख्या 6, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, मुंबई को अधिग्रहीत करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (घ) इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव के साथ विचार-विमर्श किया गया था और महाराष्ट्र सरकार ने इच्छा व्यक्त की थी कि इंडिया यूनाइटेड मिल सं. 6 (इंदू मिल) का ले आउट प्लान अनुमोदन के लिए सकल आधार पर बृहत मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को प्रस्तुत किया जाए जिसमें उन्हीं मिलों में 33% अनाच्छादित भूमि एमसीजीएम को और 37% अनाच्छादित भूमि महाराष्ट्र हाउसिंग एवं एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (एमएचएडीए) को सौंपने का प्रावधान किया गया हो जैसा कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने एकीकृत तरीके से सभी मिलों की विकास योजना पहले ही

प्रस्तुत की थी। तद्नुसार, इन्दू मिल सं. 6 का पृथक ले आउट प्लान एमसीजीएम को प्रस्तुत किया गया है।

यहां, उल्लेखनीय है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और मंत्री समूह ने एनटीसी की पुनरुद्धार योजना के एक भाग के रूप में इन्दू मिल सं. 6 मुंबई की भूमि पर विश्व स्तरीय 72 मंजिले भारत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड टावर (आई आई आई टी) के निर्माण को सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है। इस ऐतिहासिक परियोजना से देश में न केवल पर्याप्त रोजगार सृजित होगा बल्कि प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा भी आएगी। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस मामले की बाद में प्रतिष्ठित वास्तुकारों द्वारा जांच की गई और इन्दू मिल सं. 6 की मिल भूमि से उक्त भूमि दी जाती है तो इस मिल भूमि पर विश्व स्तरीय टावर विकसित करना व्यवहार्य नहीं पाया गया। तद्नुसार, इसकी सूचना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी दे दी गई थी।

डेयरी क्षेत्र का विकास

2288. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूलः
श्री रवि प्रकाश वर्माः
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ः

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्यों ने डेयरी क्षेत्र में सतत् तथा एकसमान वृद्धि के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है लेकिन देश में प्रति व्यक्ति दूध उपभोग तथा उपलब्धता वैश्विक औसत से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डेयरी क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए सामान्य क्षेत्रीय दूध ग्रिड स्थापित करने की संभावना का पता लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग, केरल सरकार ने डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में सहक्रिया के लिए क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 नवम्बर, 2007 को तिरूवनंतपुरम में डेयरी विकास और पशुपालन मंत्रियों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इसका उद्घाटन केरल के मुख्य मंत्री श्री वी. एस. अचुथानन्दन द्वारा किया गया था तथा स्टाक स्थिति का अध्ययन करने और डेयरी क्षेत्र में सतत एवं न्यायसंगत वृद्धि को बढ़ाने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ाने के संबंध में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल के डेयरी मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत अब विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2005-06 के दौरान दूध का उत्पादन 97.1 मिलियन मीट्रिक टन था तथा वह 2006-07 के दौरान 100.90 मिलियन मीट्रिक टन (अनन्तिम) के स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 241 ग्राम प्रतिदिन थी और इसने 2006-07 के दौरान 245 ग्राम प्रतिदिन को प्राप्त कर लिया है, परन्तु यह 265 ग्राम प्रतिदिन की विश्व औसत से अभी भी कम है।

(ङ) केन्द्र सरकार को डेयरी क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक कामन दुग्ध ग्रिड की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड जो कि आपरेशन फ्लड अवधि के दौरान बनी थी, वह पड़ोसी राज्यों के अधिशेष दूध को मेट्रो डेयरियों/दूध की कमी वाले क्षेत्रों में भेजती थी। तथापि, देश की डेयरी सहकारिताओं के पास इस समय देश में प्रमुख दुग्ध उत्पादक केन्द्रों को रेल दुग्ध टैंकरों (आर एम टी) तथा रोड टैंकरों के नेटवर्क के जरिए शहरी क्षेत्रों के बाजारों के साथ जोड़ने की एक प्रणाली है। आर टी एम का उपयोग गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि से दिल्ली और कोलकाता को दूध की ढुलाई के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

सैनिक निगम की स्थापना

2289. श्री रघुवीर सिंह कौशलः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक पृथक सैनिक निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एल. पल्लम राजू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके परिवारों के लाभ के लिए संघ सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश भर में राज्य और जिला स्तर पर क्रमश: 32 राज्य सैनिक बोर्ड और 355 जिला सैनिक बोर्ड हैं। ये बोर्ड संबंधित राज्य के सैनिक कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत हैं। इन सैनिक बोर्डों को पुन: सक्रिय करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की योजनाओं को अधिक कुशलता से कार्यान्वित किया जा सके।

तालाबों के निर्माण हेतु नाबार्ड धनराशि

2290. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में 2004 से 31 मार्च, 2007 तक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए ऋण या अनुदान से निर्मित या निर्माणाधीन तालाबों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) वर्ष 2004 से 31 मार्च, 2007 की अवधि तक नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को तालाबों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान नहीं किया है। हालांकि वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान आरआईडीएफ के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को स्वीकृत की गई लघु सिंचाई परियोजना का विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	मध्य प्रदेश		राजस्थान		महाराष्ट्र	
	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण
2004-05	83	143.66	6	43.54	0	0.00
2005-06	46	72.49	23	100.47	0	0.00
2006-07	37	115.89	14	48.54	165	230.50
कुल	166	332.04	43	192.55	165	230.50

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा व्यापार में सरकारी क्षेत्र

2291. **श्री राजनरायन बुथौलिया:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन इंडिया प्लान का विस्तार

2292. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन इंडिया प्लान तथा अन्य ऐसी योजना का पीआरजे/बीआरआई लाइन उपभोक्ताओं तक विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे कई ग्राहक विशेषरूप से गुजरात में लाभान्वित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) पीआरआई लाइन पर वैकल्पिक आधार पर वन इंडिया प्लान की सुविधा दे दी है। तथापि, आईएसडीएन बीआरआई पर इस प्लान को इस समय देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में पीआरआई/बीआरआई लाइन के प्रयोक्ताओं के लिए वन इंडिया प्लान तथा अन्य ऐसे प्लान की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा पेशकश किए गए प्लान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) निर्धारित मासिक प्रभार – 10,000 रुपये

(ii) मुफ्त कालें – शून्य

(iii) यूनिट दर – 1.00 रुपया

(iv) पल्स :

50 कि.मी. के भीतर अंतरा-सर्किल कालें	*पल्स*
निजी नेटवर्क (स्थिर, डब्ल्यूएलएल)	180 सेकेण्ड
निजी नेटवर्क (मोबाइल)	60 सेकेण्ड
अन्य नेटवर्क (स्थिर)	180 सेकेण्ड
अन्य नेटवर्क (डब्ल्यूएलएल मोबाइल)	60 सेकेण्ड
50 कि.मी. से अधिक दूरी की इन्ट्रासर्किल कालें और इन्टर सर्किल कालें:	
निजी नेटवर्क/अन्य नेटवर्क	60 सेकेण्ड

(ग) और (घ) प्रशुल्क बहुत तुलनात्मक है और गुजरात राज्य सहित पीआरआई लाइन के सभी उपभोक्ता इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं।

वस्त्र मशीनरी का आयात

2293. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र मशीनरी के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक सरकार द्वारा अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा;

(ग) क्या नई तथा परंपरागत तकनीक का समन्वय करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घरेलू वस्त्र मशीनरी उत्पादन कंपनियां मांग को पूरा करने में सक्षम हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत तथा विदेशी उत्पादक कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करके एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि तक कितनी प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने पहले ही वस्त्र मशीनरी के आयात को उदारीकृत कर दिया है क्योंकि खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत सभी मशीनरी (नई और पुरानी) आयात किए जाने की अनुमति है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) घरेलू वस्त्र मशीनरी विनिर्माता कंपनियों ने अपने उत्पादन में पहले ही पर्याप्त वृद्धि कर दी है और मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में और वृद्धि करने में लगी हुई हैं।

(च) जी, नहीं। सरकार का संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वायुसेना के पायलटों की सेवाओं का उपयोग

2294. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना के कई प्रशिक्षित तथा फिट पायलट वायुयानों की अनुपलब्धता के चलते बेकार बैठे हैं या कुछ डेस्क कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके प्रशिक्षण पर कितना व्यय हुआ;

(घ) उनकी सेवा का उपयोग करने के लिए क्या योजना है; और

(ङ) रूस द्वारा प्रत्येक सुखोई विमान के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग वायुयानों के अधिग्रहण को किस सीमा तक प्रभावित करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) भारतीय वायुसेना में कोई प्रशिक्षित तथा योग्य पायलट बेकार नहीं बैठा है। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षित पायलट जो भूमि पर कार्य कर रहे हैं, वे उन्हीं प्राधिकृत पदों पर हैं जिन पर भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को बनाए रखने की दृष्टि से फ्लाइंग ब्रांच अफसरों को तैनात किया जाना जरूरी होता है।

पायलट के कार्यों में फ्लाइंग प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। संक्रियात्मक उड़ान प्रशिक्षण की औसत लागत अलग-अलग विमानों के संबंध में अलग-अलग होती है। इसके अलावा, सभी बेड़ों एवं प्रणालियों के बारे में सभी कार्मिक संक्रियात्मक परिवर्तन तथा सतत प्रशिक्षण से गुजरते हैं। यह कार्यकलाप चलता रहता है।

(ङ) रूस से होने वाली आपूर्तियां परस्पर सहमत मूल्य निर्धारण तंत्र पर आधारित हैं तथा इससे सुखोई विमानों का अधिग्रहण प्रभावित नहीं होगा।

[हिन्दी]

स्पेक्ट्रम के आबंटन पर सुरक्षा चिंताएं

2295. श्री किरेन रिजीजू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच स्पेक्ट्रम खाली करने के मुद्दे पर मतभेद है तथा एक मंत्रियों के समूह की स्थापना इस मतभेद को दूर करने के लिए की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा क्षेत्र से स्पेक्ट्रम खाली कराने का है ताकि इसे निजी कंपनियों को दिया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रक्षा विभाग की आवश्यकताओं तथा शर्तों और निबंधनों को पूरा किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) "स्पेक्ट्रम खाली कराने और इस प्रयोजनार्थ संसाधन जुटाने" के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा खाली किए गए स्पेक्ट्रम का उपयोग मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए किया जाएगा।

(ङ) और (च) रक्षा मंत्रालय में दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि को शामिल करके गठित की गई परियोजना निर्धारण टीम (पीडीटी) की सिफारिशों के अनुसार जीएसएम और 3जी फ्रीक्वेंसी बैंडों में स्पेक्ट्रम मुक्त करने के लिए एक आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर कार्य शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

एच. एस. डी. तेल पर मछुआरे विकास छूट

2296. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के लिए हाई स्पीड डीजल पर मछुआरे विकास छूट की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार उपर्युक्त लंबित राशि में केन्द्र का कितना अंश है;

(घ) केन्द्रीय अंश जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक इसे जारी कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने राज्य में एच एस डी आयल पर मछुआरा विकास छूट संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना समुद्री मात्स्यिकी घटक के क्रियान्वयन के लिए 2006-07 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उनको जारी 380 लाख रुपए की पूरी राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण दूरभाष केन्द्र

2297. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र के परभनी तथा जालना जिलों में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार तथा स्थान-वार कार्यरत ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) गत एक माह से खराब पड़े ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण केन्द्रों में खराबी के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेवार पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) महाराष्ट्र के परभनी और जालना जिलों सहित देश में भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्य कर रहे कुल 29244 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) शून्य।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(तालिका-क)

क्र.सं	दूरसंचार विभाग	भारत संचार निगम लि. के विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में कार्यरत ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	अपवृत्तियां, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	43	
2.	आंध्र प्रदेश	3146	
3.	असम	427	
4.	बिहार	995	
5.	कोलकाता दूरसंचार जिला	शून्य	
6.	चेन्नै दूरसंचार जिला	85	
7.	छत्तीसगढ़	441	
8.	गुजरात	2677	दमन व दियू संघ राज्य क्षेत्र सहित
9.	हरियाणा	892	
10.	हिमाचल प्रदेश	941	
11.	जम्मू-कश्मीर	254	
12.	झारखंड	294	
13.	कर्नाटक	2224	
14.	केरल	992	
15.	महाराष्ट्र	4310	गोवा संघ राज्य क्षेत्र सहित व मुंबई महानगर को छोड़कर
16.	मध्य प्रदेश	2169	
17.	पूर्वोत्तर-I	256	मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम
18.	पूर्वोत्तर-II	160	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मणिपुर

1	2	3	4
19.	उड़ीसा	936	
20.	पंजाब	1218	चंडीगढ़ संघ राज्य व हरियाणा राज्य व कुछ क्षेत्र
21.	राजस्थान	1953	
22.	तमिलनाडु	1217	चेन्नै दूरसंचार जिला को छोड़कर
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1632	
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	493	
25.	उत्तरांचल	343	
26.	पश्चिम बंगाल	1146	सिक्किम राज्य सहित व कोलकाता दूरसंचार जिला को छोड़कर
जोड़		29244	

(तालिका-ख) महाराष्ट्र के जालना और परभनी जिलों में

क्र.सं.	जिला	महाराष्ट्र में कार्य कर रहे ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	परभनी	101
2.	जालना	90

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में अनियमितताओं की शिकायतें

2298. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों से मिलने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निपटान दूरसंचार विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। प्राप्त हुई सभी शिकायतों का निपटान मुख्य सतर्कता आयुक्त के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता

2299. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) तमिलनाडु की सरकार से राज्य में कृषि क्षेत्र सुधार के लिए विशेष रूप से वित्तीय सहायता मांगने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

वायुसेना द्वारा एयरोबेटिक्स प्रदर्शन

2300. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वायुसेना द्वारा कितने एयरोबेटिक्स प्रदर्शन किए गए तथा किन-किन स्थानों पर किए गए;

(ख) क्या वायुसेना का युवकों के बीच जागरूकता लाने के लिए छोटे शहरों सहित देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के प्रदर्शन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) वायुसेना ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में 124 एयरोबेटिक्स प्रदर्शन किए थे।

(ख) और (ग) जी, हां। छोटे शहरों सहित देश के विभिन्न भागों में ऐसे प्रदर्शनों की आयोजना सिविल/राज्य एजेंसियों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

जीएसएम आपरेटर्स को स्पेक्ट्रम का आबंटन

2301. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्व भागीदारी आधार पर स्पेक्ट्रम के आबंटन पर जीएसएम आपरेटर्स के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महसूस करती है कि नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम का आबंटन और अधिक पारदर्शी तथा राजकोष में और ज्यादा राजस्व लाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या विधि मत के अनुसार राजस्व भागीदारी से नीलामी के आधार पर परिवर्तन मनमाना, भेदभावपूर्ण तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) में यह व्यवस्था है कि स्पैक्ट्रम प्रभार, समय-समय पर अलग से यथा-अधिसूचित, राजस्व भागीदारी आधार पर देय होंगे।

(ख) ट्राई की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी नहीं करने तथा फिलहाल मौजूदा दिशा-निर्देशों को ही जारी रखने का फैसला लिया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य आयात

2302. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से केरल के मछुआरों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया है क्योंकि मत्स्य आयात बाजार में मछली के मूल्य घटाकर उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत मछली आयात करने को लेकर केरल के मछुआरों द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से उठाई गई आपत्ति पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि यह भारतीय मछुआरों के हितों के खिलाफ होगा, अत: इसे शुल्क उदारीकरण कार्यक्रम के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में किसी मुद्दे की संवेदनशीलता को आर्थिक अध्ययन तथा घरेलू पणधारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/राज्य सरकारों आदि के साथ परामर्श के आधार पर तय किया जाता है। इसके अलावा, समझौता आयात में उछाल आने से घरेलू उद्योग को होने वाली समस्याओं की स्थिति में एंटी डंपिंग जैसे प्रावधान के द्वारा उचित सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

रेडियो संचार हेतु फ्रीक्वेंसी

2303. **श्री प्रतीक पी. पाटील:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में कोयना वन्य जीव अभयारण्य तथा चंदोली राष्ट्रीय उद्यान को पेट्रोलिंग उद्देश्य के लिए रेडियो संचार हेतु फ्रीक्वेंसी प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वन संरक्षक, कोल्हापुर वन्य जीव, कोल्हापुर से कोयना वन्य जीव अभयारण्य और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान के लिए वायरलेस लाइसेंसों की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। आवश्यक तकनीकी विश्लेषण के पश्चात अति उच्च आवृत्ति (वीएचएफ) बैंड में तकनीकी पैरामीटरों के साथ उपयुक्त आवृत्ति स्थलों को तय कर लिया गया है। तथापि, आवेदक को इन आवृत्ति स्थलों के बारे में सूचना कतिपय स्पष्टीकरणों के प्राप्त न होने के कारण नहीं दी जा सकी। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्र

2304. **डा. रामेश्वर उरांव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के पलामू, गढ़वा, लटेहर, लोहरदगा तथा गुमला जिलों में कई दूरभाष केन्द्र किराए के निजी घरों में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के लिए भवन निर्माण करने तथा कर्मचारियों के लिए आवास हेतु भवन का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जब भी विभागीय भूमि उपलब्ध होगी, भवनों की आयोजना तैयार की जाएगी और उन्हें निर्मित किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन जगहों पर भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि अधिग्रहण के प्रयास किए जा रहे हैं। जब भी विभागीय भूमि उपलब्ध होगी, टेलीफोन एक्सचेंज भवनों और/या स्टाफ क्वार्टरों की आयोजना तैयार की जाएगी और उनका निर्माण किया जाएगा।

ब्राडबैंड सेवा को बंद किया जाना

2305. श्री राकेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में देश में विशेष रूप से जबलपुर में बीएसएनएल ब्राडबैंड सेवाओं को बन्द करने की घटना आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा उठाई जा रही हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में हो रही हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। बीएसएनएल ब्राडबैंड कनेक्शनों की अच्छी-खासी मांग है। जनवरी, 2005 माह से, जब से बीएसएनएल ब्राडबैंड चालू हुआ है, क्षमता के हिसाब से मांग ज्यादा रही है। जबलपुर में भी ब्राडबैंड कनेक्शनों की संख्या में सतत् रूप से वृद्धि हो रही है। ब्राडबैंड कनेक्शनों की वृद्धि का ब्यौरा निम्नवत् है:

दिनांक	जलबपुर में ब्राडबैंड कनेक्शनों की संख्या	बीएसएनएल के ब्राडबैंड कनेक्शनों की कुल संख्या (लाख में)
31.03.2006	2245	5.52
31.03.2007	3076	9.42
27.11.2007	4145	12

(ख) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोबाइल पर टीवी

2306. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने हैदराबाद में नवंबर, 2007 में "मोबाइल पर टीवी" सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की विशेषताएं और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक ग्राहक द्वारा कितने मासिक किराये का भुगतान किया जाएगा;

(घ) क्या इस योजना का विस्तार देश के उन अन्य भागों में भी किया जाएगा, जहां बीएसएनएल कार्यरत है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) मोबाइल सेवा पर बीएसएनएल टीवी की मुख्य विशेषताएं हैं – मांग पर, टीवी चैनलों व अन्य मोबाइल एक्सक्लूजिव वीडियो कंटेंट से धाराप्रवाह/उत्तरोतर सीधा तथा वीडियो प्रसारण।

(ग) उपभोक्ता द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिया जाने वाला मासिक शुल्क निम्नानुसार है:

सेवा	मूल्य बिंदु
प्रतिदिन अदा करें – किसी चैनल को असीमित रूप में पूरे एक दिन देखने के लिए	10/- रु. (केवल दस रु.)
प्रति चैनल अदा करें–मासिक अभिदान	50/- रु. (केवल पचास रु.)
सभी चैनल – मासिक अभिदान	150/- रु. (केवल एक सौ पचास रु.)
प्रिव्यू	मुफ्त प्रिव्यू – एक महीना
एप्लिकेशन डाउनलोड	मुफ्त

(घ) जी, हां।

(ङ) मोबाइल पर टीवी सेवा निम्नलिखित स्थलों तक पहुंचा दी गई है:

(i) बीएसएनएल पूर्व जोन – सेवा वाणिज्यिक रूप से शुरू कर दी गई है और उपलब्ध है।

(ii) बीएसएनएल उत्तर जोन – सेवा वाणिज्यिक रूप से शुरू कर दी गई है और उपलब्ध है।

(iii) बीएसएनएल दक्षिण जोन – सेवा वाणिज्यिक रूप से केवल आंध्र प्रदेश सर्किल में शुरू की गई है और कुछ सप्ताह में अन्य सर्किलों में भी शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

(iv) बीएसएनएल पश्चिम जोन के संबंध में अगले कुछ सप्ताह में वाणिज्यिक रूप से सेवा शुरू होने की संभावना है।

दलहनों का आयात

2307. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलहनों की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में म्यान्मार से दालों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात किए गए दलहनों की मात्रा, उसके मूल्य तथा उस पर सब्सिडी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या म्यान्मार से जहाज पर माल लादे जाने में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस विलम्ब के कारण देश में दलहनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में दलहनों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) वर्ष 2007-08 (28.11.07) के दौरान राज्य एजेंसियों (नेफेड, पी ई सी लि., एम एम टी सी और एस टी सी) ने म्यान्मार से दालों के आयात हेतु 384-704.45 अमेरिकी डालर की रेंज में 2.46 लाख मीट्रिक टन की संविदा की।

(ख) गत तीन वर्षों में म्यान्मार से आयातित दालों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)
2004-05	479229	67904.26
2005-06	459624	86729.49
2006-07	605794	156561.90

सरकार ने निर्णय लिया है कि नेफेड वर्ष 2006-07 के दौरान उतराई तक की लागत के 25 प्रतिशत तक दालों के आयात में सब्सिडी रखेगा। चालू वर्ष के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नेफेड को दालों के आयात पर हुए घाटों की प्रतिपूर्ति लेने की अनुमति दी जाए जो 15 प्रतिशत और घाटे की न्यूनतम प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।

(ग) एमएमटीसी, एसटीसी, पीईसी और नेफेड जैसी सरकारी एजेंसियों को म्यान्मार से दालों के शिपमेंट में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

(1) 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया था और शून्य शुल्क

पर दालों के आयात की वैधता की अवधि को 31.3.2007 से बढ़ाकर 1.8.2007 तक और फिर 31.3.2009 कर दिया गया है।

(2) 22 जून, 2006 से दालों (7.3.2007 से काबुली चने के निर्यात को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। दालों के निर्यात पर प्रतिबंध प्रारंभ में 31.3.2007 तक था और उसको विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 9.3.2007 की अधिसूचना के द्वारा 31.3.2008 तक आगे बढ़ा दिया गया।

(3) सरकार की पहल पर राज्य एजेंसियां (नेफेड, पीईसीलि., एमएमटीसी और एसटीसी) 1.5 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात करने का लक्ष्य रखेंगी। इन एजेंसियों द्वारा किए गए 12.23 लाख टन दाल की कुल संविदा में से 13.11.2007 तक 7.21 लाख टन पहले ही पहुंच चुकी हैं।

(4) वायदा बाजार आयोग ने 23.1.2007 को तीन राष्ट्रीय एक्सचेजों अर्थात् (क) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि., (ख) नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लि., (ग) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लि. को तूर और उड़द की सभी संविदाओं को सूची से हटाने तथा तूर और उड़द की सभी संविदाओं में सभी बकाया पोजीशनों को 23.1.2007 को बंद मूल्य पर समाप्त करने का निदेश दिया। वायदा बाजार आयोग ने यह भी कहा है कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना आगे कोई संविदा नहीं की जाएगी और उड़द व तूर में संविदाओं के लिए पहले दी जा चुकी अनुमति आहरित मानी जाएगी।

(5) योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो वस्तुओं के मूल्यों पर भावी सौदा व्यापार के प्रभाव, यदि कोई हो, का अध्ययन करेगी।

(6) प्रचलित मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 29.8.2006 को एक केंद्रीय आदेश जारी किया था ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों की स्टाक सीमा को छः महीने की अवधि तक लागू कर सकें। इस आदेश के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन मदों के जमा स्टाक को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं ताकि उचित मूल्यों पर आम जनता को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने 1.9.2007 के केंद्रीय आदेश की अवधि को अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है।

भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग

2308. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-फ्रांस उच्च स्तरीय रक्षा समिति ने हाल ही में आयोजित एक बैठक के दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है, जिन पर दोनों देश सहमत हुए हैं; और

(घ) समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात् दोनों देशों के बीच स्थापित रणनीतिक भागीदारी की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) जी, नहीं। भारत में 29-30 अक्तूबर, 2007 को आयोजित की जाने वाली भारत-फ्रांस उच्च स्तरीय रक्षा समिति की 10वीं बैठक स्थगित कर दी गई थी।

भारत गणराज्य सरकार और फ्रांस गणराज्य सरकार के बीच रक्षा और सैन्य क्षेत्रों, रक्षा उद्योग, उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, संयुक्त युद्धाभ्यासों, प्रशिक्षण, रक्षा वृत्तिकों के दौरों के आदान-प्रदान आदि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर 20 फरवरी, 2006 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

[हिन्दी]

प्याज की खेती

2309. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्याज की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): प्याज सहित बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए दो केन्द्र

प्रायोजित स्कीमें अर्थात राष्ट्रीय बागवानी मिशन और बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए, देश में कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें किसानों के लिए गुणवत्ता रोपण सामग्री/एलीट कल्टीवेटरों के बीजों, नई प्रौद्योगिकियों के अपनाने, एकीकृत कीटनाशक और रोग प्रबंधन, एकीकृत पोषक प्रबंधन तथा विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकों के लिए गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ फार्म यंत्रीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिससे क्षेत्र की वृद्धि, प्याज सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि में मदद मिलती है। उक्त के अतिरिक्त, प्याज सहित सब्जी फसलों/मशालों के क्षेत्र विस्तार के लिए भी सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

रेशम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन और मांग

2310. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात देश में रेशम की विभिन्न किस्मों का राज्य-वार कुल उत्पादन और मांग कितनी रही;

(ख) क्या रेशम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन इसकी मांग के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) रेशम के उत्पादन और मांग के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने ग्यारहवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान 4500 करोड़ रु. के रेशम निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) दसवीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किए गए वार्षिक निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर महानगरों में रेशम निर्यात के प्रोत्साहन के लिए रेशम प्रदर्शनियां आयोजित करने का है;

(झ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) रेशम की विभिन्न किस्मों विशेषकर मूगा की विश्वसनीयता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) देश में पिछले तीन वर्षों में कच्ची रेशम का उत्पादन एवं कच्ची रेशम की वार्षिक मांग नीचे दी गई है।

वर्ष	कच्ची रेशम का उत्पादन (मी. टन)			कच्ची रेशम की अनुमानित मांग (मी. टन)
	शहतूत	वन्य (गैर-शहतूत)	कुल	
2004-05	14620	1880	16500	24000
2005-06	15445	1860	17305	25000
2006-07	16525	1950	18475	26000

पिछले तीन वर्षों में कच्ची रेशम का राज्यवार एवं किस्मवार उत्पादन और मांग का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कच्ची रेशम का उत्पादन मांग की तुलना में कम होता है। मांग और आपूर्ति में अंतर का कारण निम्न उत्पादकता, रेशम का उत्पादन अधिकांशत: दक्षिणी राज्यों में सीमित होना, उत्पादन एवं इनपुट्स की उच्च लागत, किसानों का अन्य कृषि क्रियाकलापों में चला जाना जिसके फलस्वरूप शहतूत खेती के तहत क्षेत्र की कमी हुई है तथा अस्थिर बाजार इत्यादि हैं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीविका में सुधार करने तथा उनकी आय बढ़ाने तथा कच्ची रेशम का उत्पादन बढ़ाने के भी उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना के दौरान मुख्यत: बी वी शहतूती रेशम के उत्पादन के लिए शहतूती खेती के तहत 26,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव है। 11वीं योजना में उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संशोधित केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव है जिसके माध्यम से रेशम उद्योग के भागीदारों को बीज, कोया तथा कोया पश्चात क्षेत्र का विकास करने के लिए सब्सिडी के रूप मे सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजनाएं राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी जिसका उद्देश्य रेशम उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादकता बढ़ाना होगा।

(ङ) और (च) रेशम वस्तुओं के निर्यात से आय के लिए 11वीं योजना के लिए लक्ष्य (वर्ष-वार) नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए)
2007-08	3770
2008-09	3970
2009-10	4150
2010-11	4325
2011-12	4500

- सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद मुंबई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान कर रही है।
- सरकार ने एक्जिम पालिसी के तहत निर्यातकों के लिए विशिष्ट मूल्यवर्धित/इनपुट-आउटपुट मानदंडों, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत कच्ची सामग्री की शुल्क मुक्त आयात की सुविधा तथा निर्यात उत्पादों के लिए पूंजीगत सामानों की रियायती दर पर आयात का युक्तिसंगत बनाया है।
- उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए रेशम क्षेत्र के साथ-साथ वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत चालू दर से 5% कम दर पर ऋण।
- रेशम मशीनरी पर आयात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया गया है।
- भारतीय रेशम की गुणवत्ता, इसकी उत्पादकता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार करने के लिए उच्च गुणवत्ता की बायवोल्टाइन रेशम का उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर एवं झारखंड के मौजूदा क्षेत्रों में शहतूत रेशम का संवर्धन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे दूसरे क्षेत्रों में इसका विस्तार करने पर काफी जोर दिया जा रहा है। रेशम विकास प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रौद्योगिकीय सुधार करने तथा करघा और डिजायनों में इस प्रकार से सुधार करने के लिए इनपुट्स उत्पादों का विविधीकरण करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि वे देश के निर्यात हिस्से को बढ़ा सके।

(छ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड वस्तुओं का निर्यात सीधे नहीं करता है। तथापि, दसवीं योजना के दौरान रेशम वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े विवरण-III में दिए गए हैं।

(ज) और (झ) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद प्रत्येक वर्ष निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप करती है। परिषद का वार्षिक रेशम सप्ताह कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे में 22-26 फरवरी 2007 के दौरान आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मौसमी प्रवृत्तियों के अनुसार रेशम का नवीनतम संग्रह विभिन्न रेशम एरीना स्टाल्स में प्रदर्शित किया गया था। परिषद ने 23 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली के निफ्ट परिसर में हथकरघा मार्क योजना/बाजार पहुंच पहल एवं बाजार विकास सहायता योजना पर संगोष्ठी भी आयोजित की।

(ञ) मूगा रेशम किस्म की विश्वसनीयता की सुरक्षा करने के लिए, असम सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) विभाग (ए एस टी ई सी) जो एक स्वायत्त निकाय है, ने आसाम के लिए अनन्य सीमरिंग गोल्डन यलो मूगा सिल्क के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक सांकेतिक (जीआई) मार्क प्राप्त करने के लिए पहल की है। मूगा सिल्क संबंधी भौगोलिक सांकेतिक (जी आई) मार्क भौगोलिक सामग्री संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षा) अधिनियम, 1999 के तहत दिया गया था। मूगा सिल्क के लिए जीआई टैग एक मील का पत्थर है और यह वैश्विक बाजारों में इसकी गुणवत्ता एवं ख्याति बनाए रखने में काफी सहायक होगा।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्य कच्ची रेशम तथा शहतूत का राज्यवार उत्पादन

(इकाई मी. टन)

राज्य	2004-05					2005-06					2006-07				
		वन्य रेशम					वन्य रेशम					वन्य रेशम			
	शहतूत	तसर	एरी	मूगा	कुल	शहतूत	तसर	एरी	मूगा	कुल	शहतूत	तसर	एरी	मूगा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	5034	16	10	-	5110	5375	20	27	-	5422	5526.00	15.50	14.00		5555.50
अरुणाचल प्रदेश	ना.	-	4	0.1	4	1	ना.	10	0.24	11	0.40	-	5.00	0	6.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
असम	9	-	554	104	667	8	-	745	104	857	11.00	-	740.00	107.00	858.00
बिहार	8	8	15	-	31	3	14	3	-	20	4.00	11.00	1.30		16.30
छत्तीसगढ़	2.3	120	1	-	123	3	90	2	-	95	4.03	110.00	3.10		117.13
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	12	-	-	-	12	16	-	-	-	16	17.00	-	-	-	17.00
जम्मू-कश्मीर	93	-	-	-	90	95	-	-	-	95	102.00	1.00	-	-	103.00
झारखंड	नग.	91	1	-	92	1	96	नग.	-	97	1.00	120.00	0.20		121.20
कर्नाटक	7301.9	-	-	-	302	747	-	-	-	7471	7883.00	-	-		7883.00
केरल	8	-	-	-	8	12	-	-	-	12	14.00	-	10.00		24.00
मध्य प्रदेश	14	14	-	-	28	23	16	-	-	39	30.00	16.00	-		46.00
महाराष्ट्र	37	5	-	-	42	44	6	-	-	50	80.00	7.00	-		87.00
मणिपुर	54	3	431	0.1	488	48	3	235	0.06	286	70.00	3.00	374.00	0.20	447.20
मेघालय	2.5	-	327	5.4	335	3	-	280	5.4	288	1.25	-	202.00	5.80	209.05
मिजोरम	5	नग.	3	0.1	8	6	नग.	3.2	0.07	9	6.00	0.20	4.20	0.20	10.60
नागालैंड	0.5	0.2	98	0.1	99	1	नग.	130	0.18	131	1.25	0.15	115.00	0.20	116.60
उड़ीसा	2	33	1	-	36	2	21	2	-	25	2.10	35.00	4.10	-	41.20
पंजाब	4	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4.00	-	-	-	4.00
राजस्थान	0.3	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0.30	-	-	-	0.30
सिक्किम	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0.20	-	0.10	-	0.30
तमिलनाडु	443	-	0.6	-	444	739	-	नग.	-	739	1125.00	-	-	-	1125.00
त्रिपुरा	-	-	-	-	4	4	-	-	-	4	5.00	-	-	-	5.00
उत्तर प्रदेश	9.5	2	-	-	12	19	3	0.5	-	23	25.00	4.00	4.00	-	33.00
उत्तरांचल	9	4	0.6	-	14	14	5	नग.	नग.	19	14.00	0.15	-	-	14.15
प. बंगाल	1520.09	26	2	0.2	1548	1552	34	4	0.2	1591	1598.00	27.00	8.00	0.20	1633.20
कुल	14620	322.2	1438.2	110	16500	15445	288	1415	110	17258	16525	350	1485	115	18475

स्रोत: संबंधित राज्य के रेशम विभाग - शून्य नग. नगण्य (50 किग्रा. से कम)

एसएस-27-11-2007

विवरण-II

कच्चे रेशम के लिए राज्यवार अनुमानित मांग

क्र.सं.	राज्य	कच्चे रेशम के लिए अनुमानित मांग (एम.टी.एस.)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	1500	1500	1500
2.	कर्नाटक	7000	7250	7500
3.	तमिलनाडु	1000	1500	1700
4.	जम्मू-कश्मीर	100	100	100
5.	उत्तर प्रदेश*	5500	5500	6000
6.	बिहार	100	150	200
7.	पश्चिम बंगाल	2000	2000	2000
8.	असम	2000	2000	2000
9.	अन्य	4800	5000	5000
	कुल	24000	25000	26000

*वाराणसी सहित

विवरण III

रेशम के सामानों से अर्जित आय

क्र.सं.	निर्यात की मद	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007 (अ)	
		करोड़ रुपए	मि.अमरी.	करोड़ रुपए	मि.अमरी.	करोड़ रुपए	मि.अमरी.	करोड़ रुपए	मि.अमरी.	करोड़ रुपए	मि.अमरी.
1.	प्राकृतिक रेशम यार्न फैब्रिक्स मेड अप्स	1654.96	342.00	1954.11	425.11	2008.33	446.99	2228.88	503.47	1933.52	427.30
2.	सिलेसिलाए परिधान	527.20	108.95	699.52	152.20	746.29	166.10	842.06	190.21	1164.81	257.42
3.	रेशमी कार्पेट	96.13	19.87	120.22	26.16	123.65	27.52	103.36	23.35	124.01	27.41
4.	रेशम अपशिष्ट	15.76	3.26	5.34	1.16	1.29	0.29	19.90	4.50	22.10	4.88
	कुल	2294.05	474.08	2779.19	604.70	2879.56	640.90	3194.20	721.53	3244.44	717.01

अ: अनंतिम

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

[हिन्दी]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा

2311. श्री जीवाभाई ए. पटेल:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जैसे संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है कि सरकार को इन संगठनों से घाटा हो रहा है और निजी क्षेत्रों को लाभ हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन एजेंसियों को निजी क्षेत्र से प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपबंध किए गए हैं; और

(घ) उक्त उपबंधों के अंतर्गत उक्त संगठनों के कार्यकरण के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, पटल पर रखे जाने वाले कागजात संबंधी समिति आदि विभिन्न समितियों द्वारा ट्राई के कार्यकरण की जांच/समीक्षा की जाती है। ट्राई के बजटीय प्रस्तावों और कार्यकरण की समीक्षा ट्राई से मौखिक साक्ष्य और लिखित टिप्पणियां मंगाकर, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा की जाती है। ट्राई द्वारा जारी विनियमों की भी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा जांच की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट में इसके क्रियाकलापों के सारोल्लेख के माध्यम से भी संसद के प्रति ट्राई की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

इसके अलावा ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन कर, सरकार ने मई, 2000 में दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडी एसएटी) की स्थापना निम्नवत किसी विवाद के न्याय निर्णय के लिए की थी:

(i) किसी लाइसेंसदाता और लाइसेंस प्राप्तकर्ता के बीच;

(ii) दो या उससे ज्यादा सेवा प्रदाताओं के बीच;

(iii) किसी सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच; और

ट्राई के किसी निदेश, निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध सुनवाई और निपटान के लिए।

भारतीय नौक्षेत्र का अतिक्रमण

2312. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब सागर स्थित भारतीय नौक्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) अरब सागर में भारतीय जलीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अतिक्रमण के बारे में सरकार के पास कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल नियमित रूप से निगरानी करते हैं तथा भारतीय जलीय क्षेत्र में किसी तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए वहां पर अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं।

[अनुवाद]

दलहनों का निर्यात

2313. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे खाद्यान्नों का कर्नाटक के बागलकोट जिले में उत्पादन किया जाता है और अन्य देशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों से आज तक प्रदान की गई परिवहन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जैसाकि कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में ज्वार तथा बाजरा मुख्यत: स्वयं उपभोग के लिए उगाई जाती है क्योंकि यह अनाज

क्षेत्र के स्टेपल भोजन हैं, जबकि मक्का, पोल्ट्री तथा स्टार्च उद्योगों द्वारा उपभोग की जाती है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की जानकारी नहीं रखी जाती है।

आंध्र प्रदेश में सहकारी समितियों का पुनरुद्धार

2314. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में रूग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए 173 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैकेज से पुनरुद्धार की जाने वाली रूग्ण सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार आंध्र प्रदेश में रूग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए 300 करोड़ रु. आबंटित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों पर, भारत सरकार ने अल्प अवधि ग्रामीण सहकारी साख संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज अनुमोदित किया है। आंध्र प्रदेश के संबंध में, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और मानीटरिंग समिति (एसएलआईसी) ने सभी 22 जिलों में प्रारम्भिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) के संबंध में 2761.26 करोड़ रु. के कुल दावों का संकलन किया है। एसएलआईसी ने 30 जून, 2004 को 50% की वसूली स्तर और इससे ऊपर तक पीएसीएस के संबंध में केवल पुन: पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की थी। पुन: पूंजीकरण सहायता निम्नलिखितानुसार जारी की गई है:

भारत सरकार का हिस्सा	423.64 करोड़ रु.
राज्य सरकार का हिस्सा	79.65 करोड़ रु.
पीएसीएस का हिस्सा	65.80 करोड़ रु.
कुल	568.09 करोड़ रु.

[हिन्दी]

अन्य देशों को आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण

2315. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफ्रीकी देशों की सशस्त्र सेनाओं को आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) किसी भी सेना ने किसी भी अफ्रीकी देश की सशस्त्र सेनाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण नहीं दिया है। नौसेना हेल्थ केयर में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुहैया कराती है लेकिन आज की तारीख तक किसी भी अफ्रीकी देश ने ऐसे प्रशिक्षण का लाभ नहीं उठाया है। वायुसेना ने हाल में वैमानिकी मेडिसन के प्राथमिक पाठ्यक्रम में नाइजीरिया को एक स्थान दिया है। इसके अलावा, अफ्रीकी देश नामत: बोत्सवाना (3) और लीसोथो (1) की सशस्त्र सेनाओं के चार अधिकारी छात्र इस समय सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में एम बी बी एस पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

निजी कंपनियों को "अनुसंधान विकास रत्न" प्रदान करना

2316. **श्री बापू हरि चौरे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "रक्षा उद्योग रत्न" की तर्ज पर कुछ निजी कंपनियों को "अनुसंधान विकास रत्न" और "अनुसंधान लघु विकास रत्न" का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ऐसे उद्योगों, विशेषकर लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों की पहचान करने की संभावना का अध्ययन कर रहा है जो उच्च विशेषीकृत क्षेत्रों में उत्पाद विकास के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के भागीदार बन सकें।

[अनुवाद]

एनसीएलपी के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव

2317. **श्री प्रकाश बी. जाधव:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रम शिक्षा और पुनर्वास के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने बच्चों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में कितनी केन्द्रीय सहायता राशि की मांग की गई तथा मांग की एवज में कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(घ) इस वर्ष प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने और अनुदान सहायता देने में विलंब के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) राज्य सरकारें समय-समय पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत परियोजना की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं तथापि, सरकार द्वारा जनगणना आंकड़ों के आधार पर बाल श्रम बहुल जिले में परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं। 9वीं योजना के दौरान, महाराष्ट्र के सोलापुर तथा थाणे जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया था। 10वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के 11 और जिलों नामत: पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव, नंदुरबर, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, धुले और बीड़ को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में महाराष्ट्र के विशेष स्कूलों में 14800 बच्चे कवर किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 7619, 9478 और 7214 बच्चों को कवर किया गया और पुनर्वासित किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्कीम के क्रियान्वयन पर क्रमश: 1.68 करोड़, 1.92 करोड़ रुपये और 2.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(घ) महाराष्ट्र राज्य से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के पहचान किए गए जिलों के संबंध में पूर्ण प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने तथा इन जिलों को सहायता अनुदान जारी करने में कोई देरी नहीं की गई है।

वस्त्र कामगारों की शिकायतें

2318. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वस्त्र कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्र कामगारों की शिकायतों का पता लगाने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) एक शिकायत समिति, वस्त्र मंत्रालय में कार्यरत जन/कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र (पीजीआरएम) के कार्यचालन को मानीटर करती है। जन/कर्मचारी शिकायतों पर संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी कार्रवाई की जाती है।

संपूर्ण वस्त्र इकाई अथवा किसी विशेष हिस्से के स्थाई रूप से बंद होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने 15 सितंबर, 1986 से वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना शुरू की है।

कामगार भागीदारी योजना के तहत राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की इकाइयों में प्रबंध समितियों का गठन किया गया जिनमें कामगारों के सुझावों/शिकायतों पर समितियों में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चर्चा की जाती है और उन पर लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है। कामगारों के कल्याण एवं शिकायतों के निवारण के लिए एनटीसी की मिलों में सांविधिक आवश्यकता के अनुसार श्रमिक कल्याण अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) में वस्त्र कामगारों की शिकायतों का निवारण विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ परामर्श प्रबंधन द्वारा किया जाता है।

गोदाम किराए पर लेना

2319. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने सात वर्षीय गारंटी योजना के तहत राज्य भांडागार निगमों से उच्च दरों पर गोदाम किराए पर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान उठाना पड़ा;

(ग) क्या एफसीआई द्वारा इस प्रकार अर्जित भंडारों की खाली जगह अप्रयुक्त पड़ी रही; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस खामी के लिए जिम्मेवार पाए गए एफसीआई अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सात वर्षीय गारंटी स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में वर्ष 2001 से 2004 तक के दौरान राज्य भंडारण निगमों द्वारा सीधे और प्राइवेट निवेशकों के जरिए राज्य भंडारण निगमों द्वारा निर्माण कराए गए गोदामों को किराए पर लिया था। भारतीय खाद्य निगम ने 2005 तक केन्द्रीय भंडारण निगम के बराबर भंडारण प्रभारों का भुगतान केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों को किया था। तथापि, 2005 के दौरान यह नोटिस में आया था कि प्राइवेट निवेशकों द्वारा निर्मित गोदामों के मामले में राज्य भंडारण निगमों ने काफी कम दरों पर किराए के लिए निवेशकों के साथ करार किया था। ऐसे मामलों की जांच करने पर, भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट निवेशकों के गोदामों के संबंध में किराए को निवेशकों और राज्य भंडारण निगमों के बीच सहमत हुई राशि जमा रखरखाव प्रभार जमा वास्तविक परिरक्षण प्रभार जमा 15 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार तक सीमित कर दिया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। चूंकि उपलब्ध भंडारण स्थान का उपयोग विभिन्न घटकों अर्थात् खरीदारी की सीमा, वसूली राज्यों से स्टाक की प्राप्ति, विभिन्न स्कीमों के अधीन उठान पर निर्भर करता है, इसलिए प्रत्येक गोदाम का शत-प्रतिशत उपयोग संभव नहीं हो पाता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस प्रकार किराए पर लिए गए भंडारण स्थान का खरीदे गए स्टाक को रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं में आपूर्तियों के लिए स्टाक रखने हेतु व्यवहार्य सीमा तक उपयोग किया गया है।

[हिन्दी]

सड़ रहे खाद्यान्न

2320. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री वी.के. ठुम्मर:
प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों के स्टाक सरकारी भांडागारों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में सड़ रहे हैं और अब मानवीय उपभोग के योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज तक कितनी मात्रा में ऐसे खाद्यान्न खराब हुए और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी बर्बादी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस खराब रखरखाव के लिए जिम्मेवारी तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि खुले गोदामों में स्टाक पड़ा रहने, मौसम में उतार-चढ़ाव होने, अचानक बाढ़, चक्रवात आदि आने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भंडारण के दौरान कुछ खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा स्टाक का स्वरूप, खराब होने वाला होने के कारण ये मार्गस्थ रहने, बहु हैंडलिंग और लम्बी दूरी तक ढुलाई करने के दौरान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में और उसके बाद आज की तारीख तक क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	मात्रा (लाख टन में
1.	2004-05	0.97
2.	2005-06	0.95
3.	2006-07	0.25
4.	अप्रैल, 07 से अक्तूबर, 07 तक	0.32

(ग) भंडारण में स्टाक का परिरक्षण करने और ऐसी क्षति की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं:

(i) खरीदारी के समय और भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता की मानीटरिंग करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किए जाए और खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। इसके अलावा योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा खाद्यान्नों के स्टाक के नियमित आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं।

(iii) स्टाक का नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपचार करना तथा 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' के सिद्धांत का अनुपालन करके खाद्यान्न जारी करना।

(घ) और (ङ) जब कभी गोदामों में खाद्यान्नों के स्टाक के खराब रखरखाव का मामला नोटिस में आता है तब इसकी जांच की जाती है और जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है तथा कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

टायरों पर भारतीय मानक ब्यूरो की मार्किंग

2321. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो की मार्किंग को टायरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुणवत्ता विनिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने और इन्हें अनिवार्य बनाए जाने से पहले टायर उद्योग के विचारों पर ध्यान दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसके कार्यान्वयन हेतु किस एजेंसी/प्राधिकरण को नियुक्त किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (च) आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चर्रस एसोसिएशन सहित पणधारियों के परामर्श से टायरों और ट्यूबों के लिए अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो चिह्नांकन शुरू करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग इस मामले में सभी पण धारियों से समन्वय कर रहा है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं की गणना

2322. **श्री महावीर भगोरा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु सिंचाई परियोजना की गणना वर्ष 1986-87 में की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके बाद से ऐसी गणना न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां, वर्ष 1986-87 के संदर्भ में लघु सिंचाई परियोजनाओं की गणना कार्य शुरू किया गया।

(ख) राज्यों में भिन्न-भिन्न विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत अनेकानेक विभागों और संगठनों द्वारा लघु सिंचाई परियोजाएं शुरू की गई हैं। काफी संख्या में परियोजनाएं खेतिहरों द्वार स्वयं अपने स्वयं के संसाधनों से चालू की गई हैं देश में लघु सिंचाई परियोजनाओं का एक ठोस डाटा संचित रखने के लिए प्रथम लघु सिंचाई गणना वर्ष 1986-87 के संदर्भ में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से की गई। लघु सिंचाई गणना में 5 प्रकार की लघु सिंचाई परियोजनाओं अर्थात खोदे हुए कुएं, उथले नलकूप, गहरे नलकूप, सतही प्रवाह और सतही लिफ्ट स्कीम के लिए सूचना एकत्रित की गई है। परियोजना की स्थिति, स्वामित्व, वित्त का स्रोत, परियोजना की वास्तविक विशेषताएं उपयोग की स्थिति, कम उपयोग के कारण, जल निकालने और जल वितरण के लिए उपयोग की गई युक्तियां, कृष्ण कमान क्षेत्र, संदर्भित अवधि के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता वे मदें हैं जिनके संबंध में सूचना एकत्रित की गई है। प्रथम गणना की रिपोर्ट 1993 में जारी की गई। रिपोर्ट में विभिन्न विशेषताओं के अनुसार अनेक स्कीमों से संबंधित राज्यवार और जिलावार तालिकाएं शामिल हैं।

प्रथम गणना के बाद मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई परियोजना की दो और गणनाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष 1993-94 के संदर्भ में दूसरी लघु सिंचाई गणना पूरी की गई और मार्च 2001 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वर्ष 2000-01 के संदर्भ में तीसरी लघु सिंचाई गणना 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2000 में शुरू की गई। गणना के लिए अखिल भारतीय रिपोर्ट नवंबर, 2005 में जारी की गई। दूसरी और तीसरी गणना के परिणाम जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमओडब्ल्यूआर.जीओवी.आईएन. पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2006-07 के संदर्भ में चौथी लघु सिंचाई गणना देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू कर दी गई है। वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण/डाटा संचयन की प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का रख-रखाव

2323. श्री तापिर गाव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) ने असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को कवर करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-52 (एन एच) का रख-रखाव शुरू किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के रक्सिन से महादेवपुर तक के खंड की स्थिति खराब है;

(ग) क्या सिसिरी पुल को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है;

(घ) यदि हां, तो चल रहे निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिबांग नदी पर पुल का निर्माण कब तक हो जाएगा; और

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के रोइंग से तेजू खंड पर कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) हाल के मानसून में हुई भारी वर्षा के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है तथा इसकी मरम्मत की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) इस पुल का निर्माण कार्य अनंतिम तौर पर सन 2015 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

(च) योजना के अनुसार कार्य प्रगति पर है। तथापि इस सड़क पट्टी के कार्य के पूरा होने में विलंब का कारण कई बड़े नदी अंतरालों का होना है, जहां साफ मौसम के दौरान ही पुल का निर्माण कार्य किया जा सकता है।

जल निकायों की मरम्मत और पुनर्निर्माण

2324. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने दसवीं योजनावधि के दौरान जल निकायों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और उन्हें पूर्व स्थिति में लाने की प्रायोगिक योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या सफलता हासिल हुई है; और

(ग) राज्य-वार किन-किन जिलों में इस योजना को कार्यान्वित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जनवरी, 2005 में "कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार की राष्ट्रीय परियोजना" पर प्रायोगिक स्कीम शुरू की है जिसकी दसवीं योजना की शेष अवधि में कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा 3 : 1 के अनुपात में भागीदारी की जानी है। इस स्कीम का उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमता को पुन: स्थापित और संवर्द्धित करना तथा उनकी खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुन: प्राप्त करना और विस्तार करना था। प्रत्येक राज्य के एक अथवा दो जिलों में शुरू की गई प्रायोगिक स्कीम के तहत 40 हेक्टेयर से अधिक और 2000 हेक्टेयर तक के कृष्य कमान क्षेत्र वाले जल निकाय शामिल किए गए थे। इस स्कीम में 15 राज्यों के 26 जिलों में 0.78 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के साथ 1098 जल निकायों को शामिल किए जाने पर विचार किए जाने की योजना है।

(ग) इस स्कीम के तहत शामिल किए गए राज्य और जिले तथा जारी किए गए केन्द्रीय हिस्से संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	शामिल जल निकायों की संख्या	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	226	32.84	24.2600
		अनंतपुर	52	12.26	8.9925

1	2	3	4	5	6
2.	छत्तीसगढ़	कबीर धाम	10	2.236	1.6770
3.	गुजरात	साबरकांठा	17	6.5512	2.6540
		बनासकांठा	25	7.6653	3.1000
4.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	13	1.0401	0.7801
5.	जम्मू-कश्मीर	कुपवाड़ा	22	3.0588	2.2950
6.	झारखंड	सरायकेला	22	2.7972	2.0990
		पलामू	38	8.5928	6.4450
7.	कर्नाटक	गुलबर्गा	116	35.537	26.5500
		बंगलौर ग्रामीण	182	38.068	28.5510
8.	केरल	पलक्कड़	10	1.36546	0.7900
		पथनमथिट्टा	13	1.3847	0.7160
9.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	5	3.923	1.4000
		शिवपुरी	65	41.28	15.0000
10.	महाराष्ट्र	बीड	32	36.8828	13.8310
11.	उड़ीसा	गंजाम	68	12.82	9.6150
		गजपति	59	6.01	4.5075
12.	राजस्थान	अजमेर	4	4.489	3.3700
		पाली	1	2.45	1.8400
13.	तमिलनाडु	सिवगंगाइ	8	1.222	0.9180
		विल्लुपुरम	38	9.372	7.0245
14.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	15	4.9181	1.3050
		दक्षिण-24 परगना	51	18.552	10.6100
15.	बिहार	नालंदा	1	1.18	0.2655
		जमुई	5	3.42	1.1340
कुल	15	26	1098	299.9155	179.7301

बाल श्रम का उन्मूलन

2325. **श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से निजी क्षेत्र से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने बैंकों से भी बाल श्रम का उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए ऋण सुविधा बंद करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर बैंकिंग क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खानों में सुरक्षोपाय

2326. **श्री मदन लाल शर्मा:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद खान दुर्घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए सुरक्षोपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार खानों में अपनाए जा रहे वर्तमान सुरक्षापायों के उन्नयन हेतु आवश्यक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान और उसके बाद खान दुर्घटनाओं में राज्यवार मृत व घायल व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में उपबंध हैं। इन कानूनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि ये अंतर्राष्ट्रय मानदंडों के अनुरूप बने रहें।

विवरण

कोयला खानें

वर्ष	राज्य	व्यक्तियों की संख्या	
		मृत	गंभीर रूप से घायल
1	2	3	4
2004	आंध्र प्रदेश	14	447
	असम	2	1
	छत्तीसगढ़	4	69
	गुजरात	0	2
	झारखंड	30	156
	जम्मू और कश्मीर	0	3
	मध्य प्रदेश	9	74
	महाराष्ट्र	11	41
	उड़ीसा	4	17
	तमिलनाडु	3	3
	उत्तर प्रदेश	2	5
	प.बंगाल	17	173
	अखिल भारतीय	96	991
2005	आंध्र प्रदेश	11	800
	असम	1	1
	छत्तीसगढ़	7	56
	गुजरात	1	1
	झारखंड	49	92
	जम्मू और कश्मीर	0	3
	मध्य प्रदेश	17	69
	महाराष्ट्र	5	28

1	2	3	4
	उड़ीसा	10	14
	तमिलनाडु	1	3
	उत्तर प्रदेश	2	4
	प.बंगाल	13	67
	अखिल भारतीय	117	1138
2006	आंध्र प्रदेश	19	564
	छत्तीसगढ़	3	46
	गुजरात	0	1
	झारखंड	75	51
	मध्य प्रदेश	15	50
	महाराष्ट्र	7	36
	उड़ीसा	2	20
	तमिलनाडु	5	1
	उत्तर प्रदेश	1	0
	प.बंगाल	11	73
	अखिल भारतीय	138	842
2007	आंध्र प्रदेश	11	414
	छत्तीसगढ़	11	26
	गुजरात	1	0
	झारखंड	23	42
	मध्य प्रदेश	15	38
	महाराष्ट्र	9	25
	उड़ीसा	3	5
	तमिलनाडु	3	0
	उत्तर प्रदेश	2	1
	प. बंगाल	7	63
	अखिल भारतीय	85	614

नोट: वर्ष 2006 और 2007 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
वर्ष 2007 के लिए आंकड़ा 30.10.2007 तक का है।

गैर-कोयला

वर्ष	राज्य	व्यक्तियों की संख्या	
		मृत	गंभीर रूप से घायल
1	2	3	4
2004	आंध्र प्रदेश	4	4
	असम	1	28
	छत्तीसगढ़	6	19
	गोवा	1	1
	गुजरात	1	6
	हिमाचल प्रदेश	1	0
	हरियाणा	1	0
	झारखंड	8	12
	कर्नाटक	1	57
	केरल	1	0
	मध्य प्रदेश	4	7
	महाराष्ट्र	1	5
	उड़ीसा	7	16
	राजस्थान	22	40
	तमिलनाडु	4	5
	त्रिपुरा	0	2
	उत्तरांचल	1	1
	अखिल भारतीय	64	203
2005	आंध्र प्रदेश	7	3
	असम	1	11
	छत्तीसगढ़	1	17
	गुजरात	1	3
	हिमाचल प्रदेश	1	0
	झारखंड	5	7
	कर्नाटक	3	21

1	2	3	4
	केरल	0	1
	मध्य प्रदेश	0	7
	महाराष्ट्र	3	2
	उड़ीसा	13	8
	राजस्थान	10	30
	तमिलनाडु	6	3
	उत्तरांचल	1	0
	अखिल भारतीय	52	113
2006	आंध्र प्रदेश	7	2
	असम	3	10
	छत्तीसगढ़	4	16
	गोवा	9	0
	गुजरात	0	1
	हिमाचल प्रदेश	3	0
	झारखंड	3	9
	जम्मू और कश्मीर	1	0
	कर्नाटक	4	12
	मध्य प्रदेश	1	4
	महाराष्ट्र	1	6
	उड़ीसा	8	6
	राजस्थान	19	17
	तमिलनाडु	8	2
	अखिल भारतीय	71	85
2007	आंध्र प्रदेश	10	5
	असम	2	11
	छत्तीसगढ़	3	15
	गोवा	2	2
	गुजरात	1	2
	झारखंड	4	1
	कर्नाटक	1	17
	केरल	0	1
	मध्य प्रदेश	4	2
	महाराष्ट्र	0	2
	उड़ीसा	8	5
	राजस्थान	11	13
	तमिलनाडु	1	1
	अखिल भारतीय	47	77

नोट: वर्ष 2006 और 2007 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
वर्ष 2007 के लिए आंकड़ा 30.10.2007 तक का है।

ईपीएफओ नियमों में संशोधन

2327. श्री असावुद्दीन ओवेसी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वर्तमान नियमों में संशोधन करने का है ताकि इसके बेहतर उपयोग हेतु अदावाकृत धनराशि का इस्तेमाल सीमित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चारे और दवाओं की आपूर्ति

2328. श्री सुभाष महरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए चारे और दवाओं की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) सरकार को राजस्थान सहित किसी भी राज्य सरकार से चारे तथा दवाओं की आपूर्ति के संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कुएं खोदना

2329. श्री रामदास आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कुएं खोदने का कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र जनजातीय क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदलने के लिए कोई योजना आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में अन्वेषणात्मक बोरहोल की ड्रिलिंग का कार्य करता है। अन्वेषणत्मक बोरहोलों की जल उत्पादन क्षमता का निर्धारण करने की दृष्टि से भूजल विकास के लिए संभावित जलभृत्त क्षेत्रों का पता लगाने के वास्ते इनकी ड्रिलिंग की जाती है।

महाराष्ट्र में सीजीडब्ल्यूबी ने 1768 अन्वेषणात्मक बोरहोलों की ड्रिलिंग की है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के 709 अन्वेषणात्मक बोरहोल शामिल हैं। महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदलने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

बी.टी. काटन

2330. श्री के.एस. राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार बी.टी. काटन उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा परंपरागत काटन सीड के दायरे में राज्यवार कितना क्षेत्र लाया गया है;

(ख) क्या बी.टी. काटन की शुरूआत करने से प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में कपास उत्पादकों के जीवन पर बी.टी. काटन उत्पादन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो आईएमआरबी के अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में किसानों को अच्छी किस्म के बी.टी. काटन के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने का है ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बी.टी. काटन की उत्पादन लागत तथा सरकार द्वारा किए जा रहे समर्थन मूल्य के बीच अंतर दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (छ) पर्यावरण और वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए केवल बीटी काटन जारी की है। 167 संकरों के बीटी काटन सीड उत्पादित किए हैं और 25 निजी बीज कंपनियों ने 750 रुपए से 900 रुपए तक 450 ग्राम प्रति पैकेट मूल्यों पर बेचा। मूल्य बीज उद्योग ने राज्यों के परामर्श से निर्धारित किए हैं। बीटी काटन की खेती के फलस्वरूप देश में कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीटी काटन के तहत क्षेत्र 2002 में 29,073 हैक्टेयर से बढ़कर 2006 में 3.47 मिलियन हैक्टेयर हो गया है। कपास का उत्पादन 2002 में 170 किग्रा प्रति 86.24 लाख गांठों से बढ़कर 2006 में 226.96 लाख गांठे हो गया है।

सरकार बीटी काटन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2006 के दौरान बीटी खेती करने वाले राज्यों में परम्परागत कपास और बीटी काटन के अंतर्गत क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006 के दौरान परम्परागत कपास और बीटी काटन के तहत क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	2.92	6.80	9.72
2.	मध्य प्रदेश	3.29	3.10	6.39
3.	गुजरात	19.90	4.00	23.90
4.	महाराष्ट्र	13.22	17.48	30.70
5.	कर्नाटक	3.01	0.74	3.75
6.	तमिलनाडु	0.82	0.40	1.22
7.	पंजाब	4.47	1.60	6.07
8.	हरियाणा	4.80	0.50	5.30
9.	राजस्थान	3.45	0.05	3.50
	कुल	55.83	34.67	90.50

इंटरनेट टेलीफोनी काल प्रभार

2331. **श्री अबु अयीश मंडल:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संगठनों ने इंटरनेट टेलीफोनी काल प्रभार को घटाकर 0.50 पैसे प्रति मिनट करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इंटरनेट टेलीफोनी काल प्रभार को घटाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सेवा केवल एमटीएनएल ब्राडबैंड के प्रयोक्ताओं के लिए ही उपलब्ध होगी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इंटरनेट ब्राडबैंड टेलीफोनी के उपयोग को बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):

(क) हालांकि इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं से संबंधित प्रशुल्क फारबियरेन्स (सेवा प्रदाता के विवेक पर) श्रेणी के अंतर्गत आता है और सेवा प्रदाताओं को सेवा के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करने संबंधी छूट प्राप्त है, इसलिए किसी संगठन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) सरकार का यह सतत प्रयास है कि इंटरनेट टेलीफोनी सहित दूरसंचार सेवाओं के प्रयोग को व्यापक बनाया जाए। तथापि, इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग में बाल श्रम

2332. **श्री टेक लाल महतो:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देशों और यूरोपीय कंपनियों ने देश के वस्त्र उद्योग में बाल श्रम की प्रथा के आरोप लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने वस्त्र उद्योग में बाल श्रमिकों के उपयोग को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं। सरकार को किसी देश अथवा किसी यूरोपीय कंपनी द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हाल ही में मीडिया में एक ऐसे दृष्टांत की सूचना दी गयी है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने बाल श्रम लगाने के आधार पर भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के आदेश कथित रूप से रद्द कर दिए हैं।

(ख) और (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, कतिपय विशिष्ट जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, जिनमें हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग, कपड़े की छपाई, रंगाई और बुनाई, कपास ओटना और प्रसंस्करण, हौजरी सामान का उत्पादन, जरी बनाना और जूट वस्त्र विनिर्माण आदि शामिल है। सरकार राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन की नियमित मानीटरिंग कर रही है, जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु समुचित प्राधिकरण हैं। राज्य बाल श्रम के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए नियमित छापे मारते हैं और निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा, बाल श्रम के पुनर्वास के लिए, सरकार देश के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चला रही है।

आयुध निर्माणियों की क्षमता का उपयोग

2333. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

(क) क्या आयुध निर्माणियों में उत्पादन उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्माणियों की उत्पादन क्षमता कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन कितना रहा;

(घ) क्या आयुध निर्माणियां सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां तैयार करने में विफल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह):

(क) और (ख) आयुध निर्माणियों में क्षमता का सृजन रक्षा सेनाओं द्वारा दर्शाई गई युद्ध-कालीन आवश्यकता पर भी आधारित होता है। वास्तविक उत्पादन सशस्त्र सेनाओं की वार्षिक आवश्यकताओं पर आधारित होता है जो स्टाक, प्रशिक्षण जरूरतों और खतरे संबंधी अवधारणा पर निर्भर करता है। इसलिए, आयुध निर्माणियों में क्षमता का उपयोग हमेशा अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार नहीं हो सकता है।

(ग) आयुध निर्माणियों में गत तीन वर्षों में कुल उत्पादन का मूल्य क्रमश: 8,331.75 करोड़ रुपए, 8811.59 करोड़ रुपए और 8280.72 करोड़ रुपए था। आयुध निर्माणियों द्वारा उत्पादित प्रमुख मदों और उनकी उत्पादन क्षमता की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) आयुध निर्माणियां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अथवा रक्षा सेनाओं द्वारा चयनित मूल उपस्कर निर्माता से प्राप्त प्रौद्योगिकी के आधार पर उत्पादों का विनिर्माण करती है और ये उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने में सक्षम हैं।

(च) आयुध निर्माणियों में अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए 9वीं और 10वीं योजनावधियों में 1062 करोड़ रुपए और 1446 करोड़ रुपए पूंजी का निवेश किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	मद	यूनिट	क्षमता	निम्नलिखित के दौरान सप्लाई की गई मात्रा					
				2004-05	उपयोग%	2005-06	उपयोग%	2006-07	उपयोग%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कार्ट्रीज 7.62 मिमी एसईक्यू बेल्ट	लाख	212	53	25	240.8	114	349.46	165
2.	कार्ट्रीज 5.56 मिमी बाल	लाख	1430	2034	142	2079	145	1895.82	133
3.	आरडी. 23 मिमी शिल्का एपी/टी	संख्या	300000	5000	2	352000	117	611471	204
4.	आरडी. 23 मिमी शिल्का एचई	संख्या							
5.	शैल 105 मिमी बीई स्मोक	संख्या	18000	26405	147	15008	83	19504	108
6.	आरडी. 30 मिमी एचई/आई (बीएमपी-II के लिए)	संख्या	380000	201500	53	112584	30	60977	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	आरडी. 30 मिमी एचई/टी (बीएमपी-II के लिए)	संख्या	150000	100000	67	51505	34	50000	33
8.	आरडी. 30 मिमी एपी/टी (बीएमपी-II के लिए)	संख्या	350000	155000	44	156789	45	60098	17
9.	कार्ट्रीज 40 मिमी एल-70	संख्या	50000	40000	80	100000	200	100000	200
10.	आरडी. 130 मिमी आरवीसी	संख्या	180000	50000	28	55928	31	36446	20
11.	आरडी. 130 मिमी एफवीसी	संख्या							
12.	शैल 155 मिमी एचईईआरएफबी (बीबी)	संख्या	175000	16074	9	12555	7	0	0
13.	आरडी. 125 मिमी एचई	संख्या	110000	52316	48	59500	54	40760	37
14.	आरडी. 125 मिमी हीट	संख्या	36000	30000	83	17000	47	10900	30
15.	आरडी. 125 मिमी एफएसएपीडीएस	संख्या	36000	20000	56	0	0	670	2
16.	बम 81 मिमी मोर्टार एचई	संख्या	350000	399500	114	328875	94	338301	97
17.	बम 81 मिमी मोर्टार पीडब्ल्यूपी	संख्या	100000	7900	8	53733	54	70353	70
18.	बम 81 मोर्टार आईएलएलजी	संख्या	30000	5000	17	20000	67	28000	93
19.	राकेट 84 मिमी एचई	संख्या	35000	31000	89	42579	122	35913	103
20.	राकेट 84 मिमी आईएलएलजी	संख्या	25000	38500	154	42627	171	42107	168
21.	डेटोनेटर सहित ग्रेनेड नं. 36 एम	संख्या	300000	360125	120	200000	67	450000	150
22.	माइन ए/टीके एनडी 4सी/4डी	संख्या	60000	5000	8	40000	67	10000	17
23.	आरडी 105 मिमी टीकेएसएच प्रेक्टिस	संख्या	10000	4000	40	7567	76	5965	59.65
24.	बम 81 मिमी आईएलएलजी	संख्या	50000	106751	214	90112	180	62107	124.21
25.	राकेट 84 मिमी टीपीटी	संख्या	60000	136531	228	140000	233	152910	255
	शस्त्र								
26.	5.56 मिमी सीईएस सहित राइफल	संख्या	80000	113316	142	112926	141	91245	114
27.	5.56 मिमी एलएमजी (एफ/बी)	संख्या	5800	7500	129	30	0.52	1413	24
28.	आरएल 84 मिमी मार्क-3	संख्या	175	367	210	626	358	495	283
29.	105 मिमी एलएफजी	संख्या	154	36	23	8	5	30	19
	बी वाहन								
30.	एलपीटीए 713/32 2.5 टी	संख्या	3000	4055	135	2638	88	1909	64
31.	वाहन 5/7.5 टन स्टैलियन	संख्या	4000	4062	102	4662	117	2584	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ए वाहन								
32.	टैंक टी-72 एम।एम।के (ओई)	संख्या	120	57	48	62	52	65	54
33.	टैंक टी-72 (एम।/एम।के (ओएच)	संख्या	70	53	76	80	114	120	171
34.	टैंक टी-90 (ओई)	संख्या	100	77	77	49	49	0	0
35.	मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन	संख्या	30	6	20	18	60	24	80
36.	बीएमपी-II (ओई)	संख्या	125	33	26	98	78	15	12
37.	सीएमटी	संख्या	50	37	74	0	0	0	0
	सामान्य भण्डार								
38.	कैरियर क्वेड केबल	कि.मी.	1800	6082	338	6000	333	1610	89
39.	फील्ड केबल	कि.मी.	30000	95872	320	90000	300	0	0
	वस्त्र मदें								
40.	जैकेट कम्बेट ड्रिल डिग्र.	संख्या	900000	615000	68	579400	64	808520	90
41.	ट्रोजर कम्बेट ड्रिल डिग्र.	संख्या	700000	600000	86	582000	83	706000	101
42.	पुरुषों की जुराबें ओजी	संख्या	2000000	1500937	75	133950	7	1500000	75
43.	पुरुषों की ऊनी भारी खाकी जुराबें	संख्या	500000	50000	10	50000	10	140000	28
44.	कोट कम्बेट आईसीके	संख्या	184140	90000	49	60262	33	20000	11
45.	कम्बल बैरक	संख्या	450000	450000	100	517970	115	396080	88
46.	कोट परका बाहरी खोल	संख्या	159020	130000	82	70000	44	44834	28
47.	कोट परका लाइनर इनर	संख्या	179020	93000	52	32370	18	30000	17
48.	बैक स्लीपिंग एमके-IV	संख्या	110000	84320	77	135680	123	141500	129
49.	गद्दा कापोक	संख्या	140000	70000	50	76630	55	80000	57
50.	पुरुषों की कमीज अंगोला ड्रैब	संख्या	865000	595000	69	305323	35	404800	47
51.	ट्राउजर सर्ज बीडी	संख्या	600000	260000	43	300000	50	248760	41
52.	ऊनी जरसी V गला ओजी	संख्या	500000	400000	80	180000	36	300000	60
53.	पुरुषों की बनियान एफएस ओजी	संख्या	500000	200000	40	300500	60	300000	60
54.	जैकेट कम्बेट आईसीके	संख्या	500000	251000	50	229400	46	223520	45
55.	पेलिन अंगूठे वाले बूट डीवीएस	संख्या	500000	400000	80	565547	113	543870	109
56.	दरी	संख्या	150000	170000	113	315850	211	135946	91
57.	मच्छरदानी पोलिस्टर	संख्या	390000	330000	85	343120	88	343710	88

प्रयोगशालाओं का बंद किया जाना

2334. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एगमार्क मानक जारी करने वाली प्रयोगशालाओं को बंद करने के निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बंद की गई इन प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, बंगलौर तथा गाजियाबाद स्थित उन पांच क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाओं को बंद करने का निर्णय लिया है जो किसी भी प्रकार की गलत एगमार्क ग्रेडिंग का पता लगाने के लिए एगमार्क मानक के अनुरूप मार्क की गई वस्तुओं के नमूनों की परीक्षण जांच करने में लगे हुए थी।

(ख) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के स्टाफ निरीक्षण यूनिट ने विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के कार्य मापन अध्ययन पर दिसम्बर, 2004 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उनके केमिस्टों के लिए पर्याप्त कारभार का अभाव होने के कारण इन क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाओं को बंद करने की सलाह दी थी। कृषि मंत्रालय इन सिफारिशों से सहमत है और उसने इन एगमार्क प्रयोगशालाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।

(ग) इन पांच क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाओं में 26 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा मंत्रालय ने इन कर्मचारियों को उनके द्वारा तैनाती के लिए दिए गए विकल्प पर विचार करने के पश्चात अन्य क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाओं में खाली पदों पर पुन: तैनात करने तथा अधिशेष कर्मचारियों को सरप्लस सेल को सौंपने का निर्णय लिया है।

जल प्रबंधन

2335. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जल प्रबंधन तथा स्वामित्व हेतु गठित पारेख समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए राजसहायता कम की जाए तथा उन स्थानों पर कार्रवाई की जाए जहां जल स्तर चिंताजनक स्थिति तक घट गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की कमी को दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (च) योजना आयोग द्वारा गठित भूजल प्रबंधन तथा स्वामित्व संबंधी विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 2007 में योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भूजल प्रबंधन तथा स्वामित्व संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों का सार

"1. इस समस्या के समाधान में विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में भूजल प्रबंधन में शामिल जटिलताओं और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू अनुभव के अब तक पहले छ: अध्याय प्रकाशित हुए हैं। जो परिणाम प्राप्त हुए उसे हम इस प्रकार संक्षेपित कर सकते हैं:

- भूजल निकासी की दर बढ़ रही है जिसकी वजह से जलस्तर कम हो गया है। अब 28% ब्लाक अर्द्ध-गंभीर, गंभीर अथवा अतिदोहित हैं।
- डार्क अथवा अतिदोहित गंभीर की संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इसमें 1995 में 4% से 2004 में 15% तक वृद्धि हुई है।
- चूंकि भूजल एक खुली पहुंच वाली साझी संपत्ति का संसाधन है इसलिए आम लोगों की त्रासदी यह है कि जहां प्रत्येक प्रयोक्ता अपने हिस्से का अधिकतम

उपयोग करता है उससे दूसरे का हिस्सा कम होता चला जाता है। जब भूजल नीचे चला जाता है तो इससे सभी के लिए लागत बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें अपने कुओं को गहरा करने की आवश्यकता होती है और अधिक शक्तिशाली मोटरों की जरूरत पड़ती है।

- कृत्रिम पुनर्भरण से भूजल आपूर्ति संवर्द्धन हो सकता है और संकट टाला जा सकता है। तथापि ऐसे उपायों से सारा जल पुनर्भरित नहीं होता है फिर भी समग्र रूप से बेसिन के लिए निवल लाभ हैं क्योंकि संवर्द्धित पुनर्भरण अनुप्रवाह से अनुप्रवाह जल की उपलब्धता कम हो सकती है। फिर भी, उच्च भूमि वाले किसान जिन्हें सिंचाई परियोजनाओं से अक्सर लाभ नहीं हो पाता है उन्हें इस पुन: वितरित जल का लाभ मिलता है।

- कृत्रिम पुनर्भरण में सामान्यत: सामुदायिक कार्रवाई की जरूरत होती है। सफल परियोजना से एक प्रमुख लाभ यह है कि समुदाय सहकारी तरीके से संगठित हो जाता है। ऐसा सहयोग भूजल के स्थाई उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है।

- भूजल कानून वाले राज्यों का अनुभव यह दर्शाता है कि स्वयं यह बहुत प्रभावी नहीं है और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में विधिक उपायों की सीमाओं का भी उल्लेख है।

2. भूजल प्रबंधन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को देखते हुए मौजूदा प्रणाली से हटने के लिए नई पहलों पर निम्नलिखित क्षेत्रों में विचार किया जा सकता है:

(i) नीति एवं विधिक पर्यावरण

(ii) तकनीकी

(iii) विद्युत मूल्य निर्धारण और आपूर्ति

(iv) कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहन

(v) सहकारी प्रबंधन, और

(vi) संस्थागत परिवर्तन।"

राष्ट्रीय बांस मिशन

2336. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु सभी राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय बांस मिशन की आज की तारीख तक की उपलब्धियां क्या रही हैं;

(ग) क्या मिशन के कार्यान्वयन में सरकारी भागीदारी तथा औद्योगिक भागीदारी उपयोगी सिद्ध हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) इस विभाग का राष्ट्रीय बांस मिशन देश के 25 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है जिसका उद्देश्य क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विशिष्टीकृत रणनीतियों के माध्यम से बांस सेक्टर की वृद्धि को बढ़ावा देना और संभावित क्षेत्रों इत्यादि में बांस के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज को बढ़ाना है। अब तक, विभिन्न राज्यों के लिए 98.93 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की जा चुकी है और उनकी आरम्भिक रिपोर्टों के अनुसार, बांस रोपण के अंतर्गत 21234 का क्षेत्र लाया गया है, 5217 हैक्टेयर मौजूदा स्टाक सुध रा है, 220 पौध शालाएं स्थापित की गई, 1199 किसान/उद्यमी प्रशिक्षित किए। इसके अलावा, राज्य स्तरीय कार्यशालाएं/प्रदर्शन इत्यादि संचालित किए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। पौधशालाओं की स्थापना, बांस रोपण बढ़ाना और बांस खेती में किसानों/उद्यमियों के प्रशिक्षण में भागीदारी उपयोगी रही है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न की गुणवत्ता

2337. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के खाद्यान्न भंडार का गुणवत्ता निरीक्षण अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राज्य इन अनिवार्य निरीक्षणों की अनुमति नहीं देते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नियमित आवधिक निरीक्षणों को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के स्टाक की गुणवत्ता की जांच करना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के स्टाक की खरीदारी/स्वीकृति के समय किए जाने वाले गुण-नियंत्रण उपायों के बारे में अपने फील्ड कर्मचारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करता है। इन अनुदेशों में नमूना लेना, निरीक्षण करना और विभिन्न स्तरों पर सुपर निरीक्षण करना शामिल है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अधीन खरीदे गए राज्य एजेंसियों के पास रखे खाद्यान्नों के स्टाक की गुणवत्ता संबंधी जांच करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अनुमति देने में इस आधार पर अनिच्छा जताई थी कि उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी नहीं किए गए थे। पंजाब सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा गुणवत्ता संबंधी जांच करने में इस तर्क पर अनिच्छा जताई थी कि राज्य खरीद एजेंसियों की तरह भारतीय खाद्य निगम भी एक खरीद एजेंसी है।

राज्य सरकारों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की नियमित आवधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे और 2002 में राज्य सरकारों को जारी किए गए थे। यह दिशा-निर्देश सितम्बर, 2007 में फिर जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए स्टाक का भारतीय खाद्य निगम द्वारा निरीक्षण किए जाने की स्पष्ट परिकल्पना है।

विकलांगों को नौकरियां

2338. श्री एम. अप्पादुरई: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रोजगार केन्द्रों में राज्य-वार कितने लोगों का पंजीकरण किया गया है तथा उनमें से कितने लोग विकलांग हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपरोक्त में से कितने लोगों, विशेषकर विकलांगों को राज्य-वार नौकरियां प्रदान की गई;

(ग) क्या विकलांगों के आरक्षित कोटे को नियमित रूप से भरा जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस):

(क) 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों तथा उनमें से विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तियों तथा उनमें से विकलांग व्यक्तियों, जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया, की कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) रोजगार कार्यालय नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों हेतु अभ्यर्थियों को प्रायोजित करते हैं। संबंधित नियोक्ता को नियत कोटे के अनुसार पदों को भरना होता है।

विवरण I

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	विकलांग व्यक्तियों सहित पंजीकृत कुल व्यक्तियों की संख्या	पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की संख्या
		31.12.2005 की स्थिति के अनुसार	
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2427.6	96.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.1	@
3.	असम	1760.8	7.0
4.	बिहार	1461.8	13.3
5.	छत्तीसगढ़	988.5	10.6
6.	दिल्ली	671.4	7.2
7.	गोवा	100.8	0.6
8.	गुजरात	854.6	21.0
9.	हरियाणा	1064.7	12.8
10.	हिमाचल प्रदेश	911.3	11.6

1	2	3	4
11.	जम्मू-कश्मीर	116.0	1.0
12.	झारखंड	1208.9	7.5
13.	कर्नाटक	1318.3	29.2
14.	केरल	3628.6	46.4
15.	मध्य प्रदेश	2160.9	25.3
16.	महाराष्ट्र	3991.8	52.3
17.	मणिपुर	532.3	2.0
18.	मेघालय	38.0	0.2
19.	मिजोरम	34.4	0.3
20.	नागालैंड	44.3	1.2
21.	उड़ीसा	833.2	12.0
22.	पंजाब	463.1	10.7
23.	राजस्थान	793.6	24.5
24.	सिक्किम*		
25.	तमिलनाडु	3681.2	73.3
26.	त्रिपुरा	399.7	2.3
27.	उत्तराखंड	378.9	6.3
28.	उत्तर प्रदेश	1871.3	27.0
29.	पश्चिम बंगाल	7291.9	73.4
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	39.0	0.7
31.	चंडीगढ़	56.0	1.1
32.	दादर व नगर हवेली	6.5	@
33.	दमन व दीव	10.6	0.1
34.	लक्षद्वीप	11.2	0.1
35.	पुडचेरी	171.4	1.8
	योग	39347.8	578.9

टिप्पणी* इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
@ आंकड़े पचास से कम।
हो सकता है कि आंकड़े पूर्णांकों के कारण योग से मेल न खाएं।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	विकलांग व्यक्तियों सहित कुल नियोजन (हजार में)			विकलांग व्यक्तियों का नियोजन (वास्तविक संख्या में)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3.7	2.4	1.7	351	77	164
2.	अरुणाचल प्रदेश	@	@	@	–	–	–
3.	असम	0.6	0.2	0.4	1	3	–
4.	बिहार	0.6	0.1	@	8	6	–
5.	छत्तीसगढ़	1.6	0.9	2.2	10	–	–
6.	दिल्ली	0.4	0.3	0.1	9	41	1
7.	गोवा	0.3	0.2	0.2	1	1	8
8.	गुजरात	64.9	64.9	92.9	408	431	659

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हरियाणा	4.3	3.4	3.5	1	10	14
10.	हिमाचल प्रदेश	1.3	1.0	1.7	24	15	1
11.	जम्मू-कश्मीर	@	–	@	–	–	–
12.	झारखंड	8.6	0.7	2.7	–	–	2
13.	कर्नाटक	2.9	1.6	1.7	56	21	23
14.	केरल	7.3	7.5	9.7	1194	793	936
15.	मध्य प्रदेश	1.9	1.6	1.7	25	5	6
16.	महाराष्ट्र	14.0	12.8	15.0	167	216	151
17.	मणिपुर	@	–	0.2	–	–	–
18.	मेघालय	@	@	@	–	–	1
19.	मिजोरम	0.3	@	–	–	–	–
20.	नागालैंड	0.2	@	@	–	–	–
21.	उड़ीसा	1.8	1.3	2.0	14	12	24
22.	पंजाब	3.2	2.7	2.1	11	6	20
23.	राजस्थान	2.3	3.4	7.7	107	95	142
24.	सिक्किम*						
25.	तमिलनाडु	18.9	13.2	15.3	1284	1503	968
26.	त्रिपुरा	0.7	0.3	0.2	4	10	–
27.	उत्तराखंड	1.8	1.5	2.1	5	6	12
28.	उत्तर प्रदेश	2.6	1.7	1.6	21	17	5
29.	पश्चिम बंगाल	9.3	10.1	7.3	137	147	82
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.4	0.1	0.1	1	–	–
31.	चंडीगढ़	0.5	0.3	0.2	21	9	–
32.	दादरा व नगर हवेली	@	@	–	–	–	–
33.	दमन व दीव	@	@	@	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	0.1	@	–	–	–	–
35.	पुदुचेरी	0.4	0.3	0.7	–	–	–
	योग	154.9	132.6	173.2	3860	3424	3219

टिप्पणी* इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

@ आंकड़े पचास से कम।

हो सकता है कि आंकड़े पूर्णांकों के कारण योग से मेल न खाएं।

महिलाओं हेतु कार्यक्रम

2339. श्री मनोरंजन भक्त: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि कार्यकलापों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिनमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाएं भाग लेती हैं;

(ख) इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियां क्या रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा उपयोग की गई धनराशि के आंकड़े रखे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण लाभार्थी उन्मुख स्कीमों के तहत महिला विशिष्ट प्रावधान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) अधिकांश स्कीमों के तहत अलग-अलग डाटा का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। तथापि, संबंधित एजेंसियों से अपने रिपोर्टिंग फार्मेट को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

विवरण

कृषि सेक्टर में लाभार्थी उन्मुख स्कीमों के तहत महिला विशिष्ट प्रावधान

क्र.सं.	स्कीम का नाम	महिला लाभार्थियों के लिए प्रावधान
1.	उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल (टीएमएनई) में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन	30% आवंटन
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	लघु सीमांत और महिला किसानों के लिए 33% आवंटन
3.	दलहनों, आयल सीड्स, पाम आयल और मक्का (आइसोपोम) की एकीकृत स्कीम	लघु सीमांत एससी/एसटी तथा महिला किसानों के लिए स्प्रिंकलर सेटों और पाइपों के लिए लागत का 50% या 15,000 रुपए जो भी कम हो।
4.	कपास से संबद्ध प्रौद्योगिकी मिशन की मिनी-मिशन-II	30% आवंटन
5.	जूट प्रौद्योगिकी मिशन की मिनी मिशन	30% आवंटन
6.	आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओ पी डी पी)	लघु सीमांत एस एस/एस टी और महिला किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई के लिए लागत का 50%
7.	वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	पनधारा समिति, पनधारा संगठनों और प्रयोक्ता समूहों में महिलाओं की अधिदेशत: भागीदारी
8.	विस्तार सुधारों के लिए राज्यों को सहायता	30% आवंटन

ग्राहक सेवाओं में सुधार

2340. प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग की ग्राहक सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्राहक सेवाओं को सुधारने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ता अदालतों में ग्राहक सेवाओं के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उपभोक्ताओं की शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग की ग्राहक सेवाएं संतोषजनक हैं।

(ख उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता को दक्ष सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी, सेल्यूलर और ब्राडबैंड सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदण्डों का निर्धारण किया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जन शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया है। ट्राई के सेवा की गुणवत्ता संबंधी मापदंडों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं। वस्तुत: उपभोक्ता अदालतों में ग्राहक सेवाओं संबंधी मामलों की संख्या में कमी आई है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपभोक्ताओं की शिकायतों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किए गए उपाय क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

उपभोक्ताओं की शिकायतों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा

- कार्य निष्पादन की वैयक्तिक रूप से निगरानी करने तथा जहां कहीं उनकी उपलब्धि में कमी रही हो/बेंचमार्क से नीचे रही हो वहां उत्तरदायित्व निर्धारित करने और उपयुक्त उपाय करने की बाबत अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि ट्राई (टीआरएआई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्क का अनुपालन करने में कोई चूक न हो।

- उपभोक्ताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने तथा टेलीफोन से संबंधित उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर "एकल खिड़की संकल्पना" के साथ उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोले गए हैं।

- उपभोक्ता सेवा केन्द्रों में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सरलीकरण किया गया है तथा उपभोक्ता से आवेदन प्राप्त होने के तत्काल बाद ओबी/संज्ञापन पत्र जारी करने के लिए सीएससी के कर्मचारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। तथापि, सरलीकृत प्रक्रिया केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा सकती है जहां एकीकृत वाणिज्यिक और बिलिंग साफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है जिसे क्रमिक रूप से किया जा रहा है।

- उपभोक्ता सेवा केन्द्रों के खोलने के समय को भी बढ़ा दिया गया है और अब अधिकांश उपभोक्ता सेवा केन्द्र रोकड़ काउंटर को छोड़कर सभी क्रियाकलापों के लिए 08.00 बजे से लेकर 20.88 बजे तक खुले रहते हैं।

- भावी उपभोक्ताओं से फोन काल की प्राप्ति के आधार पर नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए उन क्षेत्रों के बीएसएनएल के नेटवर्क में फोन-आन-फोन सेवा शुरू की गई है जहां "मांग पर" टेलीफोन उपलब्ध हैं। इस सेवा के तहत टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक उपभोक्ता पूर्व निर्धारित टेलीफोन नम्बर पर काल करेंगे तथा फोन पर नाम, पते और भुगतान के तरीके आदि के संबंध में ब्यौरा देंगे। काल प्राप्त होने पर इस प्रयोजनार्थ नामित व्यक्ति टेलीफोन उपकरण तथा टेलीफोन निर्देशिका की एक प्रति तथा आवेदन पत्र के साथ उपभोक्ता के परिसर पर आएगा। वह उसी समय आवेदन पत्र भरवाएगा तथा आंतरिक और बाहरी फिटिंग्ज का कार्य पूरा करेगा। सामान्यत: फोन 48 घंटे के भीतर चालू कर दिया जाता है।

- अधिकारियों और कर्मचारियों को बीएसएनएल की नई सेवाओं, प्रशुल्क योजनाओं और विकासात्मक कार्यकलापों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से एसएसए स्तर

पर मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भाग लेना होता है जो एसएसए के बाहरी संयंत्रों, उपभोक्ता सेवा केन्द्रों, वाणिज्यिक, विपणन और टीआर प्रकोष्ठों में कार्यरत हैं। कार्यकारिणी संघों और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। बैठकों का आयोजन मासिक आधार पर अधिमानत: माह के दूसरे शनिवार को किया जाता है।

- उपभोक्ता सेवा केन्द्रों में जांच समिति द्वारा व्यक्तियों की जांच करने के बाद ही तैनाती करने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि कर्मचारी और अधिकारी बखूबी उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुखद तरीके से करने में समर्थ हो सकें।

- फील्ड इकाइयों को "स्वागत काल सेवाएं" शुरू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें नए उपभोक्ता को उसे आबंटित किए गए सूचक नंबर की सूचना देते हुए तथा बीएसएनएल नेटवर्क में उसका स्वागत करते हुए काल की जानी होती है। इसके अतिरिक्त, नए उपभोक्ता को टेलीफोन निर्देशिका के साथ एक लिखित सूचना भी अलग से भेजी जाती है।

- नए टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन शिफ्ट करने, अस्थायी टेलीफोनों, एड-आन सुविधाएं प्रदान करने के आवेदन हेतु प्रपत्रों को सरल बना दिया गया है। ये प्रपत्र संबंधित सर्किलों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

- टेलीफोन शिफ्ट कराए जाने के मामले में, यदि आंतरिक वायरिंग उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराई गई हो उस स्थिति में दूरसंचार स्टाफ द्वारा उपभोक्ताओं को शिफ्टिंग प्रभारों में छूट देने से मना किए जाने के संबंध में उपभोक्ताओं को तंग किए जाने की शिकायतों से बचने के लिए टेलीफोन शिफ्ट कराने के प्रपत्र में एक कालम जोड़ा गया है।

- उपभोक्ताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और हमारे मान्य उपभोक्ताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के प्रयास स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि मुख्य महाप्रबंधक उपभोक्ताओं के साथ सहज और स्पष्ट वार्तालाप करने की दृष्टि से तिमाही आधार पर आवधिक समारोह, बैठकों, मिलन-समारोह आदि का आयोजन करें।

- उपभोक्ताओं के लिए सुगम पहुंच वाले स्थानों पर चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन के लिए चेक संग्रहण करने की मशीनें संस्थापित करने के अनुदेश भी जारी किए गए हैं ताकि उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पर बिलों का भुगतान कर सकें।

- उन सभी फोन मैकेनिकों को, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक्सचेजों/आरएलयू/आरएसयू में तैनात किया गया है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों, राज्य की राजधानी वाले शहरों तथा उन शहरों में, जहां अन्य प्रचालकों से बुनियादी टेलीफोन सेवा में प्रतिस्पर्द्धा है, बाह्य फोन मैकेनिकों को डब्ल्यूएलएल (एलएम) मोबाइल फोन प्रदान किए गए हैं ताकि दोषों को शीघ्रतापूर्वक ठीक कर दिया जाए।

- फील्ड इकाइयों में जनता सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों के वहां मौजूद होने पर उनसे मिलने के लिए पहले समय लिए बिना मुलाकात कर सकती है।

- हाल ही में अधिकांश सर्किलों में ग्राहक सेवा पोर्टल की शुरूआत की गई है।

- इस मामले पर नियमित रूप से सर्किलों के साथ चर्चा की जाती है और उनसे अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण-II

उपभोक्ताओं की शिकायतों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा

- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने समाज के सभी वर्गों के लिए टेलीफोन बिलों के भुगतान को सुकर बनाने के लिए आन लाइन, ईसीएस, चुनिंदा पेट्रोल पम्पों पर मास्टर कार्ड, ओटोमेटेड टेलर मशीनों से तथा ईजी बिल केन्द्र आदि जैसे कई उपाय किए हैं।

- लायल्टी योजनाएं, कारपोरेट उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान देना।

- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने स्वत: किराए में छूट, प्रभार, बदले हुए नम्बरों की उद्घोषणा संबंधी सेवा, ग्राहक सेवा प्रबंधन प्रणाली आदि जैसी विभिन्न सीआरएम सेवाओं की भी शुरूआत की है।

- वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए उनकी शिकायतें दर्ज कराने के लिए काल केन्द्रों/हेल्प लाइनों का प्रचालन कर रहा है।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड समाज के सभी वर्गों के अनुकूल समय-समय पर प्रशुल्कों में संशोधन करता है।
- पीएसटीएन, बीबी, जीएसएम, सीडीएमए (एम) की विभिन्न सेवाओं तथा शिकायतों की आनलाइन बुकिंग।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के दिल्ली में संचार हाट तथा मुम्बई में ग्राहक सेवा केन्द्र हैं, जहां उपभोक्ता नई सेवा हेतु पंजीकरण, सेल्यूलर कनेक्शन के डुप्लीकेट बिल, बिल का भुगतान, वीसीसी कार्ड आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की वर्ष 2007-08 की चौथी तिमाही में कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम चालू करने की योजना है। इस प्रणाली में सभी सेवाओं के लिए किसी उपभोक्ता को एक ही बिल प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इस प्रणाली में उपभोक्ता की सेवा, प्रशुल्क, शिकायत निपटाने आदि संबंधी अनुरोध का भी निपटान किया जाएगा।

खुदरा क्षेत्र में कामगार

2341. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुदरा क्षेत्र में इस समय कितने कामगार कार्यरत हैं;

(ख) उद्यमों ने संगठित तथा असंगठित खुदरा क्षेत्र में राज्य-वार पृथक-पृथक कितने कामगार नियुक्त किए हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में स्व-रोजगार में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार छोटे तथा मध्यम खुदरा व्यापारी को उदार ऋण सुविधा प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण, जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। सामान्य स्थिति आधार पर खुदरा व्यवसाय (मोटर वाहन तथा मोटर साइकिल, व्यक्तिगत तथा घरेलू सामान की मरम्मत को छोड़ कर) में नियोजित कार्यबल की अनुमानित संख्या वर्ष 2004-05 के दौरान 33.51 मिलियन के लगभग थी।

(ख) सामान्य स्थिति आधार पर वर्ष 2004-05 के दौरान व्यवसाय, होटल व रेस्तरां (उद्योग प्रभाग 50 से 55) में राज्यवार नियोजित कार्यबल की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार में लगे कामगारों की अनुमानित संख्या 1999-2000 में 21.0 करोड़ की तुलना में 2004-05 में बढ़कर 26.1 करोड़ हो गई।

(ङ) और (च) लघु व मझौले खुदरा विक्रेताओं को उदार ऋण सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि लघु व मझौले उद्यम (एस एम ई)क्षेत्र को ऋण के लिए न्यूनतम 20% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के लिए अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करें।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर व्यवसाय, होटल एवं रेस्तरां में नियोजित कामगारों का प्रतिशत (संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में उद्योग प्रभाग 50 से 55)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खुदरा व्यवसाय में नियोजित कामगारों का प्रतिशत	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.6	24.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.3	23.2
3.	असम	9.0	27.6
4.	बिहार	7.5	32.9
5.	छत्तीसगढ़	2.9	26.2

1	2	3	4
6.	दिल्ली	35.4	26.8
7.	गोवा	20.7	23.1
8.	गुजरात	4.7	23.4
9.	हरियाणा	7.5	25.3
10.	हिमाचल प्रदेश	4.3	24.9
11.	जम्मू-कश्मीर	5.0	21.5
12.	झारखंड	4.8	24.1
13.	कर्नाटक	4.5	26.9
14.	केरल	12.2	22.5
15.	मध्य प्रदेश	4.0	25.4
16.	महाराष्ट्र	4.7	23.1
17.	मणिपुर	6.6	28.0
18.	मेघालय	5.5	15.2
19.	मिजोरम	3.5	17.2
20.	नागालैंड	4.9	40.4
21.	उड़ीसा	6.7	24.0
22.	पंजाब	6.4	28.0
23.	राजस्थान	4.1	22.5
24.	सिक्किम	8.6	33.6
25.	तमिलनाडु	6.4	22.3
26.	त्रिपुरा	10.9	27.2
27.	उत्तरांचल	4.4	26.9
28.	उत्तर प्रदेश	6.2	26.6
29.	पश्चिम बंगाल	9.5	23.2
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11.9	18.2
31.	चंडीगढ़	19.8	17.0
32.	दादर व नगर हवेली	6.7	28.2
33.	दमन व दीव	11.6	24.3
34.	लक्षद्वीप	2.1	6.0
35.	पांडिचेरी	10.6	20.3
	अखिल भारतीय	6.1	24.6

*सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार
बेरोजगारी दर श्रम बल के संदर्भ में बेरोजगारों का प्रतिशत है।

[हिन्दी]

टर्मिनल बाजार

2342. श्री पंकज चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताजे फलों, सब्जियों तथा फूलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए देश के कई राज्यों में आधुनिक बाजारों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बाजारों की स्थापना किन-किन राज्यों में किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके परिणामस्वरूप कितना निर्यात बढ़ने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत टर्मिनल मण्डी परिसरों की स्थापना के लिए एक स्कीम की शुरूआत की है जिससे थोक विक्रेताओं, वितरण केन्द्रों, खुदरा नकदी व कैरी दुकानों, प्रसंस्करण यूनिटों तथा निर्यातकों के जरिये अग्र सम्पर्क सुविधा होगा। किसानों के लिए बेहतर मण्डी सम्पर्कों का विकास करने, फार्म आय में वृद्धि करने तथा आपूर्ति शृंखला में सक्षमता लाने के अलावा इससे ताजे फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

(ख) स्कीम के विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान राज्य सरकारों तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्रों ने टर्मिनल मण्डियों की स्थापना के लिए उचित स्थलों पर भूमि की पहचान की है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य सरकारों तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र ने उद्यमियों से "रुचि अभिव्यक्ति" आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की है। टर्मिनल मण्डी परियोजनाओं में परिकल्पित किये गये अनुसार ग्रेडिंग, भण्डारण तथा शीतागारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से देश से फलों, सब्जियों तथा फूलों के निर्यात की सम्भावनाओं में वृद्धि होगी किन्तु इस स्कीम के तहत निर्यात में प्रत्याशित वृद्धि का कोई मात्रात्मक निर्धारण नहीं किया गया है।

(घ) परियोजना पर किये जाने वाले खर्च की राशि की जानकारी मामला-दर-मामला आधार पर बोलियों को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही होगी।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत टर्मिनल मण्डी परिसर की स्थापना के लिए प्रचलनात्मक दिशा-निर्देश

1. पृष्ठ भूमि: राष्ट्रीय बागवानी मिशन विपणन सहित अग्र व पश्चत सम्पर्क विधिवत सुनिश्चित करते हुए एक समेकित प्रणाली अपनाकर बागवानी के समग्र विकास के लिए 2005-06 के दौरान शुरू किया गया था। बागवानी व अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास पर दिये जा रहे अत्यधिक बल को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में संबंधित जिंसों के उत्पादन में अत्यधिक मात्रात्मक वृद्धि होने की संभावना है। फसलोपरांत प्रबंधन तथा विपणन के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध होने की स्थिति में ही उच्च उत्पादन स्तर को सतत बनाया जा सकता है। एन एच एम के तहत विभिन्न प्रकार की मंडियों जैसे थोक मण्डी, ग्रामीण मण्डी तथा अपनी मण्डी/प्रत्यक्ष मण्डी, की स्थापना का प्रावधान है। मौजूदा विपणन प्रणाली में एक दीर्घ व शृंखला आपूर्ति शृंखला तथा अत्यधिक अपशिष्ट के लक्षण मौजूद हैं। उपभोक्ता मूल्य के एक उचित हिस्से को उत्पादक को देने और उत्पाद की उच्च गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने संबंधी गुणों का प्रणाली में अभाव है। इसके लिए वैकल्पिक विपणन संरचना की आवश्यकता है जो पणधारकों की प्रमुख जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक समाधान के साथ-साथ, उत्पाद की बिक्री के लिए किसानों को बहुत से विकल्प प्रदान करे। इसे ध्यान में रखते हुए टर्मिनल मण्डियों की अवधारणा विकसित की गई है और इसे एन एच एम के तहत एक नये मद के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसे सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।

2. उद्देश्य: टर्मिनल मण्डी परिसरों (टी एम सी) की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

   (i) नाशवान जिंसों के लिए आपूर्ति शृंखला को संक्षिप्त बनाकर किसानों को मण्डियों से जोड़ना तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करना और इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि करना।

   (ii) व्यावसायिक रूप से प्रबंधित सक्षम वैकल्पिक वितरण व्यवस्था प्रदान करना जो किसानों को उनके कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बहुत से विकल्प प्रदान करे।

   (iii) निजी क्षेत्र में निवेश के जरिये देश में शीत शृंखला अवसंरचना सहित विपणन एवं फसलोपरान्त प्रबंधन के त्वरित विकास के लिए कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार लाना।

   (iv) किसानों को उच्च मूल्य प्राप्त करने तथा इस प्रकार, किसानों को अधिक आय दिलाने के लिए पश्च सम्पर्कों के प्रावधान के जरिये तथा कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण और मण्डी कारोबार में पारदर्शिता लाना।

3. प्रमुख विशेषतायें:

   (i) टीएमसी उन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे जो प्रत्यक्ष विपणन का प्रावधान करने के लिए कृषि विपणन संबंधी अपने विधान में संशोधन करते हैं और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में मण्डियों की स्थापना की अनुमति देते हैं।

   (ii) टीएमसी परिधि और केन्द्र के रूप में काम करेंगे जिसमें टर्मिनल मण्डी (केन्द्र) बहुत से एकत्रण केन्द्रों (परिधि बिन्दुओं) से जुड़े होंगे।

   (iii) एकत्रण केन्द्र प्रमुख उत्पादन केन्द्रों पर सुविधाजनक ढंग से स्थित होंगे ताकि किसानों को पहुंच बनाने में आसानी हो और प्रत्येक केन्द्र का क्षेत्र किसानों की जरूरतों को पूरा करने,

प्रचालनात्मक क्षमता तथा निवेश की पूंजी के प्रभावी उपयोग पर आधारित होगा।

(iv) टीएमसी एकत्रण केन्द्रों के साथ पश्च सम्पर्क तथा थोक विक्रेताओं, वितरण केन्द्रों, खुदरा नकदी व कैरी स्टोर, प्रसंस्करण यूनिटों तथा निर्यातकों के साथ अग्र सम्पर्क स्थापित करेंगे।

(v) गांवों में एकत्रण केन्द्र मण्डी प्रणाली में उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करण यूनिटों और निजी निर्यातकों को समेकित करेंगे।

(vi) मूल्य निर्धारण एवं प्रतिस्पर्द्धा में पारदर्शिता लाने के लिए एक नीलामी प्रणाली स्थापित की जायेगी।

(vii) इस स्कीम के तहत प्रमुख पणधारकों-उद्यमियों, उत्पादकों, प्रसंस्करण उद्योग तथा निर्यातकों की मदद करके कृषि-व्यापार क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश प्राप्त होगा।

(viii) देश में किसी भी भाग के उत्पादक, किसान तथा उनके संघ और अन्य विपणन कार्यकर्ता टीएमसी की सुविधाओं का प्रत्यक्ष रूप से या एकत्रण केन्द्रों के जरिये उपयोग कर सकते हैं।

(ix) टीएमसी परिवहन सेवाओं तथा शीत शृंखला सहित संभार सहायता प्रदान करने के रूप में एक केन्द्र समाधान प्रदान करेगा।

4. पात्रता: टर्मिनल मण्डी परियोजना प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिये चयनित निजी उद्यम द्वारा सृजित, स्वामित्व और प्रचालित की जायेगी। लोक उद्यम में व्यक्ति किसानों/उत्पादकों/विपणन बोर्ड, निगम, सहकारी समितियां, उत्पादक संगठन तथा स्वयं मदद समूह शामिल हैं। लोक उद्यम उद्यमों का संघ होगा जिसमें अन्यों के साथ-साथ कृषि व्यापार, शीत शृंखला, संभार, भण्डारण, कृषि अवसंरचना तथा संबंधित उद्यम शामिल होंगे।

5. जिंसें: टीएमसी द्वारा विपणन किए जाने वाले जिंसों में अन्यों के साथ-साथ नाशवान जिंसें, फल, सब्जी, फल, सुगंधित पौधे, शाक, मांस, कुक्कुट आदि शामिल हैं। टीएमसी में गैर-नाशवान जिंसों का भी रखरखाव किया जा सकता है। तथापि, गैर नाशवान जिंसों का अनुपात कुल मंडी माल के 15% से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार गैर-बागवानी का उत्पादन नाशवान जिंसों के संदर्भ में कुल मंडी माल के 15% से अधिक नहीं होगा।

6. स्थल: राज्य सरकार मांग, आर्थिक व्यवहार्यता वाणिज्यिक मान्यताओं आदि के आधार पर टीएमसी की संख्या और स्थलों का अनुमोदन करेगी।

7. पणधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां: इसमें शामिल पणधारक निजी उद्यम, राज्य बागवानी मिशन/राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। राज्य सरकार मौजूदा मंडी/क्षेत्र (भूमि) आदि के रूप में परिसम्पत्तियां प्रदान करके या प्रत्यक्ष निवेश के जरिए परियोजना की साम्य में सहभागिता कर सकती है। तथापि, राज्य सरकार और एनएचएम की सम्मिलित रूप से कुल साम्य परियोजना साम्या के 49% से अधिक नहीं होगी। भूमिका और जिम्मेदारियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

8. निजी उद्यम का चयन: लोक उद्यम का चयन प्रतियोगितात्मक रूप से बोली लगाकर किया जाएगा। व्यापार योजना के आधार पर लोक उद्यम को परियोजना साम्या के अधिकतम 49% की सीमा तक साम्या के रूप में सहायता प्राप्त कर सकती है और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उस उद्यम का चयन किया जाएगा जिसके लिए कम से कम साम्या सहभागिता की आवश्यकता है।

9. राज्य स्तरीय समन्वय: राज्य सरकार नोडल अधिकारी के रूप में राज्य सरकार के सचिव के स्तर के किसी अधिकारी को अभिनामित करेगी और इसमें सक्रिय भूमिका निभायेगी। यह नोडल अधिकारी निजी उद्यम के लिए तथा समन्वय कार्यों के लिए एकमात्र संपर्क बिन्दु होगा। राज्य बागवानी मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति टीएमसी परियोजना से संबंधित सभी पहलुओं में समन्वय स्थापित करेगी। नोडल अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए एसएलईसी के सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। नोडल अधिकारी के क्रियाकलाप अनुबंध-II में दिए गए हैं।

टीएमसी परियोजना के अनुमोदन की प्रक्रिया

(i) राज्य बागवानी मिशन प्रत्येक टर्मिनल मंडी के लिए नोडल अधिकारी को नीलामी की प्रक्रिया, मूल्यांकन,

निजी उद्यमों की सूची बनाने, करार करने में मदद के लिए परियोजना एवं वित्तीय मूल्यांकन की क्षमता से युक्त एक ख्यातिलब्ध वित्तीय संस्था की नियुक्ति करेगी।

(ii) राज्य बागवानी मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के पैनल से अथवा उचित प्रक्रिया के जरिए प्रत्येक टर्मिनल मंडी के लिए वित्तीय संस्था का चयन करेगा। पूर्ण परियोजना के लिए वित्तीय संस्था को काम पर लगाने की लागत का वहन एसएचएम के मिशन प्रबंध कोष से किया जाएगा।

(iii) राज्य बागवानी मिशन प्रतियोगी बोली लगाकर तथा दो-बोली प्रणाली अपना करके प्रत्येक टर्मिनल मंडी के लिए निजी उद्यम का चयन करेगी। शुरूआत में इच्छुक निजी उद्यम का चयन अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार उनकी उपयुक्तता के आधार पर तकनीकी रूप से किया जाएगा। तत्पश्चात तकनीकी रूप से योग्य उद्यमों से वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे।

(iv) नोडल अधिकारी सृजित की जाने वाली विस्तृत सुविधा/मात्रा/परियोजना के क्षेत्र का निर्धारण करेगा, जो योग्यता के लिए अनुरोध/प्रस्तावों के लिए अनुरोध हेतु एक भाग होगा। किसी भी स्थिति में निजी उद्यम द्वारा टीएमसी/सीसी पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं देने की प्रत्याशा की जाती है।

(v) निजी उद्यम को आरएफपी की प्रतिक्रिया में बोली के साथ-साथ व्यापार योजना तैयार करने और इसे प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। व्यापार योजना में प्रत्येक टीएमसी के लिए निर्धारित मात्रा हेतु परियोजना की संभावना में दिए गए अनुसार परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए निर्धारित आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

(vi) निजी उद्यम एक से अधिक टीएमसी के लिए पात्र होगा। तथापि, उनकी वित्तीय क्षमता उनके द्वारा क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित टीएमसी की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। यदि निजी उद्यम एक से अधिक टीएमसी के लिए बोली लगाता है तो उसे एक से अधिक परियोजना के लिए चयन किए जाने की स्थिति में प्राथमिकता का क्रम सुनिश्चित करना होगा। टीएमसी का आबंटन वित्तीय क्षमता और निजी उद्यम द्वारा सूचित प्राथमिकता क्रम पर आधारित होगा।

(vii) आरएफपी की प्रतिक्रिया में निजी उद्यम द्वारा प्रस्तुत व्यापार योजना/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन वित्तीय संस्था द्वारा तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से किया जाएगा।

(viii) आरएफपी की प्रतिक्रिया में निजी उद्यम के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर राज्य बागवानी मिशन निजी उद्यम और बागवानी मिशन कोष से दी जाने वाली साम्या की मात्रा/प्रतिशत के संबंध में सिफारिश करेगा। आरएफपी की प्रतिक्रिया में निजी उद्यम से प्राप्त बोलियों के विस्तृत तुलनात्मक विवरण के साथ-साथ इस सिफारिश को कृषि विपणन सलाहकार, कृषि मंत्रालय को एसएलईसी के विधिवत अनुमोदन के पश्चात भेजा जाएगा।

(ix) एनएचएम की कार्यकारी समिति राज्य बागवानी मिशन की सिफारिशों पर निर्णय करेगी और प्रत्येक मण्डी के लिए निजी सहभागिता और साम्या सहभागिता की मात्रा को अन्तिम रूप देगी।

(x) तकनीकी योग्यता के मामले पर निर्णय लेने के लिए एसएलईसी अन्तिम प्राधिकारी होगी।

(xi) राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कार्यकारी समिति निजी उद्यम के चयन या साम्या सहभागिता की मात्रा के निर्धारण के लिए अन्तिम प्राधिकरण होगा।

11. टी एम सी को प्रचालित करने के लिए प्रक्रिया:

(i) नोडल अधिकारी को चयनित निजी उद्यम के साथ "प्रचालन प्रबंध विकास करार" नामक समझौता करेगा। ओ एम डी ए राज्य द्वारा (रियायती करार) दी जाने वाली रियायत, विभिन्न नियामकों आदि की भूमिका और जिम्मेदारियों आदि का निर्धारण करेगा।

(ii) नोडल अधिकारी निजी उद्यम के साथ ओ एम डी ए करने के लिए अपेक्षित स्वीकृति प्रदान करेगा।

(iii) राज्य बागवानी मिशन प्रत्येक एकत्रण केन्द्र के तहत कृषि-क्लिनिकों तथा कृषि व्यापार केन्द्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, जो किसानों को संगठित करने तथा पश्च सम्पर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

(iv) टीएमसी में नाशवान जिंसों तथा मांस के रखरखाव के लिए सुविधाओं को अलग करने हेतु निजी उद्यम में पर्याप्त सावधानी बरतेगा।

(v) राज्य बागवानी मिशन/राज्य सरकार अपनी टीएमसी परियोजना के लिए उत्तम निजी उद्यम आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा निर्णय किये गये अनुसार पट्टे/वाणिज्यिक दरों/नाममात्र की दर पर अपेक्षित भूमि प्रदान करेगी। राज्य मौजूदा मण्डी/एपीएमसी को टर्मिनल मण्डी में बदलने पर भी विचार करेगा। ऐसे मामले में मौजूदा मण्डी की परिसम्पत्तियों का मूल्य आकलित किया जा सकता है तथा परियोजना में साम्या भागीदारी के तौर पर अथवा प्रोत्साहन के रूप में इसका प्रावधान किया जा सकता है। यदि राज्य भूमि के रूप में साम्या में सहभागिता करने या आकलन के रूप में साम्या को अन्तरित करने का निर्णय लेता है तो निजी उद्यम साम्या की शेष राशि की बोली लगा सकता है, जो 49% से अधिक की नहीं होगी।

(vi) टर्मिनल बाजार के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए प्रत्येक टर्मिनल बाजार हेतु एक स्वतंत्र परामर्शदाता नियुक्त किया जाएगा। आई सी का चयन और कार्यक्षमता डी ओ एम ए में उल्लिखित है। आई सी नोडल अधिकारी को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नोडल अधिकारी आई सी के जरिये परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग करेगा।

(vii) टर्मिनल मंडल परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले निजी उद्यम के बोर्ड/शासी बोर्ड में राज्य सरकार का एक नामित होगा।

(viii) राज्य सरकार एकत्रण केन्द्रों से पश्च सम्पर्क स्थापित करने में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं से भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

12. सेवा प्रभार

पी ई को वाणिज्यिक और व्यवहार्यता के आधार पर सेवा प्रभार निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता है। ओ एम डी करार को यथा निर्धारित सेवा स्तर पर पी ई द्वारा पूरा किया जाएगा।

13. सरकारी इक्विटी में निवेश

राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंडी/फेयर वैल्यू पर उपयुक्त समय पर सरकार इक्विटी का निवेश किया जाएगा।

14. मानिटरन और प्रगति प्रतिवेदन

एसएचएम नोडल अधिकारी के जरिए टर्मिनल मण्डी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन का मानिटरन करेगा। नोडल अधिकारी इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक टर्मिनल मंडी के पीएमए की मदद लेगा। राज्य बागवानी मिशन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कृषि विपणन) के जरिए मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को टी एम के क्रियान्वयन की प्रगति पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वे एनएचएम की वैब समर्थित प्रगति मानीटरन प्रणाली के जरिए मासिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। (www.nhm.nic.in)

15. सामान्य जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम/परियोजना विकास सुविधा

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं अथवा सूची में सम्मिलित व्यावसायिक संस्थाओं के जरिए विभिन्न स्टाकहोल्डरों की सामान्य जागरूकता, प्रचार और प्रशिक्षण कार्य किए जाएंगे। उपर्युक्त व्यवस्था के जरिए परियोजना विकास भी किया जाएगा।

अनुबंध I

संबंधित एजेंसियों की भूमिका और उत्तरदायित्व

टर्मिनल मण्डी परिसर परियोजनाओं के सफल प्रचालन के लिए, परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालन से संबंधित एजेंसियों की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्न प्रकार परिकल्पित हैं:

(i) निजी उद्यम की भूमिका

निजी उद्यम के निम्नलिखित अधिकार और बाध्यताएं होंगी:

(क) उद्यम "हब एण्ड स्पोक" फार्मेट में टीएम तथा सीसी परिसर निर्धारित की जाने वाली ढांचागत सुविधाएं और सेवाएं कानूनी रूप से प्रदान करनी होंगी,

(ख) टर्मिनल मण्डी (हब) अनेक संग्रहण केंद्रों (स्पोक्स) से जुड़ी होगी। संग्रहण केन्द्र उत्पादकों के साथ पिछले सहसंबंध स्थापित करने के लिए प्रमुख उत्पादन केन्द्रों पर अवस्थित होंगे तथा किसानों के लिए अपने उत्पाद के विपणन के लिए सुगम पहुंच की अनुमति देंगे;

(ग) उद्यम आदान आपूर्ति, प्रसंस्करण, कृषि मशीनरी तथा उपकरण, टिकाउ वस्तुएं इत्यादि जैसी अनुपूरक सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकल्प देंगे;

(घ) उद्यम को परियोजना के आकार और आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए टर्मिनल विपणन परिसर में ही निर्धारित सीमाओं से अधिक गैर-नाशवान जिन्सों में व्यापार करने का विकल्प होगा;

(ङ) निजी उद्यम को किसानों से सीधे अथवा टीएम/सीसी के माध्यम से जिनसे खरीदने की आजादी होगी;

(च) उद्यम किसानों को इच्छा पर प्रसंस्करण यूनिटों, फुटकर शृंखला और निर्यातों के लिए सीधी आपूर्ति की सुविधा देगा;

(छ) उद्यम किसानों के लिए आदानों, मूल्यों, गुणवत्ता, बहु माडल परिवहन और निर्यातों के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करेगा;

(ज) किसान को अपने उत्पाद को या तो सीसी/टीएम के माध्यम से अथवा सीधे टीएम या किसी अन्य विपणन चैनल जो परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है, बेचने को स्वतंत्र होगा;

(झ) उद्यम किसान संगठनों को बढ़ावा देगा और उन्हें क्रमिक रूप से सीसी के प्रचालन और प्रबंधन से जोड़ेगा;

(ञ) उद्यम टीएम तथा सीसी की स्थापना के लिए भूमि अधि ग्रहण करने के लिए तथा आवश्यक लाइसेंसों, अनुमोदन प्राप्त करने तथा मण्डी की स्थापना और प्रचालन के लिए अनुमोदन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ट) परिसर में निजी उद्यम से निवेश परियोजना इक्विटी के कम से कम 51 प्रतिशत होना चाहिए;

(ठ) उद्यम उसके द्वारा प्रदत्त ढांचागत और सेवाओं के लिए मण्डी भागीदारों और उत्पादकों से प्रयोक्ता प्रभार (वाणिज्यिक प्रतिफलों द्वारा निर्धारित) लेने के लिए स्वतंत्र होगा;

(ii) राज्य सरकार की भूमिका

राज्य सरकार एक पूर्व-सक्रिय भूमिका अदा करेगी तथा टर्मिनल मण्डी परिसरों के प्रयोजनार्थ एसएचएम के एक एसएलईसी के तहत कार्य करने के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में सरकार के सचिव स्तर के एक अधिकारी को नामित करेगी। समिति के उत्तरदायित्व में शामिल होगा:

(क) टर्मिनल मण्डी परिसरों की संख्या और स्थान का अनुमोदन;

(ख) परियोजना की निविदा प्रक्रिया और कार्यान्वयन और तौर-तरीकों का अनुमोदन;

(ग) परिसर की विस्तृत व्यवसाय योजना का तकनीकी मूल्यांकन,

(घ) विपणन परिसरों और संकलन केन्द्रों की स्थापना और प्रचालन सुकर बनाने के लिए नियामक अनुमोदनों, अनुज्ञप्तियों को जारी करने, अनुमति प्रदान करना।

(ङ) भूमि को चिन्हित करना और जब आवश्यक हो टीएम और सीसी के लिए सरकारी भूमि के प्रावधान;

(च) सड़क संयोजकता, विद्युत और जल आपूर्ति जैसी टीएम/सीसी के लिए ढांचागत समर्थन संबंधी अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ समभिरूपता;

(छ) प्रत्यक्ष वित्त पोषण, भूमि/ढांचागत समर्थन और/अथवा मौजूदा मण्डी परिसंपत्तियों के अंतरण के माध्यम से परियोजना की इक्विटी में भागीदारी कर सकते हैं;

(ज) एक खुली/पारदर्शी प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी उद्यम का चयन तथा सफल निजी उद्यम के साथ प्रचालन, प्रबंधन, विकास समझौता करना;

(झ) संग्रह केन्द्रों के लिए पिछले सहसंबंध स्थापित करने में पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता सुनिश्चित करना;

(ञ) प्रत्येक संग्रहण केन्द्र के तहत कृषि-क्लीनिक और कृषि-बिजनेस केन्द्रों की संलग्नता को प्रोत्साहित करना ताकि वे पिछले सहसंबंध स्थापित करने में तथा किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें;

(ट) परियोजना का ठेका निविदादाता को कम से कम इक्विटी भागीदारी के अनुरोध के साथ दिया जाएगा;

(ठ) टर्मिनल मण्डी परिसर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना;

(iii) केन्द्र सरकार की भूमिका (कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय)

केन्द्र सरकार परियोजना को अपनी इक्विटी पूंजी में भागीदारी के माध्यम से समर्थन देगी। भागीदारी की शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(क) केन्द्र सरकार परियोजना इक्विटी के 49 प्रतिशत तक इक्विटी सहायता प्रदान करेगी, जो उपयुक्त समय पर निर्धारित की जाएगी बाजार/उचित मूल्य पर लौटाने योग्य है।

(ख) इक्विटी पूंजी में भागीदार केन्द्र/राज्य सरकार मण्डी परिसर के लिए किसान संगठनों को पोषित करने वाले व्यवसाय के पक्ष में अपनी इक्विटी विमोचन पर आबंटन के लिए विकल्प रखेगी।

(ग) किसान संगठनों के आगे नहीं आने की स्थिति में, उद्यम के प्रायोजक को बाजार/उचित मूल्य पर जिसे उपयुक्त समय पर निर्धारित किया जाएगा, सरकारी इक्विटी पूंजी को वापस खरीदने का विकल्प दिया जाएगा।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के लिए टर्मिनल मण्डी परिसर के प्रतिदिन और वार्षिक संचालन क्षमता के निर्धारण में राज्य सरकार को सहायता करना।

अनुबंध II

नोडल अधिकारी के अधिकार और बाध्यताएं

अधिकार

1. टर्मिनल मण्डी परिसर के प्रचालन की नियमावली बनाना
2. टर्मिनल मण्डी परिसर के विकास पर प्रगति रिपोर्ट
3. ऐसी अधिदेशात्मक पूंजीगत परियोजना के निर्माण के आरंभ होने में विलंब पर पीई के समान वित्तीय क्षतिपूर्ति वसूल करना
4. किसी अधिदेशात्मक पूंजीगत परियोजना के पूर्ण होने के लिए पीई से वित्तीय क्षतिपूर्ति वसूलना
5. निर्धारित समय रूपरेखा के भीतर आईएसओ की प्रगति और उपलब्धि
6. मास्टर प्लान के अनुसार उद्देश्य सेवा गुणवत्ता प्राप्त करने में पीई के असफल होने की स्थिति में राजस्व की प्रतिशतता का संकलन

बाध्यताएं

1. मास्टर प्लान का अनुमोदन करना
2. पीई के लिए अनुमोदन की प्राप्ति में सहायता
3. पीई द्वारा भूमि की प्राप्ति में सहायता
4. पीड़ित पक्ष और संबंधित नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय के प्रयोजनार्थ नियामक सुविधा प्रदान करना।

[अनुवाद]

रक्षा-खरीद की लेखा परीक्षा

2343. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में उपकरणों की खरीद उनके इस्तेमाल तथा परिणाम की लेखा परीक्षा करने का कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में की गई खरीद की इन लेखा परीक्षाओं के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सशस्त्र सेनाओं द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि आपूर्ति या तो घटिया किस्म की होती है या विनिर्देशन के अनुरूप नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो सेना के तीनों अंगों में से प्रत्येक द्वारा खरीदे गए ऐसे मदों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) खरीदों से संबंधित व्यय की लेखा परीक्षा अधिकांशत: रक्षा लेखा विभाग द्वारा की जाती है जबकि सशस्त्र सेनाओं में उपस्करों की खरीद, इस्तेमाल और नतीजों से संबंधित कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

(ख) लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में प्रदर्शित किया जाता है।

(ग) और (घ) सशस्त्र सेनाओं के लिए अधिप्राप्तियों को गुणता नियंत्रण की कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, इसलिए सैकड़ों करोड़ के उपस्कर घटिया सप्लाई होने के कारण अथवा उनके विनिर्देशों के अनुसार नहीं होने के नाते सशस्त्र सेनाओं द्वारा आमतौर पर अप्रयुक्त नहीं पड़े रहते हैं।

विषैले चावल

2344. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा देश के कुछ अन्य भागों में उत्पादित चावल में विषैले आर्सेनिक का अनुपात अधिक है जैसा कि दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में शोध किया है और धान के खेतों में विषैले रसायनों को पाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के विषैले रसायनों से कृषि को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक संदूषित क्षेत्रों विशेषकर नाडिया जिले के हरिनघाट, चकदाह खण्डों और 24 परगना (उत्तर) जिले के देगंगा खण्ड में चावल में आर्सेनिक का निम्न प्रकार से संचयन दर्शाया:

	आर्सेनिक अंश (मि.ग्रा./कि.ग्रा.)	
पूर्व-खरीफ चावल	5.90-18.82	1.98-3.52
बोरो चावल	11.6-23.8	1.84-10.0

तथापि चावल के द्वारा आर्सेनिक विषाक्तता का जोखिम उसी सीमा तक सीमित होता है जितना कि चावल के पौधे द्वारा यह छिलका (हुल) और ऐल्यूरोन लेयर में संचित होता है तथा इसमें से ज्यादातर आर्सेनिक मिलिंग पालिश करने और चावल पकाने के बाद नष्ट हो जाता है।

(ग) और (घ) प्रोफेसर एन्ड्रयू मेहार्ग के नेतृत्व में ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के दल ने अपने अध्ययन को बांग्लादेश तक केन्द्रित रखा तथा सिंचाई में आर्सेनिक संदूषित भू-जल के प्रयोग से बांग्लादेश की मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में आर्सेनिक बनता पाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खाद्य, आहार, चारा, पशुधन, मछली, दुग्ध आदि द्वारा खाद्य-शृंखला में आर्सेनिक के प्रवेश से निपटने के लिए तथा मानव शरीर क्रिया में इसके प्रभाव के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के तहत संभावित न्यूनीकरण विकल्पों का पता लगाने के लिए "खाद्य शृंखला में आर्सेनिक: कारण, प्रभाव तथा न्यूनीकरण" नामक एक नेटवर्क परियोजना आरंभ की है जिसमें बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल सहित अनेक केन्द्र शामिल हैं। आर्सेनिक विषाक्तता पर राज्य आर्सेनिक कार्य दल, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी निदेशालय और अन्य विभागों द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है।

कार्य न कर रहे मोबाइल टावर

2345. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने मोबाइल टावर लगाए गए परन्तु वे रेडिएशन तथा अन्य संबंधित उपकरणों की आपूर्ति न होने के कारण पिछले एक वर्ष से निष्क्रिय पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपकरणों का विदेशों से आयात करना होता है तथा संबंधित कंपनियों से इनकी आपूर्ति में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा दिए गए कुल आर्डर का ब्यौरा क्या है तथा इन उपकरणों को कितने टावरों से जोड़ा जाना है;

(ङ) क्या इस विलंब से बड़ी संख्या में गांव प्रभावित हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह संपूर्ण प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपनी मोबाइल विस्तार परियोजनाओं का तीव्र गति से विस्तार करने के प्रयोजनार्थ अवसंरचना के निर्माण हेतु अग्रिम कार्रवाई की है। अग्रिम रूप से संस्थापित टावरों का राज्य-वार ब्यौरा है: कर्नाटक सर्किल में 201 टावर, जम्मू-कश्मीर सर्किल में 22 टावर, असम सर्किल में 15 टावर, तमिलनाडु सर्किल में 193 टावर एवं आंध्र प्रदेश में 54 टावर।

(ग) से (छ) बीएसएनएल ने पहले ही लगभग 8 मिलियन अतिरिक्त उपस्करों के लिए सफल बोलीदाता को क्रयादेश दे दिया है जो विदेश स्थित अपनी प्रधान कंपनियों से कुछ उपस्कर प्राप्त करता है। समस्त निर्मित अवसंरचना का उपस्कर की प्राप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर उपयोग किए जाने एवं निविदा के अनुसार कवर किए जाने हेतु नियोजित गांवों तक सेवा पहुंचाए जाने की संभावना है।

मदर डेयरी के कार्य निष्पादन की समीक्षा

2346. श्री अनन्त नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मदर डेयरी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान समीक्षा के परिणाम सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मदर डेयरी अपने कार्यकलापों का विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों और विस्तार के क्षेत्रों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) जी, नहीं। मदर डेयरी, मदर डेयरी फ्रुट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. (एम डी एफ वी पी एल) की एक यूनिट है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है। एम डी एफ वी पी एल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एम डी एफ वी पी एल के निदेशक मंडल की नियुक्ति एनडीडीबी द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत, मदर डेयरी के कार्य निष्पादन की समीक्षा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। एम डी एफ वी पी एल को भारत सरकार से किसी प्रकार का बजटीय समर्थन प्राप्त न होने के कारण, मदर डेयरी के लक्ष्य को ग्यारहवीं योजना में निर्धारित नहीं किया गया है।

भारत-अमरीका संयुक्त सैन्य अभ्यास

2347. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना संयुक्त राज्य अमरीका की सेना के साथ अमरीकी राज्य अलास्का में संयुक्त अभ्यास करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष के अंत तक संयुक्त राज्य अमरीका की सेना के साथ एक और अभ्यास भारत में किए जाने का विचार है; और

(घ) इन अभ्यासों से भारतीय सेना को कितनी सहायता मिलेगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ये संयुक्त अभ्यास, सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं और उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी के आदान-प्रदान के माध्यम से हमारी सशस्त्र सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने में योगदान करते हैं।

इन युद्धाभ्यासों से अंतर-संचालनीयता में भी वृद्धि होती है जिसका आपदा प्रबंधन संबंधी स्थितियों और शांति स्थापना अभियानों के दौरान फायदा होगा।

पाम आयल का आयात

2348. डा. के.एस. मनोज:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और उसके बाद पाम, नारियल और सोयाबीन सहित खाद्य तेल की मात्रा और मूल्य को दर्शाते हुए तत्संबंधी आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य तेल के आयात से घरेलू तेल उद्योग और तिलहन के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पाम, नारियल

और सोयाबीन सहित खाद्य तेलों के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	खाद्य तेल का नाम	मात्रा लाख टन में (अप्रैल-मार्च)			कीमत करोड़ रुपये में		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1.	सोयाबीन तेल	10.93	16.51	12.16	2955.01	3899.91	3103.68
2.	पाम तेल	35.03	24.49	27.66	7691.27	4563.41	5629.14
3.	सूरजमुखी का तेल	0.38	0.71	1.41	109.86	184.67	422.98
4.	नारियल तेल	0.13	0.04	0.15	40.87	11.46	51.86
5.	अन्य तेल	1.06	1.18	1.36	305.10	343.31	372.87
	जोड़	47.53	42.93	42.74	11102.11	9002.76	9580.53

स्रोत: डीजीएफटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

घाटे का प्रतिदाय

2349. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव काटन ग्रोर्ब्स मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एमएससीसीजीएमएफएल) को राज्य में सीसीआई के अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालन हेतु उनके घाटे का प्रतिदाय सीसीआई के घाटे के रूप में दिलाने के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारतीय कपास निगम (सीसीआई और भारतीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (नैफेड के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम सहित ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। दिनांक 3.5.2007 को कृषि मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) सरकार ने अनुरोध पर विचार नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीएसएनएल टावर

2350. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड के गिरिडीह जिले में एक प्रमुख तीर्थ स्थल झारखंडधाम में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का टावर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त टावर को स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त टावर को शीघ्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त टावर को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्त वर्ष के दौरान झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल झारखंडधाम में मोबाइल टावर संस्थापित करने की योजना भारत संचार निगम लिमिटेड ने बनाई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) से (च) भारत संचार निगम लिमिटेड ने मार्च, 2008 तक झारखंडधाम में मोबाइल टावर संस्थापित करने की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

मोबाइल टावरों की संख्या में वृद्धि

2351. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देश में मोबाइल टावरों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वित्तीय वर्ष में राज्य-वार और स्थान-वार अब तक कितने टावर स्थापित किए गए हैं और कितने टावरों को स्थापित करने का विचार है; और

(घ) बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) बीएसएनएल देश में टावरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर उपस्करों की खरीद करता है। तद्नुसार, बीएसएनएल ने तीन चरणों में राल आउट किए जाने वाले 45.5 मिलियन लाइनों की क्षमता के जीएसएम/यूएमटीएस आधारित सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए 2जी/3जी कौंबो (सीओएमबीओ) इंडियन मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस (आईएमपीसीएस) के लिए निविदा आमंत्रित की है।

(ग) बीएसएनएल ने अब तक 29,662 टावर संस्थापित किए हैं और इसकी इस वित्तीय वर्ष में देश में 5,881 टावरों को संस्थापित करने की योजना है। देश में सर्किल वार संस्थापित/संस्थापित किए जाने वाले टावरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बीएसएनएल अपने कार्य-निष्पादन के लिए अपने जीएसएम आधारित सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क का सतत रूप से इष्टतम उपयोग कर रहा है। नेटवर्क के मानीटरिंग संबंधी कार्य को सुदृढ़ किया गया है ताकि ट्राई द्वारा विहित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों के अनुसार कार्य-निष्पादन सुनिश्चित हो सके। बीएसएनएल के जीएसएम नेटवर्क में भी उत्तरोतर रूप से वृद्धि की जा रही है जिससे क्षमता, कवरेज और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

विवरण

देश में संस्थापित/संस्थापित किए जाने वाले टावरों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	31.10.2007 की स्थिति के अनुसार देश में संस्थापित किए जाने वाले टावरों की संख्या	इस वित्तीय वर्ष में संस्थापित किए जाने वाले टावरों की संख्या
1	2	3	4
उत्तर क्षेत्र			
1.	हरियाणा	1,002	128
2.	हिमाचल प्रदेश	504	350
3.	जम्मू और कश्मीर	516	150
4.	पंजाब	1,452	146
5.	राजस्थान	1,982	105
6.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2,695	300
7.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,197	70
9.	उत्तरांचल	432	8
	उप जोड़	9,780	1,257
पूर्व क्षेत्र			
9.	अंडमान और निकोबार	49	28
10.	असम	629	100
11.	बिहार	858	264
12.	झारखंड	529	160
13.	उत्तर-पूर्व-I	248	44
14.	उत्तर-पूर्व-II	208	78
15.	उड़ीसा	930	263

1	2	3	4
16.	प. बंगाल	1,165	292
17.	कोलकाता दूरसंचार जिला	739	18
	उप जोड़	5,355	1,247
पश्चिम क्षेत्र			
18.	महाराष्ट्र	2,586	1,222
19.	छत्तीसगढ़	422	503
20.	मध्य प्रदेश	1,245	507
21.	गुजरात	2010	466
	उप जोड़	6,263	2,698
दक्षिण क्षेत्र			
22.	आंध्र प्रदेश	1,841	259
23.	कर्नाटक	1,723	61
24.	केरल	1,887	232
25.	तमिलनाडु	2,078	30
26.	चेन्नई दूरसंचार जिला	765	97
	उप जोड़	8,294	679
	कुल जोड़	29,692	5,881

रक्षा स्थापना से सामरिक सूचना की चोरी

2352. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर स्थित रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास और स्थापना के परिसर से सामरिक सूचना वाले कुछ कंप्यूटर उपकरणों की चोरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य संबंधित संगठनों में चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान देश में ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(घ) ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना, कानुपर से प्राप्त आरंभिक सूचना के अनुसार इस स्थापना से चुराए गए तीनों कंप्यूटरों में किसी प्रकार की सामरिक सूचना नहीं थी।

(ख) और (ग) रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से संबद्ध संगठनों में गत एक वर्ष के दौरान चोरी का यही एकमात्र मामला सामने आया है।

(घ) रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना ने प्रयोगशला से चोरी होने की घटना की स्थिति की जांच और खोई गई मदों तथा आंकड़ों के खुलासे के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रयोगशाला ने समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर जांच पड़ताल करने के वास्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इसी बीच, एक विभागीय/सतर्कता जांच भी प्रारंभ की गई है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय भी किए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

[हिन्दी]

श्रमिक आवास योजना

2353. **श्री कीरेन रिजीजू:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रमिक आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी और उपयोग की गई;

(ग) उक्त योजना के दौरान मकानों की कुल मांग और उपलब्धता क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने श्रमिकों को मकान उपलब्ध कराए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा शेष श्रमिकों को मकान कब तक दिए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) आवास योजनाओं के अंतर्गत बीड़ी और खान कामगारों को आवास निर्माण हेतु मंजूर किए गए कुल आवासों की संख्या और जारी की गई आर्थिक सहायता का एक राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) कामगारों या कामगारों की सहकारी समितियों या संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर परिशोधित एकीकृत आवास स्कीम-2005 के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्रति कामगार 40,000/- रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता मंजूर की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2007-08 (31 अक्तूबर, 2007 तक) के दौरान आवासों के निर्माण के लिए कुल 10330 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें 2066 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अंतर्निहित है। चालू वर्ष के दौरान अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं।

विवरण

बीड़ी और खान कामगारों द्वारा आवासों के निर्माण हेतु 2004-05 से 2006-07 तक राज्यवार मंजूर किए गए आवासों की संख्या और जारी की गई आर्थिक सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंजूर किए गए आवासों की संख्या 2004-05	जारी की गई आर्थिक सहायता 2004-05*	मंजूर किए गए आवासों की संख्या 2005-06	जारी की गई आर्थिक सहायता 2005-06*	मंजूर किए गए आवासों की संख्या 2006-07	जारी की गई आर्थिक सहायता 2006-07*
1.	आंध्र प्रदेश	6993	97.85	10912	3864.36	11485	3347.72
2.	तमिलनाडु	674		-		2898	
3.	बिहार		9.98	1016	409.71	678	189.6
4.	झारखंड	-		-		151	
5.	मध्य प्रदेश	1359	21.96	60	29.98	225	134.99
6.	छत्तीसगढ़	18		-		-	
7.	महाराष्ट्र	867	317.95	187	423.80	129	237.25
8.	उड़ीसा	3672	353.91	43	438.01	1634	495.68
9.	राजस्थान	254	1.00	-	5.24	03	62.34
10.	कर्नाटक	513	306.46	-	149.66	1160	463.65
11.	केरल	707		-		-	
12.	उत्तर प्रदेश	-	24.50	21	24.29	128	44.52
13.	पश्चिम बंगाल	903	99.87	1048	127.68	168	101.37
14.	असम	-		-		91	
	कुल योग	15960	1233.48	13287	5472.73	18750	5077.12

नोट: *इन तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि में प्लिंथ स्तर, छत स्तर तक निर्माण पहुंचने पर और पूरी तरह से निर्माण पूरा होने पर पूर्ववर्ती एकीकृत आवास स्कीम के अंतर्गत तीन किश्तों में जारी आर्थिक सहायता भी शामिल है और स्कीम के अंतर्गत 18 माह की अनुबंधित अवधि प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

मुर्गीपालन हेतु मक्का

2354. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से मुर्गीपालन हेतु रियायती दर पर मक्का का अतिरिक्त कोटा जारी करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को राज्यों को उक्त कोटा जारी करने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त कोटे से राज्यों विशेषकर कर्नाटक को कितनी मात्रा में मक्का उपलब्ध कराया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, हां। छत्तीसगढ़ (8833 मि. टन), गुजरात (5970 मि. टन), कर्नाटक (1.0 लाख मि. टन) तथा मध्य प्रदेश (2100 मि. टन) जैसे राज्यों से कुक्कुट के लिए रियायती दर पर मक्के का अतिरिक्त कोटे को जारी करने के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के पास मक्के की अधिशेष मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस अनुरोध को पूरा नहीं किया जा सका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपकरणों की आपूर्ति

2355. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने जी एस एम डब्ल्यू एल एल और बेसिक टेलीफोन की टेलीफोन लाइन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपकरणों और अन्य सामग्री के लिए विभिन्न कंपनियों को आपूर्ति आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सामग्री की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) इस आपूर्ति के बाद विभिन्न परिमंडलों की क्षमता में होने वाली वृद्धि का परिमंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नेटवर्क में सुधार करने हेतु किसी अन्य उपकरणों की भी पहचान की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीएसएनएल ने सर्किलों के लिए जीएसएम मोबाइल उपस्कर की लगभग 8 मिलियन लाइनों की क्षमता हेतु 2जी/3जी की संयुक्त निविदा के प्रति मैसर्स एरिक्सन को क्रयादेश जारी किया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अन्य सर्किलों के लिए प्रापण की प्रक्रिया जारी है। सामग्री की आपूर्ति अप्रैल, 2008 से आरंभ हो जाएगी और यह फरवरी, 2009 तक की जाएगी।

डब्ल्यूएलएल उपस्कर के संदर्भ में नवंबर/दिसंबर, 2006 के दौरान 30.52 लाख लाइनों के कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) डब्ल्यूएलएल उपस्कर का क्रयादेश मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (21 लाख लाइनें) तथा मैसर्स यूनाईटेड टेलीकाम्स लिमिटेड (9.525 लाख लाइनें) को दिया गया। अधिकांश उपस्कर की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है तथा शेष उपस्कर की आपूर्ति दिसंबर 2007 तक हो जाने की संभावना है। फिलहाल, उपस्कर की संस्थापना करने एवं चालू करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

(घ) इस आपूर्ति के प्राप्त होने के बाद जीएसएम एवं डब्ल्यूएलएल के संदर्भ में सर्किलवार क्षमताओं में होने वाली संभावित वृद्धि का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

जीएसएम उपस्कर: सर्किल वार क्षमताओं में संभावित वृद्धि

क्र.सं.	सर्किल का नाम	जीएसएम विस्तार परियोजना के तहत क्षमता आवंटन
1	2	3
उत्तरी जोन		
1.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	975,000
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	480,000
3.	उत्तरांचल	275,000
	उप जोड़	1,730,000

1	2	3
पूर्व जोन		
4.	अंडमान एवं निकोबार	95,000
5.	असम	582,829
6.	बिहार	875,000
7.	झारखंड	799,000
8.	पूर्वोत्तर-I	167500
9.	पूर्वोत्तर-II	158,500
10.	उड़ीसा	700,164
11.	पश्चिम बंगाल	849,862
12.	कोलकाता दूरसंचार जिला	375,000
	उप जोड़	4,602,855
13.	तमिलनाडु	1,298,300
14.	चेन्नई दूरसंचार जिला	550,000
	उप जोड़	1,848,300
	योग	8,181,155

विवरण II

डब्ल्यूएलएल उपस्कर: सर्किल वार क्षमताओं में संभावित वृद्धि

सर्किल	क्षमता
1	2
अंडमान निकोबार	50000
आंध्र प्रदेश	200000
बिहार	100000
छत्तीसगढ़	100000
गुजरात	200000
हिमाचल प्रदेश	100000
जम्मू-कश्मीर	50000
झारखंड	100000
कर्नाटक	200000
मध्य प्रदेश	250000
उड़ीसा	50000
पंजाब	100000
राजस्थान	200000
उत्तरांचल	50000
केरल	250000
कोलकाता	100000
असम	50000
हरियाणा	50000
महाराष्ट्र	300000
पूर्वोत्तर-II	50000
पूर्वोत्तर-I	2500
तमिलनाडु	100000
उ.प्र. (पूर्व)	100000
उ.प्र. (प.)	100000
प. बंगाल	150000
चेन्नई	50000
योग	3052500

[अनुवाद]

डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन

2356. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल द्वारा डब्ल्यूएलएल फोन के लिए बैटरी की पूर्ति न किए जाने के कारण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) टेलीफोन कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के सामने समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को इन-बिल्ट बैटरी अथवा 12 वोल्ट स्विच मोड विद्युत आपूर्ति (एसएमपीएस) वाले फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल (एफडब्ल्यूटी) से युक्त डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में ए/सी की मुख्य लाइन के जरिए बिजली की कम आपूर्ति के कारण उपभोक्ता टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) की इन-बिल्ट बैटरी समुचित रूप से चार्ज नहीं हो पाती जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की सेवाओं में व्यवधान आ जाता है।

(ग) इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ए/सी मुख्य लाइन की समस्या है वहां एफडब्ल्यूटी की बैटरी क्षमता को बढ़ाने के लिए एफडब्ल्यूटी के साथ एसएमपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ii) एफडब्ल्यूटी के समुचित इस्तेमाल के संबंध में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने की खातिर उनके लिए "क्या करें और क्या न करें" की बाबत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि एफडब्ल्यूटी से संबंधित दोषों को कम से कम किया जा सके।

(iii) बीएसएनएल खराब बैटरियों को बदलने के लिए इन-बिल्ट बैटरियों का प्रापण कर रहा है।

शीघ्र डाक वितरण हेतु पिनकोड

2357. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने व्यक्तियों और स्थापनाओं दोनों की भारी मात्रा में प्राप्त डाक के शीघ्र वितरण हेतु अद्वितीय 6 अंक वाला पिन कोड आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का विस्तार पूरे देश में करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) थोक प्राप्तकर्ताओं को भेजी गई डाक के त्वरित वितरण के लिए थोक प्रेषितियों को 6 अंकों वाला एक अद्वितीय ग्राहक पिनकोड आवंटित किया जा सकता है। ग्राहक पिनकोड वाली डाक को मेल व्यवसाय केंद्रों/मेल कार्यालयों के स्तर पर ही छांट लिया जाता है और इनका वितरण सीधे ग्राहक को किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ डाक सर्किलों द्वारा थोक प्रेषितियों की पहचान दो श्रेणियों में की जा रही है:

श्रेणी I : वैयक्तिक थोक प्रेषिति।

श्रेणी II : एक ही भवन, अपार्टमेंट, ब्लाक अथवा कालोनी में रहने वाले या एक ही परिसर में कार्यालय वाले थोक प्रेषितियों का समूह।

नई स्कीम के अंतर्गत, थोक प्राप्तकर्ताओं की डाक का अलग से निपटान किया जाता है जिससे वितरण डाकघरों का कार्यभार कम हो जाता है तथा वैयक्तिक डाक के वितरण में भी तेजी आ जाती है।

(ग) और (घ) इस स्कीम का विस्तार समूचे देश में कर दिया गया है।

मन्नाड़ की खाड़ी क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियां

2358. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मन्नाड़ की खाड़ी क्षेत्र में तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस क्षेत्र में नौसैनिक प्रेक्षण-चौकी स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा; और

(ङ) नौसैनिक प्रेक्षण-चौकी को कब तक स्थापित किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भारतीय तटरक्षक तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (तस्करी निरोधक) प्राधिकारियों से

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मन्नाड़ क्षेत्र की खाड़ी में तस्करी की गतिविधियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने सीमांत पर "आपरेशन ताशा" के तहत पर्याप्त नौसेना कर्मियों सहित एक "अग्रिम पर्यवेक्षण चौकी" (एफ ओ पी) की स्थापना की है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के साथ तटरक्षक इस क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए निगरानी करते हैं।

सीमेंट में फ्लाई ऐश का उपयोग

2359. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में कुछ सीमेंट कंपनियां विद्युत ताप केंद्र से मुफ्त में प्राप्त फ्लाई ऐश को सीमेंट में मिला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत इस पद्धति की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य और निर्माण की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस आकलन के परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) सीमेंट के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग संबंधित भारतीय मानकों के उपबंधों के अन्तर्गत अनुमेय है क्योंकि इससे सीमेंट/कंक्रीट की गुणवत्ता और कार्य क्षमता बढ़ती है। फ्लाई ऐश का प्रयोग अधिकांशत: पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट के विनिर्माण में किया जाता है जो भारतीय मानक आई एस 1489 (भाग-1):1991 के अनुसार फ्लाई ऐश पर आधारित है। महाराष्ट्र में उक्त सीमेंट के आठ विनिर्माता हैं जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो के वैध लाइसेंस हैं।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य संबंधी खतरे की दृष्टि से फ्लाई ऐश का मूल्यांकन परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि फ्लाई ऐश स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को निर्माण प्रयोजनों के लिए इन सामग्रियों का प्रयोग करने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्माण की गुणवत्ता डिजाइन, कच्चे माल, निर्माण पद्धतियों और पर्यवेक्षण पर निर्भर करती है चाहे वह राजगिरी का कार्य हो या फिर कंक्रीट का निर्माण कार्य। सीमेंट एक कच्चा माल है, इसलिए फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, स्टील रिइन्फोर्समेंट आदि के अलावा, सीमेंट की गुणवत्ता निर्माण की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए अनेक पैरामीटरों में से एक है।

ऊनी वस्त्र का निर्यात

2360. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय ऊनी वस्त्र उद्योग मंदी के दौर से उबर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के दौरान ऊनी वस्त्र विनिर्माताओं द्वारा अब तक प्राप्त बिक्री आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान देश के ऊनी वस्त्रों के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऊनी वस्त्र संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) यह प्रतीत होता है कि निटवियर उद्योग अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की मजबूती के कारण अन्य निर्यातोन्मुखी व्यापार क्रियाकलापों के समान समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार ऊनी विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त आर्डरों से संबंधित आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) अप्रैल-जून 2006 और अप्रैल-जून 2007 के दौरान देश के ऊनी निर्यातों का विवरण इस प्रकार है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

उत्पाद	अप्रैल-जून 2006	अप्रैल-जून 2007
ऊनी, यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स	97.50	86.55
आरएमजी ऊन	372.54	330.32
कुल	470.04	416.87
% गिरावट	11.31%	

ऊनी उत्पादों के देश-वार निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) ऊनी निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

ऊनी उत्पादों के देशवार निर्यात को दर्शाने वाला विवरण

वस्तुः आरएमजी ऊन (मूल्य अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	देश	जन. 2006	जन. 2007	% वृद्धि	अप्रैल-जन. 2006	अप्रैल-जन. 2007	% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अफगानिस्तान हिल	0.07	0.51	632.32	0.41	0.55	32.16
2.	अल्जीरिया					0.00	
3.	अमीरी समोआ					0.00	
4.	अंगोला					0.00	
5.	अर्जेंटीना		0.03		0.03	0.11	283.24
6.	आस्ट्रेलिया	0.15	0.13	-15.73	0.33	0.32	-2.21
7.	आस्ट्रिया	0.06	0.01	-74.42	0.10	0.08	24.21
8.	अरूबा		0.00			0.00	
9.	अजरबेजान		0.00		0.00	0.00	81.13
10.	बहरीन आइएस	0.01	0.09	604.20	0.05	0.11	28.25
11.	बंगलादेश पीआर	0.07	0.00	-98.13	0.07	0.00	98.28
12.	बारबाडोस		0.00			0.00	
13.	बेलीजी					0.00	
14.	बेल्जियम	0.15	0.46	203.83	0.62	0.76	22.46
15.	बारमूडा					0.01	
16.	बोसिनिया-हजरगोविन		0.00			0.00	
17.	ब्राजील		0.05		0.01	0.05	274.97
18.	ब्रुनेई		0.04			0.04	
19.	बुल्गारिया	0.02	0.02	-4.07	0.02	0.02	16.47
20.	कम्बोडिया					0.00	
21.	केरूरन		0.00			0.00	
22.	कनाडा	0.56	1.03	83.91	1.88	1.62	14.17
23.	केमल आईएस		0.00			0.00	
24.	चिली	0.00	0.07	3,744.75	0.01	0.10	1,190.77

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	ताइवान	0.01	0.00	-78.67	0.02	0.01	59.16
26.	चाइना पी आरपी		0.01		0.02	0.02	10.22
27.	कोलम्बिया	0.00			0.00		
28.	कांगो पी आरपी				0.01	0.00	88.23
29.	क्रोशिया	0.00	0.01	1,445.92	0.00	0.01	1,872.51
30.	साइप्रस		0.00			0.01	
31.	चेक गणराज्य	0.01	0.00	-79.11	0.04	0.01	-86.33
32.	डेनमार्क	0.61	1.10	80.70	1.25	1.62	29.85
33.	डीजीबोटी				0.18		
34.	डोमिनिक रिपब्लिक		0.00			0.01	
35.	मिस्र ए आरपी	0.06	0.25	344.28	0.25	0.52	105.65
36.	एल साल्वाडोर	0.00			0.00		
37.	इस्टोनिया		0.01		0.01	0.01	3.33
38.	इथोपिया				0.00		
39.	फिनलैंड	0.39	0.23	-42.54	0.62	0.39	-36.96
40.	फिजी आईएस	0.02	0.03	91.93	0.24	0.08	-67.08
41.	फ्रांस	3.34	4.35	30.25	7.08	7.94	12.19
42.	एफआर गुआना				0.00		
43.	गाम्बिया					0.00	
44.	जोर्जिया	0.00	0.00	-79.27	0.08	0.00	-99.71
45.	जर्मनी	2.00	3.48	74.04	4.81	5.55	15.43
46.	घाना	0.00	0.00	2,129.08	0.02	0.00	-77.92
47.	जीब्राल्टर				0.00		
48.	ग्रीस	0.07	0.18	173.05	0.12	0.26	119.94
49.	ग्वाटेमाला				0.00		
50.	हांगकांग	0.07	0.07	9.03	0.32	0.71	23.23
51.	हंगरी	0.04	0.02	-29.36	0.06	0.06	-5.11

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	आईसलैंड				0.01		
53.	इंडोनेशिया	0.01	0.00	-78.21	0.03	0.01	78.16
54.	आयरलैंड	0.06	0.14	159.06	0.10	0.18	74.80
55.	इजराइल	0.04	0.02	-43.45	0.25	0.08	-66.33
56.	इटली	2.35	2.85	20.88	4.44	4.79	7.85
57.	जमैका	0.01	0.03	181.65	0.03	0.07	32.53
58.	जापान	0.11	0.39	249.77	0.75	0.83	9.62
59.	जोर्डन	0.03	0.00	-98.84	0.06	0.01	73.77
60.	कजाकिस्तान	0.01	0.19	2,391.20	0.04	0.19	434.19
61.	केन्या	0.02	0.01	-70.68	0.05	0.04	-28.65
62.	कोरया डीपी आरपी	0.01	0.01	0.58	0.01	0.01	-22.02
63.	किरजिस्तान	1.02	0.02	-97.67	1.48	0.04	-97.52
64.	कोरिया आपी	0.00	0.04	5,261.88	0.02	0.09	260.88
65.	कुवैत	0.01	0.11	1,080.61	0.12	0.27	127.51
66.	लातिविया					0.00	
67.	लेबनान		0.01		0.04	0.01	-67.87
68.	लिबिया				0.03		
69.	लुथुआनिया		0.00			0.00	
70.	लैक्जमवर्ग				0.01		
71.	मकाऊ				0.01		
72.	मेडागास्कर		0.00			0.00	
73.	मलावी	0.00	0.00	335.42	0.00	0.00	334.52
74.	मलेशिया	0.07	0.32	385.36	0.35	0.50	43.38
75.	मानदीव		0.00		0.00	0.01	858.56
76.	माली		0.00			0.00	
77.	माल्टा		0.00			0.00	
78.	मारीशस	0.02	0.02	-16.57	0.06	0.07	16.90
79.	म्यानमार		0.00			0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	मैक्सिको	0.14	0.22	58.83	0.38	0.68	77.19
81.	मुन्नको	0.01	0.00	-39.28	0.01	0.00	-39.41
82.	मोरक्को	0.00	0.00	- 70.51	0.00	0.03	28.62
83.	नामिबिया		0.01		0.01	0.01	9.00
84.	नेपाल	0.00	0.00	-1.62	0.00	0.02	1,205.95
85.	नीदरलैंड	1.12	1.48	32.13	2.00	2.39	19.15
86.	नीदरलैंड एएनटीआईएल	0.03	0.11	346.48	0.09	0.24	55.11
87.	न्यूजीलैंड	0.02	0.05	137.20	0.10	0.07	-30.99
88.	नाइजर		0.00		0.06	0.00	-97.74
89.	नाइजीरिया	0.03	0.04	43.81	0.03	0.27	12.64
90.	नार्वे	0.11	0.08	-26.18	0.19	0.23	21.79
91.	ओमान	0.07	0.01	-87.46	0.15	0.08	-41.87
92.	पनामा गणराज्य	0.03	0.05	82.01	0.08	0.05	-42.17
93.	पापुआ ए गुआ				0.00		
94.	पेरू		0.00			0.00	
95.	फिलिपिन्स	0.00	0.00	426.90	0.00	0.00	99.70
96.	पोलैंड	0.10	0.04	-58.02	0.25	0.12	-51.93
97.	पुर्तगाल	0.04	0.10	161.03	0.07	0.14	121.49
98.	कतर	0.00	0.01	571.15	0.03	0.04	25.47
99.	रिरूनियन		0.00		0.01	0.00	86.69
100.	रोमानिया	0.00	0.04	1,480.13	0.01	0.05	259.75
101.	रूस	0.66	1.15	73.55	1.21	1.42	16.92
102.	सउदी अरब	0.58	0.85	45.58	1.48	3.43	131.20
103.	सेनेगल		0.00			0.00	
104.	सर्विया और मोनटेगरो संघ	0.02	0.01	-71.02	0.02	0.01	-49.36
105.	स्लोवाक रिप.	0.00	0.01	166.05	0.01	0.01	16.33
106.	सिंगापुर	0.04	0.05	21.63	0.17	0.10	-40.40

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	स्लोवेनिया		0.00			0.00	
108.	दक्षिण अफ्रीका	0.12	0.18	49.82	0.32	0.24	-24.72
109.	स्पेन	1.37	1.64	20.19	3.35	3.41	1.92
110.	श्रीलंका डीएसआर	0.13	0.16	21.57	0.43	0.37	-15.16
111.	एसटी विन्सेंट	0.00			0.00		
112.	सूडान				0.00	0.02	12,214.35
113.	सूरीनाम	0.00	0.04	1,714.94	0.01	0.04	661.70
114.	स्वाजीलैंड	0.00			0.00		
115.	स्वीडन	0.20	0.43	113.83	0.52	0.62	19.85
116.	स्विटजरलैंड	0.05	0.07	35.60	0.26	0.15	-40.38
117.	कजाकिस्तान	0.01			0.01		
118.	तंजानिया रिप.	0.02	0.09	304.09	0.04	0.09	119.63
119.	थाइलैंड	0.00	0.03	1,448.02	0.05	0.05	-0.33
120.	तोगो	0.01	0.20	1,570.01	0.32	0.20	-37.81
121.	त्रिनाद		0.00		0.16	0.01	-95.51
122.	तुर्की	0.08	0.13	75.10	0.42	0.24	-42.54
123.	तुर्कमेनिस्तान	0.02	0.04	122.10	0.02	0.17	609.68
124.	उगांडा	0.00	0.00	-6.18	0.02	0.00	-77.49
125.	स.अरब अमीरात	1.09	1.70	56.94	4.20	4.97	18.25
126.	यूके.	2.69	4.36	62.27	7.54	7.89	4.65
127.	यूक्रेन	0.66	0.19	-71.97	1.14	0.33	-71.35
128.	यूएसए	9.01	9.96	10.64	30.00	23.54	-21.55
129.	उरूग्वे	0.01	0.01	32.37	0.01	0.01	-7.19
130.	वेनेजुएला	0.00			0.00		
131.	वियतनाम सो. रिप.				0.01		
132.	विरगीन आईएस यूएस				0.00		
133.	यमन गणराज्य	0.03			0.09	0.02	-79.93
134.	कांगो डी रिप.		0.00			0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
135.	जाम्बिया	0.00			0.00	0.12	5,606.56
136.	जिम्बावे	0.02			0.02	0.00	-86.99
137.	अवर्गीकृत		0.00			0.00	
	कुल	30.01	39.95	33.13	81.93	80.11	-2.22
	विनिमय दर: (1 अमरीकी डालर = रुपए)	45.0561	40.7736		45.4708	41.2344	
वस्तु: ऊनी, यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स आदि							
1.	अफगानिस्तान टी आई एस		0.06			0.06	
2.	आस्ट्रेलिया	0.09	0.14	53.78	0.22	0.43	99.35
3.	आस्ट्रिया	0.02			0.10	0.02	-79.88
4.	बहरीन आईएस		0.02		0.01	0.02	96.31
5.	बंगलादेश पीआर	0.02			0.13	0.05	-64.54
6.	बेल्जियम	0.29	0.28	-5.27	1.10	1.00	-9.15
7.	बोत्सवाना		0.00		0.03	0.00	-92.50
8.	बुलगारिया				0.00		
9.	कनाडा	0.08	0.09	9.30	0.18	0.26	46.66
10.	चाड		0.10		0.05	0.10	106.64
11.	चिली	0.13	0.05	-60.58	0.13	0.05	-60.66
12.	ताईवान	0.02	0.04	59.31	0.04	0.04	1.19
13.	चीन पी आरपी	0.25	0.18	-29.19	0.63	0.52	-17.94
14.	कोलम्बिया		0.00		0.07	0.00	-99.77
15.	कांगो पी रिप	0.01			0.01		
16.	कोस्टा रीसा		0.02			0.03	
17.	क्रोशिया					0.01	
18.	साइप्रस	0.18			0.28		
19.	चेक गणराज्य		0.04			0.04	
20.	डेनमार्क	0.06	0.06	-3.06	0.06	0.06	4.74

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	डोमनिक गण	0.10	0.01	-90.01	0.14	0.64	358.03
22.	एक्वाडोर	0.03			0.03		
23.	मिस्र ए आरपी	0.03	0.03	11.57	0.06	0.82	1,338.76
24.	इथोपिया					0.01	
25.	फिनलैंड		0.06		0.00	0.05	4,060.43
26.	फिजी आईएस		0.00			0.00	
27.	फ्रांस	0.17	0.02	-90.13	0.25	0.03	-86.98
28.	जर्मनी	0.61	0.25	-58.70	1.61	0.59	-63.09
29.	ग्रीस	0.01	0.02	105.88	0.15	0.04	-76.10
30.	हांगकांग	0.05	0.03	-28.26	0.10	0.07	-32.10
31.	हंगरी				0.01	0.01	-14.14
32.	इंडोनेशिया	0.33	0.00	-99.08	0.43	0.22	-48.89
33.	इरान	0.13			0.20	0.00	-99.49
34.	आयरलैंड				0.01		
35.	इजरायल		0.00		0.00	0.00	67.76
36.	इटली	1.29	1.49	15.71	4.07	3.85	-5.40
37.	जापान	0.46	0.43	-6.09	0.70	0.96	36.45
38.	जोर्डन				0.01	0.10	1,763.79
39.	कजाकिस्तान				0.00		
40.	केन्या	0.02	0.19	809.62	0.36	0.42	17.45
41.	कोरया डी आरपी				0.00		
42.	कोरिया आरपी	0.00	0.00	645.55	0.04	0.01	-79.24
43.	कुवैत	0.00	0.02	405.01	0.00	0.04	891.07
44.	लाटिविया				0.00	0.09	5,920.99
45.	लेबनान	0.02			0.21	0.03	-83.89
46.	लाइबेरिया				0.09		
47.	लुथुआनिया		0.04		0.00	0.04	1,680.00
48.	मलावी		0.01		0.04	0.01	-71.17

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	मलेशिया	0.15	0.07	-51.44	0.33	0.19	-43.22
50.	मालदीव		0.00			0.01	
51.	माल्टा				0.01		
52.	मोरिशस	0.00	0.01	602.14	0.01	0.01	-37.76
53.	म्यानमार				0.02		
54.	मैक्सिको				0.00		
55.	मोजांबिक	0.01			0.01	0.02	54.18
56.	नेपाल	0.01	0.02	278.81	0.04	0.05	40.50
57.	नीदरलैंड	0.01	0.00	-74.54	0.03	0.07	120.33
58.	न्यूजीलैंड	0.05	0.18	256.40	0.18	0.56	213.43
59.	नाइजीरिया				0.01		
60.	नार्वे	0.02	0.00	-81.49	0.02	0.01	-72.49
61.	ओमान	0.01	0.00	-70.98	0.02	0.04	99.96
62.	पाकिस्तान आईआर				0.00		
63.	पनामा रिप.	0.06			0.12		
64.	फिलिपींस		0.02			0.03	
65.	पोलैंड	0.04	0.03	-31.07	0.11	0.07	-36.12
66.	पुर्तगाल	0.02	0.00	-84.05	0.03	0.09	175.56
67.	कतर	0.02			0.06	0.00	-97.80
68.	रोमानिया					0.01	
69.	रूस				0.00		
70.	सउदी अरब	0.09	0.03	-62.28	0.45	0.14	-67.46
71.	स्लोवाक रिप.					0.01	
72.	सिंगापुर	0.06	0.00	-94.18	0.19	0.00	-98.18
73.	स्लोवेनिया		0.00		0.01	0.00	-86.18
74.	दक्षिण अफ्रीका	0.02	0.24	1,068.09	0.13	0.35	167.02
75.	स्पेन	0.14	0.07	-47.57	0.87	0.49	-43.75
76.	श्रीलंका डीएसआर	0.34	0.10	-71.53	0.71	0.18	-74.46

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	सूडान	0.56			0.63	0.84	33.73
78.	स्वीडन	0.18	0.08	-59.01	0.23	0.14	-40.10
79.	स्विटजरलैंड	0.04			0.05	0.00	-98.16
80.	सीरिया	0.12			0.12	0.06	-49.39
81.	तंजानिया रिप.	0.00			0.00	0.00	1,192.82
82.	थाइलैंड	0.00	0.05	1,168.82	0.05	0.05	1.06
83.	ट्यूनिशिया	0.25	0.07	-71.30	0.29	0.23	-22.28
84.	तुर्की	0.06	0.12	111.02	0.08	0.27	221.50
85.	स.अरब अमीरात	0.31	0.20	-34.20	0.52	0.36	-31.12
86.	यूके	0.83	1.68	102.50	2.27	4.21	85.27
87.	यूक्रेन	0.01			0.01		
88.	यूएसए	0.76	0.45	-41.55	2.02	0.95	-52.71
89.	वेनेजुएला				0.00		
90.	वियतनाम सो. रिप.	0.04	0.68	1,463.94	0.14	0.81	477.19
91.	यमन गण.		0.00		0.09	0.00	-95.52
92.	जांबिया					0.01	
93.	अवर्गीकृत				0.03		
	कुल	8.67	7.83	-9.75	21.44	20.99	-2.11
	विनिमय दर: (1 अमरीकी डालर = रुपए)	45.0561	40.7736		45.4708	41.2344	

स्रोत: डीजीसीआई एंडएस, कोलकाता

विवरण II

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के ब्यौरे:

(1) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(2) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू की गई है। टीयूएफएस को 31.3.2007 से आगे बढ़ाया गया है और इसे उद्योग के साथ परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 1 नवम्बर, 2007 से संशोधित किया गया है। यह योजना वर्तमान में लागू है।

(4) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार

के उद्देश्य से "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" तथा "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(5) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानव निर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानव निर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन शृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(6) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(7) परिधान निर्यातकों को ट्रिपिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक हो सकता है।

(8) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(9) बजट 2004-05 में, मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(10) कोटा पश्चात व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शाई गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी.सी.डी) है। 5% का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(11) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

फसल बीमा संबंधी समिति

2361. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैकल्पिक फसल बीमा योजना हेतु गठित सी.पी. स्वर्णकार समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि ऋणों के लिए क्रिया-विधियों और प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा श्री सी.पी. स्वर्णकार की अध्यक्षता में गठित, एक कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को पहले ही प्रस्तुत कर दी है। इस समूह की प्रमुख सिफारिशें कृषि ऋणों का लाभ लेने के लिए क्रिया-विधियों और प्रक्रियाओं के और सरलीकरण के संबंध में हैं। किसानों के लिए फसल बीमा स्कीम ऐच्छिक बनाने के लिए भी एक मामला आया है। आरबीआई ने पहले ही कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। ये हैं: 50,000/- रु. तक लघु ऋणों के लिए 'अदेय' प्रमाण-पत्र की आवश्यकता की छूट, भूमिहीन किसानों के मामले में फसलों की जुताई के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करना और किसानों के लिए ऋण सलाह केंद्रों का गठन करना।

भूजल के दोहन पर उपकर

2362. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूजल को अपने एकमात्र कच्चे माल की तरह उपयोग करने वाला बोतल बंद जल उद्योग जल पर उपकर के रूप में केवल नगण्य राशि का भुगतान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूजल का उपयोग करने वाली ऐसी इकाइयों पर उपकर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जल कर लगाया और वसूला जाता है। कर की विशिष्ट दरों की वसूली जल के उपयोग पर निर्भर करती है, जहां प्रदूषण भार अधिक अपेक्षित है वहां दर अधिक होती है, इसके परिणामस्वरूप प्रदूषण में कमी की लागत अधिक होती है और घरेलू प्रयोजनों के लिए 2 पैसे/किलोलीटर से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए 30 पैसे/किलोलीटर तक होती है।

(ग) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय के पास भूजल का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले बोतलबंद जल उद्योग पर कर की उच्च दरों को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बांग्लादेश को चीनी का निर्यात

2363. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश को चीनी के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में चीनी निर्यात की गई और इसमें वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान बांग्लोदश को निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा और इसके मूल्य निम्नानुसार थे:

वित्तीय वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
2004-05	8204	867.93
2005-06	54695	9377.68
2006-07	272216	42025.69

(ग) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 31 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1310 (अ) द्वारा 30 सितम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात को छोड़कर चीनी के निर्यात के लिए सरकार से निर्यात रिलीज आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा समाप्त कर दी है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने 19 अप्रैल, 2007 को या उसके बाद किए गए चीनी के निर्यातों पर आंतरिक ढुलाई पर व्यय, विपणन और हैंडलिंग प्रभारों और समुद्री भाड़ा प्रभारों की अदायगी करने के लिए चीनी मिलों को निर्यात सहायता देने की घोषणा की है।

दूरभाष केन्द्र

2364. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री काशीराम राणा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक समानांतर दूरभाष केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दूरभाष केन्द्रों के बेरोक-टोक चलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग के अधिकारी इस कार्य में लिप्त हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में इन समानांतर दूरभाष केन्द्रों से राजस्व का कितना घाटा हुआ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। देश में कतिपय अवैध टेलीफोन एक्सचेंज प्रचालनरत पाए गए हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान 300 ऐसे एक्सचेंज प्रचालनरत पाए गए हैं।

मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

2004-2005	–	80
2005-2006	–	170
2006-2007	–	50

इन सभी एक्सचेंजों का पता लगाकर छापे मारे गए तथा इन्हें बंद कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग की सतर्कता दूरसंचार मानीटरिंग इकाईयां कानून को लागू करने वाली एजेंसियों की सहायता से देश में ऐसे अवैध बाजार की दूरसंचार स्थापनाओं पर रोक लगाने के लिए निरंतर प्रयास करती है।

(ग) दूरसंचार विभाग का कोई कर्मचारी संलिप्त नहीं पाया गया।

(घ) "समानांतर टेलीफोन एक्सचेंजों" के कारण काल्पनिक राजस्व हानि की मात्रा का आकलन निम्नानुसार किया गया है:

2004-2005	–	73,72,03,448 रु.
2005-2006	–	116,29,68,369 रु.
2006-2007	–	10,35,66,321 रु.

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार नेटवर्क

2365. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संचार नेटवर्क को देश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में संचार नेटवर्क द्वारा अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के कितने प्रतिशत भाग को सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निजी मोबाइल आपरेटरों की तुलना में सरकारी क्षेत्र संचार नेटवर्कों के लाभ को बढ़ाने हेतु गत दो वर्षों के दौरान कोई प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान संचार नेटवर्क को देश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) देश में दूरसंचार सुविधा रहित 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से सहायता प्रदान करना।

(ii) विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां इस समय कोई स्थिर वायरलैस अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 27 राज्यों में फैले 7871 अवसंरचना स्थलों (500 जिलों में) की स्थापना हेतु यूएसओ निधि द्वारा अवसंरचना की साझेदारी की नवीन योजना के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान करना।

(iii) वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए यूएसओएफ से सहायता प्रदान करना।

(iv) मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी का प्रतिस्थापन।

(ख) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, यूएसओएफ ने देश में टेलीफोन सुविधा रहित शेष 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार किया है। इसमें 100 से कम की जनसंख्या वाले गांवों, घने वन क्षेत्रों में स्थित/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। 30 सितंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, उक्त 66,822 सुविधा रहित पात्र गांवों में से, 50,520 गांवों को वीपीटी की सुविधा प्रदान कर दी गई है और शेष 16,302 गांवों को जून, 2008 तक वीपीटी प्रदान कर दिए जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप पात्र गांवों में 100% वीपीटी की कवरेज हो जाएगी।

(ग) से (ङ) सरकार बीएसएनएल/एमटीएनएल के विकास कार्यक्रम के परिचालन हेतु उनके प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा

2366. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) डीजीसीआईएस द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 2006-07 के दौरान भारत से वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात, वर्ष 2005-06 के दौरान 17520.07 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में, 18729.93 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था अर्थात् 6.91% की वृद्धि दर्ज हुई। डीजीसीआईएस के नवीनतम अनंतिम विदेश व्यापार के आंकड़ें दर्शाते हैं कि भारत से इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमरीकी डालर रूप में 14% की कमी हुई है। वस्त्र उद्योग इस कमी का मुख्य कारण अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए की मजबूती बता रहा है। सरकार ने वस्त्र उद्योग के सुदृढ़ीकरण तथा सहायता के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है:

(1) वस्त्र (हथकरघा भी), आरएमजी और हस्तशिल्प सहित 9 क्षेत्रों के लिए डीईपीबी दर को 3% बढ़ा दिया गया था। अन्य मदों के लिए, डीईपीबी दर 2% बढ़ाया गया था।

(2) ईसीजीएम प्रीमियम को 10% कम किया गया।

(3) सीएसटी प्रतिपूर्ति और टर्मिनल उत्पाद शुल्क के बकाया को चुकाने के लिए 600 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

(4) मौजूदा शुल्क वापसी दरों को 10-40% तक बढ़ाया गया।

(5) ऋण दर पर 2% तक की आर्थिक सहायता की अनुमति।

(6) वस्तुओं के निर्यात से संबद्ध वस्तुओं की सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा अदा की गई सेवा शुल्क की वापसी।

(7) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू की गई है। टीयूएफएस को 31.3.2007 से आगे बढ़ाया गया है और इसे उद्योग के साथ परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 1 नवम्बर, 2007 से संशोधित किया गया है। यह योजना वर्तमान में लागू है। वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4. 2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(8) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन शृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(9) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(10) परिधान निर्यातकों को ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक हो सकता है।

(11) बजट 2004-05 में, मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06

में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(12) कोटा पश्चात व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शाई गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है।

[अनुवाद]

कृत्रिम वस्त्र रेशे का निर्यात

2367. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृत्रिम वस्त्र रेशे का देश-वार कितना निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना है; और

(ख) कृत्रिम वस्त्र रेशे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान निर्यात किए गए मानव निर्मित वस्त्र फाइबर का मूल्य क्रमश: 9214.25 करोड़ रु., 9029.91 करोड़ रु. और 10684.16 करोड़ रु. था। इन तीन वर्षों के दौरान सौ से अधिक देशों को मानव-निर्मित वस्त्र फाइबर का निर्यात किया गया था। निर्यात किए गए फाइबर की किस्म पर निर्भर करते हुए, ये निर्यात कि.ग्रा., वर्गमीटर अथवा यूनिट्स में किए गए थे।

(ख) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(2) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू की गई है। टीयूएफएस को 31.3.2007 से आगे बढ़ाया गया है और इसे उद्योग के साथ परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 1 नवम्बर, 2007 से संशोधित किया गया है। यह योजना वर्तमान में लागू है। वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" तथा "वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना" का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक योजना शुरू की गई है।

(5) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन शृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(6) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(7) परिधान निर्यातकों को ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों का 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक हो सकता है।

(8) बजट 2004-05 में, मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया गया

है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(9) कोटा पश्चात व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शाई गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है। 5% का रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(10) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

2368. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं हेतु आगामी गेहूं खरीद मौसम के लिए निजी कंपनियों की तर्ज पर गेहूं की खरीद के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी एजेंसियों को निजी कंपनियों की तरह बाजार और किसानों से सीधे गेहूं खरीदने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) खाद्यान्न खरीदारी की मौजूदा नीति के अधीन केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के जरिए गेहूं को मूल्य समर्थन प्रदान करती है। निर्दिष्ट केंद्रों पर बिक्री के लिए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पेशकश किए गए गेहूं को सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद लिया जाता है। किसानों के पास अपना गेहूं या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, बेचने का विकल्प होता है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदती हैं। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को रबी विपणन मौसम 2006-07 और 2007-08 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में किसानों से गेहूं की सीधे खरीदारी करने की अनुमति दी है। भारतीय खाद्य निगम को यह अनुदेश भी दिया गया है कि वे भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में गेहूं की सीधे खरीदारी करने के लिए किसानों को 10 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन दे।

सैनिकों को बम निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण

2369. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार बम निष्क्रिय करने के संबंध में सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन केन्द्रों से फटे हुए बमों के टुकड़े चोरी हो रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों से चोरी की कतिपय घटनाओं की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया में कितने लोग मारे गए; और

(ङ) सरकार ने इस चोरी पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) बम निष्क्रिय करने और विस्फोटक डिवाइसों का तात्कालिक प्रतिघात करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण का संचालन बेंगलूर, रुड़की और किर्की (पुणे) स्थित इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्रों पर किया जाता है। बम निष्क्रिय करने और बिना फटे बमों को निष्प्रभावी करने संबंधी विशिष्ट प्रशिक्षण का संचालन सैन्य इंजीनियरी कालेज, पुणे में किया जाता है।

(ख) से (ङ) इन प्रशिक्षणों का संचालन कट-माडलों एवं डम्मियों पर किया जाता है। बिना फटे किसी भी बम को इन प्रशिक्षण स्थापनाओं तक नहीं लाया जाता है अथवा इनमें नहीं रखा जाता है। इसलिए, इनकी चोरी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। इन केन्द्रों पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

[अनुवाद]

आई.टी. क्षेत्र के पेशेवर

2370. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई.टी. क्षेत्र के भारतीय पेशेवरों को विश्व में सबसे कम भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिकी एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) के अनुसार; प्रतिस्पर्धी लागत के साथ-साथ उच्च क्वालिटी की सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के कारण भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तथा व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) का अत्यधिक तरजीही स्थान बन गया है। अत: जबकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर भुगतान किया जाता है, यह भी सच है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्मिकों द्वारा कम लागत पर उपलब्ध कराई गई सेवाएं भारत को सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने का एक लाभ भी है।

(ग) आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र लाइसेंस मुक्त है और इसका प्रचालन पक्षकारों के बीच आपसी समझौते द्वारा शासित होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के वेतन का निर्धारण कई घटकों पर आधारित होता है, जिनमें व्यवसाय के महत्व, मांग तथा आपूर्ति के आधार पर बाजार की स्थिति शामिल है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी उन्मूलन हेतु नई योजनाएं

2371. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए किये गये उपाय अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार सृजन में आई किसी गिरावट पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन के लिए रोजगारोन्मुखी योजनाएं/नई योजनाएं बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठनों द्वारा सामान्य स्थिति आधार पर किए गए पिछले दो पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के अनुसार रोजगार अवसरों में वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 की अवधि के दौरान 62.1 मिलियन की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रभाव को देखते हुए सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी); प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)।

इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी की गंभीर समस्या को देखते हुए दिनांक 07.09.2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) अधिनियमित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रत्येक उस परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की जीविका सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान है। इसे 02.02.2006 से प्रथम चरण में देश के 200 निर्धारित जिलों में कार्यान्वित किया गया तथा 01.04.2007 से द्वितीय चरण में इसका विस्तार 130 अन्य जिलों में किया गया है। तथापि, सरकार ने अब 01.04.2008 से संघ शासित प्रदेशों सहित देश के समस्त शेष जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) का विस्तार करने का निर्णय लिया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2007 तक कुल 2.11 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।

आक्सीटोसीन इंजेक्शन का दुरुपयोग

2372. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूध, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने वाले प्रतिबंधित आक्सीटोसीन इंजेक्शन के उपयोग की वजह से विभिन्न प्रकार के रोग फैल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के दूध, फल और सब्जियों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) देश में औषधि आक्सीटोसीन की बिक्री प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि मानव एवं पशु चिकित्सा दोनों क्षेत्र में चिकित्सा व्यवसाय में इसे आवश्यक औषधि माना जाता है। केन्द्र सरकार को देश के कुछ भागों में कुछ मामलों में दूध, फल एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए कुछ कृषकों द्वारा आक्सीटोसीन इंजेक्शन के प्रयोग करने की जानकारी है। तथापि, ऐसा कोई वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है जिससे यह संकेत मिल सके कि आक्सीटोसीन से दूध, फल एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. टावर

2373. **श्री पी.सी. गद्दीगउडर:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न स्थानों विशेषकर बदामी टीक्यू में केरूर स्थित बीएसएनएल टावर अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार की योजना इन क्षेत्रों में अतिरिक्त टावर लगाने की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) बादामी तालुका स्थित केरूर में बीएसएनएल का मोबाइल संचार संबंधी वैश्विक प्रणाली (जीएसएम) आधारित सेलसाइट क्षमता के भीतर कार्यरत है। केरूर में, 500 लाइनों की रेडियो क्षमता की तुलना में कार्यरत कनेक्शनों की संख्या लगभग 266 है। तथापि, दिनांक 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के पास 2,97,18,822 लाइनों की रेडियो नेटवर्क क्षमता की तुलना में देश में 3,10,34,328 जीएसएम आधारित बीएसएनएल उपभोक्ता थे।

(ग) केरूर में, बीएसएनएल कवरेज, क्षमता तथा सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपने जीएसएम आधारित सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क में भी उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि कर रहा है।

(घ) और (ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान बीएसएनएल का लक्ष्य कर्नाटक राज्य में 5.39 लाख लाइनों सहित देश में अपने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क को बढ़ाकर 88.5 लाख लाइनें करने का है।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपर्युक्त भाग (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित लक्ष्य मार्च, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

वस्त्र क्षेत्र में दक्ष जनशक्ति की कमी

2374. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र उद्योग प्रशिक्षित श्रम/दक्ष जनशक्ति की कमी का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकारी निजी क्षेत्र भागीदारी माडल पर कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए नये संस्थानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए हाल ही में तैयार की गई एक कार्ययोजना में निम्नलिखित थ्रस्ट क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं:

- अपैरल एवं परिधान
- फाइबर की उपलब्धता
- जनशक्ति का विकास
- वस्त्र मशीनरी, और
- तकनीकी वस्त्र

इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग, वित्त मंत्रालय इत्यादि के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ नये उपायों अर्थात बाजार विकास एवं उत्पाद विविधीकरण योजना, 'नेवरहुड अपैरल एंड टेक्सटाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फार जाब एसुरेंस (एनएटीआईजेए)' के नाम से ज्ञात जनशक्ति विकास योजना में निवेश क्षेत्रों का सृजन, तकनीकी वस्त्र संबंधी मिशन आदि का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, और विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च) उत्पादकता, रोजगार एवं निवेश बढ़ाने की क्षमता रखने के कारण वस्त्र क्षेत्र को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में माना गया है। इस प्रकार, यह अनुमानित है कि 12 मिलियन अतिरिक्त रोजगार (कुशल कर्मचारियों के लिए 5 मिलियन और अर्द्ध कुशल कर्मचारियों के लिए 7 मिलियन) का सृजन होगा। इससे प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक अवसंरचना बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। मूलभत परिधान विनिर्माण प्रौद्योगिकी में रोजगार संबद्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का नेटवर्क स्थापित करने के वास्ते नेवरहुड अपैरल एंड टेक्सटाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फार जाब एसुरेंस (एनएटीआईजेए) योजना तैयार की गई है। यह योजना अगले 5 वर्षों में परिधान उद्योग में अपेक्षित 4 मिलियन प्रशिक्षित कामगारों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई है। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से पूरे देश में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तर पर प्रचालित की जानी है। प्रारंभिक चरण में मौजूदा आईटीआई/पालिटेकनिक और अन्य ऐसे संस्थानों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर मांग को पूरा करने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में इस समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

खाद्य प्रबंधन

2375. श्री मदन लाल शर्मा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रबंधन में संलग्न विभिन्न संगठनों में समन्वय के अभाव के कारण देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न संगठनों में पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या खाद्य सुरक्षा हेतु कोई विशेष कृतिक बल गठित किया गया है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वह अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप देगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार खाद्य प्रबंधन तथा खाद्य सुरक्षा में शामिल विभिन्न संगठनों के बीच कारगर तालमेल सुनिश्चित करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटरों की कीमतों में कटौती

2376. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कम्प्यूटरों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार ने देश में कम्प्यूटरों की कीमतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) देश में कम्प्यूटरों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए योजना आयोग ने राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को मंत्रालय/विभाग के बजट के 2-3 प्रतिशत से अधिक की राशि प्रशिक्षण, हार्डवेयर की खरीद सहित सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित प्रयासों के लिए निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने भी देश में ई-शासन अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। इन अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन करने के लिए कम्प्यूटरों की जरूरत होती है। विगत वर्षों के दौरान एनआईसी द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों में कम्प्यूटरों के प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

(ग) सरकार देश में सस्ते मूल्य पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग को सुविधाएं प्रदान कर रही है। सरकार ने इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा कम्प्यूटर सहित इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर के मूल्यों में कमी लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश

   - इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सीमा शुल्क

   - सीमा शुल्क की उच्चतम दर को वर्ष 2001-02 में 35% से घटाकर वर्ष 2007-08 में 10% कर दिया गया है। 217 सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) पर सीमा शुल्क को 1-3-2005 से समाप्त कर दिया गया है।

   - आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

   - इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है।

   - इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0.6 है।

3. उत्पाद शुल्क

   - कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है, जबकि अधिकांश वस्तुओं के लिए मेडियन दर 16% है।

   - माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रोम ड्राइवों, डीवीडी ड्राइवों/डीवी राटरों, फ्लैश मेमोरी तथा काम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीजीसी)

   - निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है।

   - सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं की आपूर्ति डीटीए को करके ईपीसीजी योजना अन्तर्गत निर्यात की बाध्यता को भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते आय निशुल्क विदेशी मुद्रा में हो।

5. सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में आपूर्ति

   - इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाइयों/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं की आपूर्तियों को

धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

6. विशेष आर्थिक क्षेत्र

- निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है।

- घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

- निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाऊ बैक लाभ का 50%।

7. पुरानी पूंजीगत वस्तुएं

- पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

8. इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए विदेशी व्यापार नीति को उदार बनाया गया है।

9. प्रक्रियाओं का सरलीकरण

- सीमा शुल्क द्वारा इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) कार्यान्वित किया गया है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आईईसी कोड, ईपीसीजी, आग्रीम लाइसेंस आदि जैसे विदेश व्यापार से संबंधित आवेदन पत्र डीजीएफटी में इलेक्ट्रानिक रूप से भरे जा सकते हैं।

10. अपने ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

- इलेक्ट्रानिक उपस्करों, कम्प्यूटरों तथा दूरसंचार उपस्करों का व्यवसाय करने वाली कम्पनी के मामले में कम्पनी में किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्य पर हुए व्यय पर 150% की भारित कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 के उप धारा (2एबी) के खण्ड (1) के अतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

2377. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री राकेश सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मोबाइल सेवाओं हेतु नम्बर पोर्टेबिलिटी को आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनियां उक्त सेवा के लिए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूलेंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना को कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है;

(च) इस संबंध में निजी क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इससे मोबाइल उपभोक्ता किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 08.03.2006 की सिफारिश 12.11.2007 को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है तथा प्रारंभिक चरण में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता नामक चार महानगरों में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समय-समय पर दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) जारी करता है। इसलिए, एमएनपी सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता पर लगाए जाने वाले संभावित शुल्क के संबंध में ट्राई द्वारा यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) एमएनपी सुविधा वर्ष 2008 की चौथी तिमाही तक चार महानगरों के मोबाइल उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

(च) निजी क्षेत्र की अधिकांश दूरसंचार कंपनियों ने एमएनपी की शुरूआत करने संबंधी सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। तथापि, निजी क्षेत्र की कतिपय दूरसंचार कंपनियां मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) तथा स्थित नम्बर पोर्टेबिलिटी (एफएनपी) की सुविधा सम्पूर्ण देश में एक ही साथ शुरू करने के पक्ष में है।

(छ) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी से मोबाइल उपभोक्ता अपना पुराना मोबाइल नम्बर रखते हुए अपनी पसन्द के अनुसार एक ही सेवा क्षेत्र में अपने सेवा प्रदाता को बदल सकेगा। इसके अलावा, एमएनपी से अपने उपभोक्ताओं को अपने साथ बनाए रखने हेतु सेवा प्रदाताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता सेवाओं, नेटवर्क के विस्तार और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

[हिन्दी]

पटसन सलाहकार बोर्ड

2378. श्री सुभाष महरिया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पटसन सलाहकार बोर्ड और पटसन विनिर्माता विकास परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बोर्ड और परिषद के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त बोर्ड और परिषद में गैर-पटसन उत्पादक राज्यों के कितने सदस्य हैं;

(घ) इनमें गैर-पटसन उत्पादक राज्यों से सदस्य शामिल करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में पटसन उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):

(क) जी, हां।

(ख) पटसन सलाहकार बोर्ड का ब्यौरा और संरचना नीचे दिए गए अनुसार है:

(i)	पटसन आयुक्त, भारत सरकार, कोलकाता	अध्यक्ष-1
(ii)	संयुक्त सचिव, पटसन के प्रभारी, वस्त्र मंत्रालय (अथवा उनके नामिती), नई दिल्ली	सदस्य-1
(iii)	कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य-1
(iv)	निदेशक, पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता	सदस्य-1
(v)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) कोलकाता	सदस्य-1
(vi)	निदेशक, केंद्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान, कृषि मंत्रालय	सदस्य-1
2.	पटसन उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	सदस्य-4
3.	पटसन उत्पादक राज्यों से उपजकर्ताओं के नामिती	सदस्य-4
4.	पटसन संघों के प्रतिनिधि	सदस्य-2
5.	गैर-सरकारी सदस्य	सदस्य-16
	कुल	सदस्य-32

पटसन विनिर्माण विकास परिषद का ब्यौरा और संरचना नीचे दिए गए अनुसार है:

(i)	सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष-1
(ii)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य-1
(iii)	पटसन आयुक्त, कोलकाता	सदस्य-1
(iv)	संयुक्त सचिव, (पटसन), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य-1
(v)	कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य-1
(vi)	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य-1
(vii)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य-1
(viii)	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य-1
2.	पटसन उत्पादक राज्यो के राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	5

3.	पटसन विनिर्मित उत्पादकों के प्रतिनिधि	4
4.	पटसन विनिर्माण के निर्यातकों के प्रतिनिधि	2
5.	उपजकर्ता के नामिती	3
6.	कामगार के नामिती	3
7.	पटसन के प्रौद्योगिकीय अनुसंधान, विपणन अथवा कृषिगत अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ	5
8.	विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्ति	1
	कुल	32

(ग) पटसन सलाहकार बोर्ड में 32 सदस्यों में से 13 सदस्य गैर-पटसन उत्पादक राज्यों से हैं। पटसन विनिर्माण विकास परिषद में 32 सदस्यों में से 2 सदस्य गैर-पटसन उत्पादक राज्यों से हैं।

(घ) यद्यपि, पटसन का उत्पादन भारत के सीमित राज्यों में किया जाता है किन्तु, पटसन का उपयोग और व्यापार भारत के सभी राज्यों में किया जाता है। इसलिए पटसन विनिर्माण और प्रसंस्करण से जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों को प्रभावी और व्यापक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से, बोर्ड और परिषद में गैर-पटसन उत्पादक राज्यों से सदस्यों को शामिल किया गया है।

(ङ) केंद्र सरकार भारत में पटसन उद्योग के हित की सुरक्षा करने के लिए अनेक कदम उठाती रही है जैसे जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकिंग के रूप में सुरक्षा, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और हाल में शुरू किया गया पटसन प्रोद्योगिकी मिशन जिसमें पटसन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं हैं।

लम्बित औद्योगिक मामले

2379. श्री रामबास आठवले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर दिल्ली और मुम्बई के औद्योगिक अधिकरण में औद्योगिक विवादों से संबंधित कितने मामले राज्य-वार लम्बित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बढ़ते हुए औद्योगिक विवादों के मद्देनजर दिल्ली और मुम्बई में और अधिक पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, समुचित सरकार औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु श्रम न्यायालयों और औद्योगिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना कर सकती है। केन्द्रीय क्षेत्र में उठने वाले औद्योगिक विवादों के मामले में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। राज्य श्रम न्यायालयों के ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते। देश के विभिन्न भागों में 22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम-न्यायालय हैं। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा, मुंबई और दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों को न्याय निर्णयन हेतु संदर्भित करते समय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा 2क के संदर्भ में पंचाट प्रस्तुति के लिए तीन माह की समय-सीमा विनिर्दिष्ट की जाती है।

उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 2क के परंतुक में, औद्योगिक विवाद के पक्षों के संयुक्त रूप से या अलग-अलग अनुरोध पर श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा उक्त समय-सीमा का विस्तार करने की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का नाम	31.10.2007 की स्थिति के अनुसार लंबित	
		मामले*	आवेदन**
1	2	3	4
1.	मुम्बई-I	215	124
2.	मुम्बई-II	418	463
3.	धनबाद-I	1782	560
4.	धनबाद-II	991	37
5.	आसनसोल	645	65

1	2	3	4
6.	कोलकाता	298	102
7.	चंडीगढ़-I	843	105
8.	नई दिल्ली I	541	398
9.	कानपुर	566	162
10.	जबलपुर	1466	403
11.	चेन्नई	283	36
12.	बंगलौर	364	78
13.	हैदराबाद	931	198
14.	नागपुर#	879	21
15.	भुवनेश्वर	395	119
16.	लखनऊ	368	29
17.	जयपुर	254	37
18.	नई दिल्ली II	283	76
19.	गुवाहाटी	29	7
20.	ईणाकुलम	195	27
21.	इलाहाबाद	2028	1583
22.	चंडीगढ़ II	877	135
	कुल	14651	4765

*मामले: वे मामले जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) या सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के संयुक्त प्रयासों की विफलता के परिणामस्वरूप न्यायनिर्णयन हेतु केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों को संदर्भित हैं।

**आवेदन: वे आवेदन जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33क और 33-ग के तहत सीधे श्रमिक द्वारा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में दायर किए गए।

28.11.2007 तक।

[अनुवाद]

ए.वी. सिंह समिति की सिफारिशें

2380. श्री एल. राजगोपाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेनाओं में सुधारों के संबंध में ए.वी. सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में तीनों सेनाओं में और अधिक शीर्षस्थ पदों के सृजन की सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो ए.वी. सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार तीनों सेनाओं में सेना-वार पदों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या थल सेना समिति द्वारा की गई सिफारिश से अधिक पदों की मांग कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सेनाओं में पदों के सृजन और संवर्गों के पुनर्गठन की समीक्षा किया जाना एक सतत और निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। गतिरोध के मुद्दों का हल करने के लिए सभी तीनों सेनाओं में तंत्र मौजूद हैं।

सेना मुख्यालय ने बटालियन/ब्रिगेड कमांडरों की आयु प्रोफाइल को कम करके और अफसरों की कैरियर संबंधी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए इष्टतम युद्धक प्रभावकारिता प्राप्त करने के उद्देश्य से अफसर संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में मौजूद कतिपय कमियों और असंतुलनों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को मई, 2001 में एक पेपर भेजा था।

रक्षा मंत्रालय ने सेना मुख्यालय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए तत्कालीन विशेष सचिव, श्री अजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करके 16 जुलाई, 2001 को एक समिति गठित की इस समिति (एवीएससी) ने जनवरी, 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रक्षा मंत्री ने समिति की सिफारिश को जनवरी, 2003 में 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की। समिति ने दो परस्पर संबंधी मामलों अर्थात अधिक आयु प्रोफाइल तथा कैरियर गतिरोध को चिन्हित किया।

अजय विक्रम सिंह समिति ने रैंक/आयु प्रोफाइल को कम करने के लिए एक समाधान के रूप में सेना में अधिक उच्च-स्तरीय पदों के सृजन की सिफारिश की थी। भारतीय वायुसेना और नौसेना द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई की गयी है।

गैर-चयन रैंकों से संबंधित कतिपय सिफारिशों को पहले ही दिसंबर, 2004 से कार्यान्वित कर दिया गया है। सभी तीनों सेनाओं में संवर्ग के पुनर्गठन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

मूंगफली का उत्पादन

2381. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूंगफली, सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके आयात का ब्यौरा क्या है और तिलहनों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या नवीन उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) हां, श्रीमानजी। मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों व सूरजमुखी के उत्पादन में 2005-06 की तुलना में 2006-07 में गिरावट आयी जैसा कि निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है:

(लाख टन)

फसल	2005-06	2006-07*
मूंगफली	79.93	49.09
रेपसीड तथा सरसों	81.31	70.97
सूरजमुखी	14.39	11.78

*19.07.2007 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान

(ग) भारत ने 2005-06 में 4.29 मिलियन टन तथा 2006-07 में 4.22 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया। देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम "तिलहन, दाल, पाम आयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम)" 01.04.2004 से कार्यान्वयन में है। इस स्कीम के अंतर्गत ब्रीडर, बीज, मूल बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन गुणवतापरक बीज उत्पादन हेतु क्रेश प्रोग्राम, प्रमाणित बीजों तथा मिनीकिटों का वितरण, ढांचागत विकास, एकीकृत कीट प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, तिलहनों में संशोधित उत्पादन प्रौद्योगिकीयों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन किसानों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

कपास की फसलों को नुकसान

2382. प्रो. एम. रामदास: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में कपास की खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है और किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार चार राज्यों में कपास की खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हुई है। मीली बग, अधिक तापमान के साथ, टोबेको केटरपिलर और लम्बी अवधि के सूखे के कारण पंजाब में कुछ हद तक कपास की फसल क्षतिग्रस्त हुई, जबकि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में खरीफ मौसम के दौरान भारी वर्षा/बाढ़ के कारण कपास की फसल क्षतिग्रस्त हुई।

प्रभावित कपास फसल का क्षेत्र महाराष्ट्र में 33603 हैक्टेयर, आन्ध्र प्रदेश में 2952 हैक्टेयर, पंजाब में 10500 हैक्टेयर तथा कर्नाटक में 34485 हैक्टेयर था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में अनुमानित हानि 50 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि पंजाब में उपज में 5-7 प्रतिशत हानि अनुमानित थी।

(ग) और (घ) जी, हां । हानियों का अनुमान राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया है।

(ङ) और (च) आन्ध्र प्रदेश में प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा कोष स्कीम के प्रतिमानों के अनुसार प्रदान की गई है परंतु पंजाब में कपास फसल को नगण्य हानि के कारण कोई सहायता नहीं दी गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों को वित्तीय सहायता सरकारों द्वारा सहायता के प्रतिमानों के अनुसार दी जाएगी।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आसूचना प्राप्त करने संबंधी उपस्करों की खरीद

2383. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु सेना लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए आसूचना प्राप्त करने संबंधी अत्याधुनिक उपस्करों की खरीद प्रक्रिया में लगी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के लिए आसूचना एकत्र करने वाले उपस्करों को अर्जित करना एक सतत प्रक्रिया है। इस बारे में और अधिक ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

एम.ई.एस. में संवर्ग समीक्षा

2384. डा. के.एस. मनोज:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या रक्षा मंत्री सैन्य अभियांत्रिकी सेवा की संवर्ग समीक्षा के बारे में 17 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2313 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं (एम ई एस) में प्रशासनिक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा की जांच पूरी हो गई है और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एम ई एस के सिविल अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों को समकक्ष बनाये जाने संबंधी आदेश सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सेना इंजीनियर सेवा में प्रशासनिक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा का जांच कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेना इंजीनियर सेवा के सिविलियन अधिकारियों और सेना अधिकारियों को समकक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध निर्माणियों द्वारा हथियारों का निर्यात

2385. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आयुध निर्माणियों द्वारा हथियारों एवं गोला-बारूद के निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन मदों का निर्यात किया गया है और किन-किन देशों को निर्यात किया गया तथा निर्यातों का मूल्य कितना था;

(ग) क्या निर्यात किए गए हथियारों एवं गोला बारूद की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आयुध निर्माणियों के उत्पादों का विपणन वैश्विक स्तर पर करने के लिए किसी संस्था की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) शस्त्र और गोलाबारूद के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में शामिल हैं:

* समर्पित ई-मेल के माध्यम से आन लाइन प्रत्युत्तर को लागू करना।
* ई-मेल युक्त और प्रिंटयुक्त उत्पाद सी डी की व्यवस्था।
* सैन्य प्रौद्योगिकी एवं जेन्स अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समीक्षा पत्रिकाओं में निरंतर उत्पाद प्रोत्साहन।
* अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना।

उपलब्धियां

वर्ष 2006-07 के दौरान 28.38 करोड़ रुपए और वर्ष 2007-08 (आज की तारीख तक) के दौरान 9.37 करोड़ रुपए मूल्यों की मदों का निर्यात किया गया है।

(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड कई वर्षों से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अपने कुछ उत्पादों का निर्यात कर रहा है। मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों को निर्यात किए गए उत्पादों में राइफलों और तोपों के हिस्से-पुर्जे, बस्त्र मदें, पैराशूट और उनकी सहायक सामग्री, गोलाबारूद तथा सुरंग से सुरक्षित वाहन शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) और (च) जी, हां। उत्पादों के विपणन और भारत में सिविल बाजार के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड की सेवाओं तथा नए व्यापार क्षेत्रों के विकास हेतु रक्षा उत्पादन विभाग के आयुध निर्माणी बोर्ड के अंतर्गत आयुध निर्माणी विपणन निगम की स्थापना का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारण बेरोजगारी

2386. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औद्योगिक इकाइयों और कारखानों के बंद होने के कारण प्रभावित होने वाले श्रमिकों/मजदूरों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बेरोजगार हुए श्रमिकों/मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने और बंद औद्योगिक इकाइयों/कारखानों को पुन: चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बंद हुई इकाइयों/कारखानों के मालिकों ने श्रमिकों को उनकी बकाया राशि, बीमा दावों और अन्य बकाया राशियों को भुगतान कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है एवं उसका कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना उन बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपने अंशदाताओं के लिए शुरू की गई थी जो कारखाना/प्रतिष्ठान बंद होने, छंटनी अथवा रोजगार से इतर चोट से होने वाली स्थाई अक्षमता की वजह से 1.4.2005 अनिच्छित रूप से बेरोजगार हो गए हैं। दिनांक 31.10.2006 तक 755 मामलों में 93.13 लाख रुपये भुगतान किए गए थे।

(घ) और (ङ) ऐसी सभी इकाइयों के लिए केन्द्रीय रूप में आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

विवरण

राज्यवार बंद हुई औद्योगिक इकाइयों और कारखानों तथा प्रभावित कामगारों की संख्या 2005, 2006 और 2007

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2005		2006 (अ)		2007 (अ) (जनवरी से सितम्बर)	
		क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	-	-	-	-	-	
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	92	-	-	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	अण्डमान निकोबार	–	–	–	–	–	–
5.	बिहार	–	–	1	14	–	–
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–
8.	दादर नागर हवेली	–	–	–	–	–	–
9.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
11.	गोवा	2	120	1	100	–	–
12.	गुजरात	7	280	4	430	–	–
13.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	10	–	–
14.	हरियाणा	2	21	3	118	2	114
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–	3	54	–	–
16.	झारखंड	1	350	–	–	–	–
17.	केरल	3	215	5	121	–	–
18.	कर्नाटक	8	329	5	379	1	4
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
20.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–
21.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–
22.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
24.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
25.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
26.	पंजाब	1	25	–	–	–	–
27.	पॉडिचेरी	–	–	2	11	–	–
28.	उड़ीसा	–	–	–	–	1	10
29.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–
30.	सिक्किम	–	–	–	–	1	49
31.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
32.	त्रिपुरा	47	2346	127	3681	2	344

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	उत्तराखंड	–	–	1	77	1	43
34.	उत्तर प्रदेश	14	1117	10	1269	4	139
35.	पश्चिम बंगाल	–	–	5	925	1	20

क - बंद हुई इकाइयों की संख्या

ख - प्रभावित कामगारों की संख्या

- - शून्य - उपलब्ध नहीं

(अ) - अनन्तिम

टिप्पणी - वर्ष 2006 और 2007 के लिए सूचना 9 जुलाई, 2007 तक श्रम ब्यूरो से प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2387. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि क्षेत्र की कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का आपस में विलय करने/निरस्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और कृषक समुदाय पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में विद्यमान योजनाओं के स्थान पर कोई एकीकृत योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विद्यमान स्कीमों के स्थान पर कृषि क्षेत्र हेतु कोई समेकित स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) बृहत् कृषि प्रबंधन नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अधीन कई स्कीमें मिला दी है। इसके अलावा विशेष ध्यान देने वाले विशेष क्षेत्रों हेतु अलग से स्कीमें हैं।

खेल कोटा के तहत अभ्यार्थी

2388. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र डाक सर्किल में वर्ष 2000 से 2004 के दौरान खेल कोटा के तहत कोई चयन अथवा नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंद जूट मिलें

2389. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात बंद की गई जूट मिलों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन बंद पड़ी जूट मिलों को पुन: चालू करने एवं बेरोजगार हुए श्रमिकों को पुनर्वासित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद हुए पटसन मिलों और उनके बंद होने के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद हुए 28 मिलों में से 27 को पुन: खोल दिया गया है। केवल एक मिल अर्थात पश्चिम बंगाल में नुद्दिया जूट मिल अभी भी बंद है और जिसमें लगभग 3400 कामगार हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। 12 पटसन मिल बंद हैं, जिनमें से 6 मिल सार्वजनिक क्षेत्र में और 6 मिल निजी क्षेत्र में हैं। राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी) के अधीन 6 सार्वजनिक क्षेत्र के मिलों में से पश्चिम बंगाल अर्थात किन्नीसन और खारदाह स्थित दो मिलों का मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसार पुनरुद्धार किए जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त के अलावा एक मिल आरबीएचएम, कटिहार, बिहार का भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत पुनरुद्धार किये जाने का प्रस्ताव है। पुनरुद्धार के तहत मिलों सहित इन 6 मिलों के सभी कामगारों ने वीआरएस ले ली है और उनके सभी बकायों का निपटान कर दिया गया है।

(छ) वर्तमान में, एनजेएमसी मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई है क्योंकि पुनरुद्धार योजना को अभी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद हुई पटसन मिलों की सूची और उन्हें पुन: खोले जाने की तारीख सहित बंद होने के कारण

क्र.सं.	पटसन मिल का नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बंद होने की तिथि	पुन: खोलना	कारण
1	2	3	4	5	6
1.	कमारहत्ती	पश्चिम बंगाल	20.05.04	25.08.04	श्रमिकों में असंतोष के कारण काम बंद
2.	बेली	- वही -	03.03.2004	09.08.04	- वही -
3.	विजयश्री	- वही -	20.05.04	20.06.05	- वही -
4.	आकलैंड	- वही -	16.05.04	05.08.04	- वही -
5.	आरडीबी	- वही -	15.05.04	01.07.04	- वही -
			23.07.06	07.08.06	
			05.06.07	11.06.07	
6.	गंगेज	- वही -	19.06.04	24.06.04	- वही -
7.	डलहौजी	- वही -	25.06.04	30.06.04	श्रमिकों में असंतोष के कारण काम बंद
8.	नैहाटी	- वही -	10.07.04	16.07.04	- वही -
9.	लूमटेक्स (टीटागढ़)	- वही -	21.05.04	06.09.04	- वही -
10.	मोहन	छत्तीसगढ़	18.07.04	August 2006	- वही -
11.	टेपकान	पश्चिम बंगाल	22.05.04	14.12.04	- वही -

1	2	3	4	5	6
12.	नार्थब्रुक	- वही -	27.03.05	05.08.05	- वही -
13.	इम्पायर	- वही -	06.06.04	16.08.04	- वही -
14.	रिलायंस	- वही -	02.05.04	16.07.05	- वही -
15.	कनकन्नारह	- वही -	1.08.05	8.08.05	- वही -
16.	विनसम	बिहार	N.A.	18.08.05	- वही -
17.	श्री गौरीशंकर	पश्चिम बंगाल	05.05.05	10.09.05	- वही -
18.	इंडिया जूट	- वही -	27.01.06	31.01.06	- वही -
19.	एलायंस	- वही -	05.02.06	28.02.06	- वही -
20.	बज बज	- वही -	02.05.06	21.08.06	- वही -
21.	कलकता जूट	- वही -	28.04.06	24.08.06	- वही -
22.	हुगली (प्रोजेक्ट)	आंध्र प्रदेश	22.02.06	25.07.06	- वही -
23.	नफरचंद	पश्चिम बंगाल	19.05.06	27.08.06	- वही -
24.	कन्नारह	- वही -	20.05.06	09.07.07	- वही -
25.	गौरीशंकर	- वही -	06.07.06	19.08.06	- वही -
26.	विनसम	बिहार	25.09.06	24.10.06	तालाबंदी
27.	भारत जूट	पश्चिम बंगाल	20.09.06	23.09.06	प्राकृतिक आपदा (मिल परिसर और इसके आसपास वर्षा के पानी का भराव)
28.	नेल्लीमरला	आंध्र प्रदेश	08.05.06	30.11.06	श्रमिकों में असंतोष के कारण काम बंद

जी.एस.एम. प्रचालकों के मध्य विवाद

2390. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में टेलीफोन और एस.एम.एस. की दरों में की गई वृद्धि के मुद्दे पर देश के जी.एस.एम. प्रचालकों के मध्य विवाद के आरोप लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में अभिगम्यता घाटा प्रभार में कटौती के बावजूद एसटीडी दरों में वृद्धि करने का आरोप लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. और अन्य सी.डी.एम.ए. प्रचालकों द्वारा हाल ही में रोमिंग दरों में कमी करने के बावजूद भी जी.एस.एम. प्रचालक ऐसा करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) से इन आरोपों की जांच करने तथा जी.एस.एम. प्रचालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) हाल ही में, तीन जीएसएम मोबाइल प्रचालकों ने कई सेवा क्षेत्रों में काल प्रभारों एवं एसएमएस प्रभारों को बढ़ा दिया है। ट्राई को उपभोक्ता संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें जीएसएम प्रचालकों के बीच मिलीभगत होने का आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि अभिगम घाटा प्रभार में कमी होने के बावजूद एसटीडी प्रशुल्कों में वृद्धि हुई थी।

(ग) ट्राई ने दिनांक 15.2.2007 से प्रभावी होने वाले राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के संशोधित अधिकतम प्रशुल्क को अधिसूचित किया था। संशोधित प्रशुल्क उस समय लागू बाजार दरों की तुलना में 22% से 56% तक कम थे। यह कमी किराया संबंधी प्रभारों के समाप्त किए जाने से उपभोक्ताओं को होने वाली बचत के अतिरिक्त है। ट्राई के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, सभी जीएसएम प्रचालकों ने 15.2.2007 से प्रभावी रोमिंग प्रशुल्क में कमी कर दी है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

जलाशयों में जल संकट

2391. **श्री जी.एम. सिद्वीश्वर:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न जलाशयों में एकत्रित/संरक्षित जल, जलाशयों में एकत्रित जल की औसत क्षमता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें एकत्रित औसत जल क्षमता की तुलना में कम जल होने के राज्यवार कारण क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न न हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश में 81 महत्वपूर्ण जलाशयों की साप्ताहिक आधार पर मानीटरिंग करता है। उनके अभिलेख के अनुसार मानसून सत्र के अंत तक अर्थात दिनांक 30.9.2007 को इन जलाशयों में कुल सक्रिय भंडारण 124.152 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) था जो कि इन जलाशयों के पिछले 10 वर्षों के सक्रिय भंडारण का 124% था। इस प्रकार मानसून सत्र के अंत में इन जलाशयों की समग्र भंडारण स्थिति औसत भंडारण से बेहतर थी। हालांकि इन 81 जलाशयों में से 12 जलाशयों में पिछले 10 वर्षों के औसत सक्रिय भंडारण की तुलना में कम सक्रिय भंडारण था। इन जलाशयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन जलाशयों में भंडारण आवाह में वर्षा के होने तथा इन जलाशयों से जल के उपयोग पर निर्भर करता है।

(ग) जल, राज्य का विषय होने के कारण राज्यों में जल संसाधन के उपयोग के लिए सभी प्रकार की जल संसाधन परियोजनाओं एवं जलाशयों का सर्वेक्षण और अन्वेषण, विकास संबंधी वित्त पोषण की आयोजना, निष्पादन एवं प्रबंधन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर होता है।

भविष्य में जल की कमी की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से भारत सरकार जल उपयोग दक्षता के इष्टतमीकरण, जल संरक्षण तथा तिमाही एवं भूजल के संयुक्त उपयोग संबंधी कार्यनीति को बढ़ावा दे रही है।

विवरण

क्र.सं.	जलाशय का नाम	राज्य	पिछले 10 वर्षों के औसत सक्रिय भंडारण की तुलना में इस वर्ष के सक्रिय भंडारण का %
1.	श्री राम सागर	आन्ध्र प्रदेश	82
2.	गोविन्द सागर (भाखड़ा)	हिमाचल प्रदेश	99
3.	पोंग बांध (व्यास)	हिमाचल प्रदेश	80
4.	वाणी विलास सागर	कर्नाटक	30
5.	गेरूसोप्पा	कर्नाटक	91
6.	बारगी	मध्य प्रदेश	96
7.	मिनीमाता बांगो	छत्तीसगढ़	69
8.	येलदरी	महाराष्ट्र	81
9.	अपर तापी	महाराष्ट्र	93
10.	वैगई	तमिलनाडु	94
11.	माताटीला	उत्तर प्रदेश	56
12.	रिहन्द	उत्तर प्रदेश	44

[हिन्दी]

शीत भंडारों की स्थापना हेतु एन.सी.डी.सी. सहायता

2392. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आलू और अन्य फलों तथा सब्जियों के भंडारण हेतु सहकारिताओं द्वारा पूर्व शीतलन तथा शीत भंडार परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्य-वार और वर्ष वार कुल कितनी धनराशि प्रदान कराई गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों की पूर्व शीतलन और शीत भंडारण की स्थापना के संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(घ) क्या सरकार के केन्द्रीय निधियों के उचित उपयोग की निगरानी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की "बागवानी उत्पाद के शीतागारों और भण्डारगृहों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार की पूंजी निवेश राजसहायता" स्कीम के अधीन सहकारी क्षेत्र में पूर्व शीतन और शीतागार परियोजना की स्थापना और इसके क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और पुन: स्थापन हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जरिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देती है। 5000 मीटरी टन के शीतागारों की स्थापना/क्षमता विस्तार के लिए सहायता ऋण संबंधी पार्श्वात पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में सामान्य राज्यों के लिए 50 लाख टन की अधिकतम सीमा के साथ कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 60 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 33.33 प्रतिशत की दर से दी जाती है। राष्ट्रीय सहकारी सहायता निगम ऐसे प्रस्तावों जो तकनीकी रूप से संभव और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, के लिए ऋण के रूप में परियोजना लागत का 65 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 56.67 प्रतिशत) देता है। शेष 10 प्रतिशत लाभानुभोगी सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्यों को प्रदत्त कुल निधियां और वास्तविक उपलब्धि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आवधिक प्रगति रिपोर्ट के ज़रिए सहायता प्राप्त परियोजना का मानीटरन करता है तथा लाभानुभोगी सहकारी संस्थाओं द्वारा किए गए खर्च के आधार पर राज्य सरकार/समितियों को धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है। पहले से ही सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों में प्रदत्त निधियों और उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

राज्य	वर्ष			कुल
	2004-05	2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	68.03	16.47	50.00	134.50
प. बंगाल	567.26	369.79	343.90	1280.96
बिहार	77.12	50.00		127.12
महाराष्ट्र	172.52	34.47		207.00

1	2	3	4	5
झारखण्ड			50.00	50.00
त्रिपुरा			43.28	43.28
आन्ध्र प्रदेश			38.00	38.00
कुल				1880.86
		उपलब्धि (यूनिटों की संख्या)		
मध्य प्रदेश		1*		1
प. बंगाल	7	5	1	13
बिहार	1*			1
महाराष्ट्र	1			1
त्रिपुरा			1	1
कुल				17

*उपलब्ध शीतागारों का आधुनिकीकरण

विवरण II

(क) शीतागारों का राज्य-वार ब्यौरा (स्थापना हेतु सहायता प्राप्त) – मंजूर और स्थापित

(31.3.2007 तक)

क्र.सं.	राज्य	मंजूर		स्थापित	
		संख्या	क्षमता (टन में)	संख्या	क्षमता (टन में)
1		2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	6000	1	1000
2.	असम	1	1000	1	1000
3.	बिहार	20	59850	20	59850
4.	गुजरात	3	3200	3	3200
5.	हरियाणा*	5	15000	4	12000
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1000	1	1000
7.	जम्मू और कश्मीर	3	3400	3	3400
8.	झारखण्ड	1	5000	–	0

1		2	3	4	5
9.	मध्य प्रदेश	23	85400	23	85400
10.	कर्नाटक	5	7800	5	7800
11.	महाराष्ट्र	4	7000	3	4000
12.	नागालैण्ड	1	1000	1	1000
13.	उड़ीसा	21	36170	19	28670
14.	पंजाब	16	22300	16	22300
15.	राजस्थान	3	6000	3	6000
16.	तमिलनाडु	2	3750	2	3750
17.	त्रिपुरा	1	2000	1	2000
18.	उत्तर प्रदेश	95	282600	95	282600
19.	प. बंगाल	70	254200	59	247950
20.	छत्तीसगढ़	1	1000	1	1000
21.	दिल्ली	1	2500	1	2500
	कुल	279	806170	262	776420

*राब, जिला – सोनीपत (हरियाणा) हिमफेड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक 3000 टन का सीए स्टोर स्थापित किया जाना है।

(ख) शीतागारों का राज्य-वार ब्यौरा (क्षमता विस्तार हेतु सहायता प्राप्त) – मंजूर और स्थापित

(31.3.2007 तक)

क्र.सं.	राज्य	मंजूर		स्थापित	
		संख्या	क्षमता (टन में)	संख्या	क्षमता (टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	5000		
2.	बिहार	3	8000	3	8000
3.	गुजरात	1	1800	1	1800
4.	मध्य प्रदेश	9	22250	9	22250
5.	उड़ीसा	3	4000	3	4000
6.	पंजाब	1	2000	1	2000
7.	त्रिपुरा	1	3000	1	3000
8.	उत्तर प्रदेश	1	2000	1	2000
9.	प. बंगाल	15	77800	14	72800
	कुल	35	125850	33	115850

कृषि विज्ञान केन्द्र

2393. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. ठुम्मर:
प्रो. प्रेम कुमार धूमल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों पर विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) उक्त केन्द्रों की भूमिका और दायित्व क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कराई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा के परिणाम क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में अब तक 558 कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) स्वीकृत किए जा चुके हैं। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2004-05 से 2006-07) रु. 66105.87 लाख की राशि कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रदान की गई। पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों में खेत परीक्षण और अग्रपंक्ति प्रदर्शनों द्वारा प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन तथा किसानों और विस्तार कार्मिकों के ज्ञान और दक्षता में सुधार लाना शामिल है। किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता लाने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अनेक विस्तार कार्यक्रम चलाए गए हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों में तैयार बीज और रोपण सामग्री को किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) से (च) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा की गई है। इस दल द्वारा ध्यान में लाए गए प्रमुख क्षेत्रों में फसल उत्पादन, बीज उत्पादन/प्रतिस्थापन, समेकित कीटनाशी प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, मात्स्यिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता विकास तथा नवीन विस्तार अवधारणा का उपयोग शामिल है। दल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों में नीतिगत मुद्दे, वित्तीय प्रणाली और प्रक्रिया, कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन तथा क्षमता निर्माण शामिल है।

विवरण I

देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	20
5.	बिहार	37
6.	छत्तीसगढ़	14
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	24
10.	हरियाणा	18
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू-कश्मीर	14
13.	झारखण्ड	21
14.	कर्नाटक	26
15.	केरल	14
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	47
18.	महाराष्ट्र	33
19.	मणिपुर	8

1	2	3
20.	मेघालय	5
21.	मिजोरम	8
22.	नागालैंड	8
23.	उड़ीसा	29
24.	पांडिचेरी	2
25.	पंजाब	17
26.	राजस्थान	32
27.	सिक्किम	4
28.	तमिलनाडु	29
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तराखण्ड	13
31.	उत्तर प्रदेश	63
32.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	558

विवरण II

पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई राशि (रु. लाख में)			
		2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	50.30	45.90	41.35	137.55
2.	आन्ध्र प्रदेश	798.67	1002.39	878.77	2679.83
3.	अरुणाचल प्रदेश	98.50	75.58	150.05	324.13
4.	असम	459.10	424.66	898.20	1781.96
5.	बिहार	974.22	1084.29	1257.04	3315.55
6.	छत्तीसगढ़	302.35	424.79	382.89	1110.03
7.	दिल्ली	8.10	25.85	37.10	71.05
8.	गोवा	68.85	79.64	54.90	203.39
9.	गुजरात	410.05	796.70	871.05	2077.80
10.	हरियाणा	681.30	799.54	761.47	2242.31
11.	हिमाचल प्रदेश	677.78	728.62	697.65	2104.05
12.	जम्मू-कश्मीर	321.00	787.69	629.95	1738.64
13.	झारखण्ड	410.23	866.93	1704.33	2971.55
14.	कर्नाटक	823.19	976.34	1419.65	3219.18

1	2	3	4	5	6
15.	केरल	539.35	680.10	533.67	1753.12
16.	लक्षद्वीप	21.20	33.90	23.35	78.45
17.	मध्य प्रदेश	1131.44	1838.10	1628.27	4597.81
18.	महाराष्ट्र	1310.14	1411.90	1451.90	4173.94
19.	मणिपुर	216.40	312.50	334.60	863.50
20.	मेघालय	175.30	110.00	85.35	370.65
21.	मिजोरम	181.87	445.02	841.09	1467.98
22.	नागालैण्ड	80.10	161.70	334.15	575.95
23	उड़ीसा	775.38	994.35	1292.77	3062.50
24	पांडिचेरी	86.20	90.77	74.55	251.52
25	पंजाब	513.44	774.72	692.15	1980.31
26	राजस्थान	1198.40	1678.72	1392.64	4269.76
27	सिक्किम	53.30	63.45	43.85	160.60
28	तमिलनाडु	903.90	1362.90	1681.32	3948.12
29	त्रिपुरा	65.10	102.70	67.60	235.40
30	उत्तराखंड	462.75	1187.45	828.63	2478.83
31	उत्तर प्रदेश	1815.31	3823.38	3810.96	9449.65
32.	पश्चिम बंगाल	465.53	706.97	1238.26	2410.76
	कुल	16078.75	23897.55	26139.51	66105.87

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की शिकायतें

2394. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबों को खाद्य उपलब्ध कराने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यनिष्पादन का अभी मूल्यांकन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर व्यक्तियों की शिकायतों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा सम्पूर्ण देश में फैली 4.92 लाख उचित दर की दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए जिम्मेदार है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर लोगों की शिकायतों का पता लगाने के लिए विशिष्ट रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, स्वतंत्र सूचना प्राप्त करने के लिए विभाग ने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) और ओ.आर.जी. मार्ग से 2005 में अध्ययन कसए थे। इन अध्ययनों में खाद्यान्नों का विपथन होने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने में शामिल न करने और शामिल करने की त्रुटियां होने और उचित दर दुकानों के कार्यकरण व्यवहार्य न होने की सूचना दी गई है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहले ही एक नौ सूत्री कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके क्रियान्वयन की मानीटरिंग केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हाल ही में एक संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाने और क्रियान्वित करने के लिए जारी किया गया है ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नागरिकों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

पी.सी.ओ. बूथों का आवंटन

2395. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ व्यक्तियों को पी.सी.ओ. बूथों के लिए आवेदन करने के बावजूद भी पी.सी.ओ. बूथ आबंटित नहीं किए जा सके क्योंकि उन्होंने औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो इन औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है एवं आवेदक द्वारा आवेदन करते समय इन औपचारिकताओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीएसएनएल में पीसीओ बूथों के आवंटन के लिए आवेदक द्वारा निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी की जानी होती हैं:

(i) पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन-पत्र जमा करना, जिसके साथ आवेदक का स्वसाक्ष्यांकित फोटो लगा हो।

(ii) पहचान संबंधी प्रमाण जमा कराना।

(iii) आवासीय प्रमाण जमा करना।

इससे पूर्व, पीसीओ बूथों के लिए आवेदन-पत्रों को काउंटर पर ही प्राप्त किया जाता था और उन्हें जांच के लिए वाणिज्यिक अधिकारी को भेज दिया जाता था। इस प्रक्रिया से पीसीओ के आवंटन में विलंब होता था।

संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, सभी दस्तावेजों की जांच आवेदन-पत्र जमा करते समय ही संबंधित स्टाफ द्वारा की जानी होती है।

[अनुवाद]

कार्मिकों की शिकायत का आनलाइन निवारण

2396. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना के कार्मिकों के लिए बिना पहचान बताए शिकायतें व्यक्त करने हेतु अधिकारियों और सैनिकों के लिए आनलाइन शिकायत निवारण फोरम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आनलाइन फोरम की कार्यप्रणाली की रीति क्या है; और

(घ) सरकार ने भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए इसी तरह की प्रणाली/फोरम गठित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सेनाओं में अफसरों और सिपाहियों की बेनामी शिकायतों के निवारण के लिए

कोई अनन्य आनलाइन तंत्र मौजूद नहीं है। तथापि, सेना, नौसेना और वायुसेना में कमान/स्टाफ चैनल के माध्यम से कार्मिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

तथापि, इंटरनेट पर सेना की सरकारी वेबसाइट पर "ड्रीमर्स क्लब" नामक एक फोरम मौजूद है, जहां पर प्रत्येक अफसर और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक नवीनता वाले विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और साथ ही चर्चा में भाग भी ले सकते हैं। अपनी पहचान बताने अथवा नहीं बताने का विकल्प मौजूद है। उच्चतर स्तर पर सुझावों और विचारों का नियमित रूप से व्यापक विश्लेषण किया जाता है और मौजूदा प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय वायुसेना के इंटरनेट पर कोई भी कार्मिक भारतीय वायुसेना से संबंधित मामलों पर वायुसेनाध्यक्ष को पूरी गोपनीयता के साथ अपनी टिप्पणियां, सुझाव और आंतरिक सूचनाएं भेज सकता है। ऐसी टिप्पणियों, सुझावों और सूचनाओं की जांच की जाती है और उन पर उपयुक्त स्तरों पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा समुचित उत्तर दिया जाता है।

[हिन्दी]

उद्यान कृषि और शाक फसलों का संवर्धन

2397. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में उद्यान कृषि और शाक फसलों के संवर्धन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं पर विगत दो वर्षों के दौरान और अब तक व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार देश, विशेषकर जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन" क्रियान्वित कर रहा है। मिशन का मुख्य उद्देश्य फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, बागवानी फसलों, औषधीय और सुगन्धित पौधों सहित बागवानी फसलों की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने के जरिए बागवानी का समेकित विकास करना है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों, जो टीएमएनई स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, सहित सभी अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एनएचएम) क्रियान्वित कर रहा है।

इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता उत्कृष्ट कल्टीवार्स की गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, क्षेत्र विस्तार, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, समेकित कृमि और रोग प्रबंधन, कटाई पश्चात प्रबंधन, मूल्य वर्धन, विपणन आदि के लिए प्रदान की जाती है।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार विगत दो वर्षों के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति का ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II में है।

विवरण I

आज की स्थिति के अनुसार विगत दो वर्षों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रु. में)

	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
	1	2	3	4
(क)	मिनी मिशन-II के अंतर्गत उत्पादन संबंध कार्यक्रम			
	अरुणाचल प्रदेश	1300.00	1612.90	1875.00
	असम	1300.00	1400.00	1509.98

	1	2	3	4
	मणिपुर	1500.00	1700.00	1384.00
	मेघालय	1700.00	2000.00	1713.00
	मिजोरम	1800.00	3200.00	1650.00
	नागालैण्ड	1700.00	2356.00	1875.00
	सिक्किम	1800.00	2331.00	700.00
	त्रिपुरा	1500.00	1400.00	337.72
	जम्मू-कश्मीर	1550.00	2933.00	1200.00
	हिमाचल प्रदेश	1100.00	4000.00	1800.00
	उत्तरांचल	1100.00	4000.00	1800.00
(ख)	मिनी मिशन-I, II और IV के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास, पीएचएम, विपणन और प्रसंस्करण (परियोजना आधारित)	2389.21	1539.00	1519.34
	कुल	18739.21	28471.90	17364.04

विवरण II

आज की स्थिति के अनुसार विगत दो वर्षों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	7226.33
2.	बिहार	3100.00	3500.00	269.72
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	4253.48
4.	गोवा	315.20	200.00	3.19
5.	गुजरात	3239.28	2577.03	1646.69
6.	हरियाणा	1050.00	3480.00	2245.98
7.	झारखण्ड	3030.00	4000.00	0.00
8.	कर्नाटक	4455.17	8448.25	935.21
9.	केरल	3533.98	7959.53	512.82

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	4045.75
11.	महाराष्ट्र	8260.28	14492.70	8731.98
12.	उड़ीसा	3611.91	4450.00	3365.91
13.	पंजाब	2868.82	1150.00	2162.89
14.	राजस्थान	2259.57	3837.93	2264.45
15.	तमिलनाडु	3891.67	6450.00	5076.00
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	6530.67
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	4600.00	203.13
18.	दिल्ली	–	300.00	–
19.	लक्षद्वीप	–	63.00	–
20.	अंडमान और निकोबार	–	85.00	–
	कुल	58620.00	84385.19	49474.20

दूरभाष केन्द्रों के लिए इमारतों का निर्माण

2398. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दूरभाष केन्द्रों के लिए बनाए गए भवनों का ब्यौरा क्या है एवं इस पर पिछले तीन वर्षों के दौरान उपगत व्यय का राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में इस समय कुछ दूरभाष केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर कितना व्यय उपगत होने की संभावना है; और

(ङ) यह निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मांस का निर्यात

2399. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और उसके पश्चात निर्यात किए गए मांस का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) मांस का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन): (क) 2004 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान निर्यात किए गए मीट का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) मीट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत मीट एवं मीट उत्पादों के निर्यात के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) भैंस एवं भेड़/बकरी के मीट निर्यात में कार्यरत बूचड़खानों तथा मीट संयंत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना 121/(2004-09) के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत हों।

(3) भारत में किए जाने वाले उत्पादों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए विभिन्न व्यापार मेलों में भागीदारी के माध्यम से मीट उत्पादों के लिए नए बाजारों की शुरूआत करने संबंधी प्रयास किए गए हैं।

(4) निर्यातोन्मुखी बूचड़खानों तथा मीट एककों के लिए अंत:संरचना तथा प्रौद्योगिकी के विकास, जोखिम विश्लेषण संकट नियंत्रण बिन्दु (एच ए सी पी पी) तथा भारतीय मानक संगठन-9000 जैसी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पद्धति के क्रियान्वयन, घर के भीतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, सर्वेक्षण एवं संभाव्यता अध्ययन करने, विपणन विकास तथा पैकेजिंग विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(5) रोग प्रवेश की रोकथाम करने के लिए विभाग, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं स्थापित करने, देश में टीकों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत की स्थापना करने तथा एक केन्द्रीय एवं पांच क्षेत्रीय रोग नैदानिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने जैसी पशुचिकित्सा सेवाओं पर अंत:संरचना विकास।

(6) भारत सरकार खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण सहित पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करके रोग नियंत्रण क्रियाकलापों को क्रियान्वित कर रही है।

(7) भारत ने उस पशु प्लेग एवं संक्रामक गोजातीय प्लूरो न्यूमोनिया (सी बी पी पी) रोग का उन्मूलन सफलतापूर्वक कर दिया है जिसे पहले मीट निर्यात में बाधा माना गया था।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मीट निर्यात का ब्यौरा

(मीटर टन में मात्रा)
(मूल्य करोड़ रुपए में)

उत्पाद	2004-05		2005-06		2006-07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भैंस मीट	337778	1774.52	459938	2629.57	494111	3211.70
भेड़/बकरी मीट	9024	81.27	7178	80.37	5482	63.04
कुक्कुट मीट	1317	5.91	463	2.49	382	2.17

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

2400. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने देश के लिए ग्यारहवीं रक्षा पंचवर्षीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) दसवीं रक्षा पंचवर्षीय योजना की उन अपूर्ण योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें ग्यारहवीं रक्षा योजना में शामिल किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्यारहवीं रक्षा पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इन परियोजनाओं के पूरा न होने के लिए उत्तरदायी कारणों पर विचार किया था; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्यारहवीं रक्षा योजना के सभी प्रस्तावों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2007-2012 की अवधि के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की है।

(ख) इस योजना में रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण सहित राजस्व और पूंजीगत दोनों शीर्षों के अंतर्गत योजना अवधि के लिए तीनों सेनाओं, आयुध निर्माणियों और रक्षा अनुसंधान और विकास की प्रत्याशित आवश्यकता को शामिल किया गया है।

(ग) परियोजना प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

(घ) अधिप्राप्ति इत्यादि से संबंधित परियोजनाएं सामान्यत: दीर्घावधिक परियोजनाएं होती हैं जिन पर दो अथवा अधिक योजनावधियों तक का समय लग सकता है। सामान्यत: दसवीं योजना अवधि के अंत में चल रही परियोजनाएं ग्यारहवीं योजना में आगे लाई जाती है।

(ङ) और (च) परियोजनाओं को पूरा करने में हुई देरी के कारणों पर निरंतर नजर रखी जाती है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 का संशोधन, रक्षा मंत्री की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि और सेनाओं को 30 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत व्यय के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करना शामिल है।

सशस्त्र सेनाओं में अंडा घोटाला

2401. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना की उत्तरी कमांड में हाल ही में अंडा घोटाला सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस घोटाले से राजकोष को कितनी हानि हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सेना के उत्तरी कमान मे हाल ही में कम वजन के अंडों की आपूर्ति किए जाने संबंधी एक मामले की रिपोर्ट की गई है।

(ख) संविदा दस्तावेज में एक अंडे का वजन 48 ग्राम की बजाय 40 ग्राम दर्शाया गया था जो कि वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक के वर्षों के लिए उत्तरी कमान में ताजा अंडों के संबंध में संविदा के निष्पादन में अनुबंधित मानदंडों का उल्लंघन है।

(ग) से (ङ) सभी 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

भंडारण और ढुलाई हानियां

2402. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों की भंडारण गोदामों तक ढुलाई तथा वहां से वितरण केन्द्र तक ढुलाई में भारी व्यय होता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ढुलाई एवं भंडारण के दौरान खाद्यान्नों में कमी हो जाने की भी खबर है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान इस तरह कम हुए खाद्यान्न की कुल मात्रा और उसकी कीमत कितनी है; और

(ङ) सरकार ने इस तरह के अपव्यय तथा खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की भंडारण गोदामों तक और वहां से वितरण केन्द्रों तक ढुलाई करने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए गए खर्च के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

(लाख रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
रेल भाड़ा	257957.71	257982.47	263219.43
लारी भाड़ा	36196.28	40098.25	43045.75
स्टीमर भाड़ा	730.70	702.20	885.86
पहाड़ी राज्यों के लिए ढुलाई राजसहायता	11216.63	5001.12	968.77
डेमरेज/विपथन प्रभार आदि	3146.15	3952.17	2848.70
जोड़	309247.47	307736.21	310968.51
आंतरिक संचलन	3595.35	2897.29	2126.51
सकल जोड़	312842.81	310633.50	313095.02

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए अखिल भारत आधार पर भारतीय खाद्य निगम की भंडारण और मार्गस्थ हानियों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के लिए अखिल भारत आधार पर भारतीय खाद्य निगम की भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों का विवरण निम्नानुसार है–

(मात्रा लाख टन में/कीमत करोड़ रुपए में)

(क) भंडारण हानियां

वर्ष	हानि की मात्रा	हानि की कीमत	जारी की गई कुल मात्रा	जारी की गई कुल मात्रा के प्रति प्रतिशत हानि
2004-05	1.46	156.37	762.02	0.19%
2005-06	1.17	133.87	734.94	0.43%
2006-07 (अनंतिम)	1.30	152.84	425.05	0.32% (बजट अनुमान)

(ख) मार्गस्थ हानियां

वर्ष	हानि की मात्रा	हानि की कीमत	संचलित की गई कुल मात्रा	संचलित की गई कुल मात्रा के प्रति प्रतिशत हानि
2004-05	1.83	149.93	382.77	0.48%
2005-06	1.51	143.00	355.98	0.16%
2006-07 (अनंतिम)	1.25	130.09	255.46	0.49% (बजट अनुमान)

विवरण II

भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपाय

1. गोदामों को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी पर कांटेदार तार लगाने, गोदामों में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान करने और शेडों में उचित रूप से ताला लगाने जैसे भौतिक उपाय किये जाते हैं।

2. स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम और होमगार्ड जैसी अन्य एजेंसियों के सुरक्षा अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं।

3. कुछ डिपुओं/गोदामों में जो संवेदनशील हैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाती है।

4. सुरक्षा की खामियों का पता लगाने और इनको दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच भी की जाती है।

5. चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की बोरियों का इस्तेमाल करना ताकि हुकों का प्रयोग न करना पड़े।

6. बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई को प्रोत्साहित किया जाना।

7. स्टाक का यथा विहित आवधिक रूप से रोग निरोधी तथा रोगहर उपचार करना।

8. प्रत्येक स्तर पर प्रचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सुप्रचाही बनाना।

9. चुने हुए रेल शीर्षों, लदान और गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों की विशेष दलों द्वारा जांच किया जाना।

10. संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान करना।

11. मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यकारी निदेशकों (अंचल)/महा प्रबंधकों (क्षेत्र)/क्षेत्र प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण करना।

12. तोल सेतुओं के 'केलीबरेशन' का निरीक्षण और मानीटरिंग किया जाना।

13. प्रथम आमद प्रथम निर्गम सिद्धांत को अपनाकर स्टाक जारी करने की प्राथमिकता सूची बनाए रखना।

14. प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तुलाई और गणना करना।

15. मानसून-पूर्व प्रधूमन करना।

16. डनेज सामग्री में सुधार करना।

17. खाद्यान्नों का सुरक्षित तरीकों, अर्थात ढके हुए वैगनों, आदि के माध्यम से दूसरे स्थान तक संचलन करना।

18. वसूली के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।

19. यह सुनिश्चित करना कि इसके अपने सभी गोदामों का निर्माण तथा रखरखाव खाद्यान्नों के भंडारण के वैज्ञानिक तौर-तरीकों के अनुरूप किया जाता है।

20. रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन में होने वाली मार्गस्थ हानियों का बीमा करना।

21. डिपु से रेल शीर्ष तक और इसके विपरीत खाद्यान्नों की ढुलाई करते समय सुरक्षा कार्मिक प्रदान करना।

22. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों का स्थानांतरण करना।

इसके अतिरिक्त भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित अन्य निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं–

(क) भंडारण हानियों अर्थात नमी/चोरी तथा उठाईगिरी और अन्य कारणों की वजह से होने वाली हानियों का घटकवार विश्लेषण करना।

(ख) सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मार्गस्थ हानियों का विस्तृत विश्लेषण करना।

(ग) भंडारण और मार्गस्थ हानियों की छानबीन करने में होने वाले विलंब के कारणों का विश्लेषण करना।

(घ) मुख्य सतर्कता अधिकारी के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय में उच्चतर स्तरों पर भंडारण और मार्गस्थ हानियों की मानीटरिंग/समीक्षा करना।

नई वस्त्र नीति

2403. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोई नई वस्त्र नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वस्त्र उद्योग और वस्त्र श्रमिकों को इस नई वस्त्र नीति से कितना लाभ होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी। एक नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुने हुए कपड़ों का निर्यात

2404. श्री सुभाष महरिया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद सरकार द्वारा बुने हुए कपड़ों के निर्यात के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए गए उपायों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विश्व बाजार में चीन, जापान और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को सुधारने और उन्हें विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए ग्यारहवीं योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निटवियर उद्योग सहित वस्त्र उद्योग को सक्षम बनाने के वास्ते अनेक कदम उठाए हैं। इसमें मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का विस्तार, और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अर्जन एवं विश्व स्तरीय अवसंरचना से इस उद्योग को सुसज्जित करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना शामिल है। वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्य समूह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के लिए 3000 करोड़ रु. के परिव्यय की सिफारिश की है। 2007-08 के दौरान एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के लिए 450 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

इसके अलावा सरकार ने वस्त्र क्षेत्र को रियायती पैकेज दिया है जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक दरों और डीईपीबी दरों में वृद्धि शामिल है। सरकार इस क्षेत्र को बाजार विकास सहायता योजना और बाजार पहुंच पहल योजना के तहत निधियां भी उपलब्ध करा रही है जिसके माध्यम से निट वियर क्षेत्र को संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए और व्यापार मेलों तथा विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रतिपूर्ति के वास्ते निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

मत्स्य उत्पादन

2405. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों के दौरान हुए मत्स्य उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र के जनजातीय इलाकों में मछली का उत्पादन इस प्रकार है–

(000 टन में)

वर्ष	देश में	महाराष्ट्र के जनजातीय इलाकों में
2004-05	6305	19.34
2005-06	6572	21.87
2006-07	6754 (अनन्तिम)	21.15

(ख) महाराष्ट्र के अधिकतर जनजातीय क्षेत्र अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र में आते हैं तथा जनजातीय क्षेत्रों में आठ मत्स्य बीज फार्म हैं। इस क्षेत्र के लिए तालाबों/जलाशयों में मत्स्य बीज के उचित भंडारण के लिए बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन फार्मों का पुनरोद्धार किया जा रहा है और इसके अलावा मात्स्यिकी सहकारिता समितियों को सहायता दी जा रही है। भारत सरकार भी मात्स्यिकी के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, देश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

मवेशी अनुसंधान केन्द्र

2406. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मवेशी की विभिन्न प्रजातियों के उन्नत किस्म के विकास के लिए देश में चल रहे मवेशी अनुसंधान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर गुजरात में मवेशी प्रजनकों को प्रोत्साहित करने एवं प्रशिक्षित करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में विभिन्न प्रजातियों के मवेशी प्रजनकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं एवं प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) देश में गोपशुओं की उन्नत नस्ल को विकसित करने के उद्देश्य से कार्यरत गोपशु अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) से (ङ) डेयरी पशुओं तथा स्वास्थ्य देखभाल के प्रबंधन से संबंधित किसान की जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस विभाग की विभिन्न योजनाओं यानि राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना, पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धारमोड़ तथा केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना, अहमदाबाद के तहत उपघटकों के रूप में कवर किया जाता है। इन योजनाओं को देश भर में विशेषकर गुजरात में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, किसानों तथा अर्ध पशुचिकित्सा कर्मियों के प्रबंधन प्रणालियों, स्वास्थ्य देखभाल तथा कृत्रिम गर्भाधान में प्रशिक्षण को अनुसंधान संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत गुजरात को जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन
गोपशु अनुसंधान केन्द्र

क्र.सं.	अनुसंधान केन्द्र का नाम	स्थान
1	2	3
	अनुसंधान संस्थान	
1.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई)	करनाल, हरियाणा
2.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई)	इज्जतनगर, बरेली
3.	गोपशु परियोजना निदेशालय (पीडीसी)	मेरठ, उत्तर प्रदेश

1	2	3
	पीडीसी में मुख्यालय सहित गोपशु पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	
1.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	लुधियाना, पंजाब
2.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	
3.	केरल कृषि विश्वविद्यालय	मन्नुथी, थ्रिसूर, केरल
4.	बीएआईएफ अनुसंधान फाउंडेशन	उरूलीकंचन, पुणे, महाराष्ट्र
5.	सम्पूर्ण देश में फैले 43 मिलिटरी डेयरी फार्म	
	आगरा, लखनऊ, बरेली, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ और कानपुर	उत्तर प्रदेश (7)
	जबलपुर, ग्वालियर और माहो	मध्य प्रदेश (3)
	नामकूम	झारखंड (1)
	देहरादून और पिथौरागढ़	उत्तराखंड (2)
	अंबाला और बिरधांतरी	हरियाणा (2)
	जालंधर, फिरोजपुर, बिसरनगंवाल और पठानकोट	पंजाब (4)
	किर्की, बेलगाम, दियोलाली, पिम्परी और अहमदनगर	महाराष्ट्र (5)
	सिकंदराबाद	आन्ध्र प्रदेश (1)
	बंगलौर	कर्नाटक
	पाणितोला, बिनागुड़ी, बेंगडुबी और पन्नागढ़	पश्चिम बंगाल (4)
	डीमापुर	नागालैंड (1)
	मिसामरी, डेगशाई, गोहाटी, जोरहाट और मसीमपुर	असम (5)
	डलहौजी और वाईओएल	हिमाचल प्रदेश (2)
	उधमपुर, श्रीनगर, जम्मू, रजौड़ी और कारू	जम्मू एवं कश्मीर (5)

नोट: लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राज्य में फार्मों की संख्या है।

विवरण II

उपघटक के रूप में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1.	राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	279.70	703.25	100.00	1082.95
2.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	439.37	293.00	455.00	1187.37

गन्ना किसानों को सहायता

2407. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है जिनके गन्ने की पेराई नहीं हो पाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से लेवी मूल्य पर अतिरिक्त चीनी की खरीद करने तथा इसकी पेशकश सार्क देशों को करने का भी अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि अधिक उत्पादन के कारण समस्याओं का सामना कर रहे कारखानों तथा किसानों की सहायता की जा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या यह मामला संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समक्ष उठाया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इस पर उक्त मंत्रालयों/विभागों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। श्री विलासराव देशमुख, मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि पेराई मौसम 2006-07 के अन्त में गन्ने की खड़ी फसल के लिए, राज्य सरकार की तरह 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की समतुल्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। उन्हें सूचित किया गया है कि पेराई मौसम के अन्त में पेराई न की गई बची हुई गन्ने की खड़ी फसल के लिए गन्ना उत्पादकों/किसानों को ऐसी वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के लिए राहत उपायों को तय करते समय विचार किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) और (च) इस अनुरोध पर चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के लिए राहत उपायों को तय करते समय केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है।

आई.टी. तथा आई.टी. सम्बद्ध सेवाओं संबंधी कृतिक बल

2408. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी.) विभाग संबंधी कृतिक बल ने प्रत्येक विभाग के आयोजना बजट के 2-3% का आबंटन आई.टी. तथा आई.टी. सम्बद्ध सेवाओं पर व्यय किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु योजना आयोग को अग्रेषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रशासनिक कुशलता में सुधार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अधार पर, योजना आयोग ने सभी केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/विभागों को अपनी योजना/बजट में 2-3 प्रतिशत का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए करने का अनुरोध किया है। विभागों/मंत्रालयों को यह भी बताया गया था कि वे अपने बजट (योजनागत अथवा योजनाभिन्न) के 2-3 प्रतिशत से अधिक राशि का व्यय भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रयासों के लिए कर सकते हैं जिनमें प्रशिक्षण, हार्डवेयर, साफ्टवेयर का अधिग्रहण तथा साफ्टवेयर का विकास एवं अनुरक्षण शामिल हैं। योजना आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके फलस्वरूप, बजट में कोई अतिरिक्त धनराशि आबंटित नहीं की जाएगी।

मात्स्यिकी का सर्वेक्षण

2409. डा. के.एस. मनोज: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरों तथा मछली पकड़ने वाले जलयानों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण के दौरान मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण तैयार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने सभी तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में समुद्री मात्स्यिकी गणना 2005 की है। इस गणना के अनुसार, भारत में 3322 समुद्री मात्स्यिकी वाले गांव हैं, जिनमें 7.65 लाख घर हैं। समुद्री मात्स्यिकी पर निर्भर 35.75 लाख की

कुल आबादी में से 56.76% लोगों ने कुछ शिक्षा प्राप्त की है। 25.23% लोग सक्रिय मत्स्यन में तथा 21.45% लोग सहायक मात्स्यिकी में लगे हैं। 59,743 मशीनीकृत नौकाओं, 76,748 मोटरीकृत नौकाओं तथा 1,07,448 गैर मोटरीकृत नौकाओं सहित 2,43,939 नौकाएं देश के समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में लगी हुई हैं।

(ग) जी, हां। मछुआरा समुदाय के पास नौकाओं तथा गियरों के ब्यौरे के साथ-साथ उनके परिवार के आकार, धर्म, जाति तथा शिक्षा स्तर तथा प्रत्येक मत्स्यन गांव में मात्स्यिकी के लिए उपलब्ध नौकाओं से संबंधित जानकारी एकत्र कर ली गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्राथमिक सूचना को प्रसंस्कृत किया जा रहा है तथा तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रकाशित समुद्री मात्स्यिकी गणना रिपोर्ट 2005 में मत्स्यन गांव-वार सूचनाएं उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का विकास

2410. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भाषा-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी विशेष प्रकोष्ठ अथवा कार्यदल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या तथा वित्तीय व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हिन्दी को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थापित करने तथा इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हिन्दी के प्रोत्साहन एवं विकास की कोई कार्य योजना पहले से चल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाओं में सूचना संसाधन के लिए साफ्टवेयर उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) कार्यक्रम" आरम्भ किया है।

भारतीय भाषा प्रौद्योगिकीयों की राष्ट्रीय रोल-आउट योजना के अंतर्गत साफ्टवेयर उपकरणों तथा फोन्टों के सीडी सार्वजनिक डोमेन में जारी किए जा रहे हैं, जिससे भाषा प्रौद्योगिकी के लाभ का प्रसार जनसाधारण तक हो सके। इससे साधारण जनता को सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ अपनी भाषाओं में मिलने में सहायता मिलेगी तथा विकासकर्ताओं को उन्नत समाधान तैयार करने में सहायता मिलेगी। अब तक हिन्दी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू तथा पंजाबी भाषाओं के साफ्टवेयर के फोन्टों तथा सीडी जारी किए गए हैं। अन्य भाषाओं के लिए साफ्टवेयर तथा फोन्टो को जारी करने के लिए उनका समेकन/विकास किया जा रहा है। जारी किए गए साफ्टवेयर उपकरण http.//www.ildc.in वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ये सीडी पूरे देश में भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यकलापों के परिणाम हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, सी-डैक जैसे विभिन्न अग्रणी शैक्षिक एवं अनुसंधान संगठन तथा कुछ विश्वविद्यालय शामिल हैं।

मशीनी अनुवाद, प्रति भाषा सूचना अभिगम तथा अक्षर पहचान के क्षेत्रों में विकास संबंधी परियोजनाएं संघ के रूप में आरम्भ की गई हैं। इन परियोजनाओं में मशीनी अनुवाद के लिए 26 भाषा युग्मकों तथा प्रकाशिक अक्षर पहचान के लिए भारतीय लिपियों का कार्यान्वयन पूरे देश में 26 संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

विवरण II

टीडीआईएल कार्यक्रम

टीडीआईएल कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में मानव मशीन सम्पर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए सूचना संसाधन

उपकरणों का विकास करने तथा बहुभाषी ज्ञान स्रोत/सूचना सामग्री के सृजन एवं अभिगम के उद्देश्य से "ज्ञान समाज के निर्माण के लिए जन सामान्य को समर्थ बनाना" है।

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय भाषाओ के लिए साफ्टवेयर उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं।

टीडीआईएल कार्यक्रम की क्षमता

भाषा प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित कार्यकलाप पूरे देश के विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। टीडीआईएल कार्यक्रम का तकनीकी मूल्यांकन एवं निगरानी टीडीआईएल कार्यकारी दल तथा परियोजना निगरानी एवं संचालन समूहों द्वारा की जा रही है, जिनमें शिक्षा, जगत, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा सरकार के विशेषज्ञ शामिल हैं।

वित्तीय व्यवस्था

भाषा प्रौद्योगिकियों के विकास के प्रयोजन से विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए टीडीआईएल कार्यक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष (2007-08) के लिए बजट 1100.00 लाख रुपए है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 200.00 लाख रुपए शामिल हैं।

विवरण III

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं के लिए साफ्टवेयर उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य कर रहा है।

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित विभिन्न साफ्टवेयर उपकरणों को सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक डोमेन जारी किया जा रहा है। हिन्दी भाषा के लिए जारी सीडी में निम्नलिखित साफ्टवेयर उपकरण तथा फोन्ट शामिल हैं:

   की बोर्ड ड्राइवर सहित फोन्ट, फोन्ट कोड परिवर्तक; भारतीय ओपन आफिस; फायरफाक्स ब्राउजर; जीएआईएम मेसेन्जर; कोलम्बा-ई-मेल क्लाइंट; हिन्दी ओसीआर; हिन्दी तथा अंग्रेजी के लिए आसान टंकण शिक्षक; एकीकृत वर्ड प्रोसेसर; अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश; वर्तनी परीक्षक; लिप्तरण उपकरण तथा पाठ से वाक् प्रणाली।

2. "सूचना सामग्री सृजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी लोकीकरण" परियोजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा कृषि व्यवसाय के क्षेत्रों में लगभग 16000 एचटीएमएल एवं डायनामिक पृष्ठों की सूचना सामग्री का विकास हिन्दी में कर लिया गया है तथा इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

3. भारतीय रेल की डायनामिक राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (http://www.trainenquiry.com) को हिन्दी में तैयार कर दिया गया है।

4. विशिष्ट डोमेनों में अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से भारतीय भाषाओं (सात द्वि-दिशिक युग्मकों) में मशीनी अनुवाद प्रणाली के लिए विकास संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

5. विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिन्दी शिक्षण के लिए साफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

6. प्रशासन तथा वित्त डोमेनों के लिए मंत्र-राजभाषा नामक मशीनी अनुवाद प्रणाली का विकास किया गया है।

7. हिन्दी के लिए प्रवचक-राजभाषा (पाठ से वाक् प्रणाली) तथा श्रुतलेखन-राजभाषा (वाक् से पाठ प्रणाली) का विकास किया गया है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना

2411. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिल्पकारों तथा उनके परिवारों के लाभार्थ राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का विस्तार केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी हां। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम में चार सदस्यों वाले एक कारीगर परिवार को, स्वयं कारीगर, उसकी पत्नी तथा दो बच्चों के लिए नकदी के बिना सुविधा एवं ओ पी डी आदि सहित 15 हजार रुपये का चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है। सेवा कर सहित 1001/- रुपये के कुल वार्षिक प्रीमियम में से भारत सरकार का हिस्सा सामान्य श्रेणी के कारीगरों के मामले में सेवा कर सहित 801/- रुपये है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे के तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए सेवा कर सहित 901/- रुपये है। वार्षिक प्रीमियम के रूप में सामान्य श्रेणी के कारीगर का अंशदान 200/- रुपये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित कारीगरों का अंशदान 100/- रुपये है। इसके अतिरिक्त बीमित कारीगर को दुर्घटना से मृत्यु/स्थाई अपंगता के लिए एक लाख रुपये का एक बीमा कवर दिया जाता है। अब तक कवर किए गए कारीगर परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार का देश में निफ्ट का कोई विस्तार केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, विस्तार केन्द्र के बजाय निफ्ट के पूर्णरूपेण केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अब तक कवर किए गए कारीगर परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल परिवार
1	2	3
1.	गोवा	318
2.	गुजरात	3,280
3.	मध्य प्रदेश	1,149
4.	महाराष्ट्र	987
5.	अरुणाचल प्रदेश	170
6.	असम	2,894
7.	बिहार	1,654
8.	छत्तीसगढ़	242
9.	झारखंड	1,342
10.	मणिपुर	3,487
11.	मेघालय	184
12.	मिजोरम	150
13.	नागालैंड	925
14.	उड़ीसा	2,611
15.	सिक्किम	123
16.	त्रिपुरा	441
17.	पश्चिमी बंगाल	3,343
18.	दिल्ली	439
19.	हरियाणा	822
20.	हिमाचल प्रदेश	1,130
21.	जम्मू-कश्मीर	1,710
22.	पंजाब	687
23.	राजस्थान	2,777
24.	उत्तर प्रदेश	4,945
25.	उत्तराखंड	2,269
26.	आन्ध्र प्रदेश	3,865
27.	कर्नाटक	1,442
28.	केरल	1,804
29.	पांडिचेरी	180
30.	तमिलनाडु	3,549
	कुल	51,919

एयरोस्पेस कमान की स्थापना

2412. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना के पास एयरोस्पेस कमान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) एयरोस्पेस कमान स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

असंगठित तथा संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसर

2413. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर:
श्री सत्यनारायण जटिया:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समग्र रोजगार में वृद्धि जनशक्ति की वृद्धि की तुलना में कम रही है;

(ख) क्या संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन में अधिक वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हाल ही में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन की योजनाओं की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) देश में श्रम बल के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण, जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष 1999-2000 तथा 2004-05 के दौरान 2.97% की वृद्धि दर की तुलना में वार्षिक रोजगार वृद्धि दर 2.95% रही है।

(ख) असंगठित क्षेत्र में रोजगार 1999-2000 में 369.0 मिलियन की तुलना में वर्ष 2004-05 में बढ़कर 432.66 मिलियन हो गया है, जबकि संगठित क्षेत्र में रोजगार वर्ष 1999-2000 में 27.96 मिलियन से घटकर वर्ष 2004-05 में 26.44 मिलियन रह गया है।

(ग) से (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 70 मिलियन रोजगार अवसरों (65 मिलियन गैर कृषि क्षेत्र में) के सृजन की परिकल्पना की गई है। यह तीव्र और अधिक व्यापक तथा सघन विकास पर आधारित एक नवीन संकल्पना के लिए नीतियों के पुनर्निर्माण के लिए एक ढांचा भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना तथा न केवल रोजगार वृद्धि को तेज करने बल्कि कम मजदूरी पाने वालों की मजदूरी बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना भी है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि 11वीं योजना का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ाकर 10% करना तथा विनिर्माण वृद्धि को बढ़ाकर 12% प्रतिवर्ष करना होना चाहिए और अवसंरचना तथा कौशल सृजित करने पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय पैकेज

2414. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्च स्तरीय समिति ने हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय पैकेज की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस पैकेज पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त समिति ने अपने गठन के पश्चात् कितनी बैठकें की हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हथकरघा क्षेत्र से संबंधित गम्भीर समस्याओं की समीक्षा हेतु प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 16 मई, 2007 को एक बैठक बुलाई थी। दिनांक 28 जून, 2006 को हैण्डलूम मार्क की शुरूआत से संबंधित एक कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में वस्त्र एवं वित्त मंत्री को ऋण की समस्या, जिससे हथकरघा समितियां ग्रस्त हैं, पर विचार करने की सलाह दी ताकि इनकी अवधि का पुन: निर्धारण किया जा सके अथवा सहकारी समितियों को उस तरीके से पूंजी पुन: प्रदान की जा सके, जैसे ई. वैद्यनाथन समिति के माध्यम से सहकारी बैंकों को दी गई थी।

(घ) इसकी पहली बैठक 1 सितम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रबंध निदेशक, नाबार्ड ने की और इसने हथकरघा बुनकर वित्तीय पैकेज के कार्यान्वयन हेतु 1295 करोड़ रुपये का कुल बजट प्रस्तुत किया। इसमें भारत सरकार का हिस्सा 1155 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा 130 करोड़ रुपये तथा नाबार्ड का अंशदान 10 करोड़ रुपये होगा।

दिनांक 6.11.2006 को वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भिजवाया गया। वित्त मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई जाए।

प्रमुख राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम आदि के प्रभारी हथकरघा सचिवों के साथ हथकरघा क्षेत्र के सहकारी ऋण ढांचे में कानूनी तथा संस्थागत सुधारों के बारे में विचार-विमर्श हेतु दिनांक 10.4.2007 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस पैकेज के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार का हिस्सा घटाकर 936.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ाकर 348.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है और नाबार्ड का अंशदान 10 करोड़ रुपये रखा गया है।

दिनांक 23 मई, 2007 को सीएनई नोट का मसौदा वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में परिचालित किया गया।

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2007 के आई डी नोट के माध्यम से आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के लिए प्रस्ताव के निरूपण हेतु उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रस्ताव पुन: तैयार करने का अनुरोध किया है।

रेस्टोरेंटों तथा होटलों में काम करने वाले बच्चे

2415. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ढाबों तथा रेस्टोरेंटों/होटलों में घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने वाले बच्चों के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं तत्पश्चात् उक्त नीति के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित, जारी एवं उपयोग की गई हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस नीति से राज्य-वार कितने बच्चे लाभान्वित हुए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार 1988 से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय नीति का अनुपालन कर रही है। इसमें कानून का कड़ा प्रवर्तन, बाल श्रम के पुनर्वास हेतु परियोजना आधारित कार्य-योजना और उनके परिवारों को सरकार की अन्य विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने पर विचार किया गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 15 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है जिनमें दो व्यवसाय अर्थात् घरेलू नौकरों के रूप में और ढाबों, रेस्टोरेंटों, इत्यादि में बच्चों का नियोजन शामिल है जिसे 10.10.2006 से प्रतिषिद्ध किया गया है। कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में डाला जाता है जहां उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराई जाती है ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा सके।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन सी एल पी योजना के अंतर्गत राज्यवार व्यय का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन सी एल पी योजना से लाभान्वित हुए बच्चों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एन सी एल पी योजना के अंतर्गत व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	232220831	211610829	141635611
2.	असम	686500	12468000	12403500

1	2	3	4	5
3.	बिहार	28205834	43386910	142679960
4.	छत्तीसगढ़	23080814	36857738	31107540
5.	गोवा	592000	0	0
6.	गुजरात	2153500	4404800	15549200
7.	हरियाणा	458500	1718000	0
8.	जम्मू-कश्मीर	458500	592000	0
9.	झारखण्ड	19285773	37280078	18382939
10.	कर्नाटक	33101388	50651674	52567717
11.	मध्य प्रदेश	44521226	36826745	29409567
12.	महाराष्ट्र	16848418	19255655	27828784
13.	उड़ीसा	131264355	134419118	110792590
14.	पंजाब	18404902	15528577	9020900
15.	राजस्थान	44303713	68613939	116269919
16.	तमिलनाडु	72462692	98404201	62730916
17.	उत्तर प्रदेश	70736376	151892537	186647881
18.	उत्तराखंड	61368	592000	0
19.	पश्चिम बंगाल	74236099	83128311	99140687
	कुल	813082789	1007631112	1056167711

विवरण II

एन सी एल पी योजना के अंतर्गत मुख्यधारा में लाए गए बच्चों की संख्या (9-14 वर्ष)

राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	20341	9217	38186
असम	*	*	*
बिहार	*	545	*
छत्तीसगढ़	549	540	*
गुजरात	480	3885	*

1	2	3	4
झारखण्ड	2018	1411	90
कर्नाटक	1254	1319	0
मध्य प्रदेश	*	*	2824
महाराष्ट्र	7619	9478	*
उड़ीसा	466	1290	1781
पंजाब	2756	1559	*
राजस्थान	5301	2197	*
तमिलनाडु	3248	*	4193
उत्तर प्रदेश	3429	5876	*
पश्चिम बंगाल	47461	37317	*
कुल	20341	9217	47074

*राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

जी.एम. खाद्य फसलों संबंधी सूचना

2416. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के अनुसार आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के उपयोग का अनुमोदन करने वाले देशों का विश्व खाद्य व्यापार के विघटित होने के खतरों को कम करने के लिए सूचना का आदान-प्रदान करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त खाद्यों के खाद्य सुरक्षा आकलनों से संबंधित जानकारी को बांटने पर जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त खाद्य संबंधी कोडेक्स तदर्थ अन्तर सरकारी कार्य बल के सातवें सत्र में हाल में चर्चा की थी (चीबा, जापान में 24-28 सितंबर, 2007 को आयोजित)। कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोग के अंतिम अनुमोदन के अध्यधीन कार्य बल ने प्रस्तावित किया कि खाद्य एवं कृषि संगठन विद्यमान खाद्य सुरक्षा, पशु और पादप स्वास्थ्य संबंधी अंतरराष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग करते हुए, रिकाम्बीनेंट-डी.एन.ए. पादपों के खाद्य सुरक्षा आकलनों के लिए संगत सूचना रखने वाला सार्वजनिक पहुंच के भीतर केन्द्रीय डेटाबेस बनाए रखे। इस बात पर सहमति हुई कि कोडेक्स सदस्यों को इस डेटाबेस के लिए सूचना उपलब्ध करानी चाहिए, जो खाद्य में रिकाम्बीनेंट-डी.एन.ए. पादप सामग्री के कम स्तर की स्थितियों में खाद्य सुरक्षा आकलन के लिए संगत अतिरिक्त सूचना कोडेक्स सदस्यों को देकर तीव्र पहुंच को सुकर बनाएगा। इस संबंध में दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

डब्ल्यूटीओ के विनियमन के अनुसार खाद्य की नई श्रेणी के लिए मानक अपनाने वाले अथवा खाद्य में किसी भी नए पैरामीटर को आशोधित करने वाले किसी भी देश से अपेक्षित है कि वह डब्ल्यूटीओ को सूचित करे ताकि डब्ल्यूटीओ द्वारा अधिसूचित कोई भी देश उस तक पहुंच सके। इसके अलावा, ऐसी अधिसूचना के तर्क-आधार संबंधी विस्तृत सूचना एसपीएस पूछताछ प्वाइंट के जरिए विनियम लागू करने वाले देश से प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक देश का यह संप्रभु अधिकार है कि वह अपने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अत: जीएम खाद्य के व्यापार संबंधी निहितार्थ पर विचार करने से पहले उनके सुरक्षा मूल्यांकन पर उचित ढंग से विचार किया जाता है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन

विएले डेले टर्मी डी काराकाला, 00153 रोम, इटली फेसिमिली: +390657053152 दूरभाष: +390657051

सेवा में: खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्य, कोडेक्स सदस्य देश और प्रेक्षक संगठन, अन्य सम्बद्ध पक्षकार

प्रेषक: सिस्टम मैनेजर
खाद्य सुरक्षा, पादप और पशु स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल विएले डेले टर्मी डी काराकाला 00153 रोम, इटली

विषय: खाद्य सुरक्षा, पशु और पादप स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल: रिकाम्बीनेंट-डीएनए पादपों के खाद्य सुरक्षा आकलनों हेतु सूचना के प्रावधान के लिए अनुरोध

पृष्ठभूमि

जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त खाद्य संबंधी कोडेक्स तदर्थ अंतर सरकारी कार्य बल के सातवें सत्र (चीबा, जापान, 24-28 सितम्बर, 2007 तक संपन्न) में प्रस्तावित प्रारूप अनुबंध: खाद्य में रिकाम्बीनेंट पादप सामग्री के कम स्तर की स्थितियों में खाद्य सुरक्षा आकलन 1 पर विचार किया। प्रस्तावित प्रारूप अनुबंध की धारा 3 में कोडेक्स पादप दिशानिर्देश 2 के अनुसार प्राधिकृत रिकाम्बीनेंट-डीएनए पादपों संबंधी आंकड़ों और सूचना को बांटने का प्रावधान है।

इस संबंध में खाद्य एवं कृषि संगठन ने खाद्य सुरक्षा आकलन सूचना के प्रकाशन को सुकर बनाने के लिए अभिकल्पित डेटाबेस और डेटा एन्ट्री तंत्र स्थापित किया, जिसका विस्तृत ब्यौरा प्रस्तावित प्रारूप अनुबंध में है। खाद्य सुरक्षा पशु और पादप स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल (आईपीएफएसएपीएच-www.ipfsaph.org) के जरिए खाद्य एवं कृषि संगठन रिकाम्बीनेट-डीएनए पादपों के खाद्य सुरक्षा आकलनों के लिए संगत सूचना रखने वाला सार्वजनिक पहुंच के भीतर केन्द्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा।

आयोग के 31वें सत्र द्वारा उपर्युक्त अनुबंध को अपनाने की संभावना को देखते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन/आईपीएफएसपीएच सचिवालय ने इस डेटाबेस को पहले से ही अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है तथा वह खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्यों और अन्य संबद्ध पक्षकारों को कार्य बल की रिपोर्ट (एएलआईएनओआरएम 08/31/343) के पैरा 80 में यथा अभिलिखित संगत सूचना प्रदान करने की रूपात्मकताओं के बारे में सूचित करना चाहेगा तथा उनका सहयोग मांगता है।

डेटाबेस निर्माण पूरा करने की प्रक्रिया

इस कार्य को पूरा करने के लिए चार कार्य परिकल्पित हैं:

1. खाद्य एवं कृषि संगठन/आईपीएफएसएपीएच सचिवालय द्वारा खाद्य में रिकाम्बीनेंट-डीएनए पादपों के सभी विद्यमान खाद्य सुरक्षा आकलनों की प्रारम्भिक दस्ती डेटा की प्रविष्टि (नवम्बर 2007 के अंत तक पूरा करने अपेक्षित है);

2. डेटाबेस में यथा प्रविष्ट खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्य देशों से संबंधित खाद्य सुरक्षा आकलन डेटा की परिशुद्धता की उनके द्वारा पुष्टि के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन/आईपीएफएसएपीएच द्वारा अनुरोध:

1. एएलआईएनओआरएम 08/31/34 परिशिष्ट IV

2. विद्यमान कोडेक्स पादप दिशानिर्देश www.codexalimentarious.net/download/standards/10021/CXG045e.pdf

3. एएलआईएनओआरएम 08/31/34 www.codexalimentarious.net/download/report/693/al 31 34e.pdf.

राष्ट्रीय डेटा की जांच और अनुमोदन के बाद डेटाबेस को सार्वजनिक तौर पर सुलभ बनाया जाएगा।

कृपया यह नोट करें कि खाद्य एवं कृषि संगठन/आईपीएफएस एपीएच द्वारा कार्य 1 को पूरा करने के बाद खाद्य एवं कृषि संगठन के संबंधित सदस्यों की बाद की तारीख में कार्य 2 के समय तथा ब्यौरे के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

4. डेटा के प्रकाशन के बाद खाद्य में रिकाम्बीनेंट-डीएनए पादपों के सभी नए खाद्य सुरक्षा आकलनों को डेटाबेस में प्रविष्टि हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन/आईपीएफएसएपीएच को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

रिकाम्बीनेंट-डीएनए पादपों के खाद्य सुरक्षा आकलनों का प्रावधान

एक बार डेटाबेस तैयार हो जाने और उसे जनता के लिए सुलभ होने पर खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्यों और अन्य संबद्ध

पक्षकारों से अनुरोध किया जाएगा कि वे खाद्य एवं कृषि संगठन/आईपीएफएसएपीएच को ई-मेल अकाउन्ट IPFSAPH-Safety-Assessment@fao.org, के जरिए नए और संशोधित खाद्य सुरक्षा आकलनों से संबंधित सूचना प्रदान करें, जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होगी:

* खाद्य सुरक्षा आकलन के स्थान तक यूआरएल सम्पर्क (एफटीटीपी अथवा एचटीटीपी), अथवा फाइल संलग्नक के रूप में खाद्य सुरक्षा आकलन का प्रावधान (पीडीएफ अथवा डीओसी फारमेट);

* खाद्य सुरक्षा आकलन के लिए जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकारियों) तथा उत्पाद आवेदक के सम्पर्क का पूर्ण ब्यौरा;

* संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रखे जा रहे अन्य डेटाबेस में उसी उत्पाद पर सूचना के लिए यूआरएल सम्पर्क, जैसा उपयुक्त हो;

* जिन मामलों में कम स्तर की स्थिति के लिए उपयुक्त जांच पद्धति प्रोटोकाल तथा उचित संदर्भ सामग्री (गैर-प्रतिस्पर्धात्मक अथवा कुछ परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धात्मक) हो, उनका ब्यौरा जैसा उपयुक्त हो।

इसी समय खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्यों और अन्य सम्बद्ध पक्षकारों को रिकाम्बीनेंट-डीएनए पादपों के खाद्य सुरक्षा आकलनों से संबंधित सम्पर्क बिन्दु (बिन्दुओं) को नामित करने के लिए और उनका ई-मेल पता (पतों) को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ई-मेल सम्पर्क ब्यौरा प्रस्तुत करने के इच्छुकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया उसको IPFSAPH-Safety-Assessment@fao.org को भेजें। यह खाद्य एवं कृषि संगठन/आईपीएफएसएपीएच को दी गई और उससे प्राप्त नई सूचना दोनों को बदलने में मदद करेगा।

यदि आवश्यक हो तो उपर्युक्त से संबंधित अतिरिक्त सूचना व स्पष्टीकरण खाद्य सुरक्षा, पशु और पादप स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल से निम्नलिखित के जरिए सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं:

श्री जूलियस जैकसन
सिस्टम मैनेजर,
खाद्य सुरक्षा, पशु और पादप स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन
विएले डेले टर्मी डी काराकाला
00153 रोम, इटली
और
IPFSAPH-Helpdesk@fao.org.

[हिन्दी]

बीज अनुसंधान

2417. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार, विशेषकर जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है। इसे बीज अधिनियम, 1966 के अधीन निर्धारित कार्य करने के लिए बी.टी. कपास बीजों से इतर बीजों हेतु बीज अधिनियम, 1966 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र बीज गुणवत्ता और बीज परीक्षण में भी प्रशिक्षण देता है। केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर की प्रयोगशाला को कपास बीजों में क्राई. 1 एसी जीन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति अभिनिश्चित करने और बीटी कपास बीजों के लिए परामर्शी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है।

नए प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्यों को बीज गुणवत्ता विनियमन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

गोमांस का अवैध व्यापार

2418. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में व्यापक स्तर पर गोमांस का अवैध व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोमांस की होटलों/अतिथि गृहों में अवैध बिक्री की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली तथा देश के अन्य राज्यों में ऐसे होटलों/अतिथि गृहों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा गोमांस के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे व्यापार में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) दिल्ली में प्रसंस्करण संयंत्रों/शीत भंडारणों में गोमांस के प्रसंस्करण/भंडारण के संबंध में अप्रैल, 2005 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में परीक्षित 6 नमूनों में 5 नमूने गोमांस के लिए पाजीटिव पाए गए थे। तद्नुसार, पुलिस स्टेशन में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामला निर्णयाधीन है। 2006 में और 2007 में अभी तक गोमांस के अवैध व्यापार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) और (घ) दिल्ली में होटलों/अतिथि गृहों में गोमांस की अवैध बिक्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) पशु वध और मीट की बिक्री राज्य का विषय है। राज्य सरकारों ने इस संबंध में नियम बनाए हैं जिनमें उपयुक्त दंड की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

सिंचाई के लिए पानी की कमी

2419. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सिंचाई के लिए पानी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) आगामी वर्षों में देश में सिंचाई के लिए पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आकलित की गई है। भौगोलिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण उपयोग करने योग्य जल की अनुमानित मात्रा 1123 बीसीएम है।

समेकित जल संसाधन विकास योजना से संबंधित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल की आवश्यकता संबंधी एक मूल्यांकन किया है। रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई सहित, जिसके लिए 524 बीसीएम जल का उपयोग किया जा रहा है, भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए 629 बीसीएम जल का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2010, 2025 और 2050 के लिए अनुमानित कुल जल की आवश्यकता क्रमश: 710 बीसीएम, 843 बीसीएम और 1180 बीसीएम है और सिंचाई के लिए क्रमश: 557 बीसीएम, 611 बीसीएम और 807 बीसीएम है। देश में समग्र रूप से जल की उपलब्धता सिंचाई के लिए जल की मांग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक उपयोग के लिए रक्षा भूमि का आबंटन

2420. श्री मदन लाल शर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय अपने नियंत्रण के अंतर्गत भूमि का आबंटन निजी पक्षों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ निजी पक्षों द्वारा उन्हें आबंटित भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) निजी पक्षों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के अंतर्गत रक्षा भूमि आबंटन की अनुमति है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां निजी पक्षों में उन्हें आबंटित भूमि का दुरुपयोग किया है। जब भी दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में आता है, छावनी अधिनियम तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या

2421. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) क्षेत्र में विशेषकर काल सेन्टरों, बीपीओ, साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट आदि में बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल श्रमबल की तुलना में उनकी प्रतिशतता दर्शाते हुए वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) नैसकाम के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2004-05	वित्त वर्ष 2005-06	वित्त वर्ष 2006-07
1.	आईटी सेवाएं	297000	398000	562000
2.	आईटीईएस-बीपीओ	316000	415000	545000
3.	इंजीनियरी सेवाएं तथा अनुसंधान एवं विकास तथा साफ्टवेयर उत्पाद	93000	115000	144000
4.	देशीय बाजार (प्रयोक्ता संगठन सहित)	352000	365000	378000
	योग	1058000	1293000	1630000

भारत की जनगणना सांख्यिकी (2001) के अनुसार भारत में कुल कर्मियों की संख्या 402,234,724 थी। इस समय सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों की संख्या कुल कर्मियों के 0.5% से भी कम है।

[हिन्दी]

मदर डेयरी बूथ

2422. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली में चल रहे मदर डेयरी के फल एवं सब्जी संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन संयंत्रों में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जाति के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों में आरक्षण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों में आरक्षित रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) मदर डेयरी, दिल्ली की फल एवं सब्जी यूनिट मंगोलपुरी में स्थित है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कर्मचारियों का वर्गवार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
अनुसूचित जाति	47
अनुसूचित जनजाति	4
अन्य पिछड़ा वर्ग	15
अन्य	392

(ग) से (ङ) मदर डेयरी में भारत सरकार द्वारा आरक्षण से संबंधित जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में तथा अन्य संस्थानों में भी आयोजित कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के नए उम्मीदवारों को भर्ती करने का प्रयास किया गया था। एक्जिक्यूटिव प्रशिक्षु के रूप में भर्ती किए गए 18 उम्मीदवारों में से 8 आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति-1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग-7) के हैं।

स्पेक्ट्रम का आबंटन

2423. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) तथा दूरसंचार विभाग द्वारा यह मांग की जा रही है कि सभी जी.एस.एम. आपरेटरों को उन्हें लाइसेंस में निर्धारित 6.25 मेगा हर्टज से अधिक के आबंटित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सभी मोबाइल सेवाओं के लिए वर्तमान में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी 2जी है;

(ग) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन प्रक्रिया पर विचार के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आपरेटरों को वर्तमान में 2जी स्पेक्ट्रम नि:शुल्क दिया जा रहा है लेकिन यह उनके द्वारा विहित ग्राहक मानकों को पूरा किए जाने से जुड़ा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या समिति की रिपोर्ट आने तक सभी आपरेटरों को 2जी आबंटन निलंबित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो पैनल द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) जीएसएम आपरेटरों को 2 जी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर देश में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और उन्हें सेवा शुरू करने के लिए प्रारंभिक स्पेक्ट्रम दिया जाता है। सेवा के विकास के साथ, उपभोक्ता के मानदंडों के आधार पर आपरेटरों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है, और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें अधिक राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करना पड़ता है। 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए उपभोक्ता आधारित स्पेक्ट्रम आबंटन के मानदंडों में संशोधन की सिफारिश करने हेतु, एक समिति गठित की गई है। तथापि, उपभोक्ता आधारित मानदंड संबंधी मामला दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में निर्णयाधीन है।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का मूल्यांकन

2424. **डा. के.एस. मनोज:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनरों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी पेंशन निधि जमा हुई है;

(ख) उक्त योजना का पिछली बार किस तारीख को मूल्यांकन किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार लागत सूचकांक में परिवर्तन को देखते हुए इस योजना का पुन: मूल्यांकन करने तथा इसके लाभों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संशोधित पेंशन योजना में पेंशनरों को दिए गए रूपांतरण लाभ वापिस ले लिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को फिर से अपनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) दिनांक 31.03.2007 तक पेंशनरों की संख्या 26,53,181 है तथा पेंशन निधि में जमा राशि अंकित मूल्य पर 80,776.22 करोड़ रुपये (अनंतिम) है।

(ख) पिछला मूल्यांकन अर्थात् 8वां मूल्यांकन दिनांक 31.03.2004 को पूरा किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

पैसे का आहरण

2425. **श्री प्रतीक पी. पाटील:**
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में राज्य-वार विशेष रूप से पंजाब में डाकघरों से धोखाधड़ी तथा धोखे से पैसे निकालने के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी धोखेबाजी से कितनी धनराशि का नुकसान हुआ;

(ग) इस संबंध में कितने कर्मचारी दोषी पाए गए;

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(ङ) भविष्य में डाकघरों से धोखाधड़ी से पैसे के आहरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए धोखाधड़ी एवं धोखे से धन के आहरण के मामलों की संख्या का पंजाब राज्य सहित राज्यवार ब्यौरा, ऐसे मामलों में खोई गई धन राशि तथा इन मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) 1756 कर्मचारियों को निलंबित/ड्यूटी से हटा दिया गया, 629 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया/बर्खास्त कर दिया गया, 105 कर्मचारियों को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। 1891 कर्मचारियों को वेतन से वसूली करवाने की सजा दी गई और 1549 कर्मचारियों को अन्य सजाएं दी गई हैं। 1947 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। विभाग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार इन मामलों के बारे में पुलिस एवं सीबीआई को भी सूचित किया गया है।

(ङ) नियमित प्रशासनिक, आंतरिक जांच और नियत अवधि के लेखा परीक्षा निरीक्षणों के अलावा, क्षेत्रीय सर्किल एवं डाक निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय जांच दल डाकघरों का अचानक निरीक्षण कर कदाचार के संबंध में कड़ी सतर्कता रखी जाती है। इसके अलावा, अनेक उपचारात्मक उपाय जैसे (i) भुगतान से पहले जांच के लिए खोई हुई/चोरी हुए नकद पत्रों के बारे में वेब आधारित 'नकारात्मक सूची' की आपूर्ति, (ii) जारी करने वाले डाकघर के अलावा अन्य डाकघर में भुगतान हेतु प्राप्त नकद पत्रों को भुनाने हेतु अनुरोध की जांच करने में प्रशासनिक कार्यालयों को शामिल करना, (iii) 20000 रुपये और उससे अधिक राशि के सभी मामलों में लेखाधारक को भुगतान (एकाउंट पेयी) चैक द्वारा डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) के परिपक्व दावों का भुगतान, (iv) डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) भुगतानों में प्राधिकृत एजेंटों को संदेशवाहक के रूप में प्रतिबंधित करना, (v) एकल डाकघरों में तैनात कर्मचारियों की विशेष निष्ठा जांच और एक ही कार्यालय में आवर्ती अवधियों को प्रतिबंधित करने, अवधियों का कड़ा क्रियान्वयन, (vi) दोषपूर्ण डाकघरों का उस सब डिवीजन के अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा द्वितीय निरीक्षण, (vii) डाकघरों के आंतरिक कार्य क्षेत्रों में प्राधिकृत एजेंटों सहित अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच नियंत्रित करना और पासवर्डों की कड़ी सुरक्षा करके कम्प्यूटर पहुंच को सुदृढ़ करना आदि को पहले ही लागू किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों की राज्यवार संख्या, ऐसे मामलों में खोई राशि और उनमें दोषी पाए गए कर्मियों की संख्या

राज्य का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	इन मामलों में खोई राशि	दोषी पाए गए कर्मियों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	332	35372568.01	552
असम	117	13828933.00	124
बिहार	34	100792237.95	677
छत्तीसगढ़	53	5448840.90	74
दिल्ली	21	29903854.00	135
गुजरात	119	13154251.90	170
हरियाणा	48	3425198.15	154

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	57	1480383.65	80
जम्मू-कश्मीर	22	1667446.00	24
झारखंड	7	621379.25	7
कर्नाटक	500	35865651.70	517
केरल	199	9362131.02	192
महाराष्ट्र	202	10578974.45	268
मध्य प्रदेश	163	20300000.00	325
अरुणाचल प्रदेश	7	1958236.00	92
मणिपुर	7	12510593.00	19
मेघालय	3	395705.00	3
मिजोरम	4	1693307.00	4
नागालैंड	6	1902634.00	15
त्रिपुरा	6	1559197.00	21
उड़ीसा	63	4523360.74	63
पंजाब	87	23800553.91	133
राजस्थान	113	12241913.85	153
तमिलनाडु	617	29218193.87	685
उत्तर प्रदेश	254	183915655.00	659
उत्तराखंड	48	2385573.90	68
पश्चिम बंगाल	99	974300000.00	132
कुल	3188	1532206773.25	5346

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादों का निर्यात

2426. श्री शैलेन्द्र कुमार क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों को किए जाने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई व्यापक अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाड़ी देशों में उक्त उत्पादों की मांग के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त देशों को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) मई, 2007 में मुम्बई में संपन्न तृतीय भारत-खाड़ी सहकारिता परिषद औद्योगिक और निवेश सम्मेलन ने कृषि को भारत और जी.सी.सी. देशों के बीच सहभागिता के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है। अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु संभावना का जायजा लेने तथा कृषि व्यवसाय क्षेत्र में इन देशों से निवेश आकर्षित करने के लिए सितम्बर, 2007 में साउदी अरब, यू.ए.ई. और ओमान का दौरा किया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृषि व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय करने के अलावा प्रिमियम भारतीय उत्पादों के ब्रांड संवर्द्धन की आवश्यकता है। अपेडा ने भारतीय कृषि और प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खाड़ी देशों में चयनित प्रदर्शनियों में भाग लिया। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों में विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना, कृषि निर्यात क्षेत्रों का संवर्द्धन, सूचना का प्रसार, मण्डी विकास और गुणवत्ता विकास हेतु पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना शामिल है।

धारीवाल मिल्स

2427. श्री मोहन सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लाल इमली और धारीवाल मिल्स का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) इस समय ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) की दो ऊनी वस्त्र इकाइयां नामत: कानपुर ऊनी मिल्स अर्थात लाल इमली और न्यू एगर्टन ऊनी वस्त्र मिल्स अर्थात धारीवाल कार्य कर रही हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने दिसम्बर, 2002 में बीआईसी लि. के पुनरुद्धार के लिए एक पुनर्वासन योजना स्वीकृत की थी। तथापि, इसका कार्यान्वयन निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया जा सका। इसके अलावा, इस योजना में निहित तकनीकी, वित्तीय और कानूनी जैसे अनेक कारक इस समयावधि में बदल गए। इनको देखते हुए बीआईएफआर ने 28.11.2005 को अपनी सुनवाई में संशोधित पुनर्वासन योजना (एमआरएस) का प्रारूप प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

बीआईएफआर द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार एमआरएस प्रचालन एजेंसी (ओए) अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा कंपनी के साथ परामर्श कर तैयार की गई थी और इसे विचारार्थ और अनुमोदनार्थ बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में यह योजना बीआईएफआर के विचाराधीन है। एमआरएस का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बीआईएफआर को यथा प्रस्तुत बीआईसी लि. की एमआरएस की प्रमुख विशेषताएं

उक्त एमआरएस में मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रस्तावित हैं:-

(1) 60 करोड़ रु. के परिव्यय से 772 फालतू कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना (वीआरएस)। सरकार अनुदान के रूप में निधियां देगी।

(2) दो वर्षों अर्थात योजना के कार्यान्वयन अवधि के लिए प्रतिवर्ष 25 करोड़ रु. वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी अनुदान।

(3) 19.80 करोड़ रु. की ब्याज वाले सरकारी ऋण को 30.09.2007 अर्थात अंतिम तारीख तक उस पर उपार्जित ब्याज और 37 करोड़ रु. ब्याज मुक्त ऋण को अनुदान में बदलना।

(4) आज की तारीख में देय 2.13 करोड़ रु. गारंटी कमीशन को माफ करना।

(5) लीज होल्ड जमीन को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन हेतु लिए जाने वाले कन्वर्जन शुल्क के भुगतान के लिए 47.35 करोड़ रु. का ब्याज मुक्त सरकारी ऋण।

(6) कंपनी वर्ष 2007-08 और 2008-09 में लगभग 116 करोड़ रु. की मूल्य की इसकी अतिरिक्त परिसंपत्ति बेचेगी।

(7) कंपनी को वर्ष 2011-12 में घाटा उठाने वाली कंपनी से लाभ कमाने वाली कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा। वर्ष 2008-09 में कंपनी की निवल पूंजी सकारात्मक हो जाएगी।

(8) कंपनी ने देशभर में खुदरा बिक्री केंद्र खोलने की योजना बनाई है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के बाद, बीआईसी की दो इकाइयां नामत: कानपुर स्थित लाल ईमली और पंजाब स्थित धारीवाल ऊनी वस्त्र क्षेत्र की सर्वाधिक आधुनिकीकृत इकाइयां बन जाएंगी।

डाक सामग्री की दरों में कमी

2428. श्री संतोष गंगवार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी कोरियर कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही चुनौतियों के मद्देनजर डाक प्रणाली की रक्षा हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीग्राम संबंधी प्रशुल्क, पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र के मूल्य को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी कुरियरों के पंजीकरण की परिकल्पना की है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

(ग) और (घ) फिलहाल टेलीग्राम संबंधी प्रशुल्क, पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र के मूल्य को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बेघर लोगों के लिए खाद्यान्न आधारित योजनाएं

2429. श्री काशीराम राणा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेघर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं के कार्यकरण एवं इनके प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वे स्कीमें निम्नलिखित हैं जो बेघर लोगों को खाद्यान्न प्रदान करती हैं:-

(1) **अंत्योदय अन्न योजना:** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम परिवारों के लिए दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। इन परिवारों को 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3.00 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे वितरण लागत वहन करे और उपर्युक्तानुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए। पहली अप्रैल, 2002 से जारी की जाने वाली मात्रा 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह है।

(2) **छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के आवंटन का 5 प्रतिशत:** छात्रावासों/कल्याण संस्थाओं अर्थात् गैर सरकारी संगठनों/धर्मार्थ संस्थाओं, जो बेघर गरीबों और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा किसी अन्य कल्याण योजना के अधीन कवर न की गई अन्य श्रेणियों की सहायता करती हैं, की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को गरीबी रेखा से नीचे के आवंटन के 5 प्रतिशत के समतुल्य खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का अतिरिक्त आवंटन गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाता है। यह स्कीम 2002-03 में लागू की गई थी।

(3) **अन्नपूर्णा योजना:** 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अधीन वृद्धावस्था पेंशन के लिए यद्यपि पात्र हैं, लेकिन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं,

को कवर किया जाता है और इस स्कीम के अधीन 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दिए जाते हैं। इस स्कीम का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ अंत्योदय अन्न योजना का मूल्यांकन करते समय ओ.आर.जी. मार्ग द्वारा किए गए अध्ययन में इसे कवर किया गया था, अन्य दो स्कीमों के लिए कोई विशिष्ट मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए गए हैं। ओ.आर.जी. मार्ग की रिपोर्ट में उल्लेख है कि अंत्योदय अन्न योजना के 90 प्रतिशत से अधिक परिवार खाद्यान्नों के लिए राशन की दुकानों पर निर्भर थे, अंत्योदय अन्न योजना के लिए निश्चित खाद्यान्न सही थे और निर्धारित निर्गम मूल्यों के अनुसार बेचे जाते थे तथा इस स्कीम के अधीन अंत्योदय अन्न योजना के 85 प्रतिशत परिवारों ने चावल का उठान किया था।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 9 सूत्री कार्ययोजना के भाग के रूप में अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। अन्य दो कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सरकार द्वारा आवधिक रूप से की जाती है।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्ययोजना

(i) जाली राशन कार्डों को समाप्त करने और गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय के केवल पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना।

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का लीकेज मुक्त और विपथन मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना, दोषी व्यक्तियों/एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना–सलाहकार समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि होना, उचित दर दुकानों को पंचायतों द्वारा चलाया जाना और सतर्कता समितियों में पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व होना।

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित दर दुकानों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों का प्रदर्शन किया जाना, उचित दर दुकानों द्वारा अधिसूचित समय का पालन किया जाना।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करना, जनता द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए वेबसाइट पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित दर दुकान-वार और जिला-वार आवंटन प्रदर्शित करना।

(vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर दुकानों के द्वार पर सुपुर्दगी करना।

(vii) उचित दर दुकानों द्वारा खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाना।

(viii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की जटिलताओं के बारे में सतर्कता समितियों को प्रशिक्षण देना।

(ix) उचित दर दुकानों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य दुकान बनाना–उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं की बिक्री आदि करने की अनुमति देना।

[अनुवाद]

लैंसडाऊन छावनी क्षेत्र में पार्किंग स्थल को अन्यत्र ले जाना

2430. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लैंसडाऊन छावनी, उत्तरांचल के सदर बाजार क्षेत्र में पार्किंग उद्देश्य के लिए कुछ विकास कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए सभी प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ निवासियों ने उक्त पार्किंग स्लाट के विरुद्ध याचिका दायर की है तथा इसे अन्यत्र ले जाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो यहां से पार्किंग स्लाट को हटाने के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) वाहनों की भीड़-भाड़ कम करने हेतु वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग स्थान बनाने के लिए लैंसडाऊन-कोटद्वार रोड पर सदर बाजार के पास सड़क के साथ पटरी को चौड़ा करने तथा नाले की मरम्मत करने का कार्य छावनी बोर्ड लैंसडाऊन ने हाल ही में अपने हाथ में लिया था तथा उसे पूरा किया।

(ग) और (घ) यह कार्य सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं जैसे आवश्यक बजट प्रावधान करना, संविदा संबंधी कार्रवाई के बाद छावनी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना, इत्यादि के पश्चात निष्पादित किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) पार्किंग स्थल को कहीं और ले जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है क्योंकि आसपास कोई उपयुक्त वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

ई.पी.एफ. के लंबित मामले

2431. **श्री काशीराम राणा:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में संबंधित विभाग और अधिकरण में राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन लंबित मामलों में भुगतान के लिए रोकी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विलंब के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की भूमिका के बारे में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) उक्त मामलों के तीव्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में उठाए गए कदमों के माध्यम से सरकार को कितनी सफलता हासिल हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत लंबित मामलों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत लम्बित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिकरण के सम्मुख मामलों की संख्या एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस प्रकार के मामलों में राशि का निर्धारण अधिनियम की धारा 7क और 14ख के अंतर्गत मामलों का समापन होने पर ही किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) लम्बित मामलों की प्रगति का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है। मामलों के तत्काल निपटान के लिए स्थाई वकीलों पर जोर डाला गया है और तदनुसार न्यायालयों से भी प्रार्थना की गई है। न्यायालय उनके समक्ष दायर मामलों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान करते हैं।

विवरण I

31.03.2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत आकलन मामले

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	लंबित मामले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1376
2.	बिहार	979
3.	छत्तीसगढ़	233
4.	दिल्ली	596
5.	गोवा	67
6.	गुजरात	1038
7.	हरियाणा	794

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	147
9.	झारखंड	365
10.	कर्नाटक	1120
11.	केरल	1308
12.	मध्य प्रदेश	658
13.	महाराष्ट्र	2745
14.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	203
15.	उड़ीसा	624
16.	पंजाब	1133
17.	राजस्थान	510
18.	तमिलनाडु	1347
19.	उत्तर प्रदेश	1669
20.	उत्तरांचल	234
21.	पश्चिम बंगाल	1650
	कुल	18796

विवरण II

31.03.2007 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत आकलन मामले

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	लंबित मामले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	809
2.	बिहार	272
3.	छत्तीसगढ़	103
4.	दिल्ली	781
5.	गोवा	97
6.	गुजरात	962
7.	हरियाणा	313
8.	हिमाचल प्रदेश	16
9.	झारखंड	241
10.	कर्नाटक	551
11.	केरल	23
12.	मध्य प्रदेश	193
13.	महाराष्ट्र	2581
14.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	72
15.	उड़ीसा	354
16.	पंजाब	1200
17.	राजस्थान	231
18.	तमिलनाडु	53
19.	उत्तर प्रदेश	566
20.	उत्तरांचल	8
21.	पश्चिम बंगाल	294
	कुल	9720

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति आय निर्धारित करने के लिए मापदंड

2432. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारी की आय निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड बनाया गया है;

(ख) क्या उक्त मापदंड के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा ली जा रही परिलब्धियां उक्त कर्मचारियों के लिए एक भारी नुकसान के रूप में नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उक्त मापदंड में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) मासिक सदस्य पेंशन का निर्धारण करने के लिए, पिछले 12 महीनों के वेतन की औसत, जिस पर पेंशन निधि के अंशदान की अदायगी की गई हो या देय हो, को गणना में लिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

वस्त्र कामगारों का पुनर्वास एवं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा

2433. श्री के.एस. राव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वस्त्र कामगारों के पुनर्वास एवं स्वास्थ्य बीमा के संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अव्यावहारिक एवं कामगार-विरोधी प्रावधानों को दूर कर उक्त योजना के लिए अर्हता मानदंड में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें प्राप्त हुई हैं:-

(क) वस्त्र कामगारों के पुनर्वासन के संबंध में:-

(i) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) के तहत मजदूरी की अधिकतम सीमा को हटाना; और

(ii) सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के वस्त्र मिलों के उन कामगारों जो सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के तहत शामिल नहीं हैं, को भी टीडब्ल्यूआरएफएस के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

सरकार ने यह पाया है कि पर्याप्त बजटीय सहायता के बिना मजदूरी की अधिकतम सीमा के मापदंड को हटाना वस्त्र कामगारों के लक्षित समूह के लिए उत्पादकरोधी सिद्ध होगा। जहां तक सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के वस्त्र मिलों के उन कामगार जो सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के तहत शामिल नहीं हैं, का संबंध है, वह संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(ख) वस्त्र कामगारों के स्वास्थ्य बीमा के संबंध में-

(iii) स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15,000/- प्रति परिवार की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर सामान्य चिकित्सा सुविधाओं के तहत कम से कम, 1,50,000/- प्रति वर्ष/परिवार करना।

(iv) कैंसर, बायपास सर्जरी, ब्रेनसर्जरी इत्यादि जैसी गंभीर बीमारी को भी इस योजना के तहत लाया जाना चाहिए। तथापि 1,50,000 रु. प्रति वर्ष की प्रस्तावित अधिकतम सीमा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना एवं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के संघटकों के साथ हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना अनुमोदित की गई है। सिफारिशों को लागू करने तथा जहां तक संभव हो, लाभों में बढ़ोतरी करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत, प्रीमियम की उसी (वर्तमान) दर पर, लाभों में निम्नानुसार पर्याप्त बढ़ोतरी कर दी गई है-

क्र.सं.	पहले के लाभ	01.10.2007 से लाभ
(i) स्वाभाविक मृत्यु	50,000/ रु.	60,000/- रु.
(ii) आकस्मिक मृत्यु	80,000/- रु.	1,50,000/- रु.
(iii) पूर्ण अपंगता	50,000/- रु.	1,50,000/- रु.
(iv) आंशिक अपंगता	25,000/- रु.	75,000/- रु.

यदि मौजूदा लाभों के साथ गंभीर बीमारी के लाभों को भी योजना में शामिल किया जाता है, तो प्रीमियम की राशि को 4 रु. प्रति हजार (अर्थात लगभग 400 रु. प्रति एक लाख) बढ़ाना होगा जिससे प्रीमियम की वर्तमान दर में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाएगी और इस प्रकार बुनकरों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

(ग) और (घ) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पात्रता मानदंड न तो अव्यावहरिक हैं और न ही कामगारों के प्रतिकूल।

स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड कार्यान्वयनाधीन है और इस क्षेत्र में कामगारों के लिए कल्याण योजना के भाग के रूप में इसे संशोधित किया गया है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है–

(i) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल हथकरघा बुनकर, स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआरईएस) के लाभ के लिए पात्र थे। तथापि, 11वीं योजना के दौरान अन्य हथकरघा बुनकरों के अतिरिक्त अनुषंगी हथकरघा कामगारों अर्थात वार्पिंग, वाइडिंग, रंजन, मुद्रण, फिनिशिंग, साइजिंग, झाला बनने वाले जैक्वार्ड कटिंग इत्यादि में लगे कामगारों को शामिल करने के लिए इस योजना के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है।

(ii) इस योजना से हथकरघा बुनकरों एवं अनुषंगी बुनकरों तथा पति-पत्नी और 2 बच्चों सहित उनके परिवार के 4 सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।

(iii) दोनों योजनाओं अर्थात स्वास्थ्य बीमा योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनकरों को शामिल करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की गई हैं।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि पात्र महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को भी इन योजनाओं का लाभ मिले।

(v) इस योजना के तहत 80 वर्ष तक की आयु के बुनकर शामिल होंगे।

(vi) राज्य हथकरघा विकास निगमों/शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के बुनकरों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। सरकारी समितियों के बाहर के बुनकरों को भी इस योजना के तहत राज्य हथकरघा निदेशालय से यह प्रमाण-पत्र मिलने के बाद कि वे पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशों में अधिकारियों को प्रशिक्षण

2434. श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र (एनआईसी) की भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजने से संबंधित कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य स्तर के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा देश के जिला प्रशासनों को इन्टरनेट, ई-मेल, फाइल अन्तरण, डेटा बेस विकास, ई-शासन अनुप्रयोग विकास, कार्यालय स्वचालन, क्षमता निर्माण, परामर्श सेवा, होस्टिंग तथा डेटाबेस अभिगम के लिए बैकबोन ई-शासन नेटवर्क (निकनेट) तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। उपर्युक्त सेवा प्रदान करने के लिए एनआईसी के तकनीकी कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि साइबर सुरक्षा, डेटा संचार, डेटा भण्डारण, वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि में तेजी से हो रहे विकास कार्यों की जानकारी रखना पड़ता है। तदनुसार एनआईसी अपने विभिन्न स्तर के अधिकारियों को एनआईसी की प्राथमिकताओं के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों में तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली भावी प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजता है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे गए मध्यम स्तर के अधिकारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के मध्यम स्तर के अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं कर्मचारी कोड	पदनाम	तैनाती का स्थान	दौरा करने का स्थान एवं दौरे की अवधि	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सीमा खन्ना (5051)	वैज्ञानिक-डी	नई दिल्ली	पिट्सबर्ग, यू.एस.ए. (09/07/06 से 26/07/06)	सूचना सुरक्षा शिक्षण एवं जागरूकता (आईएसईए) परियोजना के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों के लिए कार्नेगी मेलान विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना
2.	श्री श्याम सुन्दर (4283)	वैज्ञानिक-डी	नई दिल्ली	सिंगापुर (24/07/06 से 04/08/06)	मेसर्स हिताची डेटा सिस्टम्स, सिंगापुर में उद्यम श्रेणी भण्डारण प्रणालियों में दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना
3.	श्री अनिल राठोर (4641)	वैज्ञानिक-सी	नई दिल्ली	सिंगापुर	-यथोपरि-
4.	श्री आर. श्रीराम (421)	वैज्ञानिक-डी	नई दिल्ली	सिंगापुर (22/08/06 से 04/09/06)	सिंगापुर सहयोग प्रशिक्षण अवार्ड-सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध में भाग लेना
5.	श्री राजेश मिश्र (3669)	वैज्ञानिक-डी	नई दिल्ली	पिट्सबर्ग, यू.एस.ए. (02/10/06 से 18/10/06)	सूचना सुरक्षा शिक्षण एवं जागरूकता (आईएसईए) परियोजना के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों के लिए कार्नेगी मेलान विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना
6.	श्री अनिल कुमार झा (457)	वैज्ञानिक-सी	नई दिल्ली	-यथोपरि-	-यथोपरि-
7.	श्री टी. पेचिमुतु (4623)	वैज्ञानिक-सी	नई दिल्ली	सिडनी एवं सिंगापुर (09/10/06 से 17/11/06)	आईबीएम तकनीकी प्रशिक्षण में भाग लेना तथा मिशन क्रिटिकल एआरपी में भाग लेना
8.	श्रीमती सीमा खन्ना (5051)	वैज्ञानिकी-डी	नई दिल्ली	कैलीफोर्निया, यूएसए (18/11/06 से 25/11/06)	वायरस निरोधी तथा स्पैन निरोध तकनीकों के नियोजन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना

1	2	3	4	5	6
9.	श्री अनिल चौधुरी (4047)	वैज्ञानिक-डी	नई दिल्ली	जापान (19/08/07 से 01/09/07)	जेटीईसी द्वारा आयोजित "आपात कालीन नेटवर्क कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी" पर पाठ्यक्रम में भाग लेना
10.	श्री दयानन्द साहा (4287)	वैज्ञानिक-डी	नई दिल्ली	एथरा, इटली (28/11/07) से (02/12/07)	एम्पेनिल्ड सिस्टम्स पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना
	श्री के.पी.सरन (0889)	वैज्ञानिक-डी			
	श्री जे.एल. रवीन्द्रन (3778)	वैज्ञानिक-डी			

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग में भर्ती पर रोक

2435. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग में नई भर्ती पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभाग में सर्किल-वार कितने पद रिक्त हैं तथा कब से रिक्त हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) नामक दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नई भर्ती के संबंध में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अपने नीतिगत निर्णय होते हैं।

संस्थाओं के आम बजट का अनुमोदन

2436. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत केन्द्रीय भंडार और कुछ अन्य संस्थाएं अपने वार्षिक बजट को सामान्य निकाय से अनुमोदित कराने में असमर्थ रही, जो इस कथित अधिनियम की नियमावली का उल्लंघन है क्योंकि ऐसा अनुमोदन आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं ऐसी संस्थाओं के प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने निदेशक मंडल/कार्यकारी समिति को बजट का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत करने के लिए कथित नियम का कोई अपवाद बनाया है अथवा बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बहुराज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 39 की उप-धारा (1) (छ) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक बहुराज्यीय सहकारी समिति का बोर्ड सहकारिता वर्ष की समाप्ति के छह महीनों के भीतर सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक बुलाएगा ताकि अन्य बातों के साथ-साथ समिति का वार्षिक बजट अनुमोदित किया जा सके। केन्द्रीय भण्डार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय भण्डार के वार्षिक बजटों को वर्ष 2002-2003 और उसके बाद से उनके सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, जिसका कारण केन्द्रीय भण्डार की उप-विधि सं॰ 22(आर) का उपबंध है, जो यह प्रावधान करता है कि बोर्ड समिति के वार्षिक और पूरक

बजट को अनुमोदित करने के लिए अधिकारों का प्रयोग करेगा। तथापि, केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि वर्ष 2002-2003 से उनके सामान्य निकाय द्वारा केन्द्रीय भण्डार की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित रिपोर्ट और लेखों के परीक्षित विवरण अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 30.9.2007 को आयोजित केन्द्रीय भण्डार के सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक के निर्णय के अनुसार वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय भण्डार के वार्षिक बजट को मई, 2008 के दौरान उसके सामान्य निकाय के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्रीय भण्डार सहित सभी बहुराज्यीय सहकारी समितियों को एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 39(1)(छ) के प्रावधानों का सख्त अनुपालन करने की सलाह दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने से इथानाल का उत्पादन

2437. श्री के.एस. राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान इथानाल की अनुमानित मांग और उत्पादन कितना होगा;

(ख) क्या सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 में परिवर्तन करने हेतु कदम उठाए हैं ताकि गन्ने से सीधे इथानाल का उत्पादन करने की अनुमति दी जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 2007-08 के दौरान 5% इथानाल का मिश्रण और 1.10.2008 से 10% इथानाल का मिश्रण मानते हुए अगले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान इथानाल की मांग लगभग 3.0 मिलियन किलो लिटर होगी।

भारत में इथानाल का उत्पादन मूल रूप से गन्ने से उत्पादित शीरे से होता है। अत: इथानाल का उत्पादन गन्ने के उत्पादन और पेराई पर निर्भर होता है। 2007-08 के दौरान गन्ने के उत्पादन के लिए उपलब्ध अनुमान 345.6 मिलियन टन है जिससे शीरे से चीनी उद्योग द्वारा किए जाने वाले रेक्टिफाइड स्प्रिट/एल्कोहल/इथानाल का उत्पादन 2.6 मिलियन किलो लीटर होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) और (ग) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने के रस से सीधे इथानाल का उत्पादन करने की अनुमति को मंजूरी दे दी है। तद्नुसार ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया जा रहा है और 3 माह के अंदर इस प्रक्रिया के पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

बीएसएनएल में हड़ताल

2438. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के कर्मचारियों ने जुलाई, 2007 में एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों के हड़ताल करने के उद्देश्यों और मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई घोषणा की है या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड की यूनियनों और गैर-कार्यपालक व कार्यपालक संघों के संयुक्त फोरम ने 11 जुलाई, 2007 को एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया था।

(ग) संयुक्त फोरम ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए 45.5 मिलियन जीएसएम लाइनों (2जी + 3जी) के क्रयादेश जारी न करने के विरोध में हड़ताल की घोषणा की थी।

(घ) और (ङ) संयुक्त फोरम के साथ हुए समझौते के अनुसार जीएसएम लाइनों (2जी + 3जी) के क्रयादेशों के लिए क्रियाविधि को अंतिम रूप दे दिया गया था और अग्रिम क्रयादेश जारी कर दिए गए थे।

श्रम न्यायालय और अधिकरण

2439. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में राज्य-वार कितने श्रम न्यायालय और अधिकरण काम कर रहे हैं;

(ख) क्या आज की तारीख के अनुसार न्यायालयों में काफी मामले दस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार एक समुचित सरकार औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकती है। केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पन्न औद्योगिक विवादों के संबंध में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी-सह-एलसी) का गठन करने के लिए समुचित सरकार है। सभी राज्यों के राज्य श्रम न्यायालयों का विवरण केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता। देश के विभिन्न भागों में 22 सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय हैं। संबंधित सीजीआईटी सह-श्रम न्यायालयों में दस वर्षों से अधिक लंबित मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच नए सीजीआईटी स्थापित किए गए हैं, जिससे सीजीआईटी की संख्या 17 से बढ़कर 22 हो गई है। 'वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालत का आयोजन' नामक एक नई प्लान स्कीम भी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अधिक संख्या में मामलों का निपटान किया जा रहा है। साथ ही, अपने अधिकारों के संबंध में कामगारों की जागरूकता में वृद्धि हुई है।

विवरण

क्र.सं.	सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय का नाम	10 वर्षों से अधिक लंबित	
		मामले*	अभ्यावेदन*
1	2	3	4
1.	मुम्बई I	9	4
2.	मुम्बई II	3	1
3.	धनबाद I	560	0
4.	धनबाद II	46	5
5.	आसनसोल	78	9
6.	कोलकाता	24	75
7.	चंडीगढ़ I	736	97
8.	नई दिल्ली I	99	0
9.	कानपुर	13	2
10.	जबलपुर	468	227
11.	चेन्नई	0	0
12.	बंगलौर	12	1
13.	हैदराबाद	0	0
14.	नागपुर	0	0
15.	भुवनेश्वर	0	0
16.	लखनऊ	0	0
17.	जयपुर	0	0
18.	नई दिल्ली II	0	0
19.	गुवाहाटी	0	0
20.	एर्नाकुलम	0	0
21.	अहमदाबाद	192	171
22.	चंडीगढ़ II	0	0
	कुल	2240	592

मामले*: मामले वे हैं जो क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के.) या सहायक श्रमायुक्तों (के.) द्वारा की गई सुलह कार्रवाई असफल होने पर न्यायनिर्णय हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अंतर्गत सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों को भेजे जाते हैं।

अभ्यावेदन**: अभ्यावेदन वे हैं जो सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-क और 33-ग के अंतर्गत कामगारों द्वारा सीधे दायर किए जाते हैं।

मध्याह्न् 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 7555/2007]

(ख) (एक) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी 7556/2007]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए एल.टी. संख्या 7557/2007]

(घ) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए एल.टी. संख्या 7558/2007]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7559/2007]

(च) (एक) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7560/2007]

(2) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन छावनी निर्वाचक नियम, 2007 जो 21 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 5 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7561/2007]

(4) छावनी बोर्डों के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7562/2007]

(5) (एक) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[मंत्रालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7563/2007]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय, मैं श्री शंकर सिंह वाघेला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[मंत्रालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7564/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री सैफुद्दीन सोज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वाटर एण्ड पावर कंसलटेन्सी (इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसलटेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7565/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री सैफुद्दीन सोज की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जेनेवा में जून, 2006 में हुए अपने 95वें सत्र में स्वीकृत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संवर्धनात्मक ढांचा से संबंधित अभिसमय सं. 187 और सिफारिश 197 के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7566/2007]

(2) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7567/2007]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. शकील अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) टेलीकाम रेग्युलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेलीकाम रेग्युलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7568/2007]

(2) आईटीआई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7569/2007]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7570/2007]

(4) (एक) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7571/2007]

(5) (एक) सोसायटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएएमएमईआर), मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएएमएमईआर), मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7572/2007]

(6) (एक) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7573/2007]

(7) (एक) सेन्टर फार मैटेरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलोजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार मैटेरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7574/2007]

(8) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7575/2007]

(9) (एक) एरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7576/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री कांति लाल भूरिया की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7577/2007]

(2) खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ सं॰ 505 (अ) जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित मशीनों को खतरनाक मशीन के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी खरतनाक मशीन (विनियमन) नियम, 2007 जो 25 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 506 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7578/2007]

(5) (एक) प्रोटेक्शन आफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रोटेक्शन आफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7579/2007]

(6) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत फलों और सब्जियों के श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2007 जो 12 अगस्त, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 171 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7580/2007]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7581/2007]

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये।। देखिए संख्या एल.टी. 7582/2007]

(9) (एक) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7583/2007]

(10) (एक) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7584/2007]

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7585/2007]

(ख) (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7586/2007]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं!

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) संशोधन विनियमन, 2007 जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 690 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग के लिए भर्ती) संशोधन विनियमन, 2007, जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 718 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) (संशोधन) विनियमन, 2007 जो 6 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7587/2007]

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विनियमन, 2007, जो 24 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विनियमन, 2007, जो 24 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड निधि, लेखाओं और बजट का प्रबंधन (संशोधन) विनियमन, 2007 जो 5 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7588/2007]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र संभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वूल एण्ड वूलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वूलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7589/2007]

(2) (एक) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7590/2007]

(3) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7591/2007]

(5) (एक) बाम्बे टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाम्बे टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7592/2007]

(6) (एक) साऊथ इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7593/2007]

(7) (एक) टेक्सटाईल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाईल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7594/2007]

(8) (एक) एप्पेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एप्पेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7595/2007]

(9) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7596/2007]

(10) (एक) काटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7597/2007]

(11) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2007 जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 632(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7598/2007]

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7599/2007]

(13) (एक) नेशनल सेन्टर फार जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7600/2007]

(15) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7601/2007]

(16) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीटयूट आफ टेक्सटाईल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीटयूट आफ टेक्सटाईल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7602/2007]

(17) (एक) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7603/2007]

(18) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7604/2007]

(19) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7605/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री जय प्रकाश नारायण की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7606/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं डा. अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 699(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 697(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7607/2007]

(2) (एक) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7608/2007]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 4) विधेयक 2007 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 नवम्बर 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 5) विधेयक 2007 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 नवम्बर 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्याक 4 विधेयक, 2007 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 नवम्बर 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.03¼ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं "गेल (इंडिया) लिमिटेड–एक व्यापक जांच" संबंधी 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं "असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकता उत्तर-पश्चिम): महोदय, मैं निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2006-2007)' के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 18वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगे (2006-2007)' के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 19वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.05 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

बसवां, ग्यारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम्): महोदय, मैं समिति के निम्नलिखित के अध्याय 1 और अध्याय 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण' के छठे प्रतिवेदन। (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(2) 'कोल बेड मीथेन सहित तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाना' के बारे में 7वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(3) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2007-2007)' के बारे में 9वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.05½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं 'विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना' विषय पर समिति के छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2007-2008) का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं यह वक्तव्य 1 सितम्बर, 2006 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73(क) के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) संबंधी स्थायी समिति की 19वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की 19वीं रिपोर्ट में निहित सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में 29 सिफारिशें हैं। इन सिफारिशों की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई है। सभी 29 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन पर की गई कार्रवाई दर्शाई गई है।

की गई कार्रवाई संबंधी जवाब 26.7.2007 को लोक सभा को भेज दिया गया है।

अपराह्न 12.06¼ बजे

(दो) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7609/2007।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7610/2007।

अपराह्न 12.06½ बजे

(तीन) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थायी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06¾ बजे

(चार) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के इक्तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं सूचना, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संचार प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थायी समिति के इक्तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

(पाँच) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7611/2007।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7612/2007।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7613/2007।

(2007-2008) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थायी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07½ बजे

(छह) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थायी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

(सात) रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी दिशा-निर्देश 73ए के अनुसरण में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 27वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह बयान देता हूं।

"2007-08 के लिए अनुदान की मांगों" पर समिति की 27वीं रिपोर्ट लोक सभा में 26.4.2007 को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 18 सिफारिशें थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समिति के समक्ष 25.10.2007 (अंग्रेजी और हिंदी पाठ) को प्रस्तुत कर दिया गया था।

रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों का सार दर्शाने वाला विवरण और उनकी कार्यान्वयन स्थिति संलग्न है। चूंकि विवरण काफी विस्तृत है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7614/2007।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7615/2007।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 21—ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदय मैंने विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी पूर्व सूचना दी हुई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे 29 नवम्बर 2007 को सभा में मेरी टिप्पणी के विरुद्ध शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय माकन के अनधिकृत रूप से प्रेस में जाने के प्रति 1 दिसम्बर 2007 के विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी आपकी सूचना मिली है। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, आपका धन्यवाद।

अपराह्न 12.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

24 नवम्बर, 2007 को आल आदिवासी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन आफ असम (एएएसएए) द्वारा प्रदर्शन के दौरान और तत्पश्चात् हुई हिंसा से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण—मद संख्या 21 पर चर्चा करेंगे।

क्या मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें, धैर्य रखें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमने पूर्व सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7616/2007।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल के पश्चात इस मामले को उठाने की मांग की गई थी तथा अनेक माननीय सदस्यों ने पूर्व सूचनाएं दी थीं। मैंने देखा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि सभा के सभी पक्ष उद्वेलित थे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदलने के मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उनके सहयोग के लिए मैं उनका आभारी हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अजय चक्रवर्ती मैंने अभी आपका नाम नहीं पुकारा है।

जैसा कि मैंने आश्वासन दिया था, मैं उस दिन पूर्व सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को अवसर देने का प्रयास तो करूंगा ही कुछ अन्य सदस्यों को भी अवसर देने का प्रयास करूंगा। परन्तु मैं सभा के सभी पक्षों से अपील करता हूं कि कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें तथा यथाशीघ्र इसे समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं गृह मंत्री जी का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें:

"24 नवम्बर, 2007 को आल आदिवासी स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन आफ असम (एएएसएए) द्वारा प्रदर्शन के दौरान और तत्पश्चात् हुई हिंसा से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैंने पहले इस माननीय सभा में 27 नवम्बर, 2007 को इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित था। उस वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है। मैं सभा का ध्यान उस समय से अब तक के घटनाक्रम की ओर दिलाना चाहूंगा।

असम सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के तहत अखिल असम आदिवासी छात्र संघ द्वारा जुलूस निकाले जाने के परिणामस्वरूप झड़पों की घटना की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.के. मणिसेना सिंह की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा आदिवासी लड़की की बेइज्जती करने के लिए उनके विरुद्ध अलग मामला दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने उस आदिवासी लड़की, जिसकी बेइज्जती की गई थी, को एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया है। मुझे असम के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि असम सरकार ने उस लड़की की जीवन भर की शिक्षा का खर्च उठाने का निर्णय लिया है तथा उसके बाद वह उसे रोजगार भी प्रदान करेगी।

गुवाहाटी सिटी के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है। बाशिष्ठा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है तथा कर्तव्य में लापरवाही के लिए एक उप-निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। घटना में घायल कुल 242 व्यक्तियों में से इस समय 123 व्यक्तियों का गुवाहाटी मेडिकल कालेज में उपचार किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा मुझे यह बताया गया है कि इस उपचार का समस्त खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

राज्य सरकार ने सभी जिलों, जहां आदिवासी और गैर-आदिवासियों की मिली जुली जनसंख्या है, के जिला प्रशासन को सचेत किया है कि उपचारात्मक तथा पूर्वोपाय किए जाएं, ताकि राज्य में जातीय हिंसा न हो। आदिवासी तथा गैर-आदिवासी वाली मिलीजुली जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सचल गश्त बढ़ा दी गई है तथा यह निर्देश दिया गया है कि शरारती तत्वों तथा निहित स्वार्थ वाले समूहों, जो स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, पर नजर रखी जाए। शांति और सौहार्द कायम रखने हेतु सभी जिलों में शांति समितियों को सक्रिय किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है।

गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि समुचित उपाय किए जाएं, जिससे कि शांति तथा सामान्य स्थिति का माहौल बहाल किया जा सके। स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: हां, मुझे पता है कि आपने तत्काल कदम उठाए और स्वत: वक्तव्य दिया था परन्तु मैंने इस मुद्दे पर सभी पक्षों द्वारा व्यक्त भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है।

श्री अजय चक्रवर्ती

श्री अजय चक्रवर्ती: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपनी ओर से तथा अपने सभी साथियों की ओर से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति देने के लिए आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, सात राज्यों में से असम सबसे बड़ा राज्य है। असम उग्रवाद सहित अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। असम में आदिवासियों और उग्रवादियों द्वारा लंबे समय से शांति भंग की जा रही है।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

24 नवम्बर, 2007 से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम सब को पता है कि हजारों-हजार आदिवासियों-उनमें से अधिकांश चाय बागानों में मजदूर हैं तथा कुछ छात्रों ने भी अपनी उचित मांगों को पूरा करवाने के लिए गुवाहाटी शहर में प्रदर्शन किया था। इसी बीच स्थिति विस्फोटक हो गई। दो समूहों में संघर्ष हो गया था। इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा समाचार-पत्रों में इस बारे में समाचार प्रसारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि 20 से अधिक लोग चोट लगने के कारण मारे गए थे। तथापि, माननीय गृह मंत्री ने स्वत: दिए गए एक वक्तव्य में बताया कि मात्र एक व्यक्ति की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। हम मंत्री जी के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं। यही नहीं, गुवाहाटी, जो हमारे देश के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, की सड़कों पर एक दुखद, अप्रिय और शर्मनाक घटना घटी। एक आदिवासी लड़की के साथ छेड़-छाड़ की गई तथा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा डर के मारे वह नग्न दौड़ती रही।

अध्यक्ष महोदय: हमें इस घटना का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह कुल मिलाकर देश के लिए अच्छी बात नहीं है।

श्री अजय चक्रवर्ती: जी हां, कुल मिलाकर यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तत्पश्चात्, अखिल असम आदिवासी छात्र संघ ने समूचे असम में 36 घंटे के बन्द का आह्वान किया था। स्थिति अशांत और गंभीर हो गई। एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई तथा कई अन्य भी घायल हो गए थे। असम में दो समुदायों के लोगों के बीच मतभेद हैं। हमें दल-गत राजनीति से ऊपर उठकर शांति और भाईचारा कायम करने हेतु राज्य सरकार तथा भारत सरकार की सहायता हेतु अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। देश की एकता के लिए हम सब को मिल कर काम करना चाहिए और देश की संप्रभुता तथा एकता को बनाए रखना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 24 नवम्बर की घटना में मात्र एक व्यक्ति की घायल होने से मौत हो गई। परन्तु वास्तव में 20 से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार है। सच्चाई क्या है? एक व्यक्ति की मौत हुई थी या 20 से अधिक व्यक्तियों की? दूसरी बात यह है कि असम में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की आदिवासियों की मांग को देखते हुए क्या भारत सरकार असम राज्य सरकार को उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के निर्देश देगी? तीसरी बात यह है कि क्या माननीय गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्रालय के किसी उच्च अधिकारी ने असम जाकर वहां शांति और भाईचारा कायम करने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ इस स्थिति पर चर्चा की है? क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या इस घटना के पीछे किसी उग्रवादी समूह या किसी निहित समूह का हाथ था? मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या एक लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान से किसी महिला की खोई हुई इज्जत वापस आ सकेगी?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): श्री अजय चक्रवर्ती जी, आपकी डिमांड क्या है, वह बताइए?

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: प्रश्न एक लाख या दस लाख रुपये का नहीं है। प्रश्न यह है कि देश में इस प्रकार की शर्मनाक घटना हुई है, जिसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: अन्य माननीय सदस्यों की बातों में न आएं।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** (कोकराझार): महोदय, असम के बेलटोला, गुवाहाटी में 24 नवम्बर, 2007 को ए.ए.ए. एस.ए. द्वारा प्रदर्शन के दौरान तथा उसके पश्चात हुई हिंसा से उत्पन्न अस्थिरता की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बोलने का यह अवसर देने हेतु मैं आपका आभारी हूं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि 24 नवम्बर को अखिल भारतीय आदिवासी छात्र संघ के कुछ प्रदर्शनकारियों ने गुवाहाटी के बेलटोला में तोड़-फोड़ तथा हिंसा की, जिसके परिणामस्वरूप जवाबी हमले में उनकी पिटाई की गई तथा बेरहमी से यातना दी गई। यहां तक कि एक लड़की को निर्वस्त्र कर दिया गया था। मैं इस घटना की निंदा करता हूं, जिससे न केवल असम बल्कि हमारे समूचे देश की छवि धूमिल हुई है।

अध्यक्ष महोदय: यह सब बातें रिकार्ड में हैं। कृपया प्रश्न से संबंधित अपना स्पष्टकीरण पूछिए।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** 28 नवम्बर, 2007 को कोकराझार जिले में सिलीगुड़ी से बासुमांव की ओर जा रही एक बंगाली बारात पर कुछ आदिवासी उग्रवादियों द्वारा हमला किया गया था। आतंकवादियों ने बस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस घटना में नव विवाहिता दम्पत्ति बुरी तरह झुलस गए थे और उन्हें कोकराझार शहर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बस का चालक श्री खानदान बासुमटारी बुरी तरह घायल हो गया तथा अभी भी कोकराझार अस्पताल में जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है। महोदय, मैं आपको घायल व्यक्तियों की तस्वीर दिखा रहा हूं। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। *...(व्यवधान)*

---

*मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कल मैं गुवाहाटी में बेलटोला गया था, जहां यह घटना हुई थी। उस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि असम सरकार का यह कहना कि उन्हें अखिल असम आदिवासी छात्र संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली की जानकारी न होने की बात आश्चर्यजनक है। लोगों ने मुझे यह बताया कि....

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप न लगाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसे मामले उठाने की अनुमति देने का यही परिणाम होता है।

...(व्यवधान)

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** 24 नवम्बर को एक विधायक दक्षिण बेलटोला उच्च विद्यालय गया तथा वहां के प्रधानाचार्य को रैली की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। परन्तु प्रधानाचार्य ने आरंभ में अनुमति नहीं दी। इस संबंध में मंत्री का भी नाम आया था। यदि सत्तारुढ़ दल का एक विधायक रैली आयोजित करने की अनुमति मांग रहा था तथा एक मंत्री भी उसमें शामिल था तथा यदि कुछ पुलिस वाले तथा एक मजिस्ट्रेट भी वहां उपस्थित थे, तो अक्षम सरकार यह कैसे कह सकती है कि उन्हें वहां रैली आयोजित होने की जानकारी नहीं थी। अत:, मैं इस बारे में उचित कदम उठाने हेतु माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, यह बात अति निंदनीय है कि असम के जनजातीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सरकार छह जातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रयास कर रही है। सरकार से मेरी यह अपील है कि जब तक स्थानीय जनजातीय लोगों की भारत सरकार तथा असम सरकार के साथ सहमति नहीं हो जाती, तब तक इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के विषय पर असम के जनजातीय लोगों पर कोई भी निर्णय न थोपा जाए। वर्ष 2002 में जब राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति सूची संशोधित की गई थी तब असम में पांच नई जनजातियां भी सूची में शामिल की गईं थीं। परन्तु, इसी अनुपात में जनजातियों के कोटे में वृद्धि नहीं की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी दो सौ नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था परन्तु उनका आरक्षण अभी भी 7.5 प्रतिशत ही है।

अध्यक्ष महोदय: यह असम विधान सभा नहीं है। सभा में ऐसे विस्तृत मामले को उठाने की मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

*मूलत: असमी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? आपको अध्यक्षपीठ की बात भी सुननी होगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: इस समय असम में चौदह अनुसूचित जनजातियां हैं। *...(व्यवधान)* इसके बावजूद भी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा मात्र 10 प्रतिशत है। जिसे अनुसूचित जनजातियों की संख्या में वृद्धि होने के बाद बढ़ाया जाना चाहिए था। *...(व्यवधान)* अमेरिका में वर्तमान में भी संघीय सरकार के अधिकारियों द्वारा 350 जनजातियों को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में असम की वर्तमान मूल जनजातियों पर उनके पारंपरिक अधिकारों की कीमत पर असम के अन्य समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाने का एक तरफा निर्णय नहीं थोपा जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कीरेन रिजीजू जी सिर्फ एक प्रश्न पूछिए। मेरे पास अनेक नाम हैं। यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार तथा गृह मंत्री जी से भी ऐसी ही भावना की आशा की जाती है। हालांकि पिछले महीने की 27 तारीख को उनका वक्तव्य देर से आया था। फिर भी मैं उस का स्वागत करता हूं।

माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी का ब्यौरा दिया है, मैं उनका प्रतिवाद नहीं करता हूं। सिवाय इस बात के कि जब अखिल असम आदिवासी छात्र संघ ने 24 नवम्बर, 2007 को बेलटोला, गुवाहाटी में समावेश रैली आयोजित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया था, तब इसकी अनुमति नहीं दी गई। यदि रैली आयोजन की अनुमति नहीं दी गई, तो वहां मात्र चार पुलिस के सिपाही और एक सहायक उप-निरीक्षक ही क्यों थे?

अध्यक्ष महोदय: ये मामले राज्य प्रशासन से संबंधित हैं। चूंकि कतिपय मुद्दे जुड़े हुए थे, अत: माननीय गृह मंत्री जी ने सभा द्वारा व्यक्त भावना को देखते हुए यहां आकर स्वत: वक्तव्य दिया। मैंने कहा कि मैं इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित कर दूंगा ताकि आप कुछ प्रश्न पूछ सकें तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें। नियम यह है।

श्री कीरेन रिजीजू: मेरा प्रश्न केन्द्र सरकार से ही संबंधित होगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे कीजिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत ही स्पष्ट व्यक्ति हैं। कृपया इसे कीजिए।

श्री कीरेन रिजीजू: धन्यवाद। जुलूस के विधायक हास्टल के गेट के पास पहुंचते ही समस्या पैदा हुई। माननीय गृह मंत्री से मेरा यही प्रश्न है। गुवाहाटी एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, इस बात को सभी जानते हैं। यह असम की राजधानी है और यह माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। पस्सें राज्य के मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया। ...*(व्यवधान)*

जी हां, पूरा असम प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: हर बात में राजनीति जरूरी नहीं है।

श्री कीरेन रिजीजू: मुख्य मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार की ओर से लापरवाही हो रही है, भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री ने लिखित में गलती को स्वीकार किया है। जैसा कि माननीय गृहमंत्री ने कहा अब राज्य सरकार ने एक न्यायिक जांच बैठाने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग की थी। इससे इस बात का पता चल पायेगा कि 24 तारीख की घटना के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। लेकिन राजनीतिक कार्रवाई क्या होगी? कहीं न कहीं हमें नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

महोदया सोनिया गांधी जी यहां उपस्थित हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कृपया अपने नेतृत्व से इस बात पर चर्चा करें कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि उस दिन गुवाहाटी में जो घटना घटी वह मात्र कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह राज्य सरकार द्वारा हमले की सोची-समझी कार्रवाई थी।

अध्यक्ष महोदय: नहीं मैं किसी राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगाने की छूट नहीं दे सकता। उनके पक्ष से उत्तर देने वाला कोई नहीं है।

श्री कीरेन रिजीजू: यह भी कोई आरोप नहीं है। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति की चोट के कारण मृत्यु हो गई। मैं माननीय गृह मंत्री के उस बयान को चुनौती देता हूं। ए.ए.एस.ए.ए. ने बताया है कि 12 मौतें हुई हैं। उन 12 लोगों के शव कहां हैं? कृपया उस दिन तथा बाद में हुई मौतों की सही संख्या बतायें। उन्होंने लापता हुए 40 लोगों की सूची भी प्रकाशित की है। वे 40 लापता लोग कहां हैं? राज्य सरकार तथा प्रेस के सामने सूची रखी गयी थी तब भी माननीय गृह मंत्री वस्तुस्थिति से बिल्कुल अलग हटकर बात कर रहे हैं और एक मौत होने की बात करते हैं। वे सच्चाई से इतनी दूर कैसे हो सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: नहीं। अब और कोई प्रश्न नहीं। आप अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री कीरेन रिजीजू: मेरा अंतिम प्रश्न यह है। उस समय हुई हिंसा के दौरान ली गई तस्वीरों के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ताओं द्वारा ली गई तस्वीर भी प्रकाशित हुई हैं। इससे उस संघर्ष के दौरान राजनीतिक दलों की इसमें संलिप्तता झलकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान दें।

मैं एक टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि तत्काल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक जांच करायी जाए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब और नहीं। कृपया सहयोग कीजिए। श्री सोनोवाल, कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): सर्वप्रथम मैं असम के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सम्मानीय सभा में इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए अनुमति दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह घटना 24 नवम्बर को असम की राजधानी के बीचोंबीच बेलटोला में घटी। मैं इस घटना के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यह असम की विधान सभा नहीं है। असम सरकार की ओर से पक्ष रखने वाला यहां कोई नहीं है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, जो बातें वास्तव में घटित हुई, मुझे उनका उल्लेख करना पड़ेगा।*

अध्यक्ष महोदय: यही समस्या है। हम अपने को सीमाओं के अंदर नहीं रख सकते।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, यह मेरा भाषण नहीं था। यह असम के मुख्य मंत्री का भाषण था। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि केन्द्र सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, उन्होंने दो बार स्वीकार किया है कि वर्तमान सरकार*

अध्यक्ष महोदय: आप सिर्फ वही प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर केन्द्रीय गृह मंत्री दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: जी, हां। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री को ही संबोधित कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि इन परिस्थितियों में असम के लोग भय में जी रहे हैं।*

अध्यक्ष महोदय: इसे मेरे को दीजिए। मैं इसको पढ़ूंगा।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: राज्य में प्रजातंत्र की बहाली के लिए, शांति लाने के लिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: भारत सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे तथा संवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि असम की सरकार बुरी तरह असफल हो गई है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार मूकदर्शक के रूप में नहीं बनी रह सकती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: चूंकि असम इस देश के प्रधानमंत्री का गृह राज्य है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस मुद्दे को विभिन्न आयाम नहीं दिए जा सकते।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, यह मेरा नम्र निवेदन है। मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। यह नियमों और अध्यक्षपीठ के निर्देशों पर निर्भर करता है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: जी हां महोदय। मुझे दो विशिष्ट प्रश्न पूछने हैं। इन परिस्थितियों में असम राज्य में शांति, लोकतंत्र की पुन: बहाली तथा शांति लाने के लिए भारत सरकार की संवैधानिक भूमिका क्या होगी।

दो वर्ष पूर्व, असम विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि छह समुदायों को जनजाति का दर्जा दिया जाए और उस समुदाय को आज इस बात की उम्मीद नहीं है कि केन्द्र सरकार उन्हें यह दर्जा देगी। एक ओर असम की सरकार उन समुदायों को, मौजूदा जनजाति को प्रभावित किए बिना, जनजाति का दर्जा देने का वचन दे रही है। इन छह समुदायों अर्थात मत्तोक, मोरान, अहोन और चूटिया, राजबंशी तथा चाय उत्पादक समुदाय जिसमें आदिवासी भी सम्मिलित हैं, को जनजाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार की भूमिका क्या होगी।

तीसरी बात, वर्तमान स्थिति बहुत ही अस्थिर है और बहुत ही तनावपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि पिछली रात भी एक घटना घटी है जिसमें तिनसुकिया जिले में असम पुलिस बटालियन द्वारा की गई गोली-बारी में तीन आदिवासी लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिन पूर्व सामंत गोहेन नामक एक लड़का... के कारण मारा गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे के दायरे को बढ़ा रहे हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: अब स्थिति ऐसी है कि केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री के रूप में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. अरुण कुमार शर्मा

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। अब और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप सीमा से बहुत आगे जा रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह असम विधान सभा नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

डा. अरुण कुमार शर्मा। कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के लिए अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई चर्चा नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। सर्वप्रथम, मैं स्वयं को उन सदस्यों के साथ सम्बद्ध करना चाहूंगा जिन्होंने महिला पर हमले की घटना की निंदा की। उसे सार्वजनिक जगह पर अपमानित किया गया। उसे सार्वजनिक स्थान पर बिना कपड़े के भागना पड़ा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम लोग अब इन सब बातों का यहां उल्लेख न करें।

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह घटना घटी*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप जानबूझकर इन सभी विषयों को लाना चाहते हैं तो मुझे इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकालना पड़ेगा।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, अब मैं प्रश्न पूछता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां। पूछिए। हम यहां आम सभा भारत की संसद में चर्चा कर रहे हैं जहां केन्द्रीय सरकार भी उपस्थित है। अभी-अभी केन्द्रीय मंत्री ने जवाब दिया है। इसलिए आप ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर वे दे सकें न कि असम के मुख्यमंत्री।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, आपकी राय के अनुसार अब मैं प्रश्न पूछता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया पूछिए। आप एक बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: सर्वप्रथम, माननीय मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा एक न्यायिक जांच के बारे में बताया है। असम के समाचार पत्रों में एक अन्य समाचार में कहा गया है कि बाद में असम सरकार ने घोषणा की है कि इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जाएगी। मैं उनसे इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं....*। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है। केन्द्र सरकार को स्थिति की सच्चाई का पता लगाना चाहिए।....*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, इसकी अनुमति नहीं है। उनके बयान के संबंध में आपको एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने का हक है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्थिति की जांच के लिए एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल या सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजेगी और अगले सत्र में सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मेरा यही सुझाव है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौथी बात, ए.ए.एस.ए.ए. ने आरोप लगाया है कि 60 से ज्यादा लोग लापता हैं और 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस संबंध में तथ्य क्या है? इसका कारण है कि सरकार ने कहा है कि केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी जिससे कि असम में साम्प्रदायिक विभाजन न हो। सरकार इस मामले में कैसे हस्तक्षेप करेगी।

मैं इस मुद्दे के स्थायी हल के बारे में एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। छह समुदायों द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग हो रही है जो लम्बे समय से लम्बित मांग है तथा असम विधान सभा ने इसकी अनुशंसा की है। इस सम्माननीय सभा में भी 1996 में एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया था। 1997 में संयुक्त चयन समिति ने छह समुदायों–मत्तोक, मोरन, अहोम, चूटिया, राजबोगंशी और चाय बागान समुदाय–के बारे में एक विशिष्ट सिफारिश के साथ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मैं सिर्फ संयुक्त समिति की सिफारिश का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इसमें पहले से ही अधिसूचित जनजातियों को उपलब्ध आरक्षण सुविधाओं पर बिना किसी आघात के असम में एक अलग से जनजातीय कोटे के सृजन की सिफारिश की है जिससे कि यह समस्या सदैव के लिए हल हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछने का अधिकार था लेकिन आप पहले ही दस प्रश्न पूछ चुके हैं।

*...(व्यवधान)**

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, यह असम का मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: क्या इसलिए कि यह असम का मुद्दा है, हम नियमों का पालन नहीं करेंगे?

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। कृपया अवसर का दुरुपयोग मत कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, यदि आप कृपया अनुमति दें तो मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार सभी संगठनों के नेताओं को वार्ता के लिए सहमत करने हेतु कोई कदम उठा रही है जिससे इस समस्या के बारे में कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सभी नियमों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन संवेदनशील स्वरूप का मुद्दा होने के कारण और चूंकि सभा में अधिकांश सदस्य उत्तेजित थे मैंने नियमों में ढील दी है और इस समस्या के समाधान के लिए जिससे यह स्थिति और जटिल न हो जाए, मैंने अपनी कार्यशैली में छूट दी है। इसलिए ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस प्रकार के संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दे पर सदस्यों को चर्चा करनी चाहिए। ऐसे विशेष मामले के रूप में जिसे भविष्य में कोई पूर्व उदाहरण न समझें, जैसा मैंने पहले ही बताया है मैं उन सदस्यों को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने सूचना देने का कष्ट किया है। इसलिए, कृपया सहयोग कीजिए। आप लोग प्रत्येक एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने के हकदार हैं। कृपया सहयोग कीजिए जिससे कि भविष्य में भी यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पीठासीन अधिकारी सहयोग कर सके। अन्यथा, यदि कोई सहयोग नहीं होगा तो फिर हमें कड़ाई से नियमों का पालन करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, गुवाहाटी में बालतोला में पिछले माह की 24 तारीख को जो घटना हुई, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील और लोमहर्षक घटना है। इसकी मैं सीधे तौर पर निंदा करना चाहूंगा। असल मुद्दा यह है कि यह मामला बार-बार असम में क्यों उठता है। मैं इसके मुख्य बिंदुओं की ओर जाना चाहूंगा। उस दिन गृह मंत्री जी के वक्तव्य में भी यह उल्लेख था कि वहां की जो ट्राइबल है, जो टी ट्राइबल या एक्स. टी ट्राइबल है, वे लोग अपनी पहचान खो बैठे हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, भूभाग सब उनके पास विद्यमान है, वैसी स्थिति में उन्हें अगर टी ट्राइबल और एक्स टी ट्राइबल जो कह रहे हैं, वह कहना यथोचित नहीं लगता। क्यों न उन्हें असमिया ट्राइबल कहकर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाए? गृह मंत्री जी ने यह बात उठाई है और आरजीआई का हवाला बार-बार दिया है। आरजीआई समुचित फैसला करने का अधिकारी नहीं है, केन्द्र सरकार है। जब असम सरकार ने 2004 में विधान सभा में रिजोल्यूशन पास कर और 2007 में आरजीआई में कुछ आपत्तियों के बाद समुचित रिपोर्ट और स्मरण पत्र भेजा, तो उस रिपोर्ट के आधार पर आरजीआई ही सब कुछ नहीं होती, केन्द्र सरकार को फैसला करना है। यदि केन्द्र सरकार में इच्छाशक्ति है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें।

श्री हेमलाल मुर्मू: मेरा प्रश्न यह है कि सरकार घोषणा करे कि वह कब तक इसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की कार्यवाही करेगी?

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आपको यह अवसर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने इसकी सूचना दी है।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, यह घटना मेरे चुनाव क्षेत्र में हुई थी। मैं इस निंदनीय घटना की निंदा करता हूं जो वहां घटी है। लेकिन चूंकि माननीय गृह मंत्री के बयान में घटना के कुछ पहलुओं पर प्रकाश नहीं पड़ता है, मैं कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। यद्यपि इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि जुलूस निकालने वालों पर हमला हुआ था, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि कई स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालने वालों की मदद करने की कोशिश की थी तथा गुंडागर्दी रोकने का प्रयास किया था और यहां तक कि उन्होंने उन लोगों को बचाने का भी प्रयास किया जिन पर कई प्रकार के हमले किये गए। यदि घटना की केवल नकारात्मक तस्वीर ही दिखायी जाती है तो फिर पूरी सोच ही एक पक्षीय हो जाएगी। वास्तव में असम में महिलाओं का स्थान बहुत से अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही उच्च है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। लेकिन इस घटना को एक अलग घटना के रूप में समझा जाए।

महोदय, दूसरी बात यहां मैं बताना चाहता हूं कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बदले यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वहां व्याप्त तनाव को कम करें जिससे कि इस घटना के कारण और तनाव न पैदा हो। यही हमारा संयुक्त प्रयास होना चाहिए।

महोदय, इस संबंध में मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वह पूर्णत: बेबुनियाद है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सही स्थिति नहीं है कि * 1999 में ही सरकार ने असम में इस समूह को जनजातीय दर्जा देने का विरोध किया था। पुन: 2003 में तत्कालीन* सरकार ने इस समूह को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान नहीं किया। ...*(व्यवधान)* इसलिए, इस विषय का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य महोदय, आपने उनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं। मेरे अनुरोध के बावजूद आपने लगातार आरोप लगाये और अब आप उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री किरिप चालिहा: महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। हमें अवश्य सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमें अवश्य यह देखना चाहिए कि असम समाज का बहुलतावादी स्वरूप अक्षुण्ण बना रहे और इस घटना को एक अलग घटना के रूप में देखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभी व्यवधानों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, असम में आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम था उसकी राज्य सरकार को पहले से जानकारी थी। इस दुःखद घटना को रोका जा सकता था, इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 24 नवम्बर की घटना के बाद जो गृह मंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि घायल हुए 10 व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को दिनांक 26.11.2007 के पूर्वाह्न में छुट्टी दे दी जाएगी। मेरा कहना है कि हास्पिटल मे क्या स्थिति है और कितने लोगों को छुट्टी दी गयी, इसके बारे में निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी को जानकारी कर लेनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जहां एक ओर यह घटना हुई, वहीं दूसरी तरफ बहुत तेजी से समाचार पत्रों में, जो हिंदी-भाषी लोग हैं, उनके मारे जाने की असम में घटनाएं छपती हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और एक बार नहीं, अनेकों बार आपकी अनुमति से, यह सवाल भी सदन में उठा है। यह देश एक है और लोग अपनी जीविका के लिए, देश के अनेक भागों में जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से चिंतनीय हैं। जहां एक ओर ये घटना हुई, वहीं लगातार असम में हिंदी-भाषी लोगों के मारे जाने की घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं, उन्हें भी राज्य सरकार रोकने की कोशिश करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह–उपस्थित नहीं।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, गुवाहाटी में जुलूस के दौरान जो घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूं। जुलूस में भाग लेने वाले जो लोग घायल हुए थे उनका इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे लोग अन्य राज्यों के हैं। वे जिस समुदाय से आते हैं उन्हें अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। क्या जो लोग घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है, और जो दूसरे राज्यों से आते हैं जहां उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, उन्हें असम में भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा): अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें माननीय गृह मंत्री जी के बयान से स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो स्पष्ट नहीं हैं, उनके बारे में मैं प्रश्न करना चाहूंगा। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री असम का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो हम सीबीआई से जांच कराएंगे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के बयान में यह बात नहीं आई। हम जानना चाहते हैं कि इस कांड की सीबीआई जांच होगी या नहीं?

महोदय, दूसरी बात जो इसमें नहीं आई, वह यह है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि उनसे लोग मिले और कहा कि 30 लोग अभी तक लापता हैं और उनकी खोज की जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी के बयान में आना चाहिए था कि वे 30 लोग कौन हैं और उनकी खोज में अभी तक क्या पाया गया है?

वहां के आदिवासियों को आदिवासी तो कहते हैं लेकिन उनको आदिवासी का दर्जा नहीं देते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए। वे लोग झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गये हैं और उनकी भाषा, कल्चर और परम्परा वही है। भारत सरकार कब तक उनको आदिवासी का दर्जा देगी, यह भी बताएं।

चौथी बात इनके बयान में आई कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ, उसका कहना है कि हम पैसा नहीं लेंगे, हमारा सम्मान गया है और सम्मान तभी लौटेगा जब हमारी मांग पूरी होगी, हमारी कम्युनिटी को आदिवासी घोषित किया जाए। धन्यवाद।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तरित बरण तोपदार–उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को असम के गुवाहाटी की घटना के बाद मैं और आरएसपी के सांसद जोवाकिम बक्सला, 27 तारीख को वहां गए थे। हम दो बड़े अस्पतालों, जीएमसी और एमएमसी, में घायल लोगों को देखने के लिए गए थे। हमें पता चला और अखबारों में आया है कि तीन सौ से अधिक लोग घायल हैं, लेकिन चार सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। जहां पर यह घटना घटी है, वह सिक्योरिटी जोन कैपिटल काम्प्लेक्स के नजदीक है। मैं इसके बारे में क्या कहूं, वहां की राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वहां की पुलिस और सिविल प्रशासन, यह दोनों ही फेल्योर है। जिस मांग को लेकर वहां के आदिवासियों ने प्रोसेशन किया था, वह यह है कि उनको एससी स्टेटस दिया जाए, आदिवासी माना जाए। उन्हें आदिवासी कहा जाता है लेकिन अभी तक उन्हें आदिवासी स्टेटस नहीं दिया गया है। ब्रिटिश के जमाने में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आदिवासी लोग वहां गए हैं। मैं भी एक आदिवासी हूं, हम वहां आदिवासी हैं लेकिन उन लोगों को वहां आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि उनकी पहचान नष्ट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वे हम जैसे ही आदिवासी हैं। उनकी भाषा, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक और सामाजिक अवस्था हमारे जैसी ही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको एसटी का स्टेटस दिया जाए।

श्री शिबु सोरेन: अध्यक्ष महोदय, मैं 24 तारीख के बाद 25 तारीख को ही असम गया था और जो दुर्घटना हुई है, उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, सुना और लोगों से मिला हूं। जो घटना हो चुकी है, उसके लिए मैं और सारे देश के लोग भी दुखी हैं तथा मैं इसकी निंदा करता हूं। मेरा कहना है कि आदिवासी कौन लोग हैं, इसके लिए हर राज्य में ट्राइबल रिसर्च डिपार्टमेंट है। वह डिपार्टमेंट यह खोजबीन करता है कि कौन आदिवासी है और कौन आदिवासी नहीं है। यह बहुत आसान तरीका है। मुझे वहां के चीफ सैक्रेटरी ने एक दस्तावेज दिया था, जिसमें असम सरकार ने कई बार उन लोगों के ट्राइबल होने का रिक्मेंडेशन यहां भेजा है। कुल मिलाकर 102 जातियां दर्ज हैं, जिनको असम सरकार ने आदिवासी घोषित करने के लिए रिक्मेंड करके भेजा है और आरजीआई से पूछा है कि जो भी खामियां हैं, वे हमें बताएं, उन्हें हम जरूर पूरा करेंगे। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दूरी है, जिसकी वजह से यह काम पूरा नहीं हो पा रहा है। गृह मंत्री जी का उत्तर आया है कि वहां की सरकार ने एक लाख रुपया इस चीर हरण कांड का पुरस्कार हो, मुआवजा हो, कुछ भी हो दिया है। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी ने भी पुरस्कार नहीं कहा है।

श्री शिबु सोरेन: महोदय, यह सैंटिमेंटल है। मैं कहता हूं कि कोई सामान दे दे और आदिवासी बना दे। आदिवासी बना क्या दें, वे स्वयं आदिवासी हैं। इसकी रिसर्च करके उनको एसटी का स्टेटस दे दें। यह कब तक होगा, यह हम जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री जोवाकिम बखला–उपस्थित नहीं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'–उपस्थित नहीं।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी।

[अनुवाद]

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी (मंगलदोई): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

असम से मेरे साथी ने जो कुछ कहा है उससे स्वयं को संबद्ध करते हुए मैं इस सभा से असम में हुई घटना की भर्त्सना का संकल्प पारित करने का आग्रह करता हूं। असल में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी, मैं स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए कुछ शब्द कहने आया हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बैठ सकते हैं।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, अध्यक्ष ने हमें असम सरकार के बारे में कुछ भी कहने से मना किया है।

अध्यक्ष महोदय: आलोचनात्मक नहीं क्योंकि उनकी ओर से उत्तर देने के लिए यहां कोई नहीं है। यह एक सुस्थापित व्यवस्था है।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: लेकिन, संदर्भ के जरिए, मैं आपको यह बता रहा हूं कि बेलटोला राज्य की राजधानी से लगभग तीन सौ किलोमीटर दूर है और मेरे निवास से दो किलोमीटर। वस्तुत: आजकल यह क्षेत्र एक व्यावसायिक क्षेत्र है। यह सड़क दुकानों और प्रतिष्ठानों से भरी हुई है। अत:, रैली की अनुमति दी गई थी अथवा नहीं यह एक अलग बात है, लेकिन इस बात की पर्याप्त सूचना थी कि रैली होने वाली है। केवल एक मजिस्ट्रेट और 12 सिपाही पर्याप्त नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनको ज्यादा सावधान होना चाहिये था। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के पास इस समूची घटना के बारे में कोई आसूचना प्राप्त हुई थी। दूसरी बात, असम के 6 समुदायों

[श्री नारायण चन्द्र वरकटकी]

और विशेषत: आदिवासी और जनजातीय लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के बारे में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच मतभेद था। इसलिए, राज्य विधान सभा की अनुशंसाओं के मद्देनजर केन्द्र सरकार को इस बारे में सुविचारित निर्णय लेना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं कदापि न हो सकें।

वस्तुत: असम के लोग अत्यंत शांतिप्रिय हैं। विभिन्न भाषाओं, जातियों और धर्मों के समुदाय सदभावनापूर्वक रहते हैं। काफी समय से इसमें भी कमी आई है। यह सद्भवना देखने में ही नहीं आती है। हर रोज एक घटना होती है। आज सुबह भी, शिवसागर में एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस को कथित रूप से गोली चलानी पड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न रखें।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार असम में शांति और सदभावना पुन: स्थापित करने पर विचार कर रही है अथवा वहां सर्वदलीय संसदीय दल भेजने के बारे में सोच रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि शीघ्र शांति स्थापित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी कुछ छिटपुट घटनाएं यहां-वहां हो रही हैं। दो दिन पूर्व, यह सोनितपुर जिले में हुआ। आज यह शिवसागर जिला है। जैसा कि अभी मेरे साथी बता रहे थे कि यह तिनसुकिया जिले में हुआ। इसलिए ये चीजें हमेशा के लिए रोकी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एक सर्वदलीय शांति समिति बनाई जाए। भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और भारत सरकार यहां मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती है।

तीसरी बात, क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से इसकी जांच वास्तव में कराई जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: यह पूछा जा चुका है।

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: यदि यह पूछा जा चुका है तो मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि असम के माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि वे भी सीबीआई जांच चाहते हैं। इसके साथ ही वे यह भी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच आवश्यक है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायिक जांच के लिए मेरे मन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव नहीं है लेकिन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अभियुक्तों का पता लगा सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए ये मेरे तीन प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य। केवल स्पष्टीकरण वाले प्रश्न।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): महोदय, सर्वप्रथम मैं इस घटना की भर्त्सना करने वाले अपने विपक्षी साथियों से सहमत हूं। जैसा कि विपक्ष से मेरे मित्र कह रहे थे, यह घटना सरकार की ओर से हुई चूक के कारण हुई। लेकिन, जैसे ही यह घटना हुई, सरकार ने वहां फौरन अपने अर्धसैनिक बल भेज दिए। इसकी पुष्टि होते ही वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था।

अपराह्न 1.00 बजे

उसके पश्चात्, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया था। बात यह है कि हमारे मुख्य मंत्री ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सभी प्रकार की कार्यवाहियां की और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। इस परिदृश्य में, भाजपा के मेरे एक विपक्षी मित्र मुख्यमंत्री का त्याग पत्र चाहते थे। मैं नहीं जानता कि वे यह सब कैसे कह रहे हैं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनसे मत पूछिए। आप माननीय मंत्री से पूछिए।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: मैं माननीय मंत्री से ही पूछ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: महोदय, 1996 में, कोकराझार में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच हुई झड़पों में 198 व्यक्ति मारे गए थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस समय मुख्य मंत्री ने त्याग पत्र दिया था। *...(व्यवधान)* मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या 1993 में कांग्रेसी मुख्य मंत्री ने इन छ: समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव किया था। सन् 2002 में, राजग सरकार ने 142 समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया, लेकिन ये छ: समुदाय शामिल नहीं किए गए। उस समय, असम गण परिषद और उसके सहभागी दल सत्ता में थे और केन्द्र में राजग सत्ता में था लेकिन उन्होंने इन समुदायों को शामिल नहीं किया।

डा. अरुण कुमार शर्मा: प्रश्न यह है कि यह सरकार करेगी अथवा नहीं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): हां, यह सरकार कर रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हुसैन, मैं आपको पुकारूंगा कृपया परेशान न हों।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रिजीजू, आज आप अत्यधिक उत्तेजित हैं। मैंने आपको भरपूर अवसर दिया है। कृपया अन्य सदस्यों को भी ऐसा अवसर दें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: महोदय, हमारे मुख्य मंत्री पहले ही भारत सरकार से बातचीत कर चुके हैं और जहां तक मुझे जानकारी है, भारत सरकार इस मामले पर पुन: ध्यानपूर्वक विचार करने के बारे में सोच रही है। यदि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है तो उनकी सभी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी और सदा के लिए शांति स्थापित हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री फग्गन सिंह कुलस्ते–उपस्थित नहीं।

श्री अनवर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न तक सीमित रहूंगा और वह आरक्षण के बारे में है। आदिवासी लोग पिछले 20 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं और 'ए.ए.एस.ए.ए.' तथा छात्र संगठन, 10 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन छ: समुदायों नामत: आदिवासी कोच राजबोंगशी, ताई-अहोम, मोरन, मटक और चुथिया को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए काफी प्रयास करती रही है।

माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य के पृष्ठ 2 के पैरा 2 में इस बात का उल्लेख किया है कि तत्कालीन असम सरकार ने भी आरंभ में उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निरंतर विरोध किया था। इस वक्तव्य के बारे में मुझे स्पष्टीकरण चाहिए....*

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह गलत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका कार्यवाही-वृत्तांत से लोप कर दिया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनवर हुसैन: यह गृह मंत्री जी का वक्तव्य है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने तत्कालीन सरकार का उल्लेख किया था।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान में बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा, मैंने कहा कि इसका लोप कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि कोई भी नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लोक सभा में राज्य संबंधी विषयों को उठाने की अनुमति देने का यही नुकसान है। मैं बार-बार यही कहता रहा हूं। मैं सामान्यत: इसके लिए सहमत नहीं होता हूं, परन्तु चूंकि सभा के सभी वर्ग इतने आक्रोश में थे, इसलिए मैंने सोचा कि सदस्यों को इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने पहले भी और आज भी तत्काल वक्तव्य दिया। यद्यपि इस सभा में मेरे 38 वर्षों के अनुभव में इस प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कभी चर्चा नहीं हुई है। मेरा प्रयास है कि सभी को बोलने का अवसर मिले। जिन सदस्यों ने पूर्व सूचना दी है, मैं उन्हें अवसर दूंगा। परन्तु कृपया सहयोग करें। यदि आप इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, तो इस पर गंभीरतापूर्वक और जिम्मेदारीपूर्वक चर्चा होनी चाहिए।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कहा है, उसके संबंध में मुझे स्पष्टीकरण मांगने का पूरा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां विरोध मात्र विरोध जताने के लिए किया जा रहा है।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि तत्कालीन सरकार ने 1997 में कोच राजबोंगशी जनजाति को तथा 1999 में तत्कालीन सरकार ने उस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से इंकार किया था।

[श्री अनवर हुसैन]

वर्ष 2003 में लगभग 142 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में आदिवासी, कोच राजबोंगशी, ताई-अहोम, मोरान, माताक और चुटिया को यह दर्जा क्यों नहीं दिया गया था।

अंत में, 1996 में 198 आदिवासी मारे गये थे। उस समय असम और केन्द्र में एक ही पार्टी की सरकार थी। इस बार एक ही व्यक्ति मारा गया है। पिछली बार जब इतने लोग मारे गए थे, किसी के त्यागपत्र की मांग नहीं की गई थी। फिर इस बार त्याग पत्र क्यों मांगा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: चौदह माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा पांच माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अब मैं माननीय मंत्री को बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह वाद-विवाद नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने पूर्व सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: महोदय, आज की पूर्व सूचना निरर्थक है। सत्र के आरंभ होने से पहले भी नहीं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूर्व मेरी आपसे तथा सभा से विनती है कि माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी के नाम में आज एक विधेयक सूचीबद्ध है तथा दो बजे के कार्यसूची पत्र में न्यायपालिका और विधायिका के बीच सौहार्द पर बहस होगी। यदि सभा सहमत हो तो मेरी आप से अपील है कि राज्य सभा द्वारा पारित यह एक अति महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि आप कृपया करके भोजन अवकाश निलंबित कर दें तो विद्यायी कार्य के बाद हम वाद-विवाद आरंभ करके इसे आज समाप्त कर सकते हैं। आपसे मेरी यही अपील है। हम आपके निर्णय का पालन करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम सहमत हैं महोदय, आप हम दोनों को अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: सशर्त समझौता मान्य नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे 6-7 पूर्व सूचनाएं और प्राप्त हुई हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त बोलूंगा। .. *.(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ कहिए, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी पक्षों के 14 सदस्यों ने भाग लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं मात्र एक मिनट का समय लूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं मात्र आधे मिनट का समय लूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, माननीय मंत्री के अनुरोध के बावजूद मैं सभा को स्थगित कर चला जाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आज की पूर्व सूचना से बात नहीं बनेगी। किसी सिद्धांत, नियम, प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। जिन सदस्यों ने उस दिन पूर्व सूचनाएं दी हैं, मैंने उन्हें बोलने का अवसर देने का पूरा प्रयास किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, त्रिपाठी जी आपको नियम के बारे में अच्छी तरह से पता है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मत लिखिए। माननीय मंत्री का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बिना अनुमति के आप नहीं बोल सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, समस्त सभा ने लड़की के साथ वहां हुई घटना की निंदा की है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उस दिन असम में जो हुआ। वह निंदनीय है तथा ऐसी घटना देश भर में किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा दी गई तथा दी जाने वाली जानकारी राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। दी गई जानकारी के आधार पर ही हम यह जानकारी इस सभा को दे रहे हैं।

चोट लगने के कारण मारे गए लोगों की संख्या के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि 20 व्यक्ति चोट लगने के कारण मारे गए थे; एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि 18 सदस्य चोट लगने के कारण मारे गए थे। राज्य सरकार से हमें प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात होता है कि ऐसे आरोप लगाए गए थे, परन्तु जांच के बाद पता चला कि मारे गए लोगों की संख्या सही नहीं है और वास्तविक संख्या इससे बहुत कम है न कि इतनी ज्यादा इसलिए इस घटना में मारे गए लोगों की माननीय सदस्य द्वारा बताई गई संख्या सही प्रतीत नहीं होती है। परन्तु, मैं यह जानकारी मुझे दी गई जानकारी के आधार पर दे रहा हूं। हमें दी गई प्रामाणिक जानकारी के अनुसार घटना में मात्र दो सदस्य मारे गए हैं।

जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच से संबंधित था।

अध्यक्ष महोदय: सभा इस बात के लिए सहमत हो गई है कि आज दोपहर का भोजनावकाश नहीं होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के मामले में जिस प्रक्रिया का पालन होता है वह इस प्रकार है। यदि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिखती है कि जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए अथवा यदि कोई न्यायालय आदेश देता है कि जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए,तब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए जाते हैं। अन्यथा, केवल केन्द्र सरकार से संबंधित मामलों की जांच ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाती है। यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अनुरोध किया जाता है तो सामान्यत: हम उस अनुरोध को नहीं ठुकराते हैं और मामले की जांच की जाती है। लेकिन सभी माननीय सदस्यों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की मांग बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो काम बहुत बढ़ गया है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास अधिकारियों की संख्या भी सीमित है। परिणामत: यदि कोई मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जाता है तो मामलों की जांच में बहुत लम्बा समय लगता है और परिणाम आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। यह बात सभी माननीय सदस्यों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न उस क्षेत्र में आतंकी संगठन की संलिप्तता के संबंध में पूछा गया था। मैं बताना चाहता हूं कि जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता चलता है कि कुछ आतंकी संगठन ऐसे मुद्दे खोजना चाहते हैं जिनको लेकर लोगों द्वारा आंदोलन शुरू कराया जा सके। वे ऐसे क्षेत्रों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आंदोलन शुरू किया जा सके। इस स्थिति में असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ मुद्दे हैं जिनका राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा हम सभी सामना कर रहे हैं। हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि उस क्षेत्र में कार्य करने वाले आतंकी संगठन वहां के लोगों, राज्य सरकार और हम सभी के लिए समस्या उत्पन्न करने के लिए इस स्थिति का फायदा उठाते हैं।

महोदय, चौथा प्रश्न इस तथ्य से संबंधित था कि क्या भारत सरकार इन जनजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करना चाहती है अथवा नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह समझना पड़ेगा कि गृह मंत्रालय कानून और व्यवस्था से जुड़े इन मुद्दों का जवाब देगा और जहां तक जनजातियों को सूची में सम्मिलित करने की बात है, यह विषय जनजातीय मंत्रालय का है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। वे सरकार की ओर से बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि अन्य मंत्रालय जवाब देगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री के जवाब के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरा उत्तर पूरा होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बात सीख रहा हूं कि किसी पर भी विश्वास मत करो। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे पूरा करने दीजिए, और यदि आप मेरे उत्तर से असंतुष्ट हों तो आप पीठासीन अधिकारी से प्रश्न पूछने की अनुमति मांग सकते हैं और तत्पश्चात मैं उसका उत्तर दूंगा। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले, आप खड़े हो गए और आप सभा में व्यवधान उत्पन्न करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था कि किस मंत्रालय का क्या काम है। मैं उस प्रक्रिया को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था जो इस संबंध में अपनाई जाती है। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश करती है। राज्य सरकार की सिफारिश पर वह मामला आर.जी.आई. अर्थात भारत के महापंजियक को भेजा जाता है और भारत के महापंजियक देखते हैं कि उस जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है और फिर बताते हैं कि लोगों की संख्या पर्याप्त है अथवा नहीं। इसके बाद मामले को अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और तब अनुसूचित जनजाति आयोग यह तय करता है कि इस जन जाति को सूची में सम्मिलित किया जाए अथवा नही। बाद में, मामला जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाता है और जनजातीय मंत्रालय एक पत्र मंत्रिमंडल को भेजता है और फिर मंत्रिमंडल तय करता है कि इसे सूची में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। यदि मैं इन बातों को आपके लिए स्पष्ट कर रहा हूं तो इसमें क्या बुराई है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आप अचानक उत्तेजित हो जाते हैं। वही उनका बयान था। आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी का कोई भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: इससे कोई हल नहीं निकलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: इससे कोई हल नहीं निकलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनके प्रश्न का जवाब न दें।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कह रहा था कि लोकूर समिति नामक एक समिति गठित हुई थी और लोकूर समिति ने इस संबंध में प्रक्रिया तय की है और अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए उस प्रक्रिया के तहत मांग की जाती है। लोकूर समिति द्वारा निर्धारित मानदंड इस प्रकार है: आदिम जनजातीय विशेषतायें भौगोलिक तौर पर अलग हैं या नहीं; उनका शर्मीला पन, वे शर्मीले स्वभाव के हैं अथवा नहीं, और उनकी आर्थिक दशा। ये वे मानदंड हैं जिन्हें यह निर्धारित करने के लिए जनजाति पर लागू करना पड़ता है कि उसे सूची में सम्मिलित किया जाए या नहीं। लोकूर समिति की यही रिपोर्ट है और इसी प्रकार के मानदंड लागू होते हैं।

महोदय, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि असम राज्य सरकार भिन्न-भिन्न प्रकार की जानकारी दे रही है। 1978 में उन्होंने कहा कि शामिल न किया जाए, 1999 में उन्होंने कहा शामिल न किया जाए। मेरे पास एक पत्र है, मेरे पास यह एक प्रति है। यदि आप इसे शामिल करते हैं ...*(व्यवधान)*

कृपया व्यवधान न डालें ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह 1999 में है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। भारत के गृह मंत्री उत्तर दे रहे हैं और आप के पास उन्हें सुनने का धैर्य नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: इसमें कहा गया है कि यदि चाय बागानों की जनजातियों को शामिल किया जाता है *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, क्या मैं बोल सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं करते हैं तब तक मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। यदि वे चाहें तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, परन्तु उन्हें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। उन्हें इस प्रकार से मुझे बीच में टोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। यदि आपकी बात पूरी नहीं हुई है तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं नाम लिख लूंगा।

इस पत्र में कहा गया है कि यदि सूची में इन जनजातियों को शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों को हानि होगी, इसलिए शामिल न करें। उन्होंने यही बात कही है। अब आप कह रहे हैं कि ये हो गया है, वह हो गया है और कोई अन्य बात हो गई है। इस प्रकार राज्य सरकार की सिफारिशों में एकरूपता नहीं है। इसके बाद सिफारिशें यहां आईं। सिफारिश में कहा गया है कि यद्यपि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है फिर भी उन्हें सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यही बात कही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए असम सरकार, हमें तथा देश की जनता को यह सोचना है कि इस निर्णय पर हम क्या निर्णय लेते हैं। वर्तमान सरकार ने हमसे कहा है कि कृपया मदद करें। उनकी किस प्रकार सहायता की जाए यह निर्णय हम सबको मिल कर लेना है। भारत सरकार का जनजातियों के प्रति यही दृष्टिकोण है चाहे ये जनजाति असम की हो या देश के अन्य भाग की हो। क्योंकि जनजातीय लोग आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े हैं। देश को उनकी सबसे ज्यादा सहायता करनी चाहिए। हमारा यही दृष्टिकोण रहा है। जब समस्या यह है, स्थिति भी यह है, और यदि राज्य सरकार सहायता करने का प्रयास कर रही है और यदि संघ सरकार सहायता करने का प्रयास कर रही है तो हमें इस बात को समझना चाहिए।

आप सब इस सम्मानीय सभा के जिम्मेदार सदस्य हैं। आप हमें सुझाव दें कि क्या करना है। मान लीजिए हम उन्हें शामिल करते हैं और सूची में पहले से ही शामिल लोगों द्वारा विरोध किया जाता है तो समस्या हो जाएगी। एक माननीय सदस्य ने खड़े होकर कहा है कि मैं इसका विरोध करता हूं। अन्य कई संगठन हैं। इस समस्या से निपटना है हम सब जिम्मेदार सदस्य हैं हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है तथा इन लोगों की वास्तव में सहायता करनी है। सारे देश में इनको सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता है।

यदि हम इनकी सहायता नहीं करते हैं तो हम गलती करेंगे। हमारी मंशा इनकी सहायता करना है। यह कैसे करना है यह निर्णय हमें लेना है। यह देखना है कि सहायता किस प्रकार की जाए। उन्होंने और सरकार ने भी सुझाव दिया है कि जो लोग पहले से ही सूची में शामिल हैं उनका अहित न हो और इन्हें भी सूची में शामिल किया जाए। हमें दी गई जनजातियों की संख्या केवल चार नहीं है बल्कि यह 97 है। मेरे पास इतनी ही संख्या है। यह 97 है। मेरे पास यही संख्या है। यदि आपको सूची में 97 जनजातियों को शामिल करना है तो इससे कुछ समस्या उत्पन्न होगी तथा हमें इस समस्या को सुलझाना है और हम इस समस्या को सुलझाना चाहेंगे।

हम आप से परामर्श लेना चाहेंगे। हम राज्य सरकार से भी परामर्श लेना चाहेंगे जो वहां के लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। हम देश की सभी जनजातियों की सहायता करना चाहेंगे। यह हमारा दृष्टिकोण है। यही हमारी नीति है।

यह नीति मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी न कि गृह मंत्रालय या जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। बल्कि इस संबंध में हम मंत्रिमंडल में निर्णय लेंगे। मैं 'हां' या 'ना' नहीं कह रहा हूं। परन्तु आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह मामला एक मंत्रालय से मंत्रिमंडल तथा संसद में जाएगा। हमें इस बात की अनुमति नहीं है कि हम यहां आकर जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से बोलें। मैं गृह मंत्रालय की ओर से बोल सकता हूं न कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से। यह समस्या *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं उन्हें बैठने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप सब कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अन्यथा मैं इस चर्चा को समाप्त कर दूंगा। यदि ऐसा ही होता रहा तो मैं इस चर्चा को समाप्त कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंजी जी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू: मंत्री का उत्तर संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सी.बी.आई. जाँच के लिए मना किया है। उन्होंने कोई वायदा नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हम माननीय मंत्री के असंतोषजनक उत्तर के विरोध में सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आप जो कुछ करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर है। मंत्री जी ने अपना उत्तर भी पूरा नहीं किया है। मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए। सभा से बाहर जाने के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। *...(व्यवधान)**

अपराह्न 1.26 बजे

(इस समय श्री अनंत कुमार, श्री कीरेन रिजीजू, श्री बृज किशोर त्रिपाठी, श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: महादेय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। भविष्य में मैं इस पर गंभीरता से विचार करुंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह एक जटिल और महत्त्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। वे केवल राजनैतिक ढंग से बात कर रहे हैं और झूठे वक्तव्य देकर सभा भवन से बाहर जा रहे हैं। मानवीय सदस्य का कहना है कि मैंने केन्द्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो द्वारा जांच कराने से इंकार किया है जबकि मैंने इंकार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: यह गलत वक्तव्य है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि वे सभा में ही झूठे वक्तव्य दे रहे हैं तो कोई भी समझ सकता है कि बाहर क्या कह रहे होंगे?

महोदय, समस्या जटिल है लेकिन इसका समाधान देश को ही करना है। भारत सरकार, राज्य सरकार, हमारे दलों के नेता और हम मिलकर यह विचार करेंगे कि असम और अन्य राज्यों में जनजातियों की समस्या इस प्रकार हल की जाए कि उनको सर्वोत्तम सहायता दी जा सके ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार सुनिश्चित हो सके। मुझे इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय: यदि समय बचेगा तो मद संख्या 23 के पश्चात नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले निर्धारित कार्यों के पूरा होने पर लिए जाएंगे।

मद संख्या 23, माननीय मंत्री श्री मुरली देवरा।

अपराह्न 1.28 बजे

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

मैं माननीय सदस्यों को राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने और उसे "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" घोषित करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 1999 में तेल के अन्वेषण के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की शुरुआत हुई। इस नीति से भारत में अन्वेषण क्षेत्र प्राप्त करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ-साथ भारत की निजी और सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनियों में अत्यधिक उत्साह का संचार हुआ। आज की तारीख में, भारत के केवल 30 प्रतिशत अवसादी बेसिनों का अन्वेषण हुआ है। वर्ष 2015 तक अन्वेषण क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक वृद्धि करने की योजना है। इस संदर्भ में, भविष्य में प्रौद्योगिकी के अलावा, पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता एक मुख्य आवश्यकता होगी।

हाल ही में, पेट्रोफेड के परामर्शदाता प्राइसवॉटरहाऊस कूपर्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2019 तक भारत में पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच लगभग 36,000 का अंतर होगा। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशिक्षित, मानवशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने जायस, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अपराह्न 1.30 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह संस्थान पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भावी नेता और नवप्रतर्वक के रूप में कार्य करने में सक्षम विश्व स्तरीय तकनीकी मानव संसाधनों के विकास के लिए मूल स्रोत के रुप में कार्य करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। शुरू में यह संस्थान अपने अकादमिक कार्यों की शुरुआत अकादमिक वर्ष 2008-09, अर्थात अगले वर्ष से छात्रों को आधारभूत अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला देकर करेगा।

इस परियोजना की कुल अनुमानित पूंजी लागत 435 करोड़ रुपए है जिसकी पूर्ति आंशिक रुप से 285 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से और 150 करोड़ रुपए तेल उद्योग विकास बोर्ड से की जाएगी। 260.58 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित आवृति व्यय की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के अंशदान, छात्रों की फीस, दान और संस्थान की अन्य आमदनियों से स्थापित 250 करोड़ रुपए की स्थाई निधि से मिलने वाले ब्याज से की जाएगी। वर्ष 2015-16 तक संस्थान के आत्मनिर्भर होने की संकल्पना की गई है।

यह प्रस्ताव किया गया है कि इस संस्थान में इसके अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के लिए उच्च स्तरीय स्वायत्तता होगी। इसके पास अपनी ओर से उपाधियां और अन्य अकादमिक विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र तथा पदवियां देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, इस संस्थान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण और सहायता की भी संकल्पना की गई है। यह राष्ट्र हित में ही है कि सरकार इस संस्थान के विकास की शैशवावस्था और महत्वपूर्ण चरण में इसको बढ़ावा दे ताकि यह संस्थान अपने कार्यक्रम बिना किसी समझौते के आरम्भ कर सके और चला सके और विश्वस्तरीय अवसंरचना स्थापित करके उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर सके। "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" के दर्जे के बिना ख्याति प्राप्त संकाय सदस्यों और मेधावी छात्रों को इस ओर आकर्षित करना असंभव होगा।

उपर्युक्त रुपरेखा के अनुसार संस्थान की स्थापना की प्रस्तावित विधि के मद्देनजर, यह प्रस्ताव किया जाता है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को एक संसदीय अधिनियम के जरिए 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' के रुप में निगमित किया जाए जिसमें राष्ट्रीय महत्व को संस्था की भांति उपाधियां प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे के साथा-साथ कानूनी शक्तियां भी हों।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक जो माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के जायस जिले में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए सभा पटल पर रखा गया है, पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री को इस संस्थान के लिए बधाई देता हूं जो वास्तव में राष्ट्रीय महत्व का है। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं–

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही कहना है कि इंस्टीट्यूट के बिल का इश्यू नहीं है, बल्कि उन्होंने पैट्रोलियम मिनिस्ट्री संभालने के बाद जो कार्य किया है और इण्टरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस को देखते हुए भी उसकी घरेलू जो कीमत है, उसे बढ़ाया नहीं है, पैट्रोल, डीजल, एल.पी.जी. और कैरोसीन का दाम इन्होंने नहीं बढ़ाया है, मैं मानता हूं कि सारा सदन इससे सहमत है कि

[श्री कीरेन रिजीजू]

माननीय मंत्री जी ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत अच्छा निर्णय किया कि दाम नहीं बढ़ाया। वैसे भी मुझे मंत्री जी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं और सही काम करते हैं। हम लोग कंसलटेटिव कमेटी में भी मिलते हैं, तो मैं यही बात कहता हूं।

इस सबजैक्ट पर आते हुए मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ है, इसका मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता हूं। लेकिन इसका इस्टेबलिशमैंट एक ऐसी जगह होता, जहां पैट्रोलियम एक्टिवटीज ज्यादा होती, तो इसका लाभ, जो आपने ऑब्जेक्टिव में दिया है, वह ज्यादा अच्छा होता। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि इंडियन पेट्रोलियम इंजीनियर्स का डिसक्वरी रिकार्ड बहुत पीछे है। ऑयल एंड गैस रिजर्व डिस्कवर करने में हमारे इंजीनियर्स का रिकार्ड इसलिए कम है क्योंकि हमारा एजुकेशन बहुत थियोरिटिकल है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद भी हमारे इंजीनियर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है, वह सिर्फ थियोरिटिकल है। इसलिए थियोरिटिकल टीचिंग मैकेनिज्म को जब तक हम प्रैक्टिकल मैकेनिज्म में नहीं लायेंगे, तब तक जिस मकसद से आप ये इंस्टीट्यूट ऐस्टेबलिश कर रहे हैं, उसे हम जल्दी प्राप्त नहीं कर पायेंगे, अपनी मंजिल जल्दी नहीं पायेंगे। हिन्दुस्तान में हायर टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है खासकर आईआईटी, आईआईएम और अभी आप जो राजीव गांधी पेट्रोलियम नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें एक कमी है कि हम सिस्टम को बदलते नहीं हैं। हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, वह हमेशा थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देता हैं। उसे उत्तर प्रदेश में इस्टेबलिश करने का मेरा डर यही है कि हम उसी थ्योरी में जा रहे हैं। जैसे ही कोई इंजीनियर पास होगा, वैसे ही उसे प्रैक्टिकल इक्सपीरियंस के लिए अमेरिका, मिडिल ईस्ट या यूरोपीयन कंट्रीज में जाना पड़ेगा।

माननीय मंत्री जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने उत्तर प्रदेश में इस्टेबलिशमैंट कर दिया है, उसका मैं विरोध नहीं करता हूं लेकिन साथ-साथ एक इंस्टीट्यूट से हमारी रिक्वायरमैंट पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए आपको जल्द से जल्द यह फैसला लेना पड़ेगा कि यह इंस्टीट्यूट ऐसी जगह पर हो, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में। पहले हम सब 1951 तक असम के नाम से जाने जाते थे। हमने इस देश को सबसे पहले पेट्रोलियम दिया है। वहां इस तरह का इंस्टीट्यूट खोलने के लिए सरकार निर्णय करती, तो एक बहुत बड़ा जेस्चर होता और वहां के लोगों को लाभ भी मिलता। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हॉयर एजुकेशन के लिए हमें पूर्वोत्तर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश आदि जाना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा भी होना चाहिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां से लोग पूर्वोत्तर राज्यों में आयें। कभी ऐसा भी होना चाहिए कि दिल्ली में कोई व्यक्ति कहे कि मैं हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम जा रहा हूं। हमारे लोग हमेशा यहां क्यों जायें? हम सब एक देश के हिस्से हैं, इसलिए बराबर दृष्टिकोण रखना जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी के व्यवहार से उम्मीद रखता हूं कि आप बहुत जल्द हमें कुछ देंगे। पिछली बार जब हमने पेट्रोलियम रेगुलेटरी अथारिटी की चर्चा की थी, उस समय मैंने मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी कि इसकी एक ब्रांच पूर्वोत्तर में भी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री कीरेन रिजीजू: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी से कोई और सदस्य बोलने वाला नहीं है इसलिए हमारी पार्टी का सारा टाइम आप मुझे दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: रावत जी बोलने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे भी इस बिल को पास कराने के लिए मेरे पास एक घंटा है।

श्री कीरेन रिजीजू: मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। आपको अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: आज पेट्रोलियम की कन्जम्पशन देखें, तो कम से कम हिन्दुस्तान में कन्जम्पशन का रेट बढ़ता जा रहा है। इस मामले में विश्व भर में हमारा छठा नम्बर है। अमेरिका का 20.5 मिलियन बैरल, चाइना का 6.5 मिलियन बैरल, जापान का 5.4 मिलियन बैरल, जर्मनी का 2.6 मिलियन बैरल, रशिया का 2.6 मिलियन बैरल, इंडिया का 2.3 मिलियन बैरल पर डे कन्जम्पशन है। इसमें कनाडा, ब्राजील, साऊथ कोरिया और फ्रांस आदि भी है। हमारा नाम छठे नम्बर पर आता है। आज हमारी जनसंख्या और इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में हमारी पेट्रोलियम की कनजम्पशन कैपेसिटी बढ़ने वाली है। पेट्रोलियम सैक्टर में माननीय मंत्री जी ने जो बिल रखा है।

[अनुवाद]

यह पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का विकास करने और उसे बढ़ावा देने के लिए है।

[हिन्दी]

खासकर अपस्ट्रीम में हमारी कमजोरी सबसे ज्यादा है। अपस्ट्रीम यानि डिस्कवरी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं रिफाइनरी, रिसर्च की इम्पोर्टेंट्स को मानते हुए कहना चाहता हूं कि अपस्ट्रीम रिसर्च के ऊपर हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही, आप जो इंस्टीट्यूट स्थापित कर रहे हैं, उसमें एडमिशन की बात भी कहना चाहूंगा। इसमें एडमिशन के लिए आप नॉर्थ-ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रावधान रखिए। इसमें उनके लिए आरक्षण भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी बात मैं इस समय नहीं उठाऊंगा। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें। इसके साथ-साथ सभी आई.आई.टीस एवं नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक कोर्स के रूप में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जल्दी से जल्दी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयास करें।

इसके साथ ही आपको धन्यवाद देते हुए मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, इस विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। इसे कई वर्षों पहले लाया जाना चाहिए था। इस देश में तकनीशियनों और इंजीनियरों के विश्व स्तर के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसका कारण मात्र यह नहीं है कि हमारे देश में नई अन्वेषण नीति लागू की गई है जिससे हमारे क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को विकल्प और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिला है परन्तु देश के बाहर भी कार्य के व्यापक अवसर हैं।

पेट्रोलियम संबंधी परामर्श समिति के सदस्य के रूप में मैं तीन वर्षों से पेट्रोलियम मंत्रियों से भी इस बात की मांग करता रहा हूं। देश के बाहर असीम संभावनाएं हैं। हमें अपने लोगों को भेजने की आवश्यकता है। हमारे पास विश्व की सबसे अधिक प्रौद्योगिकी संबंधी श्रम शक्ति है। परन्तु हम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को क्यों भूल जाते हैं? हम सब सहमत हैं कि देश में हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता बहुत कम है। आज भी हम तेल की अपनी आवश्यकता का लगभग 75 प्रतिशत का आयात करते हैं जिसमें संभवत: 3,00,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं। देश में तेल शोधन की संभावना भी बहुत है। इसलिए इसे न केवल देश की आवश्यकता परन्तु श्रम शक्ति देश के बाहर भेजने हेतु पुन: स्थापित किया गया है। मैंने अनेक बार माननीय पेट्रोलियम मंत्री को सुझाव दिया है कि हमारे पास करीब 270 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा है। अब तक हम इसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। ओ.एन.जी.सी., इंडियन आयत कारपोरेशन या अन्य तेल कंपनियां जिनके पास विशेषज्ञता, श्रम शक्ति है तथा जो अन्य देशों में बोलियां लगा सकते हैं वहां से तेल भंडार प्राप्त कर सकने के पर्याप्त अवसर हैं जो अनेक वर्षों तक हमारी तेल की आवश्यकता का स्रोत हो सकते हैं।

चीन अधिकतर देशों में व्यापक रूप से ऐसा कर रहा है। हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं शायद इसका कारण यह हो सकता है कि निवेश करने का हम में साहस नहीं है तथा हमारे पास पर्याप्त तकनीकी श्रम शक्ति नहीं है जो उन्हें जोखिम उठाने हेतु मार्गदर्शन दे सकता है। मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि हम 30 डालर से 100 डालर की मूल्य वृद्धि देखें तो हमें कितना लाभ होता यदि हमनें कुछ वर्ष पूर्व देश के बाहर से तेल भंडार प्राप्त किए होते? तेल प्राप्त करने के अतिरिक्त हमने लाखों करोड़ों बना लिए होते। हमने वह अवसर खो दिया है। कम से कम इस संस्थान के द्वारा हम विश्व स्तर के पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ प्रशिक्षित कर सकते हैं। हम न केवल रोजगार प्रदान करेंगे अपितु देश को आय प्राप्त होगी तथा तेल की भी खोज की जा सकेगी।

विपक्ष के माननीय सदस्य मंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे कि 30 डालर से 90 डालर की मूल्य वृद्धि के बाद भी मंत्री जी ने तेल और विशेषकर निर्धनों को दिए जाने वाले मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। सबने इसकी प्रशंसा की है। हालांकि मंत्री जी को शायद अत्यधिक चिंता होगी कि वे शायद इसे कायम नहीं रख पाएंगे जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि पेट्रोल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि की तुलना में देश में वृद्धि न किए जाने के कारण हमारी अधिकतर घरेलू कंपनियों को करीब एक लाख करोड़ रुपये की हानि हो रही है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं विशेषकर इस बात के लिए कि दीवाली के अवसर के बावजूद भी मिट्टी के तेल और रसोई गैस सहित गैस, पेट्रोल, डीजल आदि की कम आपूर्ति नहीं की गई। अन्यथा, सामान्य तौर पर सभी समाचार पत्रों में गैस, रसोई गैस की अपर्याप्त आपूर्ति तथा सिलेंडर तथा मिट्टी के तेल के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारों के समाचार भरे होते। ऐसा कुछ भी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट है

[श्री के.एस. राव]

कि उन्होंने मांग और आपूर्ति का ध्यान रखा। एक या दो जगह कमी या अत्यधिक आपूर्ति हुई होगी परन्तु सारे देश में नहीं। इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इस बारे में हम उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते हैं।

यह कहा गया है कि 2019 तक 36,000 लोगों की कमी होगी। मेरे विचार से यह घरेलू स्थिति को ही दर्शाता है, यदि हम अपने लोगों को बाहर भेजते हैं तो उन्हें रोजगार मिलेगा, देश विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा तथा तेल प्राप्त करेगा। इसलिए इसके अनेक लाभ हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस बात को भी ध्यान में रखें तथा संस्थान की क्षमता में वृद्धि करें जिससे कि हम अधिक प्रौद्योगिकीविद् और विशेषज्ञ तैयार कर सकें। उन्हें कम से ही संतोष नहीं करना चाहिए।

उनको मेरा सुझाव है कि अनुसंधान और विकास पर ध्यान न देने के कारण देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए इस स्थिति में उसे अवश्य ही शुरू से ही अनुसंधान और विकास कार्य में लग जाना चाहिए।

कई अवसरों पर सक्षम प्रशिक्षण स्टाफ की उपलब्धता का प्रश्न उठ खड़ा होता है। मैंने देखा है कि वह पहले से ही उन विकसित देशों से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं जहां अद्यतन प्रौद्योगिकी दक्षता प्राप्त है। मैं उनका समर्थन करता हूं लेकिन उन्हें बाहर के देशों से उच्च श्रेणी के शिक्षण स्टाफ लाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए चाहे वह बहुत ही महंगा क्यों न पड़े जिससे हमारे लोग एक या दो वर्षों में ही वे सारी चीजें जान जाएंगे। इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करें।

इस विधेयक में, उन्होंने कहा है कि केवल स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन कुछ दक्ष लोग भी होने चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जाना चाहिए जिससे कि बड़ी संख्या में दक्षता प्राप्त कामगारों को तैयार किया जा सके जिसमें हम सफल नहीं हो सकते। उन्होंने संस्थान की शुरुआत का अच्छा काम किया है लेकिन उन्हें इस देश में कुछ उद्योगपतियों को रिग जैसे उपकरण और मशीनरी के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिग की कीमतें बहुत ऊंची पहुंच गई है। यही कारण है कि हमारी कम्पनी उनका सामना नहीं कर पा रही है लेकिन यदि यही निर्माण देश में हो तो हम बड़ी आसानी से उनका सामना कर सकते है और देश के बाहर बड़ी संख्या में ब्लॉकों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें तेल भी मिलेगा। इसलिए उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

अंत में, इस समय आंध्र प्रदेश बेसिन से काफी तेल निकल रहा है। इसलिए उन्हें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए, इस संस्थान में तथा नियुक्ति में उन विशेषज्ञों को महत्व तथा प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। यद्यपि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन्हीं कुद शब्दों के साथ मैं उनका समर्थन करता हूँ तथा उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तथापि, अब यह लाया गया है तो उनकी अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करना चाहिए कि यह शैक्षिक वर्ष 2008-09 में बड़ी संख्या से नियुक्ति के साथ शुरू किया जाए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय यह स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

प्राइस वाटर हाउस के अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2019 तक हमारे पास लगभग 6000 प्रशिक्षित लोगों की कमी होगी और हम उस संभावना को ध्यान में रखते हुए जो हमारे घरेलु क्षेत्र में खोज की संभावनाओं के कम उपयोग के कारण है मैं समझता हूं कि इससे काफी हद तक हमारा उद्देश्य पूरा होगा तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय महत्व के न केवल एक संस्थान बल्कि स्कूल स्तर, आई.टी.आई. स्तर, पॉलीटेक्निक स्तर पर भी इस परिदृश्य में कोई बहुत बदलाव नहीं आने वाला है यदि आपके पास बड़ी संख्या में दक्षता प्राप्त लोग न हो। यद्यपि सरकार ने बहुत सी आई.टी. आई. की स्थापना का प्रस्ताव किया है, फिर भी हम पाते हैं कि देश में, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र सहित, दक्षता प्राप्त लोगों की भारी कमी है।

दूसरीबात, यद्यपि इंजीनियरिंग कालेजों और अन्य संस्थानों से स्नातक पास कर रहे हैं फिर भी मात्र 53 प्रतिशत लोगों को रोजगार बाजार में रोजगार मिल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति है और यहाँ तक की भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने भी इस पर टिप्पणी की है। इसमें से कितने स्नातक काम पाने योग्य हैं। इस समय देश के विभिन्न भागों में फिनिशिंग स्कूल खुल रहे हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। मूल प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय महत्व के इन संस्थानों को आई.आई.टी और अन्य निचले स्तर के संस्थानों के बराबर कैसे लाया जाए। इसे स्कूल स्तर पर पढ़ाने की जरुरत है। सरकार को ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर ध्यान देना चाहिए। इस खाई को पाटने के लिए हमें संगत क्षेत्रों की खोज करनी होगी तथा उन तरीको

को खोजें कि राष्ट्रीय ग्रिड तथा गैस को कैसे बनाया जा सकता है तथा गैस, कोयला, तेल और अन्य स्रोतों को हम कैसे समेकित कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त लोगों की कमी बहुत बड़ी समस्या है।

दक्षता प्राप्त लोगों को बनाये रखना भी दूसरी समस्या है। हम सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में पाते हैं कि दक्ष लोग छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अन्यथा अधिक वेतन दिया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र द्वारा आकर्षक पैकेज दिए जा रहे हैं। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भी बार-बार उस विषय पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। मुझे नहीं मालूम कि छठा वेतन आयोग इस संबंध में क्या सिफारिश करेगा। परन्तु आज स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे योग्य लोग नौकरियां छोड़कर निजी क्षेत्र में जा रहे हैं।

तीसरी बात प्रौद्योगिकी के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पर अन्वेषण प्रौद्योगिकी को ही लीजिए। फिलहाल हम द्वि-आयामी प्रौद्योगिकी से संतुष्ट हैं। जब तक हमारे पास अत्याधुनिक त्रि-आयामी प्रौद्योगिकी नहीं होगी जिसमें काफी निवेश की आवश्यकता है तथा तकनीकी लोगों की भी आवश्यकता होगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। तेल कूटनीति के संबंध में हमने अफ्रीका, रूस, पश्चिमी एशिया तथा अन्य देशों में काफी साझा निवेश किया है। इस परिवेश में कुशल लोगों, पेशेवर लोगों की आवश्यकता है। यह एक स्वागत योग्य कदम है जिसे सरकार उठाने जा रही है।

आज हम प्रतिभा पलायन को रोकने की समस्या से जूझ रहे हैं बल्कि प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ हैं। आज हम देखते हैं कि आज एक सामान्य इंजीनियर जो कि पेट्रोलियम क्षेत्र में विशेषज्ञता की डिग्री रखता है वित्तीय क्षेत्र में तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में काफी विसंगतियां हैं। इन क्षेत्रों में उन्हें आकर्षक वेतनों के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार को कदम उठाने चाहिए तथा प्रतिभाओं को आकर्षित करने और इन्हें अपने यहां काम पर लगाए रखने के मुख्य मुद्दे पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, मैं केवल दो, तीन मुद्दों पर बोलना चाहता हूँ। विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाएगा। इसका उल्लेख किया गया है कि एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का सदस्य कौन होगा? समिति का गठन कैसे किया जाएगा? क्या वह कोई राजनीतिक नियुक्ति होगी? फिर इसकी स्वायत्तता का प्रश्न उठता है। इस संस्थान को किस प्रकार की स्वायत्तता दी जाएगी? यदि आप आई.आई.एम. तथा आई. आई.टी. की स्वायत्तता की ओर देखें इन संस्थानों की स्वायत्तता में हमेशा ही हस्तक्षेप होता रहा है। संसद के अधिनियम के द्वारा इसे प्रस्तावित किया जा रहा है। अत: संसद का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? आई.आई.टी. तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों में लोक सभा के दो तथा राज्य सभा के एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधत्व किया जाता है। परन्तु इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरे विचार से यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। मैं इस पर अनेक टिप्पणियां कर सकता था। इस पाठ्यक्रम के संबंध में एक संदर्भ भी दिया गया है। इसमें सीनेट, बोर्ड इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। बोर्ड तथा सीनेट के बीच क्या संबंध है? यदि हम अपने विश्वविद्यालयों के अनुभव को देखें तो संकाय का प्रबंधन सरल नहीं होगा क्योंकि आई.आई.टी में संकाय एक बड़ी समस्या है।

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान चलाना सरल नहीं है। मेरे विचार से सरकार ने इसके छोटे-बड़े पहलुओं पर विचार नहीं किया है। समय के अभाव में मैं इस समस्या पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। परन्तु मुझे इस विधेयक में अनेक त्रुटियां नजर आती हैं। मैं अध्यक्ष तथा सदस्यों आदि की योग्यता पर भी टिप्पणियां कर सकता था। कानपुर का उल्लेख किया गया है। कानपुर का ही क्यों? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में है? अन्य आई. आई.टी. में भी पाठ्यक्रम हैं। आप इस पाठ्यक्रम को कानपूर तक ही सीमित क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार आपने अनेक बातों का उल्लेख नहीं किया है अथवा पर्याप्त रूप से जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से सरकार को इस विषय पर संक्षिप्त रूप से ...*(व्यवधान)*

जहां तक अध्यक्ष का प्रश्न है विधान तैयार होने तक अध्यक्ष कौन होगा? अधिनियम में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। उसकी अहर्तायें क्या होंगी? संसद के प्रतिनिधित्व के संबंध में इसका उल्लेख इस विधेयक में किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों का क्या होगा, उत्कृष्ट संस्थानों को जोड़ने के बारे में क्या होगा तथा इसे विद्यालय स्तर से अनुसंधान स्तर तक कैसे संबद्ध किया जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिन उद्देश्यों के लिए इसे स्थापित किया गया था वह पूरा नहीं हो पाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 के संबंध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए में आपका आभारी हूं। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जायस में स्थापित हो रहा है, इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस संस्थान में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रबंध विज्ञान और कला में स्नातक, मास्टर और डाक्टर की डिग्रियां प्रदान करने की व्यवस्था है, यह बहुत प्रशंसनीय विषय है। जो छात्र वहां पढ़ेंगे, उनके लिए होस्टल आदि की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2008-09 में आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो रही है और 285 करोड़ शुरूआत में इसे देने जा रहे हैं इसलिए भी मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। यह देखा गया है कि देश में आज भी पेट्रोलियम क्षेत्र में शोधन और भेदन भंडारों की कमी है, इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में यह संस्थान बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यह संसथान मानव संसाधनों को विकसित करके पेट्रोलियम में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी को पूरा करने का प्रयास करेगा। संस्थान की स्थापना से तेल उद्योग को पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता प्राप्त इंजीनियरों की प्राप्ति होगी, जिससे देश में जो तेल की समस्या है, उससे निजात मिलेगी और सुविधा होगी। जहां-जहां भी इस प्रकार के संस्थान हैं, वहां पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों का सम्पूर्ण और चहुंमुखी विकास होगा। इस संस्थान के रायबरेली जायस में स्थापित होने की वजह से, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, आईआईएम लखनऊ और कुछ श्रेष्ठ संस्थान, जो काफी निकट हैं, वहां के प्रशिक्षित शिक्षक आसानी से प्रस्तावित संस्थान में आकर अध्यापन का कार्य कर सकते हैं।

अपराह्न 1.59 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्ण *पीठासीन हुए*]

यह संस्थान अपने आप में इसलिए भी उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि इसके नजदीक हवाई पट्टी है, जिससे तमाम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आना-जाना इस संस्थान में लगा रहेगा। जहां सरकार इस विशेष पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने और आईआईटी प्रशिक्षित विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले में वृद्धि की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, वहीं आईआईटी के पाठयक्रमों में शुरूआत में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अलावा इससे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून या भारतीय खान विद्यालय, धनबाद जैसे संस्थानों का दर्जा और आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

अपराह्न 2.00 बजे

इसी के साथ-साथ तमाम प्रलोभन दिए जाने से मल्टीनेशनल कम्पनियों में उनके जाने पर रोक लगेगी और इससे संस्थान कारगर साबित होगा। संसद सदस्यों और जन-प्रतिनिधियों को परिसर में, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जैसा कुछ संस्थानों में किया गया है, उसी प्रकार से इस संस्थान में भी व्यवस्था की जाए।

इन्हीं बातों के साथ मैं यह विधेयक जो माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

नि:संदेह माननीय मंत्री महोदय से हम सब सहमत हैं कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है। सर्वप्रथम, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर संस्थान का नाम भारतीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान होता तो यह उचित होता चूंकि इससे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का मान बढ़ता क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है तथापि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

जैसा कि मैं हमारे नेता श्री बृज किशोर त्रिपाठी जी तथा अपने सहयोगी श्री भर्तृहरि महताब जी को बता रहा था कि समय आ गया है कि इस देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में और बढ़ोत्तरी की जाये। देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों का स्तर विश्व स्तर के समरूप होना चाहिए। परंतु इस विधेयक में कुछ मुद्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए चूंकि यह सत्तारूढ़ दल अथवा यूपीए के मुख्य दल में विवाद का विषय है। हम सब इसके बारे में जानते हैं।

यदि इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाना है तो इसके लिए निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होना चाहिए। उदाहरण-स्वरूप हम पेट्रोनास, ब्रिटिश पेट्रोलियम तथा एक्सान जैसी कंपनियों का सहयोग ले सकते थे तथा अंतर्राष्ट्रीय संकाय प्राप्त कर सकते थे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भी यहां आकर अध्ययन कर सकते थे। जब भारतीय विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करेंगे तथा जब अंतर्राष्ट्रीय संकाय तक उनकी पहुंच होगी, तब उन तकनीकी कर्मचारियों के शिक्षा तथा प्रशिक्षण का स्तर कहीं अच्छा होगा।

हम सब जानते हैं कि जब पहले युद्ध में इराक ने कुवैत से वापसी की थी तो उन्होंने तेल के कुँओं को आग लगा दी थी। कुवैतियों को यूरोप तथा अमेरीकी सहायता के साथ इस आग को बुझाने में महीनों का वक्त लग गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि एक साधारण चीज जैसे तेल के कुओं की आग बुझाने के लिए एक उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इस संपूर्ण विश्व में कुछ कर्मचारी हैं जो इस प्रकार की प्रौद्योगिकी की जानकारी दे सकते हैं। इसलिए जब तेल क्षेत्र की बात आती है तो यह केवल अन्वेषण का प्रश्न ही नहीं है, परंतु जो चीजें अत्यंत साधारण लगती हैं, परंतु जटिल हैं, जैसे आग बुझाना, इसके लिये

तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है जिसे संस्थान को निश्चित ही देखना चाहिए।

देश में जिस भी श्रमशक्ति का हम सृजन करते हैं, वह न केवल इस देश तक ही सीमित होनी चाहिए बल्कि इसको विदेशों में भी भेजा जाना चाहिए। परंतु हमें सावधान भी रहना चाहिए। हमने आईआईटी व अन्य उत्कृष्ठ संस्थानों के मामले में भी देखा है कि वे भारतीय समाज का लाभ उठाते हैं, वे भारतीय करदाता का लाभ उठाते हैं। जब वे संस्थान से पास होकर निकलते हैं तो वे तुरंत विदेश चले जाते हैं।

यहाँ, यह स्पष्ट नहीं है कि पाठ्यक्रम की अवधि क्या होगी या इस संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का क्या स्तर होना चाहिए। परंतु जब भी यह विनिर्दिष्ट किया जाता है तो मैं यही सुझाव दूँगा की सभी स्वदेशी छात्रों से एक करार पर हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिए कि संस्थान से पास होकर उन्हें देश में आवश्यक रूप से कुछ अवधि तक कार्य करना पड़ेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस मुद्दे पर भी विचार करेंगे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि 2019 तक लगभग 36000 लोगों की आवश्यकता है तथा यह सर्वेक्षण किसी विदेशी ऐजन्सी द्वारा किया गया है। परंतु मेरा विचार है कि यह अत्यंत रूढ़िवादी अनुमान है तथा मेरा विचार है कि वास्तविक आवश्यकता इससे कहीं अधिक होगी। जैसा कि कुछ वरिष्ठ सांसदों ने पहले भी इंगित किया है कि यह उचित होगा कि इस स्तर के संस्थानों में स्थानीय सांसद होने चाहिएं, समय विशेष में जो भी सांसद हो उन्हें बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बोर्ड में लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके। संसद को हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय सांसद का प्रतिनिधित्व किए जाने पर बल देना चाहिए ताकि यह उत्कृष्टता बरकरार रखी जा सके। नि:संदेह प्रत्येक व्यक्ति ने पेट्रोलियम उत्पादों के दामों को नियंत्रित किए जाने के लिए मंत्री महोदय की प्रशंसा की है। हम बीजू जनता दल भी उनकी प्रशंसा करते हैं। हम भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के नियंत्रण में उनकी असाधारण सफलता पर उन्हें बधाई देते हैं जबकि विश्व में हर जगह इनमें वृद्धि हुई है। परंतु इसके साथ-साथ मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि इसी प्रकार अलग नाम से एक संस्थान, जैसाकि मैंने सुझाव दिया था, भारतीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान नाम से पूर्वोत्तर अथवा उड़ीसा में स्थापित किया जा सकता है, जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी द्वारा सुझाव दिया गया है। क्योंकि वहां महानदी बेसिन में तेल मौजूद है तथा कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी तेल मौजूद है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: पूर्वी तट के साथ-साथ भी यह काफी पाया जाता है। अत: देश के उस क्षेत्र से आने वाले छात्रों की सुविधा के लिए एक संस्थान उड़ीसा में स्थापित किया जा सकता है जो उस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करेगा।

महोदय, यह एक ज्ञात तथ्य है कि जो हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को नियंत्रित करता है वही देश के भविष्य को नियंत्रित करता है। आज भारत अलग-थलग नहीं रह सकता और न ही हम अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों को अधूरे छोड़ सकते हैं। इसलिए, पेट्रोलियम के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी, यह आवश्यक है कि हम वास्तव मे अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुसार संस्थान स्थापित करें। यदि सरकार इतना निवेश कर रही है तो उसे और संस्थान बनाने पर विचार करना चाहिए। मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है और मैंने पाया कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें से हर वर्ष कितने छात्र निकलेंगे। मंत्री जी को सभा के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि आपने वर्ष 2019 को 36,000 प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने का लक्ष्य रखा है तो हर वर्ष कितने प्रशिक्षित कर्मचारी निकलेंगे। ऐसे अनुकरणीय विधेयक पर विचार करने और उसे लाने के लिए मैं एक बार पुन: मंत्री जी को बधाई देता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि रायबरेली, जिसकी महत्ता हम सब भलीभांति समझते हैं, के अलावा वे इस बात पर भी विचार करेंगे कि उड़ीसा अन्य ऐसा उत्कृष्ट स्थान है जहां ऐसा एक और समानांतर संस्थान स्थापित किया जा सकता है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम के क्षेत्र पर हमें बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था। हम ऐसे कर्मचारी तैयार कर रहे हैं जो प्रौद्योगिकी में दक्ष होंगे। महोदय, अब, जब हम राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान बना रहे हैं, सर्वप्रथम मैं मेरे पूर्व वक्ता, श्री रुपचंद पाल द्वारा दिए गए विचार का समर्थन करता हूं।

आखिरकार, हम एक ऐसा विधान अधिनियमित कर रहे हैं जिसके जरिए हम नया कदम उठा रहे हैं जो बहुत बड़ा कदम है। अब, इस संस्था की संसद के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। केन्द्रीय अधिनियम से तिरुवनन्तपुरम में श्री चित्र थिरुनाल प्रौद्योगिकी संस्थान मौजूद है। उस संस्थान के शासी निकाय में इस सभा के दो और राज्य सभा का एक सदस्य है। यह आवश्यक नहीं है कि वे स्थानीय सदस्य हो, लेकिन उस संस्थान के शासी निकाय में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इस विधेयक में भी यह उपबंध शामिल किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे इस संस्थान की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश से श्री कीरेन रिजीजू द्वारा उठाई गई मांग न्यायोचित है क्योंकि वह देश

[श्री तथागत सत्पथी]

का ऐसा हिस्सा है जहां हमने तेल की संभावनाओं का पता लगाना और अन्वेषण आरंभ कर दिया है और यह इलाका अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ भी है। मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय गुवाहाटी में एक संस्थान चला रहा है जो इस क्षेत्र में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अकादमिक संस्थान है। एक नया संस्थान, जो बनाना काफी कठिन भी होगा, के स्थान पर यदि उस संस्थान को इसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दे दिया जाए तो इससे उस क्षेत्र के लोगों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाएगी। जहां तक मैं समझता हूं कि गुवाहाटी का संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्थान है और माननीय मंत्री इस बारे में बेहतर जानते होंगे। इसलिए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, फिलहाल मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यह विधेयक जल्दी में तैयार किया गया है। यद्यपि इसका उद्देश्य महान है, फिर भी इस विधेयक में संकाय के बारे में, सीनेट के बारे में और अन्य बातों के बारे में परिवर्तन होना चाहिए। अतः, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसका और सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और आगामी दिनों में कुछ संशोधन लाएं। इससे इस संस्थान को सहायता मिलेगी और उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलेगी जिसके लिए आज यह स्थापित किया जा रहा है।

हम हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें नए अन्वेषण और नई संभावनाएं शामिल होनी चाहिए। काफी समय पहले यह खबर आई थी और केरल सरकार ने भी इस मंत्रालय से काफी पहले आग्रह किया था कि मालाबार तट, विशेषतः कोच्चि के निकट, यथ बांबे हाई में तेल की मौजूदगी और अन्वेषण की अपार संभावनाएं हैं। यदि हम वहां तेल के भंडार का पता लगाएं, संभावनाओं का अन्वेषण करें और संभावनाओं को तलाशें तो शायद वह गोदावरी बेसिन में मिले भंडार से बड़ा होगा। यह वही क्षेत्र है जहां केरल की विशालतम नदियां बहती हैं। इसे मंत्रालय की भावी योजनाओं में भी स्थान मिलना चाहिए।

फिर, जैसा कि इंगित किया गया है, जब हम एक उत्कृष्ट संस्थान का निर्माण करें तो इसे नीचे से सहायता मिलनी चाहिए। अन्यथा यह उत्कृष्ट संस्थान आधारहीन रहेगा। अब, सरकार का कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से 500 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है। अतः, इन संस्थानों में जहां भी आवश्यकता हो, यदि हाइड्रोकार्बन का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए तो सरकार को इस संस्थान में आने वाले प्रशिक्षित कर्मचारी मिल जाएंगे या उनकी प्रतिभा का प्रयोग अन्यत्र किया जा सकता है।

अतः, मैं राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को शुभकामनाएं देता हूँ। यह विधेयक लाने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे हमारे उन चन्द सुझावों से सहमत होंगे जिनसे यह विधेयक और मजबूत होगा और इस संस्थान को सुदृढ़ करेगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं और इसके लिए मंत्री जी को बधाई भी देता हूं लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पहले ही देहरादून में के.डी. मालवीय जी के नाम से एक बहुत बड़ा संस्थान है। उस संस्थान के होते हुए क्या केवल राय बरेली और अमेठी ही उत्तर प्रदेश या देश है? ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं यूपीए की चेयरमैन राय बरेली से आती हैं तो इसलिए उस क्षेत्र में यह संस्थान खोला गया है और कल-परसों भी किसी और संस्थान का उद्घाटन हुआ था तथा वह अमेठी में खोला गया है। हमारा निवेदन है कि उ.प्र. में ऐसे संस्थान खुलें, आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश प्रांत आगे बढ़े, हमें तनिक भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां पर पेट्रोल या गैस पैदा होती है, वहां पर अगर यह संस्थान खोला जाता तो इसकी सार्थकता अधिक होती।

माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधान मंत्री थे, युवा थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किये और हम सभी इसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन हम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को भूल गये, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भूल गये, महात्मा गांधी जी को भूल गये और नेता जी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि बड़े-बड़े नेता हुए, लेकिन हर बात में जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, राजीव गांधी पेयजल योजना चलाना, यह जो प्रवृत्ति चल रही है, जो ठीक नहीं है मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा लेकिन मैं अपनी भावना को अभिव्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

जहां तक इस संस्थान की स्थापना का संबंध है, यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और जैसा हमारे साथियों ने भी कहा कि संसद का कोई न कोई प्रतिनिधि-लोक सभा के दो और राज्य सभा के दो प्रतिनिधि इसमें अवश्य होने चाहिए। आपने जो इसका गठन किया है, तीन-तीन चीजें-गवर्निंग बॉडी, जनरल काउंसिल और सीनेट, अब ये तीन चीजें हो गई हैं और तीनों में तालमेल कैसे रहेगा, इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने इसमें बताया है लेकिन जब इसमें लिखा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा देखने का अधिकार होगा और हर साल संसद के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी तो वह संसद के प्रति एकाउंटेबल होगा। इसीलिए मेरा

निवेदन है कि सुसंद के प्रतिनिधि भी जनरल बॉडी और गवर्निंग बॉडी में अवश्य रहने चाहिए।

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जालौन में बड़े-बड़े तेल के भंडार मिले हैं। ओएनजीसी को भी नया भंडार मिला है। पहले जो केयर्न कंपनी थी, उसको भी तेल का भंडार मिला और ओएनजीसी को भी तेल का भंडार मिला है। इस प्रकार से राजस्थान जैसे पिछड़े और सीमावर्ती राज्य के अंदर इस प्रकार के संस्थानों की शाखा स्थापित की जाए तो मैं समझता हूं कि वह भी उपयोगी सिद्ध होगा। आपने इसमें ग्यारहवें क्लॉज में लिखा है कि संस्थान सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश या जाति या गर्व के हों और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों का प्रवेश देने या नियुक्त करने में धार्मिक विश्वास या मान्यता का कोई मानदंड या शर्त अभिरोपित नहीं की जाएगी। यह बहुत अच्छी क्लॉज है। लेकिन अगर इसमें प्रान्त भी लिख देते क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाना चाहते हैं ताकि यहां बड़े-बड़े विशेषज्ञ पढ़ाने वाले हों और विदेशों से भी विशेषज्ञ आएं और हमारे यहां के विशेषज्ञ भी हों और मैरीटोरियस में भी प्रवेश मिल सके और हाइड्रो कार्बन, पेट्रोलियम और रिसर्च के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर सकें। खुदाई के क्षेत्र में नये-नये ब्लॉक्स जो आप नीलाम कर रहे हैं, और निजी क्षेत्र में भी सरकारी कंपनियों को दे रहे हैं जिससे वहां तेल की खुदाई हो और तेल मिले क्योंकि हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि ऐसे अनेक तेल के भंडार हैं जिनके बारे में पता लगाना अभी शेष है। पहले हम रशियन एक्सपर्ट्स को मुम्बई हाइ के अंदर बुलाते थे क्योंकि अगर कोई टेक्नीकल मिस्टेक हो जाती है तो हमारे यहां विशेज्ञषों का अभाव होने के कारण हमें सफर करना पड़ता है। अब मैं समझता हूं कि यह संस्थान हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारा देश एक बढ़ता हुआ विकासमान देश है और इसलिए यहां ऐसे संस्थानों की बहुत आवश्यकता थी। आप यह विधेयक लाए हैं, इसके लिए मैं आपको फिर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या इस संस्थान को खोलने से पहले या कार्य शुरु करने से पहले सरकार ने विदेशों की संस्थाओं का, जो विश्व स्तर की हैं, उनका अध्ययन कराया है ताकि उनके अंदर जो इनफ्रास्ट्रक्चर हों या एक्सपर्टाइज है, वहां जैसे मानदंड निर्धारित किये गये हैं, हमारे यहां भी विश्वस्तरीय संस्थान के अंदर जैसा हो सकेगा ताकि हम भी विश्व के किसी देश से पीछे नहीं रहें। जैसा सरकार ने कहा है कि सूडान, उज़बेकिस्तान या मध्य एशिया या अफ्रीका के अंदर या रूस से कोलैबोरेशन करके हमारे ओ.एन.जी.सी. या आई.ओ. सी. के लोग विदेशों में खुदाई या अन्वेषण का काम मिलकर कर रहे हैं, कम से कम यह राष्ट्रीय संस्थान विश्व स्तर का होगा। दुनिया के दूसरे देशों के लोग पेट्रोलियम और हाईड्रोकार्बन के क्षेत्र में अनुसंधान दक्षता प्राप्त करने के लिये यहां आ सकें, इसकी व्यवस्था इस संस्थान में होनी चाहिये।

सभापति जी, सरकार ने इसमें समय सीमा 5 साल रखी है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 285 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्ष 2007-08 में 44 करोड़ रुपये, 2008-09 में 81 करोड़ रुपये, 2009-10 में 69 करोड़ रुपये और 2010-11 में 60 करोड़ रुपये निरंतर मिलते रहेंगे। जब तक इसमें टाइम लगेगा, तब तक इसकी कीमतें और बढ़ जायंगी। स्थापना, मशीनों और सारे डिपार्टमेंट की फैक्लटीज़, अपाइटमैंट में खर्च बढ़ेगा। इस सब के लिये धन की व्यवस्था सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियों से ले कर किया जायेगा। उनके एक्सपर्ट्ज जनरल बॉडी में होंगे। अगर इस कार्य में थोड़ी तेजी लाई जाये तो उत्तम होगा।

सभापति जी, मैं एक प्रार्थना और करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भी तेल निकला है। सरकार और ओ.एन.जी.सी. चाहती है कि वहां तेल रिफाइनरी खुले। आज इस देश में जहां तेल नहीं निकलता है, फिर भी रिफाइनरी वहां स्थापित है लेकिन राजस्थान का हक है और उसकी न्यायोचित मांग है कि वहां तेल के भंडार मिल रहे हैं, आगे और मिलेंगे, कम से कम एक रिफाइनरी राजस्थान में भी स्थापित होनी चाहिये। जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं, राजस्थान को उसकी रॉयल्टी का 50 परसेंट प्राप्त होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री अधीर चौधरी जी बोलेंगे। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

इस विधेयक पर राज्य सभा में पहले ही चर्चा की जा चुकी है और इसमें कोई नई बात नहीं जोड़ी गयी है। नई संस्थान खोले जाने के लिए हम संविधान के दायरे में बंधे हैं। यही सर्वोपरि है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार एक परिषद-अध्यक्ष तथा पदध ारियों की नियुक्ति की जानी है। यह एक सामान्य और नियमित तरह का मामला है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है। इस विध ेयक पर विस्तृत चर्चा की गुंजाईश नहीं है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं हमेशा ही आपके निर्देशों का पालन करता हूँ।

सभापति महोदय: ठीक है अब कृपया आरंभ करें।

श्री अधीर चौधरी: सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवरा जी की भरपूर

[श्री अधीर चौधरी]

प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2007 नाम से यह विधेयक लाने की पहल की है।

. महोदय, यह संस्थान फिलहाल एक किराए के मकान से चल रहा है तथा संसद के अधिनियम के पश्चात यह संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा।

कुछ सदस्य इस संस्थान का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखने का विरोध कर रहे हैं। महोदय, इससे संकुचित सोच नहीं हो सकती कि कुछ सदस्य इस संस्थान का नाम श्री राजीव गांधी के नाम पर रखने का विरोध कर रहे हैं। राजीव गांधी आधुनिक भारत का प्रतीक है जिन्होंने 'मेरा भारत महान' का सपना देखा था। राजीव गांधी ने हमारे देश का एक नया दृष्टिकोण रखा। राजीव गांधी हमारे देश की एकता के प्रतीक हैं जिन्होंने अपने देश की एकता तथा अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यदि इस सभा में हम इस संस्थान का नाम महान नेता राजीव गांधी के नाम से रखने का विरोध करते हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में एक शर्मनाक घटना होगी।

राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा को विश्व में एक सशक्त हथियार माना जाता है। हम ऊर्जा सुरक्षा की समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि प्रयोग में लाई जा रही 70 प्रतिशत ऊर्जा का हम आयात कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है, अर्थव्यवस्था में हो रही प्रगति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए भविष्य में हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हमने पहले ही अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा अन्य देशों के तेल क्षेत्रों में भागीदारी के पुरजोर प्रयास किए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।

भारत विश्व में अमरीका के पश्चात दूसरा राष्ट्र है जो कि सर्वाधिक संख्या में तकनीकी व्यक्तियों को तैयार कर रहा है। जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न है इस क्षेत्र में हमने अमरीका की 'सिल्कॉन वैली', जिसे सूचना प्रौद्योगिकी का मक्का कहा जाता है, को भी पछाड़ दिया है। 'हाइड्रोकार्बन विजन' होने के बावजूद इस क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए हमारे पास अभी आवश्यक अवसंरचना तथा तकनीकी व्यक्तियों का अभाव है। मंत्री जी ने पहले ही स्वीकार किया है कि 'अवसादी बेसिन' में केवल 30 प्रतिशत क्षेत्र में ही अन्वेषण हो पाया है।

प्राकृतिक अन्वेषण नीति को पहले ही वर्ष 1990 में स्वीकृत किया जा चुका है तथा विभिन्न उद्यमियों को कई ब्लॉकों में ऊर्जा का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। यह प्रशंसनीय है कि ओ.एन.जी.सी., भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को फोरब्स पत्रिका द्वारा 'फार्च्यून 500' की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: हमारे पास क्षमता है। परन्तु हमें और अधिक तकनीकी लोगों की आवश्यकता है तथा इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व आऊटसोर्सिंग की ओर बढ़ रहा है।

यदि आप इरान और इराक देशों को देखें तो उनके पास प्रचुर तेल भंडार है परन्तु उनके पास आवश्यक तेल शोधक तंत्र नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप अपने देश में रिफाइनरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए इन देशों द्वारा चीन तथा अन्य दूसरे देशों से तकनीकी लोगों को बुलाया जा रहा है। इसलिए, यदि हम राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर पाएगें तो हम अपने लोगों को अपने अधिकाधिक तकनीकी प्रशिक्षित लोगों को नौकरियाँ हासिल करने हेतु विदेशों में भेज सकेंगे और इस प्रकार हमें तेल क्षेत्र में और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हो सकेगी।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए आबंटित किया गया समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अपराह्न 2.30 बजे चुके हैं।

श्री अधीर चौधरी: राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि इस प्रकार और संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अपराह्न 2.30 बज चुके हैं। अत: विधेयक पर चर्चा करने का समय पूरा हो चुका है। यदि सभा सहमत हो तो विधेयक पर चर्चा के लिए 15 मिनट का समय और बढ़ाया जा सकता है। सभा की क्या राय है? मेरा विचार है कि आप सभी सहमत हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय क्या 15 मिनट में इस पर चर्चा पूरी की जा सकती है?

सभापति महोदय: ठीक है हम इस पर चर्चा के लिए आधे घंटे का समय और बढ़ा देते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय मुझे नहीं लगता कि इतना समय पर्याप्त होगा ...*(व्यवधान)* हमारे दल से अब कोई वक्ता नहीं है।

सभापति महोदय: मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि संविधान के तीनो स्तम्भों के बीच संबंध को लेकर नियम 193 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। यह मुद्दा लम्बे समय से लंबित पड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है। हमें चर्चा पर आबंटित समय में कटौती नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है।

श्री चौधरी, कृपया समाप्त कीजिए। इसका यह अर्थ नहीं है आप बोलना जारी रख सकते हैं। प्रिय मित्रों यदि आप सहयोग नहीं करोगे तो सभा की कार्यवाही कैसे चलायी जा सकती है? आप सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं, यदि विपक्ष के सदस्य ऐसा करते हैं तो यह समझ में आता है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय मैं समाप्त करूंगा।

महोदय, हमें नई अन्वेषण लाइसेसिंग नीति का पुरजोर तरीके से पालन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें सक्षम कार्मिकों की आवश्यकता है इस प्रकार के संस्थान और अधिक सक्षम व्यक्ति तैयार करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के और संस्थान स्थापित किए जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): श्री अधीर चौधरी कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: जी महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संसदीय कार्य मंत्री का भी आप पर कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, विधेयक में एक बंदोबस्ती निधि का उपबंध है। इसलिए, मैं सभी सदस्यों से अपने एक माह के वेतन को उस निधि में दान देने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय: श्री चौधरी, कृपया कम से कम संबंधित मंत्री के नियंत्रण में तो रहें।

मंत्री महोदय, धन्यवाद। ऐसे मामलों में आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूँ परंतु आपके हस्तक्षेप का स्वागत है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय मैं माननीय मंत्री का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ विशेषरूप से इसलिए चूँकि माननीय मंत्री तथा मंत्रालय देश में स्वर्गीय प्रधानमंत्री के नाम पर एक उत्कृष्ता केन्द्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

विधेयक के अनुसार, संस्थान बी. टेक से पीएच.डी. कार्यक्रमों की शिक्षा देगा। हमारे देश में असंख्य इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तथा प्रत्येक दिन नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं। मंत्री इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को हाइड्रोकार्बन, दोहन तथा अन्वेषण के क्षेत्र में बी.टेक तथा एम.टेक. कार्यक्रमों को प्रारंभ करने का निर्देश क्यों नहीं देता है तथा इस संस्थान के कार्यक्रम को सीमित क्यों नहीं करता है विशेष रूप से डॉक्टेरल कार्यक्रमों तक सीमित क्यों नहीं किया जाता है ताकि इसे उत्कृष्टता का विशिष्ट केन्द्र बनाया जा सके। जहाँ हम लोगों को प्रशिक्षित कर सकें।

यह संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अनुच्छेद 10 में शासी निकाय की चर्चा की गई है जिसके पास भारत के भीतर अथवा बाहर किसी भी स्थान पर कैम्पस तथा अकादमी केन्द्र स्थापित करने की शक्ति होगी। हमारे पास इस संस्थान के साथ-साथ दो क्षेत्रीय केन्द्र हो सकते हैं–एक पूर्वोत्तर में तथा एक दक्षिण में–केरल को इस क्षेत्र में कोई विशेष महारत हासिल नहीं है परंतु खाड़ी देशों में तेल कंपनियों में अनेक लोग कार्य कर रहे हैं। हम सम्भवत: 'कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी' के साथ एक क्षेत्रीय केन्द्र को सम्बद्ध कर सकते हैं तथा दूसरे क्षेत्रीय केन्द्र को पूर्वोत्तर में स्थापित कर सकते हैं जो कि परम्परागत रूप से तेल भंडारों के लिए जाना जाता है।

इसलिए, माननीय मंत्री ने स्वयं कहा था। नीति के संबंध में हमने केवल 30 प्रतिशत अवसादीय निक्षेपों का दोहन किया अथवा अन्वेषण किया है। 2015 तक हमारा लक्ष्य इसे शत प्रतिशत करने का है। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा करना बुद्धिमता पूर्ण होगा चूँकि बड़े देश जैसे अमेरिका, एशिया तथा चीन के पास बड़े भंडार है। वे उन निक्षेपों को भंडार में रखते हैं तथा विशेष रूप से खाड़ी देशों से तेल आयात करते हैं। हम सब जानते हैं कि तेल अत्यंत महत्वपूर्ण तथा परमावश्यक है। तीन दशक पूर्व, रोम के क्लब ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये कार्बन निक्षेप समाप्त हो सकते हैं। एक बार यह समाप्त हो जाए, यदि हम पूर्ण रूप से दोहन करते हैं, तो क्या होगा? जहाँ तक इस महत्वपूर्ण उत्पाद का संबंध है, इस विश्व के संबंध में हमारी स्थिति क्या होगी?

हमारे आयात बिल की 70 प्रतिशत राशि तेल आयात पर व्यय होती है। कच्चे तेल के मूल्यों ने लगभग 100 डालर प्रति बैरल के भाव को छू लिया है। हमें अपने निक्षेपों को सभी अन्वेषित

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

करना है। जैसा कि श्री चन्द्रप्पन जी ने इंगित किया है, हमारे पास बड़े भंडार मौजूद है ...*(व्यवधान)* तथा हम इसके बारे में बड़े लंबे समय से बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं अग्रणी रहा हूँ तथा विमत से भी। मेरी भाषण समाप्त करने की मजबूरी है। मेरा विचार है कि मुझे अब भाषण समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ, तथा एक बार पुनः माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.35 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

माननीय मंत्री श्री मुरली देवड़ा जी का मैं अभिनन्दन करता हूं। मैं जानता हूं कि ये प्रगतिशील विचारधारा के मंत्री हैं और एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आये हैं, जिसकी कि आधुनिक युग में आवश्यकता है, लेकिन मैं उनका इसलिए भी अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने इसकी स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित किया है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, केवल अमेठी और रायबरेली में उसे सीमति न करें, और भी पिछड़े इलाके हैं, जिले हैं, जहां ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खासकर मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज जैसे जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहीं पर आपका विचार स्थापना करने का होना चाहिए।

यही मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी, आप कुछ बोलेंगे? आपने दो मिनट मांगे हैं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान का उद्देश्य पेट्रोलियम तथा हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान की दिशा में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता का विकास करना तथा उसका उन्नयन करना है तथा पेट्रोलियम तथा हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन विज्ञान तथा कला में अध्ययन एवं अनुसंधान में कार्यक्रम तथा पाठयक्रम चलाना व स्नातक, स्नातकोत्तर तथा वाचस्पति उपाधियाँ प्रदान करना है।

संस्थान की लागत 861 करोड़ रुपये होगी। श्रीमती गांधी के निर्वाचन क्षेत्र में इस संस्थान को स्थापित करने के निर्णय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के अधिकतर सदस्यों ने आपत्तियाँ की हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के सभापति, श्री एन. जनार्दन रेड्डी तथा अन्य सदस्यों का यह दृष्टिकोण था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरु किए जाने की संभावना की जाँच करनी चाहिए थी। देहरादून में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक संस्थान है। वे इस संस्थान जैसे किसी संस्थान की स्थापना किए बिना इस संस्थान का विस्तार कर सकते थे। इस प्रस्तावित संस्थान का नाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी जी की स्मृति में उने नाम पर गया है, तथा यह श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्वायन क्षेत्र में स्थित है–मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: किसी नाम के लिए कोई निर्वाचन क्षेत्र चिन्हित नहीं है: यह भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कोई बात नहीं, इस क्षण, संस्थान के सभापति तथा रजिस्ट्रार के पद को परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए ताकि इस सरकार का संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुछेक मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ–उड़ीसा हमेशा से ही आईआईटी अथवा आईआईएम की भाँति एक केन्द्रीय संस्थान अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना उड़ीसा में करने की माँग करता रहा है परंतु अब तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी बात 8-9 वर्षों से पारादीप रिफायनरी का कार्य चल रहा है, परंतु वांछित रूप से इस कार्य में प्रगति नहीं हो रही है। इसलिए, दो चीजों पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ–उन्हें पारादीप रिफायनरी के कार्य में तेजी लानी चाहिए तथा सरकार को उड़ीसा में आईआईटी अथवा आईआईएम जैसे केन्द्रीय संस्थान की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए।

डॉ. एम. जगन्नाथ (नगरकुरनूल): महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

यह विधेयक राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान की स्थापना के लिए है। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी हमारे पास ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। यद्यपि हमारे यहाँ कुछ विश्वविद्यालयों में एक संकाय के रूप में रासायनिक प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है, फिर भी हमारे यहाँ पूर्ण विकसित संस्थान नहीं है।

आजादी के 60 वर्षों के बाद भी इस बात के संकेत हैं कि हमारे यहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में देश में कमी को पूरा करने के लिए लगभग 30,000-40,000 अधिकारियों की कमी है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। कम से कम, अब सरकार में इस बात को महसूस किया जा रहा है। जब तेल कुओं से तेल रिसाव शुरू हो जाता है और दुर्घटना हो जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हमें विदेशी लोगों पर निर्भर करना रहना पड़ता है। जब तक वे यहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है।

प्रस्तावित संस्थान की स्थिति की बात करें। तो इसे राय बरेली जैसे स्थान में होना उचित नहीं है। पूर्व में भी कई प्रधानमंत्री इस चुनाव क्षेत्र से आये हैं और इस चुनाव क्षेत्र का विकास हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो संकेत बताते हैं, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम का कोई भंडार नहीं है और वहाँ पर कोई तेल के लिए खुदाई का काम भी नहीं चल रहा है। इसलिए इससे संस्थान को कोई बहुत मदद मिलने वाली नहीं है। यदि यह संस्थान कृष्णा-गोदावरी घाटी में बनता जहां हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं या बम्बई-हाई या गुजरात में होता तो इससे बेहतर ढंग से उद्देश्य की पूर्ति होती।

राय बरेली में जहाँ संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है हम केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही दे पायेंगे। तथापि, वहाँ पर इसकी प्रायोगिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि हम इसमें छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो हमें उन्हें कृष्णा-गोदावरी बेसिन या बम्बई-हाई या गुजरात ले जाना पड़ेगा जिससे सरकारी कोष पर भारी बोझ पड़ेगा। इसलिए इससे बचा जा सकता है, यदि संस्थान उन स्थानों पर ही स्थापित की जाए जहाँ तेल खुदाई की गतिविधियाँ चल रही हैं।

मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन सरकार से अनुरोध करता हूँ क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसे देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है इसलिए सरकार इस बात पर ध्यान दे। मैं हर स्थिति में विधेयक का समर्थन करता हूँ। यहां तक की स्थायी समिति भी इस बात का समर्थन करती है। सरकार से मेरा कहना है कि देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मात्र एक संस्थान काफी नहीं है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम हर क्षेत्र में इस प्रकार के कम से कम एक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव लाये।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पहलू पर विचार करते हुए, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि विधेयक में ही इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति से संबंधित मामलों का ध्यान रखा जाएगा जैसा कि संविधान में प्रावधान है ...*(व्यवधान)* यदि हम शुल्क संरचना और पाठ्यक्रमों पर नजर डाले तो आजकल इष्टतम प्रयासों के बावजूद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को किसी न किसी बहाने सीटे नहीं दी जाती है और उन्हें अद्यतन प्रौद्योगिकी से वंचित रखा जा रहा है।

सरकार से मेरा निवेदन है कि वह यह सुनिश्चित करे कि संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो। उस श्रेणी के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उन सदस्यों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपने अच्छे सुझाव दिये हैं। इस समय इन सभी सुझावों के बारे में उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं होगा लेकिन मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने सुझाव दिया है आश्वासन देता हूँ कि उन्हें आठ से दस दिनों के अंदर पत्र प्राप्त होगा जिसमें यह वर्णित होगा कि क्या संभव है, क्या नहीं संभव है और क्यों नहीं संभव है?

मैं पहले वक्ता श्री रिजीजू के प्रति आभारी हूँ। वे हमेशा हमारी भले की बात करते हैं ...*(व्यवधान)* ओ.एन.जी.सी. द्वारा 2000 करोड़ रुपये की असम पुनरुद्धार परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। असम के पुराने कुंए सूख गए हैं और वहाँ तेल निकालने में भारी कठिनाई हो रही है। वहाँ नए कार्यक्रम को शुरु करना होगा। यह कार्यक्रम वहीं शुरु हो रहा है। आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

अन्य साथी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अन्य देशों में तेल की खुदाई के मामले में हमारा देश क्या कर रहा है? पिछले सप्ताह मैं रूस के मास्को में था। एक माह पूर्व हम सूडान में थे। पूरे विश्व में 15 देश हैं जिनके साथ ब्लॉकों में हमारी साझेदारी है-जैसे रुस में सखलीन, जो विश्व के सबसे बड़े ब्लॉकों में से एक है। इसमें हमारा 20 प्रतिशत हिस्सा है जबकि अन्य देशों का 80 प्रतिशत। मैं इन सारे ब्यौरों से आपको बोझिल नहीं करना चाहता लेकिन इस प्रणाली के माध्यम से हमें 8 मिलियन टन से ज्यादा तेल मिल रहा है। हम यह देखने का प्रयास कर

[श्री मुरली देवरा]

रहे हैं कि हम ईरान, इराक, दमिस्क और सीरिया जैसे देशों से अधिक-अधिक कारोबार कर सकें। मैं स्वयं वहाँ गया था। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये ब्लॉक मिल जाएं। ये सस्ते होंगे और इन पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। हम बहुत अच्छा कर रहे है।

एक मित्र ने सुझाया कि हमें विदेशों से मदद नहीं लेनी चाहिए। हम एक्सोन और सेबरोन से मदद ले रहे हैं। एक समय यह जब वे सोचते थे कि भारत में न तेल है न गैस है लेकिन आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी के क्षेत्र में साबित हो गया है कि वहाँ बहुत तेल है और यदि वे बोली में भाग लेते हैं तो उन्हें लाखों डॉलर का मुनाफा होगा। हमारे पास ए.ई.एल.पी.-6 है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब एन.ई.एल.पी.-I और एन.ई.एल.पी.-2 का विकास होगा तब बाहर से भारत में 8-9 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश होगा। यह देश का खजाना है और लोग इसका फायदा उठाऐंगे।

मेरे मित्र ने अभी-अभी उड़ीसा के बारे में बात की है। उड़ीसा ने भारतीय तेल निगम पारादीप तेल शोधक की स्थापना कर रहा है। मैं स्वयं वहाँ गया था। इसमें कोई समस्या नहीं है। उस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हमारी मदद की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उड़ीसा तेल शोधक कारखाने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने स्वयं वहां कुछ लोगों को इस्पात कारखाना लगाना के लिए भेजा है क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में लौह अयस्क मौजूद है। केवल दक्षिण कोरियाई कारखाना ही नहीं, मैं अन्य इस्पात विनिर्माताओं की बात कर रहा हूँ जो श्री पटनायक से मिलने गए। हम यहाँ यह देखने के लिए हैं कि हम उनकी मदद करें। श्री महताब और श्री सत्पथी जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां न केवल दक्षिण कोरियाई बल्कि अन्य इस्पात संयंत्र भी लाने में सफल रहेंगे क्योंकि वहाँ बहुत अधिक लौह अयस्क है तथा अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। वे लोग यह करेंगे। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस की सरकार है या ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बातों का जवाब मत दीजिए मंत्री जी, कृपया पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री मुरली देवरा: महोदय मैं आपका ध्यान वर्तमान में इस क्षेत्र में हुई कम वसूली की ओर दिलाना चाहता हूँ जो 69,753 करोड़ रुपये है। यह सरकार वहन कर रही है। जैसा कि ठीक ही कहा गया है मैंने एक रुपया भी नहीं बढ़ाया है। दुनिया में आपको कहीं भी 9 रुपये प्रति लीटर किरोसीन तेल नहीं मिलेगा। फिर भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम कीमत न बढ़ाएं। आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे। रसोई गैस, किरोसीन और डीजल भारत में सबसे सस्ते में उपलब्ध है, जो दुनिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसका कारण है कि हम चाहते हैं कि आम आदमी को फायदा हो और उसे तकलीफ न हो, नुकसान न हो।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से दूसरे मैम्बरों को निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जिन-जिन प्वाइंट्स पर अपने सजेशन दिये हैं, उन सबको पढ़कर मैं बाद में जवाब दे दूंगा, मैं रावत जी से एक बात कहना चाहता हूं। आप हर बार हमारी कमेटी में बहुत सहकार करते हैं।

राजस्थान रिफायनरी के बारे में आप जो बात कर रहे थे, उसे छोटे में मैं कहना चाहूंगा कि बीना (मध्य प्रदेश), पारादीप (उड़ीसा) और भटिंडा (पंजाब) में रिफायनरीज लगने वाली थीं, लेकिन भटिंडा रिफायनरी के जो कोलाबोरेटर थे, ब्रिटिश पेट्रोलियम वे छोड़कर चले गए। आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब से पूछिए। हम एक नए व्यक्ति, श्री मित्तल को अपने साथ लंदन से लेकर आए और अब वह भटिंडा रिफायनरी का काम चालू हो जाएगा। पंजाब में हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी हमने पंजाब को छोड़ा नहीं है। पंजाब हो, उड़ीसा हो या राजस्थान हो, हम यह विश्वास करते हैं कि पूरा देश एक है। ऐसा मत कहिए कि राजस्थान आपका है, दिल्ली हमारी है, सब आपका ही है। अगर आज इलेक्शन में नहीं आ सके तो गालियां देने लग जाएंगे। अगर आप नाराज नहीं हों, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं राजस्थान की हक की बात कह रहा था।

श्री मुरली देवरा: मैं तो खुद राजस्थान का हूं, यह आपको मालूम है। राजस्थान के हमारे एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका कहना है कि राजस्थान में रिफायनरी लगने की जरूरत नहीं है। राजस्थान, दिल्ली, जायस या कोई भी स्थान हो, जहां पर प्रोडक्शन हो सकता है, लोगों को नौकरी मिल सकती है, वहां हम काम करेंगे।

इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 40 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मुरली देवरा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

हर चीज का समय होता है। यह तृतीय वाचन है, मैं आपको एक अवसर दे रहा हूँ। अन्यथा कोई भी माननीय सदस्य एक विषय पर दो बार नहीं बोल सकता है। आपको यह पता है।

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, समय के अभाव के कारण मैं स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी एक महत्वपूर्ण बात कह नहीं पाया। क्या आप इस संस्थान के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण को शामिल करेंगे?

श्री किरिप चालिहा: महोदय, जब इस विधेयक पर चर्चा की जा रही थी तो सभी सदस्यों ने सुझाव दिया था कि इस संस्थान का कम से कम एक कैम्पस असम में होना चाहिए। क्या मंत्री इस पर विचार करेंगे या नहीं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महादेय: पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही बोल चुके हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसकी भी सीमा होती है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री ने कहा है कि वो दस दिनों में सबको उत्तर देंगे। इससे ज्यादा वो और क्या कह सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही यह कह चुके हैं, दोहराने की कोई आावश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप केवल दो माननीय सदस्यों के बारे में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा: महोदय, श्री रिजीजू की बात पहले ही शामिल कर ली गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सभी की बात को इनक्लूड कर लिया गया है।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.54 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज की कार्य सूची में शामिल नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

(एक) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बी.के. ठुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, मेरे गृह राज्य गुजरात के सौराष्ट्र में रेलवे के विकास कार्य एवं सुविधा की बहुत उपेक्षा हो रही है जिसके कारण सौराष्ट्र में अधिकतर मीटर गेज लाइन हैं और मीटर गेज लाइन होने के कारण सौराष्ट्र के लोगों को भारत के अन्य भागों में सीधी सेवा नहीं मिल पा रही है। सौराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा समुद्री तट पर है जहां पर विदेशों से आयात एवं निर्यात किया जा सकता है, परन्तु रेलवे की सौराष्ट्र से अन्य भागों के लिए मालगाड़ियों के अभाव में इन समुद्री तट का प्रयोग सर्वोत्तम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे की

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री बी.के. तुम्मर]

सुविधा के अभाव में सौराष्ट्र के बन्दरगाहों का विकास नहीं हो पा रहा है और न ही समुद्रीय उत्पादों का विकास हो रहा है जिसकी सौराष्ट्र में काफी संभावना है। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक काम केवल ढांसा से जेतलसर के बीच मीटर गैज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन मंजूर हुआ है, परन्तु उस पर काम धीमी गति से चल रहा है जिसके कारण इस रास्ते में आने जाने के मार्गों में अवरूद्ध पैदा हो रहा है और लोगों को असुविधा हो रही है।

अत: आपसे अनुरोध है कि सौराष्ट्र में मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने को प्राथमिकता दी जाये।

(वो) महिलाओं में एड्स की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): मानवता के सामने एच.आई.वी./एड्स जैसा खतरा पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। इस रोग से करीब 30 मिलियन व्यक्ति मारे गए हैं। यदि यह महामारी नियंत्रित नहीं की गई तो 2010 तक 45 मिलियन नए रोगी होंगे और 2020 तक लगभग 70 मिलियन व्यक्ति मारे जाएंगे। एच.आई.वी. के विरुद्ध व्यापक प्रयास में संक्रमण के रोकथाम तथा संक्रमित रोगियों की देखभाल महत्वपूर्ण उपाय है।

विकासशील देशों में नियमित और प्रणालीगत भेद-भाव के कारण महिलाओं में एच.आई.वी. और एड्स की घटनाएं आनुपातिक रूप में ज्यादा पाई जाती हैं। गृहणियों सहित एच.आई.वी. वायरस से अब ग्रस्त लगभग 40 प्रतिशत रोगियों की संख्या महिलाओं की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में आधी से अधिक महिलाओं को एड्स की जानकारी नहीं है, एच.आई.वी. संक्रमण से कैसे बचा जाए यह तो पता ही नहीं है।

सांस्कृतिक कारणों से एच.आई.वी. पोजीटिव महिलाओं को समर्थन पाने में अत्यधिक बाधा का सामना करना पड़ता है और देख-भाल की जिम्मेदारी से महिलाएं अकसर गरीबी का शिकार हो जाती हैं।

महिला-उन्मुखी, माइक्रोबाइसाइड्स और 'फिमेल कन्डोम' जैसे उपचारी उपायों के विकास पर अत्यधिक कम पैसा व्यय किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है यदि निर्धन देशों में मात्र 20 प्रतिशत महिलाएं नियमित रूप से किसी माइक्रोबाइसाइड्स का उपयोग करें तो 205 मिलियन संक्रमण को रोका जा सकता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि हमारे देश में एड्स की रोक-थाम हेतु महिलाओं पर अधिक ध्यान देने हेतु अभियान चलाया जाए। विवाह से पहले पुरुषों और महिलाओं के एच.आई.वी./एड्स परीक्षण अनिवार्य बनाया जाए।

एच.आई.वी. ग्रस्त महिलाओं के प्रभावी आर्थिक पुनर्वास से एड्स रहित विश्व का स्वप्न पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी।

(तीन) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मैं इस सम्मानीय सभा को इस देश में न्यायाधिक प्रणाली की दयनीय स्थिति की जानकारी देना चाहता हूँ।

21 उच्च न्यायालयों में 37.1 लाख मामले तथा निचले न्यायालयों में 2048 करोड़ मामले लंबित हैं। 1999 में यह संख्या क्रमश: 2705 लाख और 2 करोड़ थी, जनता न्याय पाने हेतु अपना सारा जीवन और धन न्यायालयों में बिता देती हैं। इन लंबित मामलों का कारण न्यायापालिका में व्यापक रिक्तियों और विशेषकर निचले न्यायालयों में अपर्याप्त सुविधाओं का होना है। 21 उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 192 और वास्तविक संख्या 586 है जो 26 प्रतिशत बैठता है। देश में अधीनस्थ न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 15,399 की तुलना में वास्तविक संख्या 12,368 है। वर्तमान रिक्त पदों का प्रतिशत 24 है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों का वेतन बहुत कम है तथा आवास और वाहन आदि जैसी सुविधाएँ भी उन्हें प्राप्त नहीं है। न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि न्यायपालिका के प्रभावी कार्यकरण, को सुनिश्चित किया जा सके। लंबित मामलों की संख्या को कम करने हेतु वर्तमान रिक्तियों को शीघ्र से शीघ्र भरा जाना चाहिए तथा निचले न्यायालयों में लगभग 10,000 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे कि 2 वर्षों के भीतर लंबित मामले समाप्त किए जा सकें। अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी का वेतन 9000/- रुपये से आरंभ होता है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में यह 35,000/- रुपये है। यह बहुत कम है, इसे कम से कम क्रमश: 25,000/- रुपये तथा 60,000/- रुपये किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सहायता योजना के द्वारा न्यायालय कॉम्पलेक्स न्यायिक अधिकारियों के आवास और वकीलों के 'बार रूम्स' हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित की जानी चाहिए।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सभी लंबित रिक्तियों को भर कर तथा देश के सभी न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु तत्काल उपाय करें जिससे कि लंबित मामलों की संख्या कम हो।

(चार) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हरित प्रदेश नामक नया राज्य बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है नए राज्य उत्तराखंड का निर्माण होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश राज्य आज भी सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोक सभा सीट और 403 विधान सभा सीट हैं। विकास की दृष्टि से प्रदेश का कुछ भूभाग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तरह विकसित हुआ लेकिन अधिकांश भाग 60 साल पहले की स्थिति में ही है, जो कि बहुत ही पिछड़ा और अविकसित है। राज्यों के बुनियादी विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी एवं रेल इत्यादि का होना बहुत जरूरी होता है लेकिन प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह क्षेत्र राजनैतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी बहुत कमजोर है। प्रदेश के पूरे भूभाग के विकास हेतु इसका विभाजन नितान्त आवश्यक हो गया है। उ.प्र. राज्य की राजधानी और हाई कोर्ट पश्चिमी उ.प्र. से बहत दूर है, लोगों को सरकारी कार्यों के लिये लखनऊ जाना पड़ता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय मिलने में जहां ज्यादा धन खर्चा होता है, वहीं दूसरी ओर न्याय मिलने में भी ज्यादा समय लगता है। गरीब आदमी, जो पश्चिमी उ.प्र. का है, वह तो हाई कोर्ट जाने का साहस ही नहीं जुटा पाता। इसलिये, मैं पश्चिम उ.प्र. को हरित प्रदेश बनाने की पुरजोर मांग करता हूं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उ.प्र. राज्य का एक बार पुनः विभाजन कर पश्चिमी उ.प्र. को हरित प्रदेश बनाया जाये ताकि छोटे राज्यों के रूप में राज्य का विकास सुचारू ढंग से हो सके।

(पांच) राजस्थान के नागौर में कोल बेड मिथेन के उपयोग से बिजली बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भैंवर सिंह डांगावास (नागौर): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में देश में ऊर्जा की भारी कमी है। ज्यों ज्यों उपभोक्ता, आबादी, उद्योग व कृषि का क्षेत्र बढ़ेगा, त्यों-त्यों इसकी कमी बढ़ती रहेगी। विश्व में पानी से पैदा होने वाली बिजली सबसे सस्ती होती है और इसके बाद सस्ता उत्पादन सिर्फ भूमिगत कोयले को जला कर गैस उत्पादन कर उससे विद्युत उत्पादन होता है। इसमें वही कोयला काम में लिया जाता है जो घटिया ग्रेड का होता है व उसका खनन महंगा पड़ता है। ऐसी विधि से गुजरात में गैस निकाल कर, विद्युत उत्पादन किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है।

ऐसे कुंए नागौर जिले में मेड़ता के पास कोल इंडिया लि. ने खोद रखे है। मेरा आग्रह है कि इन कुंओं से गैस निकाल कर विद्युत का उत्पादन शुरू करें, ताकि राजस्थान सहित सम्पूर्ण भारत में ऊर्जा की कमी को कम किया जा सके।

(छह) उत्तराखंड में गुरिल्ला युद्ध में सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर के राज्यों में एस.एस.बी के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सेवायोजित किया जा रहा है और जो भर्ती की आयु सीमा पार कर चुके हैं उन्हें पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ दिये जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में एसएसबी के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों जिन्हें गुरिल्ला भी कहा जाता है, को सेवायोजिन करने तथा पेंशन व अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना भी दिया जा रहा है।

एसएसबी के उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षितों की मांग को मैं 23.08.2007 को भी सदन में उठा चुका हूं, परंतु सरकार द्वारा स्वयंसेवकों की मांग स्वीकार न किये जाने से उनमें अत्यंत रोष है। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तराखंड के एसएसबी के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सेवायोजित करें व अन्य वित्तीय लाभ व पेंशन प्रदान करें।

(सात) मध्य प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाला राशन का कोटा कम कर दिया गया है। जिसके कारण प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को बहुत असुविध ा हो रही है। मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुलय प्रदेश है और केन्द्र सरकार द्वारा राशन का कोटा कम करने के कारण लोगों में भारी आक्रोश है।

अतः मेरा केन्द्रीय खाद्य मंत्री से अनुरोध है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का खाद्यान्न का पूरा कोटा जारी करें ताकि आदिवासी क्षेत्रों मंडला, झाबुआ, धार, बड़ावानी, बैतूल, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनुपर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, पन्ना छत्तरपुर, रतलाम और खंडवा आदि क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को पूरा राशन मिल सके।

(आठ) संविधान की आठवीं अनुसूची में "अंगिका" भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर में बोली जाने वाली भाषा अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए, क्योंकि अंगिका बिहार एवं झारखण्ड के साथ बंगाल, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में लगभग तीन करोड़ लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा है। जो लगभग सौ वर्षों से बिहार के कोसी अंचल, भागलपुर एवं इसके नजदीकी क्षेत्रों तथा झारखण्ड के संथाल परगना में काफी प्रचलित है। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग लिपि भी थी और देश में अंगिका को साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस भाषा का साहित्यिक रूप से काफी समृद्ध इतिहास रहा है। आठवीं शताब्दी के कवि सरह (सरहपा) को अंगिका साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। सरहपा को इसका आदि कवि माना जाता है। महोदय, यह भाषा हमारे देश की परंपरा और विरासत को भी संजोए हुए है, क्योंकि महाभारत काल में मेरा संसदीय क्षेत्र अंग देश के रूप में विद्यमान था जो बाद में दुर्योधन द्वारा कर्ण को भेंट स्वरूप दे दिया गया था तब भागलपुर इस अंग देश की राजधानी हुआ करता था। तब से लेकर आज तक अंगिका भाषा हमारे देश की संस्कृति और प्राचीन परंपरा को अपने में संजोए हुए मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर एवं आसपास के बड़े भाग में प्रचलित है। महादेय, जिस प्रकार बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है एवं उसका जो स्थान है उसी प्रकार अंगिका का प्रसार भी भागलपुर सहित राज्य के बड़े भूभाग में है। कृपया इस भाषा को अष्टम सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

(नौ) राजस्थान के अजमेर में पेयजल की आपूर्ति के लिए जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत जल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनेबल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम) के तहत राज्य के अजमेर तथा पुष्कर की योजनाओं को अभिवर्धन/पुनर्गठन हेतु चयनित किये गये थे। इस योजना हेतु बीसलपुर बांध से पानी लाने की योजना है तथा यह योजना दो भागों में बनाई गई है।

1. पार्ट (क) ट्रांसमिशन भाग

2. पार्ट (ख) वितरण भाग

ट्रांसमिशन भाग की योजना के तहत ट्रांसमिशन मेन तथा अजमेर में एक दिन की मांग के बराबर क्षमता के रिजर्ववायर बनाने के कार्य शामिल है। इस योजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 188.73 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृति दी जा चुकी है और यह निर्माणाधीन है। योजना के तहत प्रथम किस्त के 27.00 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा द्वितीय 51.50 करोड़ रुपये के तहत कार्य चालू है

अजमेर के लिए जल वितरण की आपूर्ति हेतु 182.00 करोड़ रुपये की एक परियोजना तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में यह परियोजना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा इंजीनियरिंग संस्थान (सीपीएचईईओ) के पास तकनीकी स्वीकृति हेतु लंबित है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अजमेर नगर के लाखों निवासियों के पेयजल संकट निवारण की सुचारू व्यवस्था करने हेतु जल वितरण की आपूर्ति के लिए परियोजना को अविलंब तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर राशि आबंटित करावें जिससे निर्माण कार्य निश्चित समयावधि में पूरा हो सके।

(दस) विद्रोह रोकने संबंधी जवाबी कार्यवाही में अपनी जान न्यौछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों के आश्रितों को कारगिल के शहीदों के बराबर मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): हमारी सेना, जिसकी संख्या 1.13 मिलियन है, ने सरकार से "सभी युद्ध में मारे गए सैनिकों" के लिए कारगिल संघर्ष में लगभग 1400 घायल और वीरगति को प्राप्त 527 सैनिकों के निकट संबंधियों को दी गई "अधिक राशि" के समतुल्य "समान कल्याणकारी पैकेज" की मांग की है।

सेना ने यह मुद्दा पहले भी उठाया था परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि सरकार ने "जोखिम के स्तर में भिन्नता" "भीषण लड़ाई" आदि के आधार पर उग्रवाद विरोधी कार्यवाही तथा युद्ध में अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों में अंतर बताया था।

कारगिल संघर्ष के दौरान मारे गए सैनिक के परिवार को 19.30 लाख रुपये दिए गए थे इसमें संघ सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा अन्य विशेष लाभ शामिल थे, परन्तु जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी भीषण कार्यवाही में "विघातक" मामलों में लगभग 8 लाख रुपये दिए गए।

कारगिल ऑपरेशन में घायल सैनिकों को नि:शक्तता के अनुसार 3 से 6 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई जो विशेष लाभ के साथ और अधिक थी, अन्य ऑपरेशनों (कार्यवाही) में अनुग्रह राशि एक लाख रुपये थी। इस प्रकार मुआवजे राशि में अन्तर है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी देशभक्त सैनिकों जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उन्हें "समान कल्याणकारी पैकेज" दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग्यारह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों पर समुचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्री सांतश्री चटर्जी (सेरमपुर): ग्रामीण बैंक संघ संयुक्त मंच अपनी मांगों के समर्थन में लंबे समय से आंदोलन कर रहा है जो इस प्रकार है:

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में बैंककारी पेंशन निपटान, 1993 और 1994 का कार्यान्वयन
2. प्रायाजित बैंको के समान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अन्य सभी भत्तों और लाभों/सेवा शर्तों में समानता
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति योजना, 1982 को जारी रखना।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उचित और समान श्रमशक्ति आयोजना, भीर्ती और पदोन्नति नीति।

उन्होंने माननीय श्रम मंत्री और प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, के साथ भेंट की है। मैंने भी यह मामला श्रम और वित्त मंत्री के साथ उठाया था परन्तु यह अत्यधिक खेदजनक है कि विभाग ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। ग्रामीण बैंक संघों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 27 नवम्बर को जन्तर मंतर, नई दिलली में अपनी मांगों के समर्थन में दिन भर धरना दिया था।

मेरा माननीय वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से अनुरोध है कि उनकी वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दिया जाए तथा यथाशीघ्र इसका समाधान किया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के झांसी में रेल कोच फैक्ट्री (मरम्मत एवं अनुरक्षण इकाई) की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): अध्यक्ष महोदय, झांसी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 1 जनवरी, 1889 को हुआ था तथा रेल जिला कार्यालय भी इसी वर्ष प्रारंभ हुआ। आज इसे उत्तर मध्य रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़े मंडल के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के प्रयास से रेलवे प्रशासन द्वारा नई कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री झांसी में प्रस्तावित है। बुंदेलखंड क्षेत्र का झांसी मंडल हमेशा से ही राजनीतिक दखल कर शिकार रहा है। क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग पर्याप्त रोजगार न होने के कारण क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। झांसी मंडल सबसे पुराना व उत्तर मध्य रेलवे का सबसे बड़ा मंडल होने के बावजूद अभी तक रेलवे के विकास की दृष्टि से समुचित विकसित नहीं हो सका। यहां रेलवे के पास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है। श्रमिक सस्ते दामों में उपलब्ध है। यातायात के सभी मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद उद्योगों की भारी कमी है।

ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि झांसी क्षेत्र की नई कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री की प्रस्तावित योजना को अन्यत्र ले जाने का प्रयास हो रहा है जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा क्षेत्रीय लोगों ने जन आंदोलन शुरू कर दिया है।

सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि क्षेत्रीय असंतुलन एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए झांसी में रेलवे प्रशासन द्वारा उपलब्ध व चिन्हित की गई जमीन पर यथाशीघ्र प्रस्तावित नई कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराने का कष्ट करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इटावा में बसरई स्थित रेलवे फाटक को अन्यत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा के अंतर्गत बसरई रेलवे फाटक को मूल स्थान से पूर्व की दिशा में स्थानांतरित करने के संदर्भ में आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि रेलवे फाटक को पूर्व की दिशा में शिफ्ट करने के लिए आपने पूर्व में स्वीकृति दे दी है किंतु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है जिससे आम नागरिकों को काफी संकट का सामना करना पड़ता है। रेल मंत्री जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि फाटक को पूर्व की दिशा में स्थानान्तरित करने के बाद लिंक रोड का निर्माण अपने सांसद निधि से करवा दूंगा। अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह

[श्री रघुराज सिंह शाक्य]

है कि शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने की कृपा करें जिससे जनसमस्या का समाधान हो सके।

(चौदह) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत पटना और बोधगया में विकास से जुड़े निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल पटना और बोधगया के विकास के लिए अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वैसे ही बिहार पिछड़ा प्रदेश है और पटना शहर की समस्याएं तो विकराल रूप लेती जा रही हैं। शहरी की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आबादी के अनुसार किसी भी तरह का विकास कार्य पटना में नगण्य है। पहले से ही सीवर, पेयजल, रोड, नाली, बिजली, कूड़ा-कचरे की समस्या है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम सरकार के पास नहीं है। जेएनएनयूआरएम के तहत चयन होने पर पटना के वासियों को कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी थी कि यह केन्द्र सरकारी की योजना है और इससे उनकी समस्याओं का शायद निदान हो जायेगा। वह भी अब अधर में लटकती जा रही है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि पटना और बोधगया के लिए विशेष ध्यान देकर वहां आ रही बाधाओं को दूर करें और जेएनएनयूआरएम के तहत अविलम्ब विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

(पंद्रह) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मीरजापुर विंध्याचल एवं अष्टभुजा भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है यहां विंध्याचल माता का अलग महत्व है। यहां बड़ी संख्या में दर्शनार्थी देश के कोने कोने से आते हैं। इस शहर की एक प्रमुख समस्या पेयजल की है। इस शहरी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय शहरी विकास मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस ऐतिहासिक शहर में जहां दिनों दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पर्यटक जोन जाहिर किया है वहां पेयजल की समस्या का निदान किया जाये।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मीरजापुर-विंध्याचल में पेयजल की विकराल समस्या से निपटने के लिए मीरजापुर को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन योजना के अंतर्गत शामिल करने का कष्ट करें।

(सोलह) महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): अध्यक्ष महोदय, मेरे गुरू राज्य महाराष्ट्र में 19 मई, 2007 को कई शुगर मिलों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई कारण नहीं बताये हैं। महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन को देखते हुए शुगर मिलों का होना और उनका काम करना अति आवश्यक है। इन शुगर मिलों के न होने से गन्ने की क्रसिंग नहीं हो पाई और लोगों को गन्ना जलाना पड़ा एवं सरकार को 25 हजार रुपये का हर्जाना प्रति हैक्टेयर के हिसाब से देना पड़ा। महाराष्ट्र के विकास में और यहां के किसानों को आगे बढ़ाने में शुगर मिलों ने अहम भूमिका निभाई है। इस संबंध में सरकार की क्या नीति है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। नई शुगर मिलों को स्थातिप करने के लिए लाईसेंस दिये जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में जो प्रक्रिया है उसको तत्काल किसान और शुगर मिलों के हित में जल्द से जल्द लागू किया जाये जिससे शुगर मिले स्थापित हो सकें।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में गन्ने की क्रसिंग को चालू करने के लिए शुगर मिलों को जल्द से जल्द लाईसेंस दिये जायें।

(सत्रह) असम के चाय बगानों में स्थित अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): अतिसार और आंत्रशोध से पूरे असम में 5000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए है। असम के चाय बगान क्षेत्रों में 100 से ज्यादा मौतें होने की सूचना प्राप्त हुई है। हाल में यहां के अधिकतर क्षेत्रों में अतिसार और आंत्रशोध महामारी का रूप ले चुका है। स्थिति हर साल खराब होती जा रही है।

पूर्व में भारत सरकार ने 2000 तक 'सबको स्वास्थ्य' नामक नारा दिया था। दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का नारा विशेष कर असम में केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित रहा। चाय बगान के अस्पताल राज्य सरकार के दायरे में नहीं आते हैं।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले की तत्काल जांच करें और चाय बगान क्षेत्र के अस्पतालों को भी एक ही प्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए कदम उठाएं जिससे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रचारित संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को वैश्वीकृत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के दुर्भाग्यशाली लोगों को भी आधुनिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं तथा शुद्ध पेय जल मिल सकें।

(अठारह) केरल के कोच्चि में काजू बोर्ड मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काजू बोर्ड की स्थापना, जिसका मुख्यालय कोच्चि में होगा, के कार्य में तेजी लाई जाए या वैकल्पिक तौर पर, कोच्चि में अवस्थित, काजू और कोका विकास निदेशालय और काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद का विलय कर एक काजू निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाए। केरल काजू का मुख्य उत्पादन है और काजू निर्यात के 90 प्रतिशत से अधिक तथा कच्चे काजू का आयात कोचीन बंदरगाह से किया जाता है। यदि कच्ची काजू गिरी के उत्पादन को 10 लाख टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सके तो इससे कम से कम 2600 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आमदनी हो सकती है। यद्यपि काजू के गिरी के तथा उससे जुड़े उत्पाद के निर्यात से वर्ष 2006-07 के दौरान हमारी आय 24,65 करोड़ रुपये थी फिर भी 1,1812 रुपये मूल्य की कच्ची काजू गिरी के आयात के कारण इससे निवल विदेशी मुद्रा आय 653 करोड़ रुपये रही।

अपराह्न 2.55 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

राज्य के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्द्रपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): माननीय अध्यक्ष महादेय, सभा में इस विषय पर देर से ही सही चर्चा की अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह संविधान, संविधान के उपबंध, राज्य के विभिन्न अंगों के कार्यकरण, सामंजस्य तथा असामंजस्य, संसद को संचालित करने के हमारे तरीके तथा क्या संसद अपना काम कर रही है, से संबंधित है। मोटे तौर पर यह न्यायपालिका से भी संबंधित है।

महोदय, राज्य के तीनों अंगों के कार्य में सामंजस्य, जैसा कि भारत के संविधा में परिकल्पित है, हाल में गंभीर विवाद का विषय बन गया है ऐसा नहीं है कि उस अवधारणा को चुनौती दी जा रही है अपितु मूल प्रश्न यह है कि मेरे विचार में यह सामंजस्य खतरे में पड़ गया है और इसलिए इस विषय पर चर्चा करने की तथा चिंतन की आवश्यकता है। जिससे इस बात पर जोर दिया जा सके कि राज्य के तीनों अंगों के लिये शकित्यों के विभाजन के प्रभावों कर पता चल सके तथा इस लोकप्रिय सभा में निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से जनता की मूल इच्छा की अभिव्यक्ति की पहचान की जा सके।

महोदय, क्या अत्यधिक न्यायिक सक्रियता चिंता का विषय है, निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। हमें इस बात को साफ तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि संसद आज संसद, संसद नामक महान संस्था जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसकी निंदा तथा आलोचना बढ़ रही है। इसलिए संसद को भी सामूहिक रूप से आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या कोई कमी है जिसे हमें अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए।

महोदय, मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा कि राज्य को कुछ करने से रोकने के लिए या कार्यपालिका को कुछ करने के लिए बाध्य करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को जनसमर्थन मिल रहा है। इसलिए, किसी भी स्थिति में इस विषय की जटिलता को बहुत सरल ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए या कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मै। इस सम्मानीय सभा के समक्ष स्वीकार करता हूँ कि न्यायपालिका की उच्च भूमिका को उच्च स्थान देने में मैं किसी से भी पीछे नहीं हूँ। न्यायपालिका जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य और दायित्वों का निर्वहन कर रही है उस पर मैं गर्व करता हूँ।

महोदय, विषय वस्तु पर आते हुए मैं स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार करता हूँ कि राज्य के हाथों में अत्यधिक अधिकारों को सौंपने में अन्तर्निहित खतरा है मैं अन्तर्निहित खतरा शब्द पर जोर दे रहा हूँ, संभावित खतरा है। इस बात की संभावना है। इसलिए, देश के संवैधानिक शासन में तथा राजनीतिक शासन में भी 'नियंत्रण और संतुलन' की आवश्यकता है। शक्तियों का पृथककरण भारतीय संविधान का एक अंग है। यह एक विशिष्ट गुण बन गया है और देश में लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया से शक्तियों में पृथककरण में सिद्धांत को अलग करना असंभव हो गया है। मेरा विश्वास है कि जैसा कि एक प्रसिद्ध न्यायविद् होने के नाते आप भी जानते हैं कि आज कल या भविष्य में कभी भी राज्य के किसी अंग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत एक प्रभावी सुरक्षा कवच है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार के संविधान के निर्माताओं ने इस बात की परिकल्पना

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

की इस प्रकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने परिकल्पना की थी कि राजय के तीनों अंगों की संयुक्त सहभागिता/भूमिका होनी चाहिए। राज्य के किसी भी अंग को विशिष्ट अधिकार नहीं दिए गए हैं। यह बात भी सत्य है कि संविधान निर्माताओं की नजर में जन आकांक्षाओं को सबसे अधिक महत्व दिया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

जनता की इच्छा के महत्व को भारत के संविधान की प्रस्तावना में बहुत ही प्रमुखता से स्थान दिया गया है। शक्तियों के पृथककरण के प्रश्न पर यदि मैं थोड़ा आगे जाकर कहूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि सभा इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरा ध्यान दे और संभवत: सत्ता पक्ष चर्चा में सहयोग करने के लिए तैयार है। श्री भारद्वाज सामंजस्य के लिए मुझे इसी बात की चिंता है।

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: शक्तियों के पृथककरण के बारे में मैं सबसे पहले पुर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री जे.एस वर्मा को उद्धृत करना चाहूँगा। उन्हें सही कहा था "जनता की संप्रभु इच्छा की अभिव्यक्ति संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है।" इसलिए मूल प्रश्न यह है कि इस लोकप्रिय सभा में चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की इच्छा-आकांक्षा की अभिव्यक्ति हो सके। महोदय विधायिका को यह महत्तर भूमिका दी गयी है कि वह विधान बनाए और यदि जब आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन कर सके। कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही और केन्द्र की निधियों के व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित कराए। ये चार वे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधायिका को दिए गए हैं। इसके साथ ही, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि संविधान में एक स्वतंत्र निष्पक्ष, प्रभावी न्यायपालिका तथा न्याय व्यवस्था की बात कही गयी है। ऐसी व्यवस्था किस लिए की गयी है? (1) यह इसलिए ताकि संविधान की व्याख्या की जा सके (2) न्यायिक समीक्षा की जा सके (3) लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके (4) तथा संविधान की वैधता बनायी रखी जा सके। न्यायपालिका का यही मुख्य कार्य है।

न्याय प्रणाली में संसद द्वारा अधिनियमित किसी विधान अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी कार्य की यह जानने के लिए समीक्षा की जाती है कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, क्या वह उसके क्षेत्राधिकार में आता है, क्या वह लोगों के मूल अधिकारों का हनन करता है तथा क्या यह संविधान के आवश्यक प्रावधानों के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय: संसद द्वारा पारित किस भी और प्रत्येक अधिनियम की नहीं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं उस बात पर आ रहा हूँ। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ। साथ ही मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि न्यायपालिका तीसरा सदन नहीं है। भारतीय संसद में दो सदन है न्यायपालिका तीसरा सदन नहीं हो सकती। महोदय, मूल बिन्दु यह है कि संविधान निर्माताओं ने इस समस्या पर कैसे गौर किया था। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में क्या था वह किसी कथन से नहीं समझा जा सकता बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रथम शासनाध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए उनके पहले भाषण से समझा जा सकता है। उनकी बात बहुत ही अकाट्य, प्रबल तथा ठोस थी। उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था "कि पूरी जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद की सार्वभौमिकता पर सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी न्यायलय द्वारा प्रश्न चिहन नहीं लगाया जा सकता।" जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया था। आज क्या स्थिति है? क्या आज यह स्थिति है?

विधिक्षेत्र के अनेक कानूनविदों ने इस मूल मुद्दे पर प्रश्न उठाए हैं। भारत के एक प्रसिद्ध पूर्व न्यायाधीश, स्वर्गीय न्यायमूर्ति एस.आर. दास ने कहा था कि संविधान में न्यायपालिका की अपेक्षा विधायिका को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इसके समर्थन में अनेकों कथन हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ को उद्धृत करना चाहता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि संसद का दूसरा स्थान है तथा किसी अन्य संस्था का प्रथम स्थान है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जो अभी जिंदा हैं ने कहा है "न्यायालय तीसरे सदन की भूमिका अदा नहीं कर सकती।" न्यायमूर्ति काटजू जिनके नाम से आप भली-भांति परिचत हैं ने कहा कि "मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि न्यायपालिका सरकार चला रही है।" आज क्या हो रहा है? क्या यह सत्य नहीं है कि संसद को छोड़कर कोई और कानून बना रहा है? इसलिए इस सम्मानीय सभा के समक्ष मैं यह विषय उठाने के लिए बाध्य हूँ तथा पूरे देश का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि संवैधानिक सौहार्द बिगड़ता जा रहा है। फाली एस. नारीमन जो कि इस विषय के विशेषज्ञ है ने इस विषय पर कहा है कि "न्याय की संवैधानिक योजना न्याय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक पहलू कानून निर्माताओं पर छोड़ दिए गये हैं।"

मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ समय से न्यायिक अति सक्रियता के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जो कि पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की परिधि में नहीं आता है और जिनकी व्याख्या न्यायिक अति-सक्रियता के रूप में की जा सकती है। यदि मैं कुछ उल्लंघनों का उल्लेख करूँ तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में न्यायिक अति

सक्रियता किस सीमा तक पहुँच गयी है। न्यायमूर्ति वर्मा ने हाल ही में अपने भाषण में कुछ उल्लंघनों का उल्लेख किया है। मैं अपने सभी सहयोगियों का ध्यान चाहता हूँ जो इस सभा में उपस्थित है, कृपया विस्तृत ब्यौरा सुने। यह वह सूची है जिसका उल्लेख न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने भाषण में किया है। उन्होंने तुगलक रोड कार दुर्घटना में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि खंडपीठ ने दिल्ली में रहस्यमय कार के चलने पर सवाल किए हैं। इस हद तक यह समस्या पहुँच गयी है। न्यायपालिका किसी न्यायाधीश को विशेष बंगला आंबटन किये जाने तथा न्यायाधीशों के पैनल को विशेष बंगले के आंबटन पर प्रश्न उठाती है। न्यायपालिका वानर उत्पीड़न (सड़को पर) आवारा पशु सार्वजनिक शैचालयों की सफाई, हवाई अड्डों पर भारी यातायात के समय व्यस्तम शुल्क लगाने आदि के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। न्याय व्यवस्था की अवमानता का दुरूपयोग हो रहा है। मुझे हंसना चाहिए अथवा रोना चाहिए? क्या सभा को इस पर विचार करना चाहिए कि संविधान कहा जा रहा है? न्यायिक अवमानना की शक्ति का प्रयोग रेलवे प्रशासन पर व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूहों का आरक्षण करने के लिए किया जा रहा है।

यह एक पहलू है। दूसरी तरफ, खंडपीठ से भूतपूर्व न्यायमूर्ति ने एक टिप्पणी की है। मैं उनके नाम का उल्लेख करना नहीं चाहता। उन्होंने खंड-पीठ से कथित रूप से कहा है कि "विधायिका ने भारत में पिछले तीस वर्षों में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है।" न्यायमूर्ति वर्मा के पिछले विचारों को खंड-पीठ के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मेल करें कि हमने पिछले तीस वर्षों के दौरान कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण ने अपने व्याख्यान में टिप्पणी की है कि "न्यायिक अति सक्रियता के नाम पर भारत में वर्तमान न्यायाधीशों ने निष्पक्ष रेफरी की अपनी परम्परागत भूमिका को छोड़ दिया है तथा न्याय देने के नाम पर पलड़ा अपने पक्ष में करने का काम किया है। ये कुछ कथन जो मेरे मस्तिष्क में थे जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूँ।

मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद लोगों के प्रति उत्तरदायी है। न्याय व्यवस्था किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तरदायित्वता लोक तंत्र का मुख्य सिद्धान्त है। कोई भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि "मैं चाहे जो कर सकता हूँ"। यदि उत्तरदायित्व कोई अवधारणा है तो संसद लोगों के प्रति उत्तरदायी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन खंड-पीठ की क्या जवाबदेही है न्याय व्यवस्था किसके प्रति उत्तरदायी है? मैं बड़ी विनम्रता से इसका उत्तर देता हूँ कि न्यायपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। यह ब्रिटिश संविधान नहीं है जो कि परिपाटियों से चलता है। यह एक लिखित संविधान है।

बड़े अचरज से मैं यह कहता हूँ कि यह एक रूझान है। अति न्यायिक सक्रियता के रूझान सामने आए हैं जहां संविधान की सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है जो कि भारतीय संसद की सार्वभौमिकता को क्षति पहुँचाता है।

अंत में, मैं 14 अप्रैल, 2007 के कथन को उद्धृत कर रहा हूं। 14 अप्रैल, 2007 को हाल ही में एक निर्णय दिया गया था। सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय देते समय टिप्पणी की कि:

> "इस आधार पर न्यायालय सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि एक बेहतर, बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प उपलब्ध है। न्यायिक समीक्षा का विषय नीति की वैधता है न कि बुद्धिमत्ता अथवा नीति की प्रभाविकता है।"

यह एकदम स्पष्ट है। परंतु विषय से भटकाव हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। अवरोधों का उल्लंघन हो रहा है। उच्चतम न्यायालय की इस सुस्पष्ट टिप्पणी के बावजूद, न्यायिक विवेक हमेशा प्रबल नहीं होता है। मेरी यह शिकायत है।

यहां दो मुद्दे हैं तथा दो पहलू हैं। पहला, न्यायिक अति सक्रियता व्याप्त है। हमें विचार करना चाहिए एक नोट है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। एक समस्या है जिस पर आप विचार कर सकते हैं–न्यायिक अति सक्रियता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है कि इसकी कम आलोचना होनी चाहिए, एक सांसद द्वारा कम स्व-समालोचना होनी चाहिए। यह ठीक नहीं है कि हमें निष्ठापूर्वक यह विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। यह किस प्रकार संगत है? यह संगत है चूंकि यदि संसद उस प्रकार कार्य न करे जिस प्रकार इसे कार्य करना चाहिए, यदि संसदीय मूल्यों का ह्रास हो जाए, यदि संसद का महत्व कम हो जाए, यदि यहाँ जानबूझ कर संसदीय पपाचार हो जाए। मैं एक वाक्यांश को जन्म दूँगा "यदि जानबूझकर संसदीय पपाचार हो जाए" यदि बार-बार संसद सजों में हस्तक्षेप किया जाए, यदि अध्यक्षपीठ के पास जाना एक आम पद्धति बन जाए, यदि आदर्शों और नियमों का उल्लंघन आम बात हो जाए, यदि प्रतिष्ठित अध्यक्ष-पीठ को विवाद में घसीट दिया जाए, तो महोदय, मैं खेद के साथ यह कहूँगा कि संसद की गरिमा का ह्रास हुआ है। हम लोगों की दृष्टि में गिर जाएंगे। सांसदों और संसद के बारे में आलोचना बढ़ती जा रही है। यदि संसदीय पद्धति के साथ छेड़छाड़ हुई न्यायिक अति सक्रियता बढ़ेगी तथा अत्यधिक सामान्य रूप से हस्तक्षेप करेगी।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

हाल ही में, चार पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। निसंदेह, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया परंतु उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्हें किस लिए हिरासत में लिया गया था? उन्होंने सही स्थिति दर्शायी थी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का स्पष्ट पहलू एवं लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। परंतु उस विशिष्ट न्यायालय अथवा इस विशिष्ट राज्य ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था जैसे कि न्यायालय के सम्मान का उल्लंघन हुआ हो। सच बोलना उल्लंघन है। यदि झूठ बोला जाता है, उनकी निंदा की जा सकती थी। परंतु सच बोलने के कारण उन्हें सताया गया तथा उनकी गिरफ्तारी की गई।

श्री हंसराज भारद्वाज: उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। यह रिकार्ड में है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: उनकी निंदा की गई। मैं 'निंदा' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। निंदा करना गिरफ्तारी करना नहीं होता है। उनकी निंदा की गई। मैं यह कह रहा हूँ "उनकी निंदा की गई थी" मैं शब्द बदल रहा हूँ "उनकी निंदा की गई थी"। मैं सहमत हूँ।

श्री हंसराज भारद्वाज: दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी तथा उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी माना गया तथा उन्हें कुछ दण्ड दिया गया था ...*(व्यवधान)*। आपने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जो कुछ हुआ, वह गिरफ्तारी से भिन्न था ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.17 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरे मित्र, आपने मुझे भाषण समाप्त करने नहीं दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकद्मा चलाया गया तथा उनकी दोषसिद्धि की गई थी। मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ...*(व्यवधान)*। आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। एक मंत्री को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमें आपसे कुछ सीखना नहीं है। आपको भी हमसे सीखना है। कोई बात नहीं, प्रश्न यह है कि उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उन पर मुकद्मा चलाया गया था तथा उनकी दोष सिद्धि की गई थी। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह अवमानना शक्तियों के दुरूपयोग का एक असाधारण मामला है। दूसरी बात मैं संसद के बारे में कह रहा हूँ। महीनों से हम मूल्य वृद्धि के प्रश्न की चर्चा नहीं कर पाए हैं। मान लीजिए कल कोई व्यक्ति न्यायालय जाता है तथा यह सुझाव देते हुए जनहित याचिका दायर करता है कि चूँकि सरकार असफल रही है, इसलिए संसद में इस मुद्दे की चर्चा नहीं हुई है। माननीय न्यायाधीश महोदय, आप तुरंत सरकार से कहे कि वह मूल्य वृद्धि को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए आदेश जारी करें। वह क्या कहेगा? यदि ऐसा होता है, तो ऐसा ही होगा। चूँकि हम ऐसा करने में असफल रहे हैं। जबकि न्यायिक सक्रियता एक सच्चाई है, संसद की असफलता भी एक सच्चाई है। महोदय मैंने यह मुद्दा उठाया है। इस पर चर्चा होने दीजिये। हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमें न्यायिक सक्रियता की अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार मिलजुल कर काम करना है। मैं चाहता हूँ कि राज्य के तीन अंगों में तालमेल होना चाहिए। मैं राज्य के तीनों अंगों के कार्यकरण के बीच तालमेल की गुहार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि न्यायालय उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे जिसे संसद को करना है। मैं चाहता हूँ कि संसद इस प्रकार कार्य करे कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने के लिए कोई अवसर न दिया जाए। हमें एक प्रभावी संसद चाहिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। हमें एक प्रभावी कार्यपालिका की भी आवश्यकता है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदय, मुझे अत्यंत खुशी है कि जब मैं भाषण दे रहा हूँ उस समय आप अध्यक्ष पीठ में हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या, आप अपना भाषण समाप्त करेंगे? मैं एक मुद्दे को स्पष्ट नहीं कर पाया।

श्री खारबेल स्वाईं: जी हाँ

श्री गुरूदास दासगुप्त: महादेय, मुझे खेद है कि मैं अपना मुद्दा स्पष्ट रूप से नहीं रख पाया कि यह कार्यपालिका की असफलता ही है जो न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित करती है तथा न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अवसर दिया जाता है। इसलिए, कार्यपालिका को भी त्रुटिहीन पद्धति से, संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय नियम 193 के अधीन आज की चर्चा का विषय "राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का मेलजोल के साथ कार्यकरण करने की आवश्यकता।" माननीय सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्त ने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना तथा यह भाषण अत्यंत आशा के अनुरूप ही था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर हमने संसद के बाहर विचार किया तथा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम जानते नहीं थे। जो उन्होंने कहा वह सब कुछ अत्यंत आशा के अनुरूप ही था इसलिए मैं भी अपनी भावनाओं को मार्ग देने तथा सामान्यत: जो उन्होंने कहा उसका खण्डन करने के लिए तैयार होकर आया हूँ।

उन्होंने मूल रूप से दो या तीन बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अति सक्रिय है। उन्होंने केवल यह कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सम्भवत: राज्य के एक अंग में शक्तियों के आधिक्य का जमाव हो गया है तथा यह मुख्यत: उन्होंने नहीं कहा परंतु उनका यह अभिप्राय था – न्यायपालिका। अंत में उनकी बहस का अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि न्यायपालिका संसद के सम्प्रभुता पर निर्भर नहीं रह सकती है तथा संसद की सम्प्रभु इच्छा सांसदों द्वारा व्यक्त की गई है चूंकि उन्हें लोगों द्वारा चुनकर भेजा गया है। ऐसा कहने से उनका अभिप्राय यह था कि चूँकि ससंद सदस्य अथवा कार्यपालिका के सदस्यों का लोगों द्वारा चयन किया जाता है तथा उनकी आवाज जन-सामान्य की इच्छा अथवा आवाज है।

महोदय यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं एक बहुत पहले हुए एक विधान सभा के चुनाव का संदर्भ देना चाहूँगा। 1983 में, असम में एक विधान सभा चुनाव हुए थे जहाँ केवल 5% लोग आए थे तथा उन्होंने मताधिकार का उपयोग किया था। उस समय पंजाब में अन्य चुनाव भी थे। उस चुनाव में मुश्किल से 5 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था लेकिन वहाँ विधान सभा थी वहाँ मुख्यमंत्री था, मंत्री थे और विधायक थे। जब केवल 5 प्रतिशत लोगों ने ही वोट किया और यदि उस चुनाव में कोई निर्वाचित हुआ तो उसे केवल डाले गए वोटों के 2 अथवा 3 प्रतिशत वोट ही मिले। यदि वह कहता है कि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और जो कुछ वह कहता है वही सर्वोपरि है, तो क्या कोई उस पर विश्वास करेगा अथवा क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? आप असम और पंजाब में हुए चुनावों को भूल जाइए। आप इस चौदहवीं लोक सभा का उदाहरण देखिए। हममें से कितने 50 प्रतिशत से अधिक वोटों से निर्वाचित हुए हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त: मुझे मिले थे।

श्री खारबेल स्वाईं: मुझे मालूम है। हममें से कुछ को मिले थे। मुझे भी लगभग 55 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन ऐसे अनेक लोग नहीं हैं। इस सभा में कुल निर्वाचित 543 सदस्यों में से मुश्किल से 20 से 30 सदस्य ही बहुमत वोटों से निर्वाचित हुए थे ऐसी स्थिति में हम यह दावा कैसे कर सकते हैं कि हम वास्तव में देश की बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त: अगर आप बुरा न मानें, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ – यह मेरा वक्तव्य नहीं है, यह इस सभा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि संसद के निर्णय पर कोई उच्चतम न्यायालय, कोई न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

यह मेरा वक्तव्य नहीं है, यह नेहरू जी का वक्तव्य है। यह मेरा वक्तव्य नहीं है, यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश का वक्तव्य है। अनेक न्यायाधीशों का ऐसा मानना है। यह मेरा मत नहीं है। मैंने केवल उनके वक्तव्य को उद्धृत किया है।

श्री खारबेल स्वाईं: लोकतंत्र में मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा कहा है, अत: मुझे उसके अनुसार चलना है, मैं उस बात को नहीं मानता हूं। मैं केवल उस बात को मानता हूं जो मैं महसूस करता हूं और जो मैं महसूस करता हूं वही मैंने कहा है।

ऐसे देशों में जहां लिखित संविधान है, वहां न्यायपालिका की पहुंच असीमित है। हम संसदीय लोकतंत्र के जनक ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। उनका कोई लिखित संविधान नहीं है। तब उनका देश कैसे चलता है? उनका कानून क्या है? ब्रिटेन का संविधान क्या है? ब्रिटेन और अनेक देशों के न्यायालय में जो निर्णय दिया जाता है वही कानून है। यह परम्परा है, यह न्यायिक समीक्षा है, यह न्यायिक व्याख्या ही कानून की परिधि को परिभाषित करता है।

मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। इस संविधान के अंतर्गत तीन अंग है, नामत: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या इन तीनों अंगों के बीच कोई विवाद नहीं हो सकता? क्या यह संभव नहीं है? परिवार में भाई-बहनों, पिता-पुत्र और सभी के बीच विवाद होता ही रहता है। यदि संविधान के इन तीन अंगों के बीच कोई विवाद होता है तो कौन निर्णय लेगा कि क्या सही है और क्या नहीं? यह निर्णय कौन करेगा यह संविधान ही में है जो इसका पूर्णत: निर्धारण करता है। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है और निर्धारित किया गया है कि न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय इन सब बातों का निर्धारण करेगा जो भी उच्चतम न्यायलय कहेगा वही अंतिम निर्णय होगा और हमें उसको स्वीकार करना होगा।

माननीय गुरूदास दासगुप्त जी ने एक प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष के पद को कम करके आंका जा रहा है। उन्होंने यही कहा है। कभी-कभी इसकी यही व्याख्या की जा सकती है क्योंकि कभी-कभी अध्यक्ष जो कुछ कहते हैं उस बारे में उच्चतम न्यायालय का मत विरोधाभाषी होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष ने कहा था: "मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैं केवल उन विधायकों को मान्यता दूंगा जो मेरा समर्थन करेंगे। यहाँ ऐसे अनेक सदस्य है जो मुख्यमंत्री के रूप में मुझे समर्थन नहीं देंगे, मैं उनकी सदस्यता समाप्त कर दूंगा।"

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): सभापति महोदय, यहां एक राज्य के विधानमंडल के अध्यक्ष का उल्लेख किया जा रहा है जो अपना पक्ष रखने के लिए यहां उपस्थित नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री किरिप चालिहा: आपने कहा है "मिजोरम के अध्यक्ष"।

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने जानबूझकर किसी का नाम नहीं लिया है। मैं जानता हूं लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। महोदय, यदि कहीं भी ऐसा होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष ने जो किया वह सर्वोपरि है और कोई न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता?

आप झारखंड का ही उदाहरण लें वहां क्या हुआ था? सरकार से सभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कहा गया था लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। क्या हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष ने जो कुछ भी किया था वह सर्वोपरि था और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता? निश्चित रूप से हम भाग्यशाली हैं कि इस देश में उच्चतम न्यायालय है जो हस्तक्षेप कर सकता है और हमें बचा सकता है। अनेक बार तथाकथित अध्यक्षों तथाकथित कार्यपालिका और तथाकथित सरकारें इस देश में विपक्ष और आम आदमी के लिए ऐसी असहनीय परिस्थिति उत्पन्न कर सकती हैं जिस कारण इस देश में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

यहां आपातकाल लगाया गया था। उस समय इस सभा जिसका कार्यकाल पांच वर्षों के लिए था – में यह कहते हुए संकल्प पारित किया गया था कि इस सभा का कार्यकाल सात वर्षों तक बढ़ाया जाता है ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सात वर्ष नहीं छह वर्ष ....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यह संकल्प सभा का कार्यकाल सात वर्षों तक बढ़ाने के लिए था लेकिन सभा छह वर्षों के पश्चात भंग हो गई थी ...*(व्यवधान)* खैर, यह छह वर्षों के लिए ही था, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभा को अपना कार्यकाल बढ़ाने और यह कहने का अधिकार था या यह लोगों की इच्छा थी। फिर ऐसा समय आएगा जब इस सभा में ऐसा संकल्प पारित किया जाएगा कि इस सभा के लिए एक बार निर्वाचित होने वाला सदस्य आजीवन इसका सदस्य बना रहेगा और तब हम कहेंगे कि यह लोगों की सर्वोपरि इच्छा है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि मध्यस्थ होना हमेशा ही बेहतर होता है।

महोदय, मैं श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों से सहमत हूं। कभी-कभी न्यायपालिका सरकारी कामकाज में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती है। माननीय श्री गुरूदास दासगुप्त ने उल्लेख किया है कि न्यायपालिका ने बंगलों के आंबटन, कार चलाने, आवारा पशु रियायती शुल्क लगाना और इस तरह की चीजों के बारे में हस्तक्षेप किया है। कई बार न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अनेक अवसरों पर कोई भी जाता है और न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर देता है। जनहित याचिका पर कार्रवाई करते समय न्यायालय कभी-कभी हस्तक्षेप करता है और ऐसे निर्णय देता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मि. सवाईं, आपकी पार्टी से 5 सदस्य और बोलने वाले हैं जो लिस्टेड हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: नहीं, 2-3 मैम्बर्स ही हैं। अगर आप नहीं चाहते कि बोलूं तो मैं बैठ जाने के लिये तैयार हूं।

सभापति महादेय: नहीं, नहीं।

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति जी, मैं प्रिंसीपल अपोज़ीशन पार्टी का सदस्य बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: मि. स्वाईं, आप अपनी पार्टी का पूरा टाइम ले सकते हैं, यदि पार्टी आपको अथोराइज़ कर दे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: ठीक है, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं आपको आपकी पार्टी की तरफ से पूरा टाइम दे दूंगा, यदि आप बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: कभी-कभी*...

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नहीं आप चेयर के लिये इस तरह का रिमार्क्स नहीं कर सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री स्वाई यह ठीक नहीं है। आप सभापति के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं कर सकते। आप सभापति के लिए ऐसी टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सभा में नई परम्परा आरंभ करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): हमें आपका भाषण अच्छा लग रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: ठीक है, महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आप उन्हें बोलने की अनुमति दे दीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें समय मिलेगा। आप बोलना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को और समय नहीं मिलेगा। हम तो आपको अलाऊ कर रहे थे। आप खुद नहीं बोलना चाहते।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महादेय, सैकेन्ड या थर्ड स्पीकर को बोलते तो अलग बात है, ...*

सभापति महादेय: आप बोल लीजिए। आप अपनी पार्टी का समय ले लीजिए। आपके चीफ व्हिप लिखकर दे दें कि पार्टी का सब टाइम आपको दे दिया गया है तो हमें क्या दिक्कत है। हम लोग यहां न्याय के तराजू पर बैठे हैं, लेकिन आपके जो रिमार्क्स हैं, वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह न्याय का तराजू है। इसमें न विपक्ष है, न सत्ता है, न कोई मैम्बर है। न्याय के तराजू के आसन पर मैं बैठा हूँ। इसमें इंच भर इधर-उधर नहीं हो सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: ...*

सभापति महोदय: यही जस्टिस है, पर जो रिमार्क्स आप कर रहे हैं, वे अनप्रिसिडैन्टेड हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, अभूतपूर्व हैं। इस तरह से इजाज़त नहीं दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): ...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): हम नियम 193 के तहत इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका समर्थन करते हैं। परंतु आपको अध्यक्षपीठ की नेकनियती पर अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रश्नचिन्ह लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र और इस सम्मानीय विपक्ष के मेरे मित्र और मेरे प्रिय सहयोगी श्री खारबेल स्वाईं एक सुविज्ञ और समझदार संसदविद हैं। मुझे आशा है कि वह इसका ध्यान रखेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ।

मेरा यह भी मानना है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के वक्ता को कुछ समय दिया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा यह कहना है कि 1973 में एक केशवानन्द भारती का मामला सामने आया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाद में इसे फिर चुनौती दी गई थी। यह ठीक नहीं है, उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानून में हस्तक्षेप कर सकते हैं। परंतु उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने यह कहा कि यह केशवानन्द भारती मामले के निर्णय फेरबदल नहीं चाहती क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी तक यह प्रथा है कि यहाँ संसद द्वारा भी संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन और उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कानून की न्यायिक समीक्षा और न्यायिक व्याख्या करने में कुछ गलत नहीं है।

विपक्ष के नेता के रूप में मेरा यह मानना है कि यदि इस देश में कोई उच्चतम न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती तो आईएमडीटी अधिनियम अभी भी जारी रहता। बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे निष्प्रभावी बना दिया गया। यदि इस देश में न्यायपालिका नहीं होती तो शायद वोट की राजनीति के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना अभी भी जारी रहता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रिय मित्र, कृपया मुझे आधे मिनट का समय दीजिए।

मैं आपका समर्थन करता हूँ। परंतु मैं आपको अपने कथन और सोच को बढ़ाने का सुझाव दूंगा। क्या यह उचित होगा कि पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दायर किया जाए और बाद में उसका उल्लंघन किया जाए जैसा कि अयोध्या में मज्जिद को ढ़हाने के मामले में किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आप लोगों ने राम सेतु मामले पर क्या किया? केन्द्रीय सरकार ने एफिडेबिट दिया और फिर वापस ले लिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत कृपया आपस में बात मत कीजिए। मैं आपसी बातचीत की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाईं: यदि इस देश में कोई न्यायपालिका नहीं होती हो सीबीआई इस सरकार के तहत केवल एक विभाग मात्र होती। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजकल सीबीआई क्या कर रही है परंतु यदि न्यायपालिका नहीं होती तो यह सरकार के तहत एक विभाग मात्र होती।

इस यूपीए सरकार के ऐसे अनेक माननीय सदस्य जिनके खिलाफ अनेक मामले चल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बिना किसी कार्यवाही के छूट जाते, क्योंकि वे सरकार में हैं। उनके सभी मामले बंद कर दिए जाते *...(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन: तब आप क्या करते? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाईं के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वह जानते हैं कि उस मामले का क्या हुआ। वह इसे स्वयं जान जाएंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वह एक ख्याति प्राप्त विधि नेता भी हैं। वह भारतीय बार कांउसिल के अध्यक्ष हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं; कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: जी महोदय। यदि न्यायपालिका नहीं होती तो शायद वोट में राजनीति के लिए पारित किया गया इस देश का प्रत्येक कानून नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाता। आरक्षण नीति हमेशा के लिए लागू कर दी जाती। यदि इस देश में न्यायपालिका नहीं होती तो यहां यह सब होता। यदि यहां न्यायपालिका नहीं होती तो नंदीग्राम जैसी घटनाएं न जाने कितनी बार दोहराई जाती। केवल यही एक उम्मीद है *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आप गोधरा को भूल रहे हैं *...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: आप इन उदाहरणों को देख सकते हैं। यह सभा और विधान सभाएं जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ये तथाकथित जन प्रतिनिधि अधिकतर संभव दो या तीन दिन में बंद का आह्वाहन करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी कहीं नहीं जा सकता। यहां तक कि न्यायाधीश भी कहीं नहीं जा सकते। यदि न्यायपालिका नहीं होती तो शायद कुछ राजनैतिक दल प्रतिदिन 'बंद' का आह्वाहन करते रहते। न्यायपालिका के कारण ही देश के लोग राहत की सांस लेते हैं *....(व्यवधान)*

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): न्यायपालिका का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बीच में व्यवधान पैदा न करें।

श्री खारबेल स्वाईं: परन्तु, महोदय, मैं भी इस मुद्दे पर सहमत हूँ कि एक 'लक्ष्मण रेखा' होनी चाहिए जिसे न्यायपालिका पार न करे। मैं इस मुद्दे पर सहमत हूँ। ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जिनका माननीय सदस्य, श्री गुरूदास दासगुप्त ने उल्लेख किया है। मैं भी पूरी तरह से इस बात में विश्वास करता हूँ कि न्यायपालिका को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यह मामला पूर्णत: कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं केवल तीन-चार मिनट लूंगा। पिछले सप्ताह, लोक सभा टेलीविजन पर एक पैनल की चर्चा का प्रसारण किया गया जिसमें देश के पूर्व सोलिसिटर जनरल श्री अन्ध्यार्जुना और स्वयं मैं भी उपस्थित था। लोगों को भी हमसे प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई थी। वाद-विवाद में, पैनल की लगभग एक घंटे की चर्चा में लगभग दस लोगों ने हमसे टेलीफोन पर प्रश्न पूछे। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने श्री गुरूदास दासगुप्त के तर्क का समर्थन किया हो। सभी ने यह कहा कि यदि हमें सरकार तथा विपक्षी दलों से भी न्याय नहीं मिलता वे हमारी आवाज नहीं उठाते तो हम कहाँ जाएं। न्यायपालिका ही हमारा आखरी सहारा है जो न्याय प्रदान करती है। तब आप इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं।

मुझसे तथा देश के पूर्व सोलिसिटर जनरल से ये प्रश्न पूछे गए। मैं माननीय सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्त की इस बात से सहमत हूँ कि चूँकि कार्यपालिका न्याय प्रदान करने में विफल है इसलिए विधायिका भी इस संबंध में विफल हो गई है और इसीलिए लोग न्याय पाने के लिए न्यायालयों में जाने को विवश हैं।

सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी-किसी व्यक्ति को पाँच से दस सालों तक पेशन नहीं मिलती है। प्रत्येक संबंधित व्यक्ति, प्रत्येक अधिकारी से अनुरोध करता है और कोई उसकी बात नहीं सुनता। ऐसे में वह व्यक्ति क्या करेगा? स्वाभाविक है कि वह न्यायालय की शरण में जाएगा। संभवत: कभी-कभी न्यायालय उन्हें कुछ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राहत, न्याय प्रदान करते हैं। हमें वस्तुत: इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों होता है।

अंत में यह बात भी महत्वपूर्ण है और मैं पूरी तरह यह महसूस करता हूँ कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई जवाबदेही नहीं है। यदि निचली अदालतों में कोई न्यायाधीश भ्रष्ट पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु यदि यही बात उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय का किसी न्यायाधीश पर लागू हो तो उसके विरुद्ध कौन कार्यवाही करेगा? आप सभी यह जानते हैं कि उनके विरुद्ध केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्यवाही की जा सकती है और आप यह जानते हैं कि यह कार्यवाही करना पूर्णत: असंभव है। इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल एक बार महाभियोग की कार्यवाही की गई है और मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि सभी यह जानते हैं कि किस प्रकार वह कार्यवाही विफल कर दी गई थी। यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भ्रष्ट है तो उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही करना बिल्कुल असंभव है।

अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि न्यायिक जाँच अधिनियम पारित किया जाए। इस देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा नहीं होनी चाहिए और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए कोई तन्त्र मौजूद होना चाहिए ताकि देश के विधान के समक्ष सभी सामान हों। दूसरों के न्याय प्रदान करने वाले न्यायाधीशों को कानून से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। वे कानून की व्याख्या करते हैं परंतु उन्हें कानून से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि न्यायिक पुनरीक्षा और न्यायिक सक्रियता इस देश के लिए कुछ सीमा तक ठीक है, परन्तु प्रत्येक छोटे-मोटे मामले में हस्तक्षेप करके, इसे अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए एक तन्त्र होना चाहिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): सभापति महोदय आपका धन्यवाद। मैं हमारी संसदीय प्रणाली अथवा हमारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली हेतु बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। परन्तु, इससे पहले कि मैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ कहूँ, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं मुझसे पहले मेरे साथियों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से सहमत नहीं हूँ। उनका विरोध करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, परंतु तथ्य सही ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मेरे साथी, माननीय सांसद श्री स्वाईं जिन्होंने मुझसे पहले बोला, ने इस बात का जिक्र किया कि एक सदस्य को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। एक दूसरे पर आरोप लगाने का निश्चित रूप से यह सही अवसर नहीं है। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ कैसे पैदा की जाएं जिनमें संविधान सुचारू रूप से कार्य कर सके, किस प्रकार शासन के तीन घटकों में समन्वय स्थापित हो, और किस प्रकार उनमें सामंजस्यपूर्ण संबंध बन सकें। मैं यह नहीं मानता कि इस प्रकार के छोटे-मोटे मामलों में उलझकर तथा एक दूसरे पर आरोप लगाने से हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि हम सर्वाधिक मतों के आधार पर निर्वाचन की प्रणाली का अनुसरण करते हैं और हमारा देश 1952 से निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। संविधान में मतदान को अनिवार्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है चाहे 5 प्रतिशत मतदान हो अथवा 50 प्रतिशत, और हमारा संविधान ऐसा भी नहीं कहता है कि चुने जाने के लिए किसी प्रत्याशी को अधिकांश मत प्राप्त होने चाहिए।

उदाहरण के लिए फ्रांस के संविधान में यह प्रावधान मौजूद है जो कि हमारे संविधान में उपलब्ध नहीं है। इस बात को ध्यान में रखे बिना कि आपने 50 प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं अथवा 5 प्रतिशत अथवा 100 प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं, वस्तु स्थिति यह है कि एक बार निर्वाचित घोषित किए जाने पर आप लोगों के प्रतिनिधि हैं। यदि मेरे माननीय साथी यह महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं है और यह प्रणाली उनके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है तो हम सबको यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ छोड़कर अपने घर चले जाना चाहिए। यदि हम यह कहते हुए कि हमने भारी मात्रा में मत–जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, प्राप्त नहीं किए हैं, अपनी संस्था के महत्व को कम करने का प्रयास करते हैं तो विधायिका अथवा संसद की क्या सार्थकता रह जाएगी। यदि ऐसी ही बात है तो संसद की कोई सार्थकता नहीं है और किसी भी विधायिका का कोई महत्व नहीं है। यदि वह इस प्रकार के तर्क देना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात करते हुए यह तर्क देना चाहिए कि प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किए जाने से पहले कुल मतदान का 5 प्रतिशत अथवा कुल हुए मतदान की एक कम से कम निश्चित संख्या प्राप्त करनी चाहिए। परन्तु जब तक वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी, यह भी जारी रहेगा और हम उन्हीं शक्तियों के साथ संसद या विधान मंडलों के सदस्य बनते रहेंगे जो संविधान ने हमें प्रदान की हैं।

मेरे अन्य साथी श्री दासगुप्त जिन्होंने इस वाद-विवाद को प्रारंभ किया था ने कहा कि शासन के कुछ अंग असफल रहे हैं। इसलिए न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता या अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारंभ किया था। यदि एक अंग असफल होता है तो दूसरे अंग को उसके

[श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव]

कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का लाइसेस प्राप्त नहीं हो जाता। यदि न्यायपालिका असफल होती है, तो क्या कल इससे संसद को निर्णय जारी करने का लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा या कार्यकारिणी को खंड पर बैठने या संसद में आकर विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। इसलिए यदि प्रणाली में कुछ गलत होता है या असामान्य घटित होता है तो आपको इसे ठीक करना होगा। इसे ठीक करने के लिये आपको उपचारात्मक उपाय करने होंगे। आप हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित की गई सम्पूर्ण व्यवस्था को अस्त-व्यस्त नहीं कर सकते।

मेरे मित्र श्री स्वाईं ने कहा कि ब्रिटेन में न्यायिक उद्घोषणा को ही अंतिम निर्णय माना जाता है। मैं माफी चाहता हूं किन्तु राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने 30 वर्ष पहले जो पढ़ा था मुझे वह आज भी याद है, मैं विनम्रतापूर्वक सभा को बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है। यह संविधान पूर्वोदाहरण, कंवेशनों चार्टरों और विधिक उद्घोषणाओं पर आधारित है परन्तु संसद परम शक्तिशाली है। इसलिए जहां तक ब्रिटेन का संबंध है ससंद सर्वोपरि है। सामान्यत: एकात्मक प्रणाली की सरकार जहां भी होती है वहां यही स्थिति होती है। ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली है, एकात्मक प्रणाली में संसद शीर्ष है और इसके पास अध्यारोही शक्तियां हैं, यहां तक कि संसद द्वारा विधिक उद्घोषणाओं को भी निष्प्रभावी ठहराया जा सकता है या वीटो किया जा सकता है। हमने शक्ति पृथककरण के साथ लिखित संविधान का विकल्प चुना। हमने अन्य पश्चिमी लोकतंत्रों का उदाहरण लिया जिन्हें इसका अनुभव था।

शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का सूत्रपात 18वीं शताब्दी से हुआ। राजनीतिक दार्शनिक मांटेस्क्यू ने कहा था कि शक्तियों के पृथक्करण से यह सुनिश्चित होगा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित न हो। विश्व के अन्य देशों में हुई घटनाओं से सीख लेते हुए हमने लिखित संविधान के विकल्प को चुना। सामान्यत: लिखित संविधान केवल वहीं है जहाँ संघीय प्रणाली की सरकार है। अमेरिका में संघीय प्रणाली है, पूर्व सोवियत संघ में अनेक यूनियनों का संघ था। ...*(व्यवधान)*

मैंने अपनी गलती सुधार ली है। मैं जहां तक मेरी रूचि का संबंध है, मैं इस संबंध में और जानकारी चाहूंगा। मैं कह रह हूं कि अमरीका और पूर्व सोवियत संघ के लिखित संविधान हैं। सामान्यत: स्पष्ट संघीय ढांचे में जहां लिखित संविधान हो, वहां संघ से पृथक होने की शक्ति भी होती है। वह पूर्ण संघीय नहीं है जहां पृथक होने की शक्ति नहीं है। हमारी शासन प्रणाली को अर्ध संघीय प्रणाली की संज्ञा दी जाती है और यही हम है। अपने अनुभव से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां का सरकार का स्वरूप मुख्यत: अर्ध-एकात्मक प्रणाली वाला है, क्योंकि यहां समवर्ती सूची है और केन्द्र के पास कुछ अध्यारोही शक्तियां हैं। हमारे यहां शासन की अर्ध एकात्मक प्रणाली का विकास हुआ है जहां केन्द्र राज्यों से अधिक शक्ति संपन्न है।

इस तरह हमारे यहां संविधान में शक्तियों का पृथककरण हुआ था। इसलिए भारत में, हमारे संविधान के अनुसार संसद को राज्य के सर्वोच्च विधायी निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई संदेह है। संविधान में संसद को सर्वोच्च विधान बनाने वाले निकाय के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

यदि संसद की सर्वोपरिता नहीं प्रदान की गई तो निसंदेह न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है। न्यायपालिका को यहां एक भूमिका अदा करनी होती है। मैं अपने साथी से सहमत हूं कि उन्हें समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें कानून की व्याख्या करने की भी शक्ति प्राप्त है। परन्तु हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि व्याख्या क्या है और समीक्षा क्या है?

मैं संविधान सभा के कुछ वाद-विवादों और संविधान सभा में संसद से संबंधित चर्चाओं को पढ़ रहा था। मैंने उन वाद-विवादों में यह पाया कि जनता की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद की इच्छा के समक्ष कोई उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका नहीं आ सकती।

इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या हम सम्प्रभुताओं जनता की इच्छा में विश्वास करते हैं या नहीं। लोकतंत्र में न्यायपालिका या संसद के संबंध में जनता की प्रभुता ही सर्वोपरि है। कुल मिलाकर हमें जो विधायी शक्तियां प्राप्त हैं वह हमें जनता से ही मिली हैं। अंतत: संप्रभु अधिकार लोगों के पास ही निहित है और संसद की संरचना को परिवर्तित किया जा सकता है। उनके पास संसद की संरचना को परिवर्तित करने का अधिकार है और उन्हें पांच वर्ष में एक बार यह अवसर मिलता है। जिस प्रणाली को हमने इन 60 वर्षों में पल्लवित किया है उसमें जनता की प्रभूसत्ता है। इसलिए हमारी व्यवस्था में न्यायपालिका की पूर्ण सर्वोपरिता की अवधारणा का स्थान नहीं है। मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी संसद के पास भी पूर्ण शक्तियां नहीं हैं, लेकिन शासन का हर अंग अपने कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न है इसलिए जहां तक न्यायिक समीक्षा और व्याख्या का संबंध है न्यायपालिका प्रभुत्व संपन्न और अंतिम शक्ति उसके ही पास है और जहां तक विधायी शक्तियों का संबंध है संसद के पास सर्वोच्च अधिकार है। इसलिये हमारी व्यवस्था में प्रत्येक को एक भूमिका का निर्वाह करना है।

महोदय, मैं आपको एक घटना का स्मरण कराना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि इस सम्माननीय सभा के अनेक सदस्य उससे अवगत होंगे। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक वर्षों में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्हें देश में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना था। यदि किसी ने भूमि सुधारों के संबंध में आपत्ति की होती और यदि संविधान इसके विरुद्ध होता या न्यायाधीश इसके पक्ष में नहीं होते, तो हमारे यहां भूमि सुधार नहीं हुए होते, मेरे पास इस प्रकार के तर्क के लिए कोई उत्तर नहीं है। लेकिन यहां तक कि भूमि सुध ारों के लिए भी देश में जो कि एक कल्याणकारी राज्य है जो हमारे समाज के सभी वर्गों में समानता लाने के प्रति कटिबद्ध है, अंततः संसद ने ही भूमि सुधारों को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन किया था।

श्री हंसराज भारद्वाजः महोदय, मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ। मुझे सभा को विश्वास में लेना चाहिए। श्री गुरूदास दासगुप्त ने नेहरूजी के नाम का उल्लेख किया। कामेश्वर सिंह के मामले में नेहरूजी की टिप्पणी बिल्कुल वही थी। जब बिहार में भूमि सुधार किए गए, नेहरू जी संसद में आए, जो तत्कालीन प्रांतीय संसद थी, उन्होंने संविधान में पहला संशोधन इस तर्क पर किया कि कोई भी उच्चतम न्यायालय मेरे और लोगों के बीच में नहीं आ सकता क्योंकि हमने स्वाधीनता संग्राम के दौान वचन दिया था कि हम राज्य की भूमि और संसाधनों का वितरण अपने समाज के समाजवादी तरीकों से करेंगे। ठीक, यही शब्द पंडित जी ने भूमि सुधार पर चर्चा के दौरान इस सम्मानीय सदन में प्रयोग किए थे। यह न्यायपालिका के विरुद्ध निरंकुश आदेश नहीं था बल्कि उन्होंने इस बात पर बल दिया था।

श्री गुरूदास दासगुप्तः हमें निर्धारित समय से पहले वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। मैंने पूर्व प्रधानमंत्री को जिस तरह उद्धृत किया, मैं इसे सही मानता हूँ और चाहे यह निरपेक्ष हो या सापेक्ष, यह अलग मामला है।

श्री हंसराज भारद्वाजः नेहरूजी को उद्धृत करना संदर्भ से हटकर नहीं है। नेहरूजी ने भूमि सुधार के बारे में बोला था।

श्री गुरूदास दासगुप्तः यही मामला है। आप कथन को कम न करें। माननीय मंत्री नेहरूजी के व्याख्याकार नहीं हैं। कम से कम मैं तो इसे नहीं मानता।

श्री हंसराज भारद्वाजः मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ। आज आपका मूड इतना खराब क्यों?

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देवः महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को उनके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद देता हूँ।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी थी कि शक्ति पृथककरण की संकल्पना संविधान की मूलभुत विशेषता है। आजकल हम संविधान के मूलभूत ढाँचे के बारे में बातें करते हैं। यद्यपि बुनियादी ढाँचे को अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने बताया कि शक्ति पृथककरण की संकल्पना संविधान की मूलभूत विशेषता है। यदि ऐसा है तो प्रत्येक अंग को कार्यकरण के पृथक क्षेत्र के भीतर कार्य करना है जिसमें कोई दूसरा अंग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि शक्ति पृथककरण संविधान की मूलभूत विशेषता है तो पृथककरण विधायिका को न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता और न्यायपालिका को विधायिक के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह केवल हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि न्यायापालिका पर भी लागू होता है। अतः उच्चतम न्यायालय यदि वे अपनी बात पर अडिग रहते हैं कि शक्ति पृथककरण स्वयं संविधान के मूलभूत ढांचे का एक भाग है तो मैं समझता हूँ, उनके प्रभुत्व के लिए पहले उन्हें यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

महोदय, हाल ही में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे न्यायापालिका और विधायिका के बीच संघर्ष सामने आया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। उनमें से कुछ उदाहरण मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं जैसे श्री स्वाई और श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कुछ उदाहरणों को उद्धृत किया है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें न्यायालय विधान मण्डलों और संसद के पीठासीन अधिकारियों को नोटिस जारी करते रहे हैं। एक अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष को भी उच्चतम न्यायालय का एक नोटिस मिला था। उसके बाद देश की सभी विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और सभी राजनीतिक दलों से संबंधित सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि संसद के पीठासीन अधिकारियों को ऐसे नोटिसों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

महोदय, आप को एक घटना याद होगी जिसमें एक बार एक न्यायालय ने अध्यक्ष का एक स्थायी समिति का प्रतिवेदन संसद में सभा पटल पर रखने से पहले एक मुहरबंद कवर में न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया था। यदि न्यायालय की अवमानना हो सकती है तो क्या संसद की अवमानना नहीं हो सकती। क्या उनका प्रभुत्व रहता यदि संसद के दोनों सदनों ने यह संकल्प पारित किया होता कि न्यायालय निर्णय सुनाने से पहले इसे मुहरबंद कवर में सदन को भेजे। अतः हमें संयम से काम लेने की सलाह दी जाती है। यह एक दूसरे के सम्मान की बात नहीं हमें अपनी सीमाओं को

[श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव]

ध्यान में रखना चाहिए हम व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। कोई भी खेल केवल तभी खेला जा सकता है जब कोई नियमों का पालन करे। लोकतंत्र एक प्रणाली है और हमारा संविधान, जैसाकि हमारे अनेक सदस्य मानते हैं, सर्वोच्च है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको नियमों और संविधान की भावना के अनुसार चलना होगा। हमारे संविधान में विशेष खण्ड है। मैं उन्हें उद्धृत करना नहीं चाहता। यहां अनुच्छेद 105(2) है, अनुच्छेद 122 है, अनुच्छेद 121 है जो संसद सदस्यों और अधिकारियों जो इस कार्य में उनके लिए सहायता करते हैं को उनके कार्यकरण में कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। ये उन्मुक्तियाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही नहीं दी हैं, बल्कि दुर्भाग्य से ऐसी धारणा है कि सांसदों को सभी प्रकार के विशेषाधिकार मिले हैं, जो सही नहीं हैं। ये विशेषाधिकार केवल संसदविद के रूप में संसद से सम्बन्धित कार्य करने के लिए है न कि संसदीय गतिविधियों के दायरे से बाहर व्यक्तिगत मामलों के लिए है।

महोदय, अभी मेरे साथी ने झारखण्ड का उदाहरण दिया। प्रश्न यह है कि चाहे यह झारखण्ड हो या उत्तर प्रदेश विधानमंडलो की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए और क्या एक वीडियो कैमरा लगाना चाहिए और क्या वहाँ की प्रत्येक गतिविधि की रिकार्डिंग होनी चाहिए इस बारे में विधानमंडलों को निर्देश देना, क्या सर्वोच्च न्यायालय का काम है। यह विधायिका का कार्य है। हमारी संवैधानिक योजना में माननीय राष्ट्रपति विधायिका के अध्यक्ष के रूप में समन जारी करते हैं। यहाँ आपके पास न्यायालय है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड में सभा के लिए कार्यसूची निर्धारित करते हुए निर्देश जारी कर रहा है और कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग के लिए भी निर्देश दे रही है। यह अपमानजनक और शर्मनाक है। मैं विधायिका के क्षेत्र में इससे ज्यादा अतिक्रमण के बारे में सोच भी नहीं सकता। जहाँ इस प्रकार के अशिष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। इसका क्या अर्थ है? यदि ऐसी घटनाएं होती रही, तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी।

महोदय, मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। वास्तव में हम सबने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने न्यायपालिका या न्यायिक गतिविधियों पर चर्चा करते समय हमेशा अत्याधिक संयम रखा है। लेकिन कभी-कभी या जब ऐसी घटनाएं हो रही हों हमें संज्ञान लेना पड़ता है। आज उच्चतम न्यायालय बिना सांविधिक आधार वाले प्राधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। मैं बार-बार उदाहरण दोहराकर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

इस बारे में एक उदाहरण है। यह सेन्ट्रली एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) के बारे में है। उच्चतम न्यायालय ने सेन्ट्रली एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया है जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। इस समिति के पास कार्यपालिका के समान शक्तियाँ हैं। जैसाकि मेरे सहयोगी ने पहले कहा कि संसद जनता के प्रति जवाबदेह है। कार्यपालिका हमारे प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक रूप से गठित सीईसी कार्यपालिका के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं कर रही है और वह भी बिना किसी जवाबदेही अथवा उत्तरदायित्व के?

यहां वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी है जिसमें सीईसी के दो सदस्य हैं। वे मामलों को वहां भेजेंगे और वही लोग इस पर न्याय निर्णयन करेंगे। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है यह प्रवृत्ति खतरनाक है जिस पर नियंत्रण अथवा रोक लगाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आप संविधान के किसी भी अंग को मनमानी करने नहीं दे सकते। इसका अंत कहां होगा?

मैं अपनी बात शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा। महोदय, मुझसे पहले के वक्ता श्री स्वाईं ने कतिपय उदाहरण दिये। मैं उनसे सहमत हूं कि कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन वे गलतियां हैं। क्या हमें उन्हें सही करना चाहिए अथवा हमें व्यवस्था को ही समाप्त होने देना चाहिए? हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए। कतिपय मामलों में न्यायपालिका ने सही समय पर हस्तक्षेप कर हमारी सहायता की है। ऐसा हुआ है और यह अच्छा है। लेकिन कभी परिस्थितियां इसके विपरीत भी हो सकती हैं। यह ऐसी बातें हैं जिन पर एक या दो उदाहरणों के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता और हमें उन पर विचार करना है। हमें उन पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना है।

मेरे एक सहयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी तैनाती के बारे में उल्लेख किया। महोदय यह एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यायाधीश स्वयं अपनी नियुक्ति करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि न्यायिक आयोग जूडिशियल कमीशन के गठन के बारे में क्या किया जा रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस बिंदु पर प्रकाश डालेंगे।

जहां तक न्यायाधीशों का संबंध है उनकी जवाबदेही भी निर्धारित की जानी चाहिए। हमें मालूम है कि पैसे लेकर प्रश्न पूछने वाले मामले में कुछ सदस्यों को इस सभा से निष्कासित किया गया था। श्री स्वाईं इस बात की सराहना करेंगे कि उन्हें किसी न्यायालय द्वारा निष्कासित नहीं किया गया। इस सभा ने सुधारात्मक कार्रवाई की। यह एक सुधारात्मक तंत्र था जिसके द्वारा सभी नेताओं ने माननीय अध्यक्ष को उस समय ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया और संसद ने वह निर्णय कियां ऐसा नहीं है कि किसी को 'डंडा' लेकर जारी करने या निर्णय देकर यह बताना पड़ेगा कि क्या किया

जाना चाहिये। हमे स्वयं अपने में सुधार करना है। ऐसा पहले भी किया गया था और संसद ने इस बारे में मिसाल पेश की है। लेकिन आज किसी विधानमंडल अथवा संसद के विरुद्ध स्टिंग ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी लिखा अथवा कहा जा सकता है। बेशक इसके लिए उपाचारी उपाय हैं। लेकिन यदि न्यायाधीशों के बारे में मीडिया में कोई खबर प्रकाशित होती है अथवा कुछ भी कहा जाता है, चाहे वह सही ही हो, तो भी वह न्यायालय की अवमानना ही मानी जाएगी। क्या लोकतंत्र में यह उचित है? हम सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि कल कोई मेरे विरुद्ध अवमानना का मामला दायर कर दे। यदि मैंने अवमानना की है, तो मुझे उस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या न्यायाधीशों को इससे छुट दी जानी चाहिए? क्या वे इंसान नहीं हैं क्या वे इस व्यवस्था का मांग नहीं है? जब कोई मामला संसदीय समिति के समक्ष विचारार्थ आता है सभी न्यायाधीश उस बारे में निर्देश देना शुरू कर देते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिये कि उन्हें कैसा प्रतीत होगा यदि संसद किसी न्याय निर्णयाधीन मामले पर संकल्प पारित कर दे। जब कोई मामला विचाराधीन होता है, तो हम समितियों अथवा संसद में उस मामले पर चर्चा भी नहीं करते। हमने न्यायपालिका के प्रति यह सम्मान दिखाया है। लेकिन न्यायालयों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता।

ये ऐसे मामले हैं जिन पर पुन: विचार करने की आश्यकता है। हमारा संविधान न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। न्यायिक व्याख्या करना निश्चित रूप से न्यायाधीशों का काम है। न्यायाधीश दर्जनों बार किसी भी विधान को असंवैधानिक कह सकते हैं लेकिन हम भी दर्जनों बार कोई विधान बना सकते हैं जब तक कि हम यह महसूस न करें कि संवैधानिक कमियों से सुधार कर लिया गया है। संविधान में संशोधन करने का अंतिम अधिकार संसद के पास है न कि न्यायपालिका के पास। अन्यथा संसद की कोई प्रासंगिकता ही नहीं होगी।

मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं अब "न्यायिक सक्रियता" शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया है। "न्यायिक सक्रियता" ठीक है। लेकिन "न्यायिक सक्रियता" और "न्यायिक निरंकुशता" के बीच आप कैसे अंतर करेंगे? इन दोनों के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर है। मेरे विचार में विश्व में कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने वाले सभ्य समाज के लिये "न्यायिक निरंकुशता" तानाशाही का निकृष्टतम रूप है। अत: हमें हमारी व्यवस्था को इस "न्यायिक निरंकुशता" अथवा तानाशाही से बचाना चाहिए। हमें इस निरंकुशता से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायो की आवश्यकता है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर की बात उद्धरित करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था:

> "सभा का स्वरूप मुख्यत: प्रतिनिधिक है और न्यायालय कभी भी सभा का तीसरा अंग नहीं बन सकता – हमारी संसद द्विसदनी है और इसमें तीसरा सदन नहीं हो सकता – हालांकि इसके पास असंवैधानिक विधान को रद्द करने और विधायिका के बाहर किये गये अतिक्रमण पर अपना निर्णय देने का अधि कार है। हमारे संविधान में यह अपेक्षित है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच परस्पर सम्मान हो ताकि कार्य निर्वाहक व्यवस्था में शिष्टाचार तथा सौहार्द बना रहे।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, हम एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हमने भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। उसके लिए हमारे पास संविधान है। 60 वर्षों के अनुभव के पश्चात हम ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें इस संविधान के प्रभाव पर चर्चा करनी होगी।

सर्वप्रथम, मुझे यह उल्लेख करना है कि जनता सर्वोपरि है। यह संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां संविधान सर्वोपरि है। केशवनंद भारती मामले के पश्चात हमने संविधान के 'मूल ढांचे' में बदलाव न करने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। संविधान में कतिपय ऐसे उपबंध हैं जिनमें इस सभा अथवा किसी अन्य द्वारा कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। उन मूल सिद्धान्तों में बदलाव नई संविधान सभा के गठन द्वारा ही किया जा सकता है। यह केवल तभी संभव है जब यहां तानाशाही अथवा ऐसा ही कुछ हो। आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। संविधान के 'मूल ढांचे' में बदलाव करने के लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है। हम इसी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं।

कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संविधान के तीन स्तंभ है। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि इन तीनों स्तंभों को अपने संबंधित क्षेत्रों में पूर्ण सावधानी से सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए कार्य करना चाहिए। संविधान में इसी सिद्धांत को निरूपित किया गया है। प्रत्येक स्तंभ अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोपरि है। इन तीनों स्तंभों के कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान में इन तीनों स्तंभों के कार्य और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 124(4) के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

गए। उच्चतम न्यायालय को कतिपय अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 124 में ये अधिकार में दिए गए हैं। अनुच्छेद 124, उप खंड (4) इस सभा द्वारा न्यायाधीशों के महाभियोग के बारे में है। संविधान में एकमात्र यही उपबंध है जो न्यायपालिका को जवाबदेह बनाता है और संविधान में कोई अन्य उपबंध न्यायपालिका को संविधान के किसी प्राधिकरण के प्रति जवाबदेह नहीं बनाना।

जब हम एक स्वतंत्र निकाय के रूप में न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात करते हैं–परन्तु स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए। यहाँ एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का एक पहलू है न्यायिक स्वतंत्रता। उसी सिक्के का दूसरा पहलू है यह है कि वह जवाबदेह ही होनी चाहिए। हमारे संविधान के इन तीन स्तंभों पर विचार करते समय हम निश्चित रूप से यह पाते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका पूरी तरह से ससंद के प्रति उत्तरदायी हैं और हम संसद सदस्य प्रत्येक अर्थ में जनता के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु दुर्भाग्यवश, न्यायपालिका इस अव्यवहारिक अनुच्छेद 124, जिसमें महाभियोग संबंधी उपबंध किए गए हैं, के अतिरिक्त संविधान के अंतर्गत किसी भी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है। महाभियोग संबंधी उपबंध हमारे संविधान का एक काला अध्याय है। रामासामी मामले में एक कटु अनुभव हमारे पास है। उस मामलों में, हमने यह पाया कि हम न्यायपालिका को उत्तरदायी बनाने में असहाय थे। उस समय भी वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा एक प्रयास किया गया था।

वर्ष 1962 में न्यायाधीश जाँच अधिनियम पारित किया गया था। परन्तु वह एक अनुपयोगी कानून सिद्ध हुआ। तत्पश्चात, वर्ष 2006 में, न्यायपालिका को कुछ सीमा तक उत्तरदायी बनाने के लिए न्यायाधीश जाँच विधेयक पर चर्चा की। इस संबंध में कोई अन्य उपबंध नहीं है। एक बार शपथ लेने के पश्चात् न्यायाधीश, अनुच्छेद 124, उप खंड (4) के अतिरिक्त किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हमारे संविधान में वस्तु स्थिति यह है। इसका क्या परिणाम है? विश्व में ऐसा कोई देश नहीं हैं जहाँ न्यायाधीश स्वयं को नियुक्त करते हो, जहाँ न्यायाधीश स्वयं अपनी सेवा-शर्तों का निर्धारण करते हों, और जहाँ वे यह निर्धारित करते हों कि वे कब सेवानिवृत हों। यहाँ तक कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का निर्धारण भी उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ऐसी स्थिति विद्यमान हो। नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह न्यायाधीशों के पास है। वे स्वयं को नियुक्त करते हैं। ऐसा कैसे हुआ?

वर्ष 1990 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि परामर्श का अर्थ है सहमति। इस संबंध में चैम्बर्स डिक्शनरी में भी ऐसी परिभाषा नहीं है। परन्तु, दुर्भाग्यवश हमारे उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या की है कि परामर्श का अर्थ है सहमति। इसका क्या परिणाम है? न्यायालय अवमान अधिनियम, व्यापक सीमा तक मौजूद है। न्यायाधीशों की इस प्रकार से नियुक्ति होने से ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें एक ही परिवार के सभी सदस्य, अर्थात पिता, दामाद और पौत्र भी न्यायाधीश हो सकता है। एक बार न्यायाधीश मलयमथ, मेरी समिति के समक्ष यह स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हुए कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में बहुत सी अनियमितताएं आ गई हैं। लोगों को नैसर्गिक न्याय नहीं प्रदान किया जा रहा है। यह एक पारिवारिक मामला बन गया है। एक ही परिवार में हम यह पाते हैं कि पिता पुत्र, पौत्र, दामाद सभी न्यायाधीश हैं। इस संबंध में देश में आज यह स्थिति मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि पुरानी पद्धति को पुनः अपनाना चाहिए। दुर्भाग्यवश उस समय सरकार इतने अधिक घोटालों में फँसी हुई थी कि उसने इस मामले को बड़ी खंडपीठ को नहीं सौंपा। वर्तमान में, यह देश का एक स्थायी कानून बन गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार के उपबंध नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में यह स्थिति मौजूद है। वे स्वयं ही निर्णय लेते हैं। वे स्वयं की नियुक्ति करते हैं। वे अपनी सेवा-शर्तों का निर्धारण करते हैं। यही वह स्थिति है जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। क्या हमें इस स्थिति को बदलना नहीं चाहिए? हमें इसे बदलना होगा।

आप देखेंगे कि हमने हाल ही में न्यायालय अवमान अधिनियम के संबंध में एक विधेयक पारित किया है। इसमें सत्य के आधार पर औचित्य स्थापना का प्रावधान है।

यह केवल एक छोटा सा मामला है। जब यह मामला उच्च न्यायालय में आया तो वे इसे सहन तक नहीं कर सके। सत्य के आधार पर औचित्य स्थापन, स्वयं ही एक बचाव है परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे न्यायालय अवमान अधिनियम में संशोधन करने हेतु इस सम्मानीय सभा द्वारा पारित संविधि को स्वीकार करने तक के लिए तैयार नहीं हैं। न्यायालय अवमान अधिनियम लगभग 100 वर्ष पूर्ण ब्रिटिश शासन काल के दौरान औपनिवेशिक शासन की स्थापना करने के लिए बनाया गया था। भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ संसदीय लोकतंत्र सर्वोच्च है। इस उद्देश्य के लिए एक सामान्य संशोधन किया गया और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ऐसे संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे मामले में उन्हें जेल भेजा जाता था। आजकल, उच्चतम न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि हमारे पास

न्यायालय अवमान अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार है अथवा नहीं यह एक अतिक्रमण है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें कुछ शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की हैं। ये शक्तियां सभा के समुचित संचालन के लिए दी गई हैं। संविधान में ससंद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करने के उपबंध किए गए हैं। यदि हम उनका उपयोग अपने हितों में करते हैं तो हमें प्रत्येक स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ेगा और विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ केवल उपहास बन कर रह जाएंगी। हम विशेषाधिकारों की बात क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि सभा की कार्यवाही तथा लोकतांत्रिक प्रणाली को समुचित रूप से चलाने के लिए हम, संसद सदस्यों को न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत न्यायाधीशों को प्राप्त संरक्षण के समान कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार, संसद सदस्यों के रूप में हमें सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। इन पर भी न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप और अतिक्रमण किया जा रहा है। अब वे यह देखेंगे कि नैसर्गिक न्याय किया गया है अथवा नहीं। वे इस बात की जाँच करेंगे कि किसी अधिकार से वंचित किया गया है अथवा नहीं। वर्तमान में यह स्थिति है। यहां तक कि न्यायालय हमारी कार्यवाहियों में भी हस्तक्षेप कर रहा है।

हमारे स्वयं के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम हैं। प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार हमने इस सभा में कार्य संचालन हेतु नियम बनाए हैं। अब उच्चतम न्यायालय

अपराह्न 04.22 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए*]

इस तथ्य के बावजूद कि संविधान में इस प्रकार के विशेष उपबंध किए गए हैं कि न्यायालायों को सभा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। उन्हें, इस सभा द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वैधता अथवा अन्य स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए। परंतु न्यायपालिका ने यह देखने के लिए कि कहीं किसी को नैसर्गिक न्याय से वंचित तो नहीं किया गया है, स्वयं के लिए एक नई भूमिका तैयार कर ली है। सभा के सदस्यों की निरर्हता संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि कहीं सदस्यों को नैसर्गिक न्याय से वंचित तो नहीं किया गया है। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। परन्तु उन्होंने इस प्रक्रिया की जाँच की कि कहीं उन्हें नैसर्गिक न्याय अथवा मौलिक अधिकारों से वंचित तो नहीं किया गया है। संविधान, न्यायपालिका को सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से विशेष रूप से प्रतिबंधित करता है। दुर्भाग्यवश यह हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी स्तम्भों को एक साथ एक-दूसरे के अनुपूरक बन कर कार्य करना चाहिए। दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश यह मानते हैं कि वे सर्वोच्च हैं क्योंकि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यहां तक कि उच्चतम न्यायलय के न्यायधीशों और मुख्य न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति भी असहाय हैं जहां केन्द्र सरकार के विधि मंत्री केवल एक डाकिया हैं।

सभापति महोदय: क्या आपकी बात समाप्त हो गई है? कृपया समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि आप चाहते हैं, तो मैं समाप्त कर दूंगा। मैं विधायिका के बारे में बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें क्योंकि आपके दल से ही एक अन्य वक्ता को भी बोलना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं समाप्त कर रहा हूं।

हमारे देश में अब न्यायिक सक्रियता है। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय किसी भी बारे में निर्णय ले सकते हैं। वे यह निर्धारण कर सकते हैं कि क्या सभा सुचारू ढंग से कार्य कर रही है। यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जाए तो वे किसी भी बात पर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए न्यायिक सक्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि वे सभा के कार्यकरण में निरंतर हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि वह न्यायिक उत्तरदायित्व हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करे और यह एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए। हमारा अपना अनुभव है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने संपूर्ण उच्चतम न्यायालय और पाकिस्तान के उच्च न्याया लय के सभी न्यायाधीशों को बर्खास्त कर नजरबंद कर दिया था। एक नए उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और उनकी स्वीकृति से उन्हें दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति बनाया गया है। भारत में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमारे देश में न्यायपालिका का अपना स्थान है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। अब मैं न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे मे कुछ शब्द कहना चाहूंगा। भारत के एक पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि हमारे देश में उच्च न्यायपालिका का 40 प्रतिशत भ्रष्ट है। उन्होंने यही कहा है। इसलिए, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान केवल यही है कि एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए जहां न्यायपालिका उत्तरदायी हो और यही समय की मांग है, वर्तमान विधेयक अर्थात् न्यायाधीश जांच विधेयक जो सभा के समक्ष लंबित है मात्र एक दिखावा है, एनडीए सरकार के दौरान एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

गया था, परन्तु यह पारित नहीं हो सका। इसलिए सभा में एक नया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को अपनी सभी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के तीनों अंग अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होने चाहिए और संविधान के तीनों स्तंभों में पूर्ण सौहार्द होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभरी हूं। भारत का संविधान दुनिया के लोकतांत्रिक संविधानों में एक अनोखा संविधान है। क्योंकि हमारा संविधान हमारे सौ वर्ष के राष्ट्रीय संग्राम की उपज है। हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं ने लोकशाही और ससंदीय लोकतंत्र को सौ वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में विकसित किया था और इसे सींचा था। इसीलिए जब हमने संविधान बनाया तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूल मुद्दे थे–उनमें लोकतंत्र था, निजी स्वाधीनता थी, राष्ट्रीयता थी, धर्मनिरपैक्षता थी, धार्मिक स्वतंत्रता थी। इन सारे विचारों को हमने एक साथ समाहित किया। जैसे हमारे सम्मानीय मित्र ने बार-बार नेहरू जी का हवाला दिया, वह सैक्रेटरी थे। जो कांस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की लखनऊ में पहली बैठक हुई, जिसे ऑल पार्टी लखनऊ कांफ्रैन्स के नाम से जाना जाता है। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, श्री तेज बहादुर सप्रू भी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे और सम्मेलन के सचिव के रूप में जवाहर लाल जी थे। इसलिए मेरी राय में भारत के ससंद की सर्वोच्चता के बारे में उनके जो बुनियादी विचार थे, वे सभी विचार भारत के औपनिवेशिक आंदोलन के दौर में विकसित हुए थे क्योंकि जब वे भारत की आजादी के संग्राम में सक्रिय हुए तो भारत की संसद एक तरह से गुलाम थी। इसके निर्णय के ऊपर वॉयसराय का अधिकार था। राज्यों की विधान सभाओं के निर्णयों के ऊपर वहां के गवर्नर का अधिकार था। संसद और विधायिका के लिये हुए फैसले को वॉयसराय और राज्यपाल निरस्त कर सकता था। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने बहुत ही मजबूती से भारत के विविध स्वरूप को देखते हुए संसद की मजबूती के ऊपर अपने विचार, अपने फैसले को दिया था। लेकिन आज मैं मानता हूं कि जो 50-60 साल की हमारे संविधान की वर्किंग है, इसे देखते हुए यदि जवाहर लाल जी जीवित होते तो शायद वे अपने विचारों में परिवर्तन करते और उन्होंने संविधान बनाने के दौर में ही परिवर्तन किया तथा इस बात को रेखांकित किया कि भारत के लोकतंत्र को तेजस्वी, स्थायी और चिरंजीवी बनाने के लिए किसी एक हिस्से की अधिकारिकता नहीं होना, उसका वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे देश के संविधान को बनाते हुए सेपरेशन ऑफ पॉवर जिसे कहते हैं, ऐसा किया गया। यह जरूर है कि भारत की आम जनता के दुख और दर्द का आइना संसद है, इसकी ओर से प्रतिध्वनित है, इसलिए हमारे लोक तंत्र की यह धुरी है। मैं इसे सर्वोच्च नहीं मानता लेकिन यह धुरी है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा में फंक्टस ऑफिशियों के बाद उसके ऊपर हस्ताक्षर किया तो सभी ने कहा कि इस संविधान को हम अपने ऊपर शासन करने के लिए आत्मार्पित करते हैं। उसको उन्होंने स्वयं को ही समर्पित किया क्योंकि वे अपने को जनता का प्रतिनिधि मानते थे और ऐसा मानते थे कि किसी की सर्वोच्चता नहीं है बल्कि विधि के अनुसार शासन हो, विधि सम्मत हुकूमत हो और विधि का नियंत्रण संसद के ऊपर हो, उसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के ऊपर हो। इस बात को सोचने के पीछे भावना थी कि न्यायपालिका भी संसद द्वारा बनाये हुए कानूनों से बाहर न चली जाए और संसद भी कानून बनाते समय हमारे संविधान की जो मूल भावना है, उसे बाईपास करके आगे न निकल जाए। इसकी निगरानी के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दूरदर्शी ढंग से हमारे संविधान को इस रूप में बनाया कि कोई भी एक-दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करके उसके ऊपर हावी होकर इस देश के लोकतंत्र को समाप्त न कर दे। ऐसी हमारी वर्किंग थी, इसीलिए जिस तारीख को भारत की संविधान सभा विसर्जित होने को थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने कहा कि कौन संविधान अच्छा है, कौन संविधान बुरा है, इसका निर्णय कार्य प्रणाली से होता है, काम करने के ढंग से होता है। लेकिन उसके भी आगे चलकर कोई भी संविधान कितना अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला तब होता है जब उस संविधान के अनुसार शासन चलाने वाले उसको बिल्कुल उसी रूप में पालन करते हुए संचालित करते हैं कि नहीं करते हैं, संविधान की अच्छाई और बुराई का फैसला उसके बाद ही किया जा सकता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इतने दिनों की क्रियाकलापों ने हमें यह गर्व के साथ कहने के लिए मजबूर किया है कि हमारे जो भारत के तीन अंग हैं, इन्होंने भारत के संविधान द्वारा दी हुई अपनी लक्ष्मण रेखा का कभी अतिक्रमण नहीं किया। अगर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई, तो एक-दूसरे के ऊपर

नियंत्रण स्थापित रखने में संतुलन का प्रयास किया। इसलिये आज तक भारत का संविधान उसी हिसाब से वर्किंग हालत में है। हमारे देश के आसपास के सारे देशों में तानाशाही हुकूमत होने के बावजूद हमारे देश में लोकतंत्र की धारायें बहुत मज़बूती के साथ इस देश में कार्यशील हैं, यह कहते हुये मुझे खुशी हो रही है।

सभापति जी, आप भारत के संविधान के पूरे क्रिया-कलापों के इतिहास को देख लें। माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि जिस दिन संविधान सभा समाप्त हुई, वह अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी। हमारे देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ लेकिन बिहार सरकार ने उसके पहले ही 1949-50 में ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। उस निर्णय के खिलाफ महाराजा कामाख्या प्रसाद सिंह, दरभंगा और रामगढ़ दोनों कोर्ट में चले गये। फैसला हुआ कि किसी को सम्पति रखना उसका बुनियादी अधिकार है और उसके आधार पर जब ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, अंतरिम संसद ने भारत के संविधान के उस हिस्से में, जिसे हम बुनियादी अधिकार कहते हैं, पहला संशोधन विधेयक आया। अंतरिम संसद में कहा गया कि फॉर द पब्लिक परपज पब्लिक इंटरैस्ट में किसी की प्राप्टी को भी लिया जा सकता है–यह भारत की एक्जीक्यूटिव का अधिकार होना चाहिये, इसलिये यह संशोध न पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे स्वीकार कर लिया। यदि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो संसद में पारित हुये कानून के बुनियादी अधिकार की धारा पर फिर से विचार कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस देश में इमरजैंसी लगी। जब देश में एक्जीक्यूटिव के पास दो तिहाई बहुमत था और वह पॉवरफल हो गई तो दो-तिहाई बहुमत को अपने अधिकार के अंदर रखते हुये पहले न्यायपालिका को प्रतिबद्ध बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियरमोस्ट जजेज का सुपरसैशन करके किसी चौथे जज को भारत का चीफ जस्टिस बनाया और उसे बाद इमरजैंसी घोषित की गई। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे सी.पी.आई. के मित्र न्यायपालिका के विरुद्ध गुस्से में क्यों रहते हैं? उसका कारण है कि सी.पी.आई. ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस के साथ गलबहैयां डालकर इमरजैंसी का समर्थन जितनी वह नहीं करती थी, उससे अधिक ये लोग करते थे। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उसके बाद केशवानन्द भारती केस आया। वह 6 जजेज की बैंच का निर्णय था। जब भारत सरकार ने फिर अपील की तो उसमें 12 जजैज हुये और सभी ने यह कह दिया कि भारत के संविधान की किसी भी धारा में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है, यदि उसके बुनियादी ढांचे पर कहीं आंच न आती हो। भारत की संसद को बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। संसद ने उसे स्वीकार कर लिया।

सभापति जी, मैं आज कहता हूं कि तीनों अंगों ने समय और परिस्थिति के हिसाब से लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया तो इसी संसद में था नाथपै का एक विधेयक आया जिसमें कहा गया कि भारतीय संसद भारतीय संविधान की किसी भी धारा में संशोधन कर सकती है। उस विधेयक में बहुत सारे संशोधन आये। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार का अध्याय है, उसे छोड़कर आप किसी भी धारा में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उसे भारतीय संसद ने स्वीकार कर लिया, और आज तक यह स्थिति चली आ रही है। संसद भारत की सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा का पालन करती आ रही है। किसी भी हालत में संसद के भीतर बहस उठ जाती है कि अमुक लैजिस्लेशन पास करने से भारत के संविधान के मूल ढांचे पर असर पड़ेगा, इसलिये हम पास नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, 1964 में उत्तर प्रदेश के संबंध में भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद के बीच में एक जबरदस्त टकराहट हुई। वहां की असैम्बली के एक माननीय सदस्य ने किसी दूसरे माननीय सदस्य के खिलाफ एक पर्चा छाप दिया जो डैराहेरी था। असैम्बली ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करके उस व्यक्ति को अपने यहां तलब किया और उसको एक सप्ताह की सज़ा दे दी। सज़ा देने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उसकी सात दिन की सज़ा को दो दिन में समाप्त करके उसको बेल आउट कर दिया। इसके बाद विधान सभा बैठी और उसने उन दोनों जजेज के खिलाफ असैम्बली का कटैम्प्ट करने के लिए, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारा भी राइट होता है, जैसे कटैम्प्ट होता है ज्यूडीशियरी का, वैसे ही पार्लियामैंट का भी कटैम्प्ट होता है, दोनों जजेज को असैम्बली ने वारंट कर दिया कि जज साहिबान ने हमारा कटैम्प्ट किया है, हमारे फैसले को मुलत्वी किया है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बैंच उसी सवाल को लेकर बैठी। 36 जजेज इलाहाबाद हाई कोर्ट के बैठे और उन्होंने अपने ही दो जजेज़ के अरैस्ट वारंट को स्टे करने का काम किया। लेकिन यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया, भारत के राष्ट्रपति जी के यहां आया। सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने संदर्भित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि यह हिस्सा है संसद का और यह हिस्सा है ज्यूडीशियरी का। दोनों एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ज्यूडीशियरी उसका अभी तक पालन कर रही है। जब इस संसद ने अपने ही पार्लियामैंट के 11 मैम्बरों को एक प्रस्ताव पारित करके निष्कासित कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह पार्लियामैंट की अपनी पावर्स के अंतर्गत है, इसमें हम हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हैं।

इसलिए हम आदरपूर्वक कहना चाहते हैं कि अभी तक इतने वर्षों में न्यायपालिका ने अपने काम को, हिन्दुस्तान की संसद ने अपने काम को हिन्दुस्तान की एक्ज़ीक्यूटिव ने कभी इन दोनों की पावर्स को एनक्रोच करने का, ओवरलैप करने का प्रयास नहीं

[श्री मोहन सिंह]

किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश के तीनों अंग संतुलित ढंग से काम कर रहे हैं। हमारे मित्र कह रहे थे कि न्यायपालिका आदेश कर देती है कि हमारे लिए कोई रैड लाइट नहीं होगी, हमारी गाड़ियां जा सकती हैं। जज लोग आदेश कर देते हैं कि हमारी गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती रहेगी, और किसी की गाड़ी के ऊपर नहीं रहेगी, हमारी गाड़ी में एक झंडा रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि 60 वर्षों में ज्यूडीशियरी के मायने केवल इतने ही नहीं हैं। ज्यूडीशियरी ने यदि लाखों मामलों में निर्णय दिये हैं तो उसका छोटा सा यह भी एक हिस्सा है और उस एक छोटे से हिस्से के लिए यह मानना कि न्यायपालिका सक्रिय हो गई है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह संसद के निष्क्रिय सदस्य ही कह सकते हैं। न तो पार्लियामैंट को सक्रिय होने की जरूरत है, कार्यपालिका को सक्रिय होने की जरूरत है और उसी तरह न्यायपालिका को भी सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। कोई भी पार्लियामैंट का सक्रिय मैम्बर अपनी निष्क्रियता को छिपाने के लिए न्यायपालिका की सक्रियता पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं रख सकता, यह मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। इसलिए तीनों को अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए। इसके लिए संविधान ने आपको अधिकार दिया है। कौन कहता है कि संसद की कार्यवाही को आप बाधित कर दीजिए और कोई कानून केवल ध्वनिमत से, हल्ला करने के बाद बिना बहस के पास करा दीजिए। क्या ज्यूडीशियरी ने आपको ऐसा आदेश दिया? यदि आप अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे सकते, बिना बहस हल्ले-गुल्ले में किसी भी अधिनियम को तत्काल पारित कर देते हैं, तो उसके लिए ज्यूडीशियरी को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में, चार-पांच सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा चूंकि हम समझते हैं कि आप हमको बंद कराने के लिए कहने वाले हैं।

पहली बात हम कहना चाहते हैं कि संसद का मूल आधार है इस देश का पार्टी सिस्टम। यदि आप दलीय व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते तो संसद अपने आप कमज़ोर हो जाएगीं और जब संसद कमज़ोर हो जाएगी और ससंद कमज़ोर होने के बाद यदि ज्यूडीशियरी उसमें हस्तक्षेप करें तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? यदि मनमाने ढंग से अपने घरों को जो पार्लियामैंट पूल में हैं, आप अलाट करें और पार्लियामैंट के मैम्बर न रहें और उसके बाद भी उसमें जमे रहें और उसके बाद जज उसमें हस्तक्षेप करें तो कहें कि यह ज्यूडीशियरी की सक्रियता है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह हमारी निष्क्रियता और निकम्मापन है। इसलिए दोनों पक्षों को अपने हिसाब से देखने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पार्लियामैंट्री सिस्टम को मज़बूत करना है तो तीन-चार चीजें करनी होंगी। इसमें इलैक्टोरल रिफार्म्स करना होगा जिससे भारत की राजनीति में चोर-उचक्के, बेईमान और धनपशुओं का राजनीति में प्रवेश कैसे रुके, इसके ऊपर भारत की संसद को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है।

महोदय, भारत के लोक जीवन को पवित्र बनाने के सारे प्रयास होने चाहिए। उसी के साथ-साथ भारत का जो पार्टी सिस्टम है, जिसमें चुनाव की पद्धति बिल्कुल समाप्त हो गई है, हम कहते हैं कि पीपुल्स की विल का रिफ्लैक्शन भारत की पार्लियामेंट है, तो हम पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां क्या अपने वर्कर्स की विल का रिप्रजेंटेशन करती हैं? सारी पार्टियों में दो-चार शीर्ष पर बैठे लोगों की तानाशाही का शासन है और वही चलता रहता है। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी दल में लोक निर्वाचित, नीचे से ऊपर तक की संस्थाओं का अभाव हो गया है और वे समाप्त हो गई हैं। इसलिए पार्टी सिस्टम में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा तीसरा सुझाव है कि इस देश में चुनाव की जो पद्धति है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन यदि उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, कहां से आए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वह एक राजनीतिक पार्टी को एक करोड़ रुपए चन्दे की शक्ल में दे देता है, तो उसका टिकिट उसी दिन फाइनल हो जाता है और पार्टी में वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता अलग कर दिए जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं। इसलिए चुनाव की पद्धति में सबसे ज्यादा सुधार की आवाश्यकता है।

महोदय, अगली बात हम कहना चाहते हैं कि जो सार्वजनिक धन है, जो पीपुल्स मनी है, उसके ऊपर सारे पावर्स इस पार्लियामेंट के हैं। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैं बी.ए. का छात्र था, तब हमारी यूनीवर्सिटी यूनियन का उद्घाटन करने के लिए पं. जवाहर लाल नेहरू आए थे उनके खिलाफ डॉ. राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ रहे थे। लोहिया जी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि जवाहर लाल जी ने अपने लोक सभा क्षेत्र, फूलपुर के लिए कुछ नहीं किया। उसके जवाब में जवाहर लाल जी ने हमारी स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग में जो बोला, उसे मैंने बहुत निष्ठापूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि मैं भारत का प्रधान मंत्री हूं। पूरे देश का विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। पूरे देश में, पहले मद्रास का विकास होगा, तमिलनाडु का विकास होगा, पहले पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और सबसे अन्त में, जिस लोक सभा के लोग मुझे चुनकर भेजते हैं, उस क्षेत्र का विकास होगा। अब क्या हो रहा है, वह आप देख रहे हैं। हम कहते थे कि इस देश के नेतृत्व का इंटरनेशनल नजरिया है, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि है। फिर हम कहते थे कि इस देश के नेतृत्व की राष्ट्रीय दृष्टि है। फिर हम कहने लगे कि इस देश के नेतृत्व की प्रान्तीय दृष्टि

है और अब यह हो गया है कि इस देश के नेतृत्व की केवल अपने लोक सभा क्षेत्र तक ही दृष्टि रह गई है। जब ऐसी स्थिति है, तो इस देश की पद्धति को आप कैसे चला सकते हैं?. इसलिए इसमें जबर्दस्त परिवर्तन की आवश्यकता है।

महोदय, ज्यूडीशियरी के बारे में हम कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में केवल एक धारा है 174, जिसके चलते यह संसद उन्हें इम्पीच कर सकती है, लेकिन हमने 10वीं लोक सभा में देखा था, श्रीमान् आप भी थे, तीन दिन बहस हुई, आधी-आधी रात तक बहस हुई और अन्त में जब इम्पीचमेंट करने के लिए व्हिप जारी करने की बात आई, तो यह संसद प्रान्तों में बंट गई और कोई व्हिप जारी नहीं हुआ और जज साहब छुट्टी पा गए। इसलिए हम कहना चहाते हैं कि भारत की ज्यूडीशियरी को पारदर्शी बनाने के लिए जजेज की नियुक्ति में पारदर्शिता लानी होगी। हमारे लिए तो हो गया कि हम चुनाव लड़ते समय, अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें और जज साहब कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे। हम बहुत सारे जजेज को जानते हैं कि किस-किस तरह उन्होंने अपनी सम्पत्ति को एक्वायर किया। इसलिए उनका भी जीवन पारदर्शी हो, उनकी नियुक्ति की पद्धति पारदर्शी हो और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का इस पार्लियामेंट को जो कांस्टीट्यूशनल राइट है, उसे कांस्टीट्यूशन से निकाल कर सिम्पल लैजिस्लेटिव तरीका होना चाहिए, जिससे सिम्पल मैजोरिटी से पार्लियामेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कर सके। यह पार्लियामेंट का राइट होना चाहिए।

महोदय, इससे आगे हम कहना चाहते हैं कि केवल भारत का संविधान दुनिया में सब से नायाब इसलिए माना गया कि केवल इस देश के भीतर एक सिंगल इंडीविजुअल, अपनी लिबर्टी के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है। संविधान की 160 (17) धारा में, जब मैं विद्यार्थी की हैसियत से एक कार्यकर्ता था, तब मुझे आठ महीने जेल में बन्द कर दिया। मैंने नैनी जेल से सीधे सुप्रीमकोर्ट को हैबियस कार्पस दिया। जज साहब ने बुलाकर मुझे पांच मिनट में जेल से बाहर कर दिया और जिन लोगों ने मुझे अन्दर किया था, उन्हें कड़ी डांट लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए लिखा। इसलिए सिविल राइट के इम्फोर्समेंट की जुडीशियरी सुप्रीम पॉवर रखती है।

[अनुवाद]

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इस लोकतंत्र के हितों के लिए अनुरक्षित किया जाना चाहिए और इसे मजबूती प्रदान की जानी चाहिए।

सभापति महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सर्वोच्च सदन में चर्चा हो रही है। माननीय गुरूदास दासगुप्त जी को मैं इस आशय के विषय को सदन में प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, यह सम्पूर्ण विश्व को मानना पड़ता है। आज मोहन सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह कार्य हो रहे हैं, किस तरह की हमारी कार्यपद्धति है, यह बहुत ही दुखद है और इस पर बहुत गहराई से विचार किया जाये। मैं पहला आदमी हूं और मैं एक सन्दर्भ लोकतंत्र पर देना चाहता हूं। ज्यूडीशियरी, कार्यपालिका और विधायिका का कैसे सौहार्दपूर्ण कार्यकरण हो, उस पर तो हम बोलेंगे ही, यहां बहुत अच्छा विषय लाया गया है, किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है। हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और सबसे बड़े सर्वोच्च सदन में शायद आपको भी याद होगा, 2002 में एक एण्टी डिफैक्शन बिल यहां आया था। उस एण्टी डिफैक्शन बिल के तहत अब जो दो तिहाइ मैम्बरों का दल होगा, तब विचारों की भी विभिन्नता होगी, तभी वह अलग हो सकता है। पैसे के बल पर या पद लेने के लिए, प्रतिष्ठा लेने के लिए कोई दल से अलग करें तो छः साल ही नहीं, उसको हमेशा के लिए ही दल से निकाल देना चाहिए। लेकिन वैचारिक मतभेद दल में हो जाय तो हमें समझना पड़ेगा कि किसी दल में आन्तरिक लोकतंत्र है क्या? जब यह एक्ट सामने है तो क्या किसी दल में, किसी पोलिटिकल पार्टी में अब इण्टरनल डैमोक्रेसी महफूज नहीं रह गया है, यह मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, आज हम बड़े विषय पर विचार कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र पर, ज्यूडीशियरी पर या न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर विचार कर रहे हैं, जब वैचारिक मतभेद हो जाये तो आप अलग होने को स्वतंत्र नहीं हैं। आप अलग होंगे तो आप डिसमिस कर दिये जाएंगे, यह एण्टी डिफैक्शन बिल में है।

अपराह्न 4.52 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

जिस दिन यह कानून बन गया, उसी दिन आन्तरिक जनतंत्र समाप्त हो गया। इण्टरनल पोलिटिकल डैमोक्रेसी, पोलिटिकल पार्टी की डैमोक्रेसी अब महफूज नहीं है और जब इण्टरनल डैमोक्रेसी महफूज नहीं है तो मैं यह बात कहने में हिचक नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा उदार होकर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, आप आ गये, अच्छी बात है कि जो डैमोक्रसी है, देश प्रेम है, डैमोक्रेटिक सिस्टम

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

है, उससे ज्यादा खतरनाक डैमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। पोलिटिकल पार्टी की डैमोक्रेसी, डैमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, यानी पता ही नहीं चलता है कि डिक्टेटरशिप है, लेकिन सच्चाई यही है मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूं, लम्बी बहस इस पर करने की जरूरत है।

अभी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकरण सौहार्दपूर्ण कैसे हों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इन तीनों अंगों, ये जो डैमोक्रेसी के तीनों स्तम्भ हैं, पिलर्स हैं, इसमें सर्वोच्च भारतीय संविधान है। हम भारतीय संविधान के तहत काम कर रहे हैं कि नहीं? कई माननीय सदस्यों के द्वारा कहा गया है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है और विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह है और न्यायपालिका भारतीय संविधान के प्रति जवाबदेह है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इन तीनों स्तम्भों में, अभी एक काफी विद्वान सदस्य ने कहा कि जब हम संसदीय मोर्च पर फैल्योर हो जाते हैं या कार्यपालिका फैल्योर हो जाती है, तो उसके चलते न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ जाती है। संविधान में ऐसा है क्या, क्योंकि जब हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं तो संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर हम फैल्योर हो जायें तो हम उनके क्षेत्राधिकार पर एन्क्रोच कर जायें, हम उनके क्षेत्रधिकार में घुस जायें, जब हमारे क्षेत्रधिकार का सैपरेशन है, न्यायपालिका की अलग शक्ति है, कार्यपालिका की अलग शक्ति है। विधायिका की अलग शक्ति है। आर्टीकल 211 में साफ है, आप भी जानते होंगे, सभी माननीय सदस्य जानते होंगे। इसमें स्पष्ट लिखा गया है

[अनुवाद]

अनुच्छेद 211 में विधान मंडल में चर्चा पर निबंधन के संबंध में यह कहा गया है कि:

> "उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय में राज्य के विधान मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी।"

[हिन्दी]

मतलब यह है कि हम सब-जुडिस मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकन कोर्ट द्वारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होता है? अध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण आप ही हैं, मैं इसे कहने में हिचक नहीं करना चहता – क्या आपको नोटिस नहीं मिला था? संसदीय क्वैश्चन का मामला कम्प्लीटली संसद का इंटरनल मामला है। पैसे लेने के मामले में जब यहां 11 माननीय सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई तो उसमें कोर्ट ने रूचि ले ली और नोटिस जारी कर दिया, वह भी स्पीकर साहब को। स्पीकर कोई पार्टी नहीं है, संसद किसी प्रस्ताव को पारित करती है, एक मूव होता है, चाहे लीडर ऑफ दी औपोजीशन हो या लीडर ऑफ दी हाउस हो, कोई भी प्रस्ताव हो, संसद उसे पारित कर देती है। इसमें पार्ट एंड पार्सल स्पीकर कहीं नहीं हैं, लेकिन स्पीकर साहब को 11 माननीय सदस्यों की बरखास्तगी जो सदन करता है, उसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस आ जाता है।

लोक सभा की कार्य संचालन नियमावली के तहत एक समिति बनी थी और समिति ने अपनी अनुशंसा दी। उस अनुशंसा को पढ़कर सुनाया गया और सदन ने अनुमति दे दी, यहां 11 माननीय सदस्यों के पैसे लेने के प्रश्न में। मतलब यह हमारा इंटरनल अफेयर है, यह ससंद का आंतरिक कार्य है, लेकिन इस बारे में स्पीकर साहब को नोटिस आ गया। क्या यह बात सही नहीं हैं? इस तरह का एक्टीविज्म कैसे नहीं है। मैं इस बारे में कई माननीय सदस्यों से सहमत हूं। यह बिल्कुल ज्यूडीशियल एक्टीविज्म है। संविधान उन्हें यह अधिकार नहीं देता। यदि हमारा फेल्योर है, हम कमजोर हैं, किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्या आज न्यायपालिका में चार करोड़ केस पैंडिंग नहीं हैं? माननीय लॉ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। यह सदन में प्रश्न के जवाब में डाटा देते रहते हैं। विगत दस-पन्द्रह वर्षों से चार करोड़ आपराधिक मामले कोई में लंबित हैं। ...*(व्यवधान)* चार करोड़ केस कितने वर्षों से पैंडिंग हैं 'क्या यह फेल्योर ऑफ दी ज्यूडीशियरी नहीं है? ज्यूडीशियरी के इतिहास में इस बात के लिए जवाबदेह कौन होगा? क्या हम लोग केस का फैसला संसद से कर दें? हमें अधिकार नहीं है, हम नहीं कर सकते। इसी तरह वह संसद की प्रोसीडिंग्स की जांच नहीं कर सकता। माननीय सदस्य बोल रहे थे। क्या झारखंड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था? वीडियो लगाएं, टेप रिकार्ड करें, डीजी को भेजें, चीफ सैक्रेटरी जाए और विधान सभा में उनका वोटिंग का पैटर्न देखे? क्या कोई संविधान उन्हें विधान मंडल में जाने का अधिकार देता है? नहीं दे सकता।

आर्टीकल 212 कहता है–

[अनुवाद]

(1) राज्य के विधान मंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नमत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य के विधान मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां

निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन नहीं होगा।"

[हिन्दी]

कोई विधान मंडल हो, चाहे संसद हो, किसी ऐसे काम में स्पीकर साहब सुप्रीम होते हैं, संसदीय लोकतंत्र में यह व्यवस्था है। लेकिन उसमें हस्तक्षेप किया गया या नहीं? यह सुप्रीम कोर्ट एक्टीविज्म कैसे नहीं है। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खासकर न्यायपालिका लक्ष्मण रेखा को लांघ रही है और उसके पक्ष में कई उदाहरण हैं। समय कम है, इसलिए मैंने केवल झारखंड का उदाहरण दिया है।

ओबीसी का मामला इस सदन द्वारा पास किया गया। आर्टीकल 15(4) पहले से है, आर्टीकल 15(5) के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से देश के अंदर जो 52 फीसदी पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चों और बच्चियों को शैक्षणिक संस्थाओं, आईआईटी, आईआईएम और हायर एजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स, दिल्ली सूनीवर्सिटी में केवल नामांकन में, नौकरी में नहीं, 27 प्रतिशत रिजर्वेशन फॉर अपौर्चुनिटी है। जिसकी आबादी 52 फीसदी होगी, उसे अपौर्चुनिटी देनी पड़ेगी। आप छः साल में फेल कर देते हैं। कोई बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग के लायक नहीं है, हायर एजूकेशन के लायक नहीं, तो वह पांच साल में अपने आप स्क्रूटीनाइज़ हो जाता है, फेल कर दिया जाता है, लेकिन आप एडमिशन ही रोक देते हैं, एडमिशन में ही नहीं जाने देते। इस देश में एकतरफा 70, 80 प्रतिशत अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन चल रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

इस तरह वे लोग मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे। जो वंचित समाज है, वह राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जुड़ेगा? अगर वह राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तो यह राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? अब आर्टिकल 15(5) लोक सभा और राज्य सभा से पारित हो गया, लेकिन संसद की प्रासंगिकता पर क्वेश्चन लग गया। इसलिए मैं इस सवाल को यहां उठाना चाहता हूं। अब संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यह पावर केवल संसद को ही है। हां, कानून की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर सुप्रीम है। कानून को रिव्यू करने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार हमको, यानी संसद को है। अब उस कानून पर एक साल तक रोक लग गयी। इस एक साल में ओबीसी के लड़के-लड़कियां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स या अन्य टेकनीकल इंस्टीट्यूशन्स में एडमिशन नहीं ले पाये। अब कहा जा रहा है कि वह कानून बड़े संविधान पीठ में जा रहा है। यह सब काम दो जजों ने मिलकर किया। अब यह कैसे नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, में कहना चाहता हूं कि जज भी अपनी व्यक्तिगत अवधारणा के अनुसार, उनका जो माइंड-सेट है, उसके आधार पर निर्णय और आब्जर्वेशन दे रहे हैं जिसके कारण यह परिस्थिति आज पैदा हो रही है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह बहस भी आज इसी कारण हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे सबसे सीनियर कानून के ज्ञाता हैं। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि संविधान की धारा 312 में लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस कमीशन होना चाहिए, तो जो जज का एप्वाइंटमैंट हो रहा है, उसका आधार क्या है? जो व्यक्ति दस या पन्द्रह साल तक एडवोकेट रहा है, वह जज नियुक्त हो जायेगा और वह भी एक ही परिवार से। अब कितने ऐसे परिवार है, वह मैं गिनाऊं, तो इस देश में ऐसे 123 परिवार हैं, जो जज बनते हैं। महोदय, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं इसे विस्तार से कहता।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की जो सैलेक्शन परीक्षा होती है, उसमें जो वकील फेल हो जाता है, वह वकील तुरंत हाई कोर्ट का जज बन जाता है। अब मुंसिफ मैरिट के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, लेकिन उसको दस-पन्द्रह साल का अनुभव चाहिए। इस तरह वह हाई कोर्ट का जज बनकर चला आयेगा। यह देश कैसे चलेगा? इसलिए मैं भारी मन से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस कमीशन होना चाहिए। मैं मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से आईएएस, आईपीएस का कम्पीटिशन होता है, उसी तरह से ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस कमीशन भी गठित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में क्या हुआ था? वहां उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त किया जाये क्योंकि उनकी आबादी 18.4 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि 50 प्रतिशत से कम आबादी वाले समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लॉ ऑफ दी लैंड की शक्ल में होते हैं। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला कुछ और ही आ जाता है। मैं जो बात कह रहा हूं उसके समपुष्ट में इस बात को कहना चाहता हूं। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लॉ ऑफ दी लैंड है, तो उससे हटकर यह न्यायपालिका संवैधानिक दिशा को एक नयी दिशा देने का काम कैसे कर रही है। इसलिए मैंने आपसे इस बारे में निवेदन किया है, प्रार्थना की है।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हो रहा, कई ऐसी बातें हो रही हैं, समय के अभाव के कारण मैं सारी बात यहां नहीं बता सकता। लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय यह भी है कि पिछड़ों के आरक्षण को रोका गया और उसमें पेटीशनर के एप्रीहैन्शन को स्वीकार कर लिया गया। उस पर बहस भी विस्तार से नहीं हुई, केवल पेटीशन के एप्रीहैन्शन को स्वीकार कर एकपक्षीय, एकदलीय आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोक हितकारी सूचना 19 मार्च, 2007 पर रोक लगा दी। विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में ऐसा कैसे चलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारतीय संविधान सर्वोच्च है और भारतीय संविधान के मुताबिक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने-अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संयम से काम लेना चाहिए तभी यह लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र महफूज रह सकेगा। नहीं, तो मेरा यह कहना है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों स्तंभों का भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कैसे समन्वय रहे, उनमें संतुलन बनाने के लिए संवैधानिक उपाय किये जायें, जिससे कि भारत काक संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो सके। भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने सदन में चर्चा की है। भ्रष्टाचार तो इम्पीचमेंट या महाभियोग का मामला है और उसका परिणाम भी मालूम है। मैं आपकी अनुमति से एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ दिन पहलें न्यायालय का निर्णय आया था कि 'नो वर्क-नो पे' अर्थात जो काम नहीं करेगा, उसे वेतन भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब एम्स में हड़ताल हुई तो फिर फैसला पलट गया और जो लोग हड़ताल में शामिल थे, उनको भी वेतन देने का आदेश दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि व्यक्तिगत अवधारणा पर फैसले बदलते रहते हैं। इससे न्याय की व्यवस्था के बारे में लोगों के मन में संशय पैदा हो जाता है, न्याय की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। यहां तक कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कौन व्यक्ति रहेंगे, उस पर भी बहस हो जाती है, जो कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उस में भी हस्तक्षेप किया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि संविधान ने जो रेखांकित किया है, जो सीमांकन किया है, अलग-अलग क्षेत्राधिकार दिए हैं और संविधान में जो अलग-अलग कार्यक्षेत्र दिया गया है, तीनों अंगों को उसके अन्तर्गत रहकर कार्य करना चाहिए, आपस में नहीं टकराना चाहिए, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए, तभी देश का संसदीय लोकतंत्र महफूज रहेगा। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, कुछ ही समय पहले ग्यारह माननीय सदस्यों को संसद ने निकाल दिया। पहले न्यायालय उनके मामले में अभिरूचि ले रहे थे कि संसद ने कैसे यह फैसला किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि यह संसद का निजी मामला है और संसद को इस बारे में निर्णय करने का अधिकार हासिल है, तो अब गुस्सा निकाल रहे हैं। चूंकि उस समय आपने नोटिस नहीं स्वीकार किया, कोई भी पीठासीन अधिकारी स्वीकार नहीं करता है, मैं समझता हूँ कि यह आपकी बुद्धिमत्ता थी, ऐसा करके आपने संसद का सिर ऊंचा किया है, इसलिए अब कहा जा रहा है कि उन बर्खास्त ग्यारह लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह जुडीशियल एक्टीविज्म है और सम्पूर्ण रूप से न्यायपालिका द्वारा टकराव की स्थिति खड़ी की जा रही है, विधायिका के अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आएं, उनकी जांच के लिए चुनाव आयोग की तरह का एक ऑटोनमस कमीशन बनना चाहिए। उस कमीशन का निर्णय ही सभी लोगों के लिए चाहे वे जनप्रतिनिधि हो, चाहे न्यायपालिका में कार्य करते हों या कार्यपालिका में कार्य करने वाले लोग हों, सभी के लिए अन्तिम होना चाहिए। यह कमीशन इन सभी लोगों की चल और अचल सम्पत्ति की जांच करे, उसकी रिपोर्ट अंतिम मानी जाए, उस कमीशन को ऑटोनमस पावर्स दी जाएं, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा।

भ्रष्टाचार गंगोत्री से निकलता है, भ्रष्टाचार छोटी-छोटी नदियों से नहीं निकलता है, इसलिए भ्रष्टाचार को यहीं रोकना पड़ेगा।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, क्या हमें बोलने का समय मिलेगा? मुझे इस सत्र में एक बार भी बोलने का अवसर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: भा.ज.पा. से बोलने वाले वक्ताओं की सूची में आपका नाम पांचवें नम्बर पर है। अभी भी 26 नाम हैं और यदि मैं प्रत्येक को पांच मिनट का समय देता हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। इसलिए पहले प्रत्येक दल से सदस्यों को बुलाने दीजिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महत्वपूर्ण विषय है और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण है।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदूर): महोदय, आज सभा में शक्तियों के पृथक्करण के महत्वपूर्ण और अत्यंत रोचक विषय पर वाद-विवाद हो रहा है। मुझे आशा है कि आज की यह चर्चा

विधायिका पर न्यायपालिका की अतिव्याप्ति और अतिक्रमणकारी शक्तियों पर पूर्ण विराम लगा देगी। यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि कार्यपालिका संसद और न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रत्येक स्तंभ की अपनी निर्दिष्ट शक्तियां हैं। संविधान के निर्माता इनकी महत्ता से पूर्णत: अवगत हैं। डा. अंबेडकर ने भारत के लिए बहुत ही अच्छे संविधान का निर्माण किया था और हम इसका अनुसरण कर रहे हैं। प्रत्येक अंग को एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ तादात्मय बिठाकर कार्य करना चाहिए। यह प्रत्येक नागरिक और सभा के अंदर या बाहर संसद सदस्यों का अधिकार है कि प्रैस में जनहित के मामले में वक्तव्य दें अन्यथा अच्छी टिप्पणी करें। यदि कार्यपालिका और विधायिका संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध या परे जाती है तो इसे ठीक करना उनका अधिकार है। परन्तु इसके साथ ही देश के विकास कार्यक्रमों और आर्थिक प्रगति को प्रेरित व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर बाधित नहीं करना चाहिए। न्यायालयों को हमेशा सच्चाई को सामने लाना चाहिए, इसके पीछे उनके उद्देश्य का पता लगाना चाहिए और मामले को गंभीरता से लेते हुए और प्रगति को बाधित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

इस संबंध में, मैं सभा में दो बातें कहना चाहूंगा। दक्षिण भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में, पहले डॉ. करुणानिधि और अन्य नेताओं ने विरोध जताया था और यूपीए अध्यक्ष और भारत सरकार से कानून बनाने की मांग की थी। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री एक विधेयक लाए थे और हमने विधेयक को सभा में सर्वसम्मति से पारित किया था, यह श्री अर्जुन सिंह के मस्तिष्क की उपज थी और ऐसा यूपीए अध्यक्ष तथा माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप और हमारे मुख्यमंत्री डॉ. करुणानिधि के निवेदन पर किया गया था। परन्तु बाद में इसको भेजा गया और न्यायालय ने इसे स्थगित कर दिया। हमारे नेता डा. करुणानिधि के कहने पर किया गया था। यह पिछड़े वर्गों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में था।

अध्यक्ष महोदय: हमें अलग-अलग मामलों को नहीं उठाना चाहिए। यह ठीक नहीं है। आखिर, उन्हें भी इस पर निर्णय लेने का अधिकार है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी गयी थी। हम यहां बहुमत के आधार पर आते हैं और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार लोगों के हित के लिए कानून अधिनियमित करते हैं। हमने लोगों से वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आए तो हम यह संशोधन करेंगे और अन्य पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन क्या हुआ? न्यायालय में बैठे दो न्यायाधीशों ने इसे रोकने का आदेश पारित कर दिया। क्या यह लोगों के हित में है अथवा लोकतंत्र के हित में है?

अध्यक्ष महोदय: हम इन सभी लंबित मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: हम विधि निर्माता हैं और वे विधि संरक्षक हैं। वे केवल विधि का संरक्षण कर सकते हैं जबकि हम विधि बनाते हैं। *...(व्यवधान)* जब मैं वकालत कर रहा था, हमेशा व्यक्ति का पक्ष लेता था। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने सोचा कि न्यायालय सर्वोच्च शक्ति है और मैं व्यक्तियों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा। जब कोई विरोध में खड़ा होता, तो मैं न्यायालय में उपयुक्त मुद्दे उठाता था क्योंकि मैं संबंधित व्यक्ति के बारे में चिन्तित होता था। लेकिन जबसे मुझे मत मिले और मैं लोगों के बहुमत द्वारा निर्वाचित हुआ, मैं लोकहित के बारे में सोचता हूं न कि किसी व्यक्ति के हितों के बारे में। मुझे सार्वजनिक हित में काम करना है, यही लोगों द्वारा दिया गया निर्णय है। हम केवल उनके हितों के लिए कानून बना रहे हैं न कि किसी व्यक्ति के लिए। इस मामले में, न्यायालय ने संसद का शक्तियों का अतिक्रमण किया है। न्यायालय ने संसद के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। इसकी निन्दा की जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा रामसेतु का है। यह परियोजना तमिलनाडु के लोगों का 100 वर्ष पुराना स्वप्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, हमें विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह ठीक नहीं है। हम न्यायपालिका का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। मुद्दा केवल यह है कि हमें मिलकर काम करना है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: आज तीन स्तंभों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का मुद्दा है। इसलिए हम बोल सकते हैं। कम से कम आज तो हमें सौहार्द बनाये रखना चाहिए।

उस परियोजना में, न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: लेकिन यह सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनकी बात सही है। हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह एकतरफा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: यह परियोजना तमिलनाडु के लोगों का 100 वर्ष पुराना स्वप्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मामला न्यायालय में लम्बित है। हम यहां दूसरे गुणों के आधार पर निर्णय नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: जब यह प्रगति पर था, तो न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और इसे रोक दिया। सर्वदलीय बैठक में हमने बंद के आयोजन का निर्णय लिया था। देश में हड़ताल करने का अधिकार है। सभी राज्यों में और पूरे विश्व में बंद आयोजित किए जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हड़ताल के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है। जब कोलकाता और केरल में बंद हो रहे थे तो इन्हें नहीं रोका गया, लेकिन तमिलनाडु में इसे रोक दिया गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह माननीय न्यायाधीशों पर निर्भर है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: उन्होंने 24 घण्टे का समय भी नहीं दिया है। उन्होंने 10 घण्टे से पहले ही इस पर रोक लगा दी। शनिवार और रविवार को अवकाश था। इसी बीच, सोमवार 1 अक्टूबर को बंद होने वाला था। अत: 1 अक्टूबर के अलावा तीन दिन का अवकाश था। सरकारी अधिकारी और तमिलनाडु के अन्य वर्गों के लोग छुट्टी के मूड में थे। लेकिन 18 घण्टे से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन किसी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लोग न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध थे। किसी ने भी न्यायालय का सम्मान नहीं किया। क्या इस तरह स्थगन आदेश देना गलत नहीं था? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह माननीय न्यायाधीशों के निर्णय पर आधारित था। उन्हें ऐसा करने का अधिकार था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णास्वामी, कृपया आप अलग-अलग मामलों पर चर्चा न करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है। हमें चर्चा का उच्च स्तर बनाये रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: न्यायिक अधिकारियों को बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए था। उन्हें सोचना चाहिए था कि 18 घण्टे पहले दिया गया स्थगन आदेश सफल होगा या नहीं। न्यायिक अधिकारियों में यही रवैया आम है।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने कहा कि निर्णय मामले के गुणों के आधार पर नहीं बल्कि लेकिन के आधार पर...

अध्यक्ष महोदय: हमें बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, न कि अलग-अलग मामलों पर। हमें न्यायपालिका को पूरा सम्मान देना चाहिए, जिसका उन्हें अधिकार है। मेरे विचार से यह परस्पर आदर की भावना होनी चाहिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी: न्यायिक अधिकारी ऐसे ही हैं। वे विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? यही मेरा प्रश्न है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसद सर्वोच्च है। संसद लोकतंत्र का मन्दिर है। किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 60वें वर्ष में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ के लिए मैं अपने मित्र, श्री गुरुदास दासगुप्त का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में कार्य कर रहे हैं। 1952 के बाद से गत 55 वर्षों में यह चौदहवीं लोक सभा है। हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं और विश्व के अन्य देशों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहां एक बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कार्य कर रही है। हमारे कुछ पड़ोसी देशों सहित अन्य कुछ देशों की तुलना में हम अधिक भाग्यशाली हैं। अत: लोकतांत्रिक देश होने के नाते एक अति महत्वपूर्ण मौलिक निर्णय सहित अन्य निर्णयों के कारण ही यह गौरवान्वित परम्परा संभव हो पाई है।

पूरे विश्व के आधुनिक राष्ट्रों ने उसी पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया है जो हमने अपनाई है अर्थात राज्यों के कार्यों में तीन अलग शाखाओं में बांटा है--न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अत: इन तीनों का सौहार्दपूर्ण कार्यकरण यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक संस्थान न केवल संविधान के निर्माताओं बल्कि देश के नागरिकों की संतुष्टि के लिए उचित ढंग से कार्य करेगा। परंतु, महोदय, पिछले कुछ वर्षों से हम यह देख रहे हैं कि इन तीनों संस्थानों के बीच काफी तनाव उत्पन्न हो रहा है। प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति में वास्तव में कौन सही है? हम हमेशा यह दावा करते हैं कि संसद सर्वोपरि है। यह सर्वोपरि है। एक लोकतंत्र में जहां जनता सरकार को चुनती है, जो अपने प्रतिनिधियों और विधायकों को चुनती है निश्चित तौर पर वही सर्वोपरि है। संसद सर्वोपरि है। लेकिन इस संसद की सर्वोपरिता की कौन गारंटी देता है? इसे सर्वोपरिता में बनाए रखा जा सकता है और साथ ही इस देश के नागरिक भी इस बात को महसूस करेंगे कि यह समय एक संस्थान के रूप में, संगठित कार्यकर्ताओं के रूप में उस कार्य को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। अत: संसद के अधिकार से मुक्त एक ऐसा संस्थान होना आवश्यक है जो यह सुनिश्चित करेगा कि संसद एक सम्प्रभु निकाय के रूप में कार्य कर रही है। इस देश के संविधान के अनुसार और जनता की इच्छा के अनुसार यह कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाना चाहिए। उनका यह मानना है कि यही एक समस्या है जो वास्तव में इसकी गारंटी देगी।

जब हम कई क्षेत्रों पर नजर डालते हैं तो हमें लगता है हमारा देश कई क्षेत्रों में एक अत्यंत अनूठा देश है। उदाहरण के लिए मैं जानता हूं कि दिल्ली में सर्दियों के महीनों में हम हमेशा देखते हैं कि यहां अत्यंत घना कोहरा होता है। दिल्ली को न केवल देश में बल्कि विश्व के अत्यंत प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। जब श्री अनिल अग्रवाल नामक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए तो इस एकल याचिका के कारण उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया और सरकार को इस विशेष शहर के प्रदूषण संबंधी मानदण्डों में सुधार करना पड़ा था। महोदय, देश में एक साधारण नागरिक 50 पैसे मुझे नहीं पता कि इसका सही मूल्य क्या है पोस्ट कार्ड लिखकर कहीं भी भेज सकता है। अब इसका मूल्य 60 पैसे या एक रुपया हो सकता है और अनेक राज्यों में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय याचिका के रूप में उस पोस्ट कार्ड पर विचार कर सकते हैं और उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। भारत में यह अत्यंत अनूठी बात है। मुझे नहीं लगता कि विश्व में ऐसा कोई अन्य देश है जहां यह देखने को मिले कि एक साधारण नागरिक सीधा उच्चतम न्यायालय जाए और जो तर्क वह दे रहा है उस पर उसे न्याय मिले।

प्राचीन समय में लोग यह कहा करते थे कि यदि आप राजा या महाराजा के दरबार में जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो शायद आपको न्याय मिल जाए। अब हम सत्ता में हैं और यदि हम न्याय देने में विफल रहते हैं तो केवल न्यायालय द्वारा ही न्याय दिया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: न्याय कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए। "कानून" का अर्थ है जो संवैधानिक हो।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: यह सही है। हम कानून बनाते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि न्याय न्यायपालिका द्वारा प्रदान किया जाएगा। लेकिन महोदय, मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं वह यह है कि निश्चित तौर पर संसद सर्वोपरि है। संविधान ने हमें इस स्वतंत्रता की गारंटी दी है। साथ ही, हमें संविधान में बदलने का भी अधिकार है। हममें कानून बनाने की योग्यता है परंतु इन कानूनों के बनने में दलगत यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या देश कानून के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं इसकी व्यवस्था करनी होगी। न्यायपालिका द्वारा इसकी गारंटी दी जानी चाहिए।

मैं यहां न केवल न्यायपालिका और संसद जिसके बारे में हममें से कई लोगों ने बोला है के बीच रिश्तों के बारे में एक अलग प्रश्न उठाना चाहता हूं बल्कि मैं कार्यपालिका और विधायिका के बीच के रिश्तों के बारे में भी बोलना चाहूंगा। कार्यपालिका क्या है? हमारी जानकारी के अनुसार एक विधायक कार्यपालिका का सदस्य बनता है। उदाहरण के लिए अमरीका जैसे अन्य देशों में एक विधायक कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। वास्तव में, हमने अपनी शक्तियों को इतना अलग कर दिया है कि एक विधायक कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। कानून के अनुसार ऐसा है। लेकिन भारत में हम कह रहे है। कि कार्यपालिका के सदस्य विशेषकर मंत्री और प्रधान मंत्री को इस पद पर आने पर अथवा इसके छ: माह के भीतर संसद सदस्य बनना आवश्यक है। जब हम किसी विधायक के कार्यपालिका का सदस्य बनने की बात करते हैं तो हमें 60 वर्षों में जो अनुभव मिला है उससे हमें कार्यपालिका और संसद के बीच के रिश्तों पर पुन: विचार करना चाहिए। हमने देखा है कि भारत में कार्यपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। मैं कार्यपालिका का सदस्य रहा हूं। मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं।

मैं इस समय सत्ता पक्ष में बैठे कार्यपालिका के सदस्यों को दोष देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कार्यपालिका का एक संस्थान के रूप में उल्लेख कर रहा हूं। हमने देखा है कि संसद सदस्य संसद में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं क्योंकि उनकी बातें सुनी नहीं जातीं। कार्यपालिका द्वारा उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती।

अध्यक्ष महोदय: क्यों, आप एक मुद्दा उठा रहे हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। प्रश्न यह है कि यदि सदस्य सतर्क हों तो वे कार्यपालिका को जवाबदेह बना सकते हैं। आप एक वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य हैं। कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य के लिए केवल विधायिका के प्रति जवाबदेह है। जब एक बार न्यायिक कार्यकारी आदेश पारित कर दिया जाता है तो संसद उस पर उंगली नहीं उठा सकती।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मैं संक्षेप में यही मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहा हूं। कार्यपालिका की अध्यक्षता चुने गए संसद सदस्यों द्वारा की जानी होती है। लेकिन वास्तव में हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा चलाई जा रही है जो काफी समय से नियुक्त हैं और जिनके कार्यकाल की संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अत: हम वास्तव में यह देख रहे हैं कि हम संसद सदस्य प्रतिनिधित्व करने में समर्थ नहीं हैं। वास्तव में संसद सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन रहे हैं बल्कि कोई और कार्यपालिका के कार्यों को कर रहा है। वास्तव में यह हमारे लिए एक चुनौती है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक लोकतंत्र में संसद सदस्य वास्तव में कार्यपालिका के सदस्य बने और वे देश को चलाएं। मैं समझता हूं कई बार न्यायपालिका ने ऐसे कार्यों के लिए कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराया है जिसकी अध्यक्षता उसने स्वयं की है लेकिन वह उसके लिए आवश्यक रूप से जिम्मेदार नहीं है। मेरे विचार से हमें इन्हें वास्तव में निर्धारित करने की आवश्यकता है। मेरा

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

यह मानना है कि हमने जिम्मेदारियों को निर्धारित किया है हमने शक्तियों को पृथक किया है लेकिन हमने इन विशेष विभिन्न संगठनों के अलग-अलग पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संहिताबद्ध नहीं किया है। उदाहरण के लिए, एक संसद सदस्य से न केवल कानून निर्माता, जो कि हम हैं मुख्यत: हैं, के रूप में कार्य करने बल्कि कई अन्य भूमिकाएं निभाने की भी आशा की जाती है। संविधान एक संसद सदस्य से अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा कई अन्य कार्य करने की उम्मीद करता है। परंतु अब उचित संहिताकरण के अभाव में एक संसद सदस्य के लिए यह जानना अत्यंत मुश्किल हो गया है कि उसकी वास्तविक भूमिका क्या है और साथ ही चुने गए प्रतिनिधि के कार्य निष्पादन का आकलन करना मुश्किल हो गया है। अब समय आ गया है कि हम न केवल जिम्मेदारियों में पृथक्करण के बारे में सोचें बल्कि हमें अलग-अलग कार्यकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियों, भूमिकाओं और कार्यों में मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए। उन तीनों और विशेषकर कार्यपालिका और विधायिका के बारे में विचार किया जाना चाहिए। इसके अभाव में इनमें आपस में कोई न कोई विवाद चलता रहेगा।

ऐसे कुछ मामले हैं। जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हमें संसद के आधिपत्य पर चर्चा करनी है। नीति निर्धारित करना किसका दायित्व है। सामान्य रूप से हम मानते हैं कि कार्यपालिका नीति निर्धारित करती है। वास्तव में परिभाषा के अनुसार कार्यपालिका को निर्णय लागू करना है। इसका तात्पर्य है कि वस्तुत: नीति किसी और द्वारा निर्धारित की जानी है। अब इसको संहिताबद्ध न किए जाने और रिक्तता की स्थिति उत्पन्न किए जाने से न्यायपालिका यह कहकर उसे समाप्त कर रही है कि हम नीति निर्धारित करेंगे। आप इसे संहिताबद्ध करें और यह कहें कि किसी भी मामले पर नीति निर्धारित करना मूल रूप से संसद का दायित्व है। यदि कार्यपालिका ऐसा करना चाहती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। आप इसे संसद में पेश कीजिए, लेकिन जब तक उसे संसद की स्वीकृति न मिले किसी भी नीति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता और न ही उसको कार्यान्वित दिया जा सकता। अत: नीति निर्धारित करना ऐसा क्षेत्र है जिस पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि मैं कह रहा हूं किसी संस्था द्वारा उचित रीति से कार्य निष्पादन न करने से रिक्तता की स्थिति पैदा होती है और उस रिक्तता को वह संस्था भरती है जो यह कार्य करने में सक्षम हो। भारत में हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका अत्यधिक सक्रिय है। लेकिन मेरे विचार से न्यायपालिका वास्तव में रिक्तता को भर रही हैं महोदय, आप देश के एक योग्य वकील हैं और आप सभा के अध्यक्ष भी हैं। आपने सभी तीन अंगों में भागीदारी की है। कार्यपालिका में वस्तुत: आपकी भागीदारी न रहते हुए भी आपने किसी न किसी रूप में कार्यपालिका के कार्य का पर्यवेक्षण किया है। अत: स्वतंत्रता की इस 60वीं वर्षगांठ में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि हमें इन सभी मामलों पर पुन: विचार करने के लिए संसद सदस्यों की एक उच्चाधिकार समिति का गठन करना चाहिए और प्रत्येक संसद सदस्य की क्षमता में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि एक संस्था के रूप में हम बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक कमजोर हैं। यह अपने आप में विरोधाभासी है। अत: मेरा अनुरोध होगा कि संहिताकरण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अमरीका में वहां के राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, वह अपने मंत्रियों को नियुक्त नहीं कर सकते। उन्हें अपने मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए सीनेट का अनुमोदन लेना होता है।

अध्यक्ष महोदय: न्यायाधीशों के लिए भी सीनेट का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: न्यायाधीशों और राजदूतों के लिए भी सीनेट का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। हम एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते जहां संसद एक संस्था के रूप में कुछ अन्य पदाधिकारियों के कार्यकरण की निगरानी कर सकें। हम इन सभी मामलों पर अलग दृष्टिकोण से विचार क्यों नहीं करते? हमारे देश में सभी मंत्री संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन मैं अन्य पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं। इस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है क्योंकि बेशक हम एक लोकतंत्र के रूप में सफल हैं। लेकिन इन संस्थानों के पदाधिकारी अपना कार्यनिष्पादन उतने प्रभावी रीति से नहीं कर पाए हैं जितना कि उन्हें करना चाहिए।

महोदय, स्थायी समितियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से हम सभा का कार्य सार्थक रीति से करते हैं। अत: हमें और नई स्थायी समितियों का गठन करने की आवश्यकता है जहां ये स्थायी समितियां सक्रिय भूमिका निभा पाएंगी और आज इसी की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं आज ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रख सका क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती श्री नाथ पई जिन्होंने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे। मैं उस वक्त उपस्थित नहीं था लेकिन मुझे आशा है कि मैं उनके पसंदीदा विषय पर बोलने की परम्परा का पालन करता रहूंगा। वे आज जीवित नहीं हैं। अत: मुझे आशा है कि मेरे क्षेत्र के मतदाता इस बात से प्रसन्न होंगे यदि मैं ऐसी भूमिका निभा सकूं। जिसकी

वे मुझसे अपेक्षा करते हैं और यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कार्यकरण की शैली में परिवर्तन करें।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना कार्य कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण एक या दो पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियों के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है और केवल उन्हीं वक्ताओं के लिए समय बचा है जिन्हें अभी बोलना है। मैं अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन कृपया आप सभी सहयोग कीजिए और संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस वाद-विवाद को कल तक जारी कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर कुछ देर और चर्चा करते हैं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने नियम 193 के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी है जिसे श्री गुरुदास दासगुप्त की ओर से श्री बसुदेव आचार्य ने प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से इसका विषय थोड़ा अलग होना चाहिए। यह चर्चा राज्य के तीन अंगों अर्थात विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, हालांकि मैं इसमें मीडिया को भी शामिल करना चाहता हूं, के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता पर हो रही है। हालांकि हमारा संविधान मीडिया का एक अंग के रूप में उल्लेख नहीं करता, यह हमारे लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक है और जब तक मीडिया सहित सभी अंग सौहार्दपूर्ण रीति से अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक मेरे विचार से स्थिति में सुधार नहीं होगा।

महोदय, हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसमें कोई भ्रम और कोई अस्पष्टता नहीं है तथा जैसा कि हमारे संविधान में उल्लिखित है राज्य का कोई अंग किसी अन्य के उत्तरदायित्व को स्वयं नहीं ले सकता। यदि राज्य के प्रत्येक अंग एक-दूसरे का सम्मान न करें तो कोई भी संविधान कार्य नहीं कर सकता। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपने उचित कार्यकरण के लिए अन्य दो अंगों के सहयोग पर निर्भर है।

हमारे संविधान में यह कहा गया है कि राज्य के किसी भी अंग को असीमित अधिकार नहीं दिए जाएंगे ताकि कोई भी अंग अथवा व्यक्ति निरंकुश शक्तियां प्राप्त न कर सके। जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 361(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने कार्यालय के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने अथवा उन अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनके द्वारा किये गये कृत्य के लिए वे किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 121 के अनुसार विधायिका महाभियोग प्रस्ताव के अतिरिक्त, किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती। इसी तरह अनुच्छेद 122 के अनुसार विधायिका में प्रक्रिया की कथित अनियमितताओं पर न्यायालय कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। कुल मिलाकर इस देश में शक्तियों के विभाजन का सिद्धान्त सफल रहा है। तथापि, विभिन्न मुद्दों से संबंधित मामलों को लेकर यदा कदा विवाद उठते रहे हैं जिससे यह भ्रम जाता है कि हमारे संवैधानिक ढांचे उन विवादों को यथेष्ठतापूर्वक निपटान करने में असक्षम रहा है।

महोदय, मैं आपकी एक टिप्पणी उद्धृत करना चाहता हूं जो आपने एक सेमीनार में की थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि:

> "समस्या तब शुरू होती है जब कोई विशेष अंग यह मान लेता है कि अन्य अंगों से श्रेष्ठ है या उसका एकाधिकार है या केवल वही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है।"

महोदय, यह आपने कहा है।

कुछ महीने पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक सेमिनार में, जहां प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे, कहा कि तीनों अंगों के बीच तनाव न्यायिक समीक्षा का अनिवार्य परिणाम है जो सर्वोच्च न्यायालय की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता तय करने और कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार ऐसा तनाव स्वाभाविक है। लेकिन मेरी राय में, विधायिका और न्यायपालिका के बीच तनाव और असामंजस्य का कारण केवल न्यायिक न्यायिक नहीं है।

श्री किशोर चन्द्र देव सही बोल रहे थे कि न्यायालय ने आदेश दिया और महान्यायवादी को कोटा बिल सम्बन्धी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, इस सभा में प्रस्तुत किये जाने से पहले, प्रस्तुत करने को कहा। कभी-कभी ऐसे आदेश असामञ्जस्य की स्थिति पैदा कर देते हैं और इससे बचा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री प्रसन्न आचार्य: सौभाग्य से, दूसरे दिन, न्यायालय ने आदेश बदल दिया।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, चर्चा कल भी जारी रह सकती है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, सामंजस्य में तब कमी होती है जब एक अंग दूसरे के सुपरिभाषित क्षेत्र का अतिक्रमण करता है। लेकिन राजनेताओं का भी दायित्व है। इस समस्या पर हम राजनेताओं का दृष्टिकोण निष्पक्ष और विवेकपूर्ण होना चाहिए। जब न्यायालय का कोई निर्णय या विधि की व्याख्या राजनीतिक रूप से हमारे अनुकूल होती है तो हम व्यापक रूप से इसका स्वागत करते हैं, हम न्यायालय को उस निर्णय पर बधाई देते हैं। लेकिन यदि यह हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम इसकी आलोचना करते हैं।

महोदय, जब सभा द्वारा पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में ग्यारह संसद सदस्यों को निष्कासित करने का निर्णय लिया गया था, तब आपने न्यायालय का नोटिस लेने से मना कर दिया था। पूरे सदन ने इसकी प्रशंसा की थी। इससे सदन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तब अन्ततः न्यायालय ने सदन के द्वारा लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया, समग्र सदन ने बधाई दी थी। लेकिन तब क्या हुआ जब न्यायालय ने झारखण्ड मामले में निर्णय दिया? सदन के एक वर्ग ने इसका विरोध किया और सदन के दूसरे वर्ग ने इसका स्वागत किया जिनके लिए यह निर्णय अनुकूल था।

अतः मेरी राय में न्यायालयों के निर्णय के प्रति राजनेताओं, संसद सदस्यों के अवसरवादी रवैये से, न्यायपालिका को हमारे अपने मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है।

मेरी राय में, इस देश में, सभी राजनीतिक दलों में न्यायिक सक्रियता की परिभाषा पर मोटे तौर पर सहमति होनी चाहिए। एक मामले में हम न्यायिक सक्रियता अलग तरह से परिभाषित करते हैं और दूसरे मामले में, इसको दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों के सदस्यों का यह अवसरवादी रवैया न्यायाधीश को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण हेतु प्रोत्साहित कर रहा है।

महोदय, लोकतंत्र में कोई भी ईश्वर नहीं होता। हम सभी इस संविधान की संरचना हैं। यह सदन इस संविधान की संरचना है। यहां बैठी कार्यपालिका संविधान की संरचना है। इसी तरह, न्यायालय भी संविधान की संरचना है। इस देश की जनता के अलावा, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। कभी-कभी हम यह भूल जाते हैं। कभी-कभी तीनों अंग इस सिद्धान्त को भूल जाते हैं।

कभी-कभी न्यायाधीश यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी अवगुणों से ऊपर हैं और अपने आदेशों और टिप्पणियों से पृथ्वी पर सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मुकदमों के दौरान वे व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के अभ्यस्त हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। किसके विरुद्ध? वे राजनेताओं, नौकरशाहों के विरुद्ध टिप्पणियां करते हैं। वे उनकी निष्ठा और योग्यता पर टिप्पणी करते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं मैं उन्हें उद्धृत नहीं कर रहा हूं।

इसी तरह जब कभी राजनेताओं को इस सदन की तरह न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति मंच मिलता है तो वे अपनी ऐसी ही भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं हिचकते, कुछ हद तक, आज भी हम न्यायाधीशों के विरुद्ध ऐसा कर रहे हैं। हम कभी ऐसा करना नहीं भूलते हैं। इससे सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता नहीं मिल सकती।

मेरे मित्र, श्री खारबेल स्वाईं यहां उपस्थित नहीं हैं। वह उल्लेख कर रहे थे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के कारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्य नहीं कर रही है या न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सरकार के एक अंग या विभाग के रूप में कार्य करने से रोक रहा है। यह इसलिए है सर्वोच्च न्यायालय के कारण ही झारखंड विधान सभा के मामले का सही ढंग से निपटान हुआ।

मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि इस देश में वर्ष 1975 में जब आपातकाल घोषित किया गया था तब भी सर्वोच्च न्यायालय था। 1973 में, आपातकाल की घोषणा से केवल दो वर्ष पहले, केशवानन्द भारती मामले में अभूतपूर्व निर्णय दिया गया था। आपातकाल 1975 में घोषित किया गया था। केशवानन्द भारती मामले में, न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन दो साल बाद क्या हुआ? दो साल बाद आपातकाल के दिनों में संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध घोर अत्याचार किया गया और मूलाधिकारों और आम आदमी की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन हुआ, इसने माननीय न्यायालय की अन्तरात्मा को नहीं झकझोरा। इस पर न्यायालय चिन्तित नहीं हुआ। यद्यपि केशवानन्द निर्णय की भी आपातकाल के दौरान पूरी तरह अवहेलना की गई, किन्तु न्यायालय को चिन्ता नहीं हुई।

आपातकाल की समाप्ति के बाद, न्यायालय ने स्वयं अपने आदेशों को संशोधित किया। हमारे माननीय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, श्री चन्द्रचूड़ ने इसे स्वीकार करते हुए बाद में कहा कि उन 19 महीनों के दौरान न्यायाधीश भी भय के साये में थे।

इसलिए मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति देवता नहीं है। कोई भी हमारे संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायाधीश भी इन्सान है। वे देवता नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: बिल्कुल सही।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, माननीय सदस्य इस ओर इंगित कर रहे थे कि संविधान के अन्य अंगों की भूमिका क्या होनी चाहिए। जब संसद और कार्यपालिका निष्क्रिय होती है अथवा अपना कार्य करने में असमर्थ होती है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। यह न्यायालय का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: किस उपबंध के अंतर्गत?

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, मैं पुन: आपकी बात उद्धृत करना चाहता हूं। एक बार आपने ही ऐसा कहा था। मान लीजिए–कोई सदस्य यहां कह रहे थे–पूरे देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय में भी अनेक मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालय में भी अनेक मामले लंबित हैं। यदि सभा यह तर्क दे कि अनेक मामले लंबित पड़े हैं और न्यायालय उनका निपटान करने में असमर्थ है, तो क्या संसद न्यायालय की भूमिका निभा सकती है?

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं संसद ऐसा नहीं कर सकती।

श्री प्रसन्न आचार्य: बिल्कुल ठीक। अत: प्रत्येक अंग को अपनी सीमा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। यह ठीक है कि सरकार के पास अनेक विधेयक लंबित हैं; सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या न्यायालय यह कह सकता है कि चूंकि संसद इन विधेयकों को पारित करने में असमर्थ है, इसलिए न्यायालय संसद के अधिकार समाप्त कर विधेयकों को पारित करेगा? इससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में बाधा होगी।

अनेक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया है। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। न्यायपालिका नर्सरी स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु और अन्य मानदंड निर्धारित करने से संबंधित आदेश दे रही है। यहां तक कि न्यायपालिका स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दिए जाने, स्कूल में पेयजल आपूर्ति, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, दिल्ली की सड़कों पर स्पीड ब्रेकरों का आकार निर्धारित करने हेतु मानदंड संबंधी आदेश भी दे रही है। जब न्यायपालिका के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मामले लंबित पड़े हैं, और जब न्यायालय कार्यपालिका के कार्यकरण के संबंधित मामलों पर अनावश्यक करेगा, तो हम सभी अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है। जब संसद सदस्य भ्रष्ट हो जाते हैं, तो लोग न्याय के लिए न्यायालय में जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब न्यायालय ने ऐसे मामलों की निन्दा की है, आदेश दिए हैं और राजनीतिज्ञों को दंड भी दिया है। जब कार्यपालिका भ्रष्ट होती है और जब राजनीतिज्ञ लोगों को न्याय दे पाने में असमर्थ होते हैं तो लोग न्यायालय में जाते हैं। अत: देश में आम आदमी न्यायालय के प्रति बहुत सम्मान रखता है। लेकिन जब न्यायालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे? यह हमारे लोकतंत्र का संक्रातिकाल है। आप पिछले छह महीनों के समाचार पत्रों को देखिए। आप देखेंगे कि उनमें माननीय न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप के अनेक मामले हैं। इस स्थिति में सुधार कौन करेगा?

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल एंड सेन्टर फार मीडिया स्टडीज द्वारा किये सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 11 सेवा क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 21,068 करोड़ रु. की रिश्वत दी जाती है। महोदय, क्या आप जानते हैं कि इसमें न्यायपालिका की कितनी हिस्सेदारी है? यह 2,630 करोड़ रु. है, परोक्ष रूप से यह होता है। यह मेरी राय नहीं है। यह सर्वेक्षण ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। कैसा सर्वेक्षण?

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल सर्वेक्षण रिपोर्ट को उद्धरित कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सर्वेक्षण किसने करवाया है?

श्री प्रसन्न आचार्य: यह सर्वेक्षण ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल एंड सेन्टर फार मीडिया स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा करवाया गया है। यह उनका सर्वेक्षण है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आंकड़े विश्वव्यापी हैं?

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, यह हमारे देश के आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आंकड़े केवल भारत से संबंधित हैं?

श्री प्रसन्न आचार्य: जी, हां, उन्होंने लगभग 22 सेवा क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं मालूम कि यह समूह क्या है।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, यह मेरा आरोप नहीं है। मैं यह उद्धरण सर्वेक्षण रिपोर्ट से दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सर्वेक्षण पूरी तरह से स्वीकार्य है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। आप वह आंकड़े दे रहे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, जैसाकि आप जानते हैं बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देश इस संबंध में विक्षुब्ध है कि इसका समाधान कैसे किया जाए?

श्री प्रसन्न आचार्य: देश विक्षुब्ध है कि इससे कैसे बचा जाए।

एक अन्य बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वह यह कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं और यह एक कारण है कि आखिर क्यों लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता। मामले कई वर्षों और कई दशकों से लंबित हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: न्यायाधीशों का चयन कौन करता है?

प्रसन्न आचार्य: महोदय, मैं इस पर भी बात करूंगा। जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का संबंध है। मैं राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को इसके लिए उत्तरदायी ठहराता हूं। परन्तु महोदय उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है? उच्च न्यायालयों में लगभग 26 प्रतिशत रिक्तियां हैं। न्यायाधीशों का समूह क्या कर रहा है? क्या सरकार न्यायाधीशों की स्वीकृति और सिफारिश के बिना न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकती है?

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, कई बार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरने का आरोप लगाती है, परन्तु उत्तरदायित्व स्वयं न्यायपालिका का है। इसके लिए न्यायाधीशों का समूह है। बल्कि, मैं न्यायपालिका से पूछना चाहूंगा कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपनी रिक्तियों को क्यों नहीं भर रहे हैं और लंबित मामलों का शीघ्र निपटान क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए यह अवस्था मैं एक गलती करूं और उसके लिए किसी अन्य पर आरोप लगाऊं – एक सौहार्दपूर्ण कार्यकरण नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं।

महोदय, मैं माननीय कानून मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार न्यायाधीश साम्यिक विधेयक पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। स्थायी समिति अपना प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है। सरकार को न्यायाधीश साम्यिक विधेयक को लाने में क्या बाधा आ रही है? मैं आशा करता हूं कि जब कानून मंत्री उत्तर देंगे तो वह इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए महोदय, मेरा अंतिम कथन यह है कि हम राजनीतिज्ञों व कार्यपालिका को आत्ममंथन करना चाहिए और न्यायपालिका को भी आत्ममंथन करना चाहिए। हम सभी को मीडिया सहित आत्ममंथन करना चाहिए कि हमने क्या किया है, हम कहां सीमाओं को लांघ रहे हैं और हम सीमा क्यों लांघ रहे हैं? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या कमी है। इस समस्या के समाधान के लिए आत्मविलोकन होना चाहिए।

परन्तु, इन सब कमियों के बावजूद, हम न्यायपालिका पर बहुत से आरोप लगाते हैं। महोदय, आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि कौन न्यायिक सक्रियता के बावजूद, दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों की छवि जनता में खराब रही है। महोदय, यह एक तथ्य है। यद्यपि अभी भी काफी मामले लंबित हैं तथापि यह माना जा रहा है कि न्यायपालिका अच्छा कार्य कर रही है। यह क्या हो रहा है? इसलिए, महोदय, राजनीतिज्ञों, न्यायपालिका व कार्यपालिका की ओर से आत्मलोचन किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण 6 बजने वाले हैं। यदि आप चाहें, तो चर्चा कल भी जारी रह सकती है। परन्तु नामों की सूची काफी लंबी है। यदि आप सब सहमत हों, तो हम चर्चा सायं 7 बजे तक जारी रख सकते हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मुझे एक व्यक्तिगत समस्या है। मेरे पुत्र की शादी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पुत्र की शादी है?

हंसराज भारद्वाज: जी हां महोदय, मेरे भाई जनरल भारद्वाज के बेटे की शादी है।

अध्यक्ष महोदय: आप जा सकते हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मेरे साथी यहां हैं। मैं कल उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मेरे ख्याल से हम 7 बजे तक चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, लोक महत्व के अविलम्बनीय मामलों का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय: वह 7 बजे है।

अब डा. पी.पी. कोया।

अपराह्न 5.50 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

डा. पी.पी. कोया: यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझसे पहले सभी माननीय सदस्यों ने इसके महत्व पर प्रकाश डाला। सभी

सदस्यगण जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है के वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि वे पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं और उन्होंने पूरे स्पष्ट शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

हम सबको इस बात का गर्व है कि भारत सबसे बड़ा और सर्वाधिक परिपक्व प्रजातन्त्र है। यही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रही है। प्रत्येक सदस्य इस बात से संतुष्ट है कि इस देश का लिखित संविधान है। यह संविधान व्यक्तिगत रूप में तैयार किया गया था। यह संविधान अचानक कहीं से प्रकट नहीं हुआ है। उस समय के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने एक साथ महीनों तथा सालों इस विषय पर चर्चा की और विचार विमर्श किया। इसके उपरान्त ही वे विश्व का सर्वोत्तम संविधान तैयार कर सके। आज भी कोई देश जो कि अपने स्वयं के प्रशासन के लिए नया संविधान तैयार कर रहा हो उसके लिए हमारा संविधान एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में कार्य करता है। हमारे पास इतना उत्कृष्ट संविधान है।

संविधान में सरकार के संबंध में उपबंध किए गए हैं। संविधान ने हमें ऐसी पद्धति प्रदान की है जिसमें हमारे प्रजातंत्र का आधार तीन स्तंभों पर आधारित है। यदि मैं चौथे स्तंभ अर्थात मीडिया का जिक्र नहीं करता हूं तो नि:संदेह मुझे क्षमा नहीं किया जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संविधान और अन्य कानूनों में पूरी तरह से उल्लेख किया गया है। इसमें एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित की गई है। जैसा कि मुझसे पहले मेरे कई सहकर्मियों ने कहा कि इस संबंध में निश्चित रूप से एक लक्ष्मण रेखा है जिसे आसानी से नहीं लांघा जा सकता जब तक कि कोई यह महसूस न करे कि वह ऐसा कर सकता है। दूसरे अंग की भावनाओं का सम्मान किए बिना यदि कोई ऐसा करता है तो उसे रोका जाना चाहिए। इस प्रणाली में विधायिका, दूसरे शब्द में, संसद सर्वोच्च है क्योंकि यह उत्तरदायी है और निसंदेह इसका अधिकतम कार्यकाल पांच वर्ष का है। समय-समय पर हमें जनता के सामने जाना पड़ता है और जिसके पश्चात इस प्रजातंत्र अथवा विश्व के किसी भी भाग में प्रजातांत्रिक सरकार का गठन होता है जिसमें जनता की राय सर्वोच्च होती है। जनता हमें अधिकतम पांच वर्षों के लिए चुनती है तथा कभी-कभी हमें इस अवधि से पहले भी जनता के पास मत प्राप्त करने हेतु जाना पड़ता है। इसका यह अर्थ है कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरा राष्ट्र संसद के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहा है। अत:, उस मामले में एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में विधायिका की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सरकार का यही एक ऐसा अंग है जिस पर समय-समय नियन्त्रण रखा जाता है और यह जनता की इच्छा को व्यक्त करती है।

यदि हम इन तीन विशेष भागों की चर्चा करें तो, संविधान के अनुच्छेदों में हमारे दायित्वों और जिम्मेदारियों के कार्यक्षेत्र को अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है और बहुत प्रबुद्ध वक्ता पहले ही प्रत्येक भाग के दायित्वों और जिम्मेदारियों के महत्व पर प्रकाश डाल चुके हैं। समयाभाव के कारण मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता।

आप सब जानते हैं कि प्राय: निर्णय संसद में ही लिये जाते हैं जिसका यह अर्थ है कि संसद में उस विषय पर पूरी तरह से चर्चा होती है तथा सभा में मौजूद प्रत्येक दल के सदस्य द्वारा उसमें भाग लिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो स्थायी समिति अथवा कभी-कभी संयुक्त संसदीय समिति को उस विषय को सौंपा जाता है। समितियां उस विषय पर बारीकी से अध्ययन करती हैं। वह साक्षियों का साक्षात्कार लेती हैं। वह विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है और अंतत: निष्कर्ष पर पहुंचती है। तत्पश्चात विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक पर चर्चा की जाती है। बहुमत के साथ अथवा कभी-कभी एकमत से सभा विधेयक पारित करती है। इसका अर्थ है कि उसकी सभी वर्गों द्वारा जांच की जाती है। इस प्रकार विधेयक पारित किया जाता है।

परन्तु, कार्यपालिका के मामले में, उनकी जिम्मेदारियों में खामियां आ सकती हैं। उनकी जिम्मेदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए संसद मौजूद है। यदि वे अपने दायित्वों की अवहेलना करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियों तथा दायित्वों पर नियंत्रण रखने के लिए संसद मौजूद है। यदि कार्यपालिका अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाती है तो इस बात की जांच करने के लिए वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं अथवा नहीं, न्यायपालिका मौजूद है।

परन्तु मैं नहीं मानता कि वर्तमान में न्यायपालिका की अति सक्रियता पर नियन्त्रण लगाने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है। यही कारण है कि लोग इतना ध्यानपूर्वक और इतनी अधिक सक्रियता से इसमें योगदान दे रहे हैं।

इस चर्चा के प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त ने चरणबद्ध तरीके से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और ठोस समाधान और सुझाव प्रस्तुत किए कि किस प्रकार हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए सबसे पहले अपनी पार्टी को और तत्पश्चात अपने मतदाताओं जिन्होंने अपना मत दिया, को प्रसन्न करना होता है।

मेरे विशिष्ट सहयोगी श्री खारबेल स्वाईं 50 प्रतिशत की सीमा के बारे में बहुत अधिक चिंतित थे। एक बहुदलीय लोकतंत्र में, एक निर्वाचित सदस्य को मतदाताओं के साधारण बहुत जो कि 50

[डा. पी.पी. कोया]

प्रतिशत है, की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वह चुना जाता है। बिना मतों के, वह संसद में नहीं जा सकता। उसे प्रत्येक से मिलना पड़ता है। यदि वे प्रसन्न हैं तो वे उसके लिए मतदान करते हैं और यदि वे उससे खुश नहीं हैं तो वे मतदान नहीं करते। लेकिन, इस संसद में आने से पहले हम प्रत्येक व्यक्ति और इस देश के प्रत्येक नागरिक से मिलते हैं। हमेशा एक नियंत्रण एवं संतुलन बना रहता है। यह हमें प्राप्त मतों की संख्या का प्रश्न नहीं है। लेकिन अपनी पूरी बात, पूरे तथ्य सामने रखते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं। हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। हम उनसे वादे करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ही हम यहां आते हैं। यहां आने के पश्चात् हम पर निगरानी रखी जाती है। जैसा कि किसी ने कहा है, "हम ईश्वर नहीं हैं, हमसे गलती हो सकती है। तब तत्काल यह प्रश्न किया जाता है। किसी ने जानबूझकर अथवा अनजाने में थोड़ा-बहुत धनराशि ली है। इस सदन में इस मामले को उठाया गया है। हमने इस पर पूरी चर्चा की। हमने इस पर विस्तृत चर्चा की है। इस मामले में कार्यवाही की है। इस संबंध में हमने एक समिति गठित की है। उन्होंने मामले की विस्तृत जांच की है। तत्पश्चात हमने समुचित कार्यवाही की और आज उनमें से कोई भी सदन में उपस्थित नहीं है।

मेरे मित्र श्री प्रसन्न आचार्य कह रहे थे कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमने ऐसा किया। जब हमने महसूस किया कि कुछ सदस्य अपनी सदस्यता के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं तो हमने उनसे पूछताछ की। हमने स्वयं आत्मनिरीक्षण किया था। हमने एक समिति गठित की और उन्हें दण्डित किया। इस पर भी किसी अन्य संगठन को ऐसे सामूहिक, सुविचारित, परिपूर्ण चर्चा के बाद लिए गए समुचित एवं ठोस निर्णयों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उन्हें वह निर्णय नहीं लेना चाहिए जो उन्होंने लिया था।

हमने प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यपालिका, माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा जाता है। कैबिनेट के अन्य सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वे निर्वाचित होते हैं तो एक संविक्षा से गुजरते हैं। लेकिन न्यायपालिका के बारे में क्या ऐसा है? उन्हें प्रश्नगत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन पर भी आरोप थे कि किसी के पुत्र के अनेक आफीस हैं अनेक लोगों से संबंध हैं और अनेक अवैधानिक संपर्क आदि-आदि हैं। यह चौथे स्तंभ द्वारा प्रकाश में लाया गया, मीडिया को धन्यवाद। तथ्य मीडिया द्वारा प्रकाश में लाया गया। यहां तक कि यह कार्यालय न्यायाधीश के सरकारी आवास में चल रहा था।

यदि मैं एक और बात प्रकाश में नहीं लाया तो मुझे लगेगा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूं। यहां तक कि चपरासी की नियुक्ति हेतु, राजपत्रित अधिकारी आदि की नियुक्ति हेतु, भी पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कौनसा सत्यापन होता है? ऐसे भी उदाहरण हैं जहां न्यायाधीश नियुक्त किए गए वहीं उनके विरुद्ध न्यायालय में पहले से ही आपराधिक मुकदमे लम्बित थे। उनके संबंध में सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि पुलिस सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन, एक लिपिकीय पद, चपरासी के पद के लिए पुलिस सत्यापन का प्रावधान है।

कुछ समय पहले, संसद का एक सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था जिस पर न्यायपालिका द्वारा टिप्पणी की गई थी। यह अच्छा नहीं है। जैसा कि मेरे प्रतिष्ठित साथी ने पहले यह कहा था। इस सबमें संशोधन करने की इच्छा थी। न्यायिक आयोग का क्या हुआ? यह नहीं आया है। यह इस सदन की गलती है। ऐसा एक आयोग होना चाहिए था। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं उन्हीं के द्वारा करायी जाती है।

लेकिन एक चिकित्सक या अभियंता की नियुक्ति स्वयं उनके समुदाय द्वारा नहीं की जाती है। यहां न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हैं। इसके लिए कोई औपचारिक प्रक्रियाएं नहीं हैं।

अनेक चुनाव याचिकाओं में, सदस्यों को पदच्युत कर दिया जाता है। हम इसे शिष्टतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात उच्चतर न्यायालय में जाते हैं या उनमें से कुछ वापस जनता के पास जाते हैं और पुनर्निर्वाचित होते हैं और तभी यहां आते हैं तथा स्वयं को साबित करते हैं। इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद निर्णय लेती है और कोई अन्य इसका फैसला करता है। यह साथ-साथ नहीं चलेगा। यह भी उसी सदन का स्तंभ है। यदि एक स्तंभ को हिलाया जाता है तो पूरा सदन हिल जाएगा।

सायं 6.00 बजे

अतः यह मेरी चेतावनी है। यदि आप चाहते हैं कि देश में सभा का अस्तित्व कायम रहे तो तीनों संगठनों को अपनी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर अपना कार्य करना चाहिए। यदि कोई इस रेखा को पार कर रहा है तो यह एक बुरा संकेत है। मेरी यह चेतावनी सभी विद्यमान संगठनों सहित मीडिया कर्मियों के लिए भी है। मैंने उनमें से प्रत्येक को विशेषकर न्यायपालिका से लक्ष्मण रेखा पार न करने के लिए कहा है। यह संदेश प्रत्येक और सभी के लिए है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरे विचार में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा है और पिछले कुछ समय से इसे स्थगित किया जा रहा था। इस

विषय पर चर्चा के संबंध में हमें संदेह था तथापि, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सदभावपूर्ण संबंधों के मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से इसके आपसी संबंध सदभावपूर्ण नहीं रहे हैं। राज्य के तीन अंगों के बीच आपसी संघर्ष चलता रहता है। निसंदेह न्यायपालिका को सर्वोपरि साबित करने के लिए किसी दूसरे अंग को कम दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा मानना है कि जब हम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो इसमें विचारधारा और राजनीति संबंधी प्रश्न शामिल होता है। हमारे समाज में ऐसे भी वर्ग हैं जो कोई परिवर्तन, सुधार नहीं चाहते और जो कानून के नियमों और न्यायालय का सहारा लेना चाहते हैं। यही कारण है कि वे यह तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है और विधिसम्मत शासन विधायिका से अधिक महत्वपूर्ण है।

जब हम कहते हैं कि संसद सर्वोपरि है और विधायिका सर्वोपरि है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यह निकाय सर्वोपरि है। वास्तव में जनता सर्वोपरि है और विधायिका के माध्यम से जनता की इच्छा प्रतिम्बिबित होती है। हम इसलिए यह कहते हैं कि संसद सर्वोपरि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां किसी और जगह से अधिक बुद्धिमान लोग बैठे हैं। ये विद्वान जज संभवत: अधिक शिक्षित और अधिक अनुभवी हैं। परंतु मुद्दा यह है कि शक्तियों के पृथकीकरण के अलावा प्रत्येक अंग के लिए अलग जिम्मेदारियां और कर्तव्य निर्धारित हैं और देश को उसके गंतव्य की ओर ले जाने और विधायिका को देश में शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम समाज के प्रति जवाबदेह हैं। कार्यपालिका संसद के और विधायिका के प्रति तथा विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह है।

यहां एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किस तरह जिम्मेदार ठहराया जाता है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात विधायकों को जनता के पास जाना पड़ता है। कभी-कभी संसद भी कुछ गलत कर सकती है और यदि हम कुछ गलत करेंगे तो उसके लिए हमें दंडित किया जाएगा। मैं यहां लंदन टाइम्स में प्रकाशित एक अत्यंत प्रसिद्ध सम्पादकीय का उल्लेख करना चाहता हूं। हालांकि मैंने इस सम्पादकीय को नहीं पढ़ा है परंतु मेरे कुछ मित्रों ने मुझे इसके बारे में बताया है। ग्रेट ब्रिटेन में भी न्यायपालिका और विधायिका की श्रेष्ठता संबंधी प्रश्न पर चर्चा हुई थी। इस सम्पादकीय में यह उल्लेख किया गया था कि क्या ब्रिटेन की संसद में निर्णय करने का अधिकार है कि वह न्यायपालिका को उनकी सीमाएं बताएं। सम्पादकीय में यह कहा गया है कि हां, यदि वे गलत साबित होते हैं तो जनता चुनाव में उनके खिलाफ मतदान करेगी।

अन्य अंग की क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही है? मैं न्यायपालिका, उसके अधिकारियों और क्षमताओं को कम नहीं आंकता हूं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने व्यक्तियों के पृथक्करण के अलावा संविधान में नियंत्रण और प्रति नियंत्रण का अत्यंत सावधानीपूर्वक प्रावधान किया है। हमारी संसद द्वारा बनाए गए प्रत्येक विधान की न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। उनके पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। परंतु जब जनता की इच्छा का सवाल उठता है तो संसद को यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जैसा कि कई बार किया जा चुका है।

मैं यहां एकाध अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। यदि हमारी संसद को हमारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले बुनियादी सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाती तो हम अभी भी 19वीं शताब्दी में जी रहे होते। देश के मुट्ठी भर लोगों के पास भूमि में संकेद्रण की प्रथा को तोड़ने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता पड़ी। विधिसम्मत शासन श्रेणी के मैत्रिक अधिकारों के बचाव के नाम पर न्यायालय ने कहा कि भूमि पर कब्जा एक मौलिक अधिकार है और इसका मुआवजा दिए बिना इसे लिया नहीं जा सकता। हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि भूमि सुधार नहीं होते तो देश में क्या होता। यदि मुआवजे के नाम पर जमींदारों को भारी राशि का भुगतान करना पड़ता तो क्या भूमि सुधार सफल हो पाते? निसंदेह, भूमि सुधार पूर्णत: सफल नहीं हुए हैं और किसानों को अभी भूमि नहीं मिली है। परंतु मुट्ठी भर लोगों के हाथ में भूमि के संकेद्रण की प्रथा टूटी है।

उसी प्रकार, आरक्षण के प्रश्न पर जब संसद ने कुछ कानून बनाए तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों में खटास आ गई थी। न्यायपालिका योग्यता के नाम पर इसे रोकना चाहती थी। निसंदेह इस प्रकार के मुद्दों में ऐसा हुआ है। यह स्वाभाविक ही है कि लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच भारी असंतोष व्याप्त था। हमें यह देखना है कि अब इस प्रकार के मुद्दों में किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। मैं बैंकों के कई अन्य संसाधनों में राष्ट्रीयकरण, निजीकरण के उन्मूलन जैसे मुद्दों को उठाना चाहता हूं जो लोगों की भी यही मांग थी। इन सभी मुद्दों के संबंध में कुछ लोग यह कहना चाहते थे कि संसद द्वारा भौतिक अधिकारों को छीना गया है। केशवानन्द भारती मामले में यह कहा गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। निसंदेह, यह अत्यंत अस्पष्ट है। यह मामला अस्पष्ट नहीं हैं यद्यपि उनका कहना है कि यह स्पष्ट है परंतु, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। इस देश का संविधान, संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। संविधान सभा के अधिकारों को बाद में संसद को सौंप

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

दिया गया। यही कारण है कि आवश्यक होने पर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं।

मेरा मानना है कि न्यायपालिका की देश में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही न्यायपालिका के प्रति नियंत्रण भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। परंतु उन्हें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो यह देश के लिए अत्यंत खतरनाक होगा।

मै यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति के नाम पर निंदा एक अत्यंत कटु टिप्पणी है। तथापि, संसद प्रत्येक कानून केवल राजनीति के आधार पर ही बना रही है और केवल न्यायपालिका ही इस देश को बचा सकती है। जैसा कि मैंने शुरूआत में ही कहा कि यह विचारधारा का प्रश्न है। आज राष्ट्र के भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। जब आज समाज में, देश में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। फिर तो विधिसम्मत शासन के नाम पर ये सभी सुधार, इस प्रकार के परिवर्तन और सब कुछ रोका जा सकता है।

अभी महत्वपूर्ण बात यह है, यह आलोचना की जाती है कि संसद अपना कार्य नहीं कर रही है या विधायिका संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। यह सही है, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और हमें इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से, संसद के कार्य दिवसों की संख्या कम हो रही है, संसद के कार्यकरण में समस्याएं आ जाती हैं, और हम मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाते।

हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि में लोग लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भारत में, हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के इस सर्वोच्च निकाय में, जो कि संसद है, हम लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में असमर्थ हैं। इसी कारण, असंतोष पनपता है।

मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कमियों में किसी को लोगों की चाहत के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा कि हमारे मित्र ने पूर्व में बताया, 2.5 करोड़ लम्बित मामलों का अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं। इसे सही किया जाना चाहिए, विधायिका को सुचारू बनाना चाहिए और सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध बने रहने चाहिए। लेकिन निश्चित ही यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि संसद या विधायिका सर्वोच्च है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, मैं गुरुदास दासगुप्ता जी और बसुदेव आचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा होता यदि आप इन तीन संस्थाओं के साथ-साथ मीडिया को भी जोड़ देते, क्योंकि प्रजातंत्र में मीडिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ-साथ उन्हें भी जोड़ देते तो चर्चा और भी सारगर्भित हो जाती। लेकिन मैं फिर भी आपको बधाई देता हूं।

मैं सबसे पहले कार्यपालिका की चर्चा करूंगा। कार्यपालिका में अगर आज सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वह भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वह सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। जब हम भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो कई लोग उदाहरण देते हैं कि भ्रष्टाचार अर्थशास्त्र में लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है, उस समय भी था। अर्थशास्त्र में यह जरूर लिखा है कि यह हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है कि मछली ने कितना पानी पिया। उसी तरह यह हिसाब लगाना मुश्किल है कि राजकीय कोष से कितना धन निकला और कहां गया। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हम अगर भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते तो उस पर अंकुश जरूर लगा सकते हैं। जब हम अर्थशास्त्र की चर्चा करते हैं, तो कौटिल्य ने आगे यह भी लिखा है कि भ्रष्टाचार पर रोक किस तरह लगाई जा सकती है। हम केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात करें और अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार कम करने की जो बात लिखी गई है, वह न कहें, यह न्यायोचित नहीं है।

एक समस्या यह आती है कि सत्ता में जो दल होता है, कुछ दल हैं सारे दल ऐसे नहीं हैं, उनमें सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाता है। जहां सत्ता का केन्द्रीकरण होता है, वहां भ्रष्टाचार बढ़ता है। जहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है, वहां भ्रष्टाचार कम होता है।

अभी हमारे एक साथी ने कहा। उन्हें कहने का पूरा अधिकार है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अभी हमने रायबरेली का इंस्टीटयूट के लिए जो पैट्रोलियम बिल पास किया है, हम सबको उसमें एक-एक महीने की तनख्वाह देनी चाहिए। ठीक है, यह उनका मत है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन अच्छा होता यदि वे कहते कि हम सब संसद सदस्य एक-एक महीने की तनख्वाह उन विधवाओं को दें जिनके पति देश के लिए सीमा पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं, तो अच्छा होता। अगर वे यह कहते कि हम एक-एक महीने की तनख्वाह उन विधवाओं को दें जिनके पुलिस अधिकारी पति आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, संसद सदस्य एक महीने की तनख्वाह उन लोगों को दें जो गरीब हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या जो बीमार हैं, इलाज नहीं करवा सकते, तो और अच्छा होता।

किसी ने करप्शन के बारे में कहा है कि यह कम जोखिम और अधिक लाभ वाला उपक्रम है। इस भावना को बदलने की आवश्यकता है तभी एक पारदर्शी कार्यपालिका हम दिखा सकेंगे।

मैं आपकी अनुमति से चीफ विजिलेंस कमिश्नर मिस्टर मित्तल को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका के साथ निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहली बात वह क्या कहते हैं–संसाधन और सेवाओं की कमी। जो संसाधन कार्यपालिका को चलाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जुटाने चाहिए, उनका अभाव है, कमी है। दूसरी बात वह कहते हैं कि लाल फीताशाही और विलम्ब। लाल फीताशाही और किसी भी कार्य को विलंब से करने की जो आदत कार्यपालिका की डल गयी है, वह बहुत बड़ा रोड़ा हमारी कार्यपालिका के कार्य करने और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में है। तीसरी बात वह कहते हैं कि सूचना का अधिकार पारित होने के बावजूद सरकार में पारदर्शिता का अभाव फिर वह कहते हैं कि विभागीय जांचों में विलम्ब। अगर कोई डिपार्टमैंटल इंक्वायरी बैठती है, तो उसमें बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता।

अंत में, वह बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो अधिकारी जांच करते हैं जैसे आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी की जांच करेगा, तो निश्चित रूप से उसको बचायेगा। इसी तरह कस्टम आफिसर किसी कस्टम आफिसर की जांच करेंगे, तो वह कोशिश करेगा कि कैसे उसे बचाये। यह जो परम्परा कार्यपालिका में चली है, वह न्यायोचित नहीं है इसलिए इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। फिर हमारे देश की जो 100 करोड़ जनता है, उसमें लगभग साढ़े बारह प्रतिशत जो जनता है, उसमें या तो केन्द्र शासन, राज्य शासन के कर्मचारी या अधिकारी, बैंकों और पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारी या अधिकारी हैं। ये जो साढ़े बारह प्रतिशत लोग हैं, उनका दायित्व होता है कि बाकी के जो 88 करोड़ लोग हैं, उनको किस तरह न्याय देकर, किस तरह कार्यपालिका चलाकर बतायें, यह उनकी जवाबदारी है। जब वे अपनी अथारिटी बनाने लगते हैं, और जनता से जितने दूर होते जाते हैं, तो कार्यपालिका के ऊपर अंगुलियां उठती हैं।

उदाहरणस्वरूप, आज से 30-35 साल पहले देखते थे कि एक गांव में जब चुनाव होता था, तो गांव में पटवारी और थानेदार घूमकर बताते थे कि यहां-यहां वोट डालना है और कुछ नहीं करना है। उस समय जनता इतनी डरी हुई होती थी कि पटवारी और कलैक्टर के कहने पर ही वोट डालती थी। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है क्योंकि देश में परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन पंचायती राज या शिक्षा की वजह से आया है जो बहुत अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सीबीआई की चर्चा हुई। अब सीबीआई का डायरेक्टर कौन चुनता है? जो सीबीआई का डायरेक्टर चुनते हैं, उस समिति में कौन-कौन सदस्य होते हैं? उस समिति में होम सैक्रेट्री, पर्सनल सैक्रेट्री और रेवन्यू सैक्रेट्री होते हैं। ये लोग सीबीआई के डायरेक्टर चुनते हैं और सीबीआई की जो जांच होती है, अधिकतर इन लोगों के खिलाफ होती है। यह उचित नहीं है। सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव होता है, वह पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड फौजी, ऐसे लोगों को इस समिति में रखना चाहिए। फिर हमारी कार्यपालिका का यह दायित्व है और यह घोषणा है कि हम नौ प्रतिशत ग्रोथ रेट हासिल करेंगे। अब नौ प्रतिशत ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए आपको क्या-क्या अड़चनें आ रही हैं? विश्व बैंक की अभी एक रिपोर्ट निकली है कि जो बिजनेस स्टार्टअप रिपोर्ट है, कोई व्यक्ति यहां आकर बिजनेस करना चाहे, तो उसे कितना विलंब लगता है? उसमें हमारा भारत कहां ठहरता है? उसमें हम 134वें स्थान पर हैं। चाइना हमसे 71 प्वाइंट आगे है क्योंकि चाइना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत प्रभावी कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2004, यानी एक साल में चाइना में 772 केस करप्ट आफिशियल्स के खिलाफ किये गये और उन्हें सजा दी गयी। चाइना में एक साल में 25 हजार ब्राइबरी के केस में सजा दी गयी और 500 जजों को कन्विक्ट किया गया। इस तरह की कार्यपालिका यदि कार्यप्रणाली अपनाती है, तो बहुत जल्दी हम लोग अपने लक्ष्य की ओर चल सकते हैं वर्ना बहुत कठिन होगा। जो इनकम टैक्स डिफाल्टर्स हैं, जो टाप टैक्सपेयर्स हैं, जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं, कारपोरेट हाउसेज हैं, जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, उन पर केन्द्र सरकार का 61 हजार करोड़ रुपया बकाया निकल रहा है। केन्द्र सरकार क्या कर रही है? इस धन की वसूली क्यों नहीं की जाती है? ये 61 हजार करोड़ रुपए धीरे-धीरे बढ़कर एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाले हैं। हमें इस मामले में सख्ती से कार्य करना चाहिए।

फाली नरीमन साहब ने कहा है:

[अनुवाद]

जनता, न कि जनता के प्रतिनिधि।

[हिन्दी]

नेताओं की आड़ में अगर ये कारपोरेट हाउसेज टैक्स बचाते हैं तो वह उचित नहीं है और इसमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री अरविन्द जी ने 1938 में जो कहा मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं।

"जब भारत को पूर्ण स्वराज मिलेगा तो खराब वित्तीय प्रक्रिया से छनि खराब होगी। महात्मा गांधी कांग्रस में भ्रष्टाचार के बारे में पहले ही आशंकित थे।"

[श्री लक्ष्मण सिंह]

1938 में श्री अरविन्द जी ने यही कहा था और दुर्भाग्य से यह सच हो रहा है।

[हिन्दी]

यही स्थिति एनजीओ के बारे में है। मैं एन.जी.ओ. का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन बहुत-से ऐसे एनजीओ चल रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 से 15 लाख एनजीओ चल रहे हैं। इनमें से कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। एनजीओ के बारे में एक नियम यह है कि उनके पास जो सरप्लस धन होता है, वह टैक्सेबल नहीं होता है, मैं कोई वित्त-विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन संभवत: बड़े-बड़े औद्योगिक घराने अपना टैक्स बचाने के लिए इन एनजीओ को चलाते हों। वित्तमंत्री जी को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। एनजीओ के लिए भी कई नाम जैसे एनजीओ–लाभ के लिए नहीं; वीओ–स्वैच्छिक संगठन; सीएसओ–नागरिक समाज संगठन और सीबीओ–समुदाय आधारित संगठन एनजीओ काम करें, लेकिन जो भ्रष्ट एनजीओ हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए।

जुडिशियरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2007 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें हमारे बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। मैं भारद्वाज जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इसका पुरजोर खण्डन किया है, फिर भी आज हमारी जुडिशियरी को और अधिक साख्गर्भित बनाने की आवश्यकता है। जजों की नियुक्ति के अगर चर्चा करें तो वर्ष 1993 तक जजों की नियुक्ति में संसद का कुछ कहना होता था, लेकिन वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीआईएल दी गयी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना निर्णय दिया। बेंच के सात जजों ने इसके पक्ष में और दो जजों ने निर्णय के विपक्ष में मत दिए। इसके बाद भारत विश्व में पहला ऐसा देश बना जहां जजों की नियुक्ति स्वयं जज ही करते हैं, विश्व में अन्यत्र ऐसा कहीं नहीं होता है कि जजों की नियुक्ति जज ही करते हों। यूएस में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सीनेट के पास जजों के नाम भेजता है, जिसे सीनेट सिम्पल मेजारिटी से पारित करके जजों की नियुक्ति करती है। यूके में क्वीन प्राइम मिनिस्टर को नाम देती है और प्राइम मिनिस्टर जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा कि कि नेशनल जुडिशियल काउंसिल के बारे में सेकुण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट है, उसे तत्काल लागू करना चाहिए क्योंकि आज ढाई करोड़ मुकदमे हमारे जिला और तहसील न्यायालयों में चल रहे हैं, लगभग 35 लाख मुकदमे हाईकोर्ट में चल रहे हैं। इन मुकदमों का निपटारा कैसे हो? अगर जजों की संख्या और हमारी आबादी का अनुपात देखें तो स्थिति बहुत आश्चर्यजनक है। हमारे यहां दस लाख की आबादी पर दस या बारह जज हैं, जबकि यूएस में 107 जज हैं और यूके में 51 जज हैं। इसलिए जज की संख्या बढ़ाना बहुत आवश्यक है। लेजिस्लेचर के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। समय के अभाव में लेजिस्लेचर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपका ध्यान न्याय पंचायतों की ओर दिलाना चाहूंगा। वर्ष 1993 में हमने संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था लाए और यह बात कही थी कि न्याय पंचायतें जल्द ही गठित करेंगे। आज 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन न्याय पंचायतों का गठन अभी तक नहीं हुआ है। उपेन्द्र बक्शी कमेटी की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। उसमें न्याय पंचायतों को शुरू करने की बात कही गई है। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द इन न्याय पंचायतों को शुरू किया जाए।

हजारों वर्ष पूर्व हमारे आदिवासी अपने आप न्याय पंचायत करके वहीं फैसला कर लेते थे। अगर हम ऐसी न्याय पंचायतों का प्रावधान करते हैं तो 10,000 नए कोर्ट बनेंगे और 50,000 की आबादी पर एक न्याय करने वाला बैठेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक किताब 'एनसाइक्लोपीडिया आफ प्रिमिटिव ट्राइब्स इन इण्डिया' से कोट करना चाहूंगा। इसमें बताया गया है कि किस तरह हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के लोग न्याय करते थे। एक 'कोलम' जाति है, जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में भी पाई जाती है। उस किताब में लिखा है:

> "विगत में मुखिया को कृषकों के बीच भूमि वितरण की पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं तथा वह पंचायतों की सहायता में दीवानी और फौजदारी न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था।"

[हिन्दी]

क्यों नहीं हम लोग भी इस तरह से हजारों वर्षों से आदिवासियों की जो पंचायत चली आ रही है, उसे लीगल साईंक्टिटी का रूप देकर न्याय पंचायत के बिल में इसका प्रावधान करें, जिससे आज जो न्यायलयों पर अधिक बोझ है, वह कम हो।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने की अनुमति दी।

[अनुवाद]

* श्री एस.के. खारवेलथन (पलानी): महोदय, राज्य के तीन अंगों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण

*मूलत: तमिल के दिए गए भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

संबंधों पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धों की आवश्यकता पर जोर देते हुए हमारे माननीय साथी श्री गुरुदास दासगुप्त ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

संविधान में प्रदत्त तीन पृथक संस्थाओं संचालित करने की शक्ति सहित विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका राज्य के तीन अंग हैं। ये तीनों स्वयं को एक दूसरे पर आरोपित नहीं कर सकते। संघ लोक सेवा आयोग जैसे कुछ अन्य संवैधानिक निकाय हैं जो राज्य के इन तीनों अंगों से स्वतंत्र हैं। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हमारे संविधान ने राज्य के इन तीनों अंगों की सुपरिभाषित शक्तियों सहित निश्चित भूमिका प्रदान की है। एक को दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं रखना चाहिए। वे अपनी भूमिका और शक्तियों का भी आदान-प्रदान नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि कार्यपालिका सामान्यत: कभी भी न्यायपालिका के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन हम कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्यकरण में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप की प्रवृत्ति देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब देश के आधुनिक निर्माता, पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, भूमि सुधार अधिनियम लाने की आवश्यकता पड़ी। न्यायपालिका ने उस विधान में बाधा खड़ी की। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि विधेयक पर चर्चा हेतु संसद का तीसरा सदन नहीं हो सकता क्योंकि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप देश के कानून निर्माण हेतु हमारे पास केवल द्विसदनात्मक संसद है।

विधायिका के कार्यकरण में न्यायपालिका का हस्तक्षेप केवल अभी नहीं हो रहा है। कार्यपालिका के कार्यकरण में न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण 1951 में प्रथम संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी। यदि मैं इस पर विस्तार से कहूं तो मुझे मद्रास राज्य और श्री शेनबगम दुरैराज के बीच कानूनी मुकदमे का उद्धरण देना पड़ेगा। यह एआईआर 1951 सर्वोच्च न्यायालय 226 में कथित निर्णय है। जब तत्कालीन मद्रास सरकार ने दलित वर्ग और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु सरकारी आदेश जारी किया था, मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। वे आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन था।

यद्यपि मद्रास सरकार ने यह तर्क देते हुए दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व था, सरकार की याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा खारिज कर दी गई। चूंकि सरकारी आदेश न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया, अत: पहली बार हमारे संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तत्कालीन संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को निर्देश देती रही है क्योंकि इसे उनके कार्यकरण पर कुछ क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 226(1) के तहत प्रशासन की ओर से असफलता पर परमादेश जारी किया जा सकता है। न्यायपालिका को यह शक्ति है। जब विधायिका ने लोगों के हित और कल्याण के विरुद्ध कानून अधिनियमित किया हो तो न्यायालय को इसे अवैध घोषित करने की शक्ति है। लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका के कार्यकरण में अक्सर प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी तरह न्यायपालिका विधायिका के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लोगों की आम धारणा है कि न्यायपालिका प्रशासन और विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप करती रही है।

मैं 1988 के जगदम्बिकापाल बनाम भारत संघ और 2002 का अनिल कुमार साहू बनाम भारत संघ मामले का उल्लेख करता हूं, जिसके माध्यम से यह चिंता व्यक्त की गई थी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही थी। हाल ही में न्यायालय ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या संसद को दोषी संसद सदस्यों को हटाने का अधिकार है। 1951 का एक उदाहरण है जब श्री एच.सी. मुद्गल संसद सदस्य ने कथित रूप से सदन में प्रश्न पूछने के लिए रुपए लिए थे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं उनकी सभा की सदस्यता रद्द करने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया। सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए समिति गठित की गई थी कि क्या सदस्य ने संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किए थे। तत्पश्चात 227 पृष्ठों वाला प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर सभा द्वारा कार्रवाई का अनुसमर्थन किया गया था और श्री मुदगल को हटा दिया गया था।

वर्तमान लोक सभा में, वर्ष 2005 में विभिन्न दलों के ग्यारह संसद सदस्यों को अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने में उनके कदाचार के कारण हटा दिया गया था। हमारे पीठासीन अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनके कदाचार की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की समिति गठित की थी कि क्या उन्होंने संसद सदस्यों के रूपमें अपने सामान्य कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त किए थे। दिनांक 21.12.2005 को समिति से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। दोषी पाए गए उन सदस्यों को 23.12.2005 को हटा दिया गया। माननीय राजारामपाल और लोक सभा अध्यक्ष के बीच मुकदमेबाजी चली। न्यायपालिका को इस याचिका पर विचार

[श्री एस. के. खारवेनथन]

करने के मामले में विधायिका के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए देखा गया और अध्यक्ष महोदय को नोटिस तक जारी कर दिया गया। देश के सभी विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई और इसमें संकल्प लेकर घोषणा की गई कि न्यायपालिका के पास विधायिका के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने हमारी विधायिका के अधिकारों और शक्तियों का समर्थन करने की पहल की। हम अपना सिर ऊँचा रखने में सफल रहे क्योंकि हमने उपायों को स्वयं लागू करने के अपने अधिकार को बनाए रखा। विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाली कार्रवाई करने के लिए मैं उनकी भरपूर सराहना को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कराना चाहूंगा। उस समय हमारे माननीय अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी में श्री अलादी कृष्णास्वामी अय्यर की राय का उद्धरण दिया था, "न्यायपालिका महा-कार्यपालिका अथवा महा-विधायिका नहीं है।

यह सिर्फ इसलिए है कि न्यायपालिका खास अवसरों पर अपने संक्षिप्त क्षेत्र से आगे बढ़ रही है, जैसा कि अब अत्यधिक हो गया है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। ऐसे में, हम कतिपय जनहित याचिकाओं को अनुमति देने में न्यायपालिका द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य को कम करके नहीं आंक सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बहुत से सार्वजनिक परिवहन वाहनों को सड़कों से हटाया गया और सीएनजी से चलाया गया था हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सड़कों पर पथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में न्यायिक घोषणाओं को याद रखने और उनकी सराहना किए जाने की आवश्यकता है। परंतु जब न्यायपालिका अपनी सीमाएं भूल जाए तो हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। न्यायालय में लगभग ढ़ाई करोड़ मामले लंबित हैं। उच्चतम न्यायालयों में ही लगभग पैंतीस हजार मुकदमे लंबित हैं। उदाहरण के लिए, हमारे इंडिया गेट और अन्य सरकारी इमारतों का निर्माण करने वाले ठेकेदार के वर्ष 1960 में दायर किए गए मामले पर अब तक सुनवाई शुरू नहीं की गई है। ऐसे कम से कम लगभग दस मामले काफी समय से लंबित हैं। केवल दिल्ली में, 15 लाख आपराधिक मामलों का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। न्यायिक उत्साह के कारण कुछ मामलों को अनुचित प्राथमिकता मिलती है। अत: न्यायिक अधिकारियों को अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें अन्यों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केवल तभी राज्य के सभी तीनों अंग प्रभावी और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।

हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का चयन एक निकाय द्वारा किया जाता है। विधान सभा और संसद के सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाता है। परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति का कार्य स्वयं इसके द्वारा किया जाता है। एक न्यायाधीश अपने साथी न्यायाधीश को प्रभावित करके अपने पुत्र-पुत्री अथवा संबंधी की नियुक्ति करा सकता है। हमें ऐसी न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करना होगा जिसमें अन्य न्यायाधीश के पुत्र या पुत्री अथवा संबंधी के चयन के स्थान पर एक न्यायाधीशों द्वारा अपने पुत्र का चयन कराने की संभावना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति ऐसी आरक्षण प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए जहां दलित वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व हो। अपने आप में न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। कार्यपालिका, विधान मंडल के प्रति और विधान मंडल जनता के प्रति उत्तरदायी है। परंतु न्यायाधीश कुछ अनुचित कार्य करने के बाद भी छूट जाते हैं। उन्हें अपने आप पर छोड़ दिया जाता है। इसकी जांच करके विनियमन किया जाना चाहिए। ऐसे न्यायाधीशों के आचरण की जांच करनी होगी जिनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं। हम अपनी न्यायपालिका को केवल तभी जवाबदेह बना सकते हैं जब केंद्र सरकार इस संबंध में कोई उचित कार्रवाई करे। राज्य के सभी तीन अंग हमारे संविधान के प्रति जवाबदेह होने चाहिए तथा देश की हमारी जनता के माध्यम से होना चाहिए।

न्यायपालिका को दूसरों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा न्यायपालिका को सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। श्री राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशनल असेम्बली का निर्माण किया गया था। इसी सैंट्रल हाल में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से, भारत के नक्शे को अपने सामने रखते हुए, भारत की पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, डा. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। लोक सभा, विधान सभा, न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में कैसा रिलेशन होना चाहिए, यह जिम्मेदारी कांस्टीट्यूशन ने हर एक को सौंपी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान को स्वीकार किया और इसे 57 साल पूरे होने जा रहे हैं। आजादी प्राप्त होने को 60 साल पूरे हो गए हैं। यह अभिमान की बात है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं, जातियां हैं। इसके बावजूद भी हमारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। बहुत से लोगों ने देश को बदनाम करने का प्रयत्न किया होगा, हम आपस में झगड़ते भी हैं, लेकिन भारत

के नागरिक होने के नाते हम एक दूसरे का आदर भी करते हैं। भारत की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत बार आर्मी का रूल होता है। जनरल मुर्शरफ जी ने अभी-अभी आर्मी का पद त्यागा है, लेकिन हमारे देश में कोई आर्मी वाला पद पर होते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगर रिटायर होने के बाद राजनीति में आए, तो बात दूसरी है। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता है, तो न्यायपालिका को भी अधिकार है। लेकिन आज कल हमने देखा है कि पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाने के बाद भी न्यायपालिका पार्लियामेंट पर सुप्रीम बनने की कोशिश करती है। इस कारण हमारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा हैं हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, लेकिन न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है कि जो कानून हमने बनाया है, उस कानून के दायरे में उस पर जजमेंट देने की आवश्यकता है।

सभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं और सभी को वहां जाने का अधिकार है। बहुत सारे एजुकेटिड लोगों को कोई कुछ नहीं समझता है। हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एक दूसरे का आदर करने से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, देश मजबूत हो सकता है। भारत का संसदीय लोकतंत्र सबसे अच्छा है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है जिस पर हमें बहुत अभिमान है। जब पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी में हुआ था तो हमें इलैक्शन मिले। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सैपरेट इलैक्टोरेट की मांग की थी लेकिन गांधी जी का कहना था कि अगर हिन्दू समाज का बंटवारा हो जाएगा तो उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए गांधी जी पूना में अनशन पर बैठे थे। ऐसे समय बाबा साहेब जी ने काम्प्रोमाइज किया था। यह विषय इससे संबंधित नहीं है। दलित समाज में जन्म होने के बावजूद भी उन पर संविधान लिखने की जिम्मेदारी आई। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त करने का बहुत बड़ा काम महात्मा गांधी जी के आदेश पर हुआ था, उसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, राजेन्द्र प्रसाद जी थे, ये सब संविधान सभा में थे। जब राजेन्द्र प्रसाद जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजा जी को संविधान लिखने का काम दिया गया था तब राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा था कि संविधान के सही शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, संविधान लिखने में सभी का पार्ट तो है लेकिन सबसे ज्यादा भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी अम्बेडकर जी ने निभायी थी। इसका हमें बहुत अभिमान है। जिस समाज को शिक्षा लेने का मौका नहीं मिलता था। ऐसे समाज में पैदा होकर बाबा साहेब जी बैरिस्टर बन गए, लंदन में कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली। उन्होंने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया--चाहे कोई हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी को उन्होंने संविधान में न्याय देने का प्रयत्न किया। हमें बहुत गर्व है कि देश का संविधान लिखने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है। यह आज का विषय नहीं है।

दलित समाज को बहुत बार अपमानित करने का काम होता है लेकिन हम अभिमान के साथ कहते हैं कि रामायण लिखने वाले बाल्मिकी हमारे थे, महाभारत लिखने वाले व्यास हमारे थे, देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी हमारे समाज के थे। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बदौलत यहां आए हैं, आप भी डिप्टी स्पीकर हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रेस कान्फ्रेस में मुझ से एक पत्रकार ने पूछा था कि हमारे साथ ब्राह्मण लड़कियां क्यों शादी करती हैं, मैंने कहा कि ब्राह्मण लड़कियों को हम अच्छे लगते हैं। ...*(व्यवधान)* कहने का मतलब यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा जो हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत हो सकता है। इसके लिए हम सब को काम करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रख कर हम भारत को वैभवशाली बनाएं और काम करें।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): इस विषय पर संक्षेप में बोलने से पहले मैं इस संकल्प को पेश करने वाले सदस्य तथा इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने के लिए अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। आज इस माननीय सभा में इस महत्वपूर्ण विषय पर अनेक विचारोत्तेजक भाषण दिए गए थे तथा मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। श्री मोहन सिंह ने इस विषय पर बोला। लोकतंत्र के तीन अंगों में सामंजस्य का अभाव के बारे में उनके भाषण, उनकी चिंताओं और सुझावों से मैं स्वयं को सहबद्ध करता हूं।

श्री किशोर चन्द्र एस. देव ने भी बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए तथा सभा के सम्मुख कतिपय अति महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत किया तथा उन्होंने न्यायपालिका की निरंकुश गतिविधियों पर उनकी अपनी चिंता व्यक्त की। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मेरे विचार से शासन के तीनों महत्वपूर्ण अंग--न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका समान्तर नहीं हैं। समान्तर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। हमारी संसद सर्वोच्च नहीं है। कतिपय मामलों में हमारी संसद न्यायिक समीक्षा के अध्यधीन है।

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

न्यायपालिका, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है कि ये पूर्णत: संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। हम कानूनों को पुन: बना सकते हैं तथा उनमें सुधार कर सकते है। न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है। न्यायपालिका की भी सीमाएं हैं और कार्यपालिका भी सर्वोच्च नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे विचार में यह एक समबाहु त्रिभुज है। जिसकी तीनों भुजाएं शासन चलाने के गसत्तर कार्य को चलाने के लिए मिलती है। यदि इन तीनों अंग में से एक अंग कार्य नहीं करता है तो दूसरा अंग बड़ी भूमिका अदा करता है जिससे थोड़ा सा असामंजस्य या असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए एक प्रसिद्ध न्यायविद् को मैं उद्धृत करता हूं: "शक्तियों का विभाजन परिवर्तनशील नहीं है जब संतुलन बिगड़ता है तो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तथा राज्य द्वारा संतुलन बनाने के प्रयास किए जाते हैं।" मेरे विचार से तीनों स्तंभ (अंग) बराबर हैं तथा उन्हें शक्ति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसा कि हाल ही में हमने देखा है कि यदि उनमें परिवर्तन होता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए यदि कोई विवाद होता है जैसा कि हमने हाल ही में देखा है तो संतुलन बिगड़ जाता है। सौभाग्य से श्री सोमनाथ चटर्जी हमारे अध्यक्ष हैं अत: जब न्यायपालिका और संसद में मतभेद हुआ तो वे अपने निर्णय पर अटल रहे और संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। अन्यथा एक बड़ा विवाद उठ सकता था। परन्तु ऐसी भी संभावनाएं होती हैं कि कभी-कभी यदि तीनों अंगों में सामंजस्य नहीं है तो असामंजस्य के कारण समस्या हो सकती है। मैं इस माननीय सभा को पड़ोसी देश का उदाहरण देना चाहता हूं। पाकिस्तान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध में एक अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिससे सारे देश को समस्या का सामना करना पड़ा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है और यह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या तीनों अंग अपना-अपना कार्य समुचित रूप से कर रहे हैं। महोदय कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। यह लोकतंत्र का सबसे अग्रणी स्तंभ है।

सायं 6.49 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

यदि कार्यपालिका अपनी भूमिका भली प्रकार से नहीं निभाती है तो इसका कार्य कौन करेगा? जैसा कि हमारे कुछ सहयोगियों ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाने पर कार्यपालिका ने समय से समुचित कार्यवाही नहीं की तो न्यायपालिका को आगे आना पड़ा जिसकी सबने प्रशंसा की। न्यायपालिका को रक्षा मामलों में प्रोत्साहन का अर्थ यह था कि कार्यपालिका ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। कार्यवाही में विलंब के कारण दुर्भाग्यवश कार्यपालिका पर आंच आई और इसकी गरिमा कम हुई। इसलिए न्यायपालिका को कार्यवाही करनी पड़ी। यदि न्यायपालिका ऐसा करती है और हम इसे इस तरह बढ़ावा देते हैं तो दुर्भाग्यवश संतुलन बिगड़ सकता है। संतुलन कायम रहना चाहिए। मेरे आदरणीय सहयोगी श्री सुरेश प्रभु ने दूसरे पहलू पर बात की और शायद वे व्यवस्था में पूर्ण बदलाव चाहते हैं। मेरा मानना है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम व्यवस्था में पूर्ण बदलाव ला सकते हैं क्योंकि यह अमेरिका नहीं है और न ही हमें अमेरिका की नकल करनी चाहिए। हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू नहीं कर सकते हैं और न ही हम तीनों अंगों को समानान्तर बना सकते हैं। इसलिए संविधान के निर्माताओं द्वारा हमें जो प्रणाली दी गई है वह अच्छी है। हमें इसे कायम रखना चाहिए तथा संतुलन बनाए रखना चाहिए।

इस सम्माननीय सभा में वाद-विवाद के दौरान यह महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आया कि यदि इन स्तंभों में से कोई एक अपना काम जरूरत के अनुरूप नहीं करता है, जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो इसकी जांच कौन करेगा और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। समय के साथ-साथ हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक और स्तंभ धीरे-धीरे उभर कर सामने आया है जैसा कि हमारे एक सहयोगी ने कहा है और यह स्तंभ मीडिया है। मीडिया भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मीडिया को प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्य सभी तीन अंगों के कार्य पर नजर रखना होता है और उनको अपना कार्य उचित ढंग से करना होता है क्योंकि पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। अब, संसद के मामले में, कार्यपालिका के काम में पारदर्शिता है। लेकिन न्यायपालिका के मामले में पारदर्शिता नहीं है। इसलिए बहुत आदर के साथ, बिना किसी उथल-पुथल के, संतुलन को बिगाड़े बिना हम सभी को, संसद को अवश्य विचार करना चाहिए और संसद के बाहर भी हमें इस चर्चा को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक इस संबंध में हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाते कि हम इन चीजों को कैसे दुरूस्त करें। न्यायपालिका को भी कैसे उत्तरदायी बनाया जाए ताकि संतुलन बिगड़ने का खतरा हमारे साथ न उत्पन्न हो। हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजाना होगा।

महोदय, हमने आज इस सम्माननीय सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की है और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभरकर सामने आए हैं कि कार्यपालिका को क्या करना है। चूंकि कार्यपालिका प्रजातंत्र का पहला स्तंभ है, इसे अपना काम बहुत ही सावधानी से करना होगा और करके दिखाना होगा। यदि वे अपना कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा? यह एक अप्रिय घटना होगी और ऐसी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए।

लोगों के बलिदानों के फलस्वरूप देश को प्रजातंत्र मिला है। कुछ भटकाव आया है। श्री सुरेश प्रभु ने यहां उल्लेख किया कि हम इस समय ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम अपने

मुकदमे के बारे में मात्र एक पोस्टकार्ड उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं और इस पर कार्रवाई होगी। मैं अपने सम्माननीय सहयोगी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के विभिन्न न्यायालयों में 2.5 करोड़ मुकदमे लम्बित पड़े हैं। यदि कोई याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश को या किसी अन्य न्यायाधीश को एक पोस्टकार्ड भेजता है तो न्यायाधीश उसको क्या उत्तर देगा? यदि कोई व्यक्ति बिना किसी सुनवाई के या सुनवाई के लम्बा खींचने के कारण किसी जेल में 14 वर्षों या 16 वर्षों से पड़ा हुआ है और यदि वह उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को या किसी अन्य न्यायाधीश को एक पोस्ट कार्ड भेजता है तो वह न्यायाधीश उसे क्या उत्तर देगा?

हमारे साथ कई समस्याएं हैं। लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी प्रणाली असफल हो गई है। हमें संतुलन बनाए रखना होगा। संतुलन बनाने के लिए हम सभी को सोचना होगा कि हम इसे कैसे दुरूस्त कर सकते हैं। यदि इसे दुरूस्त करने के लिए हम कुछ मूल्यवान सुझाव दे सकते हैं तो यह अच्छा होगा। इस चर्चा के दौरान जो हमारे सामने एक अच्छा सुझाव यह आया है कि तत्काल एक न्यायिक सेवा आयोग का गठन अवश्य किया जाना चाहिए। यदि न्यायपालिका से कोई गलती होती है तो इस स्थिति में वह कौन सा मंच है जिसके माध्यम से हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं? संसद में भी हम अत्यंत सावधान होते हैं। हम न्यायाधीन मामलों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, यदि कोई न्यायाधीश गलती करता है तो हम उसके बारे में बात नहीं करते।

इसलिए, हमें इसका कोई समाधान खोजना पड़ेगा क्योंकि न्यायाधीश सर्वोच्च नहीं हो सकते जैसे कि संसद और कार्यपालिका भी सर्वोच्च नहीं हो सकती। तीनों पक्षों को एक संतुलन बनाकर रखना होगा और हम सभी सोचें कि इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं।

डा. सिबैस्टियन पाल (एर्नाकुलम): सभापति महोदय, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध हमारे लोकतंत्र की संवैधानिक योजना से है। राज्य के तीनों अंग मोंटेस्क्यी प्रसिद्ध के प्रसिद्ध सिद्धांत-शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रहे हैं और यह हमारे संविधान की मूलभूत संरचना में से एक है। इसका मतलब है कि सरकार के तीनों अंगों को संविधान द्वारा नियत मानकों और सीमाओं के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर, अत्याधुनिक और नाजुक संवैधानिक सिद्धांत विकसित हुआ है और यह नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। एक दूसरे पर नियंत्रण रखकर आप संतुलन को बनाए रखते हैं और उस संतुलन के साथ हमारा गणतंत्र आगे बढ़ रहा है।

लेकिन हाल ही में, विशेषकर आपातकाल के बाद, हमने एक नई घटना अर्थात न्यायिक सक्रियता देखने को मिली, पहले जनहित वाद और इसके बाद न्यायिक सक्रियता को बहुत से नए आयाम मिले। अब हमें लगता है कि हमारी न्यायपालिका न्यायिक तानाशाही की ओर बढ़ रही है और इसे रोका जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया गया है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, हमें जिम्मेदार बनना होगा और हमें अपने अनुभवों से सीखना होगा। यह निश्चित है और स्वाभाविक भी है कि इन तीनों अंगों के बीच कुछ अस्पष्ट क्षेत्र हैं और मैं सोचता हूं कि ये अनिश्चितता के क्षेत्र जान बूझकर बनाए गए हैं। इस अनिश्चितता में आपसी टकराव को दूर करने, कटुता को दूर करने और सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी संवैधानिक तरीकों की गुजाइंश रहती है।

न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण स्वरूप जो हाल में हम सभी को परेशान कर रहा है वह है, इसका बदलता दृष्टिकोण। न्यायाधीशों की सोच, विशेषकर वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस युग में बदल गई है। हमारे न्यायाधीशों का दृष्टिकोण बदल गया है। स्वयं न्यायपालिका के दृष्टिकोण में भारी बदलाव आया है और हमारे साथ-साथ आम आदमी भी यह महसूस कर रहा है कि न्यायपालिका में आम लोगों के प्रति जवाबदेही के साथ-साथ जनता तथा समाज के प्रति उसमें वचनबद्धता का अभाव है।

इस समस्या का मूल कारण क्या है? संविधान में न्यायाधीशों के चयन तथा उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका का प्रावधान है।

परन्तु न्यायपालिका ने स्व: प्रेरणा से उस नियम को बदल दिया या उसकी गलत व्याख्या की जिसके फलस्वरूप न्यायपालिका नियुक्तियां करने में समर्थ हो गया। अब न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगियों द्वारा बताया गया, अमेरिका में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति के अध्यधीन है। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्तियों हेतु संविधान में निर्धारित कार्यपालिका की भूमिका को पुन: स्थापित करना है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, अकुशलता, बकाया तथा उन सारी बातों से हम विचलित हैं। हमें न्यायाधीशों को उत्तरदायी बनाना है।

हमारा उद्देश्य यह है कि सरकार के तीनों अंगों में सौहार्द कायम होना चाहिए। परन्तु हम मात्र न्यायपालिका पर चर्चा कर रहे हैं। अन्य अंगों के बारे में क्या है? क्या कार्यपालिका और विधायिका के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं? संसद का क्या महत्व है? हम सब कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है परन्तु दिन पर दिन संसद की भूमिका और विश्वसनीयता कम हो रही है।

सभापति महोदय: यदि आप चाहें तो आप कल भी भाषण जारी रख सकते हैं।

डा. सिबैस्टियन पाल: अनुमति दिए जाने पर मैं कल भाषण जारी रखूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

सभापति महोदय: सभा अब विशेष उल्लेख पर चर्चा करेगी।

सायं 7.00 बजे

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि इंडियन एयरलाइन की घरेलू उड़ानों पर बीयर और वाइन दी जाएगी।

मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को भी तत्काल रोका जाए। देश की विभिन्न एयरलाइनों में कार्य कर रही एयर होस्टेसों को 'ड्रैस कोड' का पालन करना चाहिए जो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हो। भारतीय महिलाओं को 'शो पीसेज' के रूप में दर्शाए जाने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए।

भारत की वायु सेवाओं को संविधान के अनुसार तीन भाषा की नीति का पालन करना चाहिए। विभिन्न राज्यों में जाने वाली उड़ानों में केबिन सदस्यों में कुछ सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें संबंधित क्षेत्रीय भाषा आती हो।

चूंकि विमान यात्रियों में ऐसे यात्री भी होते हैं जिन्हें सिर्फ क्षेत्रीय भाषा ही आती है इसलिए एयर होस्टेस को उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

विमान सेवाओं को, जिस राज्य से वे संचालन करती हैं, उद्घोषणा उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए जो संविधान में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के अलावा निर्धारित तीन भाषा नीति के अनुरूप होगी।

जिस राज्य से उड़ान उड़ती है उस राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

घरेलू उड़ानों में दक्षिण भारतीय भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

---

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज पहले ही सूचित किया है कि 3 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय निशक्त दिवस' के रूप में मनाया जाता है। विश्व की जनगणना के अनुसार भारत में निशक्त व्यक्तियों की संख्या 2,19,06,769 है। इनमें से 1,26,05,635 पुरुष हैं और 93,01,134 महिलाएं हैं जो कि मोटे तौर पर लगभग 6 प्रतिशत बनती हैं। इसके अतिरिक्त, हाल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के निशक्त व्यक्तियों की संख्या 8 प्रतिशत है।

महोदय, 75 प्रतिशत निशक्त व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं; 49 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं और केवल 34 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है और इनमें से कुछ ही व्यक्तियों को अच्छी आय वाला रोजगार प्राप्त है। हमारी सरकार निशक्त व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति अपनाकर निशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास और अधिकारिता हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। तथापि, यह पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। बहुत से निशक्त व्यक्ति गरीब हैं। इन्हें शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। निजी और नियमित क्षेत्र उन्हें और अधिक रोजगार प्रदान करने हेतु आगे आने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी विभागों में निशक्त व्यक्तियों हेतु रोजगार के अवसर बहुत कम और अपर्याप्त हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह निशक्त व्यक्तियों के उत्थान के लिए आगे आये और आवश्यक कदम उठाए तथा उनके कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करे और उनके लिए सभी क्षेत्रों में अवसरों का सृजन करे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को निशक्तता निवारण, समुदाय आधारित पुनर्वास, रोजगार की पहचान और कार्यालयों और फैक्ट्रियों में कार्यस्थल पर सुधार और उनके मानसिक-सामाजिक पहलुओं सहित सहायक उपकरणों के विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित और प्रायोजित करने हेतु दिशा-निर्देशों को कड़ाई से क्रियान्वित करने का निदेश देना होगा।

सभापति महोदय: आप इस बात को बिना पढ़े और समय बर्बाद किए बगैर कुछ ही शब्दों में रख सकते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं सरकार विशेषकर रेल मंत्रालय का ध्यान दस हजार छोटे रेलवे खान-पान सेवा लाइसेंस धारियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

रेल मंत्रालय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि छोटी खानपान/विक्रेता इकाइयां, ट्रालियां, स्टाल और उन सभी को जिन्हें

आरक्षित क्षेत्रों द्वारा संचालित किया जाता है को वैसे ही चलते रहने दिया जाएगा और ये सेवाएं नई खान-पान नीति से प्रभावित नहीं होंगी। परंतु पूरे देश में स्टेशनों पर उच्चतम निविदा बोली दर पर ऐसी छोटी श्रेणियों से लाइसेंस शुल्क वसूल करने हेतु आई आर सीटीसी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

अत: बात यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से ये छोटे ठेकेदार और विक्रेता संबंधित स्वतंत्रता सेनानी और युद्ध के शहीदों की विधवाएं बड़े ठेकेदारों से प्रतिस्पर्द्धा कैसे कर सकती हैं? ये इतने ज्यादा लाइसेंस शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? मेरे विचार से मंत्रालय को इस पर विचार करना होगा और अपनी खान-पान नीति की समीक्षा करनी होगी।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन छोटे विक्रेताओं के हजारों परिवारों को बचाने के लिए नई खान-पान नीति, 2005 पर पुनर्विचार करे और इसे वर्ष 2000 की पूर्ण नीति की तर्ज पर क्रियान्वित करे। अत: मैं इस मुद्दे को मंत्रालय के ध्यान में लाता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमन महतो (जमशेदपुर): महोदय, झारखंड राज्य स्थित सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य प्रारम्भ हुए वर्षों बीत चुके हैं। रैयतों की भूमि भी अधिगृहीत की जा चुकी है। इस योजना में काफी धन खर्च हो चुका है। अत: मैं जनहित में सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि वहां के किसानों को पानी मिल सके। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर को मेरे संसदीय क्षेत्र, जनपद कौशाम्बी-उ.प्र. की तहसील सिराथू, गांव तरसौरा में 15 ग्रामीण लोग नाव पर सवार थे। नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद आठ लोग तो बचा लिए गए, लेकिन जो सात महिलाएं थीं, वे नहीं बचाई जा सकीं। उनमें शीतला सुपुत्री श्री मिठाई लाल, उम्र 15 वर्ष, कोलाहारी सुपुत्री श्री जगजीवन, उम्र 18 वर्ष, सविता सुपुत्री श्री जगजीवन, उम्र 15 वर्ष, ये ग्राम टेढ़हर (हिसामपुर) परसखी की थीं और ग्राम तरसौरा के रीता सुपुत्री श्री शिव प्रसाद यादव, उम्र 20 वर्ष, श्रीमती सुग्गन देवी धर्मपत्नी श्री बृज मोहन, उम्र 35 वर्ष, सोनू देवी सुपुत्री श्री बृज मोहन, उम्र 15 वर्ष और श्रीमती शिवरानी देवी सुपुत्री श्री राम दास, उम्र 20 वर्ष की डैड बाडी अभी तक नहीं मिली है।

महोदय, मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सी.ओ. पहुंचे। गांव वालों का कहना था कि हरियाणा के कुरूक्षेत्र में जब एक छोटा बच्चा प्रिंस गिर गया था, वहां उसे निकालने के लिए सेना पहुंच गई, लेकिन यहां के निकम्मे जिला प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया। अगर जिला प्रशासन कुछ प्रयास करता, तो उनके शव अब तक बरामद हो जाते। वहां क्षेत्रीय विधायक, सरकारी बोट पर सैर-सपाटा करते रहे और मछली पकड़ते रहे। वहां एक असरदार नेता के यहां दावतें भी उड़ाई गईं। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले छ: महीने के अंदर हमारे क्षेत्र में पचासों लोगों की डूबने से मृत्यु हुई है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक जय शंकर सुपुत्र श्री राम मन यादव नाम का लड़का कक्षा 8 में पढ़ता है, जो खुद तैर कर बाहर आया और जिसने चप्पू से चार लोगों की जान बचाई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं और जो लड़का जय शंकर सुपुत्र श्री राम मन यादव है, जो कक्षा 8 में पढ़ता है, जिसने चार लोगों की जान बचाई, उसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा): सभापति महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुकिंग गैस की कमी के कारण उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर और कनैक्शन नहीं मिलने और गैस की आपूर्ति में कमी आने की वजह से, वितरण कंपनियां मूल कीमतों से ज्यादा दाम पर, उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई कर रही हैं। मैं समझता हूं कि चार साल पूर्व यह स्थिति देश में नहीं थी। तब उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिए कतार लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को रीफिल कनैक्शन के साथ अन्य घटिया वस्तुओं को लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में तो यह देखने में आया है कि रीफिल के साथ में चाय के पैकेट्स भी दिए गए। इस प्रकार का काम देश में हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि जो चार साल पहले एन.डी.ए. की सरकार में गैस कनैक्शन की आपूर्ति थी, उसमें लोगों को लाइन में लगना नहीं पड़ता था। इसलिए एक नियोजन बनाकर स्थिति को सुधारने के लिए और उपभोक्ताओं को सही मायने में एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए आप प्रयास करें और जो उपभोक्ताओं को मजबूरन लूटा जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए नियोजन करें।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, केरल में चावल और प्याज के मूल्य में फिलहाल बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

है। ऐसा मुख्यतया पड़ोसी राज्यों से इन उत्पादों के न पहुंच पाने के कारण हो रहा है। केरल खाद्यान्नों के लिए मूलत: अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। इसका मुख्य कारण भारी वर्षा और इन उत्पादों की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी है।

केरल वासियों की मुख्य खाद्य वस्तु चावल के मामले में मूल्य वृद्धि 2 रुपये प्रति किलो ग्राम हुई है। इससे आम उपभोक्ता बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। अत:, केरल अपने खुले बाजार के लिए चावल मूलत: आंध्र प्रदेश से आता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु छत्तीसगढ़ से इस राज्य को प्रतिमाह लगभग 90,000 टन चावल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 40,000 टन चावल खुले बाजार के उपभोक्ताओं के लिए होता है।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अति तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और केरल को आवश्यक खाद्यान्नों की आपूर्ति करें, क्योंकि पंडित जी के समय से ही केरल को पर्याप्त खाद्यान्न देने का वादा किया गया था क्योंकि केरल में मूलत: नकदी फसलों की ही खेती है। अत: विपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और केरल को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न विशेषकर चावल की आपूर्ति करनी चाहिए, ताकि आम उपभोक्ताओं को कठिनाई न उठानी पड़े।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति महोदय, आज विकलांग दिवस पर पूरे देश भर के कोढ़ बीमारी से पीड़ित, विकलांगों, अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, मूक, बधिर तथा अपाहिज करीब 10 लाख लोगों को अतिरिक्त सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे ये लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और सड़क के किनारे फुटपाथ पर ये अपनी नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये कहीं भूखे हैं, कहीं प्यासे हैं, कहीं बीमारी से पीड़ित हैं, उनके हाथों-पैरों से खून वगैरह बह रहा है, लेकिन विकलांगों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें ट्राई-साइकिल भी नहीं दी जा रही है, चलने के लिए उनको गाड़ी भी नहीं मिल रही है।

ऐसे लोगों में जो लोग अंधे हैं, उनको चश्मे की आवश्यकता है, लूले लोगों को जयपुर में बनने वाले नये हाथ-पैर की आवश्यकता है, बधिरों के पास मशीन नहीं है, वे मुंह से बोल नहीं पाते। ऐसे लोगों की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु सरकार जो राशि दे रही है, वह अपर्याप्त है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे उद्योगपति हैं, अगर उनका उद्योग बीमार हो जाये तो सरकार उनको करोड़ों रुपये की विशेष सहायता देती है, जिसे वसूल नहीं करना पड़ता, जबकि ऐसे लोगों को सरकार बहुत कम राशि दे रही है। मैं शासन से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की सहायता हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जाए और विशेष अभियान चलाया जाए। अगर वे काम करने लायक हैं तो उन्हें लोन भी उपलब्ध कराया जाए। अगर वे किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उनकी बीमारी के इलाज के लिए सरकार जिला स्तर पर प्रोग्राम आयोजित करे, जिस तरह से सांसद लोगों को आठ लाख रुपया दिया जाता है, उसे भी बढ़ाया जाए। इससे ये लोग बीमारी से निजात पाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, सरकार को भी आशीर्वाद देंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, इसलिए सरकार ऐसी योजना चलाए, ऐसी मैं सरकार से आशा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैंने अभी-अभी श्री फ्रांसिस जार्ज को केरल में खाद्यान्नों विशेषकर चावल की अनुपलब्धता के बारे में कहते हुए सुना है।

मैं आपके माध्यम से इस सभा और सरकार का भी ध्यान ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में हमारे देश में उत्पन्न हो रही चिंताजनक स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा।

महोदय, ग्लोबल वार्मिंग ने आगामी वर्षों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर कुप्रभाव डाला है, बावजूद इसके कि देश ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग और स्थिर उत्पादन में हो रही वृद्धि को महसूस करना शुरू कर दिया है। कुल चावल कृषि क्षेत्र के लगभग 63 प्रतिशत होने के कारण देश की सतत खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाले पूर्वी भारत का गंभीर रूप से प्रभावित होना तय है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव उत्पादन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे और उड़ीसा के इससे सबसे अधिक प्रभावित होने का अनुमान है।

वर्ष 2020 तक जब औसत तापमान स्तर के लगभग एक डिग्री तक बढ़ने की संभावना है और 'रिएंड कार्बन डाइआक्साइड कंसट्रेशन' बढ़कर 400 पीपीएम (वाट्र्स पर मिलियन वाल्यूम) हो रहा है, तो केवल उड़ीसा में ही पैदावार में गिरावट नौ प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में यह पांच से एक प्रतिशत के बीच होगी।

कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने इस स्थिति का विश्लेषण किया है और भावी समस्या की गंभीरता का पूर्वानुमान लगाया है। दस स्थानों-उड़ीसा में भुवनेश्वर और कटक, पश्चिम बंगाल में कल्याणी और चिनसुराह, असम में जोरहाट, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, मध्य प्रदेश में जबलपुर, बिहार में पूसा और छत्तीसगढ़ में रायपुर को इस विश्लेषण में सम्मिलित

किया गया था। चावल की पैदावार में गिरावट का मुख्य कारण तापमान में वृद्धि पाया गया है। चावल में दाना पड़ने की प्रक्रिया काफी सीमा तक अधिक तापमान से प्रभावित होती है।

इसलिए, वैज्ञानिक समुदाय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है, जो चावल की ऐसी किस्में तैयार करने का प्रयास करें जो अपने आपको अधिक तापमान के अनुकूल बना सकें। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ऐसी परियोजनाओं का समर्थन करे और औसत तापमान से कम से कम दो डिग्री सेल्सियस अधिक का तापमान को सहने की क्षमता वाली चावल की किस्में लाएं जिससे किसानों को पैदावार के लाभ मिल सकें।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अट्टूर): महोदय, आपका धन्यवाद। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोट्टारकरा महा गणपति सदियों पुराना मंदिर है। इस मंदिर को सबरीमाला तीर्थयात्रा का उपकेंद्र माना जाता है। नवंबर से शुरू होकर जनवरी तक चलने वाली सबरीमाला तीर्थयात्रा के समय के दौरान तीर्थयात्री सबरीमाला मंदिर आ रहे हैं। राज्य के बाहर से कोट्टारकरा आने वाले अधिकांश तीर्थयात्री तमिलनाडु से हैं। इसका कारण कोट्टारकरा के रास्ते विरूदुनगर और कोल्लम के बीच रेल सेवा है। परंतु कोट्टारकरा रेलवे स्टेशन पर अब उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। यदि रेलवे स्टेशन पर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो यह पदम मंगलम स्थित जदयुपरा, कोन्नी स्थित अनामला, 'ईको-टूरिज्म सेंटर' और जिले में तेनमाला स्थित पलासवी आदि जैसे विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए और अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।

इसलिए, मैं यह निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार तीर्थयात्रियों और साथ ही पर्यटकों की बढ़ती आवश्यकताओं के मद्देनजर कोट्टारकरा रेलवे स्टेशन पर चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन की तरह सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं इस मुद्दे पर अपने आप को माननीय सदस्य से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से संबद्ध करती हूं।

सभापति महोदय: अब डा. सी. कृष्णन अपनी बात रखेंगे। डा. कृष्णन जी इस प्रयोजनार्थ आपके मुद्दे पर माननीय मंत्री द्वारा पहले ही वक्तव्य दिया जा चुका है। आपके द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह मलेशियाई मुद्दे के बारे में पहले ही वक्तव्य सभा में रख चुके हैं। आप इसके बारे में केवल एक शब्द बोलिए।

[अनुवाद]

आपके मुद्दे का उल्लेख माननीय मंत्री द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आप केवल उल्लेख कीजिए।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): जी, हां। यह सच है। मैं संक्षेप में बोलूंगा।

तमिल लगभग 150 वर्षों से मलेशिया में रह रहे हैं। उन्हें अंग्रेजों द्वारा वहां पर रोजगार के उद्देश्य से ले जाया गया था। अंग्रेजों द्वारा वहां पर उन्हें अधिकारों से वंचित किया गया है और उनका शोषण किया गया है वे अपनी शिकायतों के प्रति विरोध जताने के लिए 25.11.2007 को ब्रिटिश उच्चायोग तक मार्च किया। उनकी शिकायत थी कि पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश स्वामियों द्वारा उनका शोषण किया गया था।

उन्होंने यह मांग करते हुए ब्रिटिश उच्चायोग की ओर मार्च किया कि उन्हें न्याय दिया जाना चाहिए। वे कानूनी फीस का भुगतान नहीं कर सकते। इसलिए वे अपनी शिकायतों का निवारण कराने के लिए हर हाइनेस क्वीन्स काउंसिल से स्वयं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने का अनुरोध कर रहे हैं।

मैं श्री वाइको की ओर से बोल रहा हूं। श्री वाइको इस मुद्दे के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मलेशियाई तमिलों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में विशेषाधिकार दिए जाएं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे विश्वास है कि एम.डी.एम.के. का दृष्टिकोण पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में आ चुका है।

डा. सी. कृष्णन: उनके साथ अल्पाधिकार प्राप्त और दासों जैसा बर्ताव किया जाता है। रैली में सरकार ने पुलिस बल का प्रयोग किया तथा आसू गैस और वाटर कैनल का प्रयोग करते हुए 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन व्यक्तियों को राजनयिक माध्यम से रिहा कराया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. सी. कृष्णन: हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा चुका है।

महोदय, मैं अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं चाहता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राजनीतिक माध्यम से मलेशिया में रह रहे तमिलों की सुरक्षा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: सभापति महोदय आपका धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान अनाजों और दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के मुद्दे की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। इससे आम जनता को असहनीय कठिनाई हो रही है। संप्रग सरकार प्रत्येक बजट में निरंतर खाद्य राजसहायता घटा रही है। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद से अब तक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में सात बार वृद्धि की है और यह इसमें फिर वृद्धि करने पर विचार कर रही है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री के. फ्रांसिस जार्ज इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं।

डा. के.एस. मनोज: जी, नहीं। यह अलग मुद्दा है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: यह एक अलग मुद्दा था।

सरकार बीपीएल और एपील कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है। रोजगार योजनाओं के अतर्गत कामगारों को प्रदान किए जा रहे खाद्यान्नों पर रोक लगाए जाने का भी विचार है।

सरकार मूल्य वृद्धि से निपटने के प्रति उदासीन है, जो मीडिया में प्रकाशित माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। वास्तव में संप्रग सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु कभी कोई सकारात्मक उपाय नहीं किया। इसके बजाय इस की नीतियों से केवल जमाखोरों और वायदा कारोबारियों को ही सहायता मिली है।

वामपंथी दल और महिला संगठन, विशेषकर अखिल भारतीय महिला संघ सरकार से निरंतर मूल्य वृद्धि रोकने और इस देश की गरीब जनता को बचाने हेतु प्रभावी उपाय करने की मांग कर रही है।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, हमारी मांग है कि इस मुद्दे पर अलग से चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय: अगला मुद्दा श्री रामदास आठवले द्वारा उठाया जाए।

किसानों के मुद्दे पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। अत: आप अपनी बात अत्यंत संक्षेप में रखें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सन् 1997 से 2007 तक कम से कम डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की है जिसमें महाराष्ट्र और विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। प्रधान मंत्री जी के 3,750 करोड़ रुपये के पैकेज देने के बावजूद भी वहां आत्महत्या का सिलसिला जारी है। इसलिए हमारी मांग है कि उनके ऊपर जो कर्ज है, उसे माफ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों के उत्पादन के मूल्य को भी फिक्स करने की आवश्यकता है। हमारे नासिक में प्याज होता है। यदि प्याज का मूल्य दस रुपये प्रति किलो फिक्स किया जाता है तो उन्हें इसका फायदा हो सकता है। यदि किसानों की आत्महत्याओं को रोकना है तो उनका कर्ज माफ करना ही चाहिए।

हमें इरीगेशन बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। विदर्भ में जमीन अच्छी है, लेकिन इरीगेशन बहुत कम है। कम भूमि वाले जो किसान हैं, हमारे देश में कम से कम 20 करोड़ एकड़ जमीन सरप्लस है। उसे एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए सरकार को निर्णय लेने चाहिए। भारत सरकार से हमारी मांग है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले सदस्य श्री एम. शिवन्ना हैं। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए और इस देरी के समय में भाषण मत दीजिए। आप केवल प्रासंगिक मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं।

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): जी हां।

*महोदय, मैं सरकार का ध्यान स्वामीनाथन पैनल की सिफारिश के प्रभावी कार्यान्वयन की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। डा. स्वामीनाथन पैनल पहले से ही अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर चुका है। इस ने कृषि उत्पादों के मूल्यों को वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित करने की सिफारिश की है। मूल्यों को निर्धारित करते समय प्रत्येक फसल की उत्पादन लागत का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वामीनाथन समिति ने गेहूं, धान, गन्ना और संकर मक्का सहित विभिन्न फसलों के मूल्य वैज्ञानिक आधार पर नियत करने की सिफारिश की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसी सदन में नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पर दो साल पर चर्चा हुई थी। उस समय माननीय पंत प्रधान जी ने इंटरवेंशन करते हुए बहुत गंभीरता से कहा था कि जो लोग दोषी हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे और जो लोग अफैक्टेड हैं, उनका रिहैबिलिटेशन करेंगे, उनके बच्चों को नौकरी दिलायेंगे। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इन दो सालों में सरकार ने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी है। नानावटी कमीशन ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस विषय पर सभा में कई बार चर्चा की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: दो साल पहले जब डिसकशन हुआ था तब सरकार ने जो भी आश्वासन दिया था, कम से कम आप मुझे उस बारे में बोलने दीजिए। इस बात को बीते हुए दो साल हो गये हैं। जिन पर लोगों ने दंगे भड़काए थे, मैं उनके नाम यहां नहीं लूंगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, एक तारीख की साढ़े नौ की नैशनल न्यूज में जिन नेताओं ने अपने इंटरव्यू दिये, उनके कारण भी दंगे भड़के। आप पहली दिसम्बर का साढ़े नौ बजे का नैशनल न्यूज देखिये, उसमें आपको ये लोग दिखाई देंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: अभी कुछ लोग इनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि उन नेताओं को जो क्लीन चिट मिल रही है, वह गलत है। इसके साथ-साथ जिन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, वे जिम्मेदार लोग सिक्योरिटी न मिलने के कारण देश के बाहर घूम रहे हैं और टी.वी. पर इंटरव्यू दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह बात छुपनी नहीं चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह उन लोगों को सिक्योरिटी देकर यहां लायेगी और उनसे पूछताछ करेगी?

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के रिहैबिलिटेशन और नौकरी के बारे में जो कहा था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं क्योंकि जिन तीन हजार लोगों को मारा गया, काटा गया, जिंदा जलाया गया, उनमें से 2200 लोग मेरे अपने थे। इसलिए मैं बार-बार इस सवाल को उठा रहा हूं। इसलिए महोदय मराठी में एक कहावत है कि ज्यांच्या जठता त्यांनाच कठता यानी जिसका जलता है, उसी को समझता है। मेरे को जलन हो रही है क्योंकि मेरे अपने लोग मर गये हैं। इसलिए मैं बार-बार इस बात को उठा रहा हूं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जो लोग इसमें इन्वाल्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस घटना को बीते हुए 23 साल हो गये हैं। जो लोग मरे हैं उनके बच्चे बड़े हो गये हैं। वे आज शादी के लायक हो गये हैं लेकिन उनके पास नौकरी न होने के कारण आज उनकी शादी भी नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उन परिवारों के बच्चों को आप नौकरी दीजिए, उनका रिहैबिलिटेशन कीजिए और जो लोग दोषी हैं, उनको सजा दीजिए।

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.30 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 4 दिसंबर, 2007/13 अग्रहायण 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	241
2.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	242
3.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिकेवल प्रसाद	243
4.	श्री रेवती रमन सिंह	244
5.	श्री एल. राजगोपाल	245
6.	श्रीमती किरण माहेश्वरी	246
7.	श्री बापू हरि चौरे श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	247
8.	श्री प्रकाश बी. जाधव श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	248
9.	श्री राव्यपति सांबासिवा राव श्री एस.के. खादरवेनथन	249
10.	श्री रघुनाथ झा	250
11.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री मनसुखभाई डी. वसावा	251
12.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	252
13.	श्री गिरधारी लाल भार्गव	253
14.	श्री तथागत सत्पथी श्री हंसराज गं. अहीर	254
15.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	255
16.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री पुन्नू लाल मोहले	256
17.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	257
18.	श्री एम. शिवन्ना श्री प्रहलाद जोशी	258
19.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	259
20.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री मदन लाल शर्मा	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2254
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2252, 2288, 2325, 2352, 2374
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2262, 2333, 2363, 2392
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2335, 2336
5.	अजय कुमार, श्री एस.	2270, 2348
6.	अनंत कुमार, श्री	2231, 2402
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2286, 2351
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	2268, 2338
9.	आठवले, श्री रामदास	2255, 2329, 2379, 2405, 2422
10.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	2230, 2430
11.	बहुगुणा, श्री विजय	2267
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2234, 2288, 2352
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2277
14.	भगोरा, श्री महावीर	2244, 2322, 2371
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	2236, 2339
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2301, 2362, 2390
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2219, 2333, 2385
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2279, 2347
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2216, 2291

1	2	3
20.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2232, 2240
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2282
22.	चौरे, श्री बापू हरि	2316, 2434
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2320, 2366, 2395, 2415
24.	चिन्ता मोहन, डा.	2391
25.	चौधरी, श्री पंकज	2272, 2342
26.	चौधरी, श्री अधीर	2275, 2344, 2377
27.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	2282
28.	देवरा, श्री मिलिन्द	2233, 2306
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2312, 2369, 2398, 2418
30.	धोत्रे, श्री संजय	2434
31.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	2223, 2393, 2410
32.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2274, 2343, 2383
33.	गद्दीश्वर, श्री पी.सी.	2241, 2313, 2373
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2287, 2374
35.	गंगवार, श्री संतोष	2235, 2309, 2368, 2397, 2428
36.	गाव, श्री तापिर	2246, 2323
37.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2316, 2434
38.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2245
39.	गुढ़े, श्री अनंत	2250
40.	हुसैन, श्री अनवर	2252, 2278
41.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	2317
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	2259
43.	जय प्रकाश, श्री	2263, 2334
44.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2413
45.	झा, श्री रघुनाथ	2319, 2436
46.	जिन्दल, श्री नवीन	2269
47.	जोशी, श्री प्रहलाद	2226, 2345
48.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2283, 2331
49.	खां, श्री सुनील	2243, 2253
50.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2345, 2425
51.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2300, 2358, 2387, 2411
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2212, 2289, 2355, 2386, 2438
53.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	2257, 2391
54.	महरिया, श्री सुभाष	2232, 2328, 2378, 2404
55.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2315
56.	महतो, श्री टेक लाल	2211, 2332
57.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2309, 2368, 2397, 2417
58.	माने, श्रीमती निवेदिता	2287, 2374
59.	मनोज, डा. के.एस.	2281, 2348, 2384, 2409, 2424
60.	मसूद, श्री रशीद	2284
61.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2248, 2350
62.	मैन्या, डा. टोकचोम	2276
63.	मिश्रा, डा. राजेश	2254
64.	मंडल, श्री अबु अयीश	2260, 2331

1	2	3
65.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2252, 2266
66.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2247, 2324, 2435
67.	नायक, श्री अनन्त	2252, 2264, 2346
68.	निखिल कुमार, श्री	2275, 2344
69.	ओवेसी, श्री असाद्दीन	2253, 2327, 2377
70.	उरांव, डा. रामेश्वर	2229, 2304
71.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2225, 2299, 2357, 2389, 2412
72.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2265
73.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2242, 2290, 2335, 2372
74.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2285
75.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2311, 2363, 2392, 2439
76.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2310, 2361, 2367, 2406
77.	पाठक, श्री ब्रजेश	2307
78.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2228, 2303, 2359, 2388, 2425
79.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2210
80.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2414, 2415
81.	राजगोपाल, श्री एल.	2240, 2314, 2380
82.	रामदास, प्रो. एम.	2271, 2273, 2320, 2340, 2382
83.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2222, 2294, 2381, 2408
84.	राणा, श्री काशीराम	2261, 2364, 2429, 2431
85.	राव, श्री के.एस.	2238, 2330, 2433, 2437
86.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2318, 2365, 2394
87.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2258, 2349, 2432
88.	रावले, श्री मोहन	2218
89.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2221, 2293, 2376, 2403, 2421
90.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2251, 2320
91.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2235
92.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2297, 2364, 2393, 2414
93.	रिजीजू, श्री कीरेन	2210, 2295, 2335, 2353
94.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2213, 2296, 2354, 2407, 2423
95.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2227
96.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2249
97.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2377
98.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2426
99.	शर्मा, श्री मदन लाल	2326, 2375, 2402, 2420
100.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2252, 2325, 2374, 2401
101.	शिवन्ना, श्री एम.	2252, 2310
102.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2268, 2271, 2273, 2320, 2340

1	2	3
103.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2298, 2356, 2391, 2413
104.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2261, 2311, 2333, 2366, 2439
105.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2252
106.	सिंह, श्री गणेश	2256
107.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2374
108.	सिंह, श्री मोहन	2427
109.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2239, 2337, 2436
110.	सिंह, श्री राकेश	2224, 2253, 2305, 2377
111.	सिंह, श्री सुग्रीव	2307, 2367, 2396, 2416
112.	सिंह, श्री उदय	2377
113.	सुब्बारायण, श्री के.	2240, 2341
114.	सुमन, श्री रामजीलाल	2257
115.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2217, 2292
116.	थामस, श्री पी.सी.	2424
117.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2215, 2320, 2393
118.	थुपस्तन, श्री छेवांग	2280
119.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2242, 2290, 2372
120.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2237, 2308, 2360, 2400, 2419
121.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2321, 2365, 2370, 2399
122.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2302
123.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2252, 2288, 2325, 2352, 2374
124.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	2241
125.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2392
126.	यादव, श्री बालेश्वर	2214
127.	यादव, श्री गिरिधारी	2220, 2384

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	281, 284, 285, 287, 292, 293, 299
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	288, 289
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	283, 290, 294, 296, 300
रक्षा	:	291, 295, 297
श्रम और रोजगार	:	282
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	286
जल संसाधन	:	298

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2754, 2757, 2758, 2759, 2763, 2764, 2765, 2766, 2771, 2779, 2784, 2795, 2796, 2798, 2800, 2803, 2808, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2818, 2820, 2825, 2826, 2827, 2830, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2843, 2847, 2848, 2851, 2852, 2860, 2865, 2867, 2873, 2879, 2881, 2882, 2885, 2889, 2890, 2891, 2892, 2895, 2897, 2899, 2900, 2901, 2907, 2912, 2918, 2920, 2926, 2927, 2928, 2933, 2937
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2753, 2775, 2778, 2781, 2785, 2788, 2793, 2797, 2805, 2811, 2817, 2823, 2824, 2832, 2833, 2838, 2846, 2850, 2863, 2870, 2876, 2877, 2878, 2880, 2888, 2894, 2896, 2910, 2911, 2916, 2917, 2938, 2939, 2940
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2756, 2760, 2767, 2776, 2809, 2810, 2819, 2821, 2829, 2844, 2849, 2861, 2866, 2869, 2883, 2921, 2923, 2925, 2934, 2935
रक्षा	:	2752, 2762, 2768, 2772, 2773, 2777, 2783, 2786, 2787, 2889, 2790, 2792, 2794, 2804, 2822, 2828, 2840, 2841, 2842, 2845, 2853, 2854, 2855, 2857, 2858, 2871, 2872, 2875, 2884, 2886, 2887, 2903, 2904, 2906, 2908, 2909, 2913, 2922, 2932, 2936
श्रम और रोजगार	:	2769, 2770, 2791, 2799, 2801, 2802, 2806, 2831, 2856, 2859, 2874, 2915, 2919, 2924
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2780, 2807, 2893, 2905, 2929, 2931
जल संसाधन	:	2755, 2761, 2774, 2782, 2862, 2864, 2868, 2898, 2902, 2914, 2930.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

©2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी – बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।